वार्षिक योजना
2009-10

योजना आयोग
भारत सरकार
www.planningcommission.gov.in

वार्षिक योजना
2009-10

सत्यमेव जयते

योजना आयोग
भारत सरकार

www.planningcommission.gov.in

वार्षिक योजना
2009-10

विषय सूची

अध्याय संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	समावेशी विकासः दृष्टि एवं कार्यनीति	1 - 4
2	वृहद आर्थिक ढांचा	5 - 13
3	योजना का वित्त पोषण	14 - 49
4	रोजगार परिदृश्य एवं श्रम नीति	50 - 54
5	दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण	55 - 64
6	सामाजिक न्याय	65 - 83
7	स्थानिक विकास और क्षेत्रीय असंतुलन	84 - 94
8	नव्रपवर्तन व प्रौद्योगिकी	95 - 125
9	पर्यावरण एवं जलवायु	126 - 159
10	अवसंरचना	160 - 168
11	बाह्य वातावरण	169 - 177
12	शिक्षा	178 - 195
13	खेल एवं कला व संस्कृति	196 - 206
14	स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	207 - 247
15	पोषण एवं सामाजिक सुरक्षा नैट	248 - 266
16	पेयजल, सफाई व्यवस्था एवं रहने की स्वच्छ दशा	267 -271
17	महिला एजेंसी और बाल अधिकारों की ओर	272 - 287
18	कृषि	288 - 313
19	जल प्रबंधन और सिंचाई	314 -334
20	वन	335 - 338
21	तीव्रता से गरीबी कम करना	339 -351
22	भारत निर्माण	352 - 364
23	ग्राम और लघु उद्यम सहित उद्योग	365 - 408
24	पर्यटन और सेवाएं	408 - 421
25	परिवहन	422 - 449
26	ऊर्जा	450 - 480
27	शहरी अवसंरचना, आवास बुनियादी सेवाएं और गरीबी उन्मूलन	481 - 492
28	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	493 - 513

अध्याय - 1

समावेशी विकास : दृष्टि एवं कार्यनीति

भूमिका

1.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) का प्रमुख जोर समावेशी लक्ष्य को हासिल करना है, जिसके तहत समाज के सभी वर्ग विकास एवं प्रगति की प्रक्रिया में समान लाभ प्राप्त करते हैं। समाज - आर्थिक अवसंरचना, मानव संसाधनों के विकास, रोजगार के और अधिक अवसरों के सृजन, जिनमें विभिन्न समाज - आर्थिक समूहों, वंचित रहे लोगों पर अधिक ध्यान दिया गया आदि में ठोस सुधार के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास की संभावनाएं और बढ़ गई हैं। इसका लक्ष्य है कि विकास प्रक्रिया में धारणीयता लाई जाए, जिनसे अधिक लाभ प्राप्त हो सके और सब के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सकें। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास के लिए व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है, जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती मजबूती पर टिकी है और इसी के साथ ही सामने आने वाली त्रुटियों के समाधान पर भी ध्यान केंद्रण किया जाता है।

1.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित समावेशी विकास का मुख्य उद्देश्य उस विकास प्रक्रिया को प्रवर्तित करना है जो लोगों, विशेष रूप से गरीबों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक सुधार सुनिश्चित करती है। प्रतिकूलताग्रस्त और अब तक उपेक्षित रहे वर्गों का सशक्तिकरण समावेशी विकास का अनिवार्य घटक है। वास्तविक समावेशी विकास की कार्यनीति सभी विकास क्षेत्रों जैसे कि कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सफाई, महिला और बाल विकास, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण आदि को कवर करती है ।

1.3 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के विजन में अनेक अन्तःसम्बद्ध घटक शामिल हैं जैसे - तीव्र विकास, जो गरीबी को कम करता है और रोजगार अवसरों का सृजन करता है, विशेष रूप से गरीबों की स्वास्थ्य और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर डिलीवरी प्रणाली, अवसरों की समानता, शिक्षा और दक्षता के माध्यम से सशक्तिकरण, पर्यावरणीय संधारणीयता, महिला एजेंसी की मान्यता और सुशासन।

27 राष्ट्रीय लक्ष्य

1.4 ग्यारहवीं योजना के तीव्र और समावेशी उद्देय को 27 राष्ट्रीय स्तर के मानीटर करने योग्य समाजार्थिक लक्ष्यों के एक सैट में संक्षेप में रखा गया है। राष्ट्रीय स्तर के ये 27 लक्ष्य छह मुख्य श्रेणियों में आते हैं । छह श्रेणियां हैं-- (क) आय व गरीबी (ख) शिक्षा (ग) स्वास्थ्य (घ) महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दे (ङ) अवसंरचना और (च) पर्यावरण । इन श्रेणियों में रखे गए 27 राष्ट्रीय स्तर के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं ।

(क) **आय व गरीबी**

- जीडीपी की वृद्धि दर को तीव्र करके 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करना और तत्पश्चात वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने के उद्देश्य से बारहवीं योजना में इसे 10 प्रतिशत पर बनाए रखना ।
- लाभों के व्यापक प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए कृषि जीडीपी वृद्धि दर को 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक बढ़ाना ।
- 58 मिलियन नए रोजगार अवसरों का सृजन करना ।
- शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी को 5 प्रतिशत से भी कम करना ।
- अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना ।
- उपभोग्य गरीबी के हैडकाउंट अनुपात को घटाकर 10 प्रतिशतता बिंदुओं तक लाना ।

(ख) **शिक्षा**

- प्राथमिक विद्यालयों से बच्चों के विद्यालय छोड़ने की दर, जो वर्ष 2003-04 में 52.2 प्रतिशत थी, को घटाकर ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत तक 20 प्रतिशत तक लाना।
- प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के न्यूनतम मानक विकसित करना और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित परीक्षण द्वारा शिक्षा की प्रभाविता की मानीटरिंग करना।
- 7 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र वाले बच्चों की साक्षरता दर में 85 प्रतिशत तक वृद्धि करना।
- साक्षरता में 10 प्रतिशतता बिंदुओं तक जेंडर अंतराल को घटाना ।
- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक(2011-12) उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के प्रत्येक समूह की प्रतिशतता को वर्तमान 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत तक करना।

(ग) **स्वास्थ्य**

- शिशु मृत्यु अनुपात (आईएमआर) को 28 तक तथा मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक तक कम करना ।
- सम्पूर्ण जनन क्षमता दर को 2.1 तक कम करना।
- वर्ष 2009 तक सभी को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना और यह सुनिश्चित करना है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक कोई भी पूर्व स्थिति में न जाए।
- 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के बीच कुपोषण को इसके वर्तमान स्तर से कम करके आधा करना।

- ग्यारहवीं योजना के अंत तक (वर्ष 2011-12) महिलाओं और लड़कियों में रक्ताल्पता को इसके वर्तमान स्तर से आधे-स्तर तक कम करना।

(घ) **महिलाएं और बच्चे**

- 0-6 के आयु वर्ग के लिंग अनुपात को 2011-12 तक 935 तक बढ़ाया जाना ।
- सभी सरकारी स्कीमों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ के कम से कम 33 प्रतिशत लाभ को महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुनिश्चित करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे बिना किसी कार्य की अनिवार्यता के एक सुरक्षित बचपन का आनन्द लें ।

(ड.) **अवसंरचना**

- 2009 तक सभी गाँवों और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के लिए बिजली के कनेक्शन और योजना के अंत तक (2011-12) 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना ।
- 2009 तक 1000 एवं इससे अधिक (पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 500) वास-स्थलों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना तथा 2015 तक सभी महत्वपूर्ण आवासों की कवरेज को सुनिश्चित करना ।
- नवम्बर, 2007 तक प्रत्येक गांव को टेलीफोन से जोड़ना और 2012 तक सभी गांवों को ब्राडबैण्ड सम्पर्कता मुहैया कराना ।
- 2012 तक सभी को आवास हेतु स्थान मुहैया कराना तथा वर्ष 2016-17 तक सभी गरीबों को कवर करने के लिए ग्रामीण गरीबों के लिए गृह निर्माण की गति को बढ़ाना ।

(च) **पर्यावरण**

- 5 प्रतिशतता बिन्दुओं तक वन एवं पेड़ आवरण में वृद्धि करना ।
- 2011-12 तक सभी बड़े शहरों में वायुगुणवत्ता के डब्ल्यूएचओ मानकों को प्राप्त करना ।
- नदी जल को स्वच्छ बनाने के लिए 2011-12 तक शहरों के अपशिष्ट जल का शोधन करना।
- 2016-17 तक ऊर्जा क्षमता में 20 प्रतिशत तक वृद्धि करना ।

13 राज्य विशिष्ट लक्ष्य

1.5 अधिकांश लक्ष्यों, विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्रक विकास से संबंधित लक्ष्यों की उपलब्धि में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि वे कुछेक योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार करने में शामिल होते हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने से जुड़ी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कुशल और सामयिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्यारहवीं योजना को इस

तरह तैयार किया गया है जिससे 27 राष्ट्रीय लक्ष्यों में से 13 लक्ष्यों को अलग-अलग राज्यों, इनमें से अनेक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते हैं, हेतु उपयुक्त लक्ष्य जिन्हें राज्यों के स्तर पर वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित हैं- (1) जीडीपी विकास दर , (2) कृषि विकास दर, (3) कार्य के नए अवसर, (4) गरीबी अनुपात, (5) प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल छोड़ने (ड्रॉप आउट) की दर, (6) साक्षरता दर, (7) साक्षरता दर में लिंग अंतराल, (8) शिशु मृत्यु दर, (9) मातृ मृत्यु दर, (10) कुल जनन क्षमता दर, (11) बाल-कुपोषण, (12) महिलाओं और बालिकाओं में रक्ताल्पता (एनीमिया), (13) लिंग अनुपात ।

1.6 केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर उपयुक्त नीतियों व कार्यक्रमों की पहचान की गई है ताकि ग्यारहवीं योजना अवधि में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके ।

विकास

1.7 ग्यारहवीं योजना अवधि (2007-2012) का लक्ष्य योजना हेतु 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत विकास दर की उपलब्धि और इसकी अवधि के समाप्त होने तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत के संधारणीय विकास पथ पर रखना है। ग्यारहवीं योजना में अनुमानित क्षेत्रकीय विकास लक्ष्य कृषि क्षेत्रक में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष, उद्योग क्षेत्रक में 10 से 11 प्रतिशत और सेवा क्षेत्रक में 9 से 11 प्रतिवर्ष है।

1.8 योजना में क्षेत्रकीय विकास दर की इस प्रकार संरचना की गई है कि उसका आय के स्तर पर अधिकतम प्रभाव पड़े । प्रति व्यक्ति आय में प्रतिवर्ष लगभग 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है जो दस वर्ष से भी कम अवधि में दुगुनी हो जाएगी। प्रति व्यक्ति उपभोग में प्रतिवर्ष लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो लगभग दस वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। ग्यारहवीं योजना अवधि में वृहद आर्थिक ढांचे में 36.7 प्रतिशत की औसत निवेश दर (अर्थात् जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निवेश) की परिकल्पना की गई है जो 34.8 प्रतिशत की घरेलू बचत दर (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बचत) द्वारा समर्थित है।

क्षेत्रकीय मुद्दे

विभिन्न क्षेत्रकों के निष्पादन, मुद्दों और रणनीतियों का विश्लेषण अध्याय 4 से 30 में किया गया है।

अध्याय-2

देश की वृहद आर्थिक रूप रेखा - अवलोकन

अर्थव्यवस्था का निष्पादन

2.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में परिकल्पित तीव्र विकास का उद्देश्य पहले वर्ष (2007-08) के दौरान सफलता के साथ हासिल किया गया और 9.25 की विकास दर हासिल की गई। फिर भी, वैश्विक वित्तीय मंदी के कारण 2008-09 के दौरान विकास दर में गिरावट देखी गई। 2009-10 में सूखे की स्थिति के कारण कृषि क्षेत्रक में विकास दर में नकारात्मक स्थिति आ गई थी, 2009-10 के दोरान जीडीपी के अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा जारी किया गया था, जो वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था को 7.25 के विकास को दर्शाती है। इसके अलावा, भारत उन कुछेक अर्थव्यवस्थाओं में है, जिस ने वित्तीय बदहाली के होते हुए भी सकारात्मक विकास दर दर्ज की। तालिका 2.1 कारक लागत (2004-05 की स्थिर कीमतों) पर जीडीपी विकास दर और 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान बाजार दर पर दर्शाती है। बाजार मूल्य पर जीडीपी में शामिल हैं - शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, (सब्सिडी से निवल अप्रत्यक्ष कर) जो कारक लागत पर जीडीपी से अधिक।

तालिका 2.1 कारक लागत पर जीडीपी की विकास दरें और बाजार मूल्य पर जीडीपी

(प्रतिशत में)

वर्ष	कारक लागत पर जीडीपी	बाजार मूल्य पर जीडीपी
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य	9.0	9.0
2007-08	9.2	9.6
2008-09 (क्यूई)	6.7	5.1
2009-10 (एई)	7.2	6.8

क्यूईः त्वरित अनुमान एईः अग्रिम अनुमान

क्षेत्रकीय विकास

2.2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान जीडीपी की विकास दर का अनुमान 9.2% जिस में कृषि में विकास दर 4.7, उद्योग में 8.2% और सेवाओं में 10.6% रही है। 2008-09 के लिए जीडीपी की विकास दर का अनुमान 6.7% (त्वरित अनुमान) और कृषि में विकास दर 1.6%, उद्योग में 3.7% और सेवा क्षेत्रक में 10.5% का अनुमान लगाया गया। तालिका 2.2 व्यवस्था के क्षेत्रकीय विकास निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 2.2 क्षेत्रकीय विकास दरें

(कारक लागत, 2004-05 की कीमतों पर)

(प्रतिशत में)

वर्ष	कृषि	उद्योग	सेवा	जीडीपी
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)	4.0	10-11	9-11	9.0
2007-08	4.7	8.2	10.6	9.2
2008-09 (क्यूई)	1.6	3.7	10.5	6.7
2009-10 (एई)	-0.2	8.1	8.8	7.2

क्यूईः त्वरित अनुमान एईः अग्रिम अनुमान

2.3 दसवीं योजना के अंतिम दो वर्षों और ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्रक में निष्पादन में सुधार हुआ और औसत विकास दर 4 प्रतिशत से अधिक रही। ग्यारहवीं योजना के दूसरे वर्ष (2008-09) में प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों और कृषि क्षेत्रक की विकास दर 1.6% तक नीचे आ गई और 2009-10 में भी यह क्षेत्रक चिंता विषय बना रहा। ग्यारहवीं योजना के दो प्रथम वर्षों के दौरान औद्योगिक क्षेत्रक का निष्पादन प्रभावशाली नहीं रहा। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में औद्योगिक क्षेत्रक की विकास दर लक्ष्य के मुकाबले कम रही, जिसका कारण था कि वैश्विक मंदी का प्रभाव। सेवा क्षेत्रक, जिसने ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान लगातार अच्छा निष्पादन दिखा था, वह भी 2009-10 के दौरान अगली गति को संभाल नहीं सका, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों में मंदी आ गई थी।

2.4 अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि दर में पर्याप्त अन्तरक्षेत्रकीय विभिन्नताएं हैं, जो संलग्नक 2.1 में देखी जा सकती हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान वे राज्य जिन्होंने राष्ट्रीय औसत से तीव्र विकास किया है, बिहार, हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तराखंड हैं। संलग्नक 2.1 में दसवीं योजना के दौरान राज्य-वार वृद्धि निष्पादन, ग्यारहवीं योजना हेतु राज्य-वार वृद्धि लक्ष्य और नवीनतम उपलब्ध सांख्यिकी के अनुसार विशिष्ट राज्यों की वार्षिक वृद्धि(2007-08 और 2008-09) दर दी गई है।

बचतें और निवेश दर

2.5 जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में बचत और निवेश दोनों में नौवीं योजना अवधि में 23.6% से बढ़कर 24.3% और दसवीं में 31.9% से बढ़कर 32.1% हो गई। ग्यारहवीं योजना में 4.1 के वर्धनीय पूंजी आउटपुट अनुपात(आईसीओआर) सहित 36.7% की निवेश दर की परिकल्पना की गई है। इस निवेश दर से ग्यारहवीं योजना में 9% का वृद्धि लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। ग्यारहवीं योजना के प्रथम वर्ष (2007-08)में प्राप्त की गई निवेश दर पहले ही लक्ष्य से आगे निकल गई है। हाल ही की बचतें और निवेश दरें तालिका 2.3 में दी गई हैं। फिर भी, 2008-09 के दौरान दोनों, बचत और निवेश दरों में कमी आई। विगत में हाल ही के निवेश और बचत दर तालिका 2.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.3 बचत और निवेश दर

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	बचत दर	निवेश दर
नौवीं योजना	23.6	24.3
दसवीं योजना (औसत)	31.9	32.1
ग्यारहवीं योजना (लक्ष्य)	34.8	36.7
2007-08	36.4	37.7
2008-09 (क्यूई)	32.5	34.9

क्यूई- त्वरित अनुमान

बचत संबंधी संरचना

2.6 सकल घरेलू बचतों (जीडीपी) को सार्वजनिक और निजी बचत में वर्गीकृत किया जाता है। सार्वजनक बचत में सरकारी विभागों (केंद्र और राज्य) एवं सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को

शामिल किया जाता है। निजी बचत में शामिल है घरेलू बचतें जो घरों द्वारा प्रत्यक्ष बचत की जाती है वह भी इसमें शामिल है तथा निगमित क्षेत्रक की बचतें भी वर्ष 2007-08 के दौरान बचत में योगदान मुख्य रूप से घरेलू क्षेत्रक सहित सभी क्षेत्रकों द्वारा की गई है और घरेलू बचत में योगदान दिया गया है। सार्वजनिक बचतों में वृद्धि मुख्य रुप में घरेलू क्षेत्रक शामिल है। सार्वजनिक बचतों में वृद्धि मुख्य रुप से गैर-विभागीय उद्यमों, विभागीय उद्यमों की बचतों में लघु वृद्धि और सरकारी प्रशासन के व्यय में महत्वपूर्ण कमी के कारण हुई है। तालिका 2.4 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों के संबंध में बचतों की संरचना दी गई है।

तालिका 2.4 बचत की संरचना

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

वर्ष	घरेलू क्षेत्रक	निजी निगमित क्षेत्रक	सार्वजनिक क्षेत्रक	जीडीएस
2006-07	22.9	8.0	3.6	34.4
ग्यारहवीं योजना - लक्ष्य	23.0	7.3	4.5	34.8
2007-08	22.6	8.7	5.0	36.4
2008-09 (क्यूई)	22.6	8.4	1.4	32.5

क्यूई:त्वरित अनुमान

2.7 निगमित बचतें जो विशेष रूप से निजी क्षेत्रक में काफी अधिक रही हैं वे सुदृढ़ विकास निष्पादन और वित्तीय निष्पादन 2007-08 तक दर्शाती हैं, वे आगामी वर्ष में मध्यम होकर 8.4% पर आ गई जिसका कारण था कि वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण एवं निष्पादन में आया बदलाव।

2.8 एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन और वर्ष 2008-09 के लिए उसमें अपनाए गए राजकोषीय और राजस्व घाटा लक्ष्यों ने राजकोषीय अनुशासन के एक तत्व की शुरुआत करने में सहायता की है। उच्च वृद्धि दर जो कर प्रशासन में सुधारों के साथ जुड़ी हुई है,से उत्पन्न होने वाले कर प्रशासन के उछाल ने सुधरी हुई सरकारी बचतों में 2007-08 के दौरान योगदान दिया है इसे ग्यारहवीं योजना के निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया है। तालिका 2.5 सार्वजनिक क्षेत्रक बचतों की संरचना को दर्शाती है।

तालिका 2.5 - सार्वजनिक क्षेत्रक की बचत

(जीडीपी के % रूप में)

वर्ष	सरकारी प्रशासन	सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	कुल सार्वजनिक क्षेत्रक
आठवीं योजना	-0.9	3.0	2.1
नौवीं योजना	-4.1	3.3	-0.8
दसवीं योजना	-2.2	4.1	1.9
ग्यारहवीं योजना(लक्ष्य)	0.5	4.0	4.5

निवेश की संरचना

2.9 हाल ही में सम्पूर्ण निवेश में सार्वजनिक और निजी निवेश के तुलनात्मक हिस्सों में परिवर्तन हुआ है जो अर्थव्यवस्था के निवेश व्यवहार में संरचनात्मक परिवर्तन को निर्दिष्ट करता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बीच निवेंश की संरचना का निजी निवेश के पक्ष में अंतरण हुआ है। कुल

निवेश में सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश का हिस्सा, जो नौवीं योजना (1997-2002) दसवीं योजना (2002-07) में 29% था दसवीं योजना (2002-07) में घट कर 22% रह गया। ग्यारहवीं योजना में पूरी योजना अवधि के दौरान कुल निवेश स्तर को 36.7% बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है। तालिका 2.6 कुल निवेश और सार्वजनिक निवेश दरों को दर्शाती है।

तालिका 2.6 निवेश की संरचना

वर्ष	कुल निवेश	निजी निवेश	सार्वजनिक निवेश	सार्वजनिक निवेश(कुल निवेश के % के रूप में)
	(जीडीपी का %)			
नौवीं योजना (1997-2002)	24.3	17.3	7.0	29.0
दसवीं योजना (2002-07)	32.1	25.1	7.1	22.0
ग्यारहवीं योजना(लक्ष्य) (2007-12)	36.7	28.7	8.0	21.9
2007-08	37.7	28.8	8.9	23.7
2008-09(क्यूई)	34.9	25.5	9.4	27.0

क्यूई - त्वरित अनुमान

2.10 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्रक निवेश बढ़ा है और योजना में निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक हुआ है। कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्रक के निवेश का हिस्सा 2007-08 में 23.7% की अपेक्षा बढ़कर 2008-09 में 27% हो गया है। फिर भी, निजी निवेश में काफी गिरावट आई है, जिससे निजी क्षेत्रक के निबेश पर वैश्विक मंदी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

राजकोषीय परिदृश्य

2.11 वैश्विक मंदी को मद्देनजर रखते हुएए और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का सामना करने के लिए सरकार ने मांग को बढ़ाने के लिए तीन राजकोषीय पैकेजों की घोषणा की । ये राजकोषीय.पैकेज वर्ष 2008-09 के लिए चालू बाजार मूल्य पर जीडीपी के 3.5% थे। केंद्र और राज्यों को मिला कर संयुक्त रूप से राजकोषीय घाटा 2002-03 में जीडीपी के 9.6% से घट कर 2007-08 में 5.3% तक नीचे आ गया। फिर भी, चालू आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह जीडपी के 8.9% तक पहुंच गया। केंद्र और राज्यों का संयुक्त राजस्व घाटा 2002-03 में जीडीपी का 6.6% तक आ गया तथा 2006-07 में यह 1.3% तक आ गया और 2007-08 में और आगे जीडीपी के 0.9% तक आ गया। 2008-09 का संयुक्त राजस्व घाटा जीडीपी के 5.5% तक बढ़ गया। तालिका 2.7 पिछले कुछ वर्षों से राज्यों और केंद्र के राजकोषीय निष्पादन को दर्शाती है।

तालिका 2.7-केन्द्र और राज्य सरकारों के राजस्व की घाटा प्रवृत्तियाँ

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	केन्द्र		राज्य	
	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा
2002-03	5.9	4.4	4.1	2.3
2003-04	4.5	3.6	4.4	2.3
2004-05	4.0	2.4	3.4	1.2
2005-06	4.1	2.5	2.5	0.2
2006-07	3.4	1.9	1.9	-0.6
2007-08	2.7	1.1	2.3	-0.5
2008-09 (आरई)	6.0	4.4	2.7	-0.1
2009-10 9 (बीई)	6.8	4.8	-	-

नोटः राज्य वित्त के लिए बजट नवम्बर 2008-09 के लिए बजट अनुमान और 2007-08 लिए संशोधित अनुमान।

आरईः संशोधित अनुमान बीईः बजट अनुमान

2.12 2003-04 में केंद्र सरकार का कुल व्यय 2002-03 में जीडीपी का 16.84 था, जो 2007-08 में घटकर 14.4% तक नीचे आ गया। फिर भी, 2008-09 (संशोधित अनुमान) में यह कुल व्यय बढ़ कर 16.16% तक पहुंच गया, जिसका कारण था - छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वयन करना, खाद्य सब्सिडीज में वृद्धि और वृहद राजकोषीय घाटे के कारण उच्च ब्याज भुगतान। 2009-10 (संशोधित अनुमान) में बढ़ कर यह 16.56% हो गया। सभी राज्यों का कुल व्यय 2002-03 में 17.13% था, जो 2007-08 में घटकर 16.67% तक आ गया। राज्य वित्त के तहत सरकारी व्यय में गिरावट राज्यों के गैर-योजना व्यय में महत्वपूर्ण कटौती के कारण हुई है जो वर्ष 2002-03 में जीडीपी के लगभग 13.52 % से घट कर वर्ष 2007-08(संशो.अ.) में जीडीपी के 11.29% तक रही है। इस अवधि के दौरान राज्य योजना व्यय जीडीपी के 3.61% से बढ़कर,वर्ष 2007-08(संशो.अ.) में जीडीपी का 5.39% तक हो गया। वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान में राज्य सरकार के कुल व्यय को जीडीपी के 16.45% तक कम कर दिया गया है।

2.13 प्राप्ति के मामले में केंद्र सरकार का सकल राजस्व कर 2002-03 में कुल जीडीपी का 8.8% था, जो ठोस रूप में बढ़ कर 2007-08 में जीडीपी का 12.6% हो गया (तालिका 2.8)। फिर भी 2008-09 (संशोधित अनुमान) में कर राजस्व घट कर 11.3% तक आ गया ओर 2009-10 के (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 10.4 तक नीचे आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार का अपना राजस्व कर 2007-08 में जीडीपी का 2.2% था, जो घट कर 2008-09 (संशोधित अनुमान) में 1.7% तक नीचे आ गया। गैर राजस्व की प्राप्तियां 2009-10 (बजट अनुमान) में जीडीपी के 2.3% तक रहने की अपेक्षा है। इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों का अपना राजस्व जीडीपी के 5.8% से बढ़ कर 6.2% हो गया। राज्यों का गैर कर राजस्व 2002-03 से 2008-09 के दौरान जीडीपी के 3.3% से बढ़कर 3.9% तक पहुंच गया।

तालिका 2.8 केन्द्र और राज्य सरकार के राजस्व की प्रवृत्तियाँ

(जीडीपी के % के रूप में)

वर्ष	कर राजस्व		गैर - कर राजस्व	
	केन्द्र का सकल कर राजस्व	राज्यों का स्वयं का कर राजस्व	केन्द्र	राज्य
2002-03	8.8	5.8	2.9	3.3
2003-04	9.2	5.8	2.8	3.2
2004-05	9.7	6.0	2.6	3.3
2005-06	10.2	5.9	2.1	3.5
2006-07	11.5	6.1	2.0	3.8
2007-08	12.6	6.2	2.2	3.9
2008-09 (आरई)	11.3	6.2	1.7	3.9
2009-10 (बीई)	10.4	-	2.3	-

नोटः राज्य वित्त के लिए बजट संख्या 2008-09 के लिए बजट सअनुमान ओर 2007-08 के लिए संशोधित अनुमान हैं।

बाह्य क्षेत्रक निष्पादन

2.14 2.14 ग्यारहवीं योजना के दौरान यूएस डालर के अर्थ में निर्यात् में लगभग 20% प्रतिवर्ष की वृद्धि होने का अनुमान है। जीडीपी अनुपात की तुलना में निर्यात में,जो वर्ष 2006-07 में 13.9% था, वर्ष 2011-12 के अंत तक 22.5% तक वृद्धि होने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई)से उपलब्ध सूचना के अनुसार,निर्यात की वैल्यू 2006-07 में 129 बिलियन यूएस डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 के दौरान 166.2 बिलियन यूएस डालर थी। इस प्रकार 28.9% की वृद्धि दर्ज की गई। 2008-09 के दौरान निर्यात का मूल्य 189 बिलियन यूएस डालर था जो कि 13.7% की विकास दर का दर्शाता है और यह दर्शाता है कि विश्व आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी का भारतीय निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। भारत के प्रमुख निर्यात केंद्र यूएई, यूएस, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और यूके हैं।

2.15 11वीं योजना में आयात में 23% औसत दर पर वृद्धि प्रक्षेपित की गई है। 2007-08 के दौरान आयात का मूल्य 258 मिलियन यूएस डॉलर था, जिसमें 2006-07 के 21.8% की तुलना में वार्षिक विकास 35.1% रहा। 2008-09 के दौरान 19.4% का विकास दर्ज करते हुए आयात का मूल्य 307.7 यूएसबिलियन डॉलर था। इस अवधि के दौरान पीओएल (पैट्रोलियम ऑल कैमिकल्स) का आयात विकास दर 14.6% थी, जो कि 2007-08 के दौरान 39.4 थी। पिछले वर्ष के 33.6% के मुकाबले 23.5% रहा। आयात के विकास में आई गिरावट तेल कीमतों में आइ अंतरराष्ट्रीय कमी, पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी ओर उच्च व्यापक आधार के कारण हुआ। भारत के लिए आयात का मुख्य स्रोत चीन, यूएसए, यूएई, सऊदी अरबिया, आस्ट्रेलिया और ईरान थे।

2.16 2006-07 से 64.9 बिलियन यूएस डॉलर के पूंजी व्यापार घाटे की तुलना में वृद्धि हो रही है, जो 2008-09 में 118.4 यूएस बिलियन डॉलर हो गया। दूसरे शब्दों में, व्यापारिक घाटे में तेजी आई जो 2007-08 में जीडीपी का 7.5% था, वह अनुमान जीडीपी के 10% का अनुमान लगाया गया। भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2008-09 में 28.7 बिलियन यूएस डॉलर

(जीडीपी का 2.5%) था, जो कि 2007-08 में 15.7% यूएस बिलियन डॉलर था(जीडीपी का 1.3%) था। केंद्र की यह वृद्धि वैश्विक मंदी ओर विश्व व्यापार में आई गिरावट के कारण थी।

2.17 वर्ष 2008-09 के दौरान भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(एफडीआई) 2007-08) में 15.9 बिलियन यूएस डालर की तुलना में 17.5 बिलियन यूएस डालर है। एफआईआईज़ ने वर्ष 2008-09 में 15 बिलियन यूएस डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 में 20.3 बिलियन यूएस डालर का निवल अन्तप्रर्वाह दर्ज किया है। पूंजीगत लेखों के अन्य घटक विदेशी वाणिज्यिक उधार,विदेशी सहायता,एनआरआई जमा और पूंजी है। निवल पूंजीगत प्रवाह(अन्तप्रर्वाह घटा बहिप्रर्वाह)वर्ष 2006-07 में 45.8 बिलियन यूएस डालर की तुलना में वर्ष 2007-08 में 106.6 बिलियन यूएस डालंर था। निवल पूंजी प्रवाह वर्ष 2008-09 में एक दम घट कर 7.2 यूएस बिलियन डॉलर रह गया।

2.18 मार्च, 2009 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 224.6 बिलियन यूएस डालर था। मार्च, 2008 के अंत तक कुल विदेशी ऋण 224.4 बिलियन यूएस डालर था। इसमें 181.2 बिलियन यूएस डालर दीर्घावधि ऋण और 43.4 बिलियन यूएस डालर अल्पावधि ऋण शामिल हैं। जीडीपी अनुपात की तुलना में कुल ऋण जो मार्च, 2008 के अंत तक 21.5% था, मार्च, 2009 के अंत में बढ़ कर 21.5% हो गया। ऋण सेवा अनुपात जो वर्ष 2008-09 में घटकर 4.4% रह गया, यह वर्ष 2007-08 में घट कर 4.7% और यूएस डालर भारत के कुल विदेशी ऋण के मूल्यवर्ग के लिए प्रमुख करंसी(56.5%) बना रहा है।

2.19 विदेशी मुद्रा भण्डार(सोने,एसडीआरज़ और आईएमएफ में रिजर्व ट्रैंच स्थिति सहित) समय के साथ-साथ लगातार बढ़ता रहा है और मार्च, 2008 तक 309.7 बिलियन यूएस डालर हो गया। फिर भी, मार्च, 2009 में सेवा में काफी कमी आई और यह तेजी से घट कर 252 यूएस डॉलर रह गया।

मूल्य में स्थिरता

2.20 11वीं योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रा स्फीति 4.7% मापी गई, जो कि वर्ष 2006-07 के दौरान 5.4 थी। अगस्त, 2008 में डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति 12.82% की चरम ऊंचाई तक पहुंच गई, जो उच्चतर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के उठाल का प्रभाव घरेलू कीमतों और धातुओं, रसायनों, मशीनरी, मशीन उपस्करों, तिलहनों/खाना पकाने के तेल और कच्चे कपास में हुई वृद्धि को दर्शाता है। उसके बाद मार्च, 2009 में डब्ल्यूपीआई मुद्रा स्फीति में तेजी से आई तीव गिरावट यानि 1.20% न्यूनतम से पैट्रोलियम ओर विद्युत उत्पादों मं गिरावट देखी गई और मुक्त पैट्रोलियम उत्पादों/ तिलहनों/ खाना पकाने के तेल/ कच्चे कपास, सूती वस्त्रों और लोहे एवं स्टील में भी गिरावट आई। यद्यपि 2008-09 के दौरान डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति तेल विनिर्मित उत्पाद समूहों और तेल समूह के योगदान की कीमतों पर आधारित रही और सितम्बर, 2008 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आ गई, जिस से समग्र मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आ गई। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान अप्रैल, 2009 में 1.31% की शीर्ष रेखा मुद्रास्फीति सामने आ गई और जून से अगस्त, 2009 के दौरान यह नकारात्मक सथिति में आ गई, जिसका दायरा 0.17% से 1.01% के बीच रहा। उसके बाद यह सकारात्मक स्थिति पर आ गई और 2009-10 के दौरान अक्तूबर, 2009 में यह 1.34% रिपोर्ट की गई ओर मार्च, 2009 से दिसम्बर, 2009 तक उच्च मुद्रास्फीति बनी रही, परिणामस्वरूप समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति बढ़ कर 8.0% के स्तर पर पहुंच गई। वार्षिक मूल्य वृद्धि दर औद्योगिक कामगारों

(सीपीआईआईडब्ल्यू) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापी गई और कृषि श्रमिकों के लिए यह 6.1% रही ओर वर्ष 2007-08 के लिए यह 7.5% रही। वर्ष 2008-09 के दौरान इस में और वृद्धि हुई और यह और आगे 9.1% और 10.6% पर पहुंच गई। उपभोक्ता मूल्य पर मुद्रास्फीति विभिन्न मापों केजरिए अगस्त/ सितम्बर, 2009 के दौरान 11.7% से 13.2% के बीच रही, जबकि अगस्त/ सितम्बर, 2008 में यह 9-11% के बीच थी।

2010-11 के दौरान आर्थिक दृष्टिकोण

2.21 आर्थिक गतिविधियों में तीव्र वृद्धि की उम्मीद के साथ बृह्द आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार के संकेत दिखाते हैं। विकास की दृष्टि से मौजूदा उम्मीद (i) वर्ष 2009-10 के दौरान अर्थ व्रूवस्था में तीव्र बहाली औद्योगिक बहाली के संकेतों पर टिकी है (ii) वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में निगमित बिक्री में ठोस वं सकारात्मक वृद्धि (iii) निजी क्षेत्र में अंतिम रूप से स्पर्धा की मांग और "सकल निर्धारित पूंजी स्वयप" में सुधार के संकेत 2009-10 की दूसरी तिमाही में। (iv) आरबीआई के औद्योगिक दृष्टिकोण सर्वेक्षण में दर्शाई आशावादी कारोबारी उम्मीदें। (v) स्टॉक बाजार गतिविधियों में पूंजी प्रवाह में पुनरूत्थान की उम्मीद। (vi) जीडीपी और व्यापार में वैश्विक विकास। (vii) नवम्बर, 2009 से क्रेडिट विकास में बदलाव और शुद्ध प्रत्यक्ष करों में उच्च समाहरण की उम्मीद, जिससे सरकारी अर्जन में वृद्धि की उम्मीद दिखाई देना। इन सब के साथ ही खाद्य में मुद्रास्फीति, पर्याप्त वर्षा से कृषि पर प्रभाव, सेवा क्षेत्रक कमजोर निष्पादन वे प्रमुख क्षेत्र हैं, जो चिंता के कारण बने रहे।

संलग्नक - 2.1

1999-00 कीमतों पर जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य	दसवीं योजना (सीएजीआर *)	ग्यारहवी योजना (लक्ष्य)	2007-08 (वार्षिक वृद्धि)	2008-09 (वार्षिक वृद्धि)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	7.39	9.50	10.62	5.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.80	6.40	3.74	एनए
3.	असम	5.7	6.50	6.06	6.04
4.	बिहार	7.87	7.60	8.04	11.44
5.	झारखंड	7.56	9.80	6.18	5.52
6.	गोवा	9.32	12.10	11.14	एनए
7.	गुजरात	10.40	11.20	12.79	एनए
8.	हरियाणा	8.99	11.00	9.35	8.02
9.	हिमाचल प्रदेश	7.68	9.50	8.59	एनए
10.	जम्मू व कश्मीर	5.59	6.40	6.28	एनए
11.	कर्णाटक	5.98	11.20	12.92	5.08
12.	केरल	8.74	9.50	10.42	एनए
13.	मध्य प्रदेश	3.80	6.70	5.25	एनए
14.	छत्तीस गढ़	9.01	8.60	8.63	7.69
15.	महाराष्ट्र	8.29	9.10	9.18	एनए
16.	मणिपुर	5.78	5.90	6.77	7.13
17.	मेघालय	5.81	7.30	5.2	एनए
18.	मिजोरम	6.44	7.10	5.54	6.44
19.	नगालैंड	एनए	9.30	एनए	एनए
20.	उड़ीसा	8.47	8.80	5.85	6.74
21.	पंजाब	5.07	5.90	6.54	6.26
22.	राजस्थान	5.41	7.40	7.33	7.12
23.	सिक्किम	7.97	6.70	7.4	8.00
24.	तमिल नाडु	7.53	8.50	4.41	4.55
25.	त्रिपुरा	7.58	6.90	एनए	एनए
26.	उत्तर प्रदेश	5.24	6.10	7.16	6.46
27.	उतराखंड	9.45	9.90	9.37	8.67
28.	पश्चिम बंगाल	6.51	9.70	7.74	एनए
अखिल भारतीय(99-00)के आधार पर		**7.78**	**9.00**	**9.01**	**6.70**

स्रोतः-ग्यारहवीं योजना(लक्ष्य)सीएसओ द्वारा 9.2.2009 को संकलित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज ।

* सीएजीआर- संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर

एनए- उपलब्ध नहीं

अध्याय - 3
योजना का वित्तपोषण

3.1 वित्तीय संसाधन - केन्द्र और राज्य

वर्ष 2008-09 की वार्षिक योजना और 2009-10 बजट अनुमानों के वित्त पोषण की समीक्षा।

3.1.1 वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्र के कुल व्यय के लिए 7,50,884 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया था। अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वास्तविक व्यय 8,81,469 करोड़ रु. था। यह बढ़ोत्तरी मुख्य रूप से गैर-योजना व्यय में वृद्धि के कारण हुई। संसाधनों के मामले में, राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमानों से 58,284 करोड़ रु. कम थी। आर्थिक मंदी के कारण कर राजस्व विशेषकर प्रत्यक्ष करों की उत्पलावकता के कारण, कर राजस्वों के संबंध में अधिक कमी घोषित की गई थी। राज्स्व प्राप्तियों में आई ठोस कमी और अर्थ व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने की दृष्टि से योजना खर्च की बढ़ोतरी के कारण बजट अनुमानों से राजकोषीय घाटा कहीं अधिक रहा। बजट 2008-09 में प्रक्षेपित 2.5 की तुलना में वास्तविक राजकोषीय घाटा जिसे जीडीपी का हिस्सा मानते हुए यह जीडीपी के 6.1% तक पहुंच गया।

तालिका 3.1.1 : राज्य सरकार के 2008-09 के लेखा का संशोधित तथा 2009-10 के लिए अनुमान

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	मद	बजट अनुमान 2008-09 *	संशोधित अनुमान 2008-09	2008-09 (पी) @	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई *	वर्ष 2008-09 के बाद 2009-10 में बीई की वृद्धि (पी)
	प्राप्तियां						
1	राजस्व प्राप्तियां (निवल)	**602935**	**562173**	**544651**	**-58284**	**614497**	**12.8**
1क	कर राजस्व (केन्द्र के लिए निवल)	507150	465970	447726	-59424	474218	5.9
1ख	गैर-कर राजस्व	95785	96203	96925	1140	140279	44.7
2	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	14662	12265	6704	-7958	5345	-20.3
3	केन्द्र की कुल ऋणेत्तर प्राप्तियां - निवल (1+2)	**617597**	**574438**	**551355**	**-66242**	**619842**	**12.4**
	व्यय						
4	गैर-योजना व्यय	507498	617996	606019	98521	695689	14.8
5	योजना व्यय हेतु जीबीएस	243386	282957	275450	32064	325149	18.0
6	कुल व्यय (4+5)	**750884**	**900953**	**881469**	**130585**	**1020838**	**15.8**
7	राजकोषीय घाटा (6-3)	**133287**	**326515**	**330114**	**196827**	**400996**	**21.5**
7क	राजकोषीय घाटा/जीडीपी %	2.5	6.0	6.1		6.8	

स्रोतः *यूनियन बजट 2009-10, @ अनंतिम लेखा 2008-09

तालिका 3.1.2 : केन्द्र के सकल कर राजस्व का ब्यौरा							
(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)							
क्र0 सं0	कर	बजट अनुमान 2008-09 *	संशोधित अनुमान 2008-09	2008-09 (पी) @	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई *	वर्ष 2008-09 के बाद 2009-10 में बीई की वृद्धि (पी)
1	निगम कर	226361	222000	213812	-12549	256725	20.1
2	वैयक्तिक आयकर	138314	122600	124014	-14300	112850	-9.0
3	सीमा शुल्क	118930	108000	99848	-19082	98000	-1.9
4	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	137874	108359	108740	-29134	106477	-2.1
5	सेवा कर	64460	65000	60866	-3594	65000	6.8
6	अन्य	1776	1990	2425	649	2027	-16.4
7	सकल कर राजस्व	687715	627949	609705	-78010	641079	5.1
8	राज्यों का हिस्सा	178765	160179	160179	-18586	164361	2.6
9	एनसीसीएफ	1800	1800	1800	0	2500	38.9
10	निवल कर राजस्व (7-8-9)	507150	465970	447726	-59424	474218	5.9

केंद्र सरकार अपने एफआरआईआईएम लक्ष्य यानि राजस्व घाटा खत्म नहीं कर पाई और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक नियंत्रित कर सकी। प्राप्तियों और व्यय का सारांश तालिका 3.1.1 में दर्शाया गया है।

3.1.2 वर्ष 2009-10 के लिए कुल बजटीय अनुमान 10,20,838 करोड़ रु. लगाया गया है जिसमें योजना व्यय के 3,25,149 करोड़ रु. और गैर-योजना व्यय के 6,95,689 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) शामिल है। इसका वित्त पोषण 6,19,842 करोड़ रु. की ऋणेतर प्राप्तियों के माध्यम से किया जाएगा और शेष का उधार (राजकोषीय घाटा) के माध्यम से। वर्ष 2009-10 में राजकोषीय घाटा सकल बजटीय सहायता से यह दर्शाते हुए अधिक आंका गया है कि सरकार योजना का वित्त पोषण पूर्ण रुप से उधार के माध्यम से नहीं कर रही है। वर्ष 2008-09 में जिसके लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इस वर्ष में राजकोषीय घाटा योजना संबंधी सकल बजटीय सहायता से कहीं अधिक है।

2008-09 के लिए संसाधन और 2009-10 के लिए अनुमान

3.1.3 केंद्र के गैर ऋण संसाधनों में शामिल हैं - कर राजस्व, गैर कर राजस्व, गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां ये सब मिल कर इसके व्यय को वहन करती हैं। अधिक खर्च को उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है।

कर राजस्व (टीआर)

3.1.4 वर्ष 2008-09 के लिए 6,87,715 करोड़ रु. सकल कर राजस्व का अनंतिम अनुमान बजट अनुमान से 78,010 करोड़ रु. अधिक हो गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान प्रमुख करों से प्राप्तियां बजट अनुमान से कम रही हैं। वस्तुतः कर के मामले में समग्र निष्पादन वर्ष 2008-09 से आर्थिक मंदी के कारण निराशाजनक रहा है। जीडीपी अनुपात की तुलना में सकल कर में लगातार सुधार हुआ है जो वर्ष 2001-02 में 8.2 प्रतिशत से वर्ष 2007-08 (पी) में 12.5 प्रतिशत हो गया है। हाल के वर्षों में, कर प्राप्तियों में वृद्धि प्रत्यक्ष करों विशेष रूप से निगम कर

और आय कर से हुई है। यह वर्ष 2008-09 में घट कर 11.4% (पी) तक आ गया। हाल ही के वर्षों में केंद्र का प्रत्यक्ष कर संग्रहण विशेष रूप से निगमित कर और आय कर से हुआ है ब्यौरे तालिका 3.1.2 में दिए गए हैं।

3.1.5 वर्ष 2008-09 (पी) के 6,41,079 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2009-10 में सकल कर प्राप्तियों में लगभग 5.1 प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 2009-10 में प्रत्यक्ष करों में, निगम कर में अच्छी-खासी वृद्धि बनाए रखने की आशा है। अप्रत्यक्ष करों में, वर्ष 1994-95 से आरंभ करके सेवा कर राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। वर्ष 2008-09 (पी) की तुलना में वर्ष 2009-10 में इसमें 6.8% वृद्धि होने की संभावना है। इसकें आधार को व्यापक बनाने तथा स्वतः अनुपालन को सुगम बनाने वाली प्रक्रियाओं को शुरू करने से सेवा कर राजस्व का एक प्रभावशाली स्रोत बन जाएगा जो सेवा क्षेत्रक में जीडीपी में इसके उच्च हिस्से के अनुरूप होगा।

तालिका 3.1.3 : गैर - कर राजस्वों के अनुमान

(आंकड़े करोड़ रु. व प्रतिशत में)

क्रम सं.	मद	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2008-09 (पी)	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई	वर्ष 2008-09(पी) की तुलना में 2009-10 बीई की वृद्धि
1	ब्याज प्राप्तियां	19135	19036	20556	1421	19174	-6.7
2	लाभांश और लाभ	43204	39736	38743	-4461	49750	28.4
3	संघ राज्य क्षेत्रों के एनटीआर	815	749	780	-35	754	-3.4
4	अन्य गैर-कर राजस्व	32631	36682	36845	4214	70601	91.6
5	कुल	95785	96203	96925	1140	140279	44.7

गैर-कर राजस्व (एनटीआर) :

3.1.6 गैर-कर राजस्व में केन्द्र सरकार द्वारा ऋणों पर ब्याज प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों से लाभांश और लाभ, आरबीआई से अंतरण, सरकारी सेवाओं के लिए बाहरी अनुदान और प्राप्तियां शामिल है। तालिका 3.1.3 दर्शाती है कि वर्ष 2008-09 (पी) के दौरान ब्याज प्राप्तियों में बजट अनुमान की तुलना में 1421 करोड़ रु. की मामूली वृद्धि हुई थी। 2009-10 के बजट अनुमान से ब्याज प्राप्तियों में 2008-09 की तुलना में कमी आना शुरू हो गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) के अधिनिर्णय जिसके अंतर्गत 31.3.2004 तक राज्यों द्वारा किए गए सभी केन्द्रीय ऋण अनुबंध और 31.3.2005 तक के बकाए को 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 वर्षों के लिए नए ऋणों की सूची में डालने की जरूरत है, बशर्ते कि संबंधित राज्य सरकार राजकोषीय जिम्मेदारी विधान लागू करे। इसके अतिरिक्त ईएपीज के अंतर्गत ऋणों को छोड़कर नए ऋण, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा एकत्र किए जाएं। अभी तक 26 राज्यों ने ऐसा कानून पारित कर दिया है और ऐसे राज्यों के ऋण समेकित कर दिए गए हैं।

3.1.7 ब्याज प्राप्तियों के हिस्से में गिरावट के विपरीत, वर्ष 2001 से लाभांश और लाभ का हिस्सा बढ़ रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बैंकों द्वारा लाभांश भुगतान में वृद्धि और आरबीआई से किए जाने वाले अंतरण 2008-09 के दौरान जारी रहे और यह बजट अनुमान से 4,461 करोड़ रु अधिक थे। अन्य गैर कर राजस्व (मुख्य रूप से आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियों से होने वाला) बजट अनुमान से 4,214 करोड़ रु. अधिक रहा। परिणामस्वरूप, गैर कर राजस्व वर्ष 2008-09 के दौरान बजट अनुमान से 1,140 करोड़ रु. अधिक रहा है।

तालिका 3.1.4 : गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	मद	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2008-09 (पी)	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई	वर्ष 2008-09(पी) की तुलना में 2009-10 बीई की वृद्धि
1	ऋणों की वसूली	4497	9698	6158	1661	4225	-31.4
2	विविध पूंजी प्राप्तियां	10165	2567	546	-9619	1120	105.2
3	**कुल गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां (एनडीसीआर)**	14662	12265	6704	-7958	5345	-20.3
	एनडीसीआर कुल व्यय के % के रूप में	2.0	1.4	0.8		0.5	

गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां (एनडीसीआर) :

3.1.8 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से राज्य सरकारों से ऋणों की वसूली और विनिवेश लाभ शामिल हैं। तालिका 3.1.4 दर्शाती है कि वर्ष 2008-09 में गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां बजट अनुमान से 7,958 करोड़ रु. से थोड़ी अधिक रहीं। कमी का मुख्य रूप से ऋणों की वसूली में कमी के कारण हुई जो विविध पूंजी प्राप्तियों में कमी की क्षतिपूर्ति करती है एवं विनिवेश कार्यवाहियांपूरी नहीं हो सकीं।

3.1.9 वर्ष 2009-10 के बजट अनुमान में एसयूटीआई की प्राप्तियों सहित विनिवेश के लाभ का 1,120 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है जबकि अधिकांश राज्य सरकारों से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण ऋण की वसूली के 4225 करोड़ रु. का अनुमान लगाया गया है।

3.1.10 **बाहरी सहायता :** बाहरी सहायता में अनुदान और ऋण शामिल है जो बाहरी दाताओं से केन्द्रीय बजट के माध्यम से प्राप्त होते हैं। बाहरी अनुदान गैर-कर प्राप्तियों का छोटा भाग होता है। बाहरी ऋण सरकार के उधार का घटक होता है। सकल बाहरी सहायता (अर्थात् ऋण और अनुदान) योजना (केन्द्रीय योजना और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता) हेतु केन्द्र द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता) हेतु केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सकल बजटीय सहायता में वर्षों से गिरावट आ रही है। **तालिका 3.1.5** में वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए बाहरी सहायता अनुमान के ब्यौरे दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान निवल बाहरी सहायता का अंतः प्रवाह 13,809 करोड़ रु. था जिसमें 21,022 करोड़ रु. ऋण, 2,794 करोड़ रु. अनुदान और 10,007 करोड़ रु. पुनर्भुगतान (मूलधन) के शामिल थे। 2008-09 के दौरान निवल अंतःप्रवाह बजट अनुमान से मामूली रूप से अधिक था।

3.1.11 वर्ष 2009-10 के लिए 29,216 करोड़ रु. की बाहरी सहायता के सकल अंतःप्रवाह का अनुमान लगाया गया है जिसमें 27,080 करोड़ रु. का ऋण और 2136 करोड़ रु. का अनुदान शामिल है। वर्ष 2008-09 (पी) की तुलना में वर्ष 2009-10 में विदेशी सहायता के निवल अंतःप्रवाह में 31.7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है।

3.1.12 कुल मिलाकर, केन्द्र के संसाधनों की स्थिति दर्शाती है कि वर्ष 2009-10 के दौरान राजस्व प्राप्तियों (निवल) में वर्ष 2008-09 के अनंतिम अनुमान की तुलना में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि की आशा है।

तालिका 3.1.5 : बाहरी ऋण और अनुदान तथा निवल बाहरी अनुदान

(आंकड़े करोड़ रु. और प्रतिशत में)

क्रम सं.	मद	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2008-09 (पी)	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई	वर्ष 2008-09(पी) की तुलना में 2009-10 बीई की वृद्धि
1	ऋण	19210	19578	21022	1812	27080	28.8
2	अनुदान	1795	2748	2794	999	2136	-23.5
3	**सकल बाहरी सहायता**	21005	22326	23816	2811	29216	22.7
4	अदायगी (मूलधन)	8221	9975	10007	1786	11034	10.3
5	**निवल विदेशी सहायता ***	12785	12351	13809	1024	18183	31.7
6	जीवीएस के % के रूप में सकल विदेशी सहायता	8.6	7.9	8.6		9.0	

*** निवल विदेशी सहायता में विदेशी ऋणों दर ब्याज का भुगतान शामिल नहीं है।**

तालिका 3.1.6 : वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान केन्द्र सरकार का व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)

क्रम सं.	मद	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2008-09 (पी)	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई	वर्ष 2008-09(पी) की तुलना में 2009-10 बीई की वृद्धि
1	गैर-योजना व्यय	507498	617996	606019	98521	695689	14.8
2	योजना व्यय	243386	282957	275450	32064	325149	18.0
	केन्द्र के कुल व्यय में योजना व्यय का % हिस्सा	32.4	31.4	31.2	-1.2	31.9	1.9
क	केन्द्रीय योजना हेतु बजट सहायता	179954	204128	198352	183998	239840	20.9
	योजना व्यय में % हिस्सा	73.9	72.1	72.0	-1.9	73.8	2.4
ख	राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता	63432	78829	77098	13666	85309	10.7
	योजना व्यय में % हिस्सा	26.1	27.9	28.0	1.9	26.2	-6.3
3	**कुल व्यय**	**750884**	**900953**	**881469**	**130585**	**1020838**	**15.8**

बजटीय व्यय :

3.1.13 कुल व्यय के ब्यौरे तालिका 6 में दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 8,81,469 करोड़ रु. का केन्द्र का कुल व्यय बजट अनुमान से 1,30,585 करोड़ रु. अधिक था। वृद्धि मुख्य रूप से गैर-योजना व्यय में वृद्धि के कारण हुई। योजना व्यय वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान से 32,064 करोड़ रूपए अधिक था। 2009-10 के दौरान योजना व्यय के लिए 3,25,149 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा वर्ष 2008-09 में 31.2 प्रतिशत था वर्ष 2009-10 में घटकर 31.9 प्रतिशत हो गया।

तालिका 3.1.7 केन्द्र का गैर योजना व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2008-09 (पी)	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई	वर्ष 2008-09(पी) की तुलना में 2009-10 बीई की वृद्धि
I	**निम्नलिखित का गैर-योजना राजस्व व्यय**	**448352**	**561791**	**556521**	**108169**	**618834**	**11.2**
	ब्याज भुगतान						
1	रक्षा	190807	192694	190485	**-322**	225511	**18.4**
2	सब्सिडी	57593	73600	72836	**15243**	86879	**19.3**
3	राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान	71431	129243	123640	**52210**	111276	**-10.0**
4	पेंशन	43294	38421	39592	**-3702**	48570	**22.7**
5	**निम्नलिखित का गैर-योजना पूंजीगत व्यय**	25085	32690	32529	**7444**	34980	**7.5**
II	*रक्षा पूंजी व्यय*	**59146**	**56206**	**49498**	**-9648**	**76855**	**55.3**
	न गैर-योजना व्यय						
क	**निम्नलिखित का गैर-योजना राजस्व व्यय**	48007	41000	40789	**-7218**	54824	**34.4**
III	ब्याज भुगतान	**507498**	**617997**	**606019**	**148018**	**695689**	**6.1**

2009-10 के लिए गैर योजनागत व्यय का अनुमान 6,95,689 करोड़ रूपए लगायागया है जो 2008-09 (अनंतिम) 89,670 करोड़ रूपए.

3.1.14 वर्ष 2008-09 के लिए केन्द्र के गैर-योजना व्यय के ब्यौरे तथा वर्ष 2009-10 के लिए बजट अनुमान **तालिका 3.1.7** में दिए गए हैं। गैर-योजना राजस्व व्यय के भीतर, सरकार के ब्याज व्यय में सरकारी उधार ब्याज की कम दरों के कारण हाल के वर्षों में गिरावट की प्रवृति देखी गई है। तथापि, 2008-09 में ब्याज भुगतान (अनंतिम अनुमानों के अनुसार) समनुरूप बजट अनुमानों से थोड़ा कम रहा और पूरक बजट अनुमान से 322 करोड़ रूपए कम रहा। राज्यों को

दिए गए अनुदान 3,702 करोड़ रु. कम थे। सब्सिडी और पेंशन के रूप में बाहर जाने वाली राशि भी बजट अनुमान की तुलना में क्रमशः 52,210 करोड़ रु. और 7444 करोड़ रु. अधिक थी।

3.1.15 मौजूदा राजस्व से बकाया (बीसीआर) गैर योजनागत राजस्व व्यय (रक्षा पूंजी खर्च सहित) के संबंध में सरकार की राजस्व प्राप्तियों में अधिकता या कमी को दर्शाता है। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से बकाया के सरकार के गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों और गैर योजनागत पूंजी व्यय को दर्शाता है। दोनों मिलकर बजटीय संसाधनों (यदि कोई हों) को निर्धारित करते हैं, जो बिना अतिरिक्त ऋण संसाधन योजना व्यय के वित्त पोषण के लिए उपलब्ध होते हैं।

तालिका 3.1.8 चालू राजस्व शेष (बीसीआर) और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का शेष

क्रम सं.	मद	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2008-09 (पी)	कमी 2008-09 (-) /अधिक (+) (पीबीई)	2009-10 बीई	वर्ष 2008-09(पी) की तुलना में 2009-10 बीई की वृद्धि
1	राजस्व प्राप्तियां	602935	562173	544651	-58284	614497	12.8
	बाह्य अनुदान	1795	2748	2794	999	2136	-23.6
1 क	बाह्य अनुदानों को छोड़कर राजस्व प्राप्तियां	601140	559425	541857	-59283	612361	13.0
2	गैर योजना राजस्व व्यय *	496359	602790	597310	100951	673658	12.8
3	**बीसीआर (1क - 2)**	**104781**	**-43365**	**-55453**	**-160234**	**-61297**	**10.5**
4	गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	14662	12265	6704	-7958	5345	-20.3
5	गैर योजना पूंजी व्यय**	11139	15206	8709	-2430	22031	153.0
6	**बीसीएपी (4 - 5)**	**3523**	**-2941**	**-2005**	**-5528**	**-16686**	

* रक्षा पूंजी व्यय शामिल है। * * रक्षा पूंजी व्यय के अलावा।

3.1.17 2009-10 के बजट अनुमानों में चालू राजस्व का बकाया (बीसीआर) रूपए 61,297 करोड़ पर नकारात्मक प्रक्षेपित किया गया है। यह केंद्र की राजस्व प्राप्तियों राज्यों को शुद्ध अंतरण) पर 6,14,397 करोड़ रूपए और गैर योजनागत राजस्व खर्च (रक्षा पूंजी व्यय सहित) 673658 करोड़ रूपए पर आधारित है। 2008-09 के दौरान गैर ऋण पूंजी प्राप्ति नकारात्मक रही, जिसका कारण था कि गैर योजनागत पूंजी व्यय की तुलना में गैर योजनागत पूंजी प्राप्तियों में काफी कमी आई। वर्ष 2009-10 के लिए गैर ऋण पंजी प्राप्तियों से बकाया काअनुमान (-) 16,686 करोड़ रूपए लगाया गया। यह 2008-09 (पी) की वास्तविक गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां बहुत कम रही, जिसका प्रमुख कारण गैर योजनागत पूंजी व्यय में हुई वृद्धि रहा।

केन्द्र द्वारा योजना हेतु बजटीय सहायता का वित्त पोषण :

3.1.18 चालू राजस्व के शेष और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों के शेष मिलाकर सरकार की अतिरिक्त उधार का सहारा लिए बिना योजना व्यय के वित्त पोषण की योग्यता दर्शाते हैं। अनंतिम लेखा 2008-09 के दौरान चालू राजस्व का शेष(-) 55,453 करोड़ रु. और बाह्य अनुदान (2,794 करोड़ रूपए), [(-) 2005 करोड़ रु.] की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के शेष के अनुसार बजटीय संसाधनों का योग (-)54,664 करोड़ रु. था। अतः 3,30,114 करोड़ रु. के

वित्तीय घाटे को वर्ष 2008-09 (यो.) में 2,75,450 करोड़ रु. की सकल बजटीय सहायता दी जानी अपेक्षित थी जिसमें 1,98,352 करोड़ रु. का केन्द्र का योजना व्यय और राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को उनकी योजनाओं के लिए 77,098 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता शामिल है। वर्ष 2009-10 के लिए समनुरूपी अनुमानों के साथ-साथ वर्ष 2008-09 के लिए जीबीएस के वित्त पोषण की स्कीम के ब्यौरे तालिका 3.1.9 में दिए गए हैं।

केन्द्र का योजना परिव्यय और व्यय (सीपीएसईज की योजना सहित)

3.1.19 : केन्द्र के योजना परिव्यय में मंत्रालयों और विभागों की योजना के लिए बजटीय सहायता और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (सीपीएसईज) के आंतरिक एवं बजटेत्तर संसाधन शामिल हैं। केन्द्रीय मंत्रालय भी स्वयं को आबंटित जो सीबीएस में से कुछेक सीपीईज को बजटीय सहायता प्रदान करते हैं। तालिका 3.1.10 वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए केन्द्रीय योजना व्यय और परिव्यय के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 3.1.9 : केन्द्र की वार्षिक योजना 2008-09 के लिए जीबीएस के वित्तपोषण की स्कीम

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	संसाधन	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2008-09 (पी)	2009-10 बीई
1	चालू राजस्व का शेष (बीसीआर)	104781	-43365	-55453	-61297
1 क	बाह्य अनुदान	1795	2748	2794	2136
2	गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का शेष	3523	-2941	-2005	-16686
3	राजकोषीय घाटा	133287	326515	330114	400996
4	**योजना (1+1क+2+3) के लिए सकल बजटीय सहायता**	**243386**	**282957**	**275450**	**325149**
5	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं हेतु सहायता	63432	78829	77098	85309
	कुल जीबीएस में % हिस्सा	*26.1*	*27.9*	*28.0*	*26.2*
6	**केन्द्रीय योजना (4 - 5) के लिए बजटीय सहायता**	**179954**	**204128**	**198352**	**239840**
	कुल जीबीएस में % हिस्सा	*73.9*	*72.1*	*72.0*	*73.8*

तालिका 3.1.10 : वर्ष 20087-09 और 2009-10 हेतु केन्द्रीय योजना परिव्यय और व्यय

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	मद	2008-09 बाई	2008-09 आरई	2009-10 बीई
1	बजटीय सहायता (कुल)	179954	204128	239840
2	**केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की योजना स्कीमों हेतु बजट सहायता**	**160514**	**180575**	**211266**
3	सीपीएसईज को बजट सहायता	19440	23553	28574
4	सीपीएसईज का आईईबीआर	195531	183950	208081
5	**योजना परिव्यय/सीपीएसईज (3+4) का निवेश**	**214971**	**207502**	**236555**
6	**केन्द्रीय योजना परिव्यय (2+5)**	**375485**	**388077**	**447921**

3.1.20 केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की वार्षिक योजना के वित्त पोषण के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) (सीपीएसईज के लिए जीबीएस सहित) वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमानों के अनुसार इस वर्ष के बजट अनुमान से 24,174 करोड़ रु. (अर्थात् बजट अनुमान 2008-09 का लगभग 13%) कम थी। संशोधित अनुमान 2008-09 में सीपीएसईज के आंतरिक और बजटेत्तर संसाधन बजट अनुमान से 11,581 करोड़ रु. कम पड़े (अर्थात् बजट अनुमानों का लगभग 6%)। संशोधित अनुमान 2008-09 में केन्द्रीय योजना परिव्यय को संशोधित करके 3,88,077 करोड़ रु. तक कम कर दिया गया।

3.1.21 वर्ष 2009-10 के लिए केन्द्रीय योजना हेतु बजट सहायता का अनुमान 2,39,840 करोड़ रु. का लगाया गया है, जो बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में 33% अधिक है। इसमें से 2,11,266 करोड़ रु. केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों की केन्द्र प्रायोजित स्कीमों को वित्त पोषित करने के लिए होगा और शेष 28,574 करोड़ रु. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए बजट सहायता के रूप अनुमानित किया है।

सीपीएसईज का योजना परिव्यय - और उनका आईईबीआर :

3.1.22 सीपीएसईज का आईईबीआर जो सीपीएसईज की योजना के वित्त पोषण में एक मुख्य घटक है वर्ष 2008-09 के संशोधित अनुमान का 11,581 करोड़ रु. कम था। सीपीएसईज की योजना के वित्त पोषण के घटक-वार ब्यौरे तालिका 3.1.11 में दिए गए हैं।

3.1.23 वर्ष 2008-09 हेतु केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की योजना के लिए 2,36,656 करोड़ रु. (तालिका 3.1.11) का लक्ष्य रखा गया है। वित्त पोषण परिव्यय का लगभग 12 प्रतिशत बजट सहायता के माध्यम से लगभग 42% आंतरिक संसाधनों से और शेष 46% का उधार से किया जाएगा। वित्त पोषण स्रोत से विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के तहत आने वाले सीपीएसईज में निवेश का वितरण तालिका 3.1.11 में दिया गया है।

तालिका 3.1.11 : केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का योजना परिव्यय का वित्तपोषण पैटर्न

(आंकड़े करोड़ रु. में एवं प्रतिशत)

क्रम सं.	वित्त का स्रोत	2008-09 बीई	2008-09 आरई	2007-08 (आरई - बीई)	2009-10 बीई	2009-10 बीई का % हिस्सा	2009-10 आरई की तुलना में वृद्धि
I.	**बजट सहायता (i+ii)**	**19440**	**23553**	**4113**	**28574**	**12.1**	**5021**
i.	इक्विटी	16436	18898	2461	25547	10.8	6649
ii.	ऋण	3003	4655	1652	3028	1.3	-1628
	कुल आंकडे आईईबीआर	**195531**	**183950**	**-11581**	**208081**	**87.9**	**24132**
II.	**आंतरिक संसाधन**	**111198**	**89975**	**-21222**	**98526**	**41.6**	**8551**
III.	**उधार (i+ii+iii)**	**84333**	**93974**	**9641**	**109555**	**46.3**	**15581**
i.	बॉण्ड्स/डिबेंचर	41812	43846	2034	46525	19.7	2679
ii.	ईसीबी/सप्लायर्ज क्रेडिट	15903	12192	-3711	16441	6.9	4249
iii.	अन्य	26619	37937	11318	46589	19.7	8652
IV.	**कुल योजना परिव्यय (I+II+III)**	**214971**	**207503**	**-7468**	**236656**	**100.0**	**29153**

तालिका 3.1.12 : मुख्य क्षेत्रकों के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का योजना परिव्यय और 2008-09 के दौरान कमी				(आंकड़े करोड़ रु. में और प्रतिशत)
क्रम सं.	क्षेत्रक	2008-09 बीई	2008-09 आरई	कमी (-)/वृद्धि (+)
1	सड़क परिवहन व राजमार्ग	9020	6909	
2	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	31502	1500	400
3	विद्युत	15175	9170	
4	जहाजरानी	11803	18609	5727
5	कोयला	4154	720	500
6	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	13723		
7	इस्पात	1448		
8	नागर विमानन	3030		1419
9	खानें		4000	
10	रेलवे	1938	2079	7894
11	शहरी विकास	-104	500	
12	अन्य सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम	6838	3038	501
	कुल जोड़ सभी सीपीएसईज	**98526**	**46525**	**16441**

3.1.24 सीपीएसईज के योजना परिव्यय में कमी के क्षेत्रों को सही जगह दर्शाने के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार प्राप्त परिव्यय की तुलना 11 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के उसी अवधि के बजट अनुमानों से की गई है जिसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसईज हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, इस्पात, जहाजरानी और नागर विमानन के अंतर्गत आने वाले सीपीएसईज के मामलों में महत्वपूर्ण कमी रही जिसके ब्यौरे तालिका 3.1.12 में दिए गए हैं।

तालिका 3.1.13 : चुनिंदा केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत सीपीएसईज का योजना परिव्यय व वित्तपोषण - वार्षिक योजना 2009-10 (बीई)

(आंकड़े करोड़ रु. में)

क्रम सं.	सीपीएसईज	आईआर	बांड्स / ऋण पत्र	ईसीबी	अन्य	कुल आईई बीआर	बजटीय सहायता		कुल बजटीय सहायता	योजना परिव्यय
							इक्विटी	ऋण		
1	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	9020	6909		128	16057		1	1	16058
2	पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस	31502	1500	400	24074	57476			0	57476
3	रेलवे	15175	9170		600	24945	14600		14600	39545
4	विद्युत	11803	18609	5727	7758	43896	50	185	235	44131
5	कोयला	4154	720	500		5374			0	5374
6	इस्पात	13723				13723		8	8	13731
7	खान	1448				1448			0	1448
8	जहाजरानी	3030		1419	50	4499	2	2	4	4503
9	सड़क परिवहन व राजमार्ग		4000		1000	5000	8578	68	8646	13646
10	नागर विमानन	1938	2079	7894	64	11975	109		109	12084
11	शहरी विकास	-104	500		1828	2224	791	1378	2168	4393
12	अन्य पीएसईज	6838	3038	501	11087	21465	1416	1386	2802	24267

	कुल सभी सीपीएसईज़	98526	46525	16441	46589	208081	25547	3028	28574	236656

3.1.25 समग्र रूप में, केन्द्रीय योजना परिव्यय 2009-10 हेतु अनुमान में बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत की नाममात्र का वृद्धि अनुमान लगाया गया है (तालिका 3.1.10)। साधन संग्रह के लिए संगठित प्रयासों की आवश्यकता होगी। इसके लिए संशोधनों की गतिशीलता पर मिल कर ठोस प्रयासों की जरूरत है। चुने गए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सीपीएसई (ज) के वित्त पोषण के ब्यौरे तालिका 3.1.13 में दिए गए हैं।

3.1.26 सीपीएसईज के मामले में वर्ष 2009-10 में निवेश में परिकल्पित बढ़ोत्तरी 10% (वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान की तुलना में) और 14% (संशोधित अनुमान 2008-09 की तुलना में) है। यह महत्वपूर्ण वृद्धि है और साधन संग्रह के लिए समन्वित प्रयास करने की आवश्यकता होगी। बजटेत्तर संसाधन (उधार) जुटाने का सीपीएसईज का निर्णय आम तौर पर परियोजनाओं के वित्तपोषण से जोड़ा जाता है। दूसरे शब्दों में, यह सुनिश्चित करने की लगातार आवश्यकता है कि सीपीएसईज की योजना परियोजनाएं तेजी से स्वीकृत की जाएं और उनका कार्यान्वयन किया जाए तथा आंतरिक संसाधनों के सृजन के भी प्रयास किए जाएं।

वार्षिक योजना 2008-09 : समीक्षा

3.1.27 विधान मंडलों सहित एक साथ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों हेतु वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 3,05,413.68 करोड़ रु. की राशि अनुमोदित की गई थी। अनुमोदित योजना के समग्र संसाधन में 239281.82 करोड़ रु. के राज्यों के निजी संसाधन शामिल हैं और इसमें 66131.66 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता शामिल है। समग्र संसाधन का संशोधित अनुमान 300634.61 करोड़ रु. निकला है जो कि अनुमोदित योजना से 1.56 प्रतिशत कम है। साधन संग्रह और अनुमोदित योजना की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर योजना के वित्त पोषण की संरचना में परिवर्तन नीचे तालिका 3.1.14 से देखा जा सकता है।

तालिका 3.1.14 : केंद्र और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 : कुल संसाधन

(करोड़ रु.)

संसाधन	वार्षिक योजना	संशोधित अनुमान	*% उपलब्धि*
1. राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर)	239281.82	233556.45	97.61
	(78.35)	(77.69)	
2. केन्द्रीय सहायता (सीए)	66131.86	67078.16	101.43
अनुदान	(21.65)	(22.31)	
3. समग्र संसाधन	**305413.68**	**300634.61**	98.44

लघु कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

राज्यों के निजी संसाधन :

3.1.28 राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर) मोटे तौर पर दो बड़े वर्गों (क) ऋणेत्तर संसाधन और (ख) विविध पूंजी प्राप्तियों (एमसीआर) सहित ऋण लिए गए अथवा ऋण सृजक संसाधनों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ऋणेत्तर संसाधनों में चालू राजस्व का शेष (बीसीआर), वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित योजना अनुदान, उपाध्यक्ष और मुख्य मंत्रियों के बीच हुई बैठकों के दौरान किए गए अनिर्दिष्ट अतिरिक्त साधन संग्रह (एआरएम), सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों का

योगदान और स्थानीय निकायों का निवल शेष शामिल हैं। वार्षिक योजना के वित्तपोषण के लिए राज्यों के उधार में भविष्य निधि, निबल लघु बचत वसूली का हिस्सा, मुक्त बाजार उधार, वित्तीय संस्थानों से परक्रामित ऋण और राज्य सार्वजनिक उद्यमों द्वारा जारी किए गए बाँड/ऋण पत्र शामिल हैं। **तालिका 3.1.15** नीचे दी गई तालिका वार्षिक योजना 2008-09 के वित्त पोषण के लिए राज्य के निजी संसाधनों की संरचना संक्षेप में दी गई है।

तालिका 3.1.15: केंद्र और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 : राज्यों के निजी संसाधान

(करोड़ रूपए में)

संसाधन	वार्षिक योजना	आरई
1. राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर)	131730.33	119310.94
	(55.05)	*(51.08)*
2. केन्द्रीय सहायता (सी ए)	107551.49	114245.51
	(44.95)	*(48.92)*
3. सकल संसाधन (1 + 2)	239281.82	233556.45

तिरछे अक्षरों में दिए गए आंकड़े सकल संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

चालू राजस्व का शेष (बीसीआर) :

3.1.29 चालू राजस्वों के शेष (बीसीआर) के अंतर्गत गैर-योजना राजस्व लेखों के शेष/घाटे आते हैं, जो योजना संसाधनों को बढ़ा अथवा घटा देते हैं। वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना में बीसीआर 88,263 करोड़ रु. होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें राज्यों के उच्च कर राजस्व के कारण संशोधित अनुमानों में 63,025 करोड़ रु. का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। **संलग्नक 3.1.3** में दिया गया राज्य-वार बीसीआर राज्यों के अनुमोदित योजना की तुलना में सुधार दर्शाता है। फिर भी अधिकांश राज्यों के बीसीआर में गिरावट देखी गई है। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सुधार हुआ है।

3.1.30 **सार्वजनिक उद्यमों का योगदान** वित्त पोषण स्कीम में राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (पीएसईज़) का योगदान इन उद्यमों के आंतरिक और बाह्य संसाधनों को स्पष्ट करता है। राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबीज़) और राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीज़) प्रमुख सार्वजनिक उद्यम हैं। राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम राज्यों के योजना संसाधनों पर एक बाधा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों के योगदान में 25.96 का ठोस सुधार हुआ है अर्थात् वर्ष 2008-09 (संशोधित अनुमान) के अनुमोदित योजना में 17,904 करोड़ रु. से बढ़कर 22,551 करोड़ रु. हो गया। सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का राज्य-वार योगदान **संलग्नक 3.1.4** में दिया गया है।

राज्यों के निजी उधार :

3.1.31 राज्यों के निजी उधार में निरपेक्ष रूप से 6.2 प्रतिशत की वृद्धि आ गई है। राज्यों के कुल निजी संसाधनों में उधार के हिस्से वृद्धि के बाद 45% से गिरकर 49% हो गया है। छोटी बचतों के विपरीत ऋण में 43% कमी हुई है जो अनुमोदित योजना में अनुमानित 27,418 करोड़ रु. से घटकर संशोधित अनुमान में 15,618 करोड़ रु. रह गया। मुक्त बाजार उधार वर्ष 2007-08 वार्षिक योजना में 45868 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2008-09 संशोधित अनुमान में 83,853 करोड़ रु. की महत्वपूर्ण वृद्धि छोटी बचतों के कम हिस्से और समझौता ऋणों के कारण है। सहमत ऋणों की निकासी से नवीनतम अनुमानों परक्रामित ऋणों व ऋणपत्रों /बाँड्स में 798 करोड़ रु. की गिरावट आई है।

विविध पूंजी प्राप्तियां (एमसीआर) :

3.1.32 अनुमोदित योजना में अनुमानित 11263 करोड़ रु. की विविध पूंजी प्राप्तियाँ (ऋणों के पुनर्भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर) संशोधित अनुमानों में बढ़कर 6435 करोड़ रु. की हो गई हैं।

केन्द्रीय सहायता :

3.1.33 " केन्द्रीय बजट-वर्ष 2008-09 में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता (अनुदान) के रूप में 63,431.50 करोड़ रु. का आबंटन किया गया था जिसमें राज्यों के लिए 60,152.46 करोड़ और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3279.04 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता शामिल थी। वर्ष 2008-09 (बजट अनुमान) में राज्यों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 17,991.98 करोड़ रु. हैं। कुल केन्द्रीय सहायता के लिए संशोधित अनुमान 78,828.23 करोड़ रु. हैं जिसमें राज्यों के लिए 75,307.76 करोड़ रु. और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 3520.47 करोड़ रु. है **(संलग्नक 3.1.1)**। वर्ष 2008-09 (संशोधित अनुमान) के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता (अनुदान) 16,898 करोड़ रु. थी। वित्त-पोषण स्कीम के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना हेतु वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित वित्त-पोषण पैटर्न में 17,166 करोड़ रु. की एनसीए (अनुदान) का अनुमान लगाया गया है जो नवीनतम अनुमानों के अनुसार 17,089 करोड़ रु. थी।

3.1.34 राज्यों हेतु बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज़ के लिए एसीए) हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए बजट 2008-09 उपबंध 4,550 करोड़ रु. था जिसे बाद में संशोधित करके 11,241 करोड़ रु. कर दिया गया था।

वार्षिक योजना 2009-10 : की समीक्षा

3.1.35 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए विधायिका सहित कुल 3,46,623 करोड़ रूपए का प्रावधान है, जिसमें राज्य के संसाधन 2,59,930 करोड़ रूपए और 86,993 करोड़ रूपए केंद्रीय सहायता के हैं। कुल संसाधनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वार्षिक योजना 2009-10 और वार्षिक योजना 2008-09 नीचे तालिका 3.1.16 में दर्शाई गई है। वार्षिक योजना 2008-09 के मुकाबले वार्षिक योजना 2009-10 में राज्य के निजी संसाधनों में थोड़ी गिरावट आई है। वार्षिक योजना 2009-10 में केंद्रीय सहायता में वृद्धि कुछ तो विशेष श्रेणी के राज्यों को उपलब्ध कराई गई अग्रिम विशिष्ट केंद्रीय योजना सहायता के कारण हुई है। कुल संसाधनों में 13.5% की वृद्धि का संकेत मिलता है।

तालिका 3.1.16 : राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2009-10 : कुल संसाधन

(करोड़ रूपए)

संसाधन	2008-09(एपी)	2009-10 (एपी)	% वृद्धि
राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर)	239281.82	259930.32	**8.6**
	(78.35)	*(74.99)*	
2. केन्द्रीय सहायता (सी ए)	66131.86	86692.58	**31.1**
	(21.65)	*(25.01)*	
3. सकल संसाधन (1 + 2)	**305413.68**	**346622.90**	**13.49**

नोटः तिरछे अक्षरों में दिए गए आंकड़े सकल संसाधनों में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

राज्यों के निजी संसाधन :

3.1.36 वार्षिक योजना 2008-09 (45%) की तुलना में वार्षिक योजना 2009-10 में राज्यों के निजी संसाधनों में ऋणेत्तर संसाधनों का हिस्सा (66%) बढ़ा है जबकि उधार लिए गए संसाधनों के हिस्से में गिरावट देखने में आई है।

तालिका 3.1.17 वार्षिक 2008-09 और 2009-10 : राज्यों के निजी संसाधन

(करोड़ रुपए में)

संसाधन	2008-09 (वार्षिक योजना)	2009-10 (वार्षिक योजना)
1. राज्यों के निजी संसाधन (एसओआर)	131730.33	89241.83
	(55.05)	*(34.33)*
2. केन्द्रीय सहायता (सी ए)	107551.49	170688.49
	(44.95)	*(65.67)*
3. सकल संसाधन (1 + 2)	239281.82	259930.36

तिरछे अक्षरों में दिए गए आंकड़े राज्यों के निजी संसाधन में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं।

3.1.37 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के चालू राजस्व का शेष (बीसीआर) वार्षिक योजना 2008-09 की तुलना में वार्षिक योजना 2009-10 में पर्याप्त गिरावट दर्शाता है। (वार्षिक योजना 2008-09 में 88,263 करोड़ से वार्षिक योजना 2009-10 में 35,850 करोड़ रूपए हो गया) गिरावट का कारण था कि गैर योजनागत खर्च में वृद्धत्रि और राज्यों द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

3.1.38 वार्षिक योजना 2009-10 में पीएसईज़ का अनुमानित योगदान 28,612 करोड़ रु. है इसने वर्ष 2008-09 (संशोधित अनुमान) के 22,551 करोड़ रु. के सकारात्मक योगदान को भी बनाए रखा है। अनेक राज्यों ने सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, अतः निजीकरण अथवा सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करना सही दिशा में उठाया गया कदम है। बहुत से राज्यों में विद्युत क्षेत्रक में अच्छी प्रगति की है।

3.1.39 वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित योजना की तुलना में वार्षिक योजना 2009-10 में अनुमानित राज्यों के उधारों में वृद्धि हुई है। वार्षिक योजना 2009-10 में 17,151 करोड़ रु. की अनुमानित लघु बचतों से कम अंतःप्रवाह के कारण, यह संभावना है कि वार्षिक योजना 2008-09 की तुलना में वार्षिक योजना 2009-10 में बाजार उधारों के हिस्से और परक्रामित ऋणों में भी वृद्धि होगी।

केन्दीय सहायता

3.1.40 राज्यों हेतु केन्द्रीय सहायता विशेष एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना सहायता और राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में होती है। इन मदों के अंतर्गत निधियां मुख्यतः स्कीम/परियोजना विशिष्ट प्रकृति की होती हैं। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना (एनईजीएपी), जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन को राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता में शामिल किया है। इन निधियों का उपयोग इन क्षेत्रकों में राज्य सरकारों द्वारा सुधार के लक्ष्यों की उपलब्धि पर निर्भर करता है जो राज्यों पर वित्तीय दबाव के संबंध में है (वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान)

विशेष श्रेणी राज्यों को अग्रिम रूप से विशेष सहायता पहुंचाई गई जो बाद के वर्षों में जारी की जाने वाली सहायता में समायोजित की जाएगी।

3.1.41 केन्द्रीय बजट 2009-10 के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजना के लिए कुल केन्द्रीय सहायता (अनुदान) 85,309 करोड़ रु. है जिसमें 80,067 करोड़ रु. राज्य योजनाओं व 5242 करोड़ रु. संघ राज्य क्षेत्र की योजनाओं के शामिल हैं। वर्ष 2009-10 (बजट अनुमान) में राज्यों के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता 20,661.61 करोड़ रु. है जिन में सामान्य केंद्रीय सहायता 19,110.61 करोड़ और अन्य यपरियोजनाओं के लिए 1550 करोड़ रूपए की एसीए है।

तालिका 3.2.1 : फ्लैगशिप प्रोग्राम और भारत निर्माण कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान (बीई) और 2009-10 के लिए प्रस्तावित बीई

(करोड़ रूपए)

क्र0 सं0	योजना का नाम	बीई 2008-09	बीई 2009-10	2008-09 की तुलना में % वृद्धि
1	2	3	4	5
1	सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)	13100.00	13100.00	0.00
2	मध्याहन भोजन योजना (एमडीएम)	8000.00	8000.00	0.00
3	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी)	16000.00	39100.00	144.38
4	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	12050.00	14127.00	17.24
5	सम्पूर्ण सफाई अभियान (टीएससी)	1200.00	1200.00	0.00
6	एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस)	6300.00	6705.00	6.43
7	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी रीन्यूवल मिशन (जेएनएनयूआरएम)	6866.00	12887.00	87.69
	भारत निर्माण			
8	ग्रामीण सड़कें (पीएमजीएसवाई)	7530.00	12000.00	59.36
9	ग्रामीण टेलीकम संपर्कता (यूएसओ फंड)	--	--	--
10	ग्रामीण आवास (आईएवाई)	5400.00	8800.00	62.96
11	ग्रामीण पेयजल (एआरडब्ल्यूएसपी)	7300.00	8000.00	9.59
12	ग्रामीण विद्युतीकरण (आरजीजीवीवाई)	5500.00	7000.00	27.27
13	सिंचाई (एआईबीपी)	5500.00	9700.00	75.00

स्रोतः बजट दस्तावेज -2009-10

कार्यनीति व नीतिगत पहलें

3.1.42 समेकित स्थिति दर्शाती है कि कुल संसाधन तो अधिक रहे हैं, फिर भी, 2008-09 की वार्षिक योजना की तुलना में वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान राज्यों के गैर उधार वाले संसाधन में 32% की ठोस कमी आई है, जबकि उधार में 59% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वार्षिक योजना 2008-09 राज्य के अपने संसाधन 55% थे, जो कि वार्षिक योजना 2009-10 में घट कर 34% पर आ गए। केंदीय सहायता में भी ठोस वृद्धि हुई है। सभी राज्यों की कुल बीसीआर 2008-09 (संशोधित अनुमान) की तुलना में वार्षिक योजना 2009-10 में घट गई है। इस स्थिति पर लाने का श्रेय मुख्य रूप से अनुवर्ती वैश्विक मंदी से निपटने संबंधी उपाय और राज्य सरकार के कर्मचारियों ओर पैंशनरों के वेतन आयोग के कारण दी गई अधिक राशि को जाता है। फिर भी, अब राज्यों के लिए तत्कल आवश्यकता है कि वे राजकोषीय समेकन के मार्ग पर फिर से आ जाएं, राज्य के निजी राजस्व को बढ़ाने के लिएनए क्षेत्रों की पहचान करें और गैर योजनागत राजस्व खर्च में कमी लाएं।

3.2 सार्वजनिक क्षेत्रक के परिव्यय 2009-10

3.2.1 संसाधनों का आबंटन करते समय वार्षिक योजना 2009-10 में कुछ क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला औरबाल विकास, एससी/ एसटी/ अल्पसंख्यक, शहरी विकास, अवसंरचना (सिंचाई, सड़क, विद्युत) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ठोस समावेशिता पर दबाव दिया है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

3.2.2 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए केंद्रीय क्षेत्रक परिव्यय हेतु 3,88,077.90 करोड़ का परिव्यय रखा गया है, जिसमें संशोधित अनुमानों की तुलना में 3.35% की वृद्धि की गई थी, जो 3,75,485.04 करोड़ रूपए था। वार्षिक योजना 2008-09 के संशोधित अनुमान केंद्र, राज्य एवं यूटी के लिए विकास शीर्ष के माध्यम से तालिका 3.2.3 में दर्शाए गए हैं।

3.2.3 वार्षिक योजना 2009-10 में 2008-09 के बजट अनुमानों की तुलना में मौजूदा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और भारत निर्माण कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित आबंटन तालिका 3.2.1 में दर्शाए गए हैं। भारत निर्माण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के ब्यौरे अध्याय संख्या 24 में दिए गए हैं।

प्रमुख क्षेत्रकों के लिए योजना आबंटन 2009-10

3.2.4 कृषि क्षेत्रक की कमजोरियों को दूर करने पर 11वीं योजना में उच्च प्राथमिकता दी गई है। स्पष्ट रूप से 2009-10 हेतु कृषि एवं सहकारिता विभाग में 2008-09 के बजट अनुमान के मुकाबले आबंटन में 4.35% की वृद्धि देखी गई है। विभिन्न कार्यक्रमों जैसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन (1,100 करोड़ रूपए), लघु सिंचाई (430 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है। कृषि विस्तार में सहायता के लिए (281 करोड़ रूपए), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए - (138 करोड़ रूपए), बृहद्द कृषि प्रबंधन के लिए (950 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार, कृषि अनुसंधान, शिक्षा विभाग के लिए 1760 करोड़ रूपए का प्रावधान निश्चित किया गया ताकि कृषि प्रौद्योगिकी पुनःचर्या और रिइंजीनियरी कर सके, व्यवस्थापना विशिष्ट तकनीकी जरूरतों को अनुकूल रूप से समाधान किया जा सके, क्षेत्रीय प्रचार कार्यक्रमों के लिए केवीके संबंध और निचले स्तर पर जानकारी के अभाव को पूरा किया जा सके। पशुपालन और डेयरी विभाग का परिव्यय 2008-09 के लिए 1000 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपए

कर दिया गया है, ताकि प्रति व्यक्ति दूध, अंडा, मास, मछली की मात्रा बढ़ाई जा सके ओर अनुसंधान तथा विकास को और सघन किया जा सके जिससे नस्ल सुधार हो और बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके।

3.2.5 शिक्षा सबसे बड़ा समकारक है क्योंकि यह लोगों को विकास प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य बनाता है। इस प्रकार, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिए 26,800 करोड़ रुपये मुख्यतः महत्वपूर्ण कार्यक्रमों अर्थात् सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और मिड डे मील स्कीम (एमडीएमएस) की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, ध्यानकेंद्रण बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर में भारी कमी और प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर होगा। एसएसए के कार्यान्वयन के अनुमोदित ढ़ॉचे के अनुसार कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता ग्यारहवीं योजना में एसएस मिशन के 2010 में समाप्त होने तक केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 50 : 50 लागत की हिस्सेदारी आधार पर होगी। अध्यापकों की शिक्षा के लिए आबंटन को संस्थागत एकता निर्माण और अध्यापकों के सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान सहित महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है। माध्यमिक शिक्षा की मांग में भी महत्वपूर्ण रूप से विस्तार होगा, चूंकि एसएसए ने सार्वजनिक और सम्पूर्ण प्रारम्भिक शिक्षा के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तद्नुसार, माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच के सार्वजनीकरण की नई संयुक्त स्कीम (सक्सेस) के लिए 13100 करोड़ रुपये(पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 1166.08 करोड़ रुपए सहित) आबंटित किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा में पौषणिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जो मध्याहन भोजन योजना (एमडीएम स्कीम) के रूप में लोकप्रिय है, यह प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए पूरे विश्व में सब से बड़े स्कूल कार्यक्रम के रूप में उभरा है। यह कार्यक्रम 2008-09 से अपर प्राथमिक स्तर तक के बच्चें (कक्षा 1 से 8) को देश केसभी क्षेत्रों में कवर करता है। परिणामस्वरूप, एमडीएम स्कीम के लिए 8000 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए हैं, जिस में वर्ष 2009-10 के लिए पूर्वोत्तर और सिक्किम के लिए निर्धारित 800 करोड़ रूपए भी शामिल हैं।

3.2.6 ज्ञान, सेवा क्षेत्रक हमारी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरा है। तथापि, दक्षता का अत्यधिक अभाव इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाभ की उपलब्धि और इसे बनाए रखने की हमारी योग्यता को सीमित कर देगा। अतः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में विस्तार, समावेशन व उत्कृष्टता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 36400 करोड़ रूपए और उच्च शिक्षा विभाग को 9600 करोड़ रूपए वर्ष 2009-10 के लिए आबंटित किए गए हैं।

3.2.7 ग्यारहवीं योजना में बेहतर स्वास्थ्य के लिए व्यापक कार्यनीति पर अनिवार्यतः ध्यान केन्द्रित करना होगा और स्वास्थ्य सूचकों जैसे कि मातृ-मृत्यु, बाल-मृत्यु, कुल प्रजनन दर और विशेष रूप से महिलाओं में रक्तहीनता (एनीमिया) में पर्याप्त सुधार को सुनिश्चित करना होगा। तद्नुसार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए योजना परिव्यय जो 2008-09 में 16534 करोड़ रूपए था, 2009-10 में बढ़ाकर 19534 करोड़ रूपए कर दिया गया। इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के लिए 14127 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। एनआरएचएम द्वारा कमजोर स्वास्थ्य सूचकों अथवा कमजोर अवसंरचना वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान सहित ग्रामीण जनसंख्या के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में अन्तरालों को पाटने की आशा की जाती है। इसका लक्ष्य स्वास्थ्य के लिए एकीकृत जिला योजनाओं के

माध्यम से स्वास्थ्य सरोकारों के साथ सुरक्षित पेयजल, सफाई व्यवस्था व पोषण जैसे स्वास्थ्य के निर्धारकों का प्रभावी एकीकरण है।

3.2.8 सुरक्षित पेयजल, बीमारी के प्रसार को घटाने और कुपोषण की रोकथाम के लिए अनिवार्य है। सफाई व्यवस्था भी किसी भी स्वास्थ्य हस्तक्षेप और कार्यनीति का अनिवार्य घटक है। अतः पेयजल आपूर्ति को 8.24% बढ़ाकर 9,200 करोड़ कर दिया गया है। क्रमशः 8000 करोड़ रुपये ग्रामीण जल आपूर्ति और 1200 करोड़ रुपये पूर्ण सफाई अभियान हेतु प्रदान किए गए हैं।

3.2.9 एकीकृत बाल विकास स्कीम (आईसीडीएस) जिसका लक्ष्य किशोर, बच्चों, विशेष रूप से 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में बालिकाओं और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार है, के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के मद्देनजर महिला और बाल विकास विभाग का योजना आबंटन 2009-10 के लिए 7350 करोड़ रूपए रुपये कर दिया गया है। आईसीडीएस के लिए 6705 करोड़ रुपये का आबंटन रखा गया।

3.2.10 **ग्रामीण विकास विभाग** का कुल परिव्यय जो 2008-09 में 38,500 करोड़ रूपए था, 2009-10 में बढ़ा कर 69170 करोड़ रूपए कर दिया गया है ताकि फ्लैगशिप स्कीमों/ कार्यक्रमों यानि स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, ग्रामीण आवास व ग्रामीण सम्पर्कता की जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय 2009-10 के लिए 39,100 करोड़ रुपए है। ग्रामीण क्षेत्रों में समाजार्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण सड़के महत्वपूर्ण अवसंरचना हैं और तद्नुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 12000 करोड़ रुपये(ब.अ.) का आबंटन (59.36 की वृद्धि) मुहैया कराया गया है। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दिए गए महत्व को स्वीकारते हुए इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) के लिए सकल बजटीय सहायता को 2008-09 के मुकाबले 62.96% बढ़ाकर 2009-10 में 8800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)हेतु 2350(पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए 236 करोड़ रुपए सहित) करोड़ रुपए के योजना परिव्यय की घोषणा की गई है।

3.2.11 ग्यारहवीं योजना के में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों और अन्य बहिष्कृत वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। तद्नुसार, सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का परिव्यय क्रमशः बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये, 805 करोड़ रुपये और 1740 करोड़ कर दिया गया है।

3.2.12 इसके अलावा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास विद्युत व ऊर्जा आपूर्ति के अभाव का समाधान करने में भी मदद कर सकता है। अतः नवीन व **नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय** को 1347 करोड़ रुपये का जीबीएस मुहैया कराया गया है। परिवहन अवसंरचना की गुणवत्ता में सुधार उच्च आर्थिक विकास की अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। अपर्याप्त और अकुशल परिवहन क्षेत्रक से उत्पन्न होने वाली उच्च कार्य व्यापार लागत अन्य क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद अर्थव्यवस्था द्वारा अपनी सम्पूर्ण विकास संभावनाओं की उपलब्धि में बाधा बन सकती है। अतः, **सडक परिवहन व राजमार्ग विभाग, नागर विमानन मंत्रालय** व जहाजरानी विभाग का परिव्यय

बढ़ाकर क्रमशः 20,450 करोड़ रुपये, 12,165 करोड़ रुपये 2009-10 के लिए कर दिया गया है।

3.2.13 शहरी विकास मंत्रालय का बजटीय आबंटन बढ़ाकर 5284 करोड़ रुपये कर दिया जिस में 2224.15 करोड़ रूपए का आईईबीआर भी शामिल है। **आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय** के योजना आबंटन को मुख्यतः स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए पर्याप्त प्रावधान करने हेतु 7580 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में तीव्रीकृत रोजगार सृजन की आवश्यकता के मद्देनजर महत्वपूर्ण बन गई है। जवाहरलाल नेहरूप राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत बजट अनुमान 2008-09 के मुकाबले 2009-10 के बजट अनुमान में 87.69% की वृद्धि करके इसे 12887 करोड़ रूपए कर दिया गया है। आवास और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान हेतु 2009-10 के बजट अनुमान में 3973 करोड़ रूपए शहरी गरीबों के लिए रखे गए हैं। इस आबंटन में राजीव आवास योजना की नई स्कीम भी शामिल है।

3.2.14 अनुसंधान और विकास विकासात्मक कार्यकलापों में वृद्धि करता है और भारत को ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। तद्नुसार, 2009-10 की वार्षिक योजना में **विज्ञान व प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रकों** में भारी वृद्धि की गई है, जो कि तालिका (3.2.2) से स्पष्ट है। 2008-09 के मुकाबले 2009-10 में परमाणु उर्जा विभाग, जीव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष सीएसआई और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए आबंटन दिया गया।

तालिका 3.2.2 चयनित मंत्रालयों/ विभागों को 2009-10 में किया गया योजना आबंटन

(रूपये करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	बजट अनुमान 2008-09	2009-10 (बीई)	प्रतिशत वृद्धि
परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एण्ड डी सैक्टर)	5920.00	6276.90	6.03
विज्ञान व प्रौद्योगिंकी विभाग	1530.00	1775.00	16.01
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	900.00	1000.00	11.11
अंतरिक्ष विभाग	3600.00	4100.00	13.89
विज्ञान व औद्योगिक अनुसंधान विभाग	1200.00	1350.00	12.50
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	750.00	900.00	20.00
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1952.14	2802.14	43.54
स्रोत बजट दस्तावेज, 2009-10			

3.2.15 राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद

(एनएमसीसी) ने विनिर्माण हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाई है। एनएमसीसी द्वारा तैयर किए गए उपायों के कार्यान्वयन के लिए माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में विनिर्माण संबंधी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। एचएलसीएम ने निम्नलिखित क्षेत्रकों की ध्यान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के रूप में पहचान की हैः कपड़ा, चमड़ा व जूते, खाद्य प्रसंस्करण और

आईटी हार्डवेयर और इलैक्ट्रोनिक। तद्नुसार, कपड़ा मंत्रालय, औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का परिव्यय क्रमशः बढ़ाकर 4500 करोड़ रूपये 1000 करोड़ रूपये और 340 करोड़ रूपये कर दिया गया है। उपभोक्ता मामले विभाग का बजटीय आबंटन मुख्य रूप से उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए उपायों को सुदृढ़ करने और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए बढ़ा कर 209 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वाणिज्य विभाग को 1560 करोड़ रूपये मुख्यतः " निर्यात हेतु अवसंरचना विकास के लिए राज्यों को सहायता " को समर्थन देने और पौध-रोपण क्षेत्रक को सुदृढ़ करने के लिए मुहैया कराए गए हैं।

3.2.16 2009-10 के लिए गृह मंत्रालय का योजना परिव्यय मुख्यतः शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से कार्मिकों की क्षमता निर्माण, फारेंसिक प्रयोगशालाओं, सड़क व यातायात सुरक्षा प्रणाली, और बेहतर अपराध पहचान प्रणाली, विशेष रूप से आर्थिक आपदा के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए 50% बढ़ाकर 1200 करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन जीविकोपार्जन के स्त्रोतों में एक मुख्य स्त्रोत है और यह हमारी सांस्कृतिक विरासत और व्यापार को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिक निभाता है। तद्नुसार पर्यटन मंत्रालय का जीबीएस बढ़ा कर 1,000 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

3.2.17 राज्य/संध राज्य क्षेत्र योजना के लिए जीबीएस 85309.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है जिसमें 80866.71 करोड़ रूपये राज्य योजनाओं और 5242.29 करोड़ रूपये संध राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए हैं। **सामान्य केन्द्रीय सहायता** (एनसीए), जो 2008-09 (ब0अ0) में 17991.98 करोड़ रूपये थी से 6.22% बढ़ाकर वर्ष 2009-10 (बीई) में 19110.61 करोड़ रूपये कर दी गई है।

3.2.18 **पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)** को बिहार और उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजनाओं हेतु 5,800 करोड़ रुपये (4,670 करोड़ रुपए जिला घटक के रूप में और 1,130 करोड़ रूपये राज्य घटक के रूप में) मुहैया कराए गए हैं।

3.2.19 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) को योजना परिव्यय में 12887 करोड़ रूपए, जिसमें राज्य घटक और 11618.62 करोड़ रूपये मुहैया कराए गए हैं। जेएनएनयूआरएम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में अत्यावश्यक सुधार अभिप्रेरित किए जाने और 63 पहचान किए मिशन शहरों के तीव्र विकास की भी आशा है।

तालिका-3.2.3: 2008-09 और 2009-10 के दौरान योजना परिव्यय

(करोड़ में)

क्र0 सं0	मंत्रालय/ विभाग	2008-09	2009-10	वृद्धि का %
1	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	1760	1760	0.00
2	कृषि एवं सहकारिता विभाग	6900	7200	4.34

3	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	1000	1100	10.00
4	**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**	34,400	36,400	5.81
क	**स्कूल शिक्षा एवं लिटरेसी विभाग**	26,800	26,800	0.00
ख	उच्चतर शिक्षा विभाग	7600	9,600	26.31
5	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	16,534	19534	18.44
क	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	15580	18380	17.97
ख	आयुष विभाग	534	734	37.45
ग	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	420	420	0.00
6	पेयजल आपूर्ति विभाग	8500	9200	8.24
7	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	7200	7,350	2.08
8	ग्रामीण विकास मंत्रालय	38500	69,170	79.66
9	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	2400	2500	4.17
10	आदिवासी कार्य मंत्रालय	805	805	0.00
11	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	1000	1740	74.00
12	नव एवं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मंत्रालय	1267	1347	6.30
13	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	17550	20450	16.52
14	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	10031	12165	21.27
15	पर्यटन मंत्रालय	1000	1000	0.00
16	शहरी विकास मंत्रालय	5478	5284	-3.54
17	आवास एवं शहरी गरीबी उमशमन मंत्रालय	8620	7580	12.06
18	वस्त्र मंत्रालय	2500	4500	80.00
19	औद्योगिक नीति एवं प्रोमोशन विभाग	600	1000	66.67
20	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	290	340	17.24
21	उपभोक्ता मामले विभाग	209	209	0.00
22	वाणिज्य विभाग	1560	1560	0.00
23	गृह मंत्रालय	800	1200	50.00
24	विधि एवं न्याय मंत्रालय	260	260	0.00
25	विदेश मंत्रालय	579	629	8.63

स्रोतः बजट दस्तावेज-2009-10

संलग्नक 3.1.1

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रूपए में)

		बजट 2008-2009	संशोधित 2008-2009	बजट 2009-2010
क	**राज्य योजना के लिए केन्द्रीय सहायता**	**60152.46**	**75307.76**	**80066.71**
1	सामान्य केन्द्रीय सहायता	17991.98	16898.98	19110.61
2	विशेष योजना सहायता	4602.00	4602.00	4602.00
3	निम्न को विशेष केन्द्रीय सहायात	2847.00	2783.50	3431.50
	(क) पहाड़ी क्षेत्र	272.00	272.00	272.00
	(ख) आदिवासी सब योजना	900.00	860.50	900.50
	(ग) अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान)	416.00	392.00	1000.00
	(घ) सीमा क्षेत्र	635.00	635.00	635.00
	(ड.) उत्तर पूर्व परिषद	624.00	624.00	624.00
4	शिफ्ट क्लटीवेशन का नियंत्रण	40.00	40.00	40.00
5	सांसद लोक एरिया विकास स्कीम	1580.00	1580.00	1580.00
6	निम्न को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायात			
	बाह्यह- सहायता परियोजनाएं	4550.00	11241.00	7500.00
7	केन्द्रीय पूल से सहायता			
	एनई और सिक्किम के लिए संसाधन	650.00	650.00	700.00
8	बोडोलैंड टैरेटोरियल काऊंसिल	100.00	100.00	50.00
9	एसलरेटिड इरीगेशन बेनीफिट प्रोग्राम (एआईबीपी)			
	और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम	5550.00	7850.00	9700.00
10	सड़क एवं पुल	1605.82	2105.82	1988.55
11	एसलरेटिड पावर विकास और	800.00	202.97	350.00
	सुधार कार्यक्रम(एपीडीआस्पी)			
12	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	3442.24	4442.24	5109.24
	(एनएसएपी) (अन्नपूर्णा सहित)			
13	असाहय लड़कियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम(एनपीएजी)	162.77	162.77	162.77
14	राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (एनईजीएपी)	469.37	469.37	469.37
15	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)जिसके लिए	5800.00	5020.00	5800.00
	(a) राज्य घटक	1130.00	1130.00	1130.00
	(b) जिला घटक	4670.00	3890.00	4670.00

16	जवाहर लाला नेहरू राष्ट्रीय शहरी			
	नवीकरण मिशन(जेएनएनआरयूएम) जो	6247.98	10447.98	11618.62
	(क) सब मिशन ऑन अरबन इंफ्रास्ट्रक्चर			
	और प्रशासन(एमएम-यूआईजी)	3100.37	4400.37	5117.26
	(ख) अरबन इंफ्रास्ट्रचर विकास			
	छोटे और मध्यम कस्बों के लिए(यूआईडीएसएसएमटी)	879.69	3279.69	3073.56
	(ग) बेसिक सेवाओं पर सब मिशन			
	शहरी गरीबों के लिए (एसएम-बीएसयूपी)	1656.54	1656.54	2168.94
	(घ) एकीकृत आवास और स्लम			
	विकास (आईएचएसडीपी)	611.38	1111.38	1108.86
	(ड.) राजीव आवास योजना (आरएवाई))			150.00
17	बरीहन मुम्बई स्ट्रोम वाटर ड्रेन			
	परियाजना(बीआरआईएमएसटीओडब्ल्यूए), मुम्बई	100.00	100.00	500.00
18	राष्ट्रमण्डल युवा खेल, पुणे	..	60.00	
19	डीसेलीनेशन प्लांट चेन्नई के लिए एसीए	..	..	300.00
20	2005-06 केदौरान बाढ़ से खराब हुए एसेसट्स का दीर्घावधि पुनर्निमाण	..	1198.50	..
21	सुनाम पुनर्वास कार्यक्रम(टीआरपी)	460.00	1183.00	336.98
22	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3153.30	2876.63	4067.07
23	अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		1293.00	1550.00
24	अनुसूचित-V और नकस्ल प्रभावित क्षेत्रों में आदिवासी बच्चें के शैक्षणिक विकास के लिए एसीए	..	..	500.00
25	वनों के रीस्टोरेशन और रीजनरेशन के एसलरेटिड कार्यक्रम के लिए एसीए	..	..	500.00
26	बिना बैंक वाले ब्लाकों में बैंक शखा खोलने के लिए अवसंरचना समर्थ हेतु एसीए	..	..	100.00
ख.	**संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता**	**3279.04**	**3520.47**	**5242.29**
ग.	**कुल योग (क+ख)**	**63431.50**	**78828.23**	**85309.00**

संघ बजट (जुलाई, 2009) सारणी 16, व्यय बजट, वाल्यूम I.

वार्षिक योजना 2008-09 (एपी/ एलई) और 2009-10 (एपी) के लिए निधिकरण की योजना

मदें			.आंध्र प्रदेश			.अरूणाचल प्रदेश			.असम			बिहार		
			2008-09 एपी	2008-09 एलई	2009-10 एपी	2008-09 एपी	2008-09 एलई	2009-10 एपी	2008-09 एपी	2008-09 एलई	2009-10 एपी	2008-09 एपी	2008-09 एलई	2009-10 एपी
क	राज्य सरकार													
	1. संसाधन (क से ङ)		**29149.22**	**19478.58**	**13211.32**	**109.24**	**-42.30**	**-272.96**	**401.73**	**-685.98**	**-1559.26**	**5688.00**	**5214.01**	**3798.76**
	क	बीसीआर	16650.62	14159.07	13040.01	-19.46	-71.25	-806.85	377.32	-516.85	-6638.92	5684.00	5696.95	2839.82
	ख	एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	12305.71	5305.72	59.13	4.95	5.20	5.36	-21.09	-214.63	-73.25	-232.00	-593.94	-257.43
	ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (डीएफसी)	148.00	148.00	148.00	23.75	23.75	23.75	45.50	45.50	45.50	111.00	111.00	149.47
	घ	एआरएम	179.10	0.00	0.00	100.00	0.00	410.93	0.00	0.00	384.83	125.00	0.00	152.90
	ङ.	.अवशेष का समायोजन	-134.21	-134.21	-35.82	0.00	0.00	93.85	0.00	0.00	4722.58	0.00	0.00	914.00
	2. राज्य उधार (I)-(II)		**9792.58**	**9851.54**	**14851.88**	**257.11**	**136.00**	**204.00**	**1029.48**	**2799.71**	**3406.30**	**3358.00**	**3364.68**	**7249.28**
	(1) सकल उधारी (क से छ)		**14625.51**	**14684.47**	**20451.96**	**351.06**	**221.18**	**296.86**	**1390.48**	**3659.97**	**4355.85**	**5031.00**	**5040.91**	**9112.90**
	क	राज्य भविष्य निधि	870.01	870.01	957.01	85.07	85.07	104.90	422.76	349.74	384.74	489.00	498.91	440.40
	ख	लघु बचत	1000.00	1000.00	1000.00	25.00	25.11	25.00	93.71	115.28	115.28	54.55	1207.00	1367.28
	ग	नेगोशिएटिड ऋण	2438.63	2438.63	849.94	69.50	94.50	104.50	200.00	200.00	200.00	649.00	649.00	713.90
	घ	ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	*2568.77*	2627.73	850.01	0.00	0.00	0.00	82.72	82.72	76.61	1938.00	500.00	1417.42
	ङ.	एनसीए के लिए नोशनल ऋण	1073.89	115.50	0.00	84.58	0.00	0.00	208.38	406.59	315.26	1900.45	0.00	0.00
	च	बाजार की उधार	6674.21	7632.60	16795.00	86.91	16.50	62.46	382.91	2505.64	3263.96	0.00	2186.00	5173.90
	छ	बॉन्ड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(II) वापसी		*4832.93*	*4832.93*	*5600.08*	*93.95*	*85.18*	*92.86*	*361.00*	*860.26*	*949.55*	*1673.00*	*1676.23*	*1863.62*
राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)			**38941.80**	**29330.12**	**28063.20**	**366.35**	**93.70**	**-68.96**	**1431.21**	**2113.73**	**1847.04**	**9046.00**	**8578.69**	**11048.04**
	3	केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	5058.20	5058.20	5433.55	1698.65	1886.92	2168.96	3684.05	4403.83	4445.37	3954.00	4454.00	4951.96
	क	सामान्य केन्द्रीय सहायता	460.24	460.24	525.75	761.18	761.18	872.53	1875.38	1875.38	2149.75	814.00	814.00	938.17
	ख	ईएपी(ज) के लिए एसीए	179.24	179.24	138.47	9.00	9.00	9.00	744.48	744.48	689.49	0.00	0.00	0.00
	ग	.अन्य	4418.72	4418.72	4769.33	928.47	1116.74	1287.43	1064.19	1783.97	1221.30	3140.00	3640.00	4013.79
	घ	एसपीए अग्रिम	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	384.83		0.00	0.00
कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)			**44000.00**	**34388.32**	**33496.75**	**2065.00**	**1980.62**	**2100.00**	**5115.26**	**6517.56**	**6292.41**	**13000.00**	**13032.69**	**16000.00**
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)													
		.आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103.75	91.94	92.42	0.00	0.00	0.00
		.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल खः पीएसई (ज) (1+2+3)		**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**-103.75**	91.94	92.42	**0.00**	0.00	0.00
ग	स्थानीय निकाय													
	I. शहरी स्थानीय निकाय													
	क	.आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (क+ख+ग)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय													
	क	.आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल गः स्थानीय निकाय (I+II)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-103.75**	**91.94**	**92.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)		**44000.00**	**34388.32**	**33496.75**	**2065.00**	**1980.62**	**2100.00**	**5011.51**	**6609.50**	**6384.83**	**13000.00**	**13032.69**	**16000.00**

	मदें	छत्तीसगढ़			गोवा			गुजरात			हरियाणा		
		2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा
क	राज्य सरकार												
	1. संसाधन (क से ड़)	**6097.80**	**5260.78**	**5240.52**	**572.08**	**566.86**	**1027.42**	**7426.97**	**11037.54**	**6327.78**	**3994.46**	**2836.92**	**4617.14**
	क बीसीआर	5167.53	4320.59	4161.28	534.08	528.76	1020.95	5791.12	1830.20	6323.33	3940.78	2496.52	1114.34
	ख एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	835.77	845.69	984.74	4.90	5.00	-1.63	-407.29	-37.94	-61.80	24.53	129.14	192.70
	ग भारत सरकार से योजना अनुदान (डीएफसी)	94.50	94.50	94.50	8.10	8.10	8.10	60.25	60.25	60.25	29.15	29.15	29.15
	घ एआरएनं	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	1982.89	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
	ड. .अधशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9185.03	0.00	0.00	182.11	3280.95
	2. राज्य उधार (I)-(II)	**1749.82**	**2059.43**	**3353.33**	**826.14**	**762.82**	**925.99**	**7297.03**	**8001.09**	**12765.08**	**2233.85**	**3797.00**	**4543.83**
	(1) सकल उधारी (क से छ)	**2098.79**	**2391.77**	**3761.62**	**908.55**	**908.55**	**1104.51**	**9352.79**	**10529.77**	**16011.75**	**2928.41**	**4605.21**	**5552.99**
	क राज्य भविष्य निधि	-7.57	20.25	14.25	30.00	30.00	30.00	0.00	225.00	1250.00	646.85	324.20	341.40
	ख लघु बचत	305.00	300.00	200.00	164.56	124.00	21.95	991.00	900.00	500.00	336.28	286.28	371.67
	ग नेगोशिएंटिड ऋण	650.00	650.00	650.00	57.00	57.00	142.00	1139.83	1139.83	1254.00	644.00	742.75	1169.75
	घ ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	423.82	428.82	358.36	75.00	75.00	150.00	334.26	274.63	180.23	0.00	30.63	57.70
	ड. एनसीए के लिए नोशनल ऋण	493.67	0.00	0.00	77.07	40.56	40.56	675.31	0.00	0.00	295.57	0.00	0.00
	च बाजार की उधार	233.87	992.70	2539.01	504.92	581.99	720.00	6212.39	7990.31	12827.52	1005.71	3221.35	3612.47
	छ बॉड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(II) वापसी	***348.97***	***332.34***	***408.29***	***82.41***	***145.73***	***178.52***	***2055.76***	***2528.68***	***3246.67***	***694.56***	***808.21***	***1009.16***
	राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)	7847.62	7320.21	8593.85	1398.22	1329.68	1953.41	14724.00	19038.63	19092.86	6228.31	6633.92	9160.97
	3 केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	1463.52	1564.52	1878.94	202.78	202.78	149.94	3011.00	2539.97	2907.14	421.69	496.08	839.03
	क सामान्य केन्द्रीय सहायता	209.85	209.85	230.83	33.03	33.03	37.30	289.42	289.42	327.83	126.67	126.67	139.34
	ख ईएपी(ज) के लिए एसीए	201.71	201.71	254.64	0.00	0.00	0.00	96.21	40.39	1.23	14.64	13.13	3.30
	ग .अन्य	1051.96	1152.96	1393.47	169.75	169.75	112.64	2625.37	2210.16	2578.08	280.38	356.28	696.39
	घ एसपीए अग्रिम		0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)	**9311.14**	**8884.73**	**10472.79**	**1601.00**	**1532.46**	**2103.35**	**17735.00**	**21578.60**	**22000.00**	**6650.00**	**7130.00**	**10000.00**
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)												
	.आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	13.17	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	1020.00	1020.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
	बजटीय समर्थन	105.72	37.92	196.10	2.99	2.99	2.99	2245.00	5592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल खः पीएसई (ज) (1+2+3)	**105.72**	**37.92**	**196.10**	**106.16**	106.16	106.16	**3265.00**	**6612.00**	1500.00	**0.00**	**0.00**	0.00
ग	स्थानीय निकाय												
	I. शहरी स्थानीय निकाय												
	क .आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख .अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग बजटीय समर्थन	76.64	242.80	278.87	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क+ख+ग)	**76.64**	**242.80**	**278.87**	**25.35**	**25.35**	**25.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय												
	क .आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख .अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग बजटीय समर्थन	106.50	106.50	0.00	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क+ख+ग)	106.50	106.50	0.00	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल गः स्थानीय निकाय (I+II)	**183.14**	**349.30**	**278.87**	**30.49**	**30.49**	**30.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)	**288.86**	**387.22**	**474.97**	**136.65**	**136.65**	**136.65**	**3265.00**	**6612.00**	**1500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)	**9600.00**	**9271.95**	**10947.76**	**1737.65**	**1669.11**	**2240.00**	**21000.00**	**28190.60**	**23500.00**	**6650.00**	**7130.00**	**10000.00**

	मदें	हिमाचल प्रदेश			जम्मू व कश्मीर			झारखंड			कर्नाटक		
		2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा
क	राज्य सरकार												
	1. संसाधन (क से ङ)	**-1270.96**	**-944.45**	**-1074.21**	**-1976.14**	**-2377.06**	**-4432.65**	**4698.20**	**4231.90**	**3512.03**	**13312.93**	**8172.60**	**9647.86**
	क बीसीआर	-1304.44	-975.10	-1057.72	-2017.05	-2417.97	-4476.09	4093.19	3874.19	2984.76	10622.53	8081.77	9856.90
	ख एमसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	14.48	11.65	-35.49	-63.14	-63.14	-62.44	194.01	266.71	188.77	2477.43	-172.57	-866.12
	ग भारत सरकार से योजना अनुदान (डीएफसी)	19.00	19.00	19.00	104.05	104.05	105.88	91.00	91.00	338.50	173.50	173.50	173.50
	घ एआरएम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ङ. अधिशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.47	89.90	483.58
	2. राज्य उधार (i)-(ii)	**1931.71**	**1618.19**	**1753.00**	**2072.87**	**2270.01**	**1837.00**	**1937.00**	**1422.00**	**3046.54**	**6731.36**	**6869.62**	**10380.73**
	(1) सकल उधारी (क से छ)	**2923.71**	**2610.19**	**2733.00**	**2908.27**	**3105.41**	**2645.46**	**2583.49**	**2068.49**	**3652.20**	**7426.94**	**7799.96**	**11123.99**
	क राज्य भविष्य निधि	300.00	300.00	400.00	590.84	580.96	673.97	271.04	271.04	282.96	1113.95	1113.95	1225.35
	ख लघु बचत	200.00	200.00	200.00	453.00	172.54	453.00	117.48	502.00	552.20	931.15	0.00	85.53
	ग नेगोशिएटिड ऋण	320.00	220.00	220.00	700.00	700.00	700.00	1100.00	1100.00	1100.00	615.00	615.00	705.00
	घ ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	0.00	0.00	11.08	36.22	36.22	49.64	515.00	0.00	250.00	*1567.18*	1567.18	1038.32
	ङ. एनसीए के लिए नौशनल ऋण	103.03	0.00	0.00	204.13	0.00	0.00	579.97	0.00	0.00	753.55	0.00	0.00
	च बाजार की उधार	2000.68	1890.19	1901.92	924.08	1615.69	768.85	0.00	195.45	1467.04	2446.11	4503.83	8069.79
	छ बॉड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) वापसी	***992.00***	***992.00***	***980.00***	***835.40***	***835.40***	***808.46***	***646.49***	***646.49***	***605.66***	***695.58***	***930.34***	***743.26***
	राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)	**660.75**	**673.74**	**678.79**	**96.73**	**-107.05**	**-2595.65**	**6635.20**	**5653.90**	**6558.57**	**20044.29**	**15042.22**	**20028.59**
	3 केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	1739.25	1856.20	2395.01	4403.27	4403.27	10719.65	1379.80	1379.80	1641.43	2353.39	2394.19	2867.36
	क सामान्य केन्द्रीय सहायता	927.27	927.27	1020.00	1837.17	1837.17	2105.95	248.56	248.56	278.99	322.95	322.95	368.65
	ख ईएपी(ज) के लिए एसीए	75.60	100.74	99.73	326.05	326.05	446.80		0.00	0.00	317.19	317.19	301.68
	ग .अन्य	736.38	828.19	901.48	2240.05	2240.05	5042.90	1131.24	1131.24	1362.44	1713.25	1754.05	2197.03
	घ एसपीए अग्रिम		0.00	373.80		0.00	3124.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)	**2400.00**	**2529.94**	**3073.80**	**4500.00**	**4296.22**	**8124.00**	**8015.00**	**7033.70**	**8200.00**	**22397.68**	**17436.41**	**22895.95**
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)												
	.आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946.37	774.23	899.05
	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2708.48	2849.50	5705.00
	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल खः पीएसई (ज) (1+2+3)	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**3654.85**	3623.73	6604.05
ग	स्थानीय निकाय												
	I. शहरी स्थानीय निकाय												
	क .आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख .अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क+ख+ग)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय												
	क .आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख .अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल गः स्थानीय निकाय (I+II)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3654.85**	**3623.73**	**6604.05**
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)	**2400.00**	**2529.94**	**3073.80**	**4500.00**	**4296.22**	**8124.00**	**8015.00**	**7033.70**	**8200.00**	**26052.53**	**21060.14**	**29500.00**

	मदें	केरल			मध्य प्रदेश			महाराष्ट्र			मणिपुर		
		2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा
क	राज्य सरकार												
	1. संसाधन (क से घ)	**-2298.51**	**-2914.66**	**-1935.66**	**6063.88**	**5633.13**	**5100.13**	**4537.53**	**5575.26**	**4973.73**	**-124.59**	**-103.45**	**-332.12**
	क बीसीआर	-2118.56	-2726.30	-1793.33	6552.90	6643.66	5252.99	7403.77	7550.00	6051.83	-148.18	-159.80	-425.07
	ख एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	-316.20	-324.61	-278.58	-480.13	-1113.53	-755.86	-2967.74	-2076.24	-2203.26	8.84	8.84	72.10
	ग भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएएसी)	136.25	136.25	136.25	103.00	103.00	103.00	101.50	101.50	101.50	14.75	16.82	20.85
	घ एआरएम	0.00	0.00	0.00	-111.89	0.00	500.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00
	ड. .अधशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.66	0.00	30.69	0.00
	2. राज्य उधार (I)-(II)	**5811.89**	**6118.26**	**5969.60**	**4834.62**	**4713.18**	**6829.20**	**13905.43**	**13964.54**	**24456.56**	**296.09**	**276.40**	**433.00**
	(1) सकल उधारी (क से छ)	**6741.61**	**6898.15**	**7016.56**	**7111.19**	**6041.15**	**8328.98**	**19040.53**	**20109.21**	**31088.91**	**552.75**	**552.75**	**505.43**
	क राज्य भविष्य निधि	950.00	1143.53	450.00	1341.24	56.18	60.00	4577.00	4850.90	7462.33	30.00	30.00	21.00
	ख लघु बचत	2673.74	2564.75	2738.21	689.98	150.00	300.00	8306.73	1306.73	2000.00	291.60	236.60	1.00
	ग नेगोशिएटिड ऋण	932.00	934.00	934.00	890.00	600.00	890.00	1000.00	1000.00	1000.00	15.00	15.00	15.00
	घ ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	864.63	864.63	1448.29	1775.58	1424.39	1823.61	656.80	656.80	1156.80	6.90	6.90	6.90
	ड. एनसीए के लिए नोशनल ऋण	548.20	70.00	673.01	1188.74	0.00	0.00	1180.69	0.00	0.00	62.29	117.29	129.02
	च बाजार की उधार	773.04	773.05	773.05	1225.65	3810.58	5255.37	3319.31	12294.78	19469.78	146.96	146.96	332.51
	छ बॉड/ डिबेन्चर	0.00	548.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(II) वापसी	*929.72*	*779.89*	*1046.96*	*2276.57*	*1327.97*	*1499.78*	*5135.10*	*6144.67*	*6632.35*	*256.66*	*276.35*	*72.43*
	राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)	**3513.38**	**3203.60**	**4033.94**	**10898.50**	**10346.31**	**11929.33**	**18442.96**	**19539.80**	**29430.29**	**171.50**	**172.95**	**100.88**
	3 केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	1551.11	1554.61	1590.93	3284.11	3256.73	4244.84	6557.04	6559.04	6528.66	1488.50	1541.00	1899.12
	क सामान्य केन्द्रीय सहायता	234.94	234.94	254.09	504.90	504.90	609.83	506.01	506.01	577.85	560.60	560.60	642.64
	ख ईएपी(ज) के लिए एसीए	334.13	334.13	91.35	476.64	404.63	444.90	161.27	161.27	161.27	62.11	62.10	62.11
	ग .अन्य	982.04	985.54	1245.49	2302.57	2347.20	3190.11	5889.76	5891.76	5789.54	865.79	918.30	959.84
	घ एसपीए अग्रिम		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	234.53
	कुल: राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)	**5064.49**	**4758.21**	**5624.87**	**14182.61**	**13603.04**	**16174.17**	**25000.00**	**26098.84**	**35958.95**	**1660.00**	**1713.95**	**2000.00**
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)												
	.आंतरिक संसाधन	758.00	758.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ख: पीएसई (ज) (1+2+3)	758.00	758.00	950.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
ग	स्थानीय निकाय												
	I. शहरी स्थानीय निकाय												
	क .आंतरिक संसाधन	-39.74	-39.74	-43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख .अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग बजटीय समर्थन	351.36	356.46	389.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क+ख+ग)	**311.62**	**316.72**	**345.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय												
	क .आंतरिक संसाधन	-307.61	-307.61	-338.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख .अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग बजटीय समर्थन	1873.50	1912.12	2077.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क+ख+ग)	1565.89	1604.51	1739.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ग: स्थानीय निकाय (I+II)	**1877.51**	**1921.23**	**2085.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)	**2635.51**	**2679.23**	**3035.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)	**7700.00**	**7437.44**	**8660.00**	**14182.61**	**13603.04**	**16174.17**	**25000.00**	**26098.84**	**35958.95**	**1660.00**	**1713.95**	**2000.00**

मदें			मेघालय			मिजोरम			नागालैण्ड			उड़ीसा	
			2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ
क	राज्य सरकार												
	1. संसाधन (क से ड़)		49.84	38.28	-216.22	-87.91	-178.65	-320.51	-197.62	-197.62	-333.54	1274.86	945.40
	क	बीसीआर	-0.79	-7.35	-677.99	-149.31	-245.45	-343.57	-215.95	-200.62	-328.57	1518.49	1143.75
	ख	एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	14.63	9.63	11.69	16.85	22.25	9.50	-14.50	-14.50	-14.97	-313.63	-268.35
	ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	16.00	16.00	16.00	22.50	22.50	10.31	17.50	17.50	10.00	70.00	70.00
	घ	एआरएम	20.00	20.00	34.08	22.05	22.05	3.25	15.33	0.00	0.00		0.00
	ड.	अधरोध का समायोजन	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. राज्य उधार (I)-(II)		335.46	300.08	416.08	138.49	153.49	194.60	406.54	406.54	528.87	2896.97	3517.00
	(1) सकल उधारी (क से छ)		389.78	348.88	475.08	218.73	233.73	266.85	523.30	523.30	648.43	4180.52	4443.87
	क	राज्य भविष्य निधि	60.34	60.34	96.54	73.52	73.52	58.98	10.00	10.00	10.00	500.00	150.00
	ख	लघु बचत	46.40	25.00	40.00	7.00	0.00	0.00	29.15	29.15	10.00	150.00	739.00
	ग	नेगोशिएटिड ऋण	59.50	40.00	115.00	34.00	34.00	50.00	200.00	200.00	200.00	540.00	1374.00
	घ	ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00	18.30	0.00	25.21	5.02	5.02	8.00	1893.65	0.00
	ड.	एनसीए के लिए नोशनल ऋण	51.75	0.00	0.00	59.63	0.00	0.00	63.05	0.00	0.00	1038.36	1096.87
	च	बाजार की उधार	171.79	223.54	223.54	26.28	126.21	132.66	216.08	279.13	420.43	58.51	0.00
	छ	बॉड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1084.00
	(II) वापसी		*54.32*	*48.80*	*59.00*	*80.24*	*80.24*	*72.25*	*116.76*	*116.76*	*119.56*	*1283.55*	*926.87*
राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)			385.30	338.36	199.86	50.58	-25.16	-125.91	208.92	208.92	195.33	4171.83	4462.40
	3	केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	1014.70	1014.70	1540.14	950.52	909.47	1376.45	991.08	991.08	1330.94	2810.05	3160.61
	क	सामान्य केन्द्रीय सहायता	465.76	465.76	533.91	536.65	536.65	615.16	567.42	567.42	650.44	456.40	456.40
	ख	ईएपी(ज) के लिए एसीए	90.28	90.28	90.55	234.70	146.70	226.91	62.24	62.24	72.00	219.21	219.21
	ग	अन्य	458.66	458.66	370.68	179.17	226.12	252.84	361.42	361.42	466.67	2134.44	2485.00
	घ	एसपीए अग्रिम		0.00	545.00		0.00	281.54		0.00	141.83		
कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)			1400.00	1353.06	1740.00	1001.10	884.31	1250.54	1200.00	1200.00	1526.27	6981.88	7623.01
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)												
		आंतरिक संसाधन	100.00	140.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.00	0.00	181.62	0.00
		अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	-1.99	-1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	336.50	518.12
		बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल खः पीएसई (ज) (1+2+3)		100.00	140.00	0.00	-1.17	-1.17	-0.61	0.00	0.00	0.00	518.12	518.12
ग	स्थानीय निकाय												
	I. शहरी स्थानीय निकाय												
	क	आंतिरक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख	अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	360.00	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय												
	क	आंतिरक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख	अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल गः स्थानीय निकाय (I+II)		0.00	0.00	360.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)		100.00	140.00	360.00	-1.10	-1.10	-0.54	0.00	0.00	0.00	518.12	518.12
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)		1500.00	1493.06	2100.00	1000.00	883.21	1250.00	1200.00	1200.00	1526.27	7500.00	8141.13

मदें				पंजाब			राजस्थान			सिक्किम	
			2009-10	2008-09	2008-09	2009-10	2008-09	2008-09	2009-10	2008-09	2008-09
			एपा	एपा	एलइ	एपा	एपा	एलइ	एपा	एपा	एलइ
क	राज्य सरकार										
	1. संसाधन (क से ड)		-479.41	-557.36	-4118.41	-2401.94	2124.41	924.50	-474.50	38.43	97.85
	क	बीसीआर	-2048.86	-2863.26	-3969.31	-6067.15	1941.39	629.45	-1952.65	8.16	44.50
	ख	एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	1499.45	-121.00	-176.00	-186.00	53.02	165.05	1348.15	2.42	0.50
	ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	70.00	2426.90	26.90	74.90	130.00	130.00	130.00	27.85	52.85
	घ	एआरएम	0.00	0.00	0.00	3776.31		0.00	0.00	0.00	0.00
	ड.	अधिशेष का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. राज्य उधार (I)-(II)		4657.44	4207.40	5707.40	5441.00	4814.82	6470.98	7663.15	316.41	311.63
	(1) सकल उधारी (क से छ)		5339.57	5634.40	7134.40	7806.19	6091.68	7812.74	9220.88	344.09	344.09
	क	राज्य भविष्य निधि	1200.00	700.00	700.00	800.00	1110.97	1139.74	1281.82	14.00	14.00
	ख	लघु बचत	250.00	1000.00	1000.00	0.00	1755.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	नेगोशिएटिड ऋण	820.00	450.00	450.00	450.00	500.00	700.00	700.00	50.08	50.08
	घ	ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	1183.90	343.98	343.98	17.73	478.80	417.00	523.00	0.30	0.30
	ड.	एनसीए के लिए नोशनल ऋण	0.00	354.42	0.00	0.00	990.27	0.00	0.00	40.21	0.00
	च	बाजार की उधार	1885.67	2786.00	4640.42	6538.46	1256.13	5556.00	6716.06	239.50	279.71
	छ	बॉड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(II) वापसी		*682.13*	*1427.00*	*1427.00*	*2365.19*	*1276.86*	*1341.76*	*1557.73*	*27.68*	*32.46*
राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)			4178.03	3650.04	1588.99	3039.06	6939.23	7395.48	7188.65	354.84	409.48
	3	केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	3295.41	893.04	893.04	967.94	1827.92	1976.84	2448.66	497.16	520.23
	क	सामान्य केन्द्रीय सहायता	502.04	151.89	151.89	168.55	428.57	428.57	484.42	361.92	361.92
	ख	ईएपी(ज) के लिए एसीए	162.72	10.20	10.20	7.60	205.20	170.00	129.50	2.70	2.70
	ग	.अन्य	2630.65	730.95	730.95	791.79	1194.15	1378.27	1834.74	132.54	155.61
	घ	एसपीए अग्रिम	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)			7473.44	4543.08	2482.03	4007.00	8767.15	9372.32	9637.31	852.00	929.71
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)										
		.आंतिरक संसाधन	0.00	-533.08	825.00	-2707.00	-1523.12	-6176.34	-3638.73	0.00	0.00
		.अंतिरिक्त बजट संसाधन	2026.56	2200.00	2200.00	7300.00	6755.97	11742.11	0.00	0.00	0.00
		बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10245.23	0.00	0.00
	कुल खः पीएसई (ज) (1+2+3)		2026.56	1666.92	3025.00	4593.00	5232.85	5565.77	6606.50	0.00	0.00
ग	स्थानीय निकाय										
	I. शहरी स्थानीय निकाय										
	क	.आंतिरक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय										
	क	.आंतिरक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.19	0.00	-85.10
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.10
		कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1078.19	0.00	0.00
	कुल गः स्थानीय निकाय (I+II)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1078.19	0.00	0.00
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)		2026.56	1666.92	3025.00	4593.00	5232.85	5565.77	7684.69	0.00	0.00
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)		9500.00	6210.00	5507.03	8600.00	14000.00	14938.09	17322.00	852.00	929.71

मदें				तमिलनाडु			त्रिपुरा			.उत्तर प्रदेश		
			2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा
क	राज्य सरकार											
	1. संसाधन (ख से ङ)		**-374.54**	**3740.82**	**5139.11**	**-302.33**	**-104.67**	**-769.60**	**-405.08**	**22345.67**	**17638.68**	**11303.73**
	क	बीसीआर	-528.93	2947.32	4904.50	-838.86	-10.99	-1077.75	-683.58	18746.08	14064.09	1437.64
	ख	एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोडकर	2.58	702.50	143.61	445.53	-110.18	-108.02	0.00	2183.09	2183.09	7765.67
	ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	52.85	91.00	91.00	91.00	16.50	16.17	16.50	216.50	191.50	216.50
	घ	एआरएम	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12.00		0.00	883.92
	ङ.	.अधरोध का समायोजन	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	250.00	1200.00	1200.00	1000.00
	2. राज्य उधार (i)-(ii)		**309.58**	**8747.94**	**7374.25**	**14154.30**	**281.78**	**184.51**	**653.90**	**7861.41**	**9568.47**	**17222.00**
	(1) सकल उधारी (क से छ)		**344.79**	**10369.68**	**8764.67**	**15768.17**	**398.25**	**265.00**	**770.37**	**10739.88**	**12446.94**	**20476.57**
	क	राज्य भविष्य निधि	14.00	105.00	160.00	733.80	60.00	60.00	200.00	2278.14	3985.20	3000.00
	ख	लघु बचत	0.00	1745.47	0.00	200.00	120.00	20.00	20.00	2525.91	2525.91	3400.00
	ग	नेगोशिएटिड ऋण	50.08	1650.00	1433.60	1417.85	60.00	60.00	80.00	730.66	730.66	1550.34
	घ	ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	1.00	1949.50	1362.69	1372.15	2.25	5.00	5.00		500.00	1280.47
	ड.	एनसीए के लिए नोशनल ऋण	0.00	1008.77	0.00	1129.64	87.94	0.00	0.00	3357.48	0.00	0.00
	च	बाजार की उधार	279.71	3910.94	5808.38	10914.73	68.06	120.00	465.37	1847.69	4705.17	11245.76
	छ	बॉड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) वापसी		***35.21***	***1621.74***	***1390.42***	***1613.87***	***116.47***	***80.49***	***116.47***	***2878.47***	***2878.47***	***3254.57***
राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)			**-64.96**	**12488.76**	**12513.36**	**13851.97**	**177.11**	**-585.09**	**248.82**	**30207.08**	**27207.15**	**28525.73**
	3	केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	1109.96	2205.62	2419.21	2814.03	1272.89	1272.89	1431.18	4529.07	4529.07	5892.11
	क	सामान्य केन्द्रीय सहायता	414.88	432.33	432.33	494.30	791.45	791.45	870.59	1438.92	1438.92	1737.35
	ख	ईएपी(ज) के लिए एसीए	9.00	295.50	298.37	303.80	22.50	22.50	72.00	385.20	385.20	143.25
	ग	.अन्य	366.08	1477.79	1688.51	2015.93	458.94	458.94	488.59	2704.95	2704.95	4011.51
	घ	एसपीए अग्रिम	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)			**1045.00**	**14694.38**	**14932.57**	**16666.00**	**1450.00**	**687.80**	**1680.00**	**34736.15**	**31736.22**	**34417.84**
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)											
		.आंतरिक संसाधन	0.00	-1094.38	-1332.57	-1641.00	0.00	0.00	0.00	263.85	263.85	4582.16
		.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ख: पीएसई (ज) (1+2+3)		0.00	**905.62**	667.43	359.00	**0.00**	0.00	0.00	**263.85**	**263.85**	**4582.16**
ग	स्थानीय निकाय											
	I. शहरी स्थानीय निकाय											
	क	.आंतिरक संसाधन	0.00	275.00	275.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (क+ख+ग)	**0.00**	**275.00**	**275.00**	**325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय											
	क	.आंतिरक संसाधन	-97.52	125.00	125.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ग	बजटीय समर्थन	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		कुल (क+ख+ग)	0.00	125.00	125.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ग: स्थानीय निकाय (I+II)		**0.00**	**400.00**	**400.00**	**475.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)		**0.00**	**1305.62**	**1067.43**	**834.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**263.85**	**263.85**	**4582.16**
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)		**1045.00**	**16000.00**	**16000.00**	**17500.00**	**1450.00**	**687.80**	**1680.00**	**35000.00**	**32000.07**	**39000.00**

मदें			उत्तराखंड			पश्चिम् बंगाल			कुलः सभी राज्य		
			2008-09 एपा	2008-09 एलई	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलई	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलई	2009-10 एपा
क	राज्य सरकार										
	1. संसाधन (क से ङ)		283.07	542.89	-543.04	-4277.34	-3505.80	-6309.40	101014.04	77496.31	46993.05
	क	बीसीआर	65.64	381.05	-1166.78	-4002.81	-7977.53	-6169.26	79194.12	56003.77	18079.67
	ख	एमसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	99.18	43.59	377.60	-740.03	4493.26	-375.64	13155.38	8475.46	7790.50
	ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	68.25	68.25	140.40	465.50	235.50	235.50	4831.80	2203.54	2621.16
	घ	एआरएम	50.00	50.00	105.74	0.00	0.00	0.00	2727.48	117.05	7179.96
	ङ.	.अथरोव का समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	-257.03	0.00	1105.26	10696.49	11321.76
	2. राज्य उधार (I)-(II)		1191.00	1521.02	1853.61	12231.59	10619.25	15363.60	107494.79	114159.09	170463.45
	(1) सकल उधारी (क से छ)		1575.03	1776.96	2152.56	16096.85	14484.12	16440.10	142537.27	149805.84	207452.53
	क	राज्य भविष्य निधि	145.20	407.00	400.00	651.10	372.20	450.00	17418.46	17881.74	22343.45
	ख	लघु बचत	255.00	188.98	300.00	3000.00	2000.00	3000.00	27268.22	15618.33	17151.12
	ग	नेगोशिएटिड ऋण	226.27	205.33	220.70	1840.00	1085.00	1600.00	17760.47	17518.38	17902.06
	घ	ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	83.14	91.22	91.22	719.45	526.92	621.70	16339.27	11827.78	14004.35
	ङ.	एनसीए के लिए नोशनल ऋण	101.72	0.00	0.00	1499.48	0.00	6.00	18082.60	1846.81	2293.49
	च	बाजार की उधार	763.70	884.43	1140.64	8386.82	10500.00	10762.40	45668.25	83480.61	133758.06
	छ	बॉन्ड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1632.19	0.00
	(II) वापसी		*384.03*	*255.94*	*298.95*	*3865.26*	*3864.87*	*1076.50*	35042.48	35646.75	36989.08
राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)			1474.07	2063.91	1310.57	7954.25	7113.45	9054.20	208508.83	191655.40	217456.50
	3	केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	2811.30	1824.18	3417.74	2641.47	3047.75	3634.36	64695.18	66110.21	83920.81
	क	सामान्य केन्द्रीय सहायता	915.44	839.15	1049.37	639.81	639.81	639.81	16898.73	16822.44	19240.32
	ख	ईएपी(ज) के लिए एसीए	748.29	161.02	821.00	273.06	724.94	763.82	5547.35	5187.42	5506.12
	ग	.अन्य	1147.57	824.01	1547.37	1728.60	1683.00	2230.73	42249.10	44100.35	53768.84
	घ	एसपीए अंग्रिम		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5405.53
कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)			4285.37	3888.09	4728.31	10595.72	10161.20	12688.56	273204.01	257765.61	301377.31
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)										
		.आंतिरक संसाधन	33.39	33.39	-53.12	1006.66	717.30	0.00	48.73	-3892.03	-1503.66
		.अतिरिक्त बजट संसाधन	391.58	391.58	1049.78	0.00	0.00	0.00	15500.54	20809.32	19671.34
		बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.53	5633.73	10444.32
	कुल खः पीएसई (ज) (1+2+3)		424.97	424.97	996.66	1006.66	717.30	0.00	17903.80	22551.02	28612.00
ग	स्थानीय निकाय										
	I. शहरी स्थानीय निकाय										
	क	.आंतिरक संसाधन	52.30	52.30	61.87	0.00	0.00	0.00	301.62	301.62	357.16
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.06
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	900.52	0.00	439.35	1511.13	679.78
		कुल (क+ख+ग)	52.30	52.30	61.87	0.00	900.52	0.00	740.97	1812.75	1397.00
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय										
	क	.आंतिरक संसाधन	12.36	12.36	13.97	0.00	0.00	0.00	-168.71	-253.81	482.81
	ख	.अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	325.01
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	1637.22	0.00	1983.60	3744.54	2178.77
		कुल (क+ख+ग)	12.36	12.36	13.97	0.00	1637.22	0.00	1814.90	3490.74	2986.59
	कुल गः स्थानीय निकाय (I+II)		64.66	64.66	75.84	0.00	2537.74	0.00	2555.87	5303.49	4383.59
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)		489.63	489.63	1072.50	1006.66	3255.04	0.00	20459.67	27854.51	32995.59
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)		4775.00	4377.72	5800.81	11602.38	13416.24	12688.56	293663.68	285620.12	334372.90

मदें			दिल्ली			पांडिचेरी			कुल: सभी राज्य और यूटी (ज)		
			2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा	2008-09 एपा	2008-09 एलइ	2009-10 एपा
क	राज्य सरकार										
	1. संसाधन (क से ड़)		9806.62	13510.12	8237.04	450.00	450.00	1016.15	111270.66	91456.43	56246.24
	क	बीसीआर	9069.07	7021.72	7201.78	0.00	0.00	568.24	88263.19	63025.49	25849.69
	ख	एनसीआर ऋणों के पुनः भुगतान संबंधी कटौतियों को छोड़कर	-1892.22	-2040.22	1035.26	0.00	0.00	447.91	11263.16	6435.24	9273.67
	ग	भारत सरकार से योजना अनुदान (टीएफसी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4831.80	2203.54	2621.16
	घ	एआरएम	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	3177.48	567.05	7179.96
	ड.	अधशेष का समायोजन	2629.77	8528.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3735.03	19225.11	11321.76
	2. राज्य उधार (I)-(II)		-1095.09	-386.06	-735.22	1151.79	472.48	960.26	107551.49	114245.51	170688.49
	(1) सकल उधारी (क से छ)		0.00	0.00	0.00	1151.79	472.48	1103.50	143689.06	150278.32	208556.03
	क	राज्य भविष्य निधि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17418.46	17881.74	22343.45
	ख	लघु बचत	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	27418.22	15618.33	17151.12
	ग	नेगोशिएटिड ऋण	0.00	0.00	0.00	691.79	100.00	321.50	18452.26	17618.38	18223.56
	घ	ईएपी और बी2बी के लिए ऋण	0.00	*0.00*	0.00	110.00	*0.00*	132.00	16449.27	11827.78	14136.35
	ड.	एनसीए के लिए नोशनल ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18082.60	1846.81	2293.49
	च	बाजार की उधार	0.00	0.00	0.00	200.00	372.48	650.00	45868.25	83853.09	134408.06
	छ	बॉड/ डिबेन्चर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1632.19	0.00
	(II) वापसी		*1095.09*	*386.06*	*735.22*	*0.00*	*0.00*	*143.24*	36137.57	36032.81	37867.54
राज्य के अपने संसाधन (उधार सहित)			8711.53	13124.06	7501.82	1601.79	922.48	1976.41	218822.15	205701.94	226934.73
	3	केन्द्रीय सहायता (अनुदान)	1288.47	811.13	2498.18	148.21	156.82	273.59	66131.86	67078.16	86692.58
	क	सामान्य केन्द्रीय सहायता	181.48	181.48	208.85	85.46	85.46	96.08	17165.67	17089.38	19545.25
	ख	ईएपी(ज) के लिए एसीए	0.00	0.00	2.50	2.25	0.00	0.00	5549.60	5187.42	5508.62
	ग	अन्य	1106.99	629.65	2286.83	60.50	71.36	177.51	43416.59	44801.36	56233.18
	घ	एसपीए अग्रिम							0.00	0.00	5405.53
कुलः राज्य सरकार संसाधन (उधार सहित)			10000.00	13935.19	10000.00	1750.00	1079.30	2250.00	284954.01	272780.10	313627.31
ख	सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम(पीएसई)										
		आंतरिक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.73	-3892.03	-1503.66
		अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15500.54	20809.32	19671.34
		बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2354.53	5633.73	10444.32
	कुल ख: पीएसई (ज) (1+2+3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17903.80	22551.02	28612.00
ग	स्थानीय निकाय										
	I. शहरी स्थानीय निकाय										
	क	आंतिरक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.62	301.62	357.16
	ख	अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.06
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.35	1511.13	679.78
		कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.97	1812.75	1397.00
	II. ग्रामीण स्थानीय निकाय										
	क	आंतिरक संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-168.71	-253.81	482.81
	ख	अतिरिक्त बजट संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	325.01
	ग	बजटीय समर्थन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1983.60	3744.54	2178.77
		कुल (क+ख+ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1814.90	3490.74	2986.59
	कुल ग: स्थानीय निकाय (I+II)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2555.87	5303.49	4383.59
	पीएसई (ज) और स्थानीय निकाय (ख+ग)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20459.67	27854.51	32995.59
घ	समग्र योजना संसाधन (क+ख+ग)		10000.00	13935.19	10000.00	1750.00	1079.30	2250.00	305413.68	300634.61	346622.90

45

संलग्नक 3.1.3

मौजूदा राजस्व से शेष (बीसीआर): 2008-09(एपी/एलई/आरई) और 2009-10 (एपी)

(करोड़ रूपए)

राज्य	2008-09		2009-10
	एपी	एलई/आरई	एपी
I. विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)			
1. अरूणाचल प्रदेश	-19.46	-71.25	-806.85
2. असम	377.32	-516.85	-6638.92
3. हिमाचल प्रदेश	-1304.44	-975.10	-1057.72
4. जम्मू व कश्मीर	-2017.05	-2417.97	-4476.09
5. मणिपुर	-148.18	-159.80	-425.07
6. मेघालय	-0.79	-7.35	-677.99
7. मिजोरम	-149.31	-245.45	-343.57
8. नागालैण्ड	-215.95	-200.62	-328.57
9. सिक्किम	8.16	44.50	-528.93
10. त्रिपुरा	-10.99	-1077.75	-683.58
11. उत्तराखंड	65.64	381.05	-1166.78
कुल एससीएस	**-3415.05**	**-5246.59**	**-17134.07**
II. गैर-विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)			
1. आंध्र प्रदेश	16650.62	14159.07	13040.01
2. बिहार	5684.00	5696.95	2839.82
3. छत्तीसगढ़	5167.53	4320.59	4161.28
4. गोवा	534.08	528.76	1020.95
5. गुजरात	5791.12	1830.20	6323.33
6. हरियाणा	3940.78	2496.52	1114.34
7. झारखंड	4093.19	3874.19	2984.76
8. कर्नाटक	10622.53	8081.77	9856.90
9. केरल	-2118.56	-2726.30	-1793.33
10. मध्य प्रदेश	6552.90	6643.66	5252.99
11. महाराष्ट्र	7403.77	7550.00	6051.83
12. उड़ीसा	1518.49	1143.75	-2048.86
13. पंजाब	-2863.26	-3969.31	-6067.15
14. राजस्थान	1941.39	629.45	-1952.65
15. तमिलनाडु	2947.32	4904.50	-838.86
16. उत्तर प्रदेश	18746.08	14064.09	1437.64
17. पश्चिम बंगाल	-4002.81	-7977.53	-6169.26
कुल एनएससीएस	**82609.17**	**61250.36**	**35213.74**

कुल सभी राज्य	**79194.12**	**56003.77**	**18079.67**
III. लेजिस्लेचर के साथ संघ राज्य क्षेत्र			
1. एनसीटी दिल्ली	9069.07	7021.72	7201.78
2. पुदुचेरी	0.00	0.00	568.24
कुल यूटी(ज)	**9069.07**	**7021.72**	**7770.02**
सभी राज्य और यूटी (ज)	**88263.19**	**63025.49**	**25849.69**

संलग्नक 3.1.4

वार्षिक योजना 2008-09 (एपी/एलई/ आरई) और 2009-10 (एपी) के लिए पीएसई (ज) का अंशदान

(करोड़ रूपए)

राज्य	2008-09		2009-10
	एपी	एलई/आरई	एपी
I. विशेष श्रेणी राज्य (एससीएस)			
1. अरूणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2. असम	-103.75	91.94	92.42
3. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4. जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00	0.00
5. मणिपुर	0.00	0.00	0.00
6. मेघालय	100.00	140.00	0.00
7. मिजोरम	-1.17	-1.17	-0.61
8. नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00
9. सिक्किम	0.00	0.00	0.00
10. त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
11. उत्तराखंड	424.97	424.97	996.66
कुल एससीएस	**420.05**	**655.74**	**1088.47**
II. गैर-विशेष श्रेणी राज्य (एनएससीएस)			
1. आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
2. बिहार	0.00	0.00	0.00
3. छत्तीसगढ़	105.72	37.92	196.10
4. गोवा	106.16	106.16	106.16
5. गुजरात	3265.00	6612.00	1500.00
6. हरियाणा	0.00	0.00	0.00
7. झारखंड	0.00	0.00	0.00
8. कर्नाटक	3654.85	3623.73	6604.05
9. केरल	758.00	758.00	950.00
10. मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
11. महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
12. उड़ीसा	518.12	518.12	2026.56
13. पंजाब	1666.92	3025.00	4593.00
14. राजस्थान	5232.85	5565.77	6606.50
15. तमिलनाडु	905.62	667.43	359.00
16. उत्तर प्रदेश	263.85	263.85	4582.16
17. पश्चिम बंगाल	1006.66	717.30	0.00
कुल एनएससीएस	**17483.75**	**21895.28**	**27523.53**
कुल सभी राज्य	**17903.80**	**22551.02**	**28612.00**

III. लेजिस्लेचर के साथ संघ राज्य क्षेत्र			
1. एनसीटी दिल्ली	0.00	0.00	0.00
2. पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00
कुल यूटी(ज)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
सभी राज्य और यूटी (ज)	**17903.80**	**22551.02**	**28612.00**

अध्याय-4
रोजगार की संभावना और श्रम नीति

4.1 11वीं योजना में कार्य की विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादक और लाभकारी रोजगार के सृजन का विचार किया गया है, ताकि समावेशी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बढ़ते हुए श्रमिक बल को समिलित किया जा सके। सफल समावेशी विकास हेतु वर्तमान में कृषि क्षेत्रक में वर्तमान फालतू श्रमिकों के प्रवर्जन की जरूरत है, ताकि उन्हें उच्च मजदूरी पर गैर कृषि रोजगार मिल सके।

4.2 समावेशी विकास का निर्णय पर्याप्त मात्रा में उत्पादक रोजगार अवसरों के सृजन की योग्यता विशेषरूप से उन लोगों के लिए श्रम बाजार से अलग हैं या उसके हासिये पर हैं, के माध्यम से होगा। यह भी आवश्यक है कि विकास की इस प्रक्रिया में रोजगार श्रम बल में और मात्र कुछ ही लोगों को ही नहीं मिलेगा, अपितु गैर-कृषि क्षेत्रक में भी कृषि छोड़ने वाले कामगारों को भी कार्य मिलेगा।

4.3 11वीं योजना (2007-12) में 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के लिए कुल 47 मिलियन कार्य अवसरों के मुकाबले 58 मिलियन कार्य अवसरों के सृजन का विचार किया गया है।

उलट फेर (मंदी) का प्रभाव

4.4 श्रम ब्यूरो ने भारत में जुलाई-सितम्बर, 2009 के लिए रोजगार पर आर्थिक मंदी पर तिमाही रिपोर्ट जारी की है। भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव के संबंध में तिमाही रिपोर्टों की श्रृंखला में यह चौथा अंक है। इस रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं -

- सर्वेक्षण में 11राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में 21 केंद्रों पर स्थित 2873 एककों को कवर किया गया है।
- 8 क्षेत्रकों यानि वस्त्र, धातु, चमड़ा, ऑटोमोबाइल्स, जैम और ज्यूलरी, परिवहन, आईटी/ बीपीओ, हैंडलूम और पावरलूम को इस में कवर किया गया है।
- सभी एककों को मिल कर रोजगार के अवसर जून, 2009 से सितम्बर, 2009 के दौरान 4.97 लाख तक बढ़े हैं।
- चमड़ा क्षेत्रक के अलावा सभी सात क्षेत्रकों में जून 2009 से सितम्बर, 2009 के दौरान रोजगार में वृद्धि दर्ज की गई है।

4.5 विभिन्न तिमाही सर्वेक्षणों केमाध्यम से देखे गए रोजगार संबंधी परिवर्तन संलग्नक 4.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 4.1 : विभिन्न तिमाही सर्वेक्षण परिणामों के आधार पर अनुमानित रोजगार में परिवर्तन

(लाख में)

क्र0 सं0	उद्योग समूह का नाम	निम्न के दौरान रोजगार में परिवर्तन		
		दिसम्बर, 08 से मार्च, 09	जून, 09 से मार्च, 09	सितम्बर, 09 जून से सितंबर,09
1	वस्त्र एवं कपड़ा	2.08	-1.54	3.18
2	चमड़ा	-0.33	0.07	-0.08
3	धातु	-0.29	-0.01	0.65
4	ऑटोमोबाइल्स	0.02	0.23	0.24
5	जेम एवं ज्यूलरी	0.33	-0.20	0.58
6	परिवहन	-0.04	-0.01	0.00
7	आईटी/ बीपीओ	0.92	-0.34	0.26
8	हैंडलूम/ पावरलूम	0.07	0.49	0.15
	समग्र	2.76	-1.31	4.97

स्रोतः भारत में आर्थिक मंदी से रोजगार पर प्रभाव रिर्पो (जुलाई- सितम्ब्र, 2009)

4.6 वार्षिक योजना 2008-09 के परिणाम

i) 4384 एसीसी/ एसटी कर्मकारों को कोचिंग सह मार्ग दर्शन केंद्रों (सीजीसी) पर व्यावसायिक मार्ग दर्शन और कैरियर परामर्श सेवा उपलब्ध कराई गई।

ii) सीजीसी (ज) पर 3653 एससी/ एसटी अभ्यार्थियों को टंकण और आशुलिपि की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।

iii) 800 एससी/ एसटी अभ्यार्थियों को छह माह का कंपयूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया गया।

iv) प्रशिक्षण संस्थानों के क्रमोन्नयन के तहत 17060 कार्मिकों को दीर्घकालीन और लघुकालीन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किए गए।

v) फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान के विविधिकरण और विस्तारण के तहत 1762 लघु कालीन और दीर्घकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए।

vi) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) 5 लाख बच्चों कोपंजीकृत किया गया।

vii) संगठनों को वित्तीय सहायता के लिए अनुदान सहायता स्कीम के तहत 28 वीजीओ (ज), एनजीओ (ज) को 13.55 लाख रूपए का अनुदान उपलब्ध कराया गया।

viii) क्रमोन्नयन स्कीम के तहत 1396 सरकारी आईटीआई, 300 आईटीआई को वर्ष के दौरान क्रमोन्नत किया गया।

ix) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसवीवाई) के तहत 40 लाख स्मार्ट कार्ड जारी किए गए।

4.7 वार्षिक योजना 2009-10 में नीतिगत मुद्दे और नई पहलें

i) 11वीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकनः श्रम और रोजगार क्षेत्रक पर 11वीं योजना का एमटीए 2009-10 के दौरान आयोजित किया जाना है। उप समूहों के साथ परामर्श समूह का गठन किया जा चुका है, जो निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा।

i) दक्षता विकास पर उप समूह।

ii) बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी पर उप समूह।

iii) महिला श्रम, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, खान सुरक्षा आदि मुद्दों पर उप समूह।

iv) श्रम ओर रोजगार में समावेशन मुद्दों पर उप समूह।

श्रम और रोजगार क्षेत्रक के निष्पादन की समीक्षा की जाएगी तथा मध्यावधि सुधारों के लिए आवश्यकतानुसार जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

ii) **असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008** - असंगठित कामगारों की सुरक्षा के हितों की रक्षा सरकार की मुख्य चिंता रही है और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के लागू हो जाना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, असंगठित कामगारों/ असंगठित कामगारों की श्रेणियों के लिए सामाजिक सुरक्षा स्कीमें तैयार करेगा, जिसका गठन वर्ष 2009-10 में किया जाना प्रस्तावित है।

iii) **ग्रेच्यूएटी का भुगतान अधिनियम, 1972 में संशोधनः** भारत सरकार का प्रस्ताव है कि ग्रेच्यूएटी का भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत कवर कर्मचारियों के लिए ग्रेच्यूएटी की सीमा 3.5 लाख से 10 लाख तक बढ़ाने का कार्य 2009-10 में किया जाएगा।

iv) **प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में संशोधनः** प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 के तहत प्लांटेशन श्रमिकों के लिए कार्य के घंटों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों की व्यवस्था के साथ रोजगार की दशा आदि सरकार के विचाराधीन हैं।

तालिका 4.2 : 11वीं योजना (2007-12) में शुरू की गई चार योजनाओं और वार्षिक योजना 2009-10 में जारी स्कीमों के परिव्ययों एवं व्यय का ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं0	स्कीम का नाम	11वीं योजना (2007-12) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना (2007-08) वार्षिक व्यय	वार्षिक योजना (2008-09) वार्षिक व्यय	वार्षिक योजना (2009-10) अनुमोदित परिव्यय
1	दक्षता विकास पहलें	486.28	15.85	44.36	52.24
2	पीपीपी माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई (ज) का क्रमोन्नयन	0.0	750.01	752.27	13.30
3	केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवा में परिष्करण और सुधार के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	88.42	234.46	218.90	240.00
4	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसवीवाई)	309.45	0.00	101.65	350.00

स्रोतः श्रम और रोजगार मंत्रालय

4.8 11वीं योजना (2007-12) में शुरू की गई पहले और उन्हें 2009-10 में जारी रखना

i) **दक्षता विकास पहलें** - व्यावसायिक प्रशिक्षण मानकों के क्रमोन्नयन के लिए श्रमऔर रोजगार मंत्रालय ने दक्षता विकास हेतु एक नई रणनीतिक रूप रेखा नामतः "मॉडलर एम्प्लाएबेल स्किल्स" (एमईएस), जिसकी रूपरेखा हेतु

उद्योग, राज्य और विशेषज्ञों से गहन परामर्श जारी है। मुख्य ध्यान "न्यूनतम दक्षता सैट" देने पर होगा, जो उद्योग की जरूरत को पूरी करती है। यह स्कीम क्रमोन्नयन, बहु दक्षता देना, बहु प्रविष्टि एवं निकास, वर्टिकल गतिशीलता तथा लचीलेपन जीवन भर सीखने के अवसर। यह स्कीम पांच वर्ष की परियोजना है, जिसमें एक मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा या उनकी मौजूदा दक्षता की जांच की जाएगी और उसे मोड्यूलर एम्प्लाएबेल स्किल्स की रूपरेखा के तहत प्रमाणित किया जाएगा। अभी तक इस स्कीम की प्रतिक्रिया, विशेष रूप से लक्षित समूह से बहुत अच्छी रही है, यानि जल्द स्कूल छोड़ने वालों, मौजूदा कामगारों तथा समाज के कमजोर वर्गों से। अतः प्रत्याशा की जाती है कि इस स्कीम को आगे भी जारी रखा जाएगा।

ii) **1396 सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से आईटीआई (ज) का क्रमोन्नयनः** संघ के 2007-08 के बजट भाषण में सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से 1396 आईटीआई (ज) को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। स्कीम का विचार था कि किसी औद्योगिक सहभागीदार के सहयोग से सरकारी आईटीआई (ज) के क्रमोन्नयन की प्रक्रिया शुरू की जाए। औद्योगिक सहभागी या उसके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में मिल कर संस्था प्रबंधन समिति (आईएमसी) का गठन/ पुनगर्ठन किया जा सकता है और उसे सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया जाए। आईएमसी सोसायटी को प्रत्यक्ष रूप में 2.5 करोड़ यप्ए का एक मुख्यत ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा, ताकि आईटीआई पर प्रशिक्षण अवसंरचनाओं का क्रमोन्नयन किया जा सके।

iii) **केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में परिष्करण और सुधार हेतु बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं** - केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के अपने बजट भाषाण में घोषणा की थी कि देश में 500 आईटीआई (ज) को क्रमोन्नयन के लिए उपाय किए जाएंगे। उसके बाद, वित्त मंत्रालय की सलाह के अनुसार 100 आईटीआई (ज) का क्रमोन्नयन घरेलू संसाधनों और 400 का विश्व बैंक के माध्यम से किया जाए। स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली से स्नातकों के रोजगार परिणामों में सुधार आए और इसके लिए प्रशिक्षण की डिजाइन औरडिलीवरी अधिक मांग पर खरी उतरे।

iv) **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)** - असंगठित क्षेत्रक के कामकारों, जो बीपीएल श्रेणी से संबंधित हैं और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतरीन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु (5 की एक यूनिट) अक्तूबर, 2007 में राष्ट्रीय बीमा योजना शुरू की गई है। प्रति परिवार एक वर्ष के लिए 30,000 का बीमा फ्लोटर आधार पर सुनिश्चित किया गया है। आरएसवीवाई 1 अप्रैल, 2008 से प्रचालन में आ गई है, ताकि 2012-13 तक 6 करोड़ बीपीएल परिवारों को कवर किया जा सके, 2008-09 से शुरू होने पर प्रति वर्ष 1.2 करोड़ को व्याप्ति में लेने का लक्ष्य रखा जाए। फिर भी 2008-09 में मात्र 40 लाख बीपीएल परिवारों को ही व्याप्ति में लिया जा सका। 2009-10 के दौरान 1.2 करोड़ परिवारों को व्याप्ति में लेने का लक्ष्य रखा गया है।

तालिका 4.3 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
ग्याहरवीं योजना और (2009-10) के परिव्यय और (2007-08) एवं (2008-09) के दौरान हुआ व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं0	प्रभाग/ स्कीमें	11वीं योजना (2007-12) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना (2007-08) वार्षिक व्यय	वार्षिक योजना (2008-09) वार्षिक व्यय	वार्षिक योजना (2009-10) अनुमोदित परिव्यय
1	(क) डीजीईटी (रोजगार)	33.95	2.60	4.28	10.00
2	(ख) डीजीईटी (प्रशिक्षण)	794.22	1083.72	1079.55	374.16
3	औद्योगिक संबंध	41.38	5.40	7.14	6.50
4	सीबीडब्ल्यूई	44.21	9.30	9.50	9.00
5	बालश्रम	579.16	155.91	157.81	100.00

6	महिला श्रम (2008-09 से क्रम संख्या 12 की स्कीम से मिला दिया गया)	2.40	0.38	0.00	0.00
7	श्रम ब्यूरो	38.02	8.41	8.00	9.00
8	डीजीएमएस	34.35	3.41	4.49	4.50
9	डीजीएफएएसएलआई	22.10	2.52	7.98	10.59
10	एनएलआई	22.10	5.00	5.00	5.00
11	सूचना प्रौद्योगिकी	8.84	1.57	1.50	0.50
12	एनजीओ (ज)/ वीओ (ज) को अनुसंधान हेतु अनुदान सहायता	1.33	0.15	0.29	0.50
13	बंधुआ मजदूरों का पुनर्स्थापन	13.26	1.09	1.20	1.00
14	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	265.25	0.00	0.00	0.00
15	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा	309.45	0.76	101.65	350.00
	कुल	2210.02	1280.22	1388.39	880.75

स्रोतः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय + सीडब्लयू 19.25

सीडब्ल्यू- सिविल कार्य प्रबंधन। जिसे शहरी विकास मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया है।

4.9 इन स्कीमों के परिव्यय और व्यय तालिका 4.2 में दिए गए हैं।

4.10 श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए मुख्य शीर्षवार परिव्यय और व्यय तालिका 4.3 में दिए गए हैं।

अध्याय-5

दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण

5.1 दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण के संबंध में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्रि परिषद ने "दक्षता विकास के लिए" समन्वित कार्रवाई योजना और मई, 2008 में संस्थागत संरचना की सथापना का अनुमोदन किया था।

5.2 उसके बाद फरवरी, 2009 में दक्षता विकास पर राष्ट्रीय नीति केंद्रीय मंत्रि परिषद द्वारा अनुमोदित की गई, ताकि दक्षता विकास पर राष्ट्रीय नीति और दक्षता विकास पर समन्वित कार्रवाई में निहित सिफारिशों को प्रचालित किया जा सके, दक्षता विकास पर सरकार ने अनेक पहलकारी कदम उठाए, जो इस प्रकार हैं-

(i) दक्षता विकास पर प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद नीतिगत सलाह, दिशा और भावी मार्ग दर्शन प्रदान करती है, जिसके भीतर विभिन्न राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और केंद्र द्वारा दक्षता विकास संबंधी पहलें शुरू की जानी चाहिएं। राष्ट्रीय दक्षता परिषद ने 2022 तक दक्षता प्रणालियों के माध्यम से 500 मिलियन दक्ष व्यक्ति तैयार करने का विजन उपलब्ध कराया है, जिसमें जैंडर/ ग्रामीण/शहरी/ संगठित/ गैर संगठित/ परम्परागत/ समसामयिक सभी की अधिक मात्रा का समावेश होना जरूरी है। ऐसी दक्षता हासिल करने की रणनीति के तहत प्रणालियां केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सिविल सोसाइटियों, समुदायों और सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से डिलीवरी देना नव प्रवर्त्तनकारी व्यवस्था पर निर्भर करेंगी। विभिन्न प्रमुख सिद्धांतों का दृष्टि से राष्ट्रीय परिषद ने अपना विजन प्रस्तुत किया है(बाक्स 5.1)।

बॉक्स 5.1 दक्षता विकास के प्रमुख सिद्धांत

- सरकारी राशि के लिए भावी बाजार को लक्ष्य बनाना जरूरी है, के साथ स्पर्धा या भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है।
- दक्षता मिशन की स्थापना, विकेंद्रीकरण हेतु राज्यों को बढ़ावा देते हुए उनका प्रोत्साहन करना।
- हार्ड संपत्तियों और भवनों के निर्माण के लिए धन का उपयोग न करना।
- मोड्यूलरिटी, मुक्त आर्किटेक्चर ओर लघु अवधि पाठ्यक्रमों के लिए छह माह से अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के लिए प्रतिपूर्ति करना।
- वित्त पोषण को डिलीवरी से अलग करना, निजी और सार्वजनिक डिलीवरी के लिए सार्वजनिक राशि उपलब्ध कराना।
- वित्त पोषण को परिणामों से जोड़ना, अति उत्साही कार्य मिट्रिक होना चाहिए, इन प्रमुख सिद्धांतों की क्षमता को हसिल करने के लिए राज्य महत्वपूर्ण एवं प्रमुख घटक हैं।

(ii) **राष्ट्रीय दक्षता विकास समन्वय बोर्ड (एनएसडीसीबी)** - उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में स्थापित किया गया है, ताकि प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद् के दिशा - निदेशों का कार्यान्वयन किया जा सके। एनएसडीसीबी ने दक्षता विकास और प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुअहों पर 5 उप समितियों का गठन किया थाः (i) सतत आधार पर पाठ्यक्रम को संशोधित करना। (ii)

व्यावसायिक शिक्षा (iii) प्रशिक्षु प्रशिक्षण (iv) प्रमाणन और प्रमाणीकरण प्रणाली और दक्षता अंतराल मैपिंग पांच उप समितियों में से दो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, ये उप समितियों हैं- (i) श्री मनीष सब्बरवाल की अध्यक्षता वाली प्रशिक्षु प्रशिक्षण का पुनर्माडलीकरण और (ii) श्री सोम मित्तल की अध्यक्षता वाली प्रमाणन और प्रमाणीकरण प्रणाली में सुधार इन दोनों उप समितियों की ड्राफ्ट रिपोर्टें यानि श्री मनीष सब्बरवाल की अध्यक्षता वाली प्रशिक्षु प्रशिक्षण की पुनर्माडलिंग और श्री सोम मित्तल की अध्यक्षता वाली प्रमाणन और प्रमाणीकरण प्रणाली में सुधार पर 4 अगस्त, 2009 को योजना आयोग में आयोजित बैठक में विचार विमर्श किया गया। प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय परिषद के निर्देशों पर 12 अक्तूबर, 2009 की अनुवर्ती कार्रवाई, सदस्य योजना आयोग (डॉ0 नरेन्द्र जाधव) की अध्यक्षता में एक कार्यदल स्थापित किया गया, जिस में सचिव (पीसी), सचिव (वित्त), सचविव (एमओएलई) सदस्य हैं, जो भारत के प्रशिक्षु तंत्र की पुनर्माडलिंग पर रिपोर्ट की सिफारिशों की जांच करेगी। कार्यदल ने 17 दिसम्बर, 2009 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो व्यावसायिक शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण स्टेटस जो प्रोफेसर कृष्ण कुमार, निदेशक (एनसीईआरटी) की अध्यक्षता में है, पर विजन विकसित किया जा सके, जो अब उन्नति स्तर पर है और उसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा। (iii) दक्षता विकास पर समन्वित कार्रवाई का तृतीय टियर नामतः राष्ट्रीय दक्षता विकास निगम (एनएसडीसी) की स्थापना एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अनुच्छेद 25 के अंतर्गत की गई है। एनएसडीसी के प्रमुख उद्देश्य- (1) प्रमुख रोजगारमय दक्षताओं, दक्षता मानकों का विकास, जो निजी क्षेत्रक की मांगों को प्रशिक्षण प्रणाली और पाठ्यक्रमों से जोड़ता है और निजी नियोजकों, प्रशिक्षण प्रदाताओं और श्रम बल के बीच बिना किसी लाभकारी उद्देश्य सहयोग के लिए सामान्य मंच प्रदान करता है (2) दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थाओं और पॉलिटैक्निक्स की स्थापना, उनका विकास और प्रबंधन करना और उनका संचालन करना। (3) मूल्य तंत्र की स्थापना करते हुए सृजक की भूमिका अदा करना, मांग आपूर्ति विषमता को पाटते हुए और आपस में जोड़ते हुए एक व्यावहारिक दक्षता श्रृंखला का सृजन करना, जिसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रकों पर ध्यान देना, जहां बाजार तंत्र निष्प्रभावी था अदृश्य हो (iv) परिदृश्य में विभिन्न बिन्दुओं पर भागीदार संस्थानों के बीच संचार के पारस्परिक संपर्कों का सृजन (युवा, उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान, वित्त पोषण एजेंसियां, सार्वजनिक निजी और एनजीओ क्षेत्रक में निचले संगठन)। (v) विभिन्न क्षेत्रों से नव प्रवर्त्तन और प्रणाली प्रसारण के स्रोतों के रूप में मल्टीप्लायर संगठन की भूमिका निभाना, जो जमीनी परम्परा के अनुसार सर्वोत्तम और सर्वाधिक नव प्रवर्त्तनकारी के साथ मिल कर हो। इन मुख्य उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अनेक वस्तुएं जो अवसरिक या प्राथमिक उपलब्धियां एनएसडीसी द्वारा निर्धारित हैं। क्षेत्रक दक्षता परिषदों की स्थापना एक संस्थागत तंत्र केरूप में की गई है, ताकि सामाजिक भागीदारों, निजी नियोजकों, प्रशिक्षण प्रदाओं, एनजीओ (ज)/ सिविल सोसाइटी समूहों के बीच योजनाओं के निर्माण सहभागिता का समन्वय किया जा सके, जिन में उक्त दो अवसरिक या प्राथमिक उद्देश्य हैं - जैसे कि दक्षता विकास पर राष्ट्रीय नीति द्वारा जरूरी किया गया है कि एनएसडीसी भी विशिष्ट आवधिक फीडबैक देगी तथा योजनाओं और गतिविधियों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट देगी और उन्हें साव्रजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा।

5.3 फरवरी, 2009 में केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित दक्षता विकास राष्ट्रीय नीति तथा दक्षता विकास के लिए समन्वित कार्रवाई, जिसके लिए त्रिस्तरीय संस्थागत संरचना हैं, वे महत्वपूर्ण

ओर आपस में पहलकारी कार्रवाइयां कर रही हैं। यह नीति एक सकारात्मक वातावरण प्रदान करती है और परिषद तथा बोर्ड शीर्षस्थ स्तर पर सलाहकारी नीति और दिशा के कार्यान्वयन के लिए व्यवस्था देते हैं।

5.4 दक्षता विकास पर राष्ट्रीय नीति ने देश में व्यावसायिक शिक्षा के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। ऐसी एक महत्वपूर्ण सिफारिश है कि विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, उद्योगों और अन्य भागीदारों के बीच बेहतरीन समन्वय के लिए एक रूपरेखा विकसित की जाए। परिणामस्वरूप विभिन्न राज्य और संघ शासित क्षेत्रों को चालू वर्ष के दौरान राज्य दक्षता विकास मिशन स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया गया। दिसम्बर, 2009 में योजना आयोग ने विभथ्न बड़े राज्यों के साथ वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की, जिसका उद्देश्य था कि सभी राज्यों को दक्षता मिशन स्थापित करने के लिए सभी राज्यों को तैयार किया जा सके एवं एसएसडीएम (एस) के लिए निजी क्षेत्रक/ एनजीओ (ज) के प्रतिनिधियों को शामिल करना सुनिश्चित किया जा सके। परिणामस्वरूप, मॉनीटरण वाले बीस राज्यों ने दक्षता विकास मिशन स्थापित करने की पुष्टि का विकास मिशन की स्थापना शीघ्रता करने के लिए उन्हें अनुस्मरण करा दिया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.5 श्रम और रोजगार मंत्रालय नीतियां बनाता है, मानक निर्धारित करता है, पाठ्यक्रम विकास शुरू करता है, ट्रेड परीक्षण करता है, रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशक के माध्यम से प्रमाणीकरण कराता है। ये केंद्र और राज्य आधारित हस्तक्षेप इस तथ्य से लिए गए हैं कि प्रशिक्षण का मामला समवर्ती सूची में आता है, अतः इस क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों की ही जिम्मेदारियां हैं। राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीटी) और केंद्रीय प्रशिक्षु परिषद (सीएसी) सरकार को नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने, प्रशिक्षण मानक बनाने, ट्रेड परीक्षण और राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण में सलाह प्रदान करती है। पूरक राज्य परिषदें राज्य स्तर पर नीतियों, पक्रियाओं को तैयार कस्ने में सलाह प्रदान करती हैं। दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) और प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम (एटीएस) दो महत्वपूर्ण स्कीमें हैं, जो डीजीई एंड टी की व्यावसायिक गतिविधियों के संपूर्ण भार को कवर करती हैं जब कि सीटीएस से प्रशिक्षित अर्ध-प्रशिक्षित ही माने जाते हैं और एटीएस से अपेक्षा की जाती है कि वह दक्ष कर्मकार तैयार करे।

दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम

5.6 शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम(सीटीएस) 112 ट्रेड में लगभग 9.53 लाख की कुल सीट क्षमता के साथ पूरे देश में फैली 6906 आईटीआईज/आईटीसीज(सरकारी क्षेत्रक में 1997 तथा निजी क्षेत्रक में 4909) के माध्यम से संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करती है । प्रशिक्षण 14-40 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रकों को कवर करते हुए 112 इंजीनियरी और गैर - इंजिनियरी ट्रेडों में दिलाया जाता है । प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि 6 महीने से 3 वर्ष तक की है जिसका उद्देश्य विकासित हो रहे उद्योग के लिए अर्ध-कुशल श्रमिक तैयार करना है। फिर, भी महिला आईटीआई(ज) और सामान्य आईटीआई (ज) की महिला विंग में उच्च आयु संबंधीकोई सीमा नहीं रखी गई है। बाजार की जयरत के अनुसार मोड्यूलर पैटर्न और बहु दक्षता प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पुनश्चर्या 4 मॉडल औद्योगिक प्रशथ्क्षण संस्थान (एमआईटीई (ज) में दस्तकार प्रशिक्षण स्कीम के तहत पुनर्संरचित पैटर्न के अनुसार रखी जाती है। इसके अलावा उत्कृष्टता केंद्रों में

क्रमोन्नत आईटीआई (ज) में भी बहु प्रविष्टि एवं विकास के प्रावधान के साथ बहु दक्षता पाठयक्रम भी चलाए जा रहे हैं (21 क्षेत्रकों के लिए व्यापक आधार पर मूल प्रशिक्षण (बीबीबीटी) जिसका पाठ्यक्रम मोड्यूलर आधार पर है और 19 क्षेत्रकों में उन्नत प्रशिक्षण भी दिया जाता है।) अभी तक 531 आईटीआई (ज) ने बहु दक्षता पाठ्यक्रमों के लिए विकल्प दिया है। विभिन्न राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में आईटीआई (ज) आईटीसी (ज) की प्रवेश क्षमता के साथ विवरण संलग्नक 5.1 पर दिया गया है।

प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम

5.7 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अनुसार सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के संस्थापनाओं के लिए जरूरी है कि वे विभिन्न श्रेणियों जैसे - ट्रेड प्रशिक्षु, स्नातक प्रशिक्षु, तकनीकी प्रशिक्षु, तकनीशियन (व्यवसायिक) आदि प्रशिक्षुओं की व्यवस्था करें। 35 ट्रेड समूहों में 188 ट्रेड्स की पहचान ट्रेड प्रशिक्षुओं के लिए की गई है, 114 विषय क्षेत्रों की पहचान स्नातक एवं प्रशिक्षुओं के लिए की गई है और 102 विषय क्षेत्रों की पहचान तकनीशियन (व्यावसायिक) क्षेत्रक प्रशिक्षुओं के लिए की गई है। प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए 24,800 संस्थापनाओं के साथ 2.79 लाख प्रवेश क्षमता सृजित है। ट्रेड के अनुसार 6 माह से 4 वर्ष की अवधि के विभिन्न कार्य प्रशिक्षण भी प्रदान किए जाते हैं। फिर भी, न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष रखी गई है। उनके ट्रेड्स का परीक्षण राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है और सफल होने वाले उम्मीदवारों को राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाते हैं।

5.8 प्रशिक्षु तंत्र संबंधी आकलन और विभिन्न भागीदारों द्वारा उठाए गए मुद्दों के लिए भारतीय प्रशिक्षु तंत्र की पुनर्मांडलिंग के लिए एक उप समिति मनीष सब्बरवाला की अध्यक्षता में गठित की गइ थी, जिस ने फरवरी, 2009 में अपनी रिपोर्ट एवं सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी थी। बाद में उसी मुद्दे पर एक कार्यदल डॉ0 नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में स्थापित किया गया, जिसने अपनी सिफारिश दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत कर दी थीं।

5.9 कार्यदल की कुछ सिफारिशें थीं - (i) नियोजकों द्वारा प्रशिक्षु लगाने और नए ट्रेड शामिल करने के लिए कार्य - प्रवाह का सरलीकरण (ii) प्रचलित अनुपालन कार्रवाई का सरलीकरण और ई-फाइलिंग की स्वीकृति देना, (iii) बाहरी क्षेत्र के लोगों के लिए एनओसी की जरूरत को हटाना, मौजूदा स्टाइफंड के स्तरों को संशोधित कर उसे एमएचआरडी के समरूप करना और प्रशिक्षु कार्यक्रमों के लिए सभी स्नातकों को पात्र बनाना (iv) न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि को 3 माह तक कम करना, कक्षा में प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग की अनुमति देना (v) नियोजकों और अभ्यार्थियों के लिए सूचना और मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करना (vi) पुराने पाठ्यक्रमों में सुधार करना ताकि उस में एमईएस की कवरेज हो सके।

महिलाओं के लिए व्यावसायिक कार्यक्रम

5.10 नियोजन योग्य दक्षताओं में महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैय्या कराने और स्व रोजगार आय सृजक कार्यकलाप शुरु करने के लिए प्रशिक्षण सुविधाए, अन्य रूप से महिलाओं को, राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान(एनवीटीआई) तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों(आरवीटीआईज)के माध्यम से लगातार उपलब्ध कराई जा रहीं है। 2008-09 के दौरान कुल 5.3 करोड़ रूपए व्यय किए गए। 2008-09 के पूर्वाध में नियमित पाठ्यक्रमों के अंतर्गत 1640

महिलाओं को प्रशिक्षण देना था, जिसके मुकाबले वास्तव में 1722 महिलाओं को वास्तविक रूप में प्रशिक्षण दिया गया। लघु अवधि के पाठ्यक्रमों के तहत सभी 683 महिलाओं को प्रशिक्षण किया गया। 31-3-2009 की स्थिति के अनुसार एनवीटीआई/ आरवीटीआई के तहत 67,246 आरंभ सेलेकर नियमित दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रमों में 36,455 और लघु अवधि, पाठ्यक्रमों में 30791 को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 6594 महिलाओं को मार्च, 2009 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया। इसमें नियमित दीर्घ अवधि पाठ्यक्रम के तहत 3385 तथा लघु अवधि/ तदर्थ पाठ्यक्रमों में 3009 को प्रशिक्षित किया गया। राज्य क्षेत्रक में 1188 महिला आईटीआई (ज) हैं और सामान्य आईटीआई (ज) में मिहला विंग (296 सरकारी महिला आईटीआई (ज) और 101 प्राइवेट महिला आईटीआई (ज). सरकारी आईटीआई (ज) में 698 महिला प्रशिक्षण विंग तथा निजी आईटीआई क्षेत्र में 120 महिला प्रशिक्षण विंग, जिन में कुल 51,236 प्रशिक्षण सीटें हैं।

उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम

5.11 कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों के दक्षता उन्नयन के लिए उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम 1977 से कार्य कर रही हैं । 15 राज्यों में रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अन्तर्गत 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों(एटीआईज़) तथा 16 चुनिंदा आईटीआईज में एक से 6 सप्ताह की अवधि की अल्पावधि मोड्यूलर पाठ्यक्रम के माध्यम से चुनिंदा दक्षता क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मार्च, 20ट्9 तक 15,56,052 से अधिक औद्योगिक श्रमिकों/टैक्नीशियनों ने 6 उन्नत प्रशिक्षण संस्थानों तथा केन्द्रींय प्रशिक्षण संस्थानों का उपयोग किया है ।

पर्यवेक्षी प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.12 दो फोरमेन प्रशिक्षण संस्थान, एक बंगलौर में और दूसरा जमशेदपुर में है, जो पर्यवेक्षकों/ प्रबंधकों को प्रौद्योगिकीय और व्यावहारिक क्रमोन्नयन में पर्यवेक्षी दक्षताओं का प्रशिक्षण प्रदान करते हजैं। दीर्घ कालीन ओर लघु अवधीय पाठ्यक्रमों के माध्यम से उद्योगों के फोरमेन और इंजीनियर्स को तकनीकी और प्रबंधकीय दक्षताओं में प्रशिक्षित किया जाता है। अक्तूबर से मार्च, 2009 के दौरान इन संस्थानों ने 2728 पाठ्यक्रमों का संचालन किया। इस अवधि के दौरान कुल व्यय 52.3 लाख रूपए का रहा। मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार इन संस्थानों में 853 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इन संस्थानों में 3191 पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया और 43,536 फोरमैन/ पर्यवेक्षकों को दीर्घकालीन और लघु अवधि पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया है।

स्टाफ प्रशिक्षण व अनुसन्धान

5.13 कोलकाता में केन्द्रीय स्टॉफ प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान,प्रशिक्षण निदेशालय,केन्द्र और राज्य सरकारों के संस्थानों और औद्योगिक स्थापनाओं आदि के प्रशिक्षण विभागों के कनिष्ठ व वरिष्ठ प्रबन्धन कार्मिकों के लिए अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। संस्थान पाठ्यक्रम विकास व संशोधन के लिए भी जिम्मेदार है और यह अध्ययन और सर्वेक्षण कार्य भी करता है । मार्च, 2009 तक संस्थान ने 18587 सहभागियों को प्रशिक्षित किया है । अपनी शुरुआत से संस्थान ने 460 पाठ्यक्रमों को विकसित और संशोधित किया है और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए 162 परियोजनाओं को पूरा किया है।

आईटीआई(ज़) का उत्कृष्टता केन्द्रों के रुप में उन्नयन

5.14 केंद्रीय वित्त मंत्री ने 2004-05 और 2005-06 के अपने बजट भाषण में देश के 500 आईटीआई (ज) को उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) में क्रमोन्नत करने के उपायों की घोषणा की थी। तत्पश्चात घरेलू संसाधनों के माध्यम से 100 आईटीआई (ज) और विश्व बैंक के माध्यम से 400 आइटीआई (ज) के क्रमोन्नयन का मामला 33 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में "व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना" वीटीआईपी घरेलू संसाधनों से वित्त पोषित 100 आईटीआई ज) विभिन्न 22 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में स्थित हैं (जम्मू कश्मीर, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर)। पूर्वगामी वित्त पोषण के तहत वित्त वर्ष 2006-07 के दौरान 100 आईटीआई (ज) के क्रमोन्नयन का कार्य शुरू किया गया। 2007-08 के दौरान 150 आईटीआई (ज) को चुना गया और शेष 150 आईटीआई (ज) की पहचान 2008-09 के लिए की गई। विश्व बैंक परियोजना के बंद होने की अंतिम तारीख दिसम्बर, 2010 है।

5.15 100 आईटीआई (ज) के क्रमोन्नयन की अलावा 400 आईटीआई (ज) और 14 डीजीईटी संस्थानों के क्रमोन्नयन का मामला "व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना" (वीटीआईपी) के तहत विश्व बैंक सहायता के माध्यम से किया जा रहा है। वित्त पोषण की प्रणाली में शामिल है - केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75 से 25 के अनुपात में लागत की हिस्सेदारी को वहन किया जाए। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में यह 90:10 रहेगा। वित्त पोषण में केंद्र सरकार का हिस्सा आईडीए क्रेडिट के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के तीन घटक हैं (i) व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार (ii) विधिवत सुधारों और नव प्रवर्त्तनों का विकास (iii) परियोजना प्रबंधन और मॉनीटरण और मूल्यांकन राज्य स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन एकक, स्कीम का कार्यान्वयन करती है।

5.16 परियोजना में आईटीआई (ज) को "उत्कृष्टता केंद्रों में क्रमोन्नयन" का विचार अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार बहु दक्षता कार्यबल पैदा करने की दृष्टि से किया गया है। बहुदक्षता पाठ्यक्रमों की प्रमुख बाते हैं - (i) एक वर्ष के ब्रांड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग के साथ छह माह का उन्नत मोड्यूलर प्रशिक्षण (ii) मुख्य रूप से उद्योग में विशिष्ट मोड्यूल्स (शोप फ्लोर ट्रेनिंग) (iii) बहु प्रवेश एवं निकास प्रावधान और उद्योगवार कलस्टर अवधारणा (iv) संस्थान प्रबंधन समिति के रूप में पीपीपी (आईएमसी (ज), ताकि सक्रिय एवं अधिक मात्रा में उद्योग सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

5.17 स्कीम के कुशल कार्यान्वयन और धारणीयता के लिए आईटीआई (ज) के प्रधानाचार्यों के अधिकारों और वचनपबद्धता में वृद्धि हेतु और संस्थान प्रबंधन समिति (आईएमसी) को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकारों को समझौता ज्ञापन की आवश्यकता है। परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के संबंधित राज्य द्वारा राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) का गठन एक शीर्षस्थ निकाय के रूप में किया गया है। संबंधित एसएससी (ज) द्वारा आईटीआई के प्रधानाचार्य और आईएमसी द्वारा प्रस्तुत संस्थागत विकास परियोजना (आईडीपी) के आधार पर आईटीआई का चयन और रेंक तय किया जाता है।

5.18 कुल परियोजना लागत का अनुमान 1581 करोड़ रूपए लगाया गया है, जिसमें से 1231 करोड़ रूपए केंद्र का हिस्सा है और 350 करोड़ रूपए राज्य का हिस्सा है। 33 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से नवम्बर, 2009 तक सभी 400 आईटीआई (ज) को चुना गया है और कुल 665.98 करोड़

रूपए जारी किए जा चुके हैं। परियोजना के अधीन, कुल 21 औद्योगिक क्षेत्रकों के लिए 200 से अधिक मोड्यूल पाठ्यक्रमों को तैयार कर उनका कार्यान्वयन किया जा चुका है। स्कीम के तहत कवर की गई सभी आईटीआई (ज) ने उन्नत मोड्यूल अनुदेशाकें के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना कर ली है। अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक बीडिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर की वैब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) तैयार करने के लिए एक परामर्श संगठन की सेवाएं भी ली जा रही हैं।

5.19 इस स्कीम में बहु प्रवेश एवं निकास विकल्पों के साथ बहुदक्षता पाठ्यक्रमों पर ध्यानकेंद्रण किया गया। उद्योगवार कलस्टर अवधारणा का प्रयास किया गया है ताकि प्रशिक्षण के सभी पहलुओं के संबंध में उद्योग की और अधिक सहभागिता सुनिश्चित हो सके, जो गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्ष दे सके और मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को पाट सके। सभी 100 आईटीआई (ज) में पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं।

दक्षता विकास संबंधी पहलें

5.20 स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि स्कूली अध्यापकों, मौजूदा कर्मकारों, आईटीआई स्नातकों आदि को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि सरकार निजी संस्थानों और उद्योग के पास उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार वैकल्पिक सुदपयोग के जिरए उनके रोजगार पाने में सुधार हो सके। देश में कुशल मानकों के विकास के क्षेत्र में दक्षता निर्माण पाठ्यक्रम, सीखने की सामग्री, मानकों के आकलन किया जाए। देश में" न्यूनतम दक्षता सैट" उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जाता है। यह स्कीम दक्षता क्रमोन्नयन, बहु दक्षता, बहु प्रवेश एवं निकास वर्टिकल गतिशीलता तथा जीवन पर्यंत सीखने के अवसर एक शिथिल रूप में प्रदान करना आदि को कवर करती है। यह स्कीम पांच वर्ष की परियोजना है,, जिसमें एक मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा या उनकी मौजूदा दक्षता का परीक्षण लिया जाएगा और रोजगारमय दक्षता रूपरेखा मोड्यूल के तहत प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्री परिषद की समिति ने इस योजना को अनुमोदन नहीं दिया है, जिसके लिए 2007 से पांच वर्ष की अवधि के लिए 550 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है, जिसका उद्देश्य है कि प्रथम पांच वर्षों के दौरान एक मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाए और उसके बाद एक मिलियन प्रति वर्ष इस स्कीम के तहत कुल 2.82 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित/ परीक्षित किया जा चुका है और वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 52 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया जा चुका है, जबकि वार्षिक योजना 2010-11 के लिए 157 करोड़ रूपए का प्रस्ताव रखा गया है।

5.21 स्कीम के तहत (i) 973 लघु अवधि एमईएस के पाठ्यक्रमों के लिए कोर्स करिक्युला 43 क्षेत्रकों के लिए एनसीवीटी द्वारा अनुमोदित किए जा चुके हैं, (ii) स्कीम के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन और सलाह हेतु एक शीर्षस्थ राष्ट्र स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है (iii) स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के चयन हेतु दिशा निदेशों के लिए कार्यान्वयन मैनुअल तैयार कर लिया गया है और कार्यान्वयन के लिए इसे राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है। (iv) पूरे देश में स्कीम का प्रचालन शुरू कर दिया गया है और 4538 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को पंजीकृत किया गया है (v) 22 आकलन निकायों

को एमईएस पाठ्यक्रमों के आकलन/ परीक्षण हेतु पैनल पर रखा गया है। (vi) एसडीआई स्कीम की वैबसाइट (dget.gov.in/mes/index.htm)

पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और जम्मू कश्मीर में आईटीआई (ज) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

5.22 पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और जम्मू कश्मीर में आईटीआई (ज) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसमें शतप्रतिशत सहायता केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। इस स्कीम का विचार है कि 25 नये पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और जम्मू कश्मीर में आईटीआई (ज) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण खोले जाएं और पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूदा 35 पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और जम्मू कश्मीर में आईटीआई (ज) की स्थापना और सुदृढ़ीकरण/ आधुनिकीकरण किया जाए तथा जम्मू कश्मीर राज्य की (मौजूदा) 37 पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम और जम्मू कश्मीर में आईटीआई (ज) की स्थापना और सुदृढ़ीकृत किया जाए। जम्मू में एक नई महिला आईटीआई खोलने का प्रस्ताव है। कार्यान्वयन पूरा होने के बाद आईटीआई की प्रवेश क्षमता पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू व कश्मीर में बढ़कर क्रमशः 7244 से 16144 और 4364 से बढ़कर 6200 हो जाएगी। तीन और नये आईटीआई स्थापित करने का अनुमोदन हुआ है (2) सिक्किम में और (1) असम में सीएसएस का कुल परिव्यय (i) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 113.70 करोड रूपए और (ii) जम्मू कश्मीर के लिए 37 करोड़ रखा गया है। अक्तूबर से मार्च, 2009 के बीच 13.32 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। दुर्गम तराई एवं मौसम की दशाओं के कारण निर्माण कार्य एवं उपस्करों का प्रापण भी प्रभावित हुआ और परिणामस्वरूप परियोजना की अवधि को मार्च, 2010 तक बढ़ा दिया गया।

"सार्वजनिक निजी सहभागिता के माध्यम से 1396 सरकारी आईटीआई (ज) का क्रमोन्नयन" संबंधी स्कीम

5.23 संघीय बजट भाषण 2007-08 में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से उत्कृष्टता केन्द्रों के रुप में 1396 सरकारी आईटीआईज़ के उन्नयन के लिए एक स्कीम की घोषणा की गई थी । स्कीम में परिकल्पना की गई है कि उन्नयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक सरकारी आईटीआई के साथ एक औद्योगिक साझेदार अथवा इसके अध्यक्ष के रुप में इसके प्रतिनिधियों को लेकर एक संस्था प्रबंधन समिति का गठन/पुनर्गठन किया जाएगा तथा सोसाइटी के रुप में पंजीकरण किया जाएगा। 31 मार्च, 2010 तक 300 आईटीआई की प्रशिक्षण अवसंरचना को अपग्रेड करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए तक को ब्याज मुक्त ऋण सीधे ही आईएमसी सोसाइटी को दिया जाएगा ।आईएमसी को आईटीआई में कुल प्रवेश का 20% निर्धारित करने के लिए शक्तियां प्रदान की जाएगी । आईटीआई के मामलों के प्रबंधन के लिए आईएमसी को वित्तीय तथा अकादमिक स्वायत्तता दी जाएगी । आईटीआई का स्वामित्व राज्य सरकार के पास बरकरार रहेगा तथा आईएमसी द्वारा निर्धारित की जाने वाली 20% प्रवेश को छोड़कर,बाकी प्रवेशों तथा फीस को विनियमित करता रहेगा। विभिन्न पणधारियों के बीच करारनामे पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के लिए स्कीम का कुल संशोधित परिव्यय 35550 करोड़ रूपए रखा गया है। 282.5 करोड़ रूपए की राशि को ब्याज मुक्त रखा गया है जिस 113 आईटीआई (ज) को जारी कर दिया गया है और अतिरिक्त 467.5 करोड़ रूपए की राशि शेष रही। 187 आईटीआई (ज) को 31 मार्च, 2010 तक जारी कर दिया जाएगा।

संलग्नक 5.1

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में (मार्च, 2009 के अंत तक) सीट क्षमता सहित आईटीआईज़/आईटीसीज़ की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सरकारी		निजी		कुल	
		आईटीआईज़ की संख्या	सीट क्षमता संख्या में	आईटीसीज़ की संख्या	सीट क्षमता संख्या में	आईटी आई/ आईटी सीज़	सीट क्षमता संख्या में
1		3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
i	चंडीगढ़	2	952	0	0	2	952
2	दिल्ली	16	9660	56	3772	72	13432
3	हरियाणा	81	19992	77	7064	158	27056
4	हिमाचल प्रदेश	66	6740	60	4780	126	11520
	जम्मू व कश्मीर	37	4087	1	110	38	4197
6	पंजाब	94	19284	123	11216	217	30500
7	राजस्थान	112	11568	464	42383	576	53951
8	उत्तर प्रदेश*	239	29372	309	36254	548	65626
9	उत्तराखंड	58	6331	26	2358	84	8689
	उप-जोड़	**705**	**107986**	**1116**	**107937**	**1821**	**215923**
	दक्षिणी क्षेत्र						
10	आंध्र प्रदेश	88	22270	457	89068	545	111338
11	कर्नाटक	149	25170	903	66702	1052	91872
12	केरल	34	15228	443	47706	477	62934
13	लक्षद्वीप	1	96	0		1	96
14	पुदुचेरी	6	1320	9	508	15	1828
15	तमिल नाडु	60	21832	615	60846	675	82678
	उप-जोड़	**338**	**85916**	**2427**	**264830**	**2765**	**350746**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र						
16	अरुणाचल प्रदेश	5	512	0	0	5	512
17	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	273	0	0	1	273
18	असम	28	5696	3	80	31	5776
19	बिहार	34	11433	161	22425	195	33858
20	झारखंड	19	4672	78	17384	97	22056
21	मणिपुर	7	540	0	0	7	540
22	मेघालय	5	622	2	320	7	942
23	मिजोरम	1	294	0	0	1	294
24	नगालैंड	8	928	0	0	8	928
25	उड़ीसा	25	8176	431	70004	456	78180
26	सिक्किम	1	212	0	0	1	212

27	त्रिपुरा	8	816	0	0	8	816
28	पश्चिम बंगाल	51	12412	21	1144	72	13556
	उप जोड़	**193**	**46586**	**696**	**111357**	**889**	**157943**
29	**छत्तीसगढ़**	73	9264	23	2608	96	11872
30	दादर व नागर हवेली	1	228	0	0	1	228
31	दमन व दीव	2	388	0	0	2	388
32	गोवा	10	3120	4	364	14	3484
33	गुजरात	150	55980	332	19448	482	75428
34	मध्य प्रदेश*	150	24414	51	8290	201	32704
35	महाराष्ट्र	375	74268	260	30900	635	105168
	उप जोड़	**761**	**167662**	**670**	**61610**	**1431**	**229272**
	कुल जोड़	**1997**	**408150**	**4909**	**545734**	**6906**	**953884**

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2008-09, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

नोटः महाराष्ट्र* -149 सरकारी आईटीआई (ज) में एससीवीटी के तहत संचालित 48 सरकारी आईटीआई भी शामिल हैं तथा उत्तर प्रदेश* -239 सरकारी आईटीआई (ज) में एससीवीटी के तहत संचालित 100 सरकारी आईटीआई भी शामिल हैं।

अध्याय-6

सामाजिक न्याय

6.1 सरकार सदैव सामाजिक रूप से वंचित रहे समूहों जैसे - अनु0जा/ अनु0ज0जा0 (एससी/ एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अल्पसंख्यक और अन्य असुरक्षित समूहों, जिनमें असहाय व्यक्ति और नशाखोर, बुजुर्ग व्यक्ति और गैर अधिसूचित जनजातीय लोग भी शामिल को सशक्तबनाने के लिए प्राथमिकता देती रही है। इन समूहों के सशक्त बनाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन और विकासशील कार्यक्रमों और उनके सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से उनका समाज - आर्थिक विकास किया जाता है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

6.2 नोडल एजेंसी के नाते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अनुसूचितजातियों, असहाय वयक्तियों, अन्य सामाजिक सुरक्षा समूहों की देखरेख विभिन्न हस्तक्षेप उपायों जैसे एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति, छात्रावास सुविधाएं और अन्य प्रोत्साहन प्रदान कर उनकी शिक्षा आदि जारी रखी जाती है और आर्थिक आत्म निर्भरता के लिए उधार आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु उनका आर्थिक विकास किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के विधानों जैसे सिविल सुरक्षा अधिकार अधिनियमध् 1955, अनु0जा0, अनु0ज0जा0 (उत्पीड़न से बचाव) अधिनियम, 1989, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केंद्रीय और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों दोनों के लिए 2400 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है। कुल परिव्यय के क्षेत्रकवार वर्गीकरण में शामिल है- एससी (ज) के लिए 1815.50 करोड़ रूपए, ओबीसी हेतु 237.50 करोड़ रूपए असहाय वयक्तियों के लिए 255.00 करोड़ स्पए और सामाजिक संरक्षा के लिए 92.00 करोड़ रूपए। 2008-09 के दौरान कुल 2356.47 करोड़ रूपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई, जो 98.2% सदुपयोग दर्शाता है। 2009-10 के लिए 2500.00 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया। स्कीमवार वर्गीकरण संलग्नक 6.1 पर दिया गया है।

6.3 वर्ष 2008-09 के दौरान वित्तीय और भौतिक उपलब्धियों की क्षेत्रवार एवं स्कीमवार समीक्षा और वर्ष 2009-10 के लिए आबंटन निम्न प्रकार हैः-

अनुसूचित जातियां (एससी) (ज़)

6.4 भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 16.23% है, जो देश के विभिन्न भागों में रहते हैं और उन में 80% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अनुसूचित जातियों में व्याप्त समाज - आर्थिक पिछड़ेपन के समाधान के लिए सरकार ने त्रि-सूत्रीय रणनीति अपनाई है यानि सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और उनके बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए, ताकि उन्हें समाज के अन्य लोगों के बराबर लाया जा सके।

सामाजिक सशक्तिकरण

6.5 नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एससीज) की शिक्षा के विकास के लिए प्रोत्साहन सहायता सुविधाएं पहुंचा रही है। अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का कार्यान्वयन

1977-78 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि अस्वच्छ व्यवसाय में लगे लोगों के बच्चों की वित्तीय सहायता पहुंचा कर उन्हें मैला उठाने के परम्परागत धन्धे से मुक्त कराया जा सके। स्कीम के तहत राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान इस स्कीम के तहत 6.22 लाख विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 54.00 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई। वर्ष के दौरान 59.27 करोड़ रूपए की राशि व्यय हुई, जो आबंटन से अधिक थी। वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान इस स्कीम के लिए 80.00 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया।

6.6 अनुसूचित जातियों के बीच उच्चतर शिक्षा के विकास के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना एक प्रमुख शिक्षा स्कीम का कार्यान्वयन किया जाता है। इस योजना के तहत सभी पात्र एससी विद्यार्थियों को छात्रबृत्ति मुहैया कराने की वचनबद्धता दायित्वों के अलावा राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत अनुसूचित जातियों में शिक्षा के और अधिक विकास की दृष्टि से एससी (ज) विद्यार्थियों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पशु चिकित्सा, कृषि पॉलीटैक्निक्स, चार्टरर्ड एकाउंटेंसी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बायो पाठ्यक्रम और कानूनी पाठ्यक्रमों संबंधी शिक्षा जारी रखने के लिए पाठ्यपुस्तकों संबंधी "बुक सरेजलर" के तहत एससी (ज) विद्यार्थियों को पुस्तकों की आपूर्ति की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान 645.49 करोड़ की राशि एससी छात्रों को पीएमएस के संवितरण के लिए राज्यों /संघ शासित क्षेत्रों को जारी की गर्ठ जबकि आबंटन 750 करोड़ था, जिसके अंतर्गत 35 लाख एससी विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना था। एससी छात्रों को पीएमएस के वितरण के लिए 2009-10 के लिए 750 करोड़ का आबंटन किया गया है।

6.7 अनुसूचित जातियों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की ऊंची दर में कमी लाने और प्रतिधारण दरों में वृद्धि करने के लिए मिडिल, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उनके लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल सुविधाओं के रूप में एक बड़ी सहायता सेवा मुहैया कराई जाती है। स्कीम के अन्तर्गत राज्यों को मैचिंग आधार (50 : 50) पर और संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत तक की केन्द्रीय सहायता हॉस्टल भवनों के निर्माण के लिए प्रदान की जाती है। एससी लड़कियों की शिक्षा की स्थिति में और अधिक सुधार की दृष्टि से प्रयासों में वृद्धि करने हेतु एससी लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण हेतु केंद्रीय निधियन को 2007-08 में 50% से बढ़ा कर 100% कर दिया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान एससी लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के लिए क्रमशः 40 करोड़ एवं 55 करोड़ का आबंटन किया गया जो कि 3,138 लड़कों के आवास के लिए 45 और 4938 एससी लड़कियों के आवास हेतु 67 छात्रावासों के लिए था। वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान लड़कों और लड़कियों के लिए क्रमशज् 40 करोड़ एवं 60 करोड़ का आबंटन कियागया।

6.8 कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम के अन्तर्गत, परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों और निजी संस्थानों/ विश्वविद्यालयों के माध्यम से अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़े वर्गो/ अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को निशुल्क कोचिंग सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, ताकि वे सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य उम्मीदवारों के साथ स्पर्धा कर सकें। इस स्कीम के अन्तर्गत 2007-08 के दौरान स्कीम को संशोधित किया गया ताकि राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों वि0वि0 एलजीओ और प्रतिष्ठित निजी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग केंद्रों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता को सीधे ही 50% से 100% किया जा सके। 8.00 करोड़ यपए के परिव्यय के मुकाबले 3.99 करोड़ की राशि

उन केंद्रों को अनुदान के रूप में जारी की गई जिसके तहत 3223 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 8.00 करोड़ रूपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

6.9 एम.फिल व पी.एच.डी जैसे उच्च अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रत्येक वर्ष 1333 फैलोशिप प्रदान करने के लिए 2005 में शुरू किया गया अनुसूचित जाति राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा था। 2008-09 के दौरान मांग के आधार पर 75.00 करोड़ के आबंटन की तुलना में इस स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति छात्रों को फैलोशिप देने के लिए 87.94 करोड़ रूपए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को जारी किए गए थे। अ.जा. के छात्रों की तीव्र मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2007-08 के दौरान 88.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। 2009-10 के दौरान स्कीम के तहत 75.00 करोड़ की राशि आबंटित की गई।

6.10 2007-08 के दौरान नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप नामक स्कीम (जो पहले गैर योजनागत स्कीम थी) को योजनागत रूप से शुरू किया गया ताकि विदेशों में पढ़ाई करने के लिए एससी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी व्याप्ति और क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। उच्चस्थ श्रेणी शिक्षा के लिए अन्य नई स्कीम भी 2007-08 में इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई तथा एससी और एसटी छात्रों में उन्हें 12वीं कक्षा से ऊपर शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्हें क्वालिटी शिक्षा के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर उत्कृष्ट संस्थाओं के माध्यम से क्वालिटी शिक्षा का विकास किया जा सके। इन संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले एससी छात्र को निम्न की पूर्ति के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी (i) पूर्ण अध्ययन शुल्क (ii) आवासीय खर्च, जिस में संस्थान का बोर्डिंग और लॉजिंग व्यय शामिल है (iii) पुस्तकें और स्टेशनरी (iv) कंप्यूटर।

आर्थिक सशक्तिकरण

6.11 अनुसूचित जातियों के कमजोर समूहों और सफाई कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में उन्हें उचित सहयोग एवं सहायता पहुंचाने का विचार किया गया है कि ताकि वे आय अर्जन गतिविधियां शुय कर सकें और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें। अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) को विशिष्ट केंद्रीय सहायता की स्कीम के तहत, राज्यों को केंद्रीय सहायता, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के यप में प्रदान की जाती है, ताकि उनकी उत्पादकता और आय में वृद्धि की दृष्टि से अवसंरचनात्मक विकास में महत्वपूर्ण अंतराल को भरा जा सके। स्कीम के तहत राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या सापेक्ष पिछड़ेपन और एससी रणनीति के निष्पादन के आधार पर 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। 480 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान के मुकाबले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 601.60 करोड़ जारी किए गए, जो इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहे हैं, इस प्रकार से 4.36 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया (13 राज्यों से सूचना प्राप्त हुई)। 6.00 लाख परिवारों को लख्य बनाते हुए वर्ष 2009-10 के लिए 480.00 करोड़ का आबंटन किया गया।

6.12 एससीएसपी को विशेष केंद्रीय सहायता (एससी) के अलावा राष्ट्र और राज्य स्तरीय वित्त एवं विकास निगम एससी (ज) और सफाई कर्मचारियों को आय अर्जन गतिविधियां शुरू करने के लिए उधार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे उनका आर्थिक

विकास होता है। राज्य और राज्य स्तर पर सहयोग निगम व्यवस्था में शामिल हैं - (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), (ii) राज्य एससी विकास निगम (एनसीडीसी) (iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)। एनएसएफडीसी बेरोजगार युवकों को अपने एससीए के माध्यम से अनुसूचित जाति के लक्षित बेरोजगार युवकों को उभरते क्षेत्रों जैसे वस्त्र प्रौद्योगिकी, कंपयूटर प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक टैस्ट इंजीनियरिंग, मोबाइल फोन रिपोयर्स, बीपीओ कॉल सैंटर्स और ऑटोमोबाइल्स रिपेयर्स आदि में दक्षता और उद्यमशील प्रशिक्षण प्रदान करता है। लाभार्थियों को नियोजन सहायता और उद्यमशीलता मार्ग दर्शन भी प्रदान किया जाता है, ताकि वे एनएसएफडीसी और एससीए (ज) से रियायती वित्त पाकर अपने उद्यम शुरू कर सकें। 2008-09 के दौरान एनएसएफडीसी की प्राधिकृत हिस्सेदारी पूंजी को इक्विटी सहायता के यप में 45 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। एससीडीसी (ज) राज्य स्तर पर गारंटर्स और प्रोमोटर्स के रूप में कार्य करते हैं, ताकि एससी लाभार्थियों को विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मार्जिन राशि संबंधी ऋण और सब्सिडी प्रदान की जा सके। केंद्र सरकार एससीडीसी (ज) की शेयर पूंजी निवेश में 49% की सहभागी है और राज्य सरकार के पास 51% शेयर रहता है। एससीडीसी मुख्य रूप से कृषि और विविध क्षेत्रों लघु सिंचाई, व्यापार और सेवाओं, परिवहन और स्वरोजगार सकीमों में रोजगार अभिमुखी स्कीम शुरू करता है। एससीडीसी (ज) को 20.00 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए थे। एससीडीसी (ज) को 20 करोड़ रूपए के परिव्यय के मुकाबले 19.00 करोड़ जारी किए गए, जिससे लगभग 7.10 लाख अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

6.13 हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्स्थापन के लिए जनवरी, 2007 में स्वरोजगार स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम का उद्देश्य है कि हाथ से मैला उठाने वालों को समयबद्ध रूप से वैकल्पिक व्यवसाय लेने में सहायता मिल सके। पहचान किए मैला उठाने वालों को प्रशथक्षण, ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एनएसकेएफडीसी या अन्य पहचान की एजेंसियों के माध्यम से शीर्षस्थ स्तर पर राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों या राज्य स्तरीय अन्य पहचान की गई एजेंसियों के माध्यम से बैंकों को ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। एनएसकेएफडीसी या स्कीम के तहत पहचान की गई किसी अन्य एजेंसी स्कीम के तहत सभी गतिविधियां शुरू करेगी और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी ताकि लाभार्थियों का अधिकतम हित हो सके। इस प्रख्यात सूक्ष्म वित्त संस्थानों और एनजीओ (ज) को सूक्ष्म वित्त पोषण स्कीमों में वित्त नेवेश के लिए स्वयंसहायता समूहों द्वारा सहायता की जाती है। प्रख्यात विशेक्षज्ञ प्रशिक्षण संस्थानों को भी सरकारी संस्थानों के साथ साथ लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने में शामिल किया जाता है। लक्ष्य रखा गया है कि शेष रहे मैला उठाने वालों को मार्च, 2009 तक पुनर्स्थापित कर दिया जाए। अतः यह निणय लिया गया है कि इस स्कीम को जनवरी 2010 तक बढ़ा दिया जाए। 2008-09 में आबंटित राशि का 100% सदुपयोग करते हुए 100.00 करोड़ रूपए का व्यय किया गया। 2008-09 के दौरान पहचान किए 3,99,567 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया और 33,890 को पुनर्स्थापन के लिए ऋण प्रदान किया गया। 2009-10 के दौरान 50000 मैला उठाने वालों को लाभ देने के लिए 97.00 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया।

सामाजिक न्याय

6.14 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न से बचाव) अधिनियम, 1989, ऑन दा स्पोट ट्रायल्स के लिए विशेषज्ञ कोर्ट्स/ मोबाइल कोर्ट्स का प्रावधान करता है। एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम भी कार्यान्वयन अधीन रही है, जहां प्रशासनिक, प्रवर्त्तन, न्यायिक तंत्र, प्रचार के सुदृढ़ीकरण और प्रभावित हुए व्यक्तियों को राहत पहुंचाने और उनके पुनर्स्थापन के लिएवित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पुडुचेरी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इसी प्रकार, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न से बचाव (अधिनियम, 1989) के अंतर्गत मामलों की द्रुत सुनवाई के लिए विशेष रूप में 151 विशेष कोर्ट आंध्र प्रदेश (12), बिहार (11), छत्तीसगढ (7), गुजरात (10), कर्नाटक (7), मध्य प्रदेश (29), राजस्थान (17), तमिलनाडु (4) और उत्तर प्रदेश (4) स्थापित की गई हैं।

अनसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) का कार्यान्वयन

6.15 यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति के हितों की अनदेखी नहीं की जा रही है, एससी (ज) के लिए विशेष व्यवस्था यानि विशेष घटक योजना (एससीपी), और एससीपी (ज) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) 1978 में शुरू की गई थी, ताकि संबंधित विकासशील क्षेत्रकों से जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निधि का संवर्धन और निर्धारण किया जा सके। सभी राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों एवं केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को दिशा निदेश जारी कर दिए गए हैं कि (i) वे अपने राज्य में एससी/ एसटी सजनसंख्या के अनुसार एससीएसपी और टीएसपी के तहत वार्षिक योजना और पंचवर्षीय योजना में अलग से निधि का निर्धारण करें (ii) अलग बजट शीर्ष बनाए, (iii) अलग दस्तावेज तैयार करें। 28 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों में से 24 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एससीएसपी का कार्यान्वयन किया जा रहा है। 3,00,589.63 करोड़ रूपए की कुल आबंटन के मुकाबले 42,742.29 करोड़ का परिव्यय एससीएसपी के लिए निर्धारित किया गया (जैसे कि राज्य सरकारों से सूचनाप मिली है)। कुल व्यय 31,780.85 करोड़ रूपए हुआ। व्यय बजट का विवरण 21 (खंड-1) कि एससी/ एसटी के लिए रखे गए आबंटन के बारे में सूचनाएं दर्शाता है।

तालिका 6.1 वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं विकास संबंधी परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	मद	वार्षिक योजना 2008-09		वार्षिक योजना 2009-10
		बीई	वास्तविक खर्च	बीई
1.	अनुसुचित जातियों का कल्याण और विकास	1815.80	1806.98	1805.00
	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	846.80	1048.18	
	(ii) केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस)	969.00	858.80	1003.00
	(iii) एससीएसपी को एससीए	480.00	601.59	480.00

नोडल एजेंसी के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए बनाई गई इन विशेष रणनीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में गहन निगरानी रखेगा।

6.16 अनुसूचित जाति के कल्याण एवं विकास के लिए 2008-09 और 2009-10 के दौरान रखे गए परिव्यय और व्यय का सारांश तालिका 6.1 में दिया गया है।

अनूसचित जनजातियां

6.17 भारत की जनगणना 2001 के अनुसार देश में अनूसचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 8.2% है वे 30 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं। समाजिक, आर्थिक और शिक्षा के विकास की दृष्टि से शेष सामान्य जनसंख्या के मुकाबले ये समूह काफी पीछे हैं। इस प्रकार उनके लिए उनके उचित विकास के लिए विभिन्न विकासात्मक उपायों के माध्यम से विशेष हस्तक्षेप की जरूरत है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

6.18 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान कुल 16 स्कीमों, जिन में 12 केंद्रीय क्षेत्रक की स्कीमें और 4 केंद्र प्रायोजित स्कीमें हैं, का कार्यान्वयन नोडल एजेंसी यानि जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा किया गया, जो जनजातीय लोगों के कल्याण, विकास और उनके सशक्तिकरण के लिए थीं। वर्ष 2008-09 में केंद्रीय स्कीमों और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए कुल 805 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया। इसके अलावा, जनजातीय उपयोजना हेतु विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 900.00 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई और 1000 करोड़ रूपए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में अतिरिक्त केंद्रीय सहायतार्थ प्रदान की गई।

6.19 2009-10 के दौरान 805 करोड़ का परिव्यय केंद्रीय और केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए जनजातीय मामलों के लिए निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए 900.50 करोड़ रूपए विशेष केंद्रीय सहातया के रूप में और संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान सहातया 1000 करोड़ रूपए रखे गए। वर्ष 2008-09 के लिए योजना परिव्यय और खर्च तथा 2009-10 के परिव्यय का स्कीमवार संवितरण संलग्नक 6.2 में दिया गया है।

सामाजिक सशक्तिकरण

6.20 अनुसूचित जातियों के शिक्षा के विकास हेतु मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां (पीएमएस), बुक बैंक ओर एसटी छात्रों की योग्यता का क्रमोन्नयन किया जा रहा है। राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को 100% केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जो उनकी वचनबद्ध की गई जिम्मेदारियों से कहीं ऊपर है। 2008-09 के दौरान 195 करोड़ रूपए के परिव्यय के मुकाबले 226 करोड़ रूपए जारी किए गए, जिसके तहत लगभग 11.45 लाख रूपये अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 24 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में लाभन्वित किया गया।

तालिका 6.2 : वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास संबंधी परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	मद	वार्षिक योजना 2008-09		वार्षिक योजना 2009-10
		बीई	वास्तविक खर्च	बीई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण एवं विकास	805.00	780.87	805.00
i)	(i) केन्द्रीय क्षेत्रक (सीएस)	502.00	410.64	441.00
ii)	(ii) सीएसएस	303.00	332.18	364.00
II	टीएसपी को एससीए	900.00	780.87	900.50
III	संविधान का अनुच्छेद 275(1)	416.00	339.78	1000.00
IV	अनुसूची क्षेत्र-V और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातीय बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए एससीए	-	-	500.00

6.21 एक तरफ शैक्षिक विकास के लिए नामांकन और प्रतिधारण को प्रोत्साहित करते हुए और दूसरी तरफ बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर पर रोक लगाने के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता दर पर ध्यान केन्द्रित करते हुए 1989-90 में अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों की एक स्कीम शुरू की गई थी। 20,326 सीटों की क्षमता सृजित करते हुए अनुसूचित जनजाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु राज्यों को 65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

6.22 टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल एक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम है जो 21 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। जनजातियों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जन-जाति की लड़कियों, आदिम जनजातियों (पीटीजी) के बच्चों, प्रवासी और खानाबदोश अनुसूचित जन-जातियों पर ध्यान सहित रिहायसी सुविधाएं सृजित की जाती हैं।

केन्द्र द्वारा राज्यों को 50 प्रतिशत का मैचिंग हिस्सा प्रदान किया जाता है तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सहायता मुख्यतः आश्रम स्कूल भवनों, छात्रावासों और स्टॉफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए दी जाती है। 2008-09 के लिए आश्रम स्कूलों के लिए आश्रम स्कूलों के निर्माण हेतु 30.00 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया, जिसके जरिए 16,850 प्रवेश सीटें सृजित की गईं।

6.23 एनजीओ, राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संस्थाओं, स्थानीय निकायों और सहकारी समितियों, आदि के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों को औपचारिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्न साक्षरता पाकेटों में शैक्षिक परिसर कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत 11 राज्यों के 136 जिलों को कवर किया गया है। 2008-09 में इसके लिए 60.00 करोड़ रुपये की राशि का बजट आबंटन के विपरीत 40.00 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

6.24 राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम के तहत प्रत्येक वर्ष एसटी छात्रों के लिए 667 फैलोशिप निर्धारित की गई हैं, ताकि वे एमफिल और पीएचडी की डीग्रियां हासिल कर सकें। वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीम के लिए 29.00 करोड़ रूपए के आबंटित परिव्यय के मुकाबले 31.03 करोड़ रूप्ए की राशि जारी की गई और वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 40.00 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

6.25 वर्ष 2007-08 में दो नई स्कीम, जो पहले गैर योजनागत स्कीम थी, उसे उसकी व्याप्ति और क्षेत्र में विस्तार को बढ़ाने के लिए योजनागत स्कीम के रूप में बदल दिया गया, ताकि एसटी छात्रों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिंए प्रोत्साहित किया जा सके। उच्च श्रेणी शिक्षा की अन्य न्यू स्कीम इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई कि ताकि एसटी के छात्रों को उत्कृष्टता वाली संस्थाओं में कक्षा 12 से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके और उसको मान्यता दिलाई जा सके।

आर्थिक सशक्तिकरण

6.26 अनुसूचित जनजातियों के सशक्तिकरण, विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण होने के कारण इसे वार्षिक योजना 2006-07 के दौरान रोजगार संवर्धक और आय सृजक कार्यकलापों के माध्यम से उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। अधिक उत्पादक ढंग से आय और रोजगार सृजन कार्यकलाप शुरू करने के लिए अनुसूचित जातियों की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण और दक्षता उन्नयन पर भी विशेष बल दिया गया था। वर्तमान शीर्ष संगठनों अर्थात् (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), (ii) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (ट्राइफेड), और (iii) राज्य अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम (एसएसटीडीएफसीएस) को परिव्यय बढ़ाकर मजबूत बनाया गया है। उम्मीद है कि ये निगम और सहकारिताएं लघु स्तर की एजेंसियों को ऋण तथा विपणन सुविधाओं के लिए " अग्र" और " पश्च" दोनों लिंकेज प्रदान करने के अलावा उत्प्रेरक एजेंसियों की भूमिका निभाएंगी।

6.27 एनएसटीएफडीसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रूपए है। एनएसटीएफडीसी को 50.00 करोड़ रूपए की राशि वार्षिक योजना 2008-09 में जारी की गई, ताकि एसटी छात्रों के लिए आय और रोजगार सृजित करने वाली गतिविधियां शुरू करने हेतु सहायता की जा सके।

6.28 भारतीय जनजाति सहकारी विपणन संघ लि0 (ट्राइफेड) की स्थापना 1987 में अनुसूचित जनजातियों को विपणन सहायता और गौण वन उत्पादों की लाभप्रद कीमतें प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2005-06 में ट्राइफेड ने जनजातियों के आजीविका अवसरों में सुधार के लिए i) आय सृजन ii) दक्षता उन्नयन, और iii) जंगलों से प्राप्त शहद का संग्रहण, वैज्ञानिक खेती और पैदावार प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण, गम कराया का वैज्ञानिक ढंग से दोहन, सफेद मूसली और स्टेविआ की खेती के कार्यकलाप शुरू किए थे।

6.29 अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में केन्द्र राज्य जनजातीय विकास सहकारी निगम (एसटीडीसीसीएस) को सहायता अनुदान स्कीम के

तहत एसटीडीसी जनजातीय लाभार्थी से (i)लाजिस्टिक्स की सम्मिलित सहायता के साथ (ii) एमएफपी के प्रापण के राज्यों के प्रयास को सहायता देने, (iii) वेयरहाउस सुविधाओं, उपयोग ऋण प्रदानगी, (iv)मूल्य संवर्धन व अन्य लिंकेजों के लिए एसटीडीसीसी को सहायता देने के लिए निधियाँ मुहैया कराना रहा है।

6.30 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान की स्कीम जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के समाजार्थिक विकास के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को दुर्गम और पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों में अत्यावश्यक स्वैच्छिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय व अन्य सहायता प्रदान करते हुए कार्यान्वित की जा रही हैं। इन एनजीओ(ज़) द्वारा इस स्कीम के तहत विभिन्न कल्याण और विकास परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, जिनमें रिहायसी स्कूल, छात्रावास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मेडिकल चल औषधालय, कम्प्यूटर प्रशिक्षण यूनिट, आशुलिपि व टाइपिंग प्रशिक्षण, बालवाड़ी/शिशुगृह, आदि शामिल हैं। स्कीम के अन्तर्गत प्रदान किया जाने वाला अनुदान परियोजना की कुल अनुमोदित लागत का सामान्यतः 90 प्रतिशत तक सीमित होता है तथा 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जाता है। वार्षिक योजना 2008-09 में स्कीम के लिए 34.50 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई थी। इसी वर्ष स्कीम के अन्तर्गत 469 स्वैच्छिक एजेंसियों और एनजीओ को सहायता प्रदान की गई।

सामाजिक न्याय

6.31 15 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में पहचान किए गए 75 प्राचीनजनजातीय समूह (पीटीजी), 1991 में जिनकी जनसंख्या 1.32 मिलियन थी। ये पीटीजी (ज) भीतरी और दुर्गम स्थानों में रहते हैं। इन दुर्गम क्षेत्रों में बनेरहने के लिए घटते संसाधनों के कारण भुखमरी, कुपोषण और बुरे स्वास्थ्य की दृष्टि से असुरक्षित हैं। उनमें से कुछ तो समाप्ति के कगार पर हैं। अतः पीटीजी (ज) के विकास की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत अनेक विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन पीटीजी (ज) के विकास हेतु विभिन्न कार्याक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को 192.07 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।

6.32 "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत बनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006" को लागू करने के लिए सरकार ने अनेक प्रमुख पहलें शुरू की हैं और उसे 2.1.2007 को भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया है। मंत्रालय ने 19 जून, 2007 को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु नियम भी अधिसूचित किए हैं। अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त प्रमुख अधिकार, अन्य के साथ-साथ वन भूमि में कृषि करने का अधिकार जो कब्जे में हो, (जो 4 एकड़ से अधिक नहीं हो), स्वामित्व का अधिकार, लघु वन उत्पाद का उपयोग करना, एकत्रित करना और उसका निपटान करना, वनों के भीतर के अधिकार जैसे - रिति - रिवाज एवं परंपरा के अनुसार प्रशु चराना आदि।

अन्य पिछड़ी श्रेणियां/ वर्ग (ओबीसीज)

6.33 श्री बी. पी. मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग (1980) ने 1931 की जनगणना को अपनी संगणना का आधार बनाते हुए यह अनुमान लगाया था कि जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसीज़) का प्रतिशत 52 प्रतिशत है। भारत में सामाजिक वर्गों के बीच रोजगार व बेरोजगारी की स्थिति संबंधी एनएसएसओ 61वें दौर (जुलाई, 2004 से जून, 2005) की रिपोर्ट में हाल ही में जनसंख्या में ओबीसीज़ का प्रतिशत 41 प्रतिशत होने का अनुमान प्रस्तुत किया गया था। जनसंख्या

पर ओबीसी-वार राज्य वार डाटा और महत्वपूर्ण व जनसांख्यिकी चर (वेरियेबल्स) उपलब्ध नहीं हैं। इनकी अनुपलब्धता अन्य पिछड़े वर्गों के विकास के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करने में मुख्य बाधा है। ओबीसी (ज) सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में फैले हैं। ओबीसीस (ज) को सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की दृष्टि से समाज के पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सामाजिक सशक्तिकरण

6.34 एक प्रभावी तर्कसम्मत दृष्टिकोण के माध्यम से ओबीसी(ज़) के शैक्षिक विकास पर संकेन्द्रित ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से, वर्ष 2008-09 के दौरान ओबीसीज़ के लिए मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्कीमों का कार्यान्वयन जारी रखा गया। इन स्कीमों के तहत किया गया व्यय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 17.00 लाख ओबीसी छात्रों और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत 12.00 लाख ओबीसी छात्रों को लाभ के साथ 32.17 करोड़ रुपये और 180 करोड़ रुपये था। इन स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए क्रमशः 30.00 करोड़ रुपए और 135.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

6.35 शैक्षिक रूप से पिछड़े ओबीसीज़ में पढ़ाई छोड़ देने वालों की उच्च दर को कम करने और उनकी प्रतिधारण दर को बढ़ाने के लिए, मिडिल, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में उनके लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास सुविधाओं के रूप में प्रमुख सहायता सेवा मुहैया कराई जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत, छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए राज्यों को मौलिक आधार (50 : 50) और संघ राज्य क्षेत्रों में 100 प्रतिशत की सीमा तक केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान 8,315 ओबीसी लड़कों और लड़कियों के लिए 117 छात्रावासों के निर्माण के लिए 34.55 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के दौरान 35.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

आर्थिक सशक्तिकरण

6.36 जमीनी स्तर पर रोजगार और आय सृजक लक्षित वर्ग, विशेष रूप से महिला लाभार्थियों के पक्ष में क्रेडिट सुविधाओं के सुधार के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) ने राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए(ज) और प्रत्यायित एनजीओ(ज) के माध्यम से या तो सीधे-अथवा स्व-सहायता दलों के माध्यम से माइक्रो फाइनेंसिंग को अपनाया है। वर्ष 2009-10 के लिए 35.00 करोड़ रूपए का आबंटन रखा गया।

6.37 गैर सरकारी संगठनों हेतु सहायता की स्कीम इन उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है- (i) लक्षित समूह की शिक्षा और समाज आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाया जाए यानि अन्य पिछड़े वर्गों में। (ii) उनकी दक्षता को क्रमोन्नत किया जाए ताकि वे स्वयं आ अर्जन गतिविधियां शुरू कर सकें या किसी एक या अन्य क्षेत्रक में लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें। 3.50 करोड़ रूपए के आबंटन के मुकाबले 2.83 करोड़ रूपए की राशि अनुदान के रूप में एनजीओ (ज) को जारी की गई, ताकि वे कार्यक्रम जारी रख सकें।

अल्पसंख्यक

6.38 संवैधानिक उपबंधों के अनुसरण में, सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार के उपाय उनकी भाषा, धर्म और संस्कृति को बचाने और उन्हें प्रोन्नत करने तक ही

सीमित नहीं है बल्कि उनके सामाजिक-आर्थिक विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास करना भी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, (एनसीएम) 1992 के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध और पारसियों सहित 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में अधिसूचित किया गया है। अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम, विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य समुदायों की तुलना में वे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी रही हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार हमारी 18.4 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है।

6.39 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए चालू स्कीम को जारी रखा। 2008-09 के दौरान नये अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय को 1,000 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। वर्ष के दौरान आबंटन में से 618.62 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। स्कीमवार वित्तीय उपलब्धियों के ब्यौरे संलग्नक 6.3 में दिए गए हैं।

6.40 शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) स्कूलों की स्थापना/विस्तार लड़कियों के लिए रिहायसी स्कूल/ कालेज, प्रयोगशाला भवनों का निर्माण, महिलाओं आदि के लिए कम्प्यूटर/व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना सहित विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को तैयार करता है और कार्यान्वित करता है। प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक लड़कियों पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ विभिन्न शैक्षिक विकास कार्यकलाप शुरू करने के लिए भी एनजीओज़ को अनुदान सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2008-09 के दौरान एमएईएफ की संग्रह निधि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया गया था। प्रतिष्ठान द्वारा 176 एनजीओ/स्थानीय निकायों को अनुदान सहायता और 12,064 बालिका विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम में किए गए वादे के अनुसार कार्पस निधि को और अधिक बढ़ाने के लिए 2008-09 के दौरान 60 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। 2009-10 के दौरान 115.00 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया था।

6.41 2007-08 में शुरू की गई स्कीम "योजना- सह- साधन आधारित छात्रवृत्ति" के तहत मंत्रालय को बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं, जो अधिस्नातक और स्नातक स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए है। 2009-10 के दौरान इस स्कीम के तहत 35000 छात्रवृत्तियां निर्धारित की गई थीं। इस प्रकार, अन्तर-राज्यीय छात्रवृत्ति स्थानांतरण भी स्वीकार्य है, बशर्ते कि इनका सदुपयोग उसी अल्पसंख्या समुदाय के लिए किया जाए। समुदायों के बीच अंतर - क्षेत्रकीय स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाती है। 2008-09 के दौरान 35,000 छात्रवृत्तियों का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तव में 26,195 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 2009-10 के दोरान 42,000 छात्रवृत्तियां निर्धारित की गईं। इस में से 23,881 छात्रवृत्तियां दिसम्बर, 2009 तक प्रदान की जा चुकी थीं।

6.42 मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां 2007-08 में शुरू की गई जिसके अंतर्गत 1.83 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई उसमें 1.02 लाख छात्राएं थी। 100.00 करोड़ रूपए के परिव्यय के मुकाबले 70.70 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई। इस स्कीम के तहत 50% की वृद्धि करते हुए 150.00 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई ताकि 2009-10 के दौरान प्रत्याशित 7.00 लाख

लाभार्थियों को कवर किया जा सके। मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्ति योजना 2008-09 के दौरान शुरू की गई जिसे वास्तव में अप्रैल, 2008 से कार्यान्वित किया गया। वर्ष 2008-09 के दौरान 80 करोड़ के परिव्यय के मुकाबले 62.31 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई और उसमें 5.13 लाख छात्रों को कवर किया गया जिसमें 2.61 छात्राएं थी। 2009-10 के लिए 200.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया। बहुक्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम भी देश में पहचान किये गये 90 संबंधित जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इन जिलों की पहचान जनगणना 2001 के आंकड़ों और पिछड़ेपन के मानदंडों जैसे धर्म और समाजार्थिक पिछड़ेपन के आधार पर की गई है, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि (i) अल्पसंख्यकों की समाज - आर्थिक दशाओं और इन जिलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना (ii) लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना (iii) असंतुलनों को कम करना (iv) 11वीं योजना के दौरान समावेशिता के समग्र लक्ष्य को हासिल करना। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान राज्य सरकारों के माध्यम से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 540 करोड़ यप्ए का प्रावधान किया गया। 47 जिला योजनाओं के लिए "विकास त्रुटि" के अंतराल को भरने के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु 270.96 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है, ताकि अल्पसंख्यकों को लाभा का मिलना सुनिश्चित हो सके।

6.43 अल्पसंख्यकों में कमजोर वर्ग के लोगों के रहने की दशाओं में विशेष रूप से सुधार करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) ने अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती वित्तीय सहायता देना जारी रखा है। वर्ष 2008-09 के दौरान एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी बढ़ाकर 750.00 करोड़ कर दी गई है, अब निगम के पास प्राधिकृत शेयर पूंजी 850.00 करोड़ रूपए है। इसमें भारत सरकार का हिस्सा 522.50 करोड़ रूपए है(65%) राज्य सरकार का हिस्सा 221.00 करोड़ रूपए (26%) और वैश्विक समूहों का हिस्सा 76.50 करोड़ रूपए (9%) है। एनएमडीएफसी ने 34985 लाभार्थियों को ऋण वितरित किये हैं, 2008-09 के दौरान 75.00 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया। इसके अतिरिक्त 2009-10 के दौरान एनएमडीएफसी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 850.00 करोड़ रूपए में 1000 करोड़ रूपए और बढ़ा दी गई है।

प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम

6.44 6.43 प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यकों के कल्याण, संरक्षण और विकास को सुनिश्चित करना था। नये कार्यक्रम का फोकस यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के लाभ अल्पसंख्यकों को भी समान रूप से प्राप्त हों। इसके लिए यह विकास परियोजनाओं के कतिपय भाग का अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित किया जाना निर्धारित करता है। इसमें यह नियत किया गया है कि जहाँ संभव हो, विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए उद्दिष्ट किया जाएगा। सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस नए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। पांच केन्द्रीय मंत्रालयों अर्थात् मानव संसाधन विकास (एचआरडी), श्रम व रोजगार (एलईएम), आवास व गरीबी उपशमन (एच एण्ड यूपीए), ग्रामीण विकास (आर डी) और महिला व बाल विकास को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्तरदायित्व दिए गए हैं। इन बहुविध-पहलों के परिणामों को मानीटर करने की स्पष्ट क्रियाविधि निर्धारित की गई है। यह कार्रवाई सचिवों की समिति (सीओएम) और मंत्रिमंडल द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर की जाएगी। अल्पसंख्यक

मामले मंत्रालय (एमएमए) कार्यान्वयन के समन्वयन और मानीटरिंग के लिए नोडल मंत्रालय है। मानीटरिंग के मुख्य तत्व होंगे- वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान, प्रत्येक कार्यक्रम और मंत्रालय के अन्तर्गत प्राप्य परिणाम योजना के आधार पर लक्ष्योन्मुखी मानीटरिंग, परिणाम लक्ष्यों को समयबद्ध एवं भिन्न-भिन्न स्थितियों के अनुसार निश्चित करना और तद्नुसार उन्हें मानीटर किया जाए, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय और बाह्य विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ताओं, दोनों, द्वारा किए जाने वाले नियमित मूल्यांकन अध्ययन, प्रमुख लक्षित राज्यों में मौजूदा पहचान किए गए संस्थानों के माध्यम से समवर्ती मूल्यांकन के लिए गुंजाइश, जिले से राज्य, राज्य से केन्द्र को नियमित और सही सूचना प्रवाह पर फोकस, अबाध वित्तीय प्रवाह और बाधाओं की नियमित पहचान पर फोकस, कार्यक्रम डिजाइनों की समीक्षा और संशोधन के लिए लचीलापन। प्रधान मंत्री का नया 15 सूत्री कार्यक्रम अर्ध वार्षिक आधार पर सचिवों की समिति और मंत्री परिषद द्वारा मॉनीटर किया जा रहा है।

अन्य असुरक्षित समूह

असहाय व्यक्ति

6.45 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में से 21.09 मिलियन या लगभग 2.2% लोग विकलांग होने का अनुमान है और इनमें से लगभग 75% विकलांग ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। जुलाई-दिसम्बर 2002 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के सर्वे के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 1.85 करोड़ था।

6.46 राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति नीति, जो 2006 में अपनाई गई थी, में निर्धारित है कि निजी क्षेत्रक में विकलांग व्यक्तियों के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन, पारितोषिक, कर छूट आदि मुहैया कराने के लिए प्रो-एक्टिव उपाय किए जाएंगे। श्रीनगर, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी और सुन्दरनगर में पांच संयुक्त पुनर्वास केन्द्र (सीआरसीज़) जनशक्ति विकास सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। और सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाओं को उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं। चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र (आरआरसीज़) रीढ़ की हड्डी की चोट वाले व्यक्तियों को चण्डीगढ़, कटक जबलपुर और बरेली में भी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। देश में जमीनी स्तर पर व्यापक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 199 जिला अपंगता पुनर्वास केंद्रों की स्वीकृति दी गइ है।

6.47 अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास और सेवा डिलीवरी कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए भारी जनशक्ति की उभरती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मंत्रालय ने सात राष्ट्रीय संस्थान (एनआईज) स्थापित किए हैं। इन संस्थानों के दबाव वाले क्षेत्र मानव संसाधन विकास, पुनर्वास सेवाएं, अनुसंधान कार्यकलाप और आउटरीच और सेवाओं का विस्तार है। 2008-09 के दौरान इन संस्थानों को 55 करोड़ रुपये और 2009-10 के लिए भी वही आबंटन रखा गया।

6.48 1986 में स्थापित भारतीय पुनर्वास परिषद् (आईसीआई), जनशक्ति विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पेशेवर व्यक्तियों के प्रशिक्षण में एक समान मानक लागू करने और अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता देने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त, आरसीआई विशेषज्ञ शिक्षकों और चिकित्सा पेशेवरों/कार्मिकों के प्रशिक्षण में भी लगी हुई है। हालांकि, अनिवार्य नहीं है फिर भी आरसीआई सभी पेशेवरों/कार्मिकों का केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर भी रखता है और पुनर्वास और विशिष्ट शिक्षा में

अनुसंधान भी मुहैया कराता है। 2008-09 के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे पूर्णतः उपयोग कर लिया गया। 2009-10 के दौरान इस स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी।

आर्थिक सशक्तिकरण

6.49 राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) को 24 जनवरी, 1997 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य स्व-रोजगार, उद्यमों के वित्तपोषण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और लाभर्थियों को उनके उद्यमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए तकनीक और उद्यमशीलता के उन्नयन में सहायता देना है। निगम आय सृजक कार्यकलाप शुरू करने के लिए शहरी क्षेत्रों में 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम की वार्षिक आय वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में 80,000 प्रति वर्ष की आय वाले अपंग व्यक्तियों को रियायती दर ऋण मुहैया कराता है। अपनी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत निगम ने अलग-अलग लाभर्थियों और स्व-सहायता दलों को भी सहायता दी है। एनएचएफडीसी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीएज) के माध्यम से कार्य करती है और इस समय 46 एससीएज प्रचालन में है। वर्ष 2008-09 के दौरान 6,086 लाभार्थियों को कवर करते हुए 30.29 करोड़ रूपए के ऋण संवितरित किए गए हैं।

स्वयंसेवी कार्रवाई

6.50 " विकलांग व्यक्तियों को सहायता वस्तुओं व उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता" स्कीम जिसे सामान्यतया एडीआईपी नाम से जाना जाता है, का स्थायी वस्तुओं की आपूर्ति, मानक परिष्कृत सहायक वस्तुओं और उपकरणों के माध्यम से निराश असहाय व्यक्तियों के जीवन पर प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। स्वैच्छिक संगठनों, रैड-क्रास सोसाइटियों, एनआई(ज़) और कृत्रिम अंग विनिर्माण निगमों (एएलएमसीओ) को सहायक वस्तुओं और उपकरणों की खरीद, निर्माण और वितरण के लिए अनुदान सहायता मुहैया कराई जाती है। लगभग 2 लाख लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए 79.00 करोड़ रूपए के आबंटन में से 60.22 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। वर्ष 2009-10 के लिए 79.00 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं।

6.51 दीनदयाल पुनर्स्थापन स्कीम (डीडीआरएस) जिसे पूर्व में असहाय व्यक्तियों के विकास हेतु स्वयं सेवी कार्रवाई की स्कीम के रूप में जाना जाता था की अन्य प्रमुख स्कीम है, जिसे एनजीओ (ज) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस स्कीम के तहत एनजीओ (ज) को आवर्ती और गैर आवर्ती खर्च के लिए संगठनों को परियोजना के कुल अनुमोदित व्यय की लागत के 90% तक के खर्च को वहन किया जाता है। परियोजना/ गतिविधियां, जिन के लिए एनजीओ (ज) को अनुदान प्रदान किया जाता है वे हैं - असाहय बच्चों के लिए विशेष स्कूल चलाना, दक्षता विकास के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल, समुदाय आधारित पुनर्स्थापन कार्यक्रम, जनसाधन विकास आदि। वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एनजीओ (ज) को 64.70 करोड़ रूपए जारी किए गए! इस स्कीम के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 1.79 लाख असहाय व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। 2009-10 के लिए 76.00 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया।

वृद्ध व्यक्ति

6.52 2001 की जनगणना के अनुसार वरिष्ठ व्यक्ति (60 वर्ष से अधिक उम्र वाले) देश की जनसंख्या के 7% हैं। वृद्ध व्यक्तियों की सेवाओं में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए, वृद्धों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता स्कीम को बहुत लचीला बनाने के लिए 1998 में संशोधित किया गया था। नई स्कीम में- वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम परिवार के प्रबलन और वृद्धों से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता सृजन सहित वृद्धों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना प्रस्तावित है। वर्ष 2008-09 के दौरान 32,650 वृद्ध व्यक्तियों को लाभान्वित करते हुए देश के विभिन्न भागों में वृद्धावस्था आलयों, दिवसीय देखभाल केन्द्र, चल चिकित्सा यूनिट और गैर-संस्थागत सेवा केन्द्र चलाने के लिए एनजीओज़ को 17.72 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराई गई थी। वर्ष 2009-10 के लिए 37 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है।

नशाखोरी

6.53 देश में मादक पदार्थ की मांग की कमी के कार्यक्रमों के नोडल मंत्रालय के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्ष 1985-86 से निषेध और मादक पदार्थ दुरूपयोग निवारण स्कीम को कार्यान्वित करता रहा है। नशीली दवाओं के आदी लोगों की आदत छुड़ाने और पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य और स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी आवश्यक है। इस स्कीम के अन्तर्गत मंत्रालय लगभग 279 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दे रहा है जो उपचार-सह पुनर्वास केन्द्र और परामर्श और जागरूकता केन्द्र चला रहे हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान मंत्रालय द्वारा इन एनजीओ(ज) को 40 करोड़ रूपए के बजट आबंटन में से 23.92 करोड़ रुपये की निधि जारी की गई थी। 2009-10 के दौरान इस स्कीम के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

राज्य क्षेत्र

6.54 राज्य क्षेत्रक, जो कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,उसे न केवल कल्याणकारी और विकास कार्यों के लिए सक्रिय किया जाएगा, अपितु एससीएसपी और टीएसपी को एससीए की विशिष्ट रणनीतियों का अधिकतम और सार्थक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए उन स्कीमों और कार्यक्रमों, जो उच्च गुणवत्ता वाले लाभकारी रोजगार, शिक्षा में हस्तक्षेप, बाल नश्वरता को कम करते हों। मातृ नश्वरता को कम करते हों, गरीबी को कम करते हों, वनों और पौधों में वृद्धित करते हों आदि को प्राप्ति/ मॉनीटरण योग्य लक्ष्यों को प्रभावित करते हों।

संलग्नक-6.1

स्कीम-वार वित्तीय परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	वार्षिक योजनाएं		
		2008-09		2009-10
		ब. अ.	वास्तविक व्यय	ब. अ.
1	2	3	4	5
I	**केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएस)**	-	-	-
1	विशेष घटक योजना (एससीपी) के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए)	480.00	601.59	480.00
2	कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय वित्त विकास निगम	110.00	111.00	110.00
3	अनु. जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए एनजीओ को जीआईए	52.00	34.98	53.00
4	अनु. जातियों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	75.00	87.94	80.00
5	अनु. जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	20.00	4.95	20.00
6	डा0 बी0 आर अम्बेडकर प्रतिष्ठान	1.00	1.00	1.00
7	हाथ से सफाई करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वःरोजगार स्कीम	100.00	100.00	100.00
	नई स्कीमें			
8	अनुसूचित जातियों के लिए विदेशी छात्रवृत्तियाँ स्कीम	5.00	5.00	5.00
9	बाबू जगजीवन राम प्रतिष्ठान	54.00	53.00	0.00
	कुल - I	**897.00**	**999.46**	**849.00**
II	**सामाजिक कल्याण क्षेत्रक (एसडब्ल्यू)**			
10	राष्ट्रीय संस्थानों के लिए वित्त पोषण स्कीम	55.00	53.37	55.00
11	कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर (एएलआईएमसीओ)	3.00	0.00	3.00
12	विकलांगों के लिए सहायता संबंधी फिटिंग्स और उपस्कर	79.00	60.22	79.00
13	दीनदयाल असहाय पुनर्वास स्कीम	70.00	64.70	76.00
14	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी)	9.00	18.00	9.00
15	असहाय व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन	20.00	7.43	20.00
16	एल्कोहल एवं नशाखोरी से बचाव सहित स्वयंसेवी संगठनों को सहायता के लिए सामाजिक प्रतिरक्षा सेवाएं उपलब्ध कराना	40.00	23.92	40.00
17	बुजुर्ग आयु से संबंधित कार्यक्रमों हेतु पीआरआई(ज)/ स्वयं सेवी संगठनों को सहायता	35.00	17.72	37.00
18	अनुसंधान, सूचना और महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता के लिए अनुदान			
19	भारतीय पुनर्वास परिषद्	3.00	3.00	3.00
20	इंडियन स्पाइनल इंजरी	1.00	1.00	1.00
21	चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों का रोजगार	15.00	4.50	15.00

22	असहाय महिलाओं को उनके बच्चो की देखभाल हेतु वित्तीय सहायता	5.00	0.00	5.00
	कुल - II	**335.00**	**253.86**	**343.00**
	कुल क	**1232.00**	**1253.32**	**1192.00**
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)**			
23	एससी विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति एवं बुक बैंक	750.00	645.49	750.00
24	अस्वच्छ धंधों में लगे उनके परिवार के बच्चों हेतु मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	54.00	59.27	80.00
25	एससी और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास	130.00	118.79	135.00
26	अनुसूचित जाति विकास निगम (एससीडीसी)	20.00	19.00	20.00
27	एससी, ओबीसी और अन्य कमजोर वर्गों कोचिंग एवं संबंधित स्कीम	8.00	4.00	8.00
28	एससी विद्यार्थियों की योग्यता छात्रवृत्ति का क्रमोन्नयन	2.00	1.75	2.00
29	पीसीआर एक्ट, 1955 और एससी/ एसटी (पीओए) एक्ट, 1989 का कार्यान्वयन	40.00	43.04	43.00
30	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां			
क	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक बाद की छात्रवृत्ति	134.00	179.62	135.00
ख	अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व की छात्रवृत्ति	30.00	32.19	30.00
31	डी नोटिफाइड और नोमैडिक ट्राबस का शैक्षिक और आर्थिक विकास (डीएनटी)	--	--	5.00
32	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई)	--	--	100.00
	कुल- ख	**1168.00**	**1103.15**	**1308.00**
	कुल जोड़ (क+ख)	**2400.00**	**2356.47**	**2500.00**

संलग्नक – 6.2

जनजातीय मामले मंत्रालय
योजना परिव्यय और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम	2008-09		2009-10
		बीई	व्यय	बीई
1	2	3	4	5
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें (सीएस)**			
1	प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसटी छात्रों की कोचिंग हेतु एनजीओ (ज) को अनुदान सहायता	29.50	43.11	42.75
2	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	9.00	8.44	13.72
3	कम साक्षरता वाले स्थानों में शैक्षिक परिसर	60.00	40.00	50.00
4	ट्राइफेड और मूल्य समर्थन में निवेश	19.00	21.21	19.86
5	एमएफपी विलेज ग्राम बैंकों के लिए एसटीडीसी (ज) को अनुदान सहायता	40.00	16.00	10.00
6	विशेष रूप से असुरक्षित जनजातीय समूहों का विकास (पीटीजी)	173.00	192.07	155.00
7	नेशनल एसटी वित्त एवं विकास निगम को सहायता और राज्य एसटी विकास वित्त निगम को जीआईए	50.00	0.00	50.00
8	नई दिल्ली में आदिवासी भवन का निर्माण	0.00	0.00	0.00
9	एसटी छात्रों के लिए राजीव गांधी नेशनल फैलोशिप	29.00	31.03	42.00
10	नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति	2.00	0.01	0.50
11	राष्ट्रीय जनजातीय संस्थान (एनआईटीए)	0.00	0.00	0.00
12	शीर्ष श्रेणी शिक्षा	10.00	1.22	4.00
	कुल-क	**421.50**	**353.09**	
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)**			
13	पीएमएस बुक बैंक की स्कीमें और एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप का क्रमोन्नयन	195.00	226.60	217.95
14	एसटी छात्रों के लिए छात्रावास स्कीम	61.00	65.00	59.00
15	टीएसपी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	30.00	30.00	41.00
16	अनुसंधान और जन शिक्षा, जनजातीय पर्व एवं अन्य	17.00	10.58	18.72
	कुल-ख	**303.00**	**332.18**	**336.67**
	उप-योग	**724.50**	**685.27**	**724.50**
ग	**विशेष केन्द्रीय सहायता**			
17	जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता*	900.00	780.87	900.50
18	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान *	416.00	339.78	1000.00
	कुल-ग	**1316.00**	**1120.65**	**1900.50**
	उप-कुल(क+ख+ग)	**2040.50**	**1805.92**	**2625.00**
घ	**एकमुश्त प्रावधान**			
19	पूर्वोत्तर क्षेत्र	80.50	0.00	80.50
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**2121.00**	**1805.92**	**2705.50**

* आबंटन वर्ष दर वर्ष आधार पर किया गया

संलग्नक– 6.3

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
योजना परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम	2008-09		2009-10
		बीई	व्यय	बीई
1	2	3	4	5
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें (सीएस)**			
1	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को अनुदान सहायता	60.00	60.00	115.00
2	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम	75.00	75.00	125.00
3	अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और सम्बद्ध स्कीम	10.00	7.30	12.00
4	प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए अनुसंधान/अध्ययन, विकास स्कीमों की मानीटरिंग और मूल्यांकन	5.00	8.23	13.00
5	राज्य चेनलाइजिंग एजेंसियों को अनुदान सहायता	5.00	0.00	2.00
	नई स्कीमें			
6	अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए नेशनल फैलोशिप	0.00	0.00	15.00
7	केन्द्रीय वक्फ परिषद के लिए अनुदान सहायता ताकि राज्य वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कंप्यूटरीकरण किया जा सके	0.00	0.00	10.00
8	अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास हेतु स्कीम	0.00	0.00	8.00
	कुल-क	**155.00**	**150.53**	**300.00**
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)**			
1	व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों हेतु अधिस्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति	125.00	64.79	100.00
2	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्तियां	80.00	62.31*	200.00
3	अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक बाद की छात्रवृत्तियां	100.00	70.70*	150.00
4	चुनिंदा अल्पसंख्याक बाहुल्य जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु क्षेत्रकीय विकास कार्यक्रम	540.00	270.96*	990.00
	कुल-ख	**845.00**	**468.76**	**1440.00**
	कुल योग (क+ख)	**1000.00**	**619.29**	**1740.00**

* सचिवालय/आईटी का खर्च 0.34 करोड़ भी इसमें शामिल है।

अध्याय 7
स्थानिक विकास तथा क्षेत्रीय असंतुलन

क्षेत्रीय असंतुलन

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

7.1 कतिपय क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट भू-भौतिक संरचना के कारण पेश आने वाली विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम/पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

7.2 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)/ पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (डब्ल्युजीडीपी) पांचवीं पंच वर्षीय योजना की शुरुआत से ही पदनामित पर्वतीय क्षेत्रों में चल रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इन क्षेत्रों का पारिस्थितिकीय संधारणीय समाजार्थिक विकास सुनिश्चित करना है। 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत राज्य हिस्से के अनुपात में विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है। उपलब्ध राशि को एचएडीपी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों को और डब्ल्युजीडीपी के निश्चित ब्लॉकों/ तालुकों के बीच विभाजित किया जाता है ।

7.3 आयोजित विकास स्कीमों के अलावा, एकीकृत वाटरशेड विकास के संबंध में उन वरिष्ठ स्तरीय तथा मिडिल स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सीधे ही लगे हैं।

पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी)

7.4 एच ए डी पी के अंतर्गत सम्मिलित निश्चित पर्वतीय क्षेत्रों में सम्मिलित हैं:

- असम के दो पर्वतीय जिले - उत्तर और कर्बी अंगलोंग
- पश्चिम के दार्जीलिंग जिले के प्रमुख भाग
- तमिलनाडु का नीलगिरी जिला

7.5 कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य, जैव-विविधता के संधारणीय उपयोग पर बल देते हुए, पारि-परिरक्षण और पारि-पुनरुद्धार करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की जरूरतों और आकांक्षाओं पर, विशेष रूप से जैव-विविधता के संरक्षण और संधारणीय आजीविकाओं के लिए कार्यनीतियों के डिजाइन और कार्यान्वयन में उनकी भागीदारी पर भी बल दिया जाता है।

7.6 एच ए डी पी के लिए प्रदान की जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता (एस सी ए) सामान्य राज्य योजना निधियों के अलावा है और यह पर्वतीय क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरक बनाती है। एच ए डी पी के अंतर्गत स्कीमों का राज्य योजना स्कीमों के साथ उचित रूप में तालमेल बिठाया और एकीकृत किया जाता है।

7.7 राज्य सरकारों द्वारा, राज्य योजना परिव्यय और विशेष केंद्रीय सहायता से निधियों के प्रवाह का उल्लेख करते हुए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक पृथक उप-योजना तैयार करना अपेक्षित है।

वार्षिक योजनाओं की समीक्षा

7.8 ग्यारहवीं योजना (2007-12) के दौरान एच ए डी पी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए आबंटन/व्यय का उल्लेख तालिका 7.1 में किया गया है।

राज्य सरकारों को, उन्हें एच ए डी पी के अंतर्गत आबंटित विशेष केंद्रीय सहायता का अधिकतम 15 प्रतिशत उपयोग कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए उपयोग करने की अनुमति है।

तालिका 7.1 : पर्वतीय विकास कार्यक्रम (आबंटन/व्यय)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08		2008-09		2009-10
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
असम	82.67	82.67	99.92	96.93	99.92
तमिलनाडु	35.50	35.50	42.93	41.48	42.93
पश्चिम बंगाल	31.83	24.88	38.48	13.84	38.48
जोड़	**150.00**	**143.05**	**181.33**	**152.25**	**181.33**

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

7.9 1600 किलोमीटर लम्बे पश्चिमी घाट कुल मिलाकर महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के समानांतर हैं, जो महाराष्ट्र के धूले जिले में ताप्ती नदी के मुहाने से शुरू होकर तमिलनाडु में भारतीय उप-महाद्वीप के दक्षिण क्षेत्र के आखिर तक कन्याकुमारी के अंत तक चलते हैं।

7.10 पश्चिमी घाट क्षेत्र की मुख्य समस्याएं भूमि और वनस्पति पर बड़ी आबादी के दबाव की है। इन कारणों की वजह से क्षेत्र की पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय समस्याओं पर दबाव पड़ा है। पहाड़ियों की कमजोर पारि-पद्धति पर, बड़े क्षेत्रों के नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत जलमग्न हो जाने, खनन के कारण

क्षेत्र की क्षति होने, वनों की कटाई, वाणिज्यिक बागान उगाने के लिए प्राकृतिक वन की कटाई, मृदा कटाव, जिसकी वजह से जलाश्यों में गाद जमा हो गई है और उनकी कार्यावधि में कमी आई है तथा बाढ़ों और भू-स्खलनों के प्रतिकूल प्रभाव, वन भूमि के अतिक्रमण और वन्य जीवन के शिकार आदि के कारण गंभीर प्रभाव पड़ा है।

7.11 पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। पश्चिमी घाट क्षेत्र के सीमांकन में, घाटों के साथ-साथ, जहां क्षेत्र का कम से कम 20 प्रतिशत न्यूनतम समुद्र स्तर से कम से कम 600 मीटर अथवा उससे अधिक ऊंचाई पर है, समीपस्थ तालुकों/ब्लॉकों को डब्ल्यु जी डी पी में शामिल किया गया है। इस समय यह कार्यक्रम पश्चिमी घाट के 175 तालुकों में कार्यान्वित किया जा रहा है, अर्थात महाराष्ट्र (63 तालुक), कर्नाटक (40 तालुक) केरल (36 तालुक), तमिलनाडु (33 तालुक) और गोवा (3 तालुक)।

7.12 डब्ल्यु जी डी पी के अंतर्गत, वाटरशेड परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के अलावा, निवासियों के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित करते हुए संधारणीय आर्थिक कार्यकलापों पर बल दिया जाता है। इस प्रकार, दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान दृष्टिकोण वाटरशेड जमा दृष्टिकोण था - एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके अंतर्गत पारिस्थितिकी पर उतना ही बल दिया जाता है जितना कि आर्थिक विकास के संधारणीय मॉडल पर। इसलिए राज्य सरकारों ने ऐसी आजीविका सृजन स्कीमें भी शुरू की हैं जो पर्यावरण के अनुरूप हैं।

7.13 राज्य सरकारों को डब्ल्यु जी डी पी के अंतर्गत आबंटित विशेष केंद्रीय सहायता के अधिकतम 15 प्रतिशत का उपयोग कार्यक्रम के अंतर्गत पहले सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए करने की अनुमति दे दी गई है।

वार्षिक योजनाओं की समीक्षा

7.14 दसवीं योजना (2002-07) के दौरान विशेष केंद्रीय सहायता और डब्ल्यु जी डी पी के अंतर्गत राज्यों में विनिश्चित पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए आबंटन का ब्योरा तालिका 7.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.2 : पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम (आबंटन/व्यय)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08		2008-09		2009-10
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन
महाराष्ट्र	32.71	32.47	39.56	36.73	39.56
कर्नाटक	24.18	22.31	29.24	25.64	29.24
केरल	20.57	19.14	24.88	12.75	24.88
तमिलनाडु	17.04	17.04	20.61	18.60	20.61

गोवा	5.00	5.04	6.04	6.36	6.04
पश्चिमी घाट सचिवालय	0.50	0.25	0.50	0.39	0.50
जोड़	**100.00**	**96.25**	**120.83**	**100.47**	**120.83**

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीं ए डी पी)

7.15 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) सीमा प्रबंधन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का एक भाग है। बी ए डी पी के अंतर्गत सीमा क्षेत्रों के समाजार्थिक विकास पर बल दिया जाता है तथा इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना है।

7.16 एक ओर समाजार्थिक अवसंरचना में कमियों को पाटने के लिए और दूसरी ओर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा परिवेश में सुधार करके राज्य योजना निधियों को पूरक बनाकर सीमाबर्ती क्षेत्रों का व्यापक रूप से विकास करने के लिए, बी ए डी पी, केंद्रीय सरकार की एक बड़ी हस्तक्षेपणीय कार्यनीति है। कार्यक्रम को केंद्रीय सरकार के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

7.17 इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा के निकट क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है। यद्यपि केंद्रीय सरकार प्रमुख मार्गनिर्देश निर्धारित करती है, तथापि बी ए डी पी के अंतर्गत स्कीमों/ निर्माण कार्यों को राज्य सरकार द्वारा आधार स्तरीय संस्थानों के परामर्श से, जैसे कि पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई)/ जिला स्तर परिषदों/ पारंपरिक परिषदों/ स्थानीय लोगों/ प्रजातांत्रिक संस्थानों, स्वैच्छिक एजेंसियों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप और अनुमोदित किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है।

7.18 राज्य सरकारों को निधियां केंद्रीय सरकार द्वारा 100 प्रतिशत विशेष केंद्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में प्रदान की जाती हैं। बी ए डी पी के अंतर्गत निर्माण कार्य राज्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों में आयोजित किए जाते हैं जैसे कि सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना को सुदृढ़ करना, सड़क नेटवर्क में, विशेष रूप से संयोजन सड़कों, पुलों, पुलियों आदि में महत्त्वपूर्ण कमियों को पूरा करने, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों और स्कीमों को कार्यान्वित किया जाता है जिनसे सामाजिक क्षेत्रक के लिए महत्त्वपूर्ण इनपुट उपलब्ध होते हैं। राज्यों के लिए कुल आबंटन के दस प्रतिशत का उपयोग, उपरोक्त क्षेत्रकों में सीमा सुरक्षा बलों द्वारा सुझाई गई स्कीमों के लिए किया जा सकता है। बी ए डी पी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक कार्यकलाप आयोजित करने के लिए एक प्रेरणादायी परिवेश कायम करने में योगदान किया है तथा इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के जीवन की कोटि में सुधार लाने की क्षमता है। कार्य बल रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर बी ए डी पी के मार्गनिर्देशों में संशोधन किया गया है।

तालिका 7.3 : सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (आबंटन और राशि जारी करना)

(करोड़ रुपए)

राज्य	2007-08		2008-09		2009-10	
	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि
अरुणाचल प्रदेश	66.08	66.08	57.72	79.66	58.49	32.91
असम	19.69	19.69	24.70	21.07	24.24	11.81
बिहार	31.72	31.72	37.32	33.59	36.60	32.94
गुजरात	22.50	22.50	28.18	21.44	27.69	24.04
हिमाचल प्रदेश	11.19	11.19	12.97	12.97	12.76	11.48
जम्मू एवं काशमीर	105.83	105.83	105.00	103.95	100.00	76.79
मणिपुर	12.45	12.45	13.57	15.33	13.36	11.06
मेघालय	11.28	11.28	12.67	12.67	12.47	12.47
मिजोरम	20.86	20.86	25.35	25.35	24.95	21.57
नागालैंड	10.00	10.00	11.50	26.74	11.50	11.50
पंजाब	21.74	21.74	22.18	22.18	21.88	20.87
राजस्थान	76.59	76.59	88.49	89.16	86.96	85.15
सिक्किम	10.00	10.00	11.50	11.50	11.50	8.69
त्रिपुरा	22.83	22.83	27.93	26.04	27.46	20.57
उत्तर प्रदेश	23.69	23.69	29.24	23.86	28.69	16.59
उत्तराखंड	11.92	11.92	22.97	19.16	22.61	13.48
पश्चिम बंगाल	101.64	101.64	99.92	90.33	97.90	52.45
आरक्षित निधि			3.79		15.94*	-
जोड़	**580.01**	**580.01**	**635.00**	**635.00**	**635.00**	**464.36****

* आकस्मिकताओं आदि के लिए आरक्षित रखी गई ** 21.12.2009 की स्थिति

कवरेज

7.19 कार्यक्रम के अंतर्गत 17 राज्यों, नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काशमीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालेण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल के 96 जिलों के 362 सीमावर्ती ब्लॉक सम्मिलित हैं।

निधि प्रवाह

7.20 राज्यों को निधिया, अनुमोदित स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए 100 प्रतिशत अनुदान के आधार पर विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान की जाती हैं तथा निम्नलिखित आधार पर 17 लाभार्थी राज्यों के बीच आबंटित की जाती हैं : (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई; (ii) सीमावर्ती ब्लॉकों की आबादी; (iii) सीमावर्ती ब्लॉकों का क्षेत्र । इन तीन मापदण्डों में से प्रत्येक को बराबर भारांश प्रदान किया जाता है। इसके

अलावा, कठिन तराई, संसाधनों के अभाव, और निर्माण की अपेक्षाकृत ऊंची लागत के कारण पर्वतीय, मरुस्थल और कच्छ के रण को 15 प्रतिशत भारांश प्रदान किया जाता है।

7.21 वर्ष 2007-08 के दौरान बी ए डी पी के लिए आबंटन की राशि 520 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 2006-07 के लिए आबंटन के स्तर पर ही थी। वर्ष 2008-09 के दौरान बी ए डी पी के लिए आबंटन की राशि बढ़ाकर 635 करोड़ रुपए कर दी गई है।

7.22 वर्ष 2009-10 के दौरान 21.12.2009 तक 464.36 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। वर्ष 2007-08 से 2009-10 तक के लिए आबंटन और जारी राशि की राज्य-वार स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण तालिका 7.1.3 में दिया गया है।

बी ए डी पी के लिए कार्य बल

7.23 कार्य बल की रिपोर्ट में बी ए डी पी के दृष्टिकोण और मार्गनिर्देशों में सुधार करने पर बल दिया गया और केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सी एस एस), अग्रणी स्कीमों के अंतर्गत संसाधनों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए इन संसाधनों में से अंश निश्चित करके राज्य सरकारों के संसाधनों के बीच तालमेल कायम करके और योजना आयोग के अनुदेशानुसार सीमावर्ती ग्रामों/ ब्लॉकों के लिए भागीदारीपूर्ण योजनाएं तैयार करके संसाधनों के अधिक आबंटन का प्रस्ताव किया है गया।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

7.24 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) को, पिछड़ेपन के कारणों का मानक सरकारी कार्यक्रमों की बजाए और अधिक बड़े पैमाने पर समाधान करने के लिए वित्त वर्ष 2006-07 में अनुमोदित किया गया था। स्कीम के दो घटक हैं, नामतः (i) जिला घटक, और (ii) (क) बिहार तथा (ख) उड़ीसा के के बी के जिलों के लिए विशेष योजनाएं।

7.25 जिला घटक का उद्देश्य अभिसरण में सहायता प्रदान करना तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए मूल्यवर्धन करना है, जैसे कि भारत निर्माण और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो स्पष्टतः ग्रामीण अवसंरचना जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। तथापि, जिलों को अवसंरचना में महत्त्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए पूरक निधियों की जरूरत हो सकती है, जो बी आर जी एफ से प्राप्त हो सकती हैं। बी आर जी एफ का उद्देश्य, जन भागीदारी के माध्यम से चुने गए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करके विनिर्धारित पिछड़े जिलों का संकेंद्रित विकास करना है। ग्राम से लेकर जिला स्तर तक के पी आर आई, संविधान के अनुच्छेद 243छ की भावना के अनुसार स्कीम की योजना तैयार और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं। पी आर आई पद्धति की प्रत्येक प्रणाली द्वारा (ग्राम, मध्यवर्ती और जिला) अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्रों के लिए भावी पंच वर्षीय योजना और वार्षिक योजनाएं तैयार करनी होती हैं। ऐसी ही प्रक्रिया

नगरों और कस्बों में नगरपालिकाओं द्वारा अपनाई जानी है। जिला योजना समिति (डी पी सी), पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करती हैं। जिला स्तरों पर तैयार योजनाओं को अंतिम रूप देने तथा साथ ही डी पी सी में योजनाओं को तकनीकी रूप से स्वीकार्य ढंग से अभिसरण और समेकित करने के लिए भी पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तकनीकी समर्थन संस्थानों को सहायता प्रदान करने के लिए धन जारी किया गया है जिससे कि पंचायतों और डी पी सी की योजनाएं तैयार और समेकित करने में मदद की जा सके।

जिला घटक

7.26 बी आर जी एफ के जिला घटक के अंतर्गत 250 जिले सम्मिलित हैं। इस घटक के अंतर्गत बी आर जी एफ मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार क्षमता निर्माण और भागीदारीपूर्ण योजनाओं के लिए और साथ ही पूर्व राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर एस वी वाई) योजनाओं के लिए भी धन जारी किया जाता है। 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान जारी निधियों की राज्य-वार स्थिति (31.12.2009 तक) तालिका 7.4 में दर्शाई गई है।

विशेष योजनाएं

बिहार के लिए विशेष योजना

7.27 विद्युत, सड़क संयोजकता, सिंचाई, वानिकी और वाटरशेड विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाने के उद्देश्य से बिहार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विशेष योजना तैयार की गई थी। विशेष योजना का वित्तपोषण पूर्व आर एस वी वाई के अंतर्गत किया जा रहा है जिसे अब पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में मिला दिया गया है।

तालिका 7.4 : पिछड़ा जिला पहल अथवा बी आर जी एफ के अंतर्गत 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान जारी निधियां

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2007-08	2008-09	2009-10 (31.12.2009 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	421.18	355.38	278.96
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.60	18.57	22.71
3.	असम	113.58	128.23	35.33
4.	बिहार	639.28	721.55	483.22
5.	छत्तीसगढ़	271.22	205.44	149.82
6.	गुजरात	8.10	36.04	104.14
7.	हरियाणा	25.80	25.68	19.35
8.	हिमाचल प्रदेश	42.85	23.48	27.41

9.	जम्मू और काशमीर	15.30	63.28	31.50
10.	झारखंड	105.60	312.77	209.18
11.	कर्नाटक	139.97	45.00	103.27
12.	केरल	30.88	7.50	31.71
13.	मध्य प्रदेश	404.82	324.44	305.80
14.	महाराष्ट्र	108.20	87.81	235.69
15.	मणिपुर	34.96	14.62	27.71
16.	मेघालय	7.80	52.54	23.50
17.	मिजोरम	34.17	2.00	21.28
18.	नागालैंड	32.19	33.30	35.35
19.	उड़ीसा	336.12	257.84	223.67
20.	पंजाब	7.60	7.50	15.08
21.	राजस्थान	302.10	183.50	141.42

7.28 बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत वित्तपोषित की जा रही परियोजनाओं के ब्योरे, परियोजना लागत तथा इन परियोजनाओं के लिए जारी निधियां तालिका 7.5 में दर्शाई गई हैं।

ओडिशा के के बी के जिलों के लिए विशेष योजना

7.29 के बी के क्षेत्र के अंतर्गत मूल कालाहाण्डी, बोलनगिर और कोरापुट जिले सम्मिलित हैं, जो ओडिशा के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में स्थित हैं, जिन्हें अब आठ जिलों में विभाजित किया गया है, नामतः कालाहाण्डी, नौपाड़ा, बोलनगिर, सोनपुर, कोरापुट, नवरंगपुर, मलकनागिरी और रायगढ़। इन जिलों के लिए एक संशोधित दीर्घावधिक कार्रवाई योजना (आर एल टी ए पी) तैयार की गई थी तथा योजना आयोग 1998-99 से इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध करा रहा है।

योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार, परियोजना आधारित दृष्टिकोण और एक नूतन प्रदाय व मानीटरन पद्धति का उपयोग करके वर्ष 2002-03 से इन जिलों के लिए एक विशेष योजना तैयार करती है। विशेष योजना के अंतर्गत सूखा से बचाव, आजीविका सहायता, संयोजकता, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की मुख्य समस्याओं का स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार समाधान करने पर बल दिया जाता है। ग्यारहवीं योजना में, के बी के जिलों के लिए कुल आबंटन को 250 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पर संरक्षित किया गया जाएगा किन्तु इनका वित्तपोषण बी आर जी एफ जिला मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा तथा शेष की व्यवस्था के बी के विशेष योजना के अंतर्गत की जाएगी।

तालिका 7.5 : बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत स्कीम-वार परियोजना लागत और निधियां जारी किया जाना

(करोड़ रुपए)

परियोजना का नाम		अनुमानित परियोजना लागत	2008-09 तक जारी की गई निधियां	2009-10 में जारी निधियां	अभी तक जारी कुल निधि
1. मिलियन शैलो ट्युबवैल कार्यक्रम (एम एस टी पी) (सब्सिडी घटक)*		312.97	544.64	0.00	544.64
2. बिहार भू-जल सिंचाई स्कीम (बी जी डब्ल्यु आई एस)		231.67	0.00	0.00	0.00
3. पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार		294.00	51.98	48.00	99.98
4. बागबानी का विकास (सब्सिडी घटक)		छोड़ दी गई	18.18	0.00	18.18
5. एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम		60.00	10.00	0.00	10.00
6. राज्य राजमार्गों का विकास		3075.00	1923.63	570.76	2494.39
7. रेल-सह-सड़क पुल		554.00	125.00	0.00	125.00
8. एकीकृत समुदाय आधारित वन प्रबंधन		51.04	36.06	5.24	41.30
9. सब-ट्रांसमिशन पद्धति का सुदृढ़ीकरण (चरण I)		482.40	552.40	0.00	552.40
10. दक्षिण बिहार में सब-ट्रांसमिशन पद्धति का सुदृढ़ीकरण (चरण II)	भाग I	1005.72	809.66	220.79	1030.45
	भाग II	1240.86			
11. बरौनी और मुजफ्फर ताप विद्युत स्टेशन का पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण		1053.00	212.53	155.21	367.74
12. विद्युत क्षेत्रक का पुनर्गठन (पी एफ सी)		1.57	1.57	0.00	1.57
कुल जोड़		**8362.23**	**4285.65**	**1000.00**	**5285.65**

*एम एस टी पी की मूल लागत 1039.74 करोड़ रुपए थी। क्योंकि इस परियोजना के स्थान पर एक नई स्कीम लागू की गई है, यथा बिहार भू-जल सिंचाई स्कीम (बी जी डब्ल्यु आई एस), इसलिए एम एस टी पी की लागत पहले खर्च हो चुकी राशि तक सीमित की गई है। इसमें 55.50 करोड़ रुपए की ए सी ए सम्मिलित है, जिसे आर एस वी वाई से पहले जारी किया गया था।

7.29.1 यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के लिए विशेष योजना का वित्तपोषण ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 1,000 करोड़ रुपए के वार्षिक आबंटन के साथ जारी रहेगा।

7.30 आर एल टी ए पी के अंतर्गत 2002-03 से 2009-10 तक रिपोर्ट की गई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए सी ए) और खर्च के आबंटन/ जारी किए जाने से संबंधित स्थिति तालिका 7.1.6 में दर्शाई गई है।

तालिका 7.6 : आर एल टी ए पी के अंतर्गत 2002-03 से 2009-10 तक रिपोर्ट की गई अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (ए सी ए) (आबंटन/जारी)

(करोड़ रुपए)

वर्ष	आबंटित ए सी ए/ एस सी ए	जारी एस सी ए/ एसीए	रिपोर्ट किया गया खर्च*	उपयोग की प्रतिशतता
2002-03	200.00	200.00	131.99	66.00
2003-04	250.00	250.00	318.54	127.41
2004-05	250.00	250.00	279.11	111.64
2005-06	250.00	250.00	245.59	98.24
2006-07	250.00	250.00	258.32	103.33
2007-08	130.00	130.00	134.47	103.44
2008-09	130.00	130.00	147.76	113.66
2009-10	130.00	130.00	90.98	70.00
जोड़	**1590.00**	**1590.00**	**1606.76**	**101.05**

* पिछले वर्षों का खर्च न हुआ शेष सम्मिलित है।

पंचायती राज :

7.31 योजना तैयार करने और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार, निष्पादित और मानीटरन करने के लिए समुदाय की भागीदारी आवश्यक है। सरकार ने, दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। पी आर आई, विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समुदाय भागीदारी के लिए एक महत्त्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर रहे हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियमों में पी आर आई को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है तथा हमारे देश के शासन में उनकी भूमिका का निर्धारण किया गया है। उम्मीद की गई थी कि राज्य सरकारें, पंचायतों की प्रत्येक प्रणाली को पर्याप्त कार्य, कार्यकर्ता और वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण करके पी आर आई को सशक्त बनाएंगी।

7.32 पी आर आई के सशक्तीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के अपने-अपने कार्यकलाप क्षेत्र में केंद्रिकता को महत्त्व प्रदान करने की जरूरत तथा उनके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पी आर आई को अवसर प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य

सरकारों को संवेदीकृत बनाने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है। मंत्रालय ने, संवैधानिक अधिदेश के अनुसार पी आर आई को कार्य हस्तांतरित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

7.33 पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वत एक बड़ी स्कीम, पंचायती राज पद्धति में कार्यरत पंचायती राज कार्यकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से संबंधित है।

7.34 पंचायती राज मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए वर्ष 2009-10 के लिए 110 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित कुल परिव्यय में से 78 करोड़ रुपए निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, पंचायतों को पुरस्कार, सूचना तथा संचार आदि के लिए तीन स्कीमों के अंतर्गत अनुमोदित किए गए हैं। इसके अलावा, 250 करोड़ रुपए के एक क्षमता निर्माण घटक का वित्तपोषण बी आर जी एफ के भाग के रूप में किया जाता है। इस निधि का उपयोग योजना तैयार करने, कार्यान्वित, मानीटरन, जवाबदेही और पारदर्शिता के दायित्व और सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण के वास्ते किया जाता है।

अध्याय 8
नूतनता और प्रौद्योगिकी

8.1 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नूतनता, आर्थिक संवृद्धि और विकास के इंजिन हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रक से ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक योजना 2009-10, ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान अनुमोदित अनेक नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए महत्त्वपूर्ण हागी। वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख ध्यान, विज्ञान के लिए प्रतिभा को आकर्षित करने, प्रौद्योगिकी विकास, प्रदर्शन और वाणिज्यीकरण, अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के सृजन, दक्ष जनशक्ति के विकास और मनुष्यों को पेश आ रही समस्याओं का तकनीकी समाधान खोजने पर दिया जाएगा। छः केंद्रीय वैज्ञानिक मंत्रालय/ विभाग/ एजेंसियां, देश में नाभिकीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, बुनियादी विज्ञान, पृथ्वी और वायुमण्डल विज्ञान, जैव-प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों की खास-खास बातें तथा वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान परिकल्पित कार्यक्रमों/कार्यकलापों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है:

परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एण्ड डी क्षेत्रक)

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

8.2 परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण अनुप्रयोग के लिए देश में नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम को समर्थन प्रदान करने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यकलाप आयोजित करता है। भारत ने प्रेशर ट्यूब टाइप सुपरक्रिटिकल रिएक्टरों के संबंध में अनुसंधान और विकास कार्य शुरू किया है। सुपरक्रिटिकल वाटर और सुपरक्रिटिकल कार्बन डाइआक्साइड ($सीओ_2$) के साथ प्रयोग करने की एक परीक्षण सुविधा कायम की गई है।

8.3 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान विभाग के कुछेक कार्यकलाप निम्नलिखित के विकास से संबंधित थे: (i) हेलिबोर्न टाइम डोमेन इलेक्ट्रो मेग्नेटिक सिस्टम, भाभा परमाणु ऊर्जा केंद्र (बी ए आर सी) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आई जी सी ए आर) में, जिसका उपयोग गहराई में घुसे छिपे उच्च ग्रेड बड़े टनेज यूरेनियम निक्षेपों का पता लगाने के लिए किया जाता है; (ii) अंततः लोड क्षमता आकलन के लिए तारापुर में 540 एम डब्ल्यु ई पी एच डब्ल्यु आर का विश्व का सबसे बड़ा न्युक्लियर कंटेनमेंट माडल (बी ए आर सी ओ एम); (iii) रेडियो-फार्मास्युटिकल्स में अनुप्रयोग हेतु रेडियो-आइसोटोपों की वसूली के लिए प्रक्रिया; (iv) इनटेंसिटी मोडुलेटिड रेडियोथेरेपी (आई एम आर टी) फनटोम; और (v) थर्मल पावर प्लांटों में बायलर ट्यूबों के इन-सर्विस निरीक्षण के लिए प्रोटोटाइप मेग्नेटिक क्रावलर रोबोट; (vi) हैवी वाटर

रिएक्टरों के लिए क्रिटिकल फेसिलिटी; (vii) 10 एम ई वी इलेक्ट्रान इरेडिएशन फेसिलिटी; (viii) कल्याण में एक्सपेरीमेंटल हाई प्रेशर फिजिक्स लेबोरेटरी, आदि। इसके अलावा, 84 स्थानों पर 'इरमोन' स्टेशन स्थापित किए गए हैं।

8.4 वर्ष 2008-09 के दौरान प्रमुख कार्यकलाप शुरू किए गए हैं जैसे कि वांछित अवधि के लिए सुपर हीटिड स्टीम के सृजन के लिए कम्पेक्ट हाई एनर्जी डेनसिटी क्लोज्ड साइकिल थर्मल सिस्टम (सी सी टी एस) का विकास, डबलिंग टाइम 30 वर्ष से 12 वर्ष तक कम करने के लिए मेटलिक फ्युल का विकास, यू233 क्लीनअप के लिए कापर वेपर लेजर का विकास। 9 के एच जेड पर कापर वेपर लेजर का विकास देशज रूप से किया गया तथा 45 वाट औसत पावर पर प्रचालित किया गया आई पी आर, गांधीनगर में फुज़न टेक्नोलाजी कार्यकलापों के अंतर्गत लीड-लिथियम कूल्ड सिरेमिक ब्रीडर पर आधारित टेस्ट ब्लेंकट माड्यूल का कंसेपचुअल डिजाइन पूरा कर लिया गया है तथा उसे आई टी ई आर मशीन के आधे पोर्ट में परीक्षण के लिए स्वीकार कर लिया गया है। टेस्ट ब्लेंकट माड्युल के लिए आवश्यक निम्न एक्टीवेशन स्टील का भी देशज रूप से विकास किया गया तथा उसका करेक्टराइजेशन प्रगति पर है। इसके अलावा, फुजन ग्रेड मशीनों के लिए सुपरकंडक्टिंग मेग्नेटों के लिए एक 30 के ए केबल-इल-कनड्युट कंडक्टर का देशज रूप से विकास किया गया तथा प्रोटो टाइप सुपरकंडक्टिंग मेग्नेट का डिजाइन पूरा कर लिया गया है। आई टी ई आर-भारत के लिए संगठनात्मक फ्रेमवर्क और अवसंरचना स्थापित की गई है। लार्ज हेडरोन कालिडेर, सी ई आर एन में कम्पेक्ट मुओन सोलेनोइड के लिए 1100 सिलिकोन स्ट्रिप डिटेक्टर मॉड्यूलों की आपूर्ति की गई।

8.5 उपरोक्त के अलावा, भारत में विभिन्न अस्पतालों में कोबाल्ट टेली-थेरेपी मशीन, ''भाभाट्रोन'' स्थापित की गई तथा 29 अस्पतालों को, जिनमें 7 पूर्वोत्तर से और 2 विदेश से शामिल हैं, टेली-मेडिसिन नेटवर्क के माध्यम से टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ जोड़ा गया। इसके अलावा, बहुत छोटे बायो-मेग्नेटिक सिगनल्स -1 पिको टेसला, मानव हृदय और मानव मस्तिष्क के शारीरिक कार्यकलापों से संबद्ध, मापने में समर्थ एक सुपरकंडक्टिंग क्वान्टम इंटरफेरेंस डिवाइस (एस क्यु यु आई डी) पर आधारित आधुनिकतम मेग्नेटो एन से फालोग्राफी सिस्टम का विकास किया गया है। ग्राउंडनट की दो और सुधरी प्रजातियां वाणिज्यिक खेती के लिए जारी की गई तथा 19 नए निसारगुना बायोगैस प्लांट 2008-09 के दौरान स्थापित किए गए। विभिन्न प्रौद्योगिकियां, जैसे कि कम लागत और कम्पेक्ट हेण्ड-हेल्ड टेली ई सी जी मशीन, जिसे ग्रामीण टेलीमेडिसिन अनुप्रयोग के लिए ब्लुटूथ कनेक्टिविटी के साथ मोबाइल फोन/ लेपटाप की मदद से इस्तेमाल किया जा सकता है, 50,000 लीटर प्रति दिन क्षमता का बार्ज माउंटेड डिसेलिनेशन प्लांट, डायबेटिक रेटिनोपेथी के लिए ग्रीन लेजर फोटो कोगुलेटर, हाई डोज रेट (एल डी आर), ब्रेकथेरेपी असेम्बली (कैंसर उपचार के लिए) लेजर माइक्रो-वेल्डिंग का विकास किया गया।

8.6 डी ए ई ग्रिड ने बी ए आर सी, मुंबई, वी ई सी सी, कोलकाता और नेशनल नालेज नेटवर्क के माध्यम से आई जी सी ए आर, कलपक्कम के साथ संयोजन कायम किया है। इस समय ''इन्डस-I'' की 6

बीमलाइनें और इन्डस-II के 8 बीमलाइनें प्रचालनरत हैं। इंटेग्रेटिड सर्किट डिजाइन टूल्स और सी एम ओ एस डिजाइन किट तथा वी एल एस आई अनुसंधान और विकास सुविधाएं, जैसे कि क्लास 10 के क्लीन रूम, माडलिंग और टोस्टिंग सेट-अप और पैकेजिंग सेट आप की स्थापना सेंटर फॉर माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स में की गई। अनुसंधान और शिक्षा संयोजनों के तहत, भुवनेश्वर में नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर साइंस, एज्युकेशन एण्ड रिसर्च (एन आइ एस ई आर) की स्थापना की गई है। इसके अलावा, सेंटर फॉर एडवांस्ड रिसर्च एण्ड एज्युकेशन (सी ए आर आई) - सफलतापूर्वक भौतिकी और जीवविज्ञान में अवरस्नातक एसोसिएट (यू जी ए) प्रोग्राम का संचालन कर रहा है। अवसंरचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, अणुशक्ति नगर, मुंबई में नया प्रशिक्षण स्कूल परिसर स्थापित किया गया है।

वर्ष 2009-10 के लिए प्रमुख कार्यक्रम

8.7 2009-10 के दौरान, यूरेनियम संसाधनों को और सुदृढ़ किया जाएगा तथा मोबाइल रेडियोलाजिकल इम्पेक्ट असेस्मेंट लेबोरेटरी को कार्यात्मक बनाया जाएगा। ए एच डब्ल्यु आर थर्मल हाइड्रोलिक्स टेस्ट फेसिलिटी (ए टी टी एफ) इमारत का निर्माण, ए एच डब्ल्यु आर के लिए फ्युलिंग मशीन का विनिर्माण और पुनरीक्षण तथा वनाडियम के लिए रिफाइनिंग तथा मेल्टिंग जैसे कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे। प्रोटोटाइप निओबियम आर एफ एक्टिविटी का विनिर्माण और इसके टेस्ट क्रायोसेट को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, एच वी डी सी का विकास, लो इनर्जी हाई इंटेन्सिटी प्रोटोन एक्सीलिरेटर (एल ई एच आई पी ए) बेसमेंट एरियाज में परीक्षणों के लिए आर एफ क्यु सिस्टम के लिए आर एफ पावर सप्लाइज तथा इलेक्ट्रोन साइक्लोट्रोन रिसोनेंस (ई सी आर) लोन सोर्सिज और इसके बीम एक्सट्रेक्शन आदि जैसे कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे। यू^{233} क्लीन अप के क्षेत्र में, 18 के एच जेड बीम प्रदान करने के लिए कॉपर वेपर लेजरों की दो श्रृंखलाएं और डाई लेजर सिस्टम की एक श्रृंखला को पूरा किया जाएगा। थ-पु ''मोक्स'' लाइन प्रचालनात्मक हो जाएगी तथा थ-यू ^{233} ''मोक्स'' लाइन स्थापना के उन्नत स्तर पर होगी।

8.8 2009-10 के लिए जो कुछ अन्य योजनाएं तैयार की गई हैं, उनमें सम्मिलित हैं: डिसेलाइनेशन के संबंध में, नानोफिलट्रेशन और रिवर्स ओसमोसिस (यू एफ-एन एफ-आर ओ) प्रयोगात्मक लूप की स्थापना, और जल शुद्धिकरण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, कृषि अपशिष्ट/रसोई अपशिष्ट पर आधारित नए बायो गैस संयंत्रों की स्थापना, ट्युमरों की इमेजिंग के लिए एफ^{18} के साथ नए रेडियोफार्मास्युटीकल्स लेबल बालों के उतपादन के लिए प्रोटोकोलों का मानकीकरण, और इन्दोर में एक कृषि रेडिएशन प्रोसेसिंग सुविधा का डिजाइन आदि। ''इन्डस-II'' की पांच और बीम लाइनें चालू की जाएंगी। इसके अलावा, उपभोक्ताओं को चौबीस घंटे सिंक्रोट्रान रेडिएशन प्रदान करने के लिए तीन शिफ्टों में ''इन्डस-II'' के प्रचालन से संबंधित कार्यकलाप, एक सिंगल सैल निओबियम 1.3 जी एच जेड सुपरकंडक्टिंग केविटी तथा एक ट्युनिंग फिक्शर का विकास; मेडिकल और औद्योगिक उपयोग के लेसर आधारित औजारों के लिए जानकारी का हस्तांतरण; एक नए मेग्नेटिक फोर्स माइक्रोस्कोप की स्थापना; एक्स-रे फ्लुओरेसेंस अध्ययन के लिए कम्बीनेशन

डिटेक्टर का विकास; टेरा फ्लाप मशीनों और उच्च निष्पादन कंप्युटिंग फेसिलिटी क्लस्टरों की स्थापना का कार्य आयोजित किया जाएगा।

8.9 उपरोक्त के अलावा, एडवांस्ड मेटीरियल्स का रेडिएशन सहाय्यित विकास और स्पेक्ट्रोस्कोपिक करेक्टराइजेशन; फुज़न ग्रेड टोकोमेक्स के लिए आवश्यक उपस्करों और प्रौद्योगिकियों की शुरुआत; मेथमेटिक्स के विविध क्षेत्रों में अत्यंत प्रशिक्षित जनशक्ति का सृजन; इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं में सपोर्ट, अनुसंधान और विकास परियोजनाएं, उन्नत प्रौद्योगिकियां तथा बुनियादी/अनुप्रयुक्त विज्ञान और अंतर-विषय क्षेत्र, जो डी ए ई के लिए संगत हैं; वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन के उन्नत रूपांतर का प्रचालन; ''लिनाक-2'' तक रेडियोएक्टिव आईओन बीम फेसिलिटी को चालू करना; और 162 डिटेक्टरों तथा 50 एलिमेंट मल्टीप्लीसिटी फिल्टर एरे के साथ पूर्णतः असेम्बल्ड बीएएफ2 डिटेक्टर एरे को चालू कस्ना आदि जैसे कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे। अनुसंधान और शिक्षा संयोजनों के अंतर्गत, यू आई सी टी में शैक्षिक प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। डी ए ई-यू आई सी टी सेंटर फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एज्युकेशन एण्ड रीसर्च के लिए कार्यकलापों से सम्बद्ध इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, अवसंरचना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अवसंरचना संबंधी सुविधाएं, जैसे कि होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के लिए अतिरिक्त स्थान, इमारत का पुनरुद्धार तथा सेवाओं का स्तरोन्नयन आदि किया जाएगा।

अंतरिक्ष विभाग

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

8.10 पोलर सेटेलाइट लांच वेहिकिल पी एस एल वी-सी-9 को 28 अप्रैल, 2008 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, जिसके जरिए दस उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए गए - 690 कि.ग्रा. ''कारटोसेट-2ए'' दूरवर्ती संवेदी उपग्रह, जिससे एक मीटर रेजोल्युशन डेटा उपलब्ध हो सकता है; 83 किलोग्राम इंडियन मिनी सेटेलाइट (आई एम एस-1) जिसमें बहुत सी नई प्रौद्योगिकियां सम्मिलित हैं तथा जिसने सब-सिस्टमों को मिनिएचराइज्ड कर दिया है; कनाडा, यूरोप और जापान में विश्वविद्यालयों से आठ नानो-सेटेलाइट। पी एस एल वी, एक भरोसेमंद सर्वतोमुखी और कम लागत वाला प्रक्षेपण वाहन के रूप में उभरा है जो उच्च शुद्धता के साथ विभिन्न ओरबिटों के लिए उपग्रह प्रक्षेपित कारटोसेट-2क एक उच्च रेजोल्युशन कार्टोग्राफी मिशन है जबकि इंडियन मिनी सेटेलाइट आई एम एस-1 का उद्देश्य नेचुरल रिसोर्स सर्वे करना/ अनुप्रयोगों की योजना तैयार करना है।

8.11 चंद्रयान-1, भारत का प्रथम मानवरहित चंद्र मिशन सफलतापूर्वक 22 अक्तूबर, 2008 को आनबोर्ड पी एस एल वी सी 11 प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के बाद में सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध परिसर ओरबिटल संचालनों के माध्यम से चंद्रयान-1 को चंद्र कक्ष में स्थापित किया गया जो जमीन से लगभग 4 लाख किलो मीटर दूरी पर है। दो बड़े एंटीना के साथ (18 मीटर और 32 मीटर डाया) के साथ और सम्बद्ध भू-संघटक से

जुड़े डीप स्पेस नेटवर्क को, मिशन के लिए टी टी सी सहायता उपलब्ध कराने के लिए बंगलौर के पास बायलालु में स्थापित किया गया। चंद्रयान-1 द्वारा ले जाए गए उसके उनके ऊपर तिरंगा चित्रित करके ''मून इम्पेक्ट प्रोब इंस्ट्रुमेंट'' को स्थापित करने का उल्लेखनीय कार्य 14 नवंबर, 2008 को प्राप्त किया गया। नक्षत्र विज्ञान में एक बड़ी खोज, जिसका दीर्घावधिक चंद्र व नक्षत्र खोजों की योजना तैयार करने पर अपार प्रभाव पड़ेगा, चंद्र की सतह पर और चट्टानों पर जल अणुओं का पाया जाना था।

8.12 नई पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहन जी एस एल वी मेक-III में काफी प्रगति हुई। जी एस एल वी मेक-III के लिए एस-200 ठोस बूस्टरों के विनिर्माण के लिए एक आधुनिकतम बड़ी क्षमता वाला ठोस प्रोपेलेंट प्लांट (एस पी पी) चालू किया गया तथा एस 200 सजीव संघटकों में से एक की कास्टिंग व उपचार का काम नव संचालित प्लांट में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। एल 110 तरल चरणों और उच्चतर दबाव वाले क्रायोजेनिक चरण के लिए अपेक्षित विशेष परीक्षण और फेब्रिकेशन सुविधाएं भी चालू की गईं।

8.13 मानव मिशन के विकास के संबंध में विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन पूरे किए गए तथा ''ह्युमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम (एच एस पी)'' के संबंध में परियोजना तैयार की गई। 'गगन' के भू-संघटक - जिओ और जी पी एस आगमेंटिड नेविगेशन सिस्टम'' के संबंध में अंतिम पद्धति स्वीकृति परीक्षण से दस मीटर के विनिर्देश से बेहतर पोजिशन शुद्धताओं का पता चला। राडार इमेजिंग सेटेलाइट के लिए सिनथेटिक अपरचर, राडार, माड्यूलों का विकास, सेटेलाइट नेविगेशन ''गगन'' भू-संघटक की स्थापना और पुनरीक्षण; तथा 18 दिसंबर, 2008 को आयोजित देशज क्रायोजेनिक इंजिन का उड़ान स्वीकृति परीक्षण, उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धियां थीं।

8.14 स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सोसायटल अनुप्रयोगों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। टेली-शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 35,000 से अधिक कक्षा कक्ष देश में प्रचालनरत थे तथा 2000 कक्षा कक्ष पिछले एक वर्ष के दौरान प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, और गैर-औपचारिक शिक्षा क्षेत्रकों को कवर करते हुए, और जोड़े गए। उपग्रह-आधारित टेली-मेडिसिन सुविधा 375 केंद्रों में प्रचालनरत है जिनमें से 76 केंद्र वर्ष के दौरान जोड़े गए। टेली-मेडिसिन मोबाइल वैनों से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों की जांच करते समय विशेषज्ञ डाक्टरों से परामर्श का लाभ उठाया जा सकता है, बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता को लाभ पहुंचा है। अब 470 स्थानों पर ग्राम संसाधन केंद्र (वी आर सी) स्थापित किए गए हैं जिनमें वर्ष के दौरान एनजीओ के सहयोग से स्थापित 98 केंद्र सम्मिलित हैं। उन्हें अनेक ग्रामीण जरूरतों को, दक्षता विकास सहित, पूरा करने के लिए प्रभावी पाया गया। केंद्र ने ग्रामीण लोगों के दरवाजे पर ही अंतरिक्ष समर्थित सेवाएं प्रदान की, जैसे कि एकल खिड़की पद्धति के माध्यम से टेली-मेडिसिन, टेली-शिक्षा, आपदा प्रबंधन सहायता, मछुआरों को सलाह आदि।

8.15 आई आर एस से डेटा का उपयोग, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न विकासात्मक अनुप्रयोगों के लिए किया गया है। राष्ट्रीय शहरी सूचना पद्धति (एन यू आई एस) के अंतर्गत, जो शहरी विकास मंत्रालय

की एक परियोजना है, 30 कस्बों के संबंध में थेमोटिक मानचित्रण का काम पूरा किया गया तथा 30 और कस्बों के संबंध में कार्य चल रहा है। राष्ट्रीय संसाधन गणना (एन आर सी) के भाग के रूप में, आईआरएस ए डब्ल्युआईएफएस छवियों का इस्तेमाल करके भू-उपयोग/कवर मानचित्रण का कार्य सभी तीनों मौसमों (खरीफ, रबी और ज़ैद), चार चक्रों (2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 और 2007-08) के लिए पूरा किया गया तथा पांचवें चक्र के संबंध में कार्य शुरू किया गया। ''भू-सम्पदा'' नामक वेब समर्थित भू-उपयोग सूचना पद्धति शुरू की गई।

8.16 एन एन आर एम एस के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) द्वारा वित्तपोषित बर्फ और हिमनद अध्ययन परियोजना के अंतर्गत हिमालय के संबंध में 10 बर्फ कवर एटलस और 600 हिमनद तालिका नक्शों को अंतिम रूप दिया गया, जो 13 बेसिनों में हिमनद रीट्रीट अध्ययन आयोजित करने के अलावा था। एम ओ ई एफ के अनुरोध पर तटवर्ती/मेनेग्रोव्ज/ कोरल रीफ अध्ययन शुरू किए गए। सम्पूर्ण भारतीय तट के संबंध में तटवर्ती भू-उपयोग, मेनग्रोव्ज, कोरल रीफ और समुद्रीय संरक्षित क्षेत्रों (एम पी ए) नक्शे 1:25,000 पैमाने पर तैयार किए गए। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन के चरण III के भाग के रूप में, भू-जल संभावना नक्शे दस राज्यों के संबंध में तैयार किए गए हैं, जिनमें सम्मिलित हैं: आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू और काशमीर, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखण्ड, अरुणचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के भाग।

वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम

8.17 वर्ष 2009-10 के लिए प्रमुख मिशनों/ कार्यक्रम लक्ष्यों में सम्मिलित हैं: आर आई एस ए टी-2 (राडार इमेजिंग उपग्रह) और ''अनुसेट'' आनबोर्ड पी एस एल वी; ओसनसेट-2 उपग्रह आनबोर्ड पी एस एल वी; वृत्तीय विकास उड़ान, जी एस एल वी-डी 3 की (देशज क्रायो स्टेज ले जाते हुए), जी एस ए टी-4 उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए; कार्टोसेट-2ख उपग्रह आनबोर्ड भारत का पी एस एल वी; असेम्बली इंटेग्रेशन और रीसोर्ससेट-2 तथा यूथसेट उपग्रह का परीक्षण, और योजनाओं/ कार्यक्रमों के संबंध में कार्यकलाप आयोजित करना, जी ई ओ-एच आर, जी एस ए टी-10 तथा फोलो-आन सेटेलाइट सहित, उन्नत संचार उपग्रह (जी एस ए टी-11), ह्युमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ''सरल'', आदित्य-I और वायुमण्डलीय अध्ययनों के लिए छोटे उपग्रह।

8.18 दिन और रात में और साथ ही बादलों वाली स्थिति में भूमि की छवियां लेने की क्षमता के साथ, राडार इमेजिंग सेटेलाइट (आर आई एस ए टी-2) से भूमि प्रेक्षण के संबंध में, विशेष रूप से बाढ़, चक्रवात, भू-स्खलन के दौरान तथा और अधिक प्रभावी तरीके से आपदाओं के प्रबंधन में जमीन की छवि लेने की क्षमता के साथ राडार इमेजिंग सेटेलाइट (आर आई एस ए टी-2) ''अनुस्टेट'' का निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई द्वारा किया गया था, यह प्रथम प्रयोगात्मक संचार उपग्रह है जिसे ''इसरो'' के समग्र

मार्गदर्शन में भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किया गया था। उपग्रह से मेसेज स्टोर और फारवर्ड आपरेशनों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित होंगी।

ओसन कलर मानीटर और एक कु बैंड स्केटीरोमीटर ले जाते हुए ओसनसेट-2 से सेवाओं की सततता उपलब्ध होगी जो अभी तक ओसनसेट-1 द्वारा उपलब्ध कराई जाती थी। इसके अलावा, यह, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित वायुमण्डल अध्ययन के लिए रेडियो कंसलटेशन साउंडर ले जाएगा। ओसनसेट-2 डेटा का उपयोग संभावित मत्स्य क्षेत्रों का विनिर्धारण करने, समुद्र स्थिति का पूर्वानुमान लगाने तथा तटीय क्षेत्र अध्ययनों के लिए किया जाएगा तथा मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अध्ययनों के लिए इनपुट उपलब्ध कराएगा।

8.19 जी एस एल वी डी3 की तटीय विकास उड़ान देशज क्रायोजेनिक स्टेज के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। सभी परीक्षणों के पूरा हो जाने के बाद देशज स्टेज को जी एस एल वी प्रक्षेपण वाहन के साथ एकीकृत करने के लिए 28 सितंबर, 2009 को महेन्द्रगिरी से श्रीहरिकोटा ले जाया गया है। जी एस ए टी-4 की परिकल्पना मल्टी बीम कु बेण्ड बेंट पाइप और रीजेनेरेटिव ट्रांसपोंडरों और नेविगेशन पे लोड के साथ एक संचार प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह के रूप में की गई है। अंतरिक्षयान का एकीकरण और परीक्षण कार्य उन्नत चरण पर है। जी एस एल वी डी3 उड़ान से प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी।

8.20 कारटोसेट-2बी, 1 मीटर रेजोलुशन की तुलना में बेहतर दृश्य-विशिष्ट उच्च रेजोलुशन स्थल छवि उपलब्ध कराने में समर्थ, एक उन्नत दूरवर्ती संवेदी उपग्रह है। अंतरिक्ष यान का एकीकरण कार्य चल रहा है तथा 2010 की पहली तिमाही के दौरान आन बोर्ड पी एस एल वी सी-15 प्रक्षेपित करने की योजना तैयार की गई है। इसके अलावा, राडार, इमेजिंग सेटेलाइट के लिए सिंथेटिक अपरचर राडार पेलोड का विकास पूरा करने तथा अंतरिक्षयान एकीकरण कार्यकलाप शुरू करने की योजना है।

8.21 वर्ष 2009-10 के दौरान ''इनसैट/जी एस ए टी'' कार्यक्रम के अंतर्गत जी एस ए टी-5, जी एस ए टी-8, जी एस ए टी-12 और इनसेट-4ई/ जी एस ए टी-6 अंतरिक्ष यानों की प्राप्ति की दिशा में बल दिया जाएगा। इन अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण 2010-11 में किया जाएगा। उन्नत मेट्रोलाजिकल पेलोड का फेब्रिकेशन और परीक्षण कार्य पूरा करने की भी योजना है, अर्थात् 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर इनसेट 3डी के लिए तथा अंतरिक्ष यान एकीकरण कार्यकलाप आयोजित करने की भी योजना है।

8.22 सेटेलाइट नेविगेशन के क्षेत्र में 2009-10 के दौरान मुख्य लक्ष्य आई आर एन एस एस (इंडियन रीजनल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम) पेलोड और अंतरिक्ष यान, सिस्टम का डिजाइन, विकास, फेब्रिकेट और परीक्षण किया जाएगा तथा आई आर एन एस एस-1 के अंतरिक्ष यान असेम्बली कार्यकलाप शुरू किए जाएंगे, जो 7 उपग्रहों की श्रृंखला में प्रथम है। टी टी सी स्टेशन, रेफ्रेंस स्टेशन, मिशन नियंत्रण केंद्र और आई आर एन एस एस के लिए नेविगेशन नियंत्रण केंद्र शुरू करने की भी योजना है। भारतीय हवाईअड्डा प्रधिकरण के संयुक्त सहयोग से ''गगन'' का अंतिम प्रचालन चरण (एफ ओ पी) पूरा किया जाएगा।

8.23 प्रक्षेपण वाहन क्षेत्र में, ह्युमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम और सेमी-क्रायोजेनिक इंजिन विकास के संबंध में विकास कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। क्रिटिकल प्रौद्योगिकी घटकों का विकास किया जाएगा तथा क्रिटिकल टेक्नीकल अवसंरचना कायम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। जी एस एल वी मेक-III के संबंध में हार्डवेयर वसूली और वाहन असेम्बली कार्यकलापों हेतु परीक्षण पर बल दिया जाएगा। प्रेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपरेशनल पी एस एल वी और जी एस एल वी वाहन की प्राप्ति के लिए कार्यकलाप जारी रहेंगे।

8.24 अंतरिक्ष विज्ञानों के क्षेत्र में, चंद्रयान-I मिशन से प्राप्त डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण पर बल दिया जाएगा। इसके अलावा, पेलोड, इंटरफेस ब्योरों और अंतरिक्षयान आच्छादन पहलुओं को अंतिम रूप देने का काम भी शुरू किया जाएगा। विभिन्न अनुप्रयोग मिशनों, जैसे कि एन आर गणना, बड़े पैमाने पर मानचित्रण, सूखा/ बाढ़ मानीटरन, प्राकृतिक संसाधन डेटा बेस, जैव-विविधता करेक्टराइजेशन, फसल पैदावार अनुमान आदि पर भी कार्य जारी रहेगा।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

8.25 कृषि, खाद्य और पोषाहार, मानव और पशु स्वास्थ्य, औद्योगिक और पयावरणीय प्रौद्योगिकियों आदि जैसे जैव-प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में संक्रमणकालीन अनुसंधान पर बल देते हुए राष्ट्रीय महत्त्व की अनुसंधान विकास परियोजनाओं का चयन और समर्थन करने के लिए कठिन प्रयास किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन और कृषि, बायोमेडिकल इंजीनियरी, बायो-एनर्जी और जैव-ईंधनों, आर एन ए आई प्रौद्योगिकी और नानो जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अलग-अलग अन्वेषकों के साथ परियोजनाओं की बजाए बहु-संस्थागत परियोजनाओं को अपनाने पर भी बल दिया गया है। कुछेक प्रमुख आर एण्ड डी पहलों में सम्मिलित हैं: आठ देशों, यथा भारत, आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, जापान, स्पेन और यूनाइटिड किंगडम की प्रतिबद्धता और साथ ही कैंसर के 8 फार्मों के संबंध में जेनोमिक परिवर्तनों, शैवाल जैव-संसाधनों से बायो-ईंधन संबंधी नेटवर्क; गेहूं इंटरनेशनल क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग में भागीदारी, तंत्रिकाविज्ञान बीमारियों में प्रोटेओमिक्स पर आधारित बायोमेकर और क्षयरोग सिस्टम जीवविज्ञान आधारित औषधि खोज तथा बायोमेकर कार्यक्रम।

8.26 बाजार तक खोज के उपाय के साथ-साथ दक्ष मानव संसाधन सृजित करने की दिशा में जैव-सुरक्षा विनियमन, आई पी आर, प्रौद्योगिकी प्रबंधन तथा नैदानिक परीक्षण विकास में स्नातकोत्तर और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मेडिकल संस्थानों में संक्रमणशील स्वास्थ्य विज्ञान में एम.फिल शुरू करके फिजियन वैज्ञानिकों को प्रदान करने में भी प्रमुख प्रयास किए गए हैं। अवरस्नातक जीवन विज्ञान शिक्षण और प्रशिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए, संकाय के प्रशिक्षण सहित, देश भर में अनेक ''स्टार'' कॉलेजों के लिए सहायता प्रदान की गई। समकालीन क्षेत्रों में उन्नत शिक्षा और अनुसंधान के लिए, सुविधाओं, अध्येतावृत्तियों

और अस्थाई संकाय के रूप में पुनः इंजीनियरी और सहायता के लिए जीवन विज्ञानों के विश्वविद्यालय विभागों पर भी सक्रिय रूप से विचार किया गया है। अगले दस वर्षों के दौरान प्रत्येक 70 उत्तर-डाक्ट्रल अध्येतावृत्तियों तक के लिए सहायता प्रदान करने के वास्ते हिस्सेदारीपूर्ण वित्तपोषण के साथ एक नई स्कीम ''दि डी बी टी-वेलकम ट्रस्ट बायोमेडिकल रीसर्च कैरियर प्रोग्राम'' शुरू की गई है।

8.27 नूतनता और उत्कृष्टता के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम को कठोर तकनीकी मूल्यांकन पद्धतियों के साथ तेजी से कार्यान्वित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा के बाद उत्कृष्टता के 10 केंद्रों को सहायता प्रदान की गई तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के वास्ते 22 प्रस्तावों के लिए, जो कठोर आवश्यकता के मार्जिन पर थे, कार्यक्रम सहायता प्रदान की गई। इसके अलावा, बायो-मेडिकल प्रौद्योगिकी नूतनता में नेतृत्व प्रशिक्षण हेतु एक स्टानफोर्ड-इण्डिया बायो-डिजाइन (एस आई बी) कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे कि अगली पीढ़ी के इन्नोवेटर और उद्यमियों का एक समूह विकसित किया जा सके। ए आई आई एम एस-आई आई टी, दिल्ली केंद्र को एक आधुनिकतम मेडिकल यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के साथ सहायता प्रदान की गई। ''वेक्सीन ग्रांड चेलेंज प्रोग्राम'', केंडीडेट वेक्सीनों का विकास तेज करने के समग्र उद्देश्य से शुरू किया गया है जैसे कि रोटावायरस, कोलेरा, टायफायड, रेबीज, पशु और मानव (डी एन ए आधारित) एंथ्रेक्स, मलेरिया, डेंगु, क्षयरोग, जापानी मस्तिष्कशोथ, जिसके लिए पिछले संदर्भ उपलब्ध हैं और उन्हें निदान-पूर्व के माध्यम से तथा सफल होने पर उनका नैदानिक विकास और वाणिज्यिकरण ।

8.28 सैल बैंक और रीकोम्बीनेंट मलेरिया वेक्सीन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (बी बी आई एल), हैदराबाद को, मास्टर सैल बैंक विकसित करने के लिए, हस्तांतरित कर दिया गया था। डेंगु वेक्सीन के लिए एक नूतन केंडीडेट विकसित किया गया तथा ''जानकारी-नो हाऊ'' का और आगे विकास करने के लिए भारत में एक उद्योग भागीदार को हस्तांतरित किया जा रहा है। इसके अलावा, पशुओं की ब्रुसेला बीमारी के विरुद्ध एक वृद्धिशील कार्यकुशलता डी एन ए वेक्सीन तथा एस ए आर एस वायरस के लिए अनुसंधान और निदान हेतु कोटि रीजेन्ट्स का विकास किया गया है। इनमें सम्मिलित हैं: ट्रांसजेनिक सिल्कवोर्म स्ट्रेन्स, ड्राट टोलेरेंट ट्रांसजेनिक ग्राउन्डनट लाइंस, कंसटीट्युटिव वायरल प्रोमोटर, राइस टुंगरो बेसीलिफोर्म वायरास से प्राप्त, प्लांट्स में कंसटीट्युटिव जीन एक्सप्रेशन के लिए, माइक्रोरहिज़ा बायो-फर्टिलाइजर्स, बायोसेंसर, कीटनाशक अवशिष्ट का पता लगाना और मानीटरन आदि।

8.29 उभरते महत्त्व और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रो में नए किस्म के संस्थानों और प्रौद्योगिकी संकुलों की स्थापना करना ग्यारहवीं योजना की एक प्रमुख रणनीति रही है। मंत्रिमंडल ने संस्थानों की स्थापना की अनुमति दी है, नामतः इंस्टिट्यूट फॉर स्टेम सैल साइंस एण्ड रीजेनेरेटिव मेडिसिन्स, बंगलौर, मोहाली में ट्रांसलेशनल हैल्थ साइंस एण्ड टेक्नालाजी इंस्टिट्यूट (टी एच एस टी आई) में एग्री-फूड बायोटेक्नालाजी क्लस्टर इन नोलिज सिटी में यूनेस्को के तत्त्वावधान में रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी ट्रेनिंग एण्ड एज्युकेशन, फरीदाबाद, और इंस्टिट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स, कोलकाता। हाल ही में केरल में संभाले गए राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नालाजी का पुनर्गठन किया गया

और उसके कार्यकरण को अन्य डी बी टी संस्थानों के साथ समन्वित किया गया। स्वायत्त संस्थानों के आर एण्ड डी कार्यकलापों के फलस्वरूप 382 प्रकाशन प्रकाशित किए गए, 24 पेटेंट मंजूर/ फाइल किए गए, 9 पेटेंट पाइपलाइन में हैं आर 13 प्रौद्योगिकियां विकसित/ हस्तांतरित की गईं। इनमें महत्त्वपूर्ण हैं: घाव भरने के लिए स्केफोल्ड जैसे कृत्रिम चर्म और पशुओं की बलि दिए बगैर ट्रांसजेनिक्स का विकास, एन आई आई द्वारा, क्षयरोग निदान का लाइसेंस सी डी एफ डी द्वारा मेसर्स अर्का नानोनेड्स प्रा. लि. को प्रदान किया गया; फेनुग्रीक सीड्स से प्रोटीन-आधारित उत्पाद, जिससे डिस्पीपिडेमिआ और ओबेसिटी विनियंत्रित होती है, स्पर्मिसिडल कार्यकलाप वाला फार्मास्युटिकल कम्पोजीशन और ट्युमर सुप्रेसर एक्टीवेशन पालिपेप्टाइड, एन सी सी एस द्वारा आदि।

वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम

8.30 यद्यपि पिछली वार्षिक योजना में शुरू किए गए प्रस्ताव और कार्यक्रमों के लिए सहायता जारी रहेगी, तथापि वार्षिक योजना (2009-10) के दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित पर बल दिया जाएगा: नूतनता-उन्मुख ट्रांसलेशनल अनुसंधान, अनुसंधान सेवा सुविधाओं की स्थापना, नए संस्थानों के प्रचालनीकरण के लिए लक्ष्यों को पूरा करना, बी आई पी पी परियोजनाओं का कार्यान्वयन; प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अधिक सहायता तथा उत्पाद विकास कार्यकलाप, विशेष रूप से क्षेत्र/ नैदानिक परीक्षणों हेतु, उत्पाद फार्मूलेशन, विनियामक परीक्षण आदि। चल रहे अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों की कृषि में, पशु विज्ञानों, वेक्सीनों और निदान विज्ञान, स्टेम सैल बायोलाजी, बायो-इंजीनियरी, नानो-बायोटेक्नालाजी आर एन ए आई टेक्नालाजी, जैव-ईंधन और जैव-ऊर्जा, जैव-प्रोसेसिंग में ट्रांसलेशनल और उत्पाद विकास क्षेत्रों की दिशा में उनकी क्षमता की दृष्टि से व्यापक रूप से समीक्षा की जाएगी और उन्हें बढ़ाया जाएगा। वेक्सीन विकास के संबंध में ''ग्रांड चेलेंज प्रोग्राम'' कार्यान्वित किया जाएगा तथा डिजाइन, पोषण प्रौद्योगिकियों तथा जैव-इंजीनियरी द्वारा फसलों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा तथा मेडिकल प्रणालियां विकसित की जाएंगी। प्रस्तावों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं: नए जैव-सुरक्षा विधान के माध्यम से नेशनल बायोटेक रेगुलेटरी अथारिटी (एन बी आर ए) की स्थापना, जैव-सुरक्षा विधान के माध्यम से बायो-टेक्नालाजी इंडस्ट्री रीसर्च असिस्टेंस काउंसिल (बी आई आर ए सी) को प्रचालनात्मक बनाना, जिसे प्रायोगिक आधार पर पहले ही शुरू किया जा चुका है। नए बायो टेक उत्पादों के विकास के लिए सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना भी जारी रहेगा।

8.31 मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव-प्रौद्योगिकी के उद्यमशीलता कार्यक्रम कार्यान्वित करने तथा खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नए मास्टर्स व डाक्ट्रेट कार्यक्रम शुरू करने के अलावा कुछेक स्टार कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एन सी बी एस, बंगलौर में कम्युटेशनल जीव विज्ञान के क्षेत्रों में जैव-प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता और नूतनता तथा एन सी सी एस, पुणे में एपिजेनेटिक्स में दो नए केंद्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, जैव-प्रौद्योगिकी संकुलों के इर्द-गिर्द पशु सुविधाएं जैसी विभिन्न बायोटेक सुविधाएं, जेनोमिक तथा प्रोटेओमिक एनेलिसिस के लिए

राष्ट्रीय सुविधाएं, बायो सामग्री के लिए परीक्षण सुविधाएं, टिश्यु इंजीनियरी, जी एम ओ/ एल एम ओ की स्थापना की जाएगी।

8.32 अनेक अन्य कार्यक्रम, जैसे कि ग्रीन हाउस प्रभावों के अनुकूल फसलों का विकास, नैदानिक प्रयोजनार्थ डी एन ए चिप का विकास, एयरोबिक चावल के लिए मार्कर-सहाय्यित इंजीनियरी के संबंध में कार्यक्रम शुरू करना, अलगाई जैव-ईंधन के संबंध में नेटवर्क कार्यक्रम, क्लासिकल स्वाइन फीवर और ब्रुसेलोसिस के लिए निदान विज्ञान तथा वेक्सीनों का विकास, पूर्वोत्तर के 311 स्कूलों में डी एन ए क्लबों की शुरुआत आदि की जाएगी, जो आर एस वी इनफ्लुएंजा, एच आई वी/एड्स, टीबी, चिकुनगुनिया और एवियन फ्लु आदि के क्षेत्रों में नई विकास और अनुसंधान परियोजनाओं के अतिरिक्त है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

8.33 वर्ष के दौरान एक प्रमुख घटना संसद द्वारा विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड (एस ई आर बी) की स्थापना करने के लिए एक विधेयक को पारित किया जाना था। विज्ञान और इंजीनियरी परिषद (एस ई आर सी) ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के बहु-विषयक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धात्मक अनुदान पद्धति के अंतर्गत लगभग 550 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की तथा 10 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की। इसके फलस्वरूप 1200 अनुसंधान प्रकाशन प्रकाशित हुए, 20 पेटेंट, 120 पी सी आई फाइलिंग की गईं। चयनित औषधीय पौधों से असामान्य फैटी एसिडों के पृथक्करण और विनिर्धारण के लिए नई तकनीकों का विकास किया गया। नए बेंझीमिडाजोल और ओलेओ-बेंझीमिडाजोल डेरिवेटिव्ज का संश्लेषण किया गया जिसका एडिटिव्ज, लुब्रिकेंटों, और ओलिओ-केमिकल, फार्मास्युटिकल तथा पालिमर उद्योगों में कोटिंग के रूप में अनुप्रयोग किया जा सकता है।

8.34 डी एस टी ने बोधात्मक विज्ञान के क्षेत्र में एक नई पहल भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत दो बड़े राष्ट्रीय रूप से नेटवर्क जुड़े कार्यक्रम, यथा (i) भाषा और बोध; और (ii) बोधात्मक नेटवर्क का चयन किया गया है। एफ आई एस टी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित कुछेक प्रमुख सुविधाओं में सम्मिलित हैं: हाई रेजोलुशन स्केनिंग इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप (एच आर एस ई एम) और इलेक्ट्रोन माइक्रो प्रोब एनेलाइजर। प्रबुद्ध संस्थानों के लिए सहायता की बजाए विश्वविद्यालय क्षेत्रक में ''फिस्ट'' की निधियों के हस्तांतरण में प्राथमिकता के रूप में बल में विवेकपूर्ण बदलाव किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एस एण्ड टी आधार के समावेशी विकास के लिए एक विशेष पैकेज लागू किया गया तथा जम्मू और काशमीर में भी ऐसा ही पैकेज लागू करने का प्रस्ताव है।

8.35 वैश्विक ऊष्माकरण का प्रभाव आज हमारी जलवायु में निःसंदेह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस संदर्भ में विभाग ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में लगभग दस उपग्रह केंद्रों के

साथ-साथ रसायन विज्ञानों में एक प्रमुख प्रयोगशाला में एक ग्रीन केमिस्ट्री (सी जी सी) सेंटर स्थापित करने की पहल की है। उद्योग और शिक्षाविदों के साथ एक अन्योन्यक्रिया बैठक का आयोजन किया गया तथा एक व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए कुछेक समस्या क्षेत्रों का विनिर्धारण किया गया, जिसमें सम्मिलित हैं: अपशिष्ट जल से अमोनिया हटाना; गौण गाद का मूल्यवर्धन और सल्फेट को सल्फर में बदलना। विगत दस वर्षों में (1996-2006) अनुसंधान प्रकाशनों के आधार पर एच-इंडेक्स की दृष्टि से विश्वविद्यालयों की रैंकिंग द्वारा विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता का प्रोन्नयन (पर्स) शुरू किया गया तथा 14 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की गई। आर एण्ड डी अवसंरचना सुधारने के लिए महिला विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष पहल ''कूरी'' (महिला विश्वविद्यालयों में नूतनता और उत्कृष्टता हेतु विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन) भी शुरू की गई तथा दो महिला विश्वविद्यालयों (i) वनस्थली विश्वविद्यालय (राजस्थान); और (ii) अविनाशिलिंगम महिला विश्वविद्यालय को सहायता प्रदान की गई।

8.36 जल, सौर ऊर्जा विकल्प और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अभिसरण प्रौद्योगिकी समाधानों के लिए समन्वित कार्यक्रम शुरू किए गए। जल के क्षेत्र में वास्तविक जीवन स्थितियों में इन सभी प्रौद्योगिकियों और उत्पादों का परीक्षण और मूल्यांकन करने के लिए विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों में प्रयोगार्थ 24 प्रौद्योगिकी उत्पादों का विनिर्धारण किया गया है। ''पी ए एन-आई आई टी'' सौर ऊर्जा अनुसंधान पहल का उद्देश्य उन पद्धतियों के लिए हाइब्रिड समाधानों का विकास करना है जिनसे सुपुर्द की गई विद्युत के संबंध में 9 रुपए/के डब्ल्यु एच की शर्त पूरी हो सके। भारतीय सर्वेक्षण ने चांदनी चौक, दिल्ली में सभी इमारतों को कवर करते हुए 20 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए 3 डी जी आई एस में डेटा आधार विकसित किया है और उसे सम्पत्ति कर संग्रह, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और इमारतों में परिवर्तनों का पता लगाने के वास्ते इस्तेमाल किए जाने हेतु दिल्ली नगर निगम, दिल्ली को सौंप दिया गया है।

8.37 नानो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अंतर्गत, 11 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए तथा नानो विज्ञान के संबंध में शिक्षा कार्यक्रम 16 संस्थानों में शुरू किए गए, जो इस क्षेत्र मे 55 आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के अलावा था। इसके अलावा, मोहाली में नानो-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (आई एन एस टी) स्थापित किया गया। औषधियों और फार्मास्युटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय फार्म उद्योग को अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के वास्ते वित्तीय अनुदान प्रदान किए गए, जिनमें उपेक्षित बीमारियों जैसे कि मलेरिया और काला अज़ार के लिए चरण II और चरण III नैदानिक परीक्षण सम्मिलित हैं। कुछेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: ''रिसेपटोल' एचआईवी/ एड्स के प्रबंधन के लिए एक कोलोस्ट्रम आधारित प्रोटीन, मेसर्स बायोमिक्स नेटवर्क्स लि., मुंबई द्वारा उत्पादित, 'बोनिस्टा', ओस्टेओपोरोसिस के लिए इंजेक्टिबिल के रूप में एक पार्थरायड हारमोन, जिसे मेसर्स विरचोव बायोटेक प्रा. लि., हैदराबाद द्वारा शुरू किया गया था; और ''रोक्लोन'', एंटी-रो-डी इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन

(मोनोक्लोनल) 300 एम ई जी, नवजात के हेमोलिटिक रोग के लिए विकसित (एच डी एन), मेसर्स भारत सिरम्स एण्ड वेक्सीन्स लि., मुंबई द्वारा विपणन अनुमति प्राप्त।

8.38 विज्ञान के प्रति प्रतिभा को आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग ने ''इंसपायर'' नामक एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। वर्ष 2008-09 के दौरान 386 छात्रवृत्तियां आई आई एस ई आर और एन आई एस ई आर के छात्रों को संवितरित की गईं तथा 300 ''इंसपायर''इनटर्नशिप आई आई आई टी, इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य के कक्षा 11 के छात्रों को (शीर्ष 1 प्रतिशत) प्रदान की गईं। ए टी एम डेबिट कार्ड के माध्यम से छात्रों को सीधे ही अवार्ड और अध्येतावृत्तियां जारी करने के लिए डी एस टी और एस बी आई के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

8.39 डी एस टी के अनेक स्वायत्त संस्थान हैं जो विज्ञान तथा इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। सभी संस्थानों की प्रति वैज्ञानिक प्रकाशन की औसत सूची लगभग ~2% प्रति वर्ष है, जिसका ~2.5 का औसत आई एफ है तथा डी एस टी संस्थानों में वैज्ञानिकों की संख्या का ''एच'' इंडेक्स 35 से अधिक था। डी एस टी के ए आई में निवेशित औसतन आई एफ प्रति करोड़ लगभग 10.5 है, जो देश में सबसे अधिक में से एक है। स्वायत्त संस्थानों की कुछेक प्रमुख उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: लेब-स्केल पल्स्ड इलेक्ट्रो डिपोजिशन (पी ई डी) सुविधा की स्थापना और एन आई-एस आई सी पर आधारित नानो-मिश्रित कोटिंग का विकास, एंटी-डायबेटिक कार्यकलाप के लिए नानोपार्टिकल्स का सफल उपयोग, सैल पृथक्करण, एल एस एम ओ नानोपार्टिकल्स का बायो-वितरण। चित्रा हार्ट वाल्व के एक नए माडल का निदान-पूर्व मूल्यांकन पूरा किया गया तथा नैदानिक परीक्षणों की शुरुआत करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया गया।

वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम

8.40 विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग देश में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षमता के संवर्धन के लिए बुनियादी विज्ञानों और इंजीनियरी के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। एस ई आर सी द्वारा 25 एस ई आर सी स्कूल/ कार्यशालाएं आयोजित करने, अधिक संख्या में अध्येतावृत्तियां प्रारंभ करने और विभिन्न विश्लेषणात्मक साधनों के अनुप्रयोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से सुधार और अनुरक्षण के अलावा, लगभग 1000 नई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं समर्थित किए जाने की उम्मीद है। कर्त्तव्यनिष्ठ साधनों, भण्डारण सुविधाओं, डेटा भण्डारण और जनशक्ति विकास के साथ, आधुनिकतम सुविधाओं के साथ एक संग्रह स्थल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। सी जी सी, देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में विभिन्न समूहों द्वारा ग्रीन केमिस्ट्री अम्ब्रेला के अंतर्गत किए जा रहे अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित करेगा।

8.41 प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत, निम्नलिखित के विकास से संबंधित कार्यकलाप: बायो-ईंधनों के उपयोग के लिए क्षेत्र परीक्षण तथा उपयुक्त देशज प्रौद्योगिकियां; समुद्र जल आर ओ डिसेलिनेशन प्लांट;

पर्यावरण संरक्षण, जल संदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बद्ध समस्याओं के संबंध में उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास; स्टील निर्माण के लिए ''कोंटिफुर'' प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा अनुसंधान के संबंध में पेन आई आई टी समन्वित कार्यक्रम को जारी रखना आदि। इसके अलावा, डी एस टी ने, ''राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई योजना (एन ए पी सी सी)'' के अंतर्गत ''हिमालयाई पारि-पद्धति के संधारण के लिए राष्ट्रीय मिशन'' और ''जलवायु परिवर्तन के संबंध में नीतिगत ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन'' के विषय में मिशन दस्तावेज तैयार किए हैं और प्रधान मंत्री की परिषद को प्रस्तुत कर दिए हैं।

8.42 नानो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत नानो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए दो और नए संस्थान बंगलौर और कोलकाता में स्थापित करने के लिए उपाय किए जाएंगे। प्रत्याशा की जाती है कि आधुनिकतम सुविधाएं स्थापित करने के अलावा, 40 आर एण्ड डी परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाएगा तथा 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आश्वस्त पहुंच के साथ, डी ई एस वाई हमबर्ग, जर्मनी में ''पी ई टी आर ए III सिंक्रोट्रोन रेडिएशन सोर्स'' में एक नानो-आकार बीम लाइन सुविधा कायम की जाएगी। ''औषधि और फार्मास्युटिकल अनुसंधान कार्यक्रम'' के अंतर्गत, औषधि विकास से संबद्ध चुनिंदा क्षेत्रों में, जो भारत में विद्यमान नहीं है, राष्ट्रीय सुविधाएं स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी तथा ''निदानशास्त्र'' और साथ ही ''नई औषधि वितरण पद्धतियों'' के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।

8.43 ''इंसपायर'' कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर से 2 लाख छात्रों को ''इंसपायर'' अवार्ड प्रदान किए जाएंगे तथा 50,000 छात्रों से अधिक का चयन ''इंसपायर'' इनटर्नशिप के लिए किया जाएगा। ''रीसर्च कैरियर्स स्कीम'' के लिए आश्वस्त अवसर (ए ओ आर सी) को प्रचालित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां स्कीम (एस एच ई) का भी और अधिक संख्या में छात्रों को कवर करने के लिए विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2009-10 के दौरान स्वायत्त संस्थान, चालू कार्यकलापों को जारी रखने के अलावा अपने-अपने क्षेत्रों में नई अनुसंधान और विकास परियोजनाएं शुरू करेंगे। ''नेशनल मिशन आन बम्बू एप्लीकेशंस (एन एम बीए)'' के अतर्गत, दो परियोजनाएं, नामतः ''नानो व्हिस्कर्स'' तथा ठोस ''फोम'' आधारित बम्बू पैनल शुरू की जाएंगी।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), सी एस आई आर सहित

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

8.44 डी एस आई आर, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास व्यय में उद्योग के हिस्से में वृद्धि करने, व्यक्तियों में रचनात्मकता और नूतनता की भावना को प्रोत्साहित करने, नए उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उद्योग को प्रोत्साहित तथा सहायता प्रदान करने; प्रारंभिक चरण प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान करने आदि के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन विकास और उपयोग (टी पी डी यू) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। डी एस आई आर, परामर्श विकास केंद्र (सी डी सी) के माध्यम से देश में

परामर्श व्यवसाय को भी प्रोत्साहित करता है। अलग-अलग इन्नोवेटरों को मिलाकर लगभग 80 नई टेक्नोप्रीन्युर प्रोमोशन प्रोग्राम (टी ई पी पी) परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई तथा 18 टी ई पी पी आउटरीच केंद्र स्थापित किए गए। प्रतिस्पर्द्धात्मक प्रौद्योगिकियां विकसित करने के उद्देश्य से दस नई प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई। सी डी सी ने दस क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, 200 व्यावसायिकों को प्रशिक्षित किया गया और विशेषज्ञों का एक डेटाबेस तैयार किया गया। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एन आर डी सी) ने भारत में पेटेंटिंग के लिए 75 आविष्कारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की, 17 आई पी आर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और 38 आविष्कारों के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक सहायता प्रदान की।

8.45 सी एस आई आर, सुविधा निर्माण के अलावा, सुपरा-इंस्टिट्युशनल, नेटवर्क और इंटर एजेंसी मोड में बड़ी संख्या में परियोजनाएं कार्यान्वित कर रही है। कुछेक बड़ी उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: थेराप्युटिक एजेंटों के रूप में होस्ट-डिफेंस एंटी-बेक्टीरियल पेपटाइड्स की इंजीनियरी, पशु विकास के लिए आर एन ए आई की भूमिका, एस एन सी $एल_2$ मेडिएटिड साइक्लिज़ेशन ऑफ नाइट्रो एरेनेस वाया एन-एन बोंड फोर्मेशन; 1300 एम से अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों पर पश्चिमी हिमालय में खेती के लिए उपयुक्त *कुरकुमा अरोमेटिका* (हिमहल्दी) के नए कल्टीवर, स्टेफिलोकिनासे-पेटेंट क्लाट डिजोल्विंग एजेंट; ''सोलर पावर आपरेटिड कम्युनिटी रिवर्स ओसमोसिस डिसेलिनेशन यूनिट''; अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में *ग्रासिलारिआ एडुलिस* की खेती; मीथेन की नान-आक्सीडेटिव एक्टीवेशन के माध्यम से मीथेन को बदलना और इसे साथ-साथ मेथानोल के साथ गेसोलीन में बदलने की प्रक्रिया तथा उसका बाई-फंक्शनल जेड एस एम-5 टाइप जिओलाइटेस पर गेलोलीन रेंज हाइड्रोकार्बनों में बदलना। ''रेड अलगाई''कोंड्रिआ अर्माटा'' (कुइट्ज) ''ओकामुरा से ग्लाईकोलिपिडस'' टेक्सटाइल अपशिष्ट जल का सोलर फोटोकेटेलिक ट्रीटमेंट; एच आर बी सी एस के विरुद्ध टाक्सिसिटी के माडुलेशन के साथ एंटीबेक्टीरियल पेपटाइड्स की डिजाइनिंग के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण तथा प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए मुराया कोइनिगी से एक हर्बल एक्सट्रेक्टर तथा एक मोलेक्यूल। जी-क्वाड्रप्लेक्स (जी4 डीएनए) मोटिफ का इस्तेमाल करके जिनोम-वाइड स्केल पर ट्रांसक्रिप्शन में डी एन ए स्ट्रक्चर की भूमिका एक माडल के रूप में स्थापित की गई। आई-कारवोन रिच स्ट्रेन (कारवोन 65-73%) के एक नए सुधरे वैकल्पिक संभावित स्रोत ''कार्वोमिंट'' (मेंथा लोंगिफोलिआ एल) हडसन वार. इनकाना, का भी विकास किया गया तथा दक्षिण भारत में किसानों के क्षेत्रों तक उसका विस्तार किया गया। एक सामाजिक रूप से संगत कार्यक्रम नामतः ''सी एस आई आर 800'' भी वहनीय स्वास्थ्य, प्रक्रियाओं और उत्पादों के क्षेत्रों में, जो आम आदमियों के लिए वहनीय हैं, लोगों के लिए एस और टी साल्युशनों की व्यवस्था करके 800 मिलियन भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने के लिए शुरू किया गया। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लिए कम लागत वाले उपयुक्त संकटों का भी विकास किया गया, जो ढोने और असेम्बल करने में आसान हों और किफायती हों।

8.46 स्वयंसेवी अनुसंधानकर्ताओं को शामिल करके तथा अपनी इच्छानुसार आधुनिक औषिध खोज की समस्याओं का समाधान करने के लिए, जन समूह के लिए सस्ते स्वासथ्य समाधान विकसित करने के लिए ''ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी'' कार्यक्रम शुरू किया गया। अभी तक 1500 से अधिक पंजीकत प्रतिभागी पोर्टल पर हैं। ''वहनीय स्वास्थ्य'' और ''संधारणीय ऊर्जा'' पर एक बृहद कार्यक्रम भी मोलेकुलर फाउन्ड्री एप्रोच का इस्तेमाल करके सदैव बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर, पवन, समुद्र, बायोमास जैसे गैर-फोसिल स्रोतों की संभावना का पता लगाने के लिए और ऊर्जा स्रोतों के रूप में माइक्रोबिअल/ पादपों का उपयोग करने के लिए शुरू किया गया। संधारणीय ऊर्जा के लिए अमेरिका आधारित चटर्जी ग्रुप प्रवर्तित अनुसंधान संस्थान (आर आई एस ई) के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत 235 पेटेंट भारत में और 359 पेटेंट विदेश में फाइल किए गए।

8.47 ''राष्ट्रीय एस और टी मानव संसाधन विकास'' स्कीम के अंतर्गत 5016 एन ई टी अर्हताप्राप्त अनुसंधान फैलो (कनिष्ठ/ वरिष्ठ), 957 वरिष्ठ अनुसंधान फैलो (एस आर एफ) के लिए, सीधे चयन के माध्यम से, एस आर एफ-विस्तारित सहित, 195 अनुसंधान एसोसिएट्स (आर ए), 114 वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट (एस आर ए), 27 श्यामा प्रसाद मुखर्जी फैलो (एस पी एम एफ) के लिए सहायता प्रदान की गई। 21 योग्य वैज्ञानिकों को मुख्य रूप से भारत में किए गए उनके उत्कृष्ट अनुसंधान योगदान के लिए प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा दस सी एस आई आर वैज्ञानिकों को इन-हाउस उत्कृष्टता प्रोत्साहित करने के लिए युवा वैज्ञानिक अवार्ड प्रदान किए गए।

8.48 ''नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल'' स्कीम के अंतर्गत 3 स्वास्थ्य देख-रेख उत्पाद, अर्थात एंटी-सोरिआसिस फार्मुलेशन, एक नया टी बी मोलेक्यूल और एक जैव-थेराप्युटिक एंटी-बेक्टीरियल मोलेक्यूल ''लिसोस्टेफिन'' नैदानिक अध्ययनों के विभिन्न चरणों पर हैं। पारंपरिक औषधीय पद्धतियों से लिए गए तीन पाली-हर्बल फार्मूलेशनों का आधुनिक विज्ञान और औषधीय साधनों का इस्तेमाल करके थेराप्युटिक फार्मुलेशनों में विकास किया गया और चरण-III नैदानिक अध्ययनों के अंतर्गत हैं। इसके अलावा, बायो इन्फोर्मेटिक्स के क्षेत्र में विकसित साफ्टवेयर को, अर्थात बायो सूट, जेनो क्लस्टर, बायो-सूट सी और दर्शी को बाजार में उतार दिया गया है।

वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम

8.49 डी एस आई आर के प्रस्तावित कार्यकलाप हैं: (i) उद्योग के इन-हाउस अनुसंधान और विकास यूनिटों, एस आई आर ओ को मान्यता प्रदान करने से संबंधित विनियामक कार्यकलाप आयोजित करना, और उद्योग के लिए विभिन्न राजकोषीय प्रोत्साहनों को प्रचालनात्मक बनाना; (ii) किसी भी वैज्ञानिक नूतन विचार को 'टेक्नोप्रीन्युर प्रोमोशन प्रोग्राम (टी ई पी पी)'' के अंतर्गत अवधारणा स्तर के सबूत में बदलने के लिए सहायता प्रदान करना तथा लक्ष्य लगभग 100 नई इन्नोवेटर परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान

करने का है; और (iii) स्टार्ट-अप से लेकर लघु व्यवसाय (एम एस एम ई सहित) और स्थापित कंपनियों को आर एण्ड डी के अपस्केलिंग से लेकर प्रायोगिक स्तर तक की 10-15 नई कंपनियों को सहायता प्रदान करना तथा चुनिंदा मामलों में बाद में उनका वाणिज्यिकरण। इसने महिला वैज्ञानिकों और उद्यमियों के प्रौद्योगिकी सशक्तीकरण से संबंधित लगभग 5 कार्यक्रम कार्यान्वित करने का भी प्रस्ताव किया है। सी डी सी कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित होंगेः परामर्श के संबंध में नए प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू करना; 15 दक्षता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और छात्रों को प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण व अंतर्राष्ट्रीय परामर्श प्रथाओं से व्यावसायिकों को अवगत कराने के अलावा चालू परामर्श परियोजनाओं के वास्ते 100 छात्रों को अध्येतावृत्तियां प्रदान करना।

8.50 एन आर डी सी, ग्रामीण संकुलों के लिए प्रौद्योगिकी के उन्नयन, मोजम्बिक में सी एस आई आर प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और गैर-पारम्परिक ऊर्जा के उपयोग के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ सहयोग के अलावा महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम, पूर्वोत्तर में उद्यमशीलता विकास और आई पी जागरूकता कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना जारी रखेगा। सी ई एल द्वारा जिन स्कीमों पर बल दिया जाएगा, उनमें शामिल हैंः एक वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के जरिए पी वी माड्यूल का विकास, अर्थात तृतीय पीढ़ी डाई सेन्सीटाइज्ड सोलर सैल (डी एस एस सी), क्रिस्टेलीन सिलिकोन को छोड़कर; सौर उपाय के जरिए ऊर्जा उत्पादन के लिए सस्ते समाधान की व्यवस्था करना; और प्रति वर्ष 30,000 से 40,000 का उत्पादन करने के लिए पी सी एम की विनिर्माण क्षमता का विस्तार।

8.51 सी एस आई आर चल रहे कार्यक्रमों और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शुरू की गई नई पहलों को समर्थन प्रदान करना जारी रखेगी। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अनेक विकास होंगे, जिनमें शामिल हैंः सिंथेटिक रुटाइल, इलमेनाइट से टी आई ओ$_2$ पिगमेंट के उत्पादन के लिए कच्ची सामग्री; अपशिष्ट जल के डिफ्लुओराइडेशन के लिए बायोसिरेमिक आधारित मिश्रित एबडसोरबेंट मिडिया; उच्च कोटि व्हाइट लाइट आर्गनिक एल ई डी; आपदा रोकने और कोयला खानों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक सक्रिय सस्ती प्रौद्योगिकी; 30 टन क्षमता के साथ विश्व श्रेणी की उन्नत सेसमिक परीक्षण सुविधा; सौर शक्ति प्रचालित समुदाय रिवर्स ओसमोसिस डिसेलाइनेशन यूनिट खारे पानी से 700 लिटर प्रति घंटा पेय जल का उत्पादन; खाद्य ग्रेड प्लास्टिक कन्टेनरों के साथ टेराफिल वाटर फिल्टर; ''नीरी-जार'', एक वहनीय इंसटेंट वाटर फिल्टर; पम्बन ब्रिज की पुनः इंजीनियरी; स्पेस केप्सूल के लिए बायोमीट्रिक पे-लोड; कृत्रिम हाईब्रिडाइजेशन पद्धति द्वारा ''बी एल आई-अरुण'' के रूप में निश्चित लेमन ग्रास का नया स्ट्रेन; बेहतर प्रतिफल के लिए, जम्मू और काशमीर राज्य में चावल और धान के पारम्परिक कल्टीवरों की बजाए; पादप विकास के लिए अनूठे जैव उर्वरक/ बायोसंवर्धक; 20 टी पी डी ताजी मिर्ची प्रसंस्करण संयंत्र के लिए प्रौद्योगिकी; प्रोस्टेगलेंडिन्स विनिर्माण के लिए प्रक्रिया; और रेडिएशन थेरेपी द्वारा डीप सीटिड कैंसरों के लिए 6 एम ई वी मेडिकल एल आई एन ए सी।

8.52 ''ओपन सोर्स ड्रग डिस्कवरी'' के अंतर्गत और आगे विकास के लिए सार्वजिनक क्षेत्र में उपलब्ध लीडों का विनिर्धारण शुरू किया जाएगा। सी एस आई आर, 800 पहल के भाग के रूप में, विभिन्न पणधारियों को पी पी पी मोड में शामिल करके वहनीय स्वास्थ्य, पेय जल और ग्रामीण क्षेत्रक के क्षेत्रों में कार्यक्रम शुरू करेगी।

8.53 नई सहस्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल स्कीम के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल होंगेः 7 नई प्रायोजनाएं शुरू करना; टीबी-रोधी मोलेक्यूल के नैदानिक परीक्षण के भाग II की पूर्णता; लायसोस्टेफिन के नैदानिक परीक्षण के चरण II की पूर्णता; लेक्टिक एसिड के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अंतरण; दांत लगाने की शुरुआत; कन्जेस्टिव हार्ट फेल्योर (सी एच एफ) के लिए नैदानिक किटों की शुरुआत; 50'' हाई डेफिनिशन प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल (एच डी पी डी पीा-IV प्रोटोटाइप का विकास और प्रदर्शन; 10 टेरा फ्लाप्स हाई सुपर कम्प्यूटिंग मशीन का विकास और प्रदर्शन; इन-सिटु डिटेक्शन के लिए हस्त-धारित माइक्रो-पी सी आर सिस्टम का विकास; और बाजार में सोरिएटिक-रोधी फार्मूलेशन की शुरुआत।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियों की समीक्षा

8.54 मंत्रालय के कार्यकलापों ने मौसम (सामान्य), कृषि के लिए विशिष्ट मौसम सलाह, विमानन, पोत परिवहन, खेल-कूद आदि, मानसून, आपदा (चक्रवात, भूकम्प, सुनामी समुद्र स्तर उत्थान), तटवर्ती और समुद्रीय पारि-पद्धतियों, और जलवायु परिवर्तन में योगदान किया। वायुमण्डलीय विज्ञान, सूचना और सेवाओं के अंतर्गत, पर्याप्त मात्रा में माडलिंग पर्याप्त मानून पूर्वानुमान लगाया गया, और समग्र अखिल भारत वर्षा पूर्वानुमान अप्रैल और जून में 98 प्रतिशत के वास्तविक की तुलना में दीर्घावधिक औसत का 99 प्रतिशत और 100 प्रतिशत लगाया गया। सक्रिय और ब्रेक मानसून अवधियों को समझने के लिए आंतर-मौसमी परिवर्तनशीलता की एक नई तकनीक का अध्ययन किया गया। ग्यारह निम्न प्रेशर पद्धतियों का मानीटरन किया गया, जिनमें मानसून सत्र (जून-सितंबर) 2008 के दौरान भारतीय क्षेत्र और उत्तर भारतीय समुद्र के ऊपर 1 गहन डिप्रेशन, 3 डिप्रेशनों और 7 निम्न डिप्रेशनों सहित। 11 पद्धतियों में से 8 के जेनेसिस का आई एम डी द्वारा लगभग 2-3 दिन पहले पूर्वानुमान लगाया गया। क्षेत्रीय मौसम केंद्रों (आर एम सी)/ मौसम केंद्रों (एम सी) से मूल्यवर्धन के बाद एक नया जिला स्तर मौसम पूर्वानुमान और सलाह जारी की गई। विश्व अंकीय माडल पूर्वानुमानों का उपयोग करके 1 जून 2008 से 5 दिन तक का मौसम पूर्वानुमान जारी किया गया।

8.55 आई एम डी कार्यक्रम के आधुनिकीकरण के भाग के रूप में मुख्य कार्यकलाप दिल्ली और मुंबई के लिए (एक-एक) दो डोपलर मौसम राडारों का सेट, 70 देशज आप्टिकल थिओडोलाइट अधिग्रहित करने और 1350 आटोमेटिक वर्षा गेज (ए आर जी) तथा 550 आटोमेटिड मौसम स्टेशन (ए डब्ल्यु एस) प्राप्त करने से संबंधित थे। सुनामी चेतावनी केंद्र को प्रचालनात्मक बनाया गया तथा भारतीय समुद्र में कहीं भी भूकम्प आने

के 15 मिनट के अंदर चेतावनी देने के लिए सज्जित किया गया। आपदा घटने की स्थिति में सायरन उपलब्ध कराने में समर्थ बहु-प्रयोजन 10 इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन बोर्डों का एक सैट, समुद्र विज्ञान तथा सेवाओं के एक भाग के रूप में संभावित मत्स्य क्षेत्र सलाह प्रसारित करने के लिए उड़ीसा तट के चुनिंदा स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। भारतीय ट्रापिकल मीटिओरोलाजी संस्थान, पुणे में जलवायु परिवर्तन अध्ययन के संबंध में एक कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक मुद्दों पर, स्वास्थ्य, कृषि और जल जैसे क्षेत्रकों पर प्रभाव सहित, विचार करने के लिए आयोजित किया गया।

8.56 एंटार्कटिका के लिए 28वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया गया तथा एंटार्कटिक नमूनों से से पृथक किए गए स्ट्रेनों के संबंध में जैव-प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग पर कार्य करने के लिए मेसर्स निकोलस पिरामल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एन सी ए ओ आर और मैत्री के बीच विडियो कन्फ्रेंसिंग सुविधाएं कायम की गईं। आर्कटिक के लिए दो वैज्ञानिक अभियान प्रारंभ किए गए तथा भारत का स्टेशन ''हिमाद्रि'' स्थापित किया गया। समुद्र प्रौद्योगिकी के अंतर्गत 3 एल टी टी डी प्लांटों का एक सेट लक्षद्वीप के द्वीपसमूहों में स्थापित किया गया - अगाति, अंद्रोथ और मिनिकाय में एक-एक। एन आई ओ टी ने 1100 मीटर की गहराई तक समुद्र के नीचे दूरस्थ प्रचालित वाहन (आरओएसयूएम 600) प्रदर्शित किया।

8.57 अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान के विकास के भाग के रूप में, 55 और 63 ग्राम वजन की कोबिआ मोन के लोबस्टर/क्रेबों की फेटनिंग प्रदर्शित की गई, यह 110 दिन के अंदर क्रमशः 510 ग्राम और 650 ग्राम तक विकास कर सकती है। बायो-लिपिड की खोज करने तथा जैव-रसायन उत्पादन हेतु माइक्रोअलगाई की 32 प्रजातियों और सीवीड्स की 10 प्रजातियों के नमूने संभावित एंटीफाउलिंग कम्पाउंडों की स्क्रीनिंग के लिए एकत्र किए गए। तटवर्ती समुद्रीय पारिस्थितिकी सेवाओं के अंतर्गत तूना मीन एग्रीगेशन क्षेत्रों के विनिर्धारण के लिए प्रयोगात्मक आधार पर एक क्रियाविधि विकसित की गई। कोचि स्थित समुद्रीय रहन-सहन केंद्र ने भारतीय ई ई जैड के लिए समुद्रीय मेमल्स मौसमी और जलवायु संबंधी एलटस के संबंध में सी डी तैयार की। आधुनिकतम सुविधा से लैस टेक्नोलाजी डिमोंसट्रेशन वैसल (टी डी वी) 'सागर निधि' को सजीव-भिन्न संसाधनों का दोहन करने के लिए पूर्णतः प्रचालनात्मक बनाया गया।

वर्ष 2009-10 के लिए प्रस्तावित प्रमुख कार्यक्रम

8.58 वायुमंडलीय विज्ञान, सूचना और सेवाओं के अंतर्गत मुख्य कार्यकलाप निम्नलिखित से संबंधित होंगेः हाई रेजोलुशन डेटा प्राप्त और प्रोसेसिंग करने के लिए इनसेट-3डी के लिए ग्राउंड रीसिवर को चालू करना; एन ओ ए ए/ एम ओ डी आई एस/ मेट-उपग्रहों से ग्राउंड रीसिविंग और प्रोसेसिंग सिस्टम तथा 50 जी पी एस तथा पेरीफेरल्स की स्थापना; एकीकृत एग्रोमेट सलाहकार सेवाओं का प्रसार, कृषि मौसमविज्ञान केंद्र (सी ए जी एम ओ), पुणे का आधुनिकीकरण, जिसके अंतर्गत एक इष्टतम भूकम्प विज्ञानीय नेटवर्क की स्थापना; 20 विद्यमान स्टेशनों का स्तरोन्नयन और 20 अन्य स्टेशनों का एकीकरण, 50,000 सेसमिक अनालॉग चार्टों की स्केनिंग तथा 2500 रास्टर इमेजिंग का वेक्टर डिजिटीकरण सम्मिलित होगा।

8.59 राष्ट्रीय भूकम्प विज्ञान केंद्र (एन सी एस) की स्थापना के एक भाग के रूप में एक आधुनिकतम प्रचालनात्मक केंद्र और भूकम्प विज्ञान में प्रशिक्षण केंद्र के लिए आयानगर में एक अवसंरचना की स्थापना की जाएगी। आई एम डी के आधुनिकीकरण के एक भाग के रूप में 550 ओटोमेटेड वैदर स्टेशन (एडब्ल्यू-एस), 1350 आटोमेटिक रेन गेज (ए आर जी), 3 डापलर वेदर राडार (डी डब्ल्यु आर) की स्थापना और उन्हें चालू किया जाएगा। इसके अलावा भुज और कोचि में दो डी डब्ल्यु आर स्थापित किए जाएंगे तथा दिल्ली हवाई अड्डे पर एक एकीकृत निर्णय समर्थन पद्धति (आई डी एस एस) कायम की जाएगी। नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डल खेल-2010 के लिए जी एस एम और उपग्रह-आधारित आटोमेटिक मौसम स्टेशन कायम किया जाएगा। एम एफ आई के माध्यम से आई एम डी में पूर्वानुमान पद्धति चालू की जाएगी। बादलों और पर्यावरण तथा वर्षण के निर्माण के बीच अन्योन्यक्रिया का अध्ययन, भारत के विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न मौसमों में पवन और बादल माइक्रोफिजिक्स तथा थण्डरस्टोर्म के प्रेक्षणों के माध्यम से शुरू किया जाएगा। 'केईपीक्स' राष्ट्रीय प्रयोग में प्रेक्षण यंत्रीकृत वायुयान और बादल सीडिंग वायुयान की हायरिंग से संबंधित होगा। आई आई टी एम, पुणे में उच्च निष्पादन कम्प्यूटर पद्धति चालू की जाएगी।

8.60 राष्ट्रीय मिडियम रेंज वेदर फोरकास्ट केंद्र (एन सी एम आर डब्ल्यु एफ) के कार्यकलाप यूकेएमओ एण्ड टू एण्ड ग्लोबल एन डब्ल्यु पी पद्धति के कार्यान्वयन, यू के एम ओ एन डब्ल्यु पी पद्धति के साथ परीक्षण और पूर्वानुमान पद्धति के समामेलन तथा प्रेक्षण डेटा बेस को अधिकतम बनाने के लिए डब्ल्यु आर एम माडल से संबंधित होंगे। समुद्र विज्ञान तथा सेवाओं के अंतर्गत 40 नए इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन बोर्ड (ई डी बी) स्थापित किए जाएंगे। मेट/ एनवायरनमेंटल/ वेब टाइप के 12 डेटा बॉय को असेम्बल और एकीकृत किया जाएगा तथा प्रेक्षण नेटवर्क के भाग के रूप में 50 एग्रो फ्लोट्स, 30 ड्रिफ्टिंग बॉयज स्थापित किए जाएंगे।

8.61 आई एन सी ओ आई एस, तटवर्ती और अपतटीय अनुप्रयोगों के लिए मूल्य वर्धित सेवाएं और परामर्श सेवाएं आयोजित करेगा। भारतीय महासागर में सुनामी और तूफान उठने जैसी समुद्रीय आपदाओं को कम करने के लिए पूर्व चेतावनी पद्धति को और मजबूत बनाया जाएगा। पोलर साइंस और क्रायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत एंटार्कटिका के लिए अट्ठाइसवां भारतीय वैज्ञानिक अभियान प्रारंभ किया जाएगा, जो मैत्री के संरचनात्मक सुदृढ़ीकरण और एंटार्कटिका में तृतीय स्थायी आधार की स्थापना करने जैसे कार्यकलापों को आयोजित करने के अलावा होगा। आर्कटिक में भारतीय वैज्ञानिक प्रयासों के वैज्ञानिक और संभारतंत्रीय पहलुओं के सुदृढ़ीकरण के पूर्व, नी-एलेसुन्ड में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया जाएगा।

8.62 सौर डिसेलिनेशन के संबंध में समुद्र प्रौद्योगिकी अध्ययन को प्रोत्साहित करने, विजाग, कोचि, मंगलौर, मुंबई जैसे नीतिगत महत्त्वपूर्ण स्थानों पर आटोमेटिक बेनथिक एम्बीएन्ट नॉयज डिटेक्टर की तैनाती, 10 एम एल डी डिसेलिनेशन प्लांट के लिए आच्छादन और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक औद्योगिक भागीदार का पता लगाने का काम शुरू किया जाएगा। तटवर्ती और समुद्रीय पारि-पद्धतियों के तहत कार्यकलाप में शामिल होंगेः सज्जात्मक मीन की 2 प्रजातियों के पालन के लिए प्रौद्योगिकी का

विकास करना, आन-बोर्ड एफ ओ आर वी सागर सम्पदा पर दक्षिण समुद्र एम एल आर अभियान आयोजित करना; मध्य और पश्चिम अरब सागर का माइकटोफिड सर्वेक्षण। डायबेटिक-रोधी कम्पाउण्ड का चरण II नैदानिक परीक्षण आयोजित किया जाएगा तथा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के संबंध में एक कपल्ड माडलिंग पद्धति का विकास किया जाएगा। पालिमेटालिक मॉड्यूलों के खनन के लिए समुद्र जल संग्रह और क्रशिंग सिस्टम्सः कलेक्टर, क्रशर का विकास किया जाएगा।

8.63 विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए कुल समेकित योजना परिव्यय/व्यय संलग्नक 8.1 में और प्रत्येक छः एस और टी विभागों के लिए योजना परिव्यय/व्यय का स्कीम-वार ब्योरा संलग्नक 8.2 से 8.7 में दिया गया है।

संलग्नक 8.1

विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रक
योजना परिव्यय/व्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	विभाग का नाम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6
1.	परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एण्ड डी)	978.46	1228.00	1313.81	1638.00
2.	अंतरिक्ष विभाग	2821.75	3600.00	2810.02	4100.00
3.	जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	616.68	900.00	871.77	1000.00
4.	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	1266.89	1530.00	1517.12	1775.00
5.	वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान विभाग, सी एस आर सहित	1054.98	1200.00	1189.00	1350.00
6.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	359.06	750.00	469.56	900.00
	कुल जोड़	**7097.82**	**9208.00**	**8171.28**	**10763.00**

संलग्नक 8.2

परमाणु ऊर्जा विभाग (आर एण्ड डी क्षेत्रक)
स्कीम-वार ब्योरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1.	बी ए आर सी	400.39	420.00	424.27	525.00
2.	आई जी सी ए आर	70.92	90.00	112.90	120.00
3.	आर आर सी ए टी	41.80	55.00	61.88	83.00
4.	वी ई सी सी	24.40	50.00	66.66	59.50
5.	ए एम डी	29.70	50.00	50.81	70.00
6.	टी एम सी	58.19	50.00	66.05	67.80
7.	अनुसंधान और शिक्षा के लिए सहायता-अनुदान	228.82	340.00	367.30	422.20
8.	आई पी आर	100.10	140.00	144.90	250.00
9.	ए ई आर बी	3.00	3.00	1.26	2.50
10.	डी ए ई परियोजनाएं	2.84	5.00	2.15	18.00
11.	डी सी एस एण्ड ई एम	18.30	25.00	15.56	20.00
	जोड़	**978.46**	**1228.00**	**1313.81**	**1638.00**

संलग्नक 8.3

अंतरिक्ष विभाग
स्कीम-वार ब्योरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1.	**प्रक्षेपण वाहन मिशन**				
(i)	जी एस एल वी एम के आई	7.50	1.00	0.00	0.00
(ii)	जी एस एल वी प्रचालनात्मक	268.32	255.00	251.99	275.00
(iii)	क्रायोजेनिक अपर स्टेज परियोजना (सी यू एस पी)	0.96	0.10	0.70	0.37
(iv)	जी एस एल वी एम के III विकास	249.98	270.00	219.96	217.00
(v)	पी एस एल वी-सी	215.00	180.00	164.97	220.00
	उप-जोड़	**741.76**	**706.10**	**637.62**	**712.37**
2.	**पृथ्वी प्रेक्षण मिशन**				
(i)	ओसनसेट-2 और 3	29.39	10.00	8.24	6.00
(ii)	राडार इमेजिंग सेटेलाइट	57.78	25.00	27.64	5.00
(iii)	रिसोर्ससेट 2 और 3	45.33	35.00	25.13	35.00
(iv)	जी ई ओ एच आर इमेजर	0.00	25.00	0.00	
(v)	कार्टोसेट-3	0.00	5.00	0.00	1.00
(vi)	अल्तिका – अरगोस	0.00	25.00	0.00	10.00
(vii)	प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह	0.00	5.00	0.00	1.00
viii)	आपदा प्रबंधन उपग्रह (डी एम-एस ए आर)	0.00	5.00	0.00	1.00
(ix)	ई ओ फोलोवोना उपग्रह	0.00		0.00	
(x)	**उप-जोड-2**	**132.50**	**135.00**	**61.01**	**59.00**
3.	**अंतरिक्ष विज्ञान मिशन**				
(i)	चन्द्रयान 1 और 2	105.26	78.00	74.29	90.00
(ii)	मेधा ट्रापिक्स	14.32	20.00	18.92	15.00
(iii)	एस्ट्रोसेट 1 और 2	43.62	25.00	21.08	20.00
(iv)	उन्नत भूमण्डल मिशन	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	वायुमण्डलीय अनुसंधान और खगोलशास्त्र के लिए लघु उपग्रह	0.00	10.00	0.00	2.00
	उप-जोड़ 3	**163.20**	**133.00**	**114.29**	**127.00**

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
4.	**इनसेट उपग्रह**				
(i)	इनसेट-3 उपग्रह	39.22	10.00	20.71	8.70
(ii)	जी एस ए टी-4	4.50	7.00	4.79	2.90
(iii)	जी एस ए टी-5/इनसेट-4डी	22.00	10.00	9.90	6.00
(iv)	जी एस ए टी-6/ इनसेट-4ई	52.71	65.00	51.50	50.00
(v)	जी एस ए टी-8/इनसेट 4 जी	336.62	145.00	69.80	125.00
(vi)	इनसेट-4 सी आर	40.45		0.00	
(vii)	इनसेट-4/ जी एस ए टी उपग्रह (जी एस ए टी-9 से जी एस ए टी-14)	6.53	90.00	31.53	190.00
viii)	उन्नत संचार प्रौद्योगिकी उपग्रह	0.00	22.50	0.00	5.00
(ix)	इनसेट क्षमता संवर्धन (अल्पावधि)	0.00	30.00	2.23	2.00
(x)	इनसेट/ जी एस ए टी फोलोवोन उपग्रह	9.10		0.00	
	उप-जोड 4	**511.13**	**379.50**	**190.46**	**389.60**
5.	**उपग्रह नौचालन**	**90.43**	**270.00**	166.65	270.00
6.	**उन्नत प्रक्षेपण वाहन विकास**				
(i)	सेमी-क्रायोजेनिक इंजिन/स्टेज विकास	9.20	22.50	4.27	155.00
(ii)	मानव अंतरिक्ष उड़ान	3.11	125.00	34.82	230.00
(iii)	अंतरिक्ष केपस्यूर रिकवरी प्रयोग - एस आर ई	4.00	10.00	7.88	12.00
(iv)	रीयेजूबिल प्रक्षेपण वाहन प्रौद्योगिकियां	14.00	13.50	11.25	28.00
	उप-जोड़ 6	**30.31**	**171.00**	**58.22**	**425.00**
7.	**प्रमुख अंतरिक्ष अनुप्रयोग और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान**				
(i)	रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन (एन एन आर एम एस, एन आर सी ई एन एस यू एस, आर एस ए एम, एन आर एस ए, एन ई एस ए सी आदि सहित)	29.40	55.00	91.52	88.80
(ii)	आपदा प्रबंधन सहायता	74.92	65.00	20.69	40.00
(iii)	'सटकोम' अनुप्रयोग कार्यक्रम	12.38	15.00	6.86	3.57
(iv)	अंतरिक्ष विज्ञान और पर्यावरण (पी आर एल, एन ए आर एल सहित)	85.92	95.00	83.91	117.63
	उप-जोड़ 7	**202.62**	**230.00**	**202.98**	**250.00**

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
8.	**सूचना प्रौद्योगिकी सम्बद्ध अनुप्रयोग**				
(i)	राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन डेटा बेस	3.06	3.00	2.00	20.00
(ii)	ग्राम संसाधन केंद्र	13.00	35.00	11.70	30.00
(iii)	एड्युसेट आई टी नेटवर्क	50.32	8.00	34.65	12.00
(iv)	टेलिमेडिसिन नेटवर्क	5.00	8.00	4.50	5.00
(v)	कार्यालय पद्धतियों में आई टी अनुप्रयोग डी डब्ल्यु एफ सहित	0.00		0.00	5.00
	उप-जोड़ 8	**71.38**	**54.00**	**52.85**	**72.00**
9.	**आर एण्ड डी प्रौद्योगिकी तथा प्रक्रिया विकास**				
(i)	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम/ आर एण्ड डी/ लघु उपग्रह/ सेमी-कंडक्टर प्रौद्योगिकी का विकास	74.86	145.00	158.00	185.00
(ii)	अंतरिक्ष सामग्री का विकास और घटक तथा अग्रिम कार्रवाई	8.75	350.00	66.38	213.86
(iii)	प्रायोजित अनुसंधान	10.48	13.00	12.61	13.00
	उप-जोड़ 9	**94.09**	**508.00**	**236.99**	**411.86**
10.	**अवसंरचना/अनुषंगी सुविधाएं/ अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण**				
(i)	भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान/ एच आर डी	74.69	65.25	65.25	175.00
(ii)	तकनीकी सुविधाएं/ प्रतिस्थापन/ सुदृढ़ीकरण	173.93	315.00	297.58	370.00
(iii)	उद्योग अन्योन्यक्रिया तथा उत्पादनवाद	13.51	55.00	27.50	60.00
(iv)	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम	2.12	3.15	1.24	3.17
(v)	तकनीकी और अनुषंगी सुविधा सहायता	385.09	445.00	561.86	575.00
(vi)	सामान्य सिविल निर्माण कार्य और आवासन	134.99	130.00	135.52	200.00
	उप-जोड़ 10	**784.33**	**1013.40**	**1088.95**	**1383.17**
	कुल जोड़	**2821.75**	**3600.00**	**2810.02**	**4100.00**

संलग्नक 8.4

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग
स्कीम-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/ कार्यक्रम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1.	मानव संसाधन विकास	38.72	30.00	32.43	35.00
2.	उत्कृष्टता तथा नूतनता प्रोन्नयन कार्यक्रम	45.63	45.00	66.06	45.00
3.	बायोटेक सुविधाएं	22.50	25.00	25.00	20.00
4.	बायो-सूचना विज्ञान	22.65	20.00	21.77	20.00
5.	अनुसंधान और विकास	240.95	315.00	303.20	340.90
6.	महान चुनौती कार्यक्रम	45.00	45.00	51.69	40.00
7.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	14.24	15.00	14.53	15.00
8.	सामाजिक विकास के लिए जैव-प्रौद्योगिकी	12.49	10.00	9.98	10.00
9.	स्वायत्त और आर एण्ड डी संस्थानों के लिए सहायता	123.94	235.00	255.11	279.10
	आई एण्ड एम क्षेत्रक	**50.56**	**70.00**	**92.00**	**95.00**
10.	प्रौद्योगिकी इनकुबेटर्स, प्रायोगिक परियोजनाएं, जैव-प्रौद्योगिकी पार्कों और बायोटेक विकास निधि के लिए सहायता	50.56	10.00	92.00	5.00
11.	सरकारी-निजी भागीदारी लघु व्यवसाय नूतन अनुसंधान पहल (एस बी आई आर आई), जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बी आई पी पी), जैव-प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान सहायता परिसर (बी आई आर ए सी) की स्थापना		60.00		90.00
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	**0.00***	**90.00**	**0.00***	**100.00**
	जोड़	**616.68**	**900.00**	**871.77**	**1000.00**

* अलग-अलग स्कीमों में सम्मिलित

संलग्नक 8.5

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
स्कीम-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/ कार्यक्रम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1.	अनुसंधान और विकास सहायता	368.93	415.00	414.80	535.00
2.	प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम	33.28	35.00	43.00	50.00
3.	समाजार्थिक विकास के लिए एस एण्ड टी कार्यक्रम	96.97	95.00	100.84	108.00
4.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	46.16	50.00	48.67	50.00
5.	राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	14.00	10.00	13.95	15.00
6.	मानचित्रण संगठनों का आधुनिकीकरण (एस ओ आई और एन ए टी एम ओ)	27.73	16.00	25.13	16.00
7.	स्वायत्त संस्थान तथा व्यावसायिक निकाय	402.65	421.00	455.46	536.00
8.	व्यावसायिक रोजगार सृजन	0.54	1.00	1.00	0.00
9.	बांस उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी (मिशन मोड पद्धति)	20.00	20.00	20.00	40.00
10.	तालमेल परियोजनाएं (प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय)	9.67	8.00	16.00	20.00
11.	सूचना प्रौद्योगिकी	1.60	4.00	4.00	5.00
12.	भारत सरकार के साथ काम कर रहे वैज्ञानिकों/ प्रौद्योगिकीविदों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	4.00	5.00	5.00	5.00
13.	औषधियां तथा फार्मास्युटीकल्स अनुसंधान	117.46	100.00	96.50	96.00
14.	राष्ट्रीय नानो-विज्ञान तथा नानो-प्रौद्योगिकी मिशन	121.27	145.00	130.00	130.00
15.	उच्च शिक्षा में विज्ञान के लिए छात्रवृत्तियां (निगरानी समिति सिफारिशें)	0.00	85.00	84.96	40.00
16.	जल प्रौद्योगिकी पहल	1.02	5.00	4.96	15.00
17.	'इंस्पायर'	0.00	85.00	40.43	60.00
18.	नूतनता संकुल	1.61	5.00	4.92	7.00
19.	सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहल	0.00	5.00	2.50	7.00
20.	बुनियादी अनुसंधान के लिए वृहद सुविधाएं	0.00	20.00	5.00	40.00
	कुल जोड़	**1266.89**	**1530.00**	**1517.12**	**1775.00**

* आर एण्ड डी सहायता में सम्मिलित

संलग्नक 8.6

सी एस आई आर सहित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी एस आई आर), स्कीम-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/ कार्यक्रम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
	सी एस आई आर				
1.	राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	858.00	960.00	998.00	1085.00
2.	राष्ट्रीय एस एण्ड टी मानव संसाधन विकास	60.00	75.00	36.00	75.00
3.	बौद्धिक सम्पदा और प्रौद्योगिकी विकास	36.20	34.00	39.00	40.00
4.	आर एण्ड डी प्रबंधन सहायता	20.00	25.00	21.00	25.00
5.	नई सहस्राब्दि - भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल	55.00	60.00	60.00	70.00
6.	ट्रांसलेशनल अनुसंधान संस्थान की स्थापना	**1.00**	1.00	0.00	5.00
	जोड़ : सी एस आई आर	**1030.20**	**1155.00**	**1154.00**	**1300.00**
	डी एस आई आर				
1.	प्रौद्योगिकी प्रोन्नयन, विकास और उपयोग	12.48	26.00	20.50	33.00
2.	सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	2.80	5.00	4.50	6.00
3.	राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास सहयोग	7.50	10.00	8.00	6.50
4.	परामर्श विकास केंद्र	2.00	2.00	2.00	4.50
5.	डी एस आई आर इमारत और अवसंरचना	0.00	2.00	0.00	0.00
	जोड़ - डी एस आई आर	**24.78**	**45.00**	**35.00**	**50.00**
	कुल जोड़ - सी एस आई आर + डी एस आई आर	**1054.98**	**1200.00**	**1189.00**	**1350.00**

संलग्नक 8.7

पृथ्वी विज्ञान विभाग
स्कीम-वार ब्योरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/ कार्यक्रम/ परियोजना का नाम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6
1.	**वायुमण्डलीय विज्ञान और सेवाएं**				
(i)	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग	40.76	432.00	170.86	305.38
(ii)	राष्ट्रीय मिडियम रेंज वेदर फोरकास्ट सेंटर	5.83	11.00	7.68	20.00
(iii)	भारतीय ट्रापिकल मौसम विज्ञान संस्थान	13.83	13.00	29.00	60.00
(iv)	समर्पित मौसम चैनल और राष्ट्रमंडल खेल	0.00	5.00	0.00	5.00
2.	**समुद्रविज्ञान तथा सेवाएं**				
(i)	समुद्र प्रेक्षण और सूचना पद्धति	14.99	13.00	18.00	15.00
(ii)	डेटा बॉय कार्यक्रम और सागर मंजूषा का प्रचालन अनुरक्षण	6.00	10.00	14.80	10.00
(iii)	भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र	24.00	30.00	21.20	20.00
3.	**पोलर विज्ञान/ क्रायोस्फीयर**				
(i)	पोलन विज्ञान	28.48	35.50	57.38	94.00
(ii)	राष्ट्रीय एंटार्कटिका तथा समुद्र अनुसंधान केंद्र	14.00	15.00	8.12	15.00
(iii)	आर्कटिक के लिए अभियान	3.00	2.00	1.55	2.60
(iv)	आईस क्लास अनुसंधान पोत	0.00	5.00	0.00	0.50
4.	**समुद्र संसाधन**				
(i)	पालीमेटालिक नोड्यूल्स कार्यक्रम	8.10	15.00	14.59	13.00
(ii)	महाद्वीपीय शेल्फ की बाह्य सीमाओं का सीमांकन	0.63	1.00	1.00	1.00
(iii)	भारतीय ई ई जेड का व्यापक स्वाथ बाथीमीट्रिक	4.82	5.00	5.00	6.00
(iv)	गैस-हाईड्रेट अन्वेषण और दोहन का प्रौद्योगिकी विकास	4.00	12.00	6.00	35.00
(v)	बहुचैनल भूकम्पीय पद्धति आनबोर्ड ओ आर वी सागर कन्या	0.00	5.00	0.00	0.01
(vi)	डिसेलिनेशन परियोजना	1.00	10.00	0.00	5.00
(vii)	एकीकृत समुद्र ड्रिलिंग कार्यक्रम (आई ओ डी पी)	1.00	4.00	4.50	10.00
5.	**समुद्र प्रौद्योगिकी**				
(i)	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान	9.24	20.00	30.00	50.00
(ii)	मानस सहित सबमर्सिबिल का विकास	0.00	5.00	0.00	5.00

क्रम सं.	स्कीम/ कार्यक्रम/ परियोजना का नाम	2007-08	2008-09		2009-10
		वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6
(iii)	प्रायोगिक परियोजना के माध्यम से तट संरक्षण उपायों का डेमो	0.00	0.50	0.50	5.00
(iv)	एन आई ओ टी विस्तार केंद्र, प. बंगाल	0.00	0.50	0.00	0.01
(v)	समुद्र फ्रंट सुविधा	0.00	10.00	0.00	0.50
(vi)	तटवर्ती अनुसंधान पोत (सी आर वी)	5.00	5.00	5.00	5.00
(vii)	नए अनुसंधान पोत 'सागर निधि' का अधिग्रहण और प्रचालन	106.00	12.00	20.00	22.00
6.	**तटवर्ती समुद्र पारिस्थितिकी**				
(i)	एम आर टी डी + सी एम एल आर ई+ आई सी एम ए एम + सी ओ एम पी ए एस	18.71	17.00	18.63	50.00
7.	**जलवायु परिवर्तन विज्ञान**				
(i)	जलवायु परिवर्तन केंद्र	0.00	5.00	5.00	25.00
8.	**आपदा सहायता**				
(i)	बहु संकट पूर्व चेतावनी पद्धति	0.00	1.00	1.00	10.00
(ii)	पूर्व चेतावनी पद्धतियां (सुनामी और तूफान उठना)	29.60	15.00	10.32	15.00
(iii)	भूकम्प विज्ञान और भूकम्प अग्रगामी	0.00	0.00	0.00	15.00
9.	**मुराल-बाह्य संघटक**				
(i)	पृथ्वी और वायुमण्डलीय विज्ञान में आर एण्ड डी	0.00	7.00	8.73	20.00
(ii)	ओ ए एस टी सी	4.38	5.00	4.39	8.00
10.	**आउटरीच**				
(i)	सेमिनार/ संगोष्ठियां आदि	2.59	2.00	4.02	7.00
(ii)	सूचना प्रौद्योगिकी	2.10	1.00	2.29	18.00
(iii)	राष्ट्रीय महासागर संग्रहालय	1.00	0.50	0.00	2.00
(iv)	मुख्यालय इमारत	10.00	20.00	0.00	25.00
	कुल जोड़	**359.06**	**750.00**	**469.56**	**900.00**

अध्याय 9
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

9.1 पर्यावरण

समीक्षा

9.1.1 देश के सामने प्रस्तुत प्रमुख पर्यावरणीय चुनौतियां अनेक आयामों और आर्थिक विकास की दृष्टि से गरीबी के साथ पर्यावरणीय अवनयन के गठजोड़ से जुड़ी हैं। ये चुनौतियां अंदरुनी तौर से पर्यावरणीय संसाधनों की स्थिति से जुड़ी हैं, जैसे कि भूमि, जल, वायु और उनके जीव-जंतु व वनस्पति। गरीबी को, विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों के बीच ऐसी गरीबी को बढ़ाने और उसे बनाए रखने में पर्यावरणीय अवनयन एक प्रमुख कारण है जबकि ऐसा अवनयन मुद्रा उर्वरता, जल की मात्रा और गुणवत्ता, वायु की कोटि, वनों, वन्यजीवन और मात्स्यिकी को प्रभावित करता है।

9.1.2 यह अधिकाधिक स्पष्ट है कि घटिया पर्यावरणीय गुणवत्ता ने मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। अनुमान है कि कुछ मामलों में भारत में बीमारी के लगभग 20 प्रतिशत बोझ के लिए पर्यावरणीय कारक जिम्मेदार हैं तथा अनेक पर्यावरण-स्वास्थ्य कारक गरीबी के आयामों के साथ निकटतः जुड़े हैं (उदाहरणार्थ, कुपोषण, स्वच्छ ऊर्जा और जल की सुलभता का अभाव)। अनेक क्रांतिक स्वास्थ्य समस्याओं के भार को कम करने में बहुत से उपाय अनेक अवसर उपलब्ध कराते हैं जैसे कि वायु प्रदूषण को कम करना, मृदा को संदूषण से बचाना, सुधरे स्वच्छता उपाय और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य शासन।

9.1.3 सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रत्येक क्षेत्र में इसकी कार्यनीतियां सिद्धांतों के एक ऐसी पद्धति पर आधारित हों जिनसे आर्थिक विकास और पर्यावरणीय अनिवार्यताओं में तालमेल हो।

9.1.4 विभिन्न पर्यावरणीय माध्यम, जैसे कि वायु, जल, मृदा आदि में प्रदूषण की प्रवृत्तियों को समझते हुए मंत्रालय ने, क्रांतिक पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण, आंतर-पीढ़ी साम्यता, गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा, अंतर-पीढ़ी साम्यता, आर्थिक और सामाजिक विकास में पर्यावरणीय समस्याओं के एकीकरण, पर्यावरणीय संसाधन उपयोग में कार्यकुशलता, पर्यावरणीय शासन और पर्यावरणीय संरक्षण हेतु संसाधनों के संवर्धन के उद्देश्य से राष्ट्रीय पर्यावरणीय नीति (एन ई पी-2006) अपनाई थी।

9.1.5 ग्यारहवीं योजना में चार समाजार्थिक मानीटरन योग्य लक्ष्य विनिर्धारित किए गए हैं जिनमें से पर्यावरण से सीधे ही सम्बद्ध दो लक्ष्य हैं: (1) नदी जल को साफ करने के लिए 2011-12 तक सभी शहरी अपशिष्ट जल का उपचार करना; (2) सभी प्रमुख नगरों में 2011-12 तक वायु कोटि संबंधी डब्ल्यु एच ओ मार्गनिर्देश प्राप्त करना। नदियों को साफ करना एक महान कार्य है। अनुमान है कि देश में श्रेणी I और II के नगर लगभग 33,000 एम एल डी अपशिष्ट जल का सृजन करते हैं जिनमें से 7650 एम एल डी एस टी पी

क्षमता विद्यमान है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 3927 एम एल डी क्षमता का सृजन किया गया है तथा शेष 48 प्रतिशत का सृजन शहरी विकास मंत्रालय की जे एन एन यू आर एम स्कीम के अंतर्गत किया गया था। विद्यमान वायु गुणवत्ता के संबंध में राष्ट्रीय मानक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं। वायु कोटि मानकों में संशोधनों को अंतिम रूप दिया गया है तथा इन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

9.1.6 पर्यावरण और वन मंत्रालय का ग्यारहवीं योजना परिव्यय 10,000 करोड़ रुपए है जिसमें से 3786.01 करोड़ रुपए का परिव्यय पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए है। ग्यारहवीं योजना परिव्यय में से वर्ष 2007-08 में पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के लिए वास्तविक व्यय 545.16 करोड़ रुपए तथा 2008-09 के लिए 567.14 करोड़ रुपए है जबकि अनुमोदित परिव्यय क्रमशः 599.16 करोड़ रुपए और 601.38 करोड़ रुपए था।

9.1.7 पर्यावरण और पारिस्थितिकी के अंतर्गत नौ कार्यक्रम हैं - छः केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें हैं और तीन केंद्र प्रायोजित स्कीमें हैं। पर्यावरणीय मानीटरन और शासन कार्यक्रम के अंतर्गत छः सी एस स्कीमों के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी), जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 में यथा निर्धारित कार्य निष्पादित करता है और जल तथा वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विस्तृत राष्ट्र व्यापी कार्यक्रमों की योजना तैयार करने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। मात्रात्मक प्रदान करने योग्य में से 1429 स्थानों पर जल कोटि मानीटरन स्टेशन, 345 प्रचलित वायु कोटि मानीटरन स्टेशन, और 11 आटोमेटिक वायु कोटि मानीटरन स्टेशन भी कायम किए गए थे। प्रदूषण उपशमन स्कीम के अंतर्गत, क्षेत्रीय कार्यालयों ने 2008-09 के दौरान एफ पी ए 1980 और ई पी ए 1986 के अंतर्गत, निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में कुल 602 स्थानों और 1428 परियोजनाओं का आकलन किया गया तथा कुल 1612 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई। खतरनाक अपशिष्ट के लिए 8 सी ई टी पी और 2 टी एस डी एफ को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। संरक्षण और विकास स्कीम के लिए अनुसंधान और विकास के लिए अनेक अनुसंधान संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कुल 6500 नमूने एक विनिर्धारित, प्रोसेस और हरबेरिया में सम्मिलित किए गए तथा 949 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा (बी एस आई) प्रलेखबद्ध किए गए। भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण (जेडएसआई) ने 141 जंतु स्रोतों, 826 नमूनों का विनिर्धारण किया तथा 34 पुस्तकें प्रकाशित कीं। 24 वनस्पति उद्यानों में क्षेत्रीय वनस्पति उद्यानों को संघटक सहायता के अंतर्गत सुधरी सुविधाएं प्रदान की गईं। वर्ष 2008-09 के दौरान 41 नई परियोजनाओं के लिए विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई, चल रही 98 परियोजनाओं का मानीटरन किया गया तथा पूरी हो गई 59 परियोजनाओं की अंतिम तकनीकी रिपोर्टें स्वीकार की गईं।

9.1.8 पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मानवों और पर्यावरण के बीच संबंध के बारे में सभी स्तरों पर लोगों की समझ-बूझ में वृद्धि करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 111,609 पारि-क्लबों को सहायता प्रदान की गई। ई एन वी आई एस नेटवर्क को पांच वैचारिक और तीन क्षेत्रीय समूहों में वर्गीकृत किया गया। मानीटरन और आकलन करने के लिए, कार्यशालाओं के माध्यम से वैचारिक/ तीन क्षेत्रीय समूहों में सेमिनार आयोजित किए गए। पर्यावरण रिपोर्टिंग की स्थिति के संबंध में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। सी एस स्कीम के अंतर्गत 16 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलापों, भारत सरकार-यू एन डी पी - सी सी एफ कार्यक्रम, चल रही परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की गई।

9.1.9 पर्यावरण क्षेत्रक की सी एस एस के अंतर्गत सम्मिलित कार्यक्रम हैं: (1) प्राकृतिक संसाधन और पारि-पद्धतियों का संरक्षण; (2) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना; और (3) दाय, तीर्थस्थल और पर्यटन केंद्रों में, ताज संरक्षण सहित, पर्यावरणीय प्रबंधन। एम ए पी को 50 नमभूमियों, 10 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, मेनग्रोव और कोरल रीफ के 25 एम ए पी, 15 जैवमण्डल रिजर्व के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। एक झील पर एन एल सी पी कार्य पूरा किया गया। एन आर सी पी का उद्देश्य, प्रदूषण उपशमन निर्माण कार्यों के माध्यम से, स्नान करने की कोटि के स्तर पर, नदियों की जल कोटि को सुधारना है। 2008-09 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 276 करोड़ रुपए के व्यय के साथ कुल 376.76 एम एल डी सिवेज उपचार क्षमता चालू की गई।

9.1.10 नीतिगत मुद्दे, कार्यक्रम सुधार और 2008-09 व 2009-10 में नई पहल

- एक राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्रवाई योजना नवंबर 2008 में जारी की गई। योजना में प्रमुख आशंकाओं और बाधाओं का विनिर्धारण किया गया है जिनका जैव-विविधता को सामना करना पड़ रहा है तथा उनके समाधान/संरक्षण के लिए कार्रवाई मुद्दों की सूची दी गई है।

- तटवर्ती प्रबंधन क्षेत्र (सी एम जेड) अधिसूचना का एक मसौदा मई 2008 में जारी किया गया था जिसमें एक विनियामक रूपरेखा की बजाए, जिसे आजकल कार्यान्वित किया जा रहा है, एक एकीकृत तटवर्ती प्रबंधन दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया है।

- ई आई ए अधिसूचना में संशोधन का मसौदा 19 जनवरी 2009 को जारी किया गया, जिसमें आकलन और मंजूरियों की एक कुशल पद्धति विकसित करने के लिए विभिन्न पणधारियों से टिप्पणियां/ सुझाव मांगे गए थे तथा राज्य ई आई ए प्राधिकरण स्थापित करके, जिनकी अभी तक स्थापना नहीं की गई है, राज्यों के साथ एक प्रभावी समन्वय कायम किया जाएगा।

- विगत अनुभव के आधार पर संकटपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, संकटपूर्ण अपशिष्ट (प्रबंधन, हेण्डलिंग और सीमा-पार संचलन) नियम 2008 के संबंध में एक अधिसूचना सितंबर, 2008 में जारी की गई थी। इस अधिसूचना में एक संशोधन जुलाई 2009

में जारी किया गया है। जैव-मेडिकल अपशिष्ट (प्रबंधन और हेण्डालिंग) नियम 1998; म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हेण्डलिंग) नियम 2000; और प्लास्टिक्स नियम 1999 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि इन नियमों को सुदृढ़ तथा तर्कसंगत बनाया जा सके।

- देश में अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए एक मार्गदर्शी चित्र तैयार करने के लिए एक समिति गठित की गई है। समिति, म्युनिसिपल ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-आधारित, जैव-मेडिकल अपशिष्ट आदि जैसे मुद्दों पर विचार करेगी। उसके बाद एक कार्रवाई योजना तैयार की जाएगी जिसके 2009-10 में पूरी हो जाने की उम्मीद है।

- पुनर्गठित वृहद नदी संरक्षण कार्यनीति - राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन जी आर बी ए) की स्थापना। अन्य पहलों में सम्मिलित हैं: राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर नदी संरक्षण प्रयासों में तालमेल कायम करने, संस्थागत संरचना कायम करना। राज्यों के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन, नूतन वित्तपोषण मॉडल अपनाने और सम्वर्ती मूल्यांकन के माध्यम से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच संबंधित समन्वय के जरिए राज्यों द्वारा (राज्य नदी संरक्षण प्राधिकरण) संस्थागत संरचना कायम करना सम्मिलित है।

- एक राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनल (एन जी टी) विधेयक तैयार किया गया है तथा 31.07.2009 को लोक सभा में पेश किया गया है। विधेयक पास होने से पर्यावरणीय अधिनिर्णयन मजबूत होगा तथा विवादों का निपटान होगा।

- एन जी टी के समानांतर, देश में एक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (एन ई पी ए) कायम करने का प्रस्ताव है। इस पहल के अंतर्गत वर्तमान पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति की नाजुकता और कार्यान्वयन में तदनुरूपी कमजोरी को स्वीकारा गया है।

- पर्यावरण रिपोर्टिंग की स्थिति (एस ओ ई) : इस प्रोसेस का एक क्रमिक ढंग से महानगर स्तर और जिला स्तर तक विस्तार किया जाएगा। एक राष्ट्रीय पर्यावरण रिपोर्ट स्थिति 2009 में जारी की गई।

- नम भूमियों के प्रबंधन के लिए विनियामक व्यवस्था की एक रूपरेखा को विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया गया।

- पर्यावरणीय अनुसंधान के संबंध में तैयार किए गए नए मार्गनिर्देशों के अनुसरण में, मंत्रालय के विभिन्न अनुसंधान वित्तपोषण कार्यक्रमों को मिलाकर छः कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। अन्य पहलों में सम्मिलित हैं: राष्ट्रीय पर्यावरण अध्येतावृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ करना, पारिस्थितकी और पर्यावरण के लिए एक गांधी पीठ, सी एस आई आर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम और एक विशिष्ट राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान संस्थान (एन ई पी टी आर आई) की स्थापना।

वर्ष 2009-10 के लिए कार्यक्रम और स्कीमें

9.1.11 कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक तथ्यः पर्यावरण मानीटरन और शासन 1500 स्टेशनों पर जल कोटि मानीटरन, 400 स्टेशनों पर प्रचलित वायु कोटि मानीटरन, 35 आटोमेटिक वायु गुणवत्ता मानीटरन स्टेशनों की स्थापना। प्रदूषण के उपशमन की स्कीम के अंतर्गत प्रयोगशाला/अन्य तकनीकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 15 एस पी सी बी/ यू टी पी सी सी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। समतुल्य लघु उद्योगों के संकुलों से उत्पन्न होने वाले निस्सार का उपचार करने के लिए चार सी ई टी पी को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। संकटपूर्ण पदार्थ प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत संकटपूर्ण अपशिष्टों और म्युनिसिपल अपशिष्टों के निपटान के लिए सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2009-10 में चार टी एस डी एफ, 8 नए सी बी एम डब्ल्यु टी एफ के लिए जैव-मेडिकल अपशिष्टों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा दो आपात सेवा केन्द्र और एक नया म्युनिसिपल बेस अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा। एक महत्त्वपूर्ण पहल के अंतर्गत सम्मिलत हैः स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रोन्नयन। वर्ष 2009-10 में भारत में और विदेश में उपलब्ध स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के संबंध में डेटाबेस के लिए वित्तपोषण तथा प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए नूतन प्रौद्योगिकी और जल संरक्षण से संबंधित 5-6 परियोजनाएं पूरी हो जाने की उम्मीद है।

9.1.12 आर एण्ड डी परियोजनाओं के लिए सहायता के माध्यम से बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के लिए कार्यनीतियां, प्रौद्योगिकियां तथा क्रियाविधियां विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे। वर्ष 2009-10 में, विनिर्धारित प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, बनाए रखने और प्रबंधन के बहु-विषयक पहलुओं में 50 नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी तथा चल रही 150 परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।

9.1.13 94.82 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ पर्यावरण सूचना, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 6 स्कीमों की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2009-10 के दौरान, स्कीम के अंतर्गत 1,00,000 पारि-क्लबों, 70 सेमिनारों/ संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं, 200 नए शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण कार्यक्रमों, जीव-जंतु और वनस्पति के संरक्षण के संबंध में 28 शैक्षिक कार्यक्रमों, 76 विद्यमान व 4 नए ई एन वी आई एस केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ई एन वी आई एस केंद्र 'एनवायरन न्यूज' और 'पर्यावरण' उद्धरण प्रत्येक के चार अंक, वार्षिक रिपोर्ट (2008-09) भी प्रकाशित करेंगे तथा 4 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में एस ओ ई रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एक राष्ट्रीय पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2009 में जारी की जाएगी। एन एम एन एच के प्रदर्शों को अद्यतन बनाने के लिए भी अवसंरचना कायम की जाएगी। मंत्रालय की ई-शासन परियोजना का उद्देश्य गहन और व्यापक व्यवस्थित सुधार लागू करके व्यवसाय प्रक्रिया को पुनर्बलित करना है। 2009-10 में स्कीम के अंतर्गत कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना के चरण 3 के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना-भिन्न प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति, ई-चैम्पियनों को प्रशिक्षण प्रदान

करना, मंत्रालय में एक कोटि आश्वासन समूह की स्थापना और सुरक्षा नीति तथा मार्गदर्शक रूपरेखा का कार्यान्वयन सम्मिलित है।

9.1.14 ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप'' कार्यक्रम और अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत मंत्रालय की 4 स्कीमें हैं जिनमें से 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप' कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र व अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के लिए अंशदान के अलावा यात्रा व प्रशासनिक खर्च का वित्तपोषण किया जाता है। 'भारत सरकार, यू एन डी पी-सी सी एफ' स्कीम के अंतर्गत 800 एकड में जैव विविधता का संरक्षण तथा 560 एकड़ में ईंधन और चारा पेड़ों के रोपण, 3 एन टी एफ पी प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना और स्थानीय समुदायों के लिए 25 क्षमता निर्माण कार्यकलापों पर बल दिया जाता है।

9.1.15 'राष्ट्रीय तटवर्ती प्रबंधन कार्यक्रम' (एन सी एम पी) के लिए 15.50 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसका उद्देश्य तटवर्ती समुदायों के लिए जोखिम को कम से कम करते हुए तटवर्ती पर्यावरण का संरक्षण और बचाव करना है। भौतिक लक्ष्यों के अंतर्गत एन सी एम पी के लिए प्रायोगिक निवेशों के रूप में राज्यों के लिए लगभग 30 परियोजनाएं मंजूर करना और राष्ट्रीय संधारणीय तटवर्ती क्षेत्र प्रबंधन संस्थान की संगठनात्मक संरचना का विकास करना सम्मिलित है।

9.1.16 'प्राकृतिक संसाधनों और पारि-पद्धतियों के संरक्षण' संबंधी कार्यक्रम के लिए अनुमोदित परिव्यय 75 करोड़ रुपए है, जिसमें 3 स्कीमें सम्मिलित हैं तथा 2009-10 के लिए भौतिक लक्ष्यों के अंतर्गत विनिर्धारित नम भूमियों के लगभग 40 एम ए पी, विनिर्धारित मेनग्रोव और कोरल रीफ स्थलों के 25 एम ए पी के लिए वित्तीय सहायता, 10 नई नम भूमियों का विनिर्धारण, 15 विद्यमान जैव मंडल रिजर्व का वित्तपोषण और एक नए जैव मंडल रिजर्व का निश्चयन करना सम्मिलित है।

9.1.17 कार्यक्रम एन आर सी पी के अंतर्गत मंत्रालय, नदियों और झीलों की जल कोटि सुधारने के लिए निर्माण कार्यों के लिए धन मंजूर और मानीटरन करता है। सी पी सी बी की वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में नदियों पर 150 प्रमुख प्रदूषित खण्ड हैं। एन आर सी पी की वर्तमान स्कीम के अंतर्गत इन प्रदूषित खण्डों में से 40 खण्ड सम्मिलित हैं। 526 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के साथ 18 एस टी पी को चालू करके 385.52 एम एल डी का सीवेज उपचार किया जाएगा। एन एल सी पी के अंतर्गत 13 राज्यों में चल रही 42 परियोजनाओं की सर्विसिंग और नागालैण्ड व उत्तर प्रदेश राज्य में 2 नई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

विदेशी सहाय्यित परियोजनाओं की प्रगति

9.1.18 मंत्रालय के अनुमोदित परिव्यय में लगभग 5.6 प्रतिशत विदेशी निधियन का है। वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 और 2009-10 में ई ए पी परियोजनाओं के निष्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है, जैसा कि संलग्नक 9.1.3 में दर्शाया गया है। 2007-08 में विदेशी सहायता के उपयोग में कमी का मुख्य कारण

वाई ए पी चरण II के अंतर्गत आवश्यक डी पी आर तैयार करने में राज्यों (विशेष रूप से दिल्ली) की ओर से प्रगति में कमी होना था। उम्मीद है कि राष्ट्रीय तटवर्ती प्रबंधन कार्यक्रम और औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण में 2009-10 में तेजी आएगी। 2008-09 में, अनुमोदित 116.67 करोड़ रुपए में से 114.73 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता खर्च हुई।

9.2 जलवायु परिवर्तन

समीक्षा

9.2.1 भूमण्डल के समक्ष प्रस्तुत सबसें बड़ी चुनौती पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक संकट जलवायु परिवर्तन की है। विश्व ऊष्माकरण से विश्व औसत वायु और समुद्र तापमान में वृद्धि के कारण हिम और बर्फ का व्यापक रूप से पिघलाव और विश्व औसत समुद्र स्तर में वृद्धि हुई है। 1850 से पृथ्वी औसत सत्तह तापमान में 0.76^0 सी की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः मानव कार्यकलापों द्वारा शुरू की गई है। भारत द्वारा, जो वैश्विक ऊष्माकरण के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से भेद्य है, जलवायु परिवर्तनों के प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए तेजी से कार्रवाई करने की जरूरत है।

9.2.2 भारत में पर्यावरणीय उपाय, जैसे कि निदयों का संरक्षण, शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार, संवर्धित वनरोपण और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की स्थापित क्षमता में पर्याप्त वृद्धि अधिक जलवायु अनुकूल और संधारणीय मार्ग हैं। भारत सरकार ने, जलवायु परिवर्तन में संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लए एक व्यापक संस्थागत पद्धति कायम की है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधान मंत्री परिषद की स्थापना, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में जलवायु परिवर्तन का आकलन, अनुकूलन और न्यूनता लाने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई को समन्वित करने के लिए जून, 2007 में की गई थी।

9.2.3 मानवीय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की जांच करने के लिए भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 2007 में एक विशेष समिति गठित की गई थी और वह जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों का पता लगाने के कार्य में लगी है। भारत सरकार ने दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय सी डी एम प्राधिकरण स्थापित किया है जिसका कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय में है। प्राधिकरण, मेजबान देश के अनुमोदन के लिए सी डी एम परियोजनाओं का आकलन और सिफारिश करता है। 21 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार इस प्राधिकरण ने 1403 परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया है जिससे 1,86,318 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुकर हो सका है। यदि ये सभी परियोजनाएं सी डी एम कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत हो जाएं तो इनमें वर्ष 2012 के अंत तक 574 मिलियन प्रमाणित निस्सार कटौती करने की क्षमता है। अभी तक 450 परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं।

9.2.4 ग्यारहवीं योजना दस्तावेज में बताए गए 4 समाजार्थिक मानीटरनयोग्य लक्ष्यों में से 3 लक्ष्य, नामतः (क) 5 प्रतिशत पाइंट तक वन और वृक्ष कवर में वृद्धि, (ख) 2011-12 तक सभी प्रमुख नगरों में वायु गुणवत्ता के डब्ल्यु एच ओ मानक प्राप्त करना, (ग) 2016-17 तक 20 प्रतिशत अंकों तक ऊर्जा कार्यकुशलता में वृद्धि सभी जलवायु परिवर्तन न्यूनता की दिशा में उपाय है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

9.2.5 मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलापों के अंतर्गत, जलवायु परिवर्तन की स्कीम बुनियादी तौर पर, यू एन एफ सी सी और क्योटो प्रोटोकोल के अंतर्गत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बातचीत में भारत की भागीदारी को सुकर बनाने पर डील करती है। स्कीम पर खर्च की गई राशि 3.43 करोड़ रुपए है जबकि अनुमोदित परिव्यय 3.50 करोड़ रुपए है। मेजबान देश का अनुमोदन मंजूर करने के लिए सी डी एम परियोजनाओं पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय सी डी एम प्राधिकरण की नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं। 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय सी डी एम प्राधिकरण ने 1,230 परियोजनाओं के संबंध में मेजबान देश अनुमोदन प्रदान किया है।

2008-09 और 2009-10 में नीतिगत मुद्दे, कार्यक्रम सुधार और नई पहल

9.2.6 भारत ने जलवायु परिवर्तन संबंधी अपनी राष्ट्रीय कार्रवाई योजना (एन ए पी सी सी) 30 जून 2008 को जारी की थी, जिसमें एक ऐसी कार्यनीति का समर्थन किया गया है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और भारत के विकास मार्ग की पारिस्थितिकीय संधारणीयता का संवर्धन प्रोत्साहित हो। भारत की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है कि उच्च विकास दर बनाए रखना भारत के अधिकांश लोगों के रहन-सहन स्तर में वृद्धि करने और जलवायु परिवर्तन प्रभावों के प्रति प्रभावों की उनकी भेद्यता को कम करने के लिए जरूरी है। तदनुसार, कार्रवाई योजना में उन उपायों का विनिर्धारण किया गया है जिनसे भारत जलवायु परिवर्तन के समाधान के लिए सह-लाभ भी प्राप्त करते हुए भारत के संधारणीय विकास के उद्देश्य प्रोत्साहित हों। इसमें एक राष्ट्रीय कार्यनीति का भी उल्लेख किया गया है, जिसका उद्देश्य देश को जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनाने के लिए, समर्थ बनाना है तथा इससे भारत के विकास मार्ग की पारिस्थितिकीय संधारणीयता में वृद्धि होती है।

9.2.7 आठ राष्ट्रीय मिशन, नामतः राष्ट्रीय सौर मिशन, संवर्धित ऊर्जा कार्यकुशलता संबंधी राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय संधारणीय हेबिटाट मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयाई पारि-पद्धति की संधारणीयता के लिए राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इण्डिया मिशन, संधारणीय कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में नीतिगत ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन, जो एन ए पी सी सी का आधार है। नोडल मंत्रालयों द्वारा मिशन दस्तावेजों का मसौदा तैयार किया गया है और अनुमोदन के विभिन्न चरणों पर है।

9.2.8 सौर मिशन दस्तावेज के दो मुख्य घटक हैं: (1) सौर विद्युत उत्पादन; और (2) सौर विद्युत उत्पादन के लिए उपस्करों का विनिर्माण। मिशन का उद्देश्य 2020 तक 20,000 मेगा वाट सौर विद्युत का उत्पादन करना और उसके बाद ऊर्जा आवश्यकता में 10% का योगदान देना अर्थात 2030 तक 1,00,000 मेगा वाट का उत्पादन करना है। मिशन का उद्देश्य सौर विद्युत उपस्करों के विनिर्माण के लिए देश क्षमता में वृद्धि करने का और 2017 तक प्रति वर्ष 5000 मेगा वाट क्षमता के सौर विद्युत उपस्करों का विनिर्माण करने की क्षमता स्थापित करने का भी है। मिशन को कार्यान्वित करने के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में एक भारतीय सौर ऊर्जा प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा तथा एक स्वायत्त सौर ऊर्जा आयोग की भी स्थापना की जा सकती है। नोट किया गया है कि भारत की वर्तमान सौर विद्युत उत्पादन क्षमता 10 मेगा वाट से भी कम है।

9.2.9 जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्यनीति ज्ञान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एन एम एस के सी सी) के घटक हैं: (1) ज्ञान संस्थानों के नेटवर्क स्थापित करना; (2) जलवायु विज्ञान के संबंध में अनुसंधान में काफी वृद्धि; (3) डेटा शेयरिंग और सुलभता के संबंध में एक प्रभावी पद्धति स्थापित करना; (4) जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के संबंध में दूरदृष्टि कायम करना; (5) ज्ञान अंतर को पाटना; (6) जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के संबंध में एस एण्ड टी नूतनताएं; (7) संस्थागत तथा ज्ञान क्षमता को सुदृढ़ करना; (8) आउटरीच और आंतरिक पणधारी संयोजन। देश का राष्ट्रीय संचार (एन ए टी सी ओ एम) तैयार है और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में यू एन फ्रेमवर्क कन्वेशन (यू एन एफ सी सी सी) को रिपोर्ट कर दी गई है। एन एम एस के सी सी द्वारा एन ए टी सी ओ एम प्रक्रिया में अंशदान करने और सहायता करने का और हमारी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता और मात्रा में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

9.2.10 हिमालयी पारि-पद्धति की संधारणीयता के संबंध में राष्ट्रीय मिशन का प्रस्ताव है: (1) हिमालयी पारि-पद्धति के संबंध में अनुसंधान में लगे ज्ञान संस्थानों को नेटवर्क करने के लिए तथा एक सामंजस्यपूर्ण डेटा आधार विकसित करना; (2) पर्वत पारि-पद्धतियों में विश्व पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्राकृतिक और मानवीय प्रेरित संकेतों का पता लगाना तथा डिकपल करना और हिमालयी पारि-पद्धति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का पूर्वानुमान लगाना; (3) वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन के समाजार्थिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन का अंदाजा लगाना और पर्वतीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीतियों का डिजाइन करना; (4) अनुकूलन, न्यूनता और पद्धतियों का समाधान करने में सामुदायिक भागीदारी के लिए पारंपरिक ज्ञान पद्धतियों का अध्ययन करना; (5) क्षेत्र में पर्वतीय पारि-पद्धतियों के लिए संधारणीय पर्यटन विकास, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की दिशा में क्षेत्रीय विकास योजनाओं के लिए नीतिगत विकल्पों का मूल्यांकन करना; (6) पणधारियों को कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में शामिल करने के लिए क्षेत्र में उनके बीच जागरूकता पैदा करना; (7) मानीटरन और विश्लेषण के माध्यम से एक दृढ़ डाटाबेस निर्मित करने के लिए पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय सहयोग विकसित करना जिससे कि अंततः नीतिगत उपायों के लिए एक ज्ञान आधार का निर्माण हो सके।

9.2.11 संवर्धित ऊर्जा कार्यकुशलता के संबंध में राष्ट्रीय मिशन में क्षेत्रों के बीच ऊर्जा उपयोग की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई पहल सम्मिलित है। इससे यह ऊर्जा कार्यकुशलता में 75,000 करोड़ रुपए के कारोबार में समर्थ होगा जिससे 2015 तक हमारी वार्षिक ऊर्जा खपत की 5 प्रतिशत और प्रत्येक वर्ष लगभग 100 मिलियन टन कार्बन डाइआक्साइड की बचत होगी। इस मिशन के लिए ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो (बी ई ई) कार्यान्वयन एजेंसी होगी तथा उस मिशन को कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान योजना अवधि के लिए 295 करोड़ रुपए के वित्तीय संसाधन का अनुमान है।

9.2.12 एन ए पी सी सी ने प्रौद्योगिकियां और कार्रवाइयां प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 अन्य पहल भी निर्धारित की हैं जिससे जलवायु परिवर्तन का समाधान होगा। मिशनों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मंत्रालय समन्वयकर्ता और कार्यान्वयन भूमिका निभाएगा।

9.2.13 भारत, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय रूप से बातचीत करता है। भारत ने, सी डी एम के क्षेत्र में सहयोग प्रोत्साहित करने के लिए इटली और कनाडा के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वोटो प्रोटोकोल के अंतर्गत स्वच्छ विकास पद्धति के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक सहमति ज्ञापन पर भारत सरकार और डेनमार्क की शाही सरकार के बीच 27 अक्तूबर 2008 को पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। जलवायु परिवर्तन के संबंध में भारत-यू.के. संरचित संवाद की तीसरी बैठक सितंबर 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें बाली कार्रवाई योजना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, वानिकी, राष्ट्रीय कार्रवाई योजना आदि जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत और ई.यू. ने जलवायु के संबंध में एक संयुक्त कार्य कार्यक्रम पर भी कार्य शुरू किया है। भारत, देश के चुनिंदा क्षेत्रों/ इलाकों में जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनाने हेतु विशिष्ट अध्ययन/ परियोजनाएं शुरू करने के लिए विश्व बैंक, डी एफ आई डी और जी टी जेड के साथ चर्चाओं में लगा है। इन परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के उद्देश्यों के अनुरूप हैं।

2009-10 के लिए कार्यक्रम/स्कीमें

9.2.14 विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच में जलवायु परिवर्तन मुद्दों में भारत के हित को संरक्षित रखने के लिए एक अनुकूलन और क्षमता निर्माण परियोजना शुरू की गई है जिससे कि पणधारी जलवायु परिवर्तन चिंताओं को मुख्य धारा में शामिल कर सकें। इससे सी डी एम परियोजनाओं को मेजबान देश अनुमोदन प्रदान करने में और सी डी एम कार्यकारी बोर्ड द्वारा उनका पंजीकरण करने में मदद मिलेगी। जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के प्रचालनीकरण के अलावा, 'प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण' पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मंत्रालय द्वारा 2009-10 में आयोजित किया जाएगा।

9.2.15 स्कीम-वार योजना परिव्यय और व्यय, भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां, विदेशी सहाय्यित स्कीमों का परिव्यय और व्यय, सी एस एस के अंतर्गत राज्य-वार जारी केंद्रीय हिस्सा और राज्य-वार क्षेत्रकीय परिव्यय संलग्न 9.1.1 से 9.1.5 में दर्शाया गया है।

9.3 आपदा प्रबंधन

9.3.1 भारत में प्राकृतिक आपदाएं सदा ही आम स्थान पर घटती हैं। यह देश की भू-जलवायु स्थितियों का अपरिहार्य परिणाम है। तथापि, स्थिति की जटिलता में नगरों और कस्बों में तेजी से विकास के साथ वृद्धि हुई है। मानव-निर्मित आपदाओं के संबंध में एक निवारक दृष्टिकोण भी तीव्र औद्योगीकरण के साथ आवश्यक है। अब आपदा प्रबंधन को एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र समझा जाता है जिसपर देश में तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है। राहत और पुनर्वास से हटकर सुदृढ़ीकरण, न्यूनीकरण, तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों पर ध्यान देने पर बल दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है।

9.3.2 इन जटिलताओं को समझने और जिस ढंग से आपदा प्रबंधन का समाधान किया जाना है, उसपर पुनः विचार करने के लिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में मार्गनिर्देशों के अनुसार एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तभी से प्राधिकरण रूपरेखा/ मार्गनिर्देशों की रचना, योजनाएं तैयार करने, कार्यान्वयन में समन्वय और नीति के प्रवर्तन तथा वित्तीय और बुद्धिजीवियों के संसाधनों को सुकर कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

9.3.3 एन डी एम ए की विभिन्न न्यूनता परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी, जैसाकि तालिका 9.3.1 में दर्शाया गया है। एन डी एम ए, सभी प्रमुख न्यूनता परियोजनाओं की डी पी आर तैयार करने के लिए प्रमुख परामर्शदाताओं के चयन की प्रक्रिया में लगा है। तथापि, प्रमुख परामर्शदाताओं को केवल एन सी आर एम पी और एन ई आर एम पी के मामले में नियुक्त किया जाएगा। परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं ने डी पी आर तैयार करने के लिए अपना कार्य शुरू कर दिया है। इस वित्त वर्ष के दौरान 6.70 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा सकी।

तालिका 9.3.1 : एन डी एम ए की न्यूनता परियोजनाएं

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	2008-09 में परिव्यय
1.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनता परियोजना (एन सी आर एम पी)	15.00
2.	राष्ट्रीय भूकम्प न्यूनता परियोजना (एन ई आर एम पी)	2.00
3.	राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम न्यूनता परियोजना (एन एल आर एम पी)	1.50
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (एन डी सी एन)	1.50
5.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम न्यूनता परियोजना (एन एफ आर एम पी)	2.00
6.	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	3.00
	जोड़	**25.00**

वार्षिक योजना (2009-10) में स्कीमें/ परियोजनाएं

9.3.4 एन डी एम ए की निम्नलिखित न्यूनता परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए एन डी एम ए की योजनागत परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डी पी आर तैयार करने के लिए परियोजना-वार परिव्यय तालिका 9.3.2 में दिया गया है।

तालिका 9.3.2 : डी पी आर तैयार करने के लिए परियोजना-वार परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	2008-09 में परिव्यय
1.	राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनता परियोजना (एन सी आर एम पी)	15.00
2.	राष्ट्रीय भूकम्प न्यूनता परियोजना (एन ई आर एम पी)	5.00
3.	राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम न्यूनता परियोजना (एन एल आर एम पी)	1.00
4.	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (एन डी सी एन)	4.50
5.	राष्ट्रीय बाढ़ जोखिम न्यूनता परियोजना (एन एफ आर एम पी)	4.50
6.	अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं	10.00
	जोड़	**40.00**

9.3.5 वर्ष 2009-10 के दौरान एन डी एम ए ने निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू कीः

(i) **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनता परियोजना (एन सी आर एम पी)** : राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनता परियोजना, विश्व बैंक की सहायता से देश में चक्रवात जोखिमों का समाधान करने के उद्देश्य से

तैयार की गई थी। परियोजना का मुख्य ध्येय और उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक चक्रवात न्यूनता प्रयासों को सुदृढ़ करना और चक्रवात-प्रधान तटवर्ती जिलों में चक्रवात जोखिमों और भेद्यता को कम करना है। परियोजना 13 चक्रवात प्रधान तटवर्ती राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाएगी। 1,496.71 करोड़ रुपए (308.60 मिलियन अमरीकी डालर) की कुल लागत से चार प्रमुख घटक निर्धारित करने की परिकल्पना है।

घटक-'क' : अंतिम मील संयोजकता को सुदृढ़ करना (कुल राशि - 72.75 करोड़ रुपए)
घटक-'ख' : चक्रवात जोखिम न्यूनता निवेश (कुल राशि - 1,164.00 करोड़ रुपए)
घटक-'ग' : संकट जोखिम प्रबंधन और क्षमता निर्माण के लिए तकनीकी सहायता (कुल राशि - 29.10 करोड़ रुपए)
घटक-'घ' : परियोजना प्रबंधन और संस्थागत सहायता (कुल राशि - 95.06 करोड़ रुपए)

आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में परियोजना के चरण I के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ई एफ सी ज्ञापन के एक मसौदे पर ई एफ सी द्वारा 07.04.2010 को विचार किया गया और परियोजना को 2010-11 से 2014-15 के दौरान कार्यान्वित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की सिफारश की है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के लिए एक नोट, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सी सी ई ए का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा है।

(ii) **राष्ट्रीय भूकंप जोखिम न्यूनता परियोजना (एन ई आर एम पी)** : इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक भूकंप न्यूनता प्रयासों को सुदृढ़ करना तथा भूकंप के प्रति उच्च जोखिम प्रधान जिलों में जोखिम और भेद्यता को कम करना है। देश में आवश्यक जोखिम न्यूनता उपाय लागू किए जाएंगे। इस परियोजना में भूकंप आपदाओं के प्रबंधन के संबंध में एन डी एम ए द्वारा तैयार किए गए मार्गनिर्देशों के अनुसार स्कीमों/ परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। परामर्शदाता, मेसर्स पी डब्ल्यू सी, ने डी पी आर प्रस्तुत कर दी है जिसपर एन डी एम ए द्वारा विचार किया जा रहा है। तकनीकी-कानूनी व्यवस्था, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण, सार्वजनिक जागरूकता, अस्पतालों के पुनरुद्धार और परियोजना प्रबंधन, मानीटरन और मूल्यांकन के छः प्रमुख घटकों को शामिल करते हुए एन ई आर एम पी की कुल प्रत्याशित लागत 1837.58 करोड़ रुपए होगी। परियोजना के आकलन के लिए ई एफ सी ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

(iii) **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क (एन डी एम सी एन)** : देश को सक्रिय आपदा सहायता कार्यों के लिए पूर्व-चेतावनी और पूर्वानुमान सहित एक समर्पित संचार और सूचना प्रौद्योगिकी सहायता पद्धति की जरूरत है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए प्राइसवाटरहाउस कूपर्स को परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। डी पी आर के प्रस्तुत मसौदे के अनुसार, परियोजना की कुल प्रत्याशित

लागत 958.86 करोड़ रुपए है। 473.47 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय और 485.39 करोड़ रुपए प्रचालन व्यय का पूर्वानुमान लगाया गया है। परियोजना के आकलन के लिए ई एफ सी ज्ञापन तैयार किया जा रहा है।

(iv) **राष्ट्रीय बाढ़ आपदा प्रबंधन परियोजना (एन एफ डी एम पी) :** इस परियोजना का उद्देश्य, बाढ़ से निपटने के लिए क्षमताओं में सुधार, तत्परता और तैयारी करके उनके जोखिम, गंभीरता अथवा परिणामों में कटौती करना है। असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा राज्यों में आवश्यक न्यूनता उपाय लागू किए जाएंगे। परियोजना की डी पी आर तैयार करने के लिए एन डी एम ए एक प्रमुख परामर्शदाता का चयन करने के संबंध में कार्रवाई कर रहा है। 14 परामर्शदाताओं से ई ओ आई प्राप्त हो गए हैं। संक्षिप्त सूचीबद्ध परामर्शदाताओं से तकनीकी और वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए उन्हें जारी किए जाने वाले आर एफ पी को अंतिम रूप देने के लिए एक तकनीकी आकलन समिति का गठन किया गया है।

(v) **राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम न्यूनता परियोजना (एन एल आर एम पी)** : इस परियोजना का उद्देश्य संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक भू-स्खलन न्यूनता प्रयासों को सुदृढ़ करना तथा पर्वतीय जिलों में जोखिमों और भेद्यता को कम करना है। परियोजना के अंतर्गत उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालेण्ड, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर राज्यों को कवर किया जाएगा। क्योंकि एक प्रमुख परामर्शदाता चुनने के लिए प्रत्युत्तर में केवल एक ई ओ आई प्राप्त हुआ था, इसलिए एन डी एम ए ने कार्य को दो भागों में विभाजित करने के बाद फिर से ई ओ आई आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। एक शैक्षिक संस्थान द्वारा प्रथम भाग किया जाएगा तथा क्षेत्र में अनुभव रखने वाली कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा द्वितीय भाग किया जाएगा। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों कार्यकलापों के लिए अनुमानित समय 9-9 महीने होगा।

(vi) **अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं** : अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाओं/ अध्ययनों में सम्मिलित हैं:

(1) स्कूल सुरक्षा परियोजना : इस कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता और शैक्षिक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी घटक, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा भेद्यता का आकलन करना सम्मिलित है। राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस और वृहद दृष्टिकोण अपनाए जाने की जरूरत है। योजना आयोग ने अब 48.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के संबंध में 'सिद्धांततः' अपना अनुमोदन प्रदान किया है, जिसे 2010-12 से 2011-12 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा तथा कतिपय टिप्पणियां प्रदान की हैं। योजना आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, प्रस्ताव को तदनुसार संशेधित किया जा रहा है।

(2) प्रमुख नगरों का माइक्रोजोनेशन : भारत का वर्तमान भूकंप क्षेत्र नक्शा प्रेक्षित पद्धतियों पर आधारित है, जिसमें भूकंप आने की स्थानिक और अस्थाई अनिश्चितताओं को शामिल नहीं किया गया है। यह कार्य

करने के लिए इसे 56.14 लाख रुपए की लागत पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरी रीसर्च सेंटर (एस ई आर सी), चेन्नै को अवार्ड किया गया है।

(3) **भारतीय भूमि मास के भूकंप माइक्रोजोनेशन के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण :** भारतीय भूमि मास के भूकंप माइक्रोजोनेशन के संबंध में राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य दल का, 'भारत में भूकंप माइक्रोजोनेशन के लिए भू-तकनीकी अन्वेषण' पर तकनीकी दस्तावेज तैयार करने के लिए अतिरिक्त भू-तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप आयोजित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को विनिर्धारित किया गया है।

(4) **मानचित्रकारी :** भारत के लिए एक आधार का विकास करने का कार्य उसके संबंध में विशिष्ट परिरेखा अंतराल के साथ 33.09 करोड़ रुपए की कुल लागत पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार करने के लिए नेशनल एटलस एण्ड थेमेटिक मेपिंग आर्गनाइजेशन (एन ए टी एम ओ) को अवार्ड किया गया है।

(5) **ब्रह्मपुत्र नदी कटाव अध्ययन :** ब्रह्मपुत्र नदी कटाव अध्ययन एन डी एम ए द्वारा 32.49 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की को सौंपा गया है। प्रस्तुत अंतरित रिपोर्ट में कटाव-रोधी उपायों पर अमल करने के लिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मोरीगांव स्थल पर एक प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई है। असम सरकार ने उक्त प्रायोगिक परियोजना कार्यान्वित करने के लिए 1,83,14,000/- रुपए की राशि के विस्तृत अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

(6) **भौगोलिक सूचना पद्धति (जी आई एस) प्लेटफार्म आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना पद्धति (एन डी एम आई एस) :** एन डी एम ए का प्रस्ताव एक भौगोलिक सूचना पद्धति (जी आई एस) आधारित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना पद्धति (एन डी एम आई एस) विकसित करने का है, जिसमें विभिन्न नोडल एजेंसियों से एकत्रित डेटा का उपयोग, विभिन्न स्तरों पर सभी पणधारियों के लिए आधुनिकतम कार्रवाई-योग्य सूचना के सृजन के लिए निर्णय समर्थन पद्धति (डी एस एस) के साथ विस्तृत जी आई एस का उपयोग किया जाएगा। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय समितियों से विशेषज्ञों को शामिल करके किया जाएगा। जी आई एस आधारित एन डी एम आई एस की स्थापना के लिए अनुमानित लागत 30.06 करोड़ रुपए है। एनडीएमए द्वारा परियोजना की अवधारणा नोट को एमएचए के पास सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है।

(7) **अतिरिक्त आपात प्रतिक्रिया केंद्रों की स्थापना :** आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं और संभावित रेडियोलाजिकल वितरण यंत्रों (आर डी डी) से धमकी भरे परिदृश्य के साथ विस्फोट एक गंभीर चिंता की बात बनती जा रही है। आर डी डी, आतंक और मनौवैज्ञानिक गड़बड़ियां पैदा करने के लिए उच्च क्षमता के साथ व्यापक बाधाएं उत्पन्न करने वाले हथियार हैं। चरण I में प्राथमिकता के आधार पर 20 लाख अथवा

उससे अधिक आबादी वाले 20 नगरों में ए ई आर सी स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके बाद देश में 10 लाख और उससे अधिक आबादी वाले 15 और बड़े शहरों में भी ए ई आर सी की स्थापना की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत 6.33 करोड़ रुपए है। परियोजना के संबंध में अवधारणा नोट एन डी एम ए द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

(8) **अग्रिम पूर्वानुमान प्लेटफार्म :** इसका बुनियादी उद्देश्य लीड की दृष्टि से (उग्र वर्षा घटित होने के संबंध में 48 घंटे तक तथा ट्रापिकल चक्रवातों के संबंध में 72 घंटे तक) और पूर्वानुमान दक्षता (100 किलो मीटर से कम 24 घंटे स्थलावतरण चूक) भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आई एम डी) की क्षमताओं को मजबूत बनाना और उनमें वृद्धि करना है। परियोजना को दो चरणों में (चरण I और II), में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। परियोजना के प्रथम चरण की कुल लागत 4.44 करोड़ रुपए हैं। परियोजना के संबंध में अवधारणा नोट एन डी एम ए द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदनार्थ गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।

विदेशी सहाय्यित परियोजनाएं

9.3.6 निम्नलिखित परियोजनाएं विदेशी सहायता के साथ कार्यान्वित की गईं :

(i) **भारत सरकार-यूसेड सहाय्यित आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना** : परियोजना के कार्यक्षेत्र में, जो मार्च 2010 तक चलनी थी, तीन कार्यकलाप सम्मिलित थे, यथा घटना नियंत्रण पद्धति, उपस्कर का प्रापण और क्षमता निर्माण।

(ii) **आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम** : कार्यक्रम का उद्देश्य 2002-2009 के दौरान स्थानीय स्व-शासन संस्थानों और समुदायों की भागीदारी के साथ संधारणीय पहलें कायम करना है। भारत सरकार-यू एन डी पी आपदा जोखिम कटौती (डी आर आर) कार्यक्रम को 2009-2012 के दौरान 20 मिलियन अमरीकी डालर की विदेशी सहायता के साथ कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

(iii) **राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनता परियोजना (एन सी आर एम पी)** : विश्व बैंक सहाय्यित इस परियोजना का ब्योरा नीचे दिया गया है:

मार्गनिर्देश

वर्ष 2009-10 के दौरान एन डी एम ए ने निम्नलिखित मार्गर्निदेश तैयार और जारी किए हैं:

(i) आपदा जोखिम कटौती के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता निर्माण
(ii) यूएनडीपी आपदा जोखिम कटौती
(iii) आपदाओं के मेडिकल तैयारी पहलू
(iv) आपदा प्रबंधन के संबंध में राष्ट्रीय नीति
(v) मनः - सामाजिक सहायता

संलग्नक 9.1.1

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	स्कीम की प्रकृति	ग्यारहवीं योजना परिव्यय	2007-08	2008-09		2009-10
				वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
	क. पर्यावरण						
1.	**पर्यावरणीय मानीटरन और शासन**	**सीएस**	**216.00**	**43.43**	**40.00**	**41.21**	**40.80**
	1. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड		177.75	37.50	34.50	34.50	34.50
	2. पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण और आयोगों तथा अधिकरण की स्थापना		12.25	3.51	2.00	3.28	2.80
	3. ई आई ए के अधीन क्रियाकलाप		26.00	2.42	3.50	3.43	3.50
2.	**प्रदूषण उपशमन**	**सीएस**	**235.00**	**19.36**	**23.00**	**21.79**	**32.07**
	1. निवारक कार्यनीतियों के माध्यम से औद्योगिक प्रदूषण उपशमन		45.00	0.96	1.50	1.46	1.50
	2. प्रदूषण पर्यावरण पी और एल के उपशमन के लिए सहायता		45.00	4.34	5.00	4.64	5.00
	3. स्वच्छ प्रौद्योगिकी		43.00	3.44	3.05	2.94	3.05
	4. सी ई टी पी		32.00	3.91	4.45	4.40	5.02
	5. संकटपूर्ण पदार्थ प्रबंधन		70.00	6.71	9.00	8.35	17.50
3.	**संरक्षण और विकास के लिए अनुसंधान तथा विकास**	**सीएस**	**300.00**	**45.52**	**60.00**	**59.31**	**59.21**
	1. भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई)		60.00	9.89	18.00	13.80	14.19
	2. भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण (जेड एस आई)		72.50	10.53	11.15	16.28	14.07
	3. जी बी पी एच आई ई डी		50.00	8.50	9.45	12.20	12.00
	4. वनस्पति उद्यानों के लिए सहायता		20.50	1.74	2.20	2.05	2.20
	5. टेक्सोनामी क्षमता निर्माण		17.00	2.13	2.75	2.86	2.75
	6. जैव विविधता संरक्षण		25.00	3.15	4.45	3.30	4.00
	7. राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन स्कीम (एन एन आर एम एस)		20.00	4.80	6.00	3.03	4.00
	8. अनुसंधान और विकास		35.00	4.78	6.00	5.79	6.00
4.	**प्राकृतिक संसाधनों और पारि-पद्धति का संरक्षण**	**सीएसएस**	**600.00**	**90.78**	**110.00**	**74.65**	**75.00**
	1. कोरलों, मेनग्रोव्ज, नम भूमियों		102.39	17.08	19.00	18.72	19.00

क्रम सं.	स्कीम का नाम	स्कीम की प्रकृति	ग्यारहवीं योजना परिव्यय	2007-08	2008-09		2009-10
				वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
	का संरक्षण						
	2. जैव मंडल रिजर्व		57.60	10.49	11.00	10.94	11.00
	3. राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना		440.00	63.21	80.00	44.99	45.00
5.	**पर्यावरण, सूचना, शिक्षा और जागरूकता**	**सीएस**	**245.00**	**71.08**	**95.00**	**75.10**	**94.82**
	1. पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता		142.00	38.44	53.50	46.99	53.50
	2. एन एम एन एच		40.00	5.44	10.00	7.27	17.30
	3. उत्कृष्टता केंद्र		18.50	6.99	8.50	7.71	8.50
	4. ई एन वी आई एस		16.00	4.87	6.00	5.74	6.50
	5. सूचना प्रौद्योगिकी		26.00	15.00	16.50	7.02	9.02
	6. पर्यावरण परियोजना की स्थिति		2.50	0.34	0.50	0.37	0.00
6.	**दाय, तीर्थस्थल और पर्यटन केंद्रों में पर्यावरणीय प्रबंधन, ताज संरक्षण सहित**	**सीएसएस**	**0.01**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.01**
7.	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलाप**	**सीएस**	**80.00**	**16.78**	**12.00**	**12.31**	**19.01**
	1. आई सी कार्यकलाप		25.00	2.64	3.00	3.04	4.28
	2. भारत सरकार-यू एन डी पी - सी सी एफ		25.00	6.27	5.00	5.44	7.47
	3. जलवायु परिवर्तन		20.00	4.03	3.50	3.43	7.25
	4. ई ए पी/ अन्य ई ए पी के लिए, ई पी सी ओ सहित, राज्यों को सहायता अनुदान		7.95	2.00	0.50	0.36	0.01
	5. सिविल निर्माण यूनिट (सी सी यू)		2.05	1.84		0.04	*
8.	**राष्ट्रीय तटवर्ती प्रबंधन कार्यक्रम**	**सीएस**	**10.00**	**0.48**	**1.37**	**1.53**	**15.50**
9.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन आर सी पी)	**सीएसएस**	**2100.00**	**257.73**	**260.00**	**281.24**	**532.33**
	1. एन आर सी डी		35.00	4.80	6.00	5.25	6.33
	2. एन आर सी पी		2065.00	252.93	254.00	275.99	526.00
	जोड़ - पर्यावरण और पारिस्थितिकी		**3786.01**	**545.16**	**601.38**	**567.14**	**868.75**
	ख. वानिकी और वन्यजीवन						
10.	**वन और वन्यजीवन संस्थानों को सहायता-अनुदान**	**सीएस**	**450.00**	**84.67**	**90.00**	**117.33**	**117.28**
	1. आई सी एफ आर ई		320.00	61.99	66.65	90.23	89.93
	2. आई पी आई आर टी आई		20.00	5.00	4.45	5.00	5.14
	3. आई आई एफ एम		30.00	6.68	6.70	7.00	7.00
	4. डब्ल्यू आई आई		80.00	11.00	12.20	15.10	15.21

क्रम सं.	स्कीम का नाम	स्कीम की प्रकृति	ग्यारहवीं योजना परिव्यय	2007-08	2008-09		2009-10
				वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	**वानिकी क्षेत्रक में क्षमता निर्माण**	**सीएस**	**110.00**	**10.01**	**20.00**	**11.30**	**19.51**
	1. आई एफ एस अधिकारियों का प्रशिक्षण		10.00	1.33	2.00	2.58	2.00
	2. डी एफ ई		25.00	4.09	4.00	3.48	4.00
	3. आई जी एन एफ ए		30.00	4.59	6.00	5.24	5.51
	4. कार्मिक व अन्य सेवाओं का प्रशिक्षण		10.00		2.00		2.00
	5. वानिकी कार्मिकों का विदेश प्रशिक्षण		30.00		5.00		5.00
	6. अन्य पणधारियों का प्रशिक्षण		5.00		1.00		1.00
	7. वन प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण और कार्मिकों का प्रशिक्षण@						
12.	**मूली (मेलाकान्ना बेसिफेरा) -बांस का सामूहिक पुष्पण #**	**सीएसएस**	**37.00**	**20.78**	**15.00**	**14.93**	**0.00**
13.	**वन प्रबंधन (पूर्व आई एफ पी एस) स्कीम का तीव्रीकरण**	**सीएसएस**	**600.00**	**67.78**	**130.00**	**75.57**	**76.00**
14.	**वानिकी प्रभागों का सुदृढ़ीकरण**	**सीएस**	**100.00**	**11.42**	**15.00**	**21.17**	**19.63**
	1. भारत का वन सर्वेक्षण		28.50	5.08	5.50	5.35	5.80
	2. क्षेत्रीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण		32.30	6.06	7.00	14.15	11.33
	3. राष्ट्रीय वानिकी सूचना पद्धति		13.50	0.02	0.50	0.40	0.50
	4. गैर-काष्ठ वन उत्पाद संसाधनों के आकलन के लिए राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम		7.70		0.50		0.50
	5. काष्ठ और गैर-काष्ठ वन संसाधनों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम		18.00	0.26	1.50	1.27	1.50
15	**वन्यजीवन प्रभाग का सुदृढ़ीकरण**	**सीएस**	**150.00**	**21.72**	**25.00**	**22.03**	**22.58**
	1. वन्यजीवन अपराध का नियंत्रण		35.00	2.82	6.00	3.73	4.08
	2. केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण		115.00	18.90	19.00	18.30	18.50
16.	**वन्य जीवन आवासियों का एकीकृत विकास**	**सीसीएस**	**800.00**	**63.64**	**80.00**	**79.50**	**80.00**
17	**प्रोजेक्ट टाइगर**	**सीसीएस**	**615.00**	**65.30**	**80.00**	**157.45**	**243.13**
	1. राष्ट्रीय चीता संरक्षण प्राधिकरण		600.00	64.35	77.00	157.00	240.13
	2. जैव-विविधता संरक्षण और ग्राण आजीविका सुधार परियोजना।		15.00	0.95	3.00	0.45	3.00
18.	**प्रोजेक्ट एलीफेंट**	**सीएसएस**	**81.99**	**16.41**	**20.00**	**21.38**	**21.50**

क्रम सं.	स्कीम का नाम	स्कीम की प्रकृति	ग्यारहवीं योजना परिव्यय	2007-08	2008-09		2009-10
				वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	राष्ट्रीय वनारोपण और पारि-विकास बोर्ड (एन ए ई बी)	सीएस	250.00	29.12	38.00	25.34	31.00
20	राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम	सीएसएस	2000.00	392.93	345.62	345.61	345.62
21.	पी आर आई के माध्यम से वनारोपण (पंचायत वन योजना)	सीएसएस	900.00	0.00	15.00	0.00	10.00
22.	पशु कल्याण	सीएस	120.00	20.79	25.00	24.89	25.00
	कुल वानिकी और वन्यजीवन		6213.99	804.57	898.62	916.50	1011.25
	जोड़ : पर्यावरण और वन मंत्रालय		10000.00	1349.73	1500.00	1483.64	1880.00

* स्कीम गैर-योजना बजट में शामिल की गई

\# स्कीम 2008-2009 में पूरी हो गई

@ योजना आयोग द्वारा अनुमोदित नया ई ए पी वित्तपोषित घटक

स्रोतः ग्यारहवीं योजना दस्तावेज, एस बी ई और एम ओ ई एफ

संलग्नक 9.1.2

पर्यावरण और वन मंत्रालय
भौतिक लक्ष्य और प्रमुख स्कीमों की उपलब्धि

क्रम सं.	स्कीम का नाम	2007-08 भौतिक उपलब्धि	2008-09		2009-10 भौतिक लक्ष्य
			भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	**कोरलों, मेनग्रोव्ज, नम भूमि का संरक्षण**	विनिर्धारित नमभूमि के एम ए पी को वित्तीय सहायता, अनुसंधान के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में 10 अनुसंधान परियोजनाएं, पूरक एम ए पी, विनिर्धारित मेनग्रोव्ज स्थलों और 4 कोरल रीफ स्थलों के 25 एम ए पी को प्रदत्त वित्तीय सहायता	विनिर्धारित नमभूमि के लगभग 50 एम ए पी के लिए और एम ए पी की पूरकता के लिए अनुसंधान के प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों में 10 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता। विनिर्धारित मेनग्रोव्ज स्थलों और 4 कोरल रीफ स्थलों के 20 एम ए पी के लिए वित्तीय सहायता	विनिर्धारित नमभूमियों के 50 एम ए पी, 10 अनुसंधान परियोजनाएं, विनिर्धारित मेनग्रोव्ज और कोरल रीफ स्थलों के 25 एम ए पी	विनिर्धारित 40 नमभूमियों के एम ए पी के लिए वित्तीय सहायता, 20 मेनग्रोव्ज और 4 कोरल रीफ स्थल, (10) नई नमभूमियों का विनिर्धारण, नम भूमि में क्षमता निर्माण के अंतर्गत 3 प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं और मेनग्रोव्ज व कोरल रीफों में 2 कार्यशालाओं का आयोजन, अनुसंधान परियोजनाएंः 5 नमभूमि के संबंध में और 5 अथवा 6 मेनग्रोव्ज व कोरल रीफ। प्रत्येक वर्ष एक-एक राष्ट्रीय नम भूमि और साथ ही राष्ट्रीय मेनग्रोव्ज समिति का आयोजन।
2.	**जैव मण्डल रिजर्व**	14 विद्यमान जैव मण्डल रिजर्वों के लिए धन दिया गया।	14 विद्यमान जैव-मण्डल रिजर्वों का वित्तपोषण। एक नए जैव-मण्डल रिजर्व का विनिर्धारण	15 जैव-मण्डल, रिजर्वों के लिए धन दिया गया।	15 विद्यमान जैव-मण्डल रिजर्वों का वित्तपोषण। नए जैव-मण्डल रिजर्व का विनिर्धारण। एम ए बी राष्ट्रीय समिति की बैठक आयोजित करना।
3.	**राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम**	एक झील में भौतिक रूप से कार्य पूरा हो गाया, 5 झीलों के कार्य प्रगति पर, 4 झीलों के संरक्षण और प्रबंधन की परियोजनाएं	आठ झीलों में भौतिक रूप से कार्य पूरा हो गया, उत्तराखण्ड में 5 झील, कर्नाटक में 2 झील और उड़ीसा में 1 झील।	1 झील पूरी हो गई, 7 झील प्रगति के विभिन्न चरणों पर हैं। 4 झीलों के निर्माण और प्रबंधन के संबंध में परियोजनाएं	10 झीलों का पुनरुद्धार

		अनुमोदित।		अनुमोदित।	
4.	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**	सात सीवेज उपचार संयंत्रों, एस टी पी के कार्यान्वयन के माध्यम से कुल 422.50 मिलियन लिटर (एम एल डी) प्रति दिन सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण। वर्ष के दौरान 79 परियोजनाएं पूरी हो गई।	11 सीवेज उपचार संयंत्रों, एस टी पी कार्यान्वयन के माध्यम से कुल 355.50 मिलियन लिटर (एम एल डी) प्रति दिन सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण	376.76 एम एल डी सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण। वर्ष के दौरान 52 परियोजनाएं पूरी हो गईं	एस टी की स्थापना - 18 जिससे प्रति दिन 385.82 मिलियन लिटर (एम एल डी) सीवेज उपचार क्षमता का निर्माण हुआ। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की गई। युवा मामले मंत्रालय वी वाई के एस, एन एस एस आदि स्कीमों के माध्यम से नदी की सफाई के लिए सामाजिक कार्रवाई के आयोजन में सहायता कर रहा है।
5.	**मूली बांस का सामूहिक पुष्पण**	सभी कार्यान्वयन राज्यों ने अपने लक्षित कार्यकलाप वर्ष 2007-08 में पूरे कर लिए।	देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामूहिक पुष्पण के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार कार्रवाई योजना को कार्यान्वित करने में राज्यों के प्रयासों को पूरक बनाना	सभी कार्यान्वयन राज्यों ने, असम को छोड़कर, (नए बागानों के निर्माण और निष्कर्षण सड़कों और डिपो के निर्माण में) और त्रिपुरा व मिजोरम को छोड़कर (कृंतक नियंत्रण के लिए जागरूकता सृजन के लिए) अपने लक्षित कार्यकलाप पूरे कर लिए	
6.	**वन प्रबंधन का तीव्रीकरण**	• फायरलाइंस का सृजन और अनुरक्षणः 72,764 कि.मी. • वन सीमा पिलरों का निर्माणः 100,289 • फायर वाच टावर - 116	• फायरलाइंस का सृजन और अनुरक्षणः 95,015 कि.मी. • वन-सीमा पिलरों का निर्माणः 94,052 • फायर वाच टावर - 158	• फायरलाइंस का सृजन और अनुरक्षणः 68,555 कि.मी. • वन सीमा पिलरों का निर्माण - 69807 • फायर वाच टावर - 125	• फायरलाइंस का सृजन और अनुरक्षणः 90,000 कि.मी. • वन सीमा पिलरों का निर्माण - 95,000 • फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए इमारतों का निर्माण - 600

		• इमारत का निर्माण - 216 • सड़कें (कि.मी.) - 730.04 • जल भण्डारण प्रणालियों का निर्माण - 152	• इमारतों का निर्माण - 593 • सड़कें (कि.मी.)- 472 • जल भण्डारण प्रणालियों का निर्माण - 192	• इमारतों का निर्माण - 233 • सड़कें (कि.मी.) - 422 • जल भण्डारण प्रणालियों का निर्माण - 155	
7.	**वन्यजीवन आवास का एकीकृत विकास**	341 पी ए का समर्थन किया गया	350 पी ए का समर्थन किया गया	361 पी ए का समर्थन किया गया	375 पी ए का समर्थन करने का प्रस्ताव है
8.	**प्रोजेक्ट टाइगर**	• निधियां : टाइगर रिजर्व के संरक्षण, बचाव व विकास के लिए 28 टाइगर रिजर्व की सहायता की गई। • निधियां टाइगर रिजर्व से कम से कम 858 परिवारों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की गई, वन भूमि पर अपने अधिकार के परित्याग के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी सहित	• निधियनः टाइगर रिवर्ज के संरखण, बचाव व विकास के लिए 28 टाइगर रिजर्व की सहायता की गई। • निधियनः टाइगर रिजर्व से कम से कम 700 परिवारों के पुनः स्थापन और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की गई, वन भूमि पर अपने अधिकार के परित्याग के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी सहित	• 17 राज्यों से 37 टाइगर रिवर्ज के लिए सहायता दी गई • 700 परिवारों की सहायता की गई	• टाइगर रिजर्व के संरक्षण, बचाव और विकास के लिए 37 टाइगर रिजर्व के लिए सहायता प्रदान की गई, जो 4 नए टाइगर रिजर्व के अलावा है, जिनके संबंध में 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान किया गया है जब भी उनकी घोषणा की सांविधिक प्रक्रिया पूरी होगी तथा सक्षम प्राधकारी का अनुमोदन प्राप्त हो जाए। पुनः स्थापन और पुनर्वास के लिए कम से कम 2600 परिवारों को सहायता प्रदान की गई, वन भूमि पर अपने अधिकार के परित्याग के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी सहित
9	**प्रोजेक्ट एलीफेंट**	• निधियां : एलीफेंट रिजर्व के संरक्षण,	• 25 एलीफेंट रिजर्व के लिए 14 राज्यों	• 32 एलीफेंट रिजर्वों के लिए	• 68,000 किलो मीटर से अधिक के कवरेज

		बचाव और विकास के लिए 28 एलीफेंट रिजर्व के लिए सहायता प्रदान की गई • एलीफेंट रिजर्व से कम से कम 858 परिवारों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए धन प्रदान किया गया, वन भूमि पर अपने अधिकार का परित्याग करने के लिए क्षतिपूर्ति की अदायगी सहित	को वित्तीय सहायता प्रदान की गई • तीन एलीफेंट पुनर्वास केंद्रों की स्थापना तथा पशु-चिकित्सा व महावत प्रशिक्षण सुविधा का सुविधाकरण	17 एलीफेंट राज्यों को धन जारी किया गया • पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए 3 राज्यों को धन जारी किया गया	के साथ 26 अधिसूचित और 6 प्रस्तावित एलीफेंट रिजर्वों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई
10.	**राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम**	• 581 एफडीए के लिए सहायता प्रदान की गई • 4.93 लाख हेक्टेयर नया परियोजना क्षेत्र अनुमोदित • 3979 नए जे एफ एम सी को प्रचालनात्मक बनाया गया	• एफ डी ए लक्ष्य के लिए सहायता जारी रही : 800 एफडीए • कुल नया प्राजेक्ट क्षेत्र अनुमोदित किया गया, विद्यमान एफ डी ए में झाड़ियों और प्राकृतिक पुनरुद्धार और सतत झाड़ियों सहित लक्ष्यः 1,00,000 (हेक्टेयर)	• 43 एफ डी ए के लिए सहायता प्रदान की गई • 1,70,000 हेक्टेयर नया परियोजना क्षेत्र अनुमोदित	• 800 एफ डी ए के लिए सहायता जारी रही • कुल नया परियोजना क्षेत्र अनुमोदित, विद्यमान एफ डी ए में झाड़ियों और प्राकृतिक पुनरुद्धार, कृत्रिम पुनरुद्धार और सतत झाड़ियों सहित लक्ष्यः 1,00,000 (हेक्टेयर) • विद्यमान एफ डी ए में नए जे एफ एम सी को प्रचालनात्मक बनाना लक्ष्य : 1000

स्रोत एम ओ ई एफ का एम टी ए प्रस्ताव

संलग्नक 9.1.3

विदेश सहाय्यित स्कीमें - 2007-08 से 2009-10

(करोड़ रुपए)

स्कीम	ग्यारहवीं योजना	2007-08		2008-09		2009-10
	परिव्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय
1. एन आर सी पी	475.00	92.00	37.14	105.00	105.00	105.00
2. भारत सरकार-यू एन डी पी- सी सी एफ प्रोजेक्ट	25.00	5.00	5.00	5.00	5.44	7.47
3. बी सी आर एल आई पी	15.00	3.00	0.95	3.00	0.53	3.0
4. एच एस एम डी	33.50	1.50	0.58	1.50	1.65	10.00
5. राष्ट्रीय तटवर्ती प्रबंधन कार्यक्रम	10.00	-	0.38	1.17	1.74	15.25
6. जैव-विविधता संरक्षण	1.00	1.00	0.47	0.50	-	0.50
7. ई पी सी ओ	2.50	2.00	2.00	0.50	0.37	0.01
8. आई आई एफ एम	-	0.22	-	-	-	-
जोड़	**562.00**	**104.72**	**46.52**	**116.67**	**114.73**	**141.23**

एन आर सी पी = राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना

बी सी आर एल आई पी = जैव-विविधता संरक्षण तथा ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना

एच एस एम डी = औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन परियोजना के लिए क्षमता निर्माण से संबंधित

स्रोतः एम ओ ई एफ का एम टी ए प्रस्ताव

संलग्नक 9.1.4

राज्यों को सी एस एस के अंतर्गत आबंटित निधियां

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/योजना	2007-08	2008-09	2009-10
पर्यावरण				
1.	**जैव मण्डल रिजर्व**			
	असम	0.25	0.40	0.5
	अरुणाचल प्रदेश	0.35	0.30	0.18
	छत्तीसगढ़	0.32	1.34	
	कर्नाटक	0.32	0.47	
	केरल	2.08	1.04	0.63
	मध्य प्रदेश	0.87	1.37	
	मेघालय	0.30	0.30	0
	उड़ीसा	1.10	0.25	0.5
	सिक्किम	0.59	0.50	
	तमिलनाडु	1.31	1.70	1.6
	उत्तरांचल	0.73	0.60	0.25
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			0.15
	पश्चिम बंगाल	0.64	1.08	0.8
	जोड़	**8.86**	**9.35**	**4.61**
2.	**मेनग्रोव, कोरल रीफ और नम भूमियों का संरक्षण और प्रबंधन**			
	आंध्र प्रदेश	0.34	0.47	
	सम	0.50	0.00	
	गोवा	0.05	0.15	
	गुजरात	2.40	2.24	
	हिमाचल प्रदेश	0.40	0.30	
	जम्मू एवं काशमीर	0.33	1.29	
	केरल	0.15	0.26	
	कर्नाटक	0.34	0.88	
	मणिपुर	0.30		
	उड़ीसा	1.61	1.13	0.7
	पंजाब	1.03	0.72	0.31
	राजस्थान	0.53	0.13	
	तमिलनाडु	1.60	3.47	0.91
	त्रिपुरा		0.25	
	पश्चिम बंगाल	2.70	3.28	0.49
	मिजोरम	0.53	0.72	
	महाराष्ट्र			
	मध्य प्रदेश	0.49	0.43	0.11

क्रम सं.	राज्य/योजना	2007-08	2008-09	2009-10
पर्यावरण				
	उत्तर प्रदेश	0.29	1.20	0.57
	उत्तरांचल		0.02	
	लक्षद्वीप	0.00	0.10	0.34
	आर एंड डी	1.17	1.14	0.34
	जोड़	**14.76**	**18.20**	**3.77**
3.	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**			
	आंध्र प्रदेश	67.96	25.38	25.31
	बिहार	0	0	
	गुजरात	0.25	1.49	
	गोवा	0.7	0	
	हरियाणा	3.15	20.8	
	झारखंड	0	0	
	कर्नाटक	2.75	2.25	
	केरल	1	1	
	मध्य प्रदेश	6.75	3.35	0.9
	महाराष्ट्र	5.21	0.35	
	नागालैंड	0	0	
	उड़ीसा	7.06	16.44	
	पंजाब	44.3	0	
	राजस्थान	0	0	
	तमिलनाडु	18.4	9.52	
	उत्तर प्रदेश	37.66	105.6	60.9
	उत्तरांचल	3.37	2.5	15.0
	पश्चिम बंगाल	23.7	29.6	20.0
	दिल्ली	14.87	5	
	सिक्किम	4.79	5	
	डब्ल्यूक्यूएम एवं आर एंड डी	0	0	
	एन सी आर डी (मुख्यालय)	0	0	
	जोड़	**241.92**	**270.85**	**122.11**
4.	**राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना**			
	आंध्र प्रदेश	0	0	
	जम्मू एवं काशमीर	31.66	12.5	10.71
	कर्नाटक	2.59	4.84	
	महाराष्ट्र	1	0.76	1
	तमिलनाडु	0	0	
	राजस्थान	13.44	13.53	
	पश्चिम बंगाल	0	4	

क्रम सं.	राज्य/योजना	2007-08	2008-09	2009-10
पर्यावरण				
	उत्तर प्रदेश	1	4	
	उड़ीसा	0	1	
	जोड़	**62.72**	**44.63**	**11.71**
वानिकी और वन्यजीवन				
5.	**सामूहिक पुष्पण मूली बाँस**			
	अरुणाचल प्रदेश	0.5	0.25	
	असम	2.04	2.2	
	मणिपुर	3	1.46	
	मेघालय	3.5	1.59	
	मिजोरम	5.26	5	
	नागालैंड	1.68	0	
	त्रिपुरा	5.69	4.2	
	आई सी एफ आर ई	0	0.3	
	जोड़	**21.67**	**15**	
6.	**वन प्रबंधन का तीव्रीकरण**			
	आंध्र प्रदेश	1.8	2.7	
	अरुणाचल प्रदेश	3.08	2.82	
	असम	4.96	4	2.82
	बिहार	0.84	0.94	
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			0.12
	चंडीगढ़			
	छत्तीसगढ़	6.13	4.64	
	दमन और दीव		0.18	0.08
	गोवा	0.19	0.27	
	गुजरात	5.69	4.62	3.84
	हरियाणा	0.96	1.11	0.7
	हिमाचल प्रदेश	1.24	2.6	2.44
	जम्मू एवं काशमीर			
	झारखंड	2.22	2.76	2.08
	कर्नाटक	1.6	2.64	2.02
	केरल	2.84	4.67	3
	मध्य प्रदेश	6.65	5.65	
	महाराष्ट्र	2.33	2.32	
	मणिपुर	1.44	2.07	1.41
	मेघालय	0.86	1.89	
	मिजोरम	4.14	4.1	2.41
	नागालैंड	3.65	2.22	2.16

क्रम सं.	राज्य/योजना	2007-08	2008-09	2009-10
पर्यावरण				
	उड़ीसा	1.8	2.34	
	पंजाब	1	1.34	
	राजस्थान	1	1.5	1.2
	सिक्किम	1.21	2.74	2.03
	तमिलनाडु	4.31	3.9	
	त्रिपुरा	0.99	1.56	1.08
	उत्तर प्रदेश	2.36	2.55	1.43
	उत्तरांचल	2.83	3.05	3.17
	पश्चिम बंगाल	1.87	3.38	2.09
	जोड़	**67.99**	**74.56**	**34.08**
7.	**वन प्रबंधन का एकीकृत विकास**			
	आंध्र प्रदेश	1.68	0.92	
	अरुणाचल प्रदेश	1.25	1.93	
	असम	0.82	1.61	
	बिहार	0.04	0.38	
	छत्तीसगढ़	3.79	3.23	
	गोवा	0.32	0.42	
	गुजरात	3.32	3.19	1.41
	हरियाणा	0.7	0.86	
	हिमाचल प्रदेश	2.33	2.42	1.39
	जम्मू एवं काशमीर	2.22	4.71	1.88
	झारखंड	0.98	1	
	कर्नाटक	6.31	6.25	3.71
	केरल	4.94	8.65	2.99
	मध्य प्रदेश	8	6.13	
	महाराष्ट्र	3.31	3.9	
	मणिपुर	1.06	1	0.34
	मेघालय	0.65	0.58	
	मिजोरम	1.69	2.89	
	नागालैंड	0.19	0.28	
	उड़ीसा	3.57	5.76	
	पंजाब	0	0.4	
	राजस्थान	3.47	4.17	3.34
	सिक्किम	1.59	1.88	1.12
	तमिलनाडु	2.75	7.28	4.06
	त्रिपुरा	0.36	0	
	उत्तर प्रदेश	3.32	3.07	

क्रम सं.	राज्य/योजना	2007-08	2008-09	2009-10
पर्यावरण				
	उत्तरांचल	0.77	2.16	
	पश्चिम बंगाल	3.56	3.46	
	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.83	0.73	0.86
	चंडीगढ़	0	0	
	दमन और दीव	0.04	0.06	
	दादर एवं नगर हवेली	0.12	0.17	
	लक्षद्वीप	0	0	
	दिल्ली	0	0	
	जोड़	**63.98**	**79.47**	**21.1**
8.	**प्रोजेक्ट टाइगर**			
	आंध्र प्रदेश	0.74	0.57	
	अरुणाचल प्रदेश	1.1	2.46	
	असम	0.96	10.92	
	बिहार	0.98	0.5	
	छत्तीसगढ़	0.35	1.7	
	झारखंड	0.45	1.15	
	कर्नाटक	11.6	6.9	
	केरल	1.53	2.67	
	मध्य प्रदेश	29.76	69.99	
	महाराष्ट्र	2.96	4.11	
	मिजोरम	0.83	2.41	
	उड़ीसा	0.43	6.26	
	राजस्थान	4.11	27.09	
	तमिलनाडु	0.45	6.91	
	उत्तरांचल	2.02	4.63	
	उत्तर प्रदेश	1.35	4.18	
	पश्चिम बंगाल	3.09	2.28	
	जोड़	**62.71**	**154.73**	**0**
9.	**प्रोजेक्ट एलीफेंट**			
	आंध्र प्रदेश	0.6	0.45	
	अरुणाचल प्रदेश	0.55	0.65	
	असम	1.44	1.75	
	बिहार	1.32	0.8	
	छत्तीसगढ़	0.84	0.6	
	कर्नाटक	2.13	2.49	
	केरल	1.48	3.57	
	मेघालय	0.68	0.5	

क्रम सं.	राज्य/योजना	2007-08	2008-09	2009-10
पर्यावरण				
	नागालैंड	0.27	0.17	
	उड़ीसा	1.49	1.81	
	तमिलनाडु	1.25	2.69	
	त्रिपुरा	0.12	0.29	
	उत्तर प्रदेश	0.55	0.58	
	उत्तरांचल	1.26	2.09	
	पश्चिम बंगाल	1.86	1.76	
	महाराष्ट्र	0.57	0.78	
	मिजोरम	0.01		
	जोड़	**16.42**	**20.98**	
10.	**राष्ट्रीय वनारोपण कार्यक्रम**			
	आंध्र प्रदेश	9.97	11.54	3.03
	छत्तीसगढ़	42.71	25.66	4.65
	गुजरात	30.93	25.75	5.45
	हरियाणा	12.93	20.14	9.52
	हिमाचल प्रदेश	7.43	6.72	0
	जम्मू एवं काशमीर	8.13	8.47	0.14
	कर्नाटक	31.02	15.46	2.05
	मध्य प्रदेश	13.84	22.55	8.17
	महाराष्ट्र	29.92	21.87	0.33
	उड़ीसा	19.01	21.63	0.81
	पंजाब	5.88	3.3	0
	राजस्थान	2.5	7.32	0
	तमिलनाडु	9.46	8.86	0
	उत्तर प्रदेश	36.77	30.8	18.07
	उत्तरांचल	12.39	9.24	3.1
	गोवा	0	0	0
	झारखंड	24.56	26.32	3.56
	बिहार	6.92	6.48	1.1
	केरल	8.81	9.45	0.12
	पश्चिम बंगाल	7.23	9.06	0.67
	अरुणाचल प्रदेश	4.85	3.25	0
	असम	8.58	9.78	2.09
	मणिपुर	12.37	9.51	0.7
	नागालैंड	7.75	6.64	2.45
	सिक्किम	11.28	6.63	1.1
	त्रिपुरा	5.02	0.89	1.34

क्रम सं.	राज्य/योजना	2007-08	2008-09	2009-10
पर्यावरण				
	मिजोरम	16.75	13.61	2.78
	मेघालय	5.94	4.69	0
	जोड़	**392.95**	**345.62**	**71.23**

स्रोतः एम ओ ई एफ का एम टी ए (ग्यारहवीं योजना)

संलग्नक 9.1.5

पर्यावरण और वन क्षेत्रक के लिए राज्य-वार परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/स्कीम	ग्यारहवीं योजना परिव्यय 2007-12	2007-08 वास्तविक व्यय	2008-09		2009-10 प्रस्तावित परिव्यय
				परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	
पर्यावरण और वन						
1.	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	185.56	153.05	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2.	अरुणाचल प्रदेश	230.19	32.58	28.75	28.75	33.65
3.	असम	97.75	13.73	34.9	34.9	56.63
4.	बिहार	179.37	33.55	38.15	38.15	45.5
5.	छत्तीसगढ़	2837.34	186.37	313.9	298.2	238.19
6.	गोवा	55.58	12.76	10.62	18.21	16.79
7.	गुजरात	185.00	19.59	37	37	42
8.	हरियाणा	765.17	100.31	114.87	114.87	98.75
9.	हिमाचल प्रदेश	694.53	103.15	111.25	111.25	116.88
10.	जम्मू एवं काशमीर	123.74	17.75	21.06	25.06	38.16
11.	झारखंड	612.78	94.44	105.00	103.00	115.00
12.	कर्नाटक	750.04	143.1	209.29	209.29	203.39
13.	केरल	340.39	36.52	58	58	59.87
14.	मध्य प्रदेश	1235.62	288.3	291.82	266.28	253.03
15.	महाराष्ट्र	उपलब्ध नहीं	45.04	67.47	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
16.	मणिपुर	95.04	15.74	18.05	18.55	21
17.	मेघालय	167	24.5	28.95	28.95	51.5
18.	मिजोरम	67.13	13.01	11.39	11.39	12.54
19.	नागालैंड	70.62	17.87	22.31	22.31	23.78
20.	उड़ीसा	830.93	93.21	166.24	166.24	172.43
21.	पंजाब	162.19	34.41	68.88	68.88	51.15
22.	राजस्थान	201.5	54.59	48.21	65.83	84.5
23.	सिक्किम	97.2	15.26	16.55	16.55	19.94
24.	तमिलनाडु	1405.79	156.58	182.24	172.94	110.5
25.	त्रिपुरा	81.44	22.23	40.29	40.29	82.3
26.	उत्तर प्रदेश	2481.1	275.33	302.65	335.29	317.21

27.	उत्तराखंड	2081.21	130.09	161.85	122.58	176.43
28.	पश्चिम बंगाल	290	37.48	66.9	66.9	126.49
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	82.41	16.52	16.94	20.96	24.74
30.	चंडीगढ़	122.89	10.32	13.85	13.85	58.43
31.	दादर एवं नगर हवेली	110.51	4.12	12.09	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
32.	दमन और दीव	10.48	0.61	1.1	1.1	2.03
33.	दिल्ली	104.25	28.42	25.9	20.62	24
34.	लक्षद्वीप	10.54	0.55	1.19	1.22	2.37
35.	पांडिचेरी	24.78	2.97	1.97	1.97	3.25

स्रोत : राज्य योजना प्रस्ताव

अध्याय 10
अवसंरचना

प्रस्तावना

10.1 ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत योजना अवधि के दौरान जी डी पी में 9 प्रतिशत की औसत विकास दर बनाए रखने के लिए अवसंरचना में लगभग 20.56 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। इसमें से 30 प्रतिशत (6,19,591 करोड़ रुपए) का योगदान निजी क्षेत्र द्वारा किए जाने की उम्मीद की गई है जबकि दसवीं योजना के दौरान 20 प्रतिशत्त प्रत्याशित की प्राप्ति हुई थी।

10.2 क्षेत्रक-वार 2008-09 में प्रत्याशित प्राप्त निवेश के नीचे से ऊपर के अनुमानों से पता चलता है कि यद्यपि दूरसंचार, सिंचाई और बिजली जैसे क्षेत्रकों में निवेश लक्ष्य को पार कर लिया गया है, बंदरगाहों और सड़कों में उनमें मामूली सी कमी आई है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक मंदी का आना है। तथापि, अवसंरचना में कुल प्रत्याशित प्राप्त निवेश योजना अनुमानों को पार कर गया है। वर्ष 2008-09 में 3,21,579 करोड़ रुपए के पूर्वानुमानित निवेश के विरुद्ध प्रत्याशित प्राप्त निवेश 3,59,192 करोड़ रुपए था। 2008-09 में अवसंरचना में कुल निवेश में निजी क्षेत्रक का हिस्सा 2008-09 में 33.73 प्रतिशत से अधिक था जो ग्यारहवीं योजना में परिकल्पित 30 प्रतिशत के लक्ष्य को पार कर गया।

10.3 आर्थिक परिदृश्य में कुल मिलाकर सुधार के साथ्, अवसंरचना में अन्य निवेश की विशेष रूप से निजी क्षेत्रक के माध्यम से निवेश को, मुख्यतः सरकारी-निजी भागीदारी (पी पी पी) के लिए समर्थनकारी परिवेश को और सुदृढ़ करके, सुदृढ़ किए जाने की योजना है। उम्मीद है कि इससे ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि के लिए अवसंरचना में निजी क्षेत्रक द्वारा अधिक निवेश के लिए मार्ग प्रशस्त होगा और बारहवीं योजना में अवसंरचना में कमी को पूरा करने में मदद मिलने की संभावना है।

अवसंरचना में निवेश

10.4 ग्यारहवीं योजना के अंतिम तीन वर्षों के दौरान अवंसरचना में कुल निवेश, विस्तृत क्षेत्रक-वार नीचे से ऊपर अनुमानों के आधार पर, नीचे तालिका 1 में दर्शाया गया है।

नीतिगत पहल

10.5 निजी भागीदारी के लिए समर्थनकारी परिवेश कायम करने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें सम्मिलित हैंः प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडल से शुरू करके एक संस्थागत फ्रेमवर्क की स्थापना। यह समिति नीतिगत रूपरेखा के संचालन और कार्यान्वयन की प्रगति का मानीटरन करने के लिए जिम्मेदार है। सरकारी-निजी भागीदारी (पी पी पी) के आकलन और अनुमोदन के

लिए एक पद्धति को भी संस्थागत बनाया गया है। क्योंकि कुछेक अवसंरचना परियोजनाएं वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो सकती, इसलिए सरकार ने ऐसी परियोजनाओं की पूंजीगत लागतों के 20% तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू की है। सरकार ने, दीर्घावधिक ऋण के रूप में परियोजना लागतों के 20 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान करने के लिए, जिसमें से आधी अर्ध-इक्विटी के रूप में अनूठी सेवा के साथ अधीनस्थ ऋण के रूप में प्रदान की जा सकती है, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी भी स्थापित की है तथा 'टेक आउट' वित्तपोषण की एक स्कीम भी अनुमोदित की गई है।

माडल दस्तावेज

10.6 नीति रूपरेखा की महत्त्वपूर्ण विशेषता माडल दस्तावेजों को अपनाए जाने की है, जैसे कि पी पी पी परियोजनाएं अवार्ड करने के लिए कनसेंशन करार व अन्य बोली दस्तावेज। बोली दस्तावेजों के मानकीकरण से अधिक निश्चितता, व्यापक सार्वजनिक स्वीकार्यता और कारोबार लागतों व समय में कमी में आती है। क्योंकि पी पी पी परियोजनाओं में विशिष्ट रूप से सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा पट्टा, उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के लिए सरकारी प्राधिकार का प्रत्यायोजन, एक एकाधिकारवादी परिवेश में सार्वजनिक यूटिलिटियों/ सेवाओं का प्रचालन और/ अथवा नियंत्रण और सरकार द्वारा जोखिम व आकस्मिक देनदारियों में हिस्सेदारी सम्मिलित है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक परियोजनाओं के रूप में समझा जाना चाहिए, जहां जवाबदेही सरकार के पास बनी रहेगी। पी पी पी प्रक्रिया, सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निजी निवेश प्राप्त करने का केवल एक साधन है। इसलिए, मानक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं पर निर्भरता से निर्णय निर्माण में सुविधा होने और परियोजना को ऐसे ढंग से अवार्ड किए जाने की उम्मीद है जो उचित, पारदर्शी और प्रतिस्पर्द्धी हो।

तालिका 10.1 : अवसंरचना में निवेश

(2006-07 कीमतों पर करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (पूर्वानुमानित)	2008-09 (वास्तविक/ अनु.)	2009-10 (पूर्वानुमानित)
बिजली (एन सी ई सहित)	**1,11,134**	**1,01,553**	**1,17,093**	**1,26,380**
केंद्र	29,386	43,469	36,769	49,989
राज्य	27,252	29,729	30,109	41,357
निजी	54,497	28,355	50,215	35,034
सड़कें और पुल	**42,741**	**54,789**	**48,108**	**59,200**
केंद्र	12,963	19,446	14,876	20,673
राज्य	22,769	18,150	25,660	18,889
निजी	7,009	17,193	7,572	19,638
दूरसंचार	**31,900**	**38,134**	**52,295**	**48,593**
केंद्र	7,894	14,037	11,048	16,061
निजी	24,007	24,098	41,248	32,532
रेलवे (एम आर टी एस सहित)	**31,182**	**40,964**	**39,095**	**49,525**

केंद्र	29,594	31,176	35,863	37,974
राज्य	1,128	1,788	2,554	1,979
निजी	460	8,000	677	9,572
सिंचाई (डब्ल्यू एस सहित)	**38,789**	**35,916**	**44,858**	**47,189**
केंद्र	1,831	4,006	2,133	4,782
राज्य	36,958	31,911	42,725	42,407
जलापूर्ति और स्वच्छता	**19,110**	**22,781**	**19,939**	**27,323**
केंद्र	7,201	6,411	7,764	7,991
राज्य	11,845	15,558	12,094	18,308
निजी	65	812	81	1,024
बंदरगाह	**4,942**	**14,822**	**7,148**	**17,374**
केंद्र	831	5,698	1,040	6,243
राज्य	223	658	375	724
निजी	3,888	8,466	5,733	10,407
हवाई अड्डे	**6,912**	**5,520**	**7,522**	**5,904**
केंद्र	1,888	1,369	2,287	1,894
राज्य	424	-	525	-
निजी	4,600	4,151	4,711	4,010
भण्डारण	**906**	**4,098**	**1,281**	**4,446**
केंद्र	0	820	0	889
राज्य	0	1,229	0	1,334
निजी	906	2,049	1,281	2,223
तेल और गैस पाइपलाइन	**16,190**	**3,003**	**21,854**	**3,332**
केंद्र	7,354	1,874	12,234	2,049
निजी	8,836	1,129	9,620	1,283
जोड़	**3,03,807**	**3,21,579**	**3,59,192**	**3,89,266**
केंद्र	98,941	1,28,305	1,24,013	1,48,545
राज्य	1,00,598	99,022	1,14,041	1,24,998
निजी	1,04,268	94,252	1,21,138	1,15,724
जोड़	**3,03,807**	**3,21,579**	**3,59,192**	**3,89,266**
सरकारी	1,99,539	2,27,327	2,38,054	2,73,543
निजी	1,04,268	94,252	1,21,138	1,15,724
जीडीपी	**47,17,187**		**50,03,545**	
जीडीपी का प्रतिशत निवेश	6.44		7.18	

10.7 इस संबंध में, क्षेत्रक-विशिष्ट रिपोर्टें, वित्तपोषण योजनाएं और मानकों व विनिर्देशों के संबंध में नियमावलियां प्रकाशित की गई हैं तथा माडल दस्तावेज अपनाए गए हैं, माडल कन्सेशन करारों (एस सी ए) सहित, जिनमें 2008 में निम्नलिखित सम्मिलित थे:

(क) सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन संबंधी विशेषज्ञ समिति;

(ख) विनिर्देशों और मानकों की नियमावली : राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाना;
(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान अवसंरचना में निवेश के पूर्वानुमान;
(घ) अवसंरचना के विनियमन के प्रति दृष्टिकोण

10.8 दस्तावेज जिन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा था और जिन्हें 2009-10 में पूरा किया जाना है, उनमें सम्मिलित हैं:

(क) राजमार्गों में निर्माण कार्य प्राप्त करने के लिए माडल संविदा
(ख) मेट्रो-भिन्न हवाईअड्डों के नगर की ओर विकास के लिए एम सी ए
(ग) रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए एम सी ए
(घ) शहरी आवागमन पद्धति (मेट्रो रेल) के लिए एम सी ए
(ड.) विद्युत इंजिनों के प्रापण-सह-अनुरक्षण के लिए एम सी ए
(च) तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए माडल आर एफ पी
(छ) कानूनी परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए मॉडल आर एफ पी

सरकारी-निजी भागीदारी आकलन समिति (पी पी पी ए सी)

10.9 एक पी पी पी आकलन समिति (पी पी पी ए सी) की स्थापना, केंद्रीय सरकार की सभी पी पी पी परियोजनाओं के आकलन के लिए एक कारगर, सुपरिभाषित, सतत और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। पी पी पी ए सी का अध्यक्ष आर्थिक कार्य विभाग के सचिव हैं जिसमें योजना आयोग, विधिक कार्य और संबंधित प्रशासनिक विभाग के सचिव संघटक सदस्य के रूप में हैं। संबंधित मंत्रालयों से 100 करोड़ रुपए और इससे अधिक के निवेश वाले पी पी पी परियोजना प्रस्तावों पर पी पी ए सी द्वारा अनुमोदनार्थ विचार किया जाता है तथा 100 करोड़ रुपए से कम निवेश वाले प्रस्तावों पर विद्यमान व्यय वित्त समिति (ई एफ सी)/ लोक निवेश बोर्ड (पी आई बी) पद्धति के अंतर्गत विचार किया जाता है। जो प्रस्ताव यथापूर्वक अनुमोदित एम सी ए पर आधारित होते हैं, उनके संबंध में रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने से पहले पी पी ए सी से सिद्धांततः स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। वर्ष 2008-09 के दौरान, सड़क परिवहन, नौवहन, रेलवे, पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालयों से प्राप्त क्षेत्रों में 1,17,622.8 करोड़ रुपए की लागत की 74 पी पी पी परियोजनाओं पर सी ओ आई के लिए सचिवालय में ई एफ सी/ पी आई बी के विचारार्थ आकलन/ जाँच की गई जैसा कि तालिका 10.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.2 : आकलित पी पी पी परियोजनाओं का क्षेत्रक-वार ब्यौरा (2008-09)

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	निवेश
सड़कें	60	65,675.5
नौवहन	7	16,798.5

रेलवे	4	35,000.0
पर्यटन	1	148.90
नागर विमानन	2	0.0
जोड़	**74**	**1,17,622.8**

भारत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल)

10.10 इस बात को समझते हुए कि अवसंरचना द्वारा एनजेण्डर्ड बाह्यताओं का सदा ही परियोजना प्रायोजकों द्वारा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक व्यवहार्यता अंतर निधियन (वी जी एफ) स्कीम, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली अवसंरचना परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता में वृद्धि करने के लिए, 2006 में अधिसूचित की गई थी, जो आर्थिक प्रतिफल द्वारा न्यायोचित हों किन्तु जो वित्तीय प्रतिफल के मानक द्वार पर खरी नहीं उतरें। इन अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सरकार ने 2006 में एक पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी एस पी वी, दि इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आई आई एफ सी एल) स्थापित की। योजना आयोग के सदस्य-सचिव इसके बोर्ड में एक निदेशक हैं तथा सचिवालय की सहायता एस सी ओ आई द्वारा प्रदान की जाती है। आई आई एफ सी एल, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं की पूंजी लागत के 20 प्रतिशत की राशि सीधे ही उधार दे सकती है। यह 10 वर्ष से अधिक की अवधि तक के लिए ऋणों के वास्ते वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त भी प्रदान कर सकती है। आई आई एफ सी एल द्वारा प्रतिस्पर्धी रूप से चुनी गई पी पी पी परियोजनाओं को उधार देने में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। मार्च 2009 तक आई आई एफ सी एल द्वारा 1,47,092 करोड़ रुपए की राशि की परियोजना लागत वाले अनुमोदित 88 प्रस्ताव तालिका 10.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 10.3 : आई आई एफ सी एल द्वारा मंजूर ऋणों का क्षेत्रक-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	मंजूर ऋण
सड़कें	57	35,293	6,063
बंदरगाह	5	3,772	580
विद्युत	2	14,716	2,150
शहरी अवसंरचना	23	93,241	9,913
जोड़	1	70	14
	101	**1,47,092**	**18,720**

10.11 पी पी पी विधि में कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने आई आई एफ सी एल को 31 मार्च, 2009 तक पांच वर्षीय कर-मुक्त बांडों के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाने की अनुमति दे दी है। इन निधियों का उपयोग पात्र अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, विशेष रूप से 25000 करोड़ रुपए के राजमार्ग और बंदरगाह क्षेत्रकों में दीर्घ अवधि

वाले बैंक उधार के पुनर्वित्त के लिए किया जाएगा। अगले 18 महीनों के दौरान, अर्थात सितंबर 2010 तक प्रतिस्पर्द्धी दरों पर लगभग 75,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए आई आई एफ सी एल को वर्तमान वर्ष के दौरान जुटाए गए धन का प्रभावी ढंग से खर्च किए जाने पर कर-मुक्त बांडों के जरिए एकसाथ 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की सुलभता की अनुमति दी जा रही है।

क्षेत्रकीय पहलें

राष्ट्रीय राजमार्ग

10.12 कुल 66,590 किलो मीटर लंबाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग देशभर में मुख्य राजमार्ग नेटवर्क के रूप में कार्यरत हैं। मार्च 2009 के अंत तक एन एच डी पी I के अंतर्गत कुल 7498 किलो मीटर में से 7,188 किलो मीटर का निर्माण पूरा हो गया है। एन एच डी पीं-II के अंतर्गत परिकल्पित कुल 6647 किलो मीटर में से 5836 किलो मीटर के लिए ठेके अवार्ड कर दिए गए हैं तथा 2828 किलो मीटर को चार लेन वाला बनाने का काम पूरा हो गया है। बी ओ टी (टोल) विधि के जरिए एच एन डी पी-III के अंतर्गत, जिसके तहत 12109 किलो मीटर को चार/छः लेन वाला बनाने की परिकल्पना की गई है, मार्च 2009 तक 2663 किलो मीटर के संबंध में ठेके अवार्ड कर दिए गए हैं। सी ओ आई द्वारा अनुमोदित वित्तपोषण योजना के अनुसार, एन एच डी पी-IV को पांच-पांच हजार किलोमीटर के चार भागों में विभाजित किया गया है जिसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार हाथ में लिया जाएगा। 4,000 किलो मीटर बी ओ टी (टोल) आधार पर और 1000 किलो मीटर बी ओ टी (टोल/वार्षिकी) आधार पर के साथ 5000 किलो मीटर का पहला घटक सरकार द्वारा 17 जुलाई 2008 को अनुमोदित किया गया। एन एच डी पी-IV के अंतर्गत प्रस्तावित 6,500 किलो मीटर में से सी ओ आई ने जीक्यू के 5700 किलो मीटर को छः लेन वाला बनाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है तथा शेष 800 किलो मीटर का चयन अनुमोदित पात्रता मानदण्ड के आधार पर किया जाएगा तथा 1030 किलो मीटर के संबंध में ठेके 2008-09 में अवार्ड किए गए। 2009-10 के दौरान राजमार्ग क्षेत्रक में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत किए जाने पर अवार्ड करने की गति में वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने अनेक पहलें घोषित की हैं जैसे कि कर छूट और निजी क्षेत्रक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए सड़क निर्माण उपस्कर और मशीनरी का कर-मुक्त आयात।

रेलवे

10.13 भारतीय रेलवे ने राजकोषीय वर्ष 2009-10 के लिए एक महत्त्वाकांक्षी वार्षिक योजना शुरू की है जिसमें 49,525 करोड़ रुपए का निवेश सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत कुल 39,953 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त 37,974 करोड़ रुपए सहित। योजना के अंतर्गत रेल क्षमता के संवर्धन, रेलवे के आधुनिकीकरण, उच्च घनत्व नेटवर्क मार्गों पर थ्रुपुट संवर्धन, यातायात सुविधा निर्माण कार्य और विस्तार तथा नेटवर्क के विकास की परिकल्पना की गई है।

10.14 समर्पित भाडा कारिडोर के संबंध में कार्य बल रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है तथा डी एफ सी सी आई एल का समावेश कर लिया गया है। उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम, और पूर्व-दक्षिण तथा दक्षिण-दक्षिण कारिडोरों के संबंध में व्यवहार्यता-पूर्व सर्वेक्षण पूरा हो गया है। 30,000 करोड़ रुपए की लागत पर पूर्वी और पश्चिमी समर्पित भाड़ा कारिडोर का निर्माण वर्ष 2008 में शुरू किया गया। कन्सेशन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं तथा 16 आपरेटरों को कंटेनर ट्रेन आपरेट करने के लिए लाइसेंस दिया गया है।

10.15 26 चुनिंदा रेलवे स्टेशनों की पुनर्विकास योजना, नई दिल्ली सहित, जिसका प्रस्ताव पी पी पी मार्ग के माध्यम से किया गया था, शुरू की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संबंध में व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है तथा पटना रेलवे स्टेशन के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन, वस्तुविद और तकनीकी परामर्शदाता द्वारा, प्रगति पर है।

बंदरगाह

10.16 भारत में प्रमुख बंदरगाहों पर पी पी पी के माध्यम से आपरेटिंग बर्थों में सकारात्मक अनुभव को देखते हुए, कार्यक्रम का विस्तार नए बर्थ आबंटित करने के लिए किया गया, जिनका निर्माण पी पी पी माध्यम से किया जाएगा।

10.17 अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय बंदरगाहों पर रुकने का समय कम करने के लिए, सचिव, नौवहन विभाग के अधीन अंतर-मंत्रालयीय समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया हैं और सी ओ आई द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। बंदरगाह और सीमाशुल्क के नियंत्रण से बाहर कार्यकलापों से संबंधित रुकने के समय में कमी करने पर विचार करने के लिए सी ओ आई ने वित्त सचिव के अधीन एक अंतर-मंत्रालय समूह गठित किया था।

10.18 सरकार ने, नई बर्थों का विकास करने, विद्यमान बर्थों के विस्तार और उन्नयन, चैनलों को गहरा करने, उपस्कर आधुनिकीकरण और रेल तथा सड़क संयोजकता के उन्नयन के लिए वर्ष 2009-10 में 17,374 करोड़ रापए के निवेश का अनुमान लगाया है। 17374 करोड़ रापए के कुल निवेश में से 10,407 करोड़ रुपए, अर्थात 61.91 प्रतिशत निजी क्षेत्रक द्वारा जुटाए जाने की उम्मीद है।

हवाई अड्डे

10.19 सी ओ आई ने, भारत में विश्व श्रेणी के हवाई अड्डों का समयबद्ध निर्माण सुनिश्चित करने के लिए अनेक नीतिगत उपाय शुरू किए हैं। एक स्वतंत्र आर्थिक विनियमन के लिए एयरपोर्ट इकोनामिक रेगुलेटरी अथारिटी (ए ई आर ए) बिल सितंबर, 2007 में लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, लोक सभा द्वारा अक्तूबर 2008 में इसे पारित कर दिया गया तथा ए ई आर ए अधिनियम की अधिसूचना 5 दिसंबर 2008 को जारी की गई।

10.20 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के संबंध में नीति मंत्रिमंडल द्वारा 24 अप्रैल 2008 को अनुमोदित की गई। दिसंबर 2008 तक केंद्रीय सरकार ने 10 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को अनुमोदित कर दिया। हैदराबाद और बंगलौर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल हवाई अड्डों को क्रमशः 23 मार्च 2008 और 24 मई 2008 को चालू कर दिया गया। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार को पी पी पी के माध्यम से एक प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर अवार्ड किया गया हैं। वर्ष 2008-09 में दिल्ली हवाई अड्डे के अधुनिकीकरण पर 4,018 करोड़ रापए खर्च किए गए हैं। मुंबई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का प्रथम चरण इस वर्ष में 936 करोड़ रापए के साथ दिसंबर 2012 तक पूरा किया जाना है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) द्वारा चेन्नै और कोलकाता हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण को भी मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कोलकाता का विकास कार्य ए ए आई द्वारा 1,941.25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किया जा रहा है जिनमें से 133.18 करोड़ रुपए वर्ष 2008-09 में खर्च किए जा चुके हैं। चेन्नै हवाई अड्डे के संबंध में कार्य 1808 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नवंबर 2008 में दिया गया जिसमें से इस वर्ष 63.41 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

10.21 ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य 35 मेट्रो-भिन्न हवाईअड्डों (जिनमें से 4 पूर्वोत्तर में हैं) व 13 अन्य हवाईअड्डों को आधुनिक और विकसित करना है। 2008-09 में 12 हवाईअड्डों के संबंध में टर्मिनल इमारतों का कार्य पूरा कर लिया गया है। 4 हवाईअड्डों के संबंध में योजना तैयार की जा रही है तथा शेष 7 हवाईअड्डों के लिए भूमि का अधिक्रहण किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में ए ए आई द्वारा 11 आपरेशनल हवाईअड्डों के उन्नयन का कार्य शुरू किया जा रहा है। तीन ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों में से, सिक्किम में पकयोंग हवाईअड्डे के मामले में उसे 36 मास में पूरा करने के लिए 309 करोड़ रुपए की कुल लागत से जनवरी, 2009 में कार्य अवार्ड किया जा चुका है तथा अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर हवाईअड्डे के संबंध में प्रस्ताव पी आई बी के विचाराधीन है।

10.22 मानकीकरण की विद्यमान व्यवस्थाओं पर निर्माण की दिशाओं में पी पी पी के माध्यम से मेट्रो-भिन्न हवाईअड्डों के नगर की ओर विकास के लिए एक एस सी ए को सी ओ आई की अधिकार-प्राप्त उप-समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। हवाईअड्डों की टर्मिनल क्षमता निर्धारित करने के लिए मानदण्ड और मानकों की सिफारिशें करने के लिए नागर विमानन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में सी ओ आई द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयीय समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे सी ओ आई की अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हौ अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक हवाईअड्डों पर रुकने के समय में कमी करने के संबंध में एक अंतर-मंत्रालयीय समूह का 12 अप्रैल 2007 को गठन किया गया। नागर विमानन मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट 16 अप्रैल 2009 को परिचालित की।

विद्युत

10.23 यूटिलिटियों की स्थापित अखिल भारतीय क्षमता 1,47,965.51 मेगा वाट हो गई। इसमें 31 मार्च 2009 की स्थिति के अनुसार 93,725.24 मेगा वाट थर्मल, 36,877.76 मेगा वाट पन विद्युत और 4,120.00 मेगा वाट नाभिकीय और 13,242.41 मेगा वाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रक सम्मिलित थी।

10.24 विद्युत क्षेत्रक में सुधार की पहल के साथ, अब बिजली अधिनियम, 2003 के अंतर्गत मुक्त सुलभता के प्रावधान को कार्यान्वित करने पर बल दिया जा रहा है। मुक्त सुलभता को प्रचालनात्मक बनाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, श्री बी.के. चतुर्वेदी, सदस्य (विद्युत) की अध्यक्षता में फरवरी 2008 में गठित अंतर-मंत्रालयीय कार्य दल ने पणधारियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की और दिसंबर 2008 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की।

अध्याय 11
बाह्य परिवेश : अवसर, चुनौतियां और जोखिम

बाह्य क्षेत्रक आयाम

11.1 पिछले दो वर्षों के दौरान देखा गया विश्व संकट अब उन्नत और अनेक उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच मजबूत सरकारी नीतियों की मदद से कम होता जा रहा है। संबंधित सरकारों द्वारा शुरू किए गए बड़े राजकोषीय प्रोत्साहन कार्यक्रमों ने वैश्विक मंदी की अनिश्चितताओं को कम कर दिया है तथा कार्यकलापों की गति को बनाने में सफलता मिली है।

11.2 विदेशी क्षेत्रक के लिए उभरते दृष्टिकोण के साथ, यह स्पष्ट है कि इससे भारत में विकास और स्थिरता के संबंध में कोई चिंता होने की संभावना नहीं है। 2008-09 के द्वितीय अर्ध में लगातार दो तिमाहियों में विकास में कमी आकर 5.8 प्रतिशत तक होना हाल ही की अवधि में सबसे कम वृद्धि को दर्शाता है। 2008-09 की अंतिम तिमाही में औद्योगिक विकास ऋणात्मक हो गया जबकि सेवाओं में गिरावट सभी उतरोत्तर तिमाहियों में बनी रही। विकास में मामूली गिरावट व्यापक थी तथा सभी तीनों क्षेत्रकों तक फैली थी, अर्थात कृषि, उद्योग और सेवाएं। तथापि, भारत ने तीव्र विश्व वित्तीय संकट के प्रति उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया जबकि 2008-09 में जी डी पी विकास दर 6.7 प्रतिशत थी। विभिन्न सुधारों से दुढ़ वृहद आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रक परिवेश में योग मिला।

विश्व आर्थिक स्थिति

11.3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई एम एफ) ने अपने 'विश्व आर्थिक दृष्टिकोण' 2009 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं व अन्य उभरते व विकासशील देशों में आउटपुट वृद्धि में हाल ही की प्रवृत्ति की एक व्यापक समीक्षा प्रस्तुत की है। इसके पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्तमान बहाली धीमी होगी, क्रेडिट बाधापूर्ण होगा और काफी समय तक बेरोजगारी रहेगी। वैश्विक विकास 2010 में लगभग 3 प्रतिशत तक पहुंचने का पूर्वानुमान है, जो 2009 में कार्यकलापों में लगभग 1 प्रतिशत तक संकुचन के बाद होगा। 2010-14 के दौरान वैश्विक वृद्धि 4 प्रतिशत से कुछ ही अधिक होगी जबकि संकट से पहले विकास दर लगभग 5 प्रतिशत थी। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केवल 1.3 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। संयुक्त राज्य में 2010 में 1.5 प्रतिशत के वार्षिक परिवर्तन के साथ धीमी बहाली का पता चलता है। उभरते बाजार और विकासशील देश भी 2010 के दौरान 5.1 प्रतिशत की बहाली को परिलक्षित करते हैं। 2008 में विकास की विश्व औसत वार्षिक दर 3 प्रतिशत थी जबकि अन्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों ने औसतन 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर अनुभव की और वर्ष 2009 में औसतन वार्षिक वैश्विक वृद्धि दर (-) 1.1 प्रतिशत है। उभरते और विकासशील देशों ने 1.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर दर्ज की। बहाली और विकास की दृष्टि से चीन और भारत विकासशील देशों में अग्रणी रहे हैं।

11.4 भारत के मामले में आई एम एफ ने 2009 तक 5.4 प्रतिशत तक और 2010 तक 6.4 प्रतिशत तक वास्तविक जी डी पी में वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया है। जैसाकि तालिका 11.1 में दर्शाया गया है, 2009 के दौरान भारत की पूर्वानुमानित वृद्धि, यद्यपि विश्व औसत से अधिक है, 2010 में ऊपर की ओर प्रगति करने से पहले (6.4 प्रतिशत), 2008 में कम होकर 7.3 प्रतिशत और 2009 में 5.4 प्रतिशत हो जाएगी।

विदेश व्यापार नीति

11.5 2009-2014 अवधि के संबंध में व्यापक विदेश व्यापार नीति (एफ टी वी), विश्व मंदी के चरण के दौरान लागू की गई थी। यद्यपि, भारत पर प्रभाव उतना गंभीर नहीं रहा है जितना कि बहुत से अन्य देशों पर पड़ा है। निर्यात, आर्थिक कार्यकलाप में कमी आने का कारण पारंपरिक बाजारों में भारतीय वस्तुओं और सेवाओं की मांग में कमी आना था एफ टी पी का उद्देश्य अल्पावधि में निर्यात में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकना तथा बाद में उसे उलटना है। उन क्षेत्रकों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की गई है जो मंदी के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। एफ टी पी का उद्देश्य मार्च 2011 तक 200 बिलियन अमरीकी डालर के वार्षिक निर्यात लक्ष्य के साथ 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। दीर्घावधिक उद्देश्य 2014 तक लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक निर्यात वृद्धि दर प्राप्त करना तथा साथ ही वस्तुओं और सेवाओं के भारत के निर्यात को दोगुना करना है। सरकार के लिए अन्य दीर्घावधिक नीति उद्देश्य 2020 तक विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को दोगुना करना है।

तालिका 11.1 : विश्व आर्थिक दृष्टिकोण पूर्वानुमानों की समीक्षा

(वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन, जब तक कि अन्यथा नोट न किया गया हो) वर्तमान पूर्वानुमान					जुलाई 2009 से अंतर पूर्वानुमान	
	2007	2008	2009	2010	2009	2010
विश्व आउटपुट	5.2	3.0	-1.1	3.1	0.3	0.6
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं	2.7	0.6	-3.4	1.3	0.4	0.7
संयुक्त राज्य	2.1	0.4	-2.7	1.5	-0.1	0.7
यूरो क्षेत्र	2.7	0.7	-4.2	0.3	0.6	0.6
जर्मनी	2.5	1.2	-5.3	0.3	0.9	0.9
फ्रांस	2.3	0.3	-2.4	0.9	0.6	0.5
जापान	2.3	-0.7	-5.4	1.7	0.6	0.0
यू.के.	2.6	0.7	-4.4	0.9	-0.2	0.7
अन्य उभरते बाजार और विकासशील देश	8.3	6.0	1.7	5.1	0.2	0.4
अफ्रीका	6.3	5.2	1.7	4.0	-0.1	-0.1
चीन	13.0	9.0	8.5	9.0	1.0	0.5
भारत	9.4	7.3	5.4	6.4	0.0	-0.1

(स्रोतः वर्ल्ड इकोनामिक आउटलुक, 2008, आई एम एफ)

11.6 सरकार द्वारा एफ टी पी के अल्पावधिक और साथ ही दीर्घावधिक उद्देश्यों की भी प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा राजकोषीय प्रोत्साहनों, संस्थागत परिवर्तनों, प्रक्रियात्मक युक्तिकरण, और विश्व भर में संवर्धित

बाजार सुलभता और निर्यात बाजारों के विविधीकरण सहित मिले-जुले नीतिगत उपाय अपनाए जाएंगे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन स्तम्भ हैं निर्यात अवसंरचना का निर्माण और विकास, कारोबार लागत में कमी लाना और सभी प्रत्यक्ष करों व उप-करों की पूर्ण वापसी का प्रावधान।

11.7 विदेश व्यापार के लिए स्थिर और प्रेरक नीतिगत परिवेश प्रदान करने के लिए, 'ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक (डी ई पी बी) स्कीम' को दिसंबर 2010 तक जारी रखा जाएगा तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) के लिए धारा 10(क) के अंतर्गत 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए धारा 10(ख) के अंतर्गत आय कर लाभ एक और वर्ष 31 मार्च 2011 तक जारी रहेंगे। संवर्धित बीमा कवरेज और निर्यात क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ई सी जी सी) के माध्यम से निर्यात के संबंध में खुलापन 31 मार्च 2010 तक सुनिश्चित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ ब्याज छूट की स्कीम भी जारी रहेगी।

11.8 उत्पादों और बाजारों को विविधीकृत करने के लिए उपयुक्त नीतिगत उपाय अपनाए गए हैं। दक्षिण कोरिया के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र एसोसिएशन (आसियान) के साथ 'ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट' किया गया है।

विदेशी व्यापार

11.9 अक्तूबर 2008 से भारत के निर्यात ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है। तथापि, भारत के भुगतान शेष (बी ओ पी) ने लचीलापन प्रदर्शित किया, संधारणीय सीमाओं के अंदर वर्तमान खाता घाटे की विशेषता और बड़े पूंजी बाह्य प्रवाहों के दबाव के बावजूद विदेशी मुद्रा भण्डारों के सीमित उपयोग के साथ। विदेशी मांग शॉकस का संप्रेषण भारत के निर्यात विकास पर तीव्र तथा गंभीर था। बी ओ पी के आधार पर निर्यात जो 2008-09 की पहली तिमाही में 43 प्रतिशत के शिखर पर था, तीसरी तिमाही में कम होकर (-) 9 प्रतिशत तथा चौथी तिमाही में और कम होकर (-) 24 प्रतिशत हो गया।

11.10 आयात मांग वृद्धि, जो 2008-09 में दूसरी तिमाही में जोरदार रही, तीसरी तिमाही में कम होकर एकल अंक स्तर तक पहुंच गई तथा चौथी तिमाही में और कमी आई। आयात मांग में यह कमी घरेलू औद्योगिक मांग में धीमेपन और अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल व अन्य प्राथमिक वस्तु कीमतों में तीव्र कमी से मेल खाती है।

11.11 2008-09 की पहली तीन तिमाहियों में ऊंची कच्चे तेल की कीमतों, आयात में वृद्धि और विदेशी मांग में कमी के कारण व्यापार घाटे में वृद्धि हुई। आयात में आनुपातिक कमी निर्यात की तुलना में अधिक थी जिसके फलस्वरूप 2008-09 की चौथी तिमाही में व्यापार घाटे में कमी आई। तथापि, साफ्टवेयर सेवाएं और कामगार प्रेषणाएं वर्तमान प्राप्तियों के दो घटक हैं जो मंदी के दौरान अपेक्षाकृत लचीली रही।

11.12 वित्तीय चैनल के माध्यम से कीमतों का प्रभाव पूंजी प्रवाह चक्र में तेज फेरबदल पर परिलक्षित हुआ जो पूंजी आप्रवाहों में उछाल के लगातार चरण से बड़े बाह्यप्रवाह में बदल गया, विशेष रूप से 2008-09 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाहियों में। 2008 की तीसरी तिमाही में पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा बड़े पूंजी बाह्य प्रवाह हुए। तथापि, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) आप्रवाह से, दीर्घावधिक निवेश स्थल के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का पता चलता है।

11.13 विश्व मंदी के प्रभाव की गंभीरता और बी ओ पी में वित्तीय आघात को पर्याप्त विदेशी मुद्रा भण्डार (एफ ई आर) की विद्यमानता के कारण नरम बनाया जा सका। 2008-09 के दौरान भारत के एफ ई आर में, मूल्यांकन प्रभावों को छोड़कर, 20.1 बिलियन अमरीकी डालर की कमी आई। उसी वर्ष एफ ई आर स्तर, मूल्यांकन प्रभाव सहित, 57.7 बिलियन अमरीकी डालर तक कम हो गया, जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के विरुद्ध अमरीकी डालर की कीमत वृद्धि के प्रभाव को परिलक्षित करता है।

निर्यात

11.14 2008-09 के दौरान भारत की पण्य निर्यात वृद्धि में तेजी से कमी आई जो बड़ी आंतर-वर्ष चंचलता के साथ 2007-08 में 29.0 प्रतिशत से कम होकर 2008-09 में 3.4 प्रतिशत हो गई (महानिदेशक, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी (डी जी सी आई एण्ड एस) द्वारा जारी अनंतिम व्यापार डेटा के अनुसार)। यद्यपि निर्यात में अगस्त 2008 तक वृद्धिशील होने से 35.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तथापि अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान यह सितंबर 2008 में कम होकर 14.2 प्रतिशत तक कम हो गई तथा 2008-09 की शेष अवधि के दौरान घटने की प्रवृत्ति जारी रही।

11.15 वर्ष 2008-09 के लिए पण्य-वार निर्यात (अप्रैल-फरवरी) से पता चलता है कि विनिर्मित वस्तुओं का बड़ा हिस्सा जारी रहा जिसके बाद पेट्रोलियम उत्पादों और प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा रहा। विनिर्मित निर्यात के अंदर, चर्म और विनिर्मित वस्तुओं, वस्त्र और वस्त्र उत्पाद तथा रसायन और सम्बद्ध उत्पादों की वृद्धि में संतुलन देखा गया तथा हीरे और जवाहरात में कमी दिखाई दी क्योंकि इन क्षेत्रकों पर विकासशील देशों में मांग में कमी आई।

तालिका 11.2 : प्रधान वस्तुओं का भारत का निर्यात

(अमरीकी मिलियन डालर में)

वस्तुएं	अप्रैल-मार्च		अप्रैल 08-फरवरी 09	प्रतिशत भिन्नता	
	2006-07	2007-08आर	2008-09पी	(2)/(1)	(3)/(2)
I. प्राथमिक उत्पाद	19,686 (15.6)	27,523 (16.9)	23,211 (14.8)	39.8 (8.3)	-15.7 (-12.4)
(क) कृषि और सम्बद्ध उत्पाद	12,683 (10.0)	18,403 (11.3)	15,969 (10.2)	45.1 (13.0)	-13.2 (-9.7)
(1) चावल	1,555	2,919	2,160	87.7	-26.0
(2) समुद्रीय उत्पाद	1,768	1,720	1,433	-2.7	-16.7
(ख) अयस्क और खनिज	7,003 (5.5)	9,120 (5.6)	7,242 (4.6)	30.2	-20.6
II. विनिर्मित वस्तुएं	84,921 (67.2)	1,02,944 (63.1)	1,00,909 (64.2)	21.2 (-6.1)	-2.0 (1.7)
(क) चर्म और निर्मित वस्तुएं	3,016.7	3,502 (2.2)	3,298	16.1	-5.8 (-100.0)
(ख) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	17,335.5	21,177	20,533	22.2	-3.0
अवशिष्ट रसायन और सम्बद्ध उत्पाद	**751.2**	**936.5**	**1,011.0**	**24.7**	**8.0**
(ग) इंजीनियरी वस्तुएं	29,567.2	37,353	40,702	26.3	9.0
(घ) वस्त्र और वस्त्र उत्पाद	17,373.2	19,420	17,699	11.8	-8.9
(ड.) हीरे और जवाहरात	15,977.0	19,679	17,193	23.2	-12.6
(च) हस्तशिल्प	438.0	508	280	16.0	-45.0
III. पेट्रोलियम उत्पाद	18,634 (14.7)	26,904 (16.5)	25,407 (16.2)	44.4 (12.2)	-5.6 (-1.8)
IV. अन्य	3,173 (2.5)	5,761 (3.5)	7,661 (4.9)	81.6 (40.0)	33.0 (40.0)
जोड़ : निर्यात (I+II+III और IV)	**126,414**	**1,63,132**	**1,57,188**	**29.0**	**-3.6**

टिप्पणी : पी - अनंतिम

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट (08-09), भा रि बैं.

11.16 यूरोपियाई यूनियन (ई यू), पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (ओपेक), पूर्वी यूरोप और लातिन अमरीकी विकासशील देशों के लिए भारत की निर्यात वृद्धि में संतुलन बना रहा जबकि उत्तरी अमरीका, एशिया और ओसनिया तथा एशियाई और अफ्रीकी विकासशील देशों के लिए निर्यात में कमी आई। 2008-09 में भारत के लिए अमरीका अकेला सबसे बड़ा बाजार बना रहा (अप्रैल-फरवरी)।

आयात

11.17 भारत के आयात में वृद्धि में जो 2007-08 में 35.5 प्रतिशत थी, 2008-09 में 14.3 की गिरावट आई। स्पंदनशील घरेलू मांग से आयात में धीमेपन के गंभीर प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में सहायता मिली। घरेलू आर्थिक कार्यकलाप में साधारणपन और कच्चे तेल व अन्य पण्य कीमतों में संचलन का अक्तूबर और नवंबर के दौरान पण्य आयातों में तीव्र गिरावट और उसके बाद दिसंबर 2008 से मार्च 2009 के दौरान कमी का तालमेल बना रहा।

11.18 तेल आयात में, अप्रैल से अक्तूबर 2008 के दौरान 69.0 प्रतिशत वृद्धि होकर नवंबर 2008 - मार्च 2009 के दौरान, तेल कीमतों में तीव्र कमी के कारण, 29.0 प्रतिशत की कमी आई। तेल-भिन्न आयात, 2008-09 में पहली तीन तिमाहियों के दौरान यद्यपि लोचदान बने रहे (22.7 प्रतिशत वृद्धि), 2008-09 की चौथी तिमाही के दौरान, पूंजीगत वस्तुओं और सोने व चांदी के आयात में वृद्धि में धीमापन आने के कारण, 15.3% की कमी आई।

तालिका 11.3 : प्रधान वस्तुओं का भारत का आयात

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वस्तु समूह	अप्रैल-मार्च		अप्रैल 08-फरवरी 09	प्रतिशत भिन्नता	
	2006-07	2007-08आर	2008-09पी	(1)/(2)	(2)/(3)
I. थोक आयात	84,236 (45.4)	1,12,819 (44.8)	1,30,041 (47.8)	33.9 (-1.3)	15.3 (6.7)
क. पेट्रोलियन, पेट्रोलियम उत्पाद तथा संबद्ध सामग्री	56,945 (30.7)	79,715 (31.7)	89,684	40.0 (3.3)	12.5 (-100.0)
ख. थोक उपभोक्ता वस्तुएं	4,294	4,599	4,491	7.1	-2.4
ग. अन्य थोक मदें	22,997	28,505	35,866	24.0	25.8
1. उर्वरक	3,144	5,406	13,296	71.9	146.0
2. गैर-फेरस धातुएं	2,605	3,506	2,954	34.6	-15.7
3. मेटलाइफेरस ओर मेटल स्क्रैप	8,346	7,912	7,523	-5.2	-4.9
4. लौह तथा इस्पात	6,425	8,690	8,815	35.3	1.4
II.गैर-थोक वस्तुएं	**1,01,499 (54.6)**	**1,38,835 (55.2)**	**1,42,157 (52.2)**	**36.8 (1.1)**	**2.4 (-5.4)**
क. पूंजीगत वस्तुएं	**47,069**	**70,841**	**58.037**	**50.5**	**-18.1**
1. विद्युतीय एवं इलेक्ट्रोनिक्स को छोड़कर मशीनरी	13,850	19,848	19,097	43.3	-3.8
2. कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रोनिक वस्तुएं	16,940	21,709	20,625	28.2	-5.0
ख. मुख्य रूप से निर्यात संबद्ध मदें	**17,872**	**20,783**	**26,991**	**16.3**	**29.9**

1. मोती, बेशकीमती और अर्द्ध-बेशकीमती पत्थर	7,488	7,977	12,795	6.5	60.4
2. रसायन, कार्बनिक और अकार्बनिक	7,831	9,906	11,359	26.5	14.7
ग. अन्य	**36,558**	**47,211**	**57,129**	**29.1**	**21.0**
1. इलेक्ट्रीकल को छोड़कर, व्यावसायिक यंत्र आदि	2,341	3,067	3,702	31.0	20.7
2. कोयला, कोक और ब्रिकेटस आदि	4,577	6,424	9,379	40.4	46.0
जोड़ - आयात (I+II)	**1,85,735**	**2,51,654**	**2,72,198**	**35.5**	**8.2**

टिप्पणी : पी - अनंतिम

स्रोत : आर बी आई की वार्षिक रिपोर्ट (08-09)

11.19 2008-09 में आयातों के वस्तु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि पेट्रोलियम, तेल और लुब्रिकेंटों (पी ओ एल) की आयात वृद्धि में 2007-08 में 26.8 प्रतिशत से 35.8 प्रतिशत तक पर्याप्त संतुलन बना रहा जिसका मुख्य कारण वित्त वर्ष 2008-09 के द्वितीय अर्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से कमी आना था। 2008-09 के दौरान पीओएल-भिन्न आयातों में भी उनकी वृद्धि में 2007-08 में 33.5 प्रतिशत से 13.2 प्रतिशत की कमी अनुभव की गई। यह, आर्थिक मंदी के कारण घरेलू मांग में संकुचन को परिलक्षित करता है। ओ पी एल भिन्न आयातों में, पूंजीगत वस्तु आयात वृद्धि में 2008-09 के दौरान (अप्रैल से फरवरी) कमी हो कर यह 10.2 प्रतिशत हो गया, जबकि सोने और चांदी के आयात में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

विदेशी मुद्रा भण्डार

11.20 2008-09 के दौरान निवल पूंजी बाह्यप्रवाहों के साथ चालू खाते के घाटे में वृद्धि देखी गई। इसके फलस्वरूप 20.1 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई (2007-08 में 92.2 बिलियन अमरीकी डालर के भण्डार में वृद्धि के मुकाबले मूल्यांकन को छोड़कर)। बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ई एम ई) के बीच भारत एफ ई आर का एक प्रमुख धारक बना रहा। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान निकासी के बावजूद भारत का एफ ई आर संतोषजनक स्तर पर बना रहा।

विदेशी ऋण

11.21 भारत के बकाया रहते विदेशी ऋण स्टाक में मार्च 2009 के अंत तक साधारण रूप से वृद्धि हुई जो मुख्यतः दीर्घावधि ऋण में वृद्धि के कारण थी। विदेशी ऋण में वृद्धि मुख्यतः व्यापार, क्रेडिट तथा द्विपक्षीय ऋण में वृद्धि के कारण थी। अनिवासी भारतीयों (एन आर आई) की जमा के अंतर्गत बकाया ऋण में मार्च 2008 के अंत में स्तर से कमी आई, जिसका मुख्य कारण 2008-09 के दौरान एन आर आई जमाओं के अंतर्गत उनके सकारात्मक आप्रवाहों के रूप में भिन्नता प्रभावों का होना था। मूल परिपक्वता की दृष्टि से कुल ऋण में दीर्घावधि ऋण और अल्पावधिक ऋण का हिस्सा मार्च 2009 के अंत में करेंसी संरचना की

दृष्टि से क्रमशः 78.5 प्रतिशत और 21.5 प्रतिशत था। अमरीकी डालर अनामांकित ऋण मार्च 2009 के अंत में कुल बाह्य ऋण का 57.1 प्रतिशत था, उसके बाद जापानी येन (14.2. प्रतिशत), एस डी आर (9.2 प्रतिशत) और यूरोप (4.1 प्रतिशत) का स्थान था। जी डी पी के अनुपात में विदेशी ऋण का अनुपात, मार्च 2008 के अंत में 19.0 प्रतिशत से मार्च 1995 के अंत में बढ़कर 22.0 प्रतिशत हो गया। यह अनुपात उतना ही अधिक था जितना कि मार्च 2009 में 38 प्रतिशत पर ऊंचा था। कुल ऋण के अनुपात में अल्पावधि ऋण का अनुपात और एफ ई आर की दृष्टि से अल्पावधि ऋण बढ़कर मार्च 2009 के अंत तक क्रमशः 21.5 प्रतिशत और 19.6 प्रतिशत हो गया।

11.22 मार्च 2009 के अंत तक विदेशी मुद्रा भण्डार 242.4 बिलियन अमरीकी डालर था। केलेण्डर वर्ष 2007 के लिए शेष दस विकासशील देशों के संबंध में विश्व बैंक द्वारा जारी डेटा से पता चलता है कि भारत का स्थान सबसे अधिक विदेशी ऋण स्टाक वाले देशों में पांचवां था। तथापि, ऋण-सेवा अनुपात की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा सबसे नीचे स्थान था।

तालिका 11.4 : भारत में विदेशी निवेश प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डालर में)

मद	2006-07	2007-08पी	2008-09पी
क. प्रत्यक्ष निवेश (I+II+III)	22,826	34,362	35,168
I इक्विटी (क+ख+ग+घ+ड.)	16,481	26,867	27,995
(क) सरकार (एस आई ए/ एफ आई पी बी)	2,156	2,298	4,699
(ख) भारतीय रिवर्ज बैंक	7,151	17,129	17,998
(ग) शेयरों की अधिप्राप्ति*	6,278	5,148	4,632
(घ) अनधिनियमित निकायों की इक्विटी पूंजा	896	2,292	666
II पुनः निवेशित अर्जन	5,828	7,168	6,426
III अन्य पूंजीगत#	517	327	747
ख. पोर्टफोलियो निवेश (क+ख+ग)	7,003	27,271	-13855
क. जी डी आर / ए डी आर	3,776	6,645	1,162
ख. एफ आई आई ए@	3,225	20,328	-15,017
ग. अपतटीय निधियां व अन्य	2	298	-
जोड़ (क+ख)	**29,829**	**61,633**	**21,313**

तालिका 11.5 : भारत का विदेशी ऋण

(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्रम	मद	मार्च 2008 के अंत में	मार्च 2009 के अंत में पी	2008-09 के दौरान अंतर	
				धनराशि	प्रतिशत
1.	बहुपक्षीय	39,490	39,566	76	0.19
2.	द्विपक्षीय	19,701	20,587	886	4.3
3..	व्यापार क्रेडिट	10,358	14,604	4246	29.07
4.	विदेशी वाणिज्यिक उधार	62,337	62,676	339	0.54
5.	एन आर आई जमा	43,672	41,554	-2,118	-5.1
6.	रुपया ऋण	2,016	1,527	-489	-32.02
7.	दीर्घावधिक (1 से 6)	177,574	180514	2,940	1.63
	जोड़	**224,573**	**229,887**	**5,314**	**2.31**

(स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, भा.रि.बैं.)

तालिका 11.6 : विदेशी ऋण परिशोधन अदायगियां

(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्रम सं.	मद	007-08	2008-09
1.	जी डी पी अनुपात में विदेशी ऋण	19.0	22.0
2.	कुल ऋण के अनुपात में अल्पावधिक ऋण (प्रतिशत)	20.9	21.0
3.	विदेशी मुद्रा अनुपात में अल्पावधिक ऋण (प्रतिशत)	15.2	19.6
4.	विदेशी ऋण अनुपात में विदेशी मुद्रा भण्डार (प्रतिशत)	137.9	109.6
5.	ऋण परिशोधन अनुपात (प्रतिशत)	4.8	4.6
6.	वर्तमान प्राप्तियों के अनुपात में ब्याज अदायगियां (प्रतिशत)	2.1	1.9
7.	वर्तमान प्राप्तियां अनुपात में ऋण (प्रतिशत)	71.5	68.2
8.	देयता सेवा अनुपात (प्रतिशत)	5.9	5.5

स्रोतः (वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, भार.रि.बैंक.)

अध्याय 12
शिक्षा

12.1 प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता

12.1.1 पिछले दशकों के दौरान साक्षरता, स्कूली भर्ती और स्कूलों के नेटवर्क तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रसार पर, तकनीकी शिक्षा सहित, काफी बल दिया गया है। साक्षरता दर, जो 1951 में 18.33 प्रतिशत थी, 2001 में बढ़कर 64.84 प्रतिशत हो गई। 1990 का दशक, बुनियादी शिक्षा के लिए एक वाटरशेड रहा है क्योंकि जनगणना 2001 से साक्षरता में 12.63 प्रतिशतांक वृद्धि देखी गई, जो 1951 के बाद से सबसे अधिक है। ग्यारहवीं योजना में दसवीं योजना के अपूर्व एजेण्डे को आगे बढ़ाते हुए समावेशी विकास के लिए एक कार्यनीति की परिकल्पना की गई है जिससे लोगों के, विशेष रूप से गरीबों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करते हुए विकास प्रक्रिया में बदलाव आएगा और बड़ी चुनौतियों पर विचार किया गया है, यथा शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक अंतरों को पाटना।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता

12.1.2 ग्यारहवीं योजना में स्कूल शिक्षा और साक्षरता को अत्यधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है। शिक्षा के लिए (केंद्रीय क्षेत्रक), उच्च और तकनीकी शिक्षा सहित, 2.70 लाख करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से स्कूल शिक्षा के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आबंटन किया गया है (अर्थात् प्रारंभिक शिक्षा के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक, साक्षरता/ प्रौढ़ शिक्षा के लिए 6000 करोड़ रुपए और माध्यमिक शिक्षा के लिए 53,550 करोड़ रुपए)। इस प्रकार शिक्षा के संबंध में ग्यारहवीं योजना शिक्षा परिव्यय का लगभग 50 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए 20 प्रतिशत और उच्च व तकनीकी शिक्षा के लिए 30 प्रतिशत है।

12.1.3 ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता (एस ई और एल) विभाग के प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित प्रमुख स्कीमें और कार्यक्रम हैं: सर्व शिक्षा अभियान (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कीम और प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम), प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम (जिसे आमतौर पर मध्याह्न भोजन स्कीम कहा जाता है), शिक्षक शिक्षा स्कीम और महिला समाख्या।

12.1.4 इस समय, सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख साधन **सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए)** नामक एक व्यापक कार्यक्रम है। एस एस ए, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यू ई ई) की एक अग्रणी स्कीम है। इसका उद्देश्य 2010 तक 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को उपयोगी तथा

प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। अन्य लक्ष्य, स्कूलों के प्रबंध में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक अंतरों को पाटना है। एस एस ए के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है तथा उसकी पहुंच देश में 12.3 लाख व्यक्तियों में अनुमानतः 19.4 करोड़ बच्चों तक है।

2008-09 की समीक्षा

12.1.5 वर्ष 2008-09 ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का दूसरा वर्ष था। वार्षिक योजना 2008-09 में एस एस ए के लिए 13,100.00 करोड़ रुपए का आबंटन (ब.अ.) किया गया था। बुनियादी उत्तम शिक्षा के वित्तपोषण के लिए वर्ष 2004 से आय कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर पर दो प्रतिशत शिक्षा उप-कर आरोपित किया गया है। एस एस ए और एम डी एम के लिए प्रारंभिक शिक्षा कोष, नामक एक अव्यपगत कोष स्थापित किया गया है तथा शिक्षा उप-कर से प्राप्त राशि इसमें जमा होती है। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार प्रमुख केंद्रीय करों पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उप-कर के फलस्वरूप एकत्रित राशि 2008-09 में 10,016.82 करोड़ रुपए थी।

12.1.6 वर्ष 2008-09 के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए 26,800 करोड़ रुपए के आबंटन में से 21,795.00 करोड़ रुपए की राशि प्रारंभिक शिक्षा के लिए थी।

12.1.7 ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में एस एस ए के संकेंद्रित कार्यान्वयन में सुलभता से कोटि की ओर प्राचल बदलाव बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण घटना है। औपचारिक प्राथमिक स्कूलों और ई जी एस व ए आई ई केंद्रों में स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है, जिनहें स्कूल-हीन व्यक्तियों और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिसंबर 2008-09 तक 40.94 लाख बच्चों को ई जी एस/ ए आई ई केंद्रों में दाखिल किया गया।

12.1.8 **एस एस ए के अंतर्गत 2008-09 के दौरान प्रगति नीचे दर्शाई गई है:**

- स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या, जो 2001-02 में 3.20 करोड़ थी, 2009 में कम होकर 28.69 लाख हो गई।
- प्राथमिक स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात (पी टी आर), जो 2006-07 में 45:1 था, सुधर कर 2008-09 में 33:1 हो गया।
- उपयुक्त छात्र-शिक्षक अनुपात सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2009 तक लगभग 9.86 लाख शिक्षक भर्ती किए गए।
- सिविल निर्माण कार्यः कुल 2.82 लाख नए स्कूल खोले गए हैं; 1.93 लाख स्कूल इमारतों और 8.0 लाख अतिरिक्त कमरों का निर्माण किया गया।

- पेय जल सुविधाएं और शौचालय सुविधाएं क्रमशः 1.78 लाख और 2.43 लाख स्कूलों में प्रदान की गई।
- 20 दिन की प्रशिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत 31.61 लाख शिक्षकों को कवर किया गया।
- 8.76 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गईं।

12.1.8.1 **विशेष बल समूह :** ग्यारहवीं योजना के दौरान एस एस ए के पुनर्गठन के लिए एम एच आर डी ने विशेष बल दृष्टिकोण अपनाया है। इसका उद्देश्य इन लक्षित समूहों की शिक्षा के लिए संदर्भ-विशिष्ट उपायों/ कार्यनीतियों का विकास करना है। एस एस ए के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता वाले जिलों और ब्लॉकों को विशेष रूप से शामिल करने का लक्ष्य है। एसएसए के अंतर्गत लक्षित उपायों हेतु विशेष बल जिलों के रूप में 441 ऐसे जिलों का विनिर्धारण किया गया है।

12.1.8.2 **समावेशी शिक्षा :** एस एस ए के अंतर्गत शून्य अस्वीकृति नीति अपनाई गई है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विशेष जरूरत वाले प्रत्येक बच्चे को, किसी किस्म की श्रेणी और मात्रा में अयोग्यता के बावजूद सार्थक और उत्तम शिक्षा प्रदान की जाए। एस एस ए के अंतर्गत प्रति वर्ष विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार विकलांग बच्चों के एकीकरण के लिए प्रति बच्चा 1200/- रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा के लिए एस एस ए के अंतर्गत उपाय हैं: विनिर्धारण, वित्तीय तथा औपचारिक आकलन, उपयुक्त शैक्षिक स्थापना, अलग-अलग शैक्षिक योजना तैयार करना, साधन और यंत्र मुहैया करना, शिक्षक प्रशिक्षण संसाधन सहायता, वास्तुकला संबंधी बाधाओं को दूर करना, मानीटरन और मूल्यांकन तथा विशेष जरूरतों वाली लड़कियों पर विशेष बल। विशेष जरूरतों वाले बच्चों (सी डब्ल्यु एस एन) के लिए रिहायशी सेतु पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। सी डब्ल्यु एस एन विनिर्धारित 28.52 लाख के विपरीत, 2008-09 तक 23.17 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया गया। नियमित स्कूलों, ए आई ई और गृह आधारित शिक्षा के माध्यम से लगभग 88 प्रतिशत सी डब्ल्यु एस एन को कवर किया गया है।

12.1.9 **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के जी बी वी) :** इस स्कीम को अपर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए अगस्त 2004 में शुरू किया गया था। कुल स्थानों में से कम से कम 3/4 स्थान मार्जिनकृत अथवा अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों के लिए आरक्षित होते हैं तथा शेष स्थान गरीबी की रेखा से नीचे वाले परिवारों से लड़कियों को उपलब्ध कराए जाते हैं। के जी बी वी का एस एस ए के साथ विलय कर दिया गया है तथा इसे 27 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। अभी तक 2573 के जी बी वी रिहायशी स्कूलों की मंजूरी दी गई है तथा 2460 के जी बी वी प्रचालनरत हैं तथा उनमें 2.15 लाख लड़कियां दाखिल हैं। दिसंबर 2007 में 12 राज्यों में, यथा असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और काशमीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल में के जी बी वी का एक राष्ट्रीय आकलन किया गया था और पाया गया कि

प्रतीत होता है कि सभी राज्यों में अधिकांश के जी बी वी स्कूलों में लड़कियां भली भांति उनसे परिचित हो गई हैं।

12.1.10 **मध्याह्न भोजन स्कीम :** स्कूलों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में इस समय सरकारी, सरकार द्वारा सहाय्यित और स्थानीय निकाय स्कूलों, और साथ ही ई जी एस और ए आई ई केंद्रों द्वारा संचालित और एस एस ए समर्थित केंद्रों में कक्षा I-VIII में अध्ययन कर रहे बच्चों को भी शामिल किया गया है। यू पी एस स्तर पर मध्याह्न भोजन का कैलोरिफिक मूल्य प्रति बच्चा/ स्कूल दिवस 150 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं) न्यूनतम 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन निश्चित किया गया है। एम डी एम एस की एक खास बात यह है कि यह ठेकेदारों की भागीदारी के साथ सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। स्थानीय स्तर पर इसका प्रबंधन और कार्यान्वयन स्कूल प्रबंधन/ग्राम शिक्षा समितियों, पंचायती राज संस्थानों (पी आर आई), स्वयं सेवी समूहों (एस एच जी) और गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) द्वारा किया जाता है।

12.1.10.1 स्कीम के कवरेज को बढ़ाकर समवर्ती रूप से मदरसों/ मकतबों तक, एस एस ए के अंतर्गत समर्थित, कर दिया गया है क्योंकि सरकार सहाय्यित केंद्र और साथ ही वे मदरसे/ मकतबे जो नियमित नहीं हों किंतु जो एस एस ए के राज्य परियोजना निदेशकों के साथ समन्वय में ई जी एस/ ए आई ई के रूप में एस एस ए के अंतर्गत समर्थित हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों दोनों के लिए पकाने की लागत के वास्ते केंद्रीय सहायता हेतु वार्षिक वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करते समय मुद्रास्फीति समायोजित सूचक (उपभोक्ता कीमत सूचक) को शामिल किया गया है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पालन की जाने वाली प्रथाओं और प्रगति का विस्तारपूर्वक मानीटरन करने के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, दो राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठकें भी आयोजित की गईं। स्कीम के मानीटरन में चुस्ती और इसे मजबूत बनाने के लिए एक पृथक पोर्टल का विकास किया जा रहा है।

12.1.10.2 वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीम के लिए 8000 करोड़ रुपए का आबंटन (ब.अ.) किया गया है। वर्ष के दौरान कुल 28.60 लाख एम टी खाद्यान्न आबंटित किए गए। 8.37 लाख स्कूलों में 7.48 लाख रसोई शेडों का निर्माण करने के लिए 4480 करोड़ रुपए तथा रसोई बर्तन खरीदने के लिए 419.59 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई। वर्ष 2008-09 के दौरान एम डी एम के अंतर्गत 11.74 करोड़ बच्चों को पका खाना उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम के संबंध में फीडबैक से बच्चों के दाखिले और उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव का पता चलता है। बच्चों द्वारा खाने की भागीदारी के माध्यम से सामाजिक एकता को बढ़ावा मिला है। एम डी एम एस के अंतर्गत लगभग 15 लाख रसोइए कार्यरत हैं जिनमें से 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति रसोइए की संख्या 40 प्रतिशत और 7 प्रतिशत अल्पसंख्यक हैं।

12.1.11 **महिला समाख्या (एम एस) :** महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विदेश सहाय्यित इस परियोजना को डच सहायता से 1989 में शुरू किया गया था। 2005-06 से इसे भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के लिए अपने आप सीखने, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने और सुविचारित चयन करने के लिए ज्ञान और जानकारी प्राप्त करने के वास्ते एक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जाता है। इससे ग्राम स्तर शिक्षा कार्यक्रमों में प्रभावी ढंग से भाग लेने के लिए महिलाओं की योग्यताओं में मजबूती आई है। कार्यक्रम को 90 जिलों को कवर करते हुए, 9 राज्यों में 20,245 ग्रामों में कार्यान्वित किया जा रहा है। अपेक्षाकृत नए राज्य छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम को पाँच जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों ने एम एस सोसायटियां पंजीकृत की हैं जिनके जरिए कार्यक्रम शुरू किया जाता है। एम एस कार्यक्रम विद्यमान पद्धति के अनुसार जारी रखा जा रहा है तथा सभी शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों (ई बी बी) और शहरी/ उप नगरीय मलिन बस्तियों को भी कवर करने के लिए क्रमिक ढंग से इसका विस्तार किया जा रहा है क्योंकि इससे गरीब महिलाओं के शैक्षिक सशक्तीकरण में योगदान प्राप्त होता है। इसके अलावा, एम एस राज्य 91 महिला शिक्षण केंद्र (एम एस के) चल रहे हैं जो किशोर लड़कियों और उन महिलाओं को संक्षिप्त रिहायशी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं जो कभी स्कूल नहीं गई हैं अथवा जिन्होंने अधबीच में पढ़ाई छोड़ दी है। अभी तक एम एस के से कुल 8060 लड़कियां पास कर चुकी हैं। कार्यक्रम के उत्तरोत्तर मूल्यांकन से, 2008 में एक संयुक्त समीक्षा मिशन सहित, आधार स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए फाउंडेशन रखने में एम एस स्कीम की सफलता का पता चला है।

शिक्षक शिक्षा स्कीम

12.1.12 शिक्षक शिक्षा स्कीम की पुनर्रचना और पुनर्गठन की दसवीं योजना में समीक्षा की गई थी जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कोटि सुधारने के लिए शिक्षा कालेजों (सी टी ई) और मंजूरशुदा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डी आई ई टी) को प्रचालनात्मक बनाने पर बल दिया गया था। स्कीम से विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में मंजूर 571 डी आई ई टी/ डी आर सी, 106 सी टी ई और 32 उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थानों (आई ए एस ई) के साथ एक बड़ी अवसंरचना का निर्माण हुआ है जिनमें से 534 डी आई ई टी, 104 सी टी ई और 31 आई ए एस ई कार्य कर रहे हैं। तथापि शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों का निष्पादन संतोषजनक नहीं है। डी आई ई टी स्थापित करने का उद्देश्य नूतन सेवा-पूर्व और सेवाकालीन शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षक शिक्षा की कोटि में सुधार करना था किंतु डी आई ई टी की शुरुआत किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। एन सी ई आर टी, डी आई ई टी का मूल्यांकन कर रही है। शिक्षक शिक्षा स्कीम को राज्यों के साथ भागीदारी में कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

12.1.13 **क्षेत्र गहन और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम (ए आई एम एम पी)** को जून 2008 से उच्च शिक्षा विभाग से स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। ए आई एम एम पी के दो घटक हैं, नामतः मदरसा आधुनिकीकरण और अवसंरचना विकास। प्रत्येक दोनों घटकों को और अधिक

बल देने के उद्देश्य से पूर्व ए आई एम एम पी स्कीम को नवंबर 2008 से दो भिन्न स्कीमों में संशोधित किया गया है, नामतः (i) मदरसों में कोटि शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम (एस पी क्यु ई एम), और (ii) अल्पसंख्यक संस्थानों/ स्कूलों में अवसंरचना विकास की स्कीम (आई डी एम आई)। वर्ष 2008-09 के दौरान नौ राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र, नामतः आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ को, 5297 मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने वाले 10,214 मदरसा शिक्षकों को मानदेय के रूप में, 6541.61 लाख रुपए की सहायता दी गई। वर्ष 2008-09 के दौरान 25.00 लाख रुपए की सहायता उत्तर प्रदेश को दी गई। एस पी क्यू ई एम और आई डी एम आई के लिए केंद्रीय जी आई ए सी का गठन किया गया है।

12.1.14 संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 को प्रभावी रूप देने के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 का बच्चों का अधिकार, प्रख्यापित कर दिया गया है। आर टी ई अधिनियम का उद्देश्य 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उत्तम कोटि की निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना तथा न्यूनतम मापदण्ड और मानक सुनिश्चत करना है।

12.2 माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा

12.2.1 माध्यमिक शिक्षा, प्रांरभिक और उच्च शिक्षा के बीच एक सेतु का काम करता है और 14-18 वर्ष के आयु वर्ग में युवा व्यक्तियों को उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। यह, कक्षा IX और XII के साथ डील करता है। वर्ष 2006-07 के दौरान आयु वर्ग (14-18 वर्ष) में 9.71 करोड़ की कुल पात्र आबादी में से केवल 3.94 बच्चों को माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में दाखिल किया गया, जो 40.57 प्रतिशत बैठता है।

12.2.2 वर्ष 2008-09, ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना का दूसरा वर्ष है। वार्षिक योजना 2008-09 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए 4,554 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया। सं.अ. 2007-08 में व्यय की राशि 2830.95 करोड़ रुपए थी।

12.2.3 माध्यमिक शिक्षा में, पांच शीर्ष स्तर राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा (केंद्र क्षेत्रक) संस्थान हैं। ये हैं: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन सी ई आर टी), नवोदय विद्यालय समिति (एन वी एस), केंद्रीय विद्यालय संगठन (के वी एस), राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस) और केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सी टी एस ए)।

केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें

वर्ष 2008-09 के दौरान केंद्रीय संस्थानों द्वारा आयोजित कार्यकलापों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

12.2.4 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 561 **जवाहर नवोदय विद्यालय (जे एन वी)** कार्य कर रहे हैं, जहां 2 लाख से अधिक छात्र भर्ती हैं। ये मार्गदर्शी स्कूल हैं, जहां ग्रामीणक्षेत्रों से प्रतिभावान छात्रों को उत्तम आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाती है। ये स्कूल पूर्णतः आवासीय, सहशिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को निःशुल्क आवास, भोजन, पाठ्यपुस्तकें और वर्दियां प्रदान करने वाले स्कूल हैं। 2008-09 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लड़कियों और ग्रामीण क्षेत्रों से छात्रों की प्रतिशतता क्रमशः 24.31, 17.06, 36.15 और 77.86 थी। कक्षक्ष X में पास प्रतिशतता 2008 में बढ़कर 97.54 हो गई जबकि 2007 में 96.41 थी, सी बी एस ई समग्र पास प्रतिशतता (87.08 प्रतिशत) से काफी अधिक। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति संकेंद्रण जिलों में 20 अतिरिक्त नवोदय विद्यालय मंजूर किए गए हैं।

12.2.5 **केंद्रीय विद्यालय (के वी),** प्रमुख रूप से स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक जरूरतों की पूर्ति करते हैं। कुल 981 केंद्रीय विद्यालय हैं जिनमें 10.18 लाख छात्र दाखिल हैं। इन स्कूलों ने अपने शैक्षिक स्तरों और निष्पादन में सुधार किया है। कक्षा X (87.08 प्रतिशत) और कक्षा XII (80.91 प्रतिशत) के संबंध में अखिल भारत सी बी एस ई परिणाम के मुकाबले इन परीक्षाओं में केंद्रीय विद्यालयों का निष्पादन क्रमशः 96.07 प्रतिशत (कक्षा X) और 91 प्रतिशत (कक्षा XII) था। कुल 981 केंद्रीय विद्यालयों में से 92 केंद्रीय विद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में, सिक्किम सहित, चल रहे थे, जिनमें 64,328 छात्र दाखिल थे।

12.2.6 **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन सी ई आर टी),** पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और स्कूली शिक्षा के लिए शिक्षण अध्ययन सामग्री के निर्माण में गुणवत्ता सुधार लाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों को तकनीकी व शैक्षिक सहायता प्रदान करती है। यह स्कूल शिक्षा के लगभग सभी पहलुओं में काम करती है। एन सी ई आर टी ने अपने सभी प्रमुख चल रहे कार्यक्रमों को आयोजित करना जारी रखा जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन सी एफ)-2005 के आधार पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण; जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान बाल प्रदर्शनी; राज्य स्तर विज्ञान प्रदर्शनियों के लिए सहायता; राष्ट्रीय प्रतिभा खोज स्कीम; शिक्षक शिक्षा में नूतनता हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार; व्यावसायिक शिक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार; ई सी सी ई में डिप्लोमा पाठ्यक्रम; नूतन सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा और परामर्श पाठ्यक्रम; अखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण; शिक्षा में अनुसंधान का सर्वेक्षण आदि। लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों में शामिल हैं: प्राथमिक स्तर पर लड़कियों द्वारा अधबीच में पढ़ाई छोड़ना, अनुसूचित जाति लड़कियों पर विशेष बल के साथ; लैंगिक परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से मकतबों और मदरसों का अध्ययन; महिला समाख्या और एस एस ए संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के जी बी वी) के लिए सामग्री का विकास। 'राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के राज्य स्तर परीक्षणों का कोटि विश्लेषण' पर अनुसंधान अध्ययन; 'माध्यमिक स्कूल छात्रों के बीच परीक्षा तनाव को कम करने के लिए हस्तक्षेपणीय कार्यनीतियों का विनिर्धारण'; और 'माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा में छात्र प्रदर्शनी की दृष्टि से आंतरिक मूल्यांकन प्रथाओं का अध्ययन'; प्रगति पर थे।

12.2.7 **राष्ट्रीय मुक्त स्कूली शिक्षा संस्थान (एन आई ओ एस)** एक स्वायत्त संगठन है, जो अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने का अवसर खो बैठे हैं, उनके लिए प्राथमिक से लेकर डिग्री-पूर्व तक सतत शिक्षा प्रदान कर रहा है। फिलहाल, इसके अंतर्गत 15 लाख छात्र दाखिल हैं। माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम 3300 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इनमें से 26 प्रत्यायित संस्थान (ए आई) यू ए ई और नेपाल में हैं। एन आई ओ एस ने 'ए फ्रेमवर्क ऑन करीकुलम इम्परेटिव्ज विद फोक्स ऑन नॉलेज एक्वीजीशंड स्किल लर्निंग' नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया है। एन आई ओ एस ने 2007-08 के दौरान ऑन-लाइन प्रवेश सुविधा प्रारंभ की है तथा 30,000 दाखिले किए गए। प्रारंभिक प्रायोगिक परियोजना की सफलता को देखते हुए एन आई ओ एस ने 'निओ' परियोजना का विस्तार किया है। वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 1.6 लाख दाखिले किए गए। वर्ष 2008-09 के दौरान एनआईओएस ने 1,54,940 छात्र को ऑन लाइन तथा अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से 2,03,392 छात्रों का प्रवेश कराया। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए आन लाइन प्रवेश भी प्रारंभ किए गए हैं। मदरसा और मकतब जैसे अल्पसंख्यक संस्थानों को शैक्षिक मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए अल्पसंख्यक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय मानीटरन समिति (एन एम सी एम ई) द्वारा एन आई ओ एस को एक प्रमुख संस्थान के रूप में विनिर्धारित किया गया है। इस दिशा में एक प्रमुख पहल, एन आई ओ एस द्वारा मदरसों और मकतबों जैसे मुसलमानों के पारंपरिक शैक्षिक संस्थानों को प्रत्यायन मंजूर करने के लिए मानदंडों में ढील दिया जाना है। इसके अलावा, क्षेत्रीय केंद्र, दिल्ली कैम्पस, नोएडा में एक मॉडल परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है।

12.2.8 **केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सी टी एस ए)** तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों के लिए, मुख्यतः तिब्बती आवास क्षेत्रों में लगभग 79 स्कूल संचालित करता है। प्रशासन ने प्रारंभ में साधारण संख्या में छात्रों के साथ तीन स्कूल प्रारंभ किए। अपने कामकाज के 44 वर्षों की अवधि के अंदर, कुल भर्ती 10,052 छात्रों के साथ स्कूलों की संख्या बढ़ाकर 79 हो गई है। सी बी एस ई द्वारा आयोजित 2008 परीक्षा के दौरान इन स्कूलों ने कक्षा X में 87.06 पास प्रतिशतता और कक्षा XII में 85.98 पास प्रतिशतता प्राप्त की।

12.2.9 **संयुक्त भारत-मंगोलियाई स्कूल परियोजनाः** शिक्षा के क्षेत्र में 2002 में भारत सरकार और मंगोलियाई सरकार के बीच, उलानबातर, मंगोलिया में एक स्कूल स्थापित करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार की प्रतिबद्धता अंग्रेजी, विज्ञान और गणित के पांच स्नातकोत्तर शिक्षक उपलब्ध कराने की है। वेतन, भत्तों, आवास और हवाई किराया भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान नई पहल

केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें

12.2.10 **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)** मार्च 2009 में शुरू की गई एक बड़ी स्कीम है। स्कीम का उद्देश्य, लैंगिक, समाजार्थिक और अक्षमता बाधाओं को दूर करने के लिए, 15-16 वर्ष आयु

वर्ग में सभी युवा व्यक्तियों को उत्तम कोटि की माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध, सुलभ और वहनीय उपलब्ध करना, लैंगिक, समाजार्थिक और अक्षमता बाधाओं को दूर करना, सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बनाना, पाँच वर्ष की अवधि में माध्यमिक शिक्षा में 75 प्रतिशत का जी ई आर प्राप्त करना, 2017 तक माध्यमिक स्तर शिक्षा की सर्वसुलभ पहुंच और 2020 तक सर्वसुलभ प्रतिधारण की व्यवस्था करना है। प्रमुख लक्ष्यों में सम्मिलित हैं: (क) 44,000 विद्यमान माध्यमिक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण; (ख) 11,188 माध्यमिक स्कूल खोलना, प्रमुख रूप से उच्चतर प्राथमिक स्कूलों के उन्नयन के माध्यम से; (ग) 1.79 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति; (घ) 80,500 अतिरिक्त कक्ष कक्षों का निर्माण आदि।

12.2.11 **मॉडल स्कूल** : भारत सरकार ने, नवंबर 2008 में एक सी एस एस शुरू की, जिसका उद्देश्य उत्कृष्टता स्कूल के रूप में प्रति ब्लॉक एक स्कूल की दर से 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करना है। पहले 11 चरण में ऐसे 2500 स्कूलों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिनकी स्थापना और प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। शेष 3500 स्कूल, पी पी पी विधि के जरिए 2500 स्कूलों सहित, अनुमोदन चरण पर हैं।

12.2.12 **लड़कियों के होस्टल की संशोधित स्कीम:** लड़कियों के होस्टल की एक संशोधित स्कीम अक्तूबर 2008 में शुरू की गई थी। स्कीम के अंतर्गत 3500 लड़कियों के होस्टल देश में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में स्थापित किए जाएंगे। कक्षा IX से XII में अध्ययन करने वाली लड़कियां स्कीम का लक्ष्य समूह होगा। होस्टल में दाखिल की जाने वाली कम से कम 50% लड़कियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय से होनी चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच हिस्सेदारी की पद्धति का अनुपात 90:10 होगा।

12.2.13 **राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्तियां:** स्कीम शुरू की गई है। स्कीम के अंतर्गत, चयन जिन छात्रों ने कक्षा VIII पास कर ली है, उनके बीच से एक राष्ट्रीय परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। चुने गए प्रत्येक छात्र को कक्षा IX, X, XI और XII में अध्ययन के लिए प्रत्येक वर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष, एक लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। वित्त मंत्री ने 2008-09 के दौरान 750 करोड़ रुपए की एक कोरपस निधि स्थापित करने की घोषणा कर दी है तथा निधि में प्रत्येक वर्ष इतनी ही राशि और जमा की जाएगी। तदनुसार, 750 करोड़ रुपए की राशि का भारतीय स्टेट बैंक के साथ सृजन किया गया है तथा निधि से होने वाली प्राप्ति का उपयोग छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए किया जाएगा। वर्ष 2008-09 के दौरान चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 50,936 थी।

12.2.14 **माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय स्कीम:** स्कीम का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित लड़कियों के दाखिले को प्रोत्साहित करना, कम से कम कक्षा X और प्राथमिकता के तौर पर कक्षा XII की शिक्षा पूरी होने तक उनका प्रतिधारण सुनिश्चित करना, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अधबीच में पढ़ाई छोड़ने वालों में कमी करना और लैंगिक समानता में सुधार

करना और लड़कियों को सशक्त बनाना है। स्कीम शुरू कर दी गई है। 2008-09 में 20 राज्यों से 3,45,349 लड़कियों के लिए मंजूर 103.6 करोड़ रुपए की राशि, सावधि जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा करने के वास्ते जारी कर दी गई है।

12.2.15 **स्कूलों में आई सी टी :** कंपनी का उद्देश्य हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदानों के माध्यम से कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करना है। केंद्रीय सरकार 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति स्कूल 5 लाख रुपए तक सीमित है। शेष 25% का योगदान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक स्कूल को 6.70 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 10 पी सी/ प्रिंटर/ सी पी यू, एज्युकेशन सॉफ्टवेयर, फर्नीचर, कंप्यूटर लेखनसामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण, इंटरनेट सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान 19 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 26,350 स्कूल मंजूर किए गए (बी ओ ओ टी मॉडल के अंतर्गत 24561 और आउटराइट खरीद आधार के अंतर्गत 1789)। स्कीम का पहले ही अनुमोदन किया जा चुका है।

12.2.16 **विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (आई ई डी सी) :** इस स्कीम का उद्देश्य सामान्य स्कूल पद्धति में विकलांग बच्चों के एकीकरण और अंततः प्रतिधारण को सुकर बनाना है। 2008-09 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 3720 शिक्षकों के माध्यम से 1.11 लाख स्कूलों में विकलांगताओं वाले लगभग 3.19 लाख बच्चों को कवर किया गया। 'स्कीम को माध्यमिक स्तर पर विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा' के रूप में संशोधित किया गया है, जिसे 2009-10 से कार्यान्वित किया जाएगा। स्कीम 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित है और इसके अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले बच्चों (कक्षा IX से XII) को कवर किया गया है। प्रति बालिका प्रति मास 200 रुपए की वृत्तिका की भी व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सहायता के अलावा, राज्य सरकारों से छात्रवृत्ति के रूप में 600 रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष उपलब्ध कराने की उम्मीद की गई है।

12.2.17 **भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमः** स्कीम के तीन संघटक हैंः (क) अहिंदी भाषी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण; (ख) उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू शिक्षण के लिए मानदेय प्रदान करना; और (ग) आधुनिक भारतीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति। स्कीम को 2008-09 में संशोधित किया गया तथा किसी भी स्थान पर, जहां 25 प्रतिशत से अधिक उर्दू भाषा समूह से हों, उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति में ढील के साथ, तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा (जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और मौलाना आजद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय) उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण और हिंदी/ उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता। संशोधित स्कीम एम एच आर डी द्वारा सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परिचालित कर दी गई है।

12.2.18 **व्यावसायिक शिक्षा :** माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के अंतर्गत, वैयक्तिक रोजगार उपयुक्तता में वृद्धि करने, दक्ष जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच बेमेलपन को कम करने के लिए शैक्षिक अवसरों के विविधीकरण की व्यवस्था है तथा इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा जारी करने के लिए एक वैकल्पिक अवसर उपलब्ध होता है। +स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की सी एस एस को 1988 से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह स्कीम 1992-93 से ही चालू है। इसके अंतर्गत, प्रशासनिक प्रणाली स्थापित करने, क्षेत्र-व्यावसायिक सर्वेक्षण आयोजित करने, पाठ्चर्या गाइड, प्रशिक्षण नियमावली, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने, अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन आदि के लिए तकनीकी सहायता पद्धति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत, अल्पावधिक पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए विशिष्ट नूतन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एन जी ओ और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत अभी तक लगभग 21,000 सेक्शनों के साथ लगभग 9619 स्कूलों में 10 लाख से अधिक छात्रों की दाखिला क्षमता कायम की गई है। इसकी शुरुआत से स्कीम के अंतर्गत कुल 765 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। दक्षता विकास के संबंध में कार्य बल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शैक्षिक स्कीम का पुनर्गठन किया जाएगा।

वार्षिक योजना 2009-10

12.2.19 वर्ष 2009-10 के दौरान माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रक के लिए 4,648.99 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, 2008-09 के 2,830.95 करोड़ रुपए के सं.अ. की तुलना में 64.22 प्रतिशत की वृद्धि। स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए कुल परिव्यय 2009-10 के लिए 26,800 करोड़ रुपए है। क्षेत्रक-वार परिव्यय संलग्नक में दर्शाया गया है।

प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता

12.2.20 साक्षरता, वैयक्तिक सशक्तीकरण के लिए सवाधिक अनिवार्य पूर्वापेक्षा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्रवाई योजना 1992 में प्रौढ़ साक्षरता को एक नया बल दिया गया था, जिसमें निरक्षरता के उन्मूलन के लिए प्रौढ़ शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की एक त्रिआयामीय नीति का समर्थन किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना, प्रारंभ में 1995 तक 80 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1997 तक 100 मिलियन कर दिया गया और संशोधित लक्ष्य 2007 तक 75 प्रतिशत साक्षरता स्तर प्राप्त करने का है। एन एल एम और समग्र साक्षरता अभियान (टी एल सी) की प्रमुख कार्यनीति थीः 'क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध, स्वेच्छा आधारित, मितव्ययी और परिणामोन्मुखी' । निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए टी एल सी और साक्षरता-पश्चात परियोजनाओं (पी एल पी) द्वारा किए गए प्रयासः साक्षरता में 1991 में 52.2 प्रतिशत से 2001 में 64.8 प्रतिशत तक वृद्धि। इस अवधि के दौरान शहरी-ग्रामीण साक्षरता विभेद में भी कमी आई। महिलाओं के संबंध में साक्षरता दरों में

पुरुषों की अपेक्षा तीव्र गति से वृद्धि हुई। तथापि, साक्षरता में लैंगिक और क्षेत्रीय विषमताएं अभी भी विद्यमान हैं।

टी एल सी और पी एल पी

12.2.21 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन एल एम) का लक्ष्य 15-35 वर्ष के आयु-वर्ग में नव-साक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करके 2007 तक 75 प्रतिशत का संधारणीय प्रारंभिक स्तर प्राप्त करना था इस आयु वर्ग के अलावा, 9-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को भी, जो अधबीच में पढ़ाई छोड़ गए, लक्षित किया गया है। निरक्षरता उन्मूलन के लिए एन एल एम की प्रमुख कार्यनीति टी एल सी रही है। टी एल सी को जिला साक्षरता समितियों (जिला साक्षरता सोसायटियां), स्वतंत्र और स्वायत्त निकायों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिनमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है। इस समय विभिन्न साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल 597 जिलों को कवर किया गया है। फिलहाल, टी एल सी के अंतर्गत 95 जिले, पी। एल पी के अंतर्गत 174 और सतत शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 328 जिलों को कवर किया गया है। अभी तक 12.69 करोड़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है। टी एल सी और पी एल पी के संबंध में केंद्रीय और राज्य हिस्सा सामान्य जिलों के लिए 2:1 अनुपात में तथा जनजातीय जिलों के लिए 4:1 के अनुपात में है। इन एजेंसियों के माध्यम से आयोजित विशेष परियोजनाएं हैं: (i) (मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और झारखण्ड) के 47 जिलों में, 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता दर के साथ, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम; (ii) राजस्थान, आंध्र, बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में शेष निरक्षरों को कवर करने के लिए टी एल सी की पूर्णता के बाद अवशिष्ट निरक्षरता के लिए परियोजनाएं; (iii) देश में (मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में) निम्नतम साक्षरता दरों के साथ 150 जिलों में विशेष साक्षरता अभियान; और (iv) 300 से अधिक जिलों में सतत शिक्षा केंद्र (सी ई सी) स्थापित करके नव-साक्षरों के लिए और अध्ययन अवसर प्रदान करन के लिए सतत शिक्षा स्कीम, जो बुनियादी साक्षरता, साक्षरता दक्षताओं में उननयन, वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमों की खोज, व्यावसायिक दक्षता और सामाजिक और व्यावसायिक विकास के प्रोत्साहन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट और जरूरत-आधारित अवसर प्रदान करते हैं। योजना आयोग ने एकल प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास कार्यक्रम में टी एल सी, पी एल पी और सी ई पी के विलयन की सिफारिश की थी जिससे कि क्रमवार समाधान करने की बजाए सतत रूप से तीन चरणों का एक वृहद दृष्टिकोण अपनाना संभव हो सके।

जन शिक्षण संस्थान (जे एस एस)

12.2.22 जे एस एस स्कीम का उद्देश्य शहरी/ ग्रामीण आबादी के समाजार्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षिक रूप से असुविधाप्राप्त समूहों का, विशेष रूप से नव साक्षरों, अर्ध-साक्षरों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और लड़कियों, मलिन बस्ती वासियों, प्रवासी कामगारों आदि का शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यावसायिक विकास करना है। साक्षरता को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़कर, जे एस एस

का उद्देश्य लाभार्थियों के जीवन की कोटि में सुधार करना है। जे एस एस के अंतर्गत भिन्न-भिन्न किस्म के लगभग 284 व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं, जो मोमबत्ती तथा अगरबत्ती निर्माण से लेकर कंप्यूटर प्रशिक्षण और अस्पताल/ स्वास्थ्य देखभाल तक हैं। जे एस एस की कुल संख्या 221 है तथा राज्य संसाधन केंद्रों की संख्या 26 है। जे एस एस का मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता : ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य, ध्येय और कार्यनीतियां

12.2.23 एन एल एम कार्यक्रम का ग्यारहवीं योजना में पुनर्गठन किया जा रहा है। लक्ष्य और विशेष बल क्षेत्र निम्न प्रकार हैं : (i) 85 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना; (ii) साक्षरता में लैंगिक अंतर को कम करके 10 प्रतिशत तक करना; (iii) क्षेत्रीय, सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करना; (iv) एन एल एम कार्यक्रम के कवरेज को 35+ आयु वर्ग तक बढ़ाना। विशेष बल क्षेत्रों में सम्मिलित हैं: (i) अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अल्पसंख्यक और ग्रामीण महिलाएं; और (ii) निम्न साक्षरता राज्य जनजातीय क्षेत्र, अन्य असुविधाप्राप्त समूह और किशोर।

प्रमुख घटनाएं

12.2.24 योजना आयोग में आयोजित परामर्श बैठकों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय परामर्श ने एनयूईपीए में राज्य-वार समीक्षा बैठकें और अंतर-विभागीय बैठकें आयोजित की, कार्यक्रम को संशोधित तथा आशेधित किया गया जिससे कि बुनियादी साक्षरता, साक्षरता-पश्चात और सतत शिक्षा क्रमवार संघटकों की बजाए एक सततता का निर्माण हो सके।

वार्षिक योजना 2009-10

12.2.25 वर्तमान वर्ष (2009-10) के दौरान, योजना आयोग ने साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा के लिए 451 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया।

12.2.26 प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास की स्कीम (साक्षरता अभियानों और सतत शिक्षा की विलयित स्कीम) के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान 315 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

12.2.27 प्रौढ़ शिक्षा और दक्षता विकास के लिए (विलयित स्कीमें) एन जी ओ/ संस्थानों/ एस आर सी के लिए सहायता की स्कीम के लिए वर्तमान वर्ष के दौरान 121.58 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

12.3 उच्च और तकनीकी शिक्षा

क. समीक्षाः

12.3.1 **सामान्य उच्च शिक्षा (विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा) :** सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करके, निजी पहलों को प्रोत्साहित करके और पूरी पद्धति की कोटि में सुधार, विस्तार, समावेशन और तीव्र सुधार करना और काफी अर्से से बकाया प्रमुख संस्थागत और नीतिगत सुधार ग्यारहवीं योजना प्रयास का आधार है।

12.3.2 भारतीय उच्च शिक्षा पद्धति विश्व में एक सबसे बड़ी पद्धति के रूप में उभरी है। इस समय देश में कुल मिलाकर 413 विश्वविद्यालय हैं जिनमें से 251 राज्य विश्वविद्यालय, 24 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 100 सम-विश्वविद्यालय हैं, जो राज्य विधान अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित पाँच संस्थानों और केंद्रीय विधान द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्त्व के 33 संस्थानों के अलावा हैं, लगभग 20,677 कालेज हैं, लगभग 2177 महिला कालेजों सहित। उच्च शिक्षा में कुल 4.92 लाख संकाय के साथ दाखिलों की संख्या 140 लाख है, उच्च शिक्षा में जी ई आर लगभग 11 प्रतिशत है, जिसे ग्यारहवीं योजना के अंत तक 15 प्रतिशत तथा बारहवीं योजना के अंत तक 21 प्रतिशत तक और बढ़ाने का लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों में दाखिले में 8.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से पर्याप्त रूप में वृद्धि करनी होगी।

12.3.3 सामान्य उच्च शिक्षा क्षेत्रक में प्रमुख कार्यक्रमों और नीतियों में सम्मिलित हैंः

(क़) सुदृढ़ीकरण और सुधारों के लिए विद्यमान कालेजों और विश्वविद्यालयों को केंद्रीय सहायता में वृद्धि।
(ख) निम्न जी ई आर जिलों में 374 डिग्री कालेजों की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता।
(ग) 30 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, 14 विश्व श्रेणी/ नूतन विश्वविद्यालयों सहित।
(घ) आई सी टी के माध्यम से शिक्षा में राष्ट्रीय मिशनः सभी 413 विश्वविद्यालयों और 20,000 से अधिक लोगों को कवर करने के लिए।
(ड.) निगरानी समिति की सिफारिशों (ओ एस सी) के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
(च) संकाय अभावों से निपटने के लिए छात्रवृत्तियों/ अध्येतावृत्तियों और पीएच.डी. कार्यक्रमों का विस्तार करना।
(छ) कोटि में सुधार के लिए व्यापक सुधार (शैक्षिक और प्रशासनिक) शीर्ष संस्थानों की समीक्षा सहित।

ख. तकनीकी शिक्षा

12.3.4 तकनीकी शिक्षा क्षेत्रक में सम्मिलित हैंः आई आई टी, आई आई एम, एन आई टी, आई आई आई टी, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज, पालिटेक्निक, फार्मेसी संस्थान, होटल प्रबंधन स्कूल और वास्तुकला, प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आदि। ग्यारहवीं योजना के दौरान तकनीकी शिक्षा संस्थानों के दाखिलों में, बढ़ती अर्थव्यवस्था की वैज्ञानिक और दक्ष जनशक्ति जरूरतों को पूरा करने के लिए वाषिक रूप से अनुमानतः 15 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने की जरूरत है। इस समय, 6244 तकनीकी

संस्थान हैं, प्रबंधन संस्थानों सहित, जिनकी कुल दाखिला क्षमता 11.5 लाख छात्र है तथा 2324 डिप्लोमा स्तर संस्थान हैं जिनकी कुल दाखिला क्षमता 5.1 लाख छात्र है। इस प्रकार, 16.6 लाख का कुल तकनीकी शिक्षा दाखिला कुल उच्च शिक्षा दाखिले का केवल 12 प्रतिशत है। राज्य वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों की संख्या, जो ग्यारहवीं योजना के शुरू में 5,269 थी, अगस्त 2008 में बढ़कर 8,568 हो गई।

12.3.5 ग्यारहवीं योजना के दौरान 8 नए आई आई टी, 7 नए आई आई एम, दक्ष नए एन आई टी, 20 आई आई आई टी, 3 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आई आई एस ई आर) और 2 एस पी ए स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। सात चयनित तकनीकी संस्थानों का स्तरोन्नयन किया जाएगा। केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों की दाखिला क्षमता में ओ एस सी की सिफारिशों के अनुसार, वृद्धि की जाएगी। 200 राज्य इंजीनियरी संस्थानों का टी ई क्यु आई पी चरण-II कार्यक्रमों के अंतर्गत विस्तार और स्तरोन्नयन किया जाएगा। जो जिले कवर नहीं हुए हैं, वहां नए पालिटेक्निक स्थापित किए जाएंगे। विद्यमान राजकीय पालिटेक्निकों को पी पी पी विधि में अपना आधुनिकीकरण करने के लिए अभिप्रेरित किया जाएगा।

ग. 2008-09 की समीक्षा

12.3.6 वर्ष 2008-09 के दौरान, सिद्धांततः अनुमोदन/ सक्षम प्राधिकारियों के आकलन हेतु स्कीमों के विस्तृत प्रस्ताव और अवधारणा टिप्पणियां तैयार करने के साथ, नई स्कीमें और कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

12.3.7 सामान्य उच्च शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमें तैयार की गईं और उनका आकलन किया गयाः (i) कवर न हुए राज्यों में 16 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना; (ii) कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ; (iii) शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी स्कीम; (iv) निम्न जी ई आर जिलों में 374 डिग्री कालेजों की स्थापना। ग्यारहवीं योजना का मध्यावधि आकलन शुरू किया गया जिसके लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा के वास्ते एक परामर्श समूह गठित किया गया।

12.3.7.1 बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में सोलह नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। दो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं - जम्मू और काशमीर राज्य में जम्मू में और काशमीर घाटी में एक-एक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना अमरकण्टक, मध्य प्रदेश में की गई है। विदेश मंत्रालय के अधीन दिल्ली में 'सार्क विश्वविद्यालय' की भी स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो कैम्पस पश्चिम बंगाल और केरल में स्थापित किए जा रहे हैं।

12.3.7.2 क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से, पिछड़े जिलों में 374 नए डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव है, जिनमें से 200 कालेजों को वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान स्थापित करने का लक्ष्य है।

12.3.7.3 कक्षा XII के छात्रों को (कक्षा XII के परिणामों के आधार पर लड़के और लड़कियों के बीच बराबर-बराबर विभाजित करके) अवर स्नातक अध्ययनों के लिए वर्ष में दस महीने के लिए 1000/- रुपए प्रति मास और स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए वर्ष में दस महीने के लिए 2000/- रुपए प्रति मास की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करके उन्हें 2 प्रतिशत तक कवर करने की एक नई स्कीम शुरू की गई है। गरीब छात्रों को भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की स्कीम भी शैक्षिक वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित करने हेतु अनुमोदित की गई है।

12.3.7.4 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, सेमेस्टर पद्धति, चयन आधारित क्रेडिट पद्धति, पाठ्यचर्या विकास, प्रवेश प्रक्रियाओं और परीक्षा सुधार के संबंध में शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों के संबंध में एक कार्रवाई योजना तैयार की है तथा कार्यान्वयन हेतु एक मार्गदर्शक चित्र और कार्रवाई योजना तैयार करने के वास्ते केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, कालेजों व अन्य शैक्षिक संस्थानों के लिए दो वर्ष की समय सीमा निश्चित की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग छात्रों, लड़कियों व आर्थिक रूप से कमजोर समूहों के लिए एक ही छत्र के नीचे सभी स्कीमों को प्रचालित करने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में 'समान अवसर कार्यालय' स्थापित किया जाएगा। प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए, अनुमोदित विश्वविद्यालयों से पीएच.डी. डिग्रीधारकों को छोड़कर, एन ई टी/ एस ई टी अर्हता अनिवार्य है। विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए वेतन पैकेज भी पर्याप्त रूप से संशोधित कर दिया गया है।

12.3.7.5 **दूरवर्ती अध्ययनः** सामुदायिक कालेजों और दक्षता विकास मिशन की नई स्कीम, जिनके संबंध में 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान किया गया था, ई एफ सी अनुमोदन स्तर पर है।

12.3.7.6 आई सी टी के माध्यम से शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है तथा उम्मीद है कि इससे 20,000 कालेजों और विश्वविद्यालयों में 10,000 विभागों को इंटरनेट संयोजकता प्राप्त होगी। मिशन के दो प्रमुख घटक हैं, अर्थात (क) सामग्री निर्माण और सभी विषयों के संबंध में सम्बद्ध मुद्दे तथा सभी प्रकार के सीखने वाले, और (ख) संस्थानों व सीखने वालों के लिए संयोजकता तथा सुलभता मुद्दे। लगभग 50 प्रतिशत राशि ई-सामग्री के विकास के लिए और शेष ब्राड बेण्ड संयोजकता प्रदान करने के लिए आबंटित की गई है। जहां तक संयोजकता का संबंध है, इसकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता, पूर्णतः प्रचालनात्मक होने पर प्रस्तावित राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में इसके माइग्रेशन की है।

12.3.7.7 प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा के नवीकरण और पुनरुद्धार के संबंध में समिति ने कुछ विद्यमान विनियामक निकायों के स्थान पर उच्च शिक्षा व अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (एन सी एच ई आर) स्थापित करने की सिफारिश की है। अन्य बातों के साथ-साथ, इसके कार्यान्वयन के लिए एक मार्गदर्शक चित्र का सुझाव देने के लिए एक कार्यबल गठित किया गया है। सरकार ने एक अवधारणा

पत्र तैयार किया है। शैक्षिक अधिकरण, प्रत्यायन परिषदें स्थापित करने के लिए और सी ई आई अधिनियम, 2006 में संशोधनों के वास्ते अनेक नए विधान विचाराधीन हैं।

12.3.8 **तकनीकी शिक्षा के तहत :** निम्नलिखित की स्थापना के संबंध में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गयाः (क) मोहाली, पुणे और कोलकाता में तीन आई आई एस ई आर; (ख) भोपाल और विजयवाड़ा में दो एस पी ए; और (ग) आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में आठ नए आई आई टी स्थापित करना।

12.3.9 सरकार ने, तमिलनाडु, झारखण्ड, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में नए आई आई एम स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। पहले चरण में, तमिलनाडु, (तिरुचिरापल्ली), झारखण्ड (राँची), छत्तीसगढ़ (रायपुर) और हरियाणा (रोहतक) में चार आई आई एम 2009-10 में स्थापित किए जाएंगे। ग्यारहवीं योजना के लिए दस नए एन आई टी अनुमोदित किए गए हैं तथा इनकी स्थापना अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालेण्ड, गोवा, पुदुचेरी, सिक्किम, दिल्ली और उत्तराखण्ड में की जाएगी। शेष पहलों/ स्कीमों के संबंध में प्रस्तावों को, जिनमें 20 आई आई आई टी की स्थापना (पी पी पी विधि में) तथा विश्व बैंक सहाय्यित टी ई क्यु आई पी - चरण II कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

12.3.10 सरकार ने 1000 नए पालिटेक्निक स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है - 300 पालिटेक्निक शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए सरकारी क्षेत्रक के अंतर्गत और 300 सरकारी-निजी भागीदारी (पी पी पी) विधि के माध्यम से तथा शेष 400 निजी तौर पर। धन की पहली किस्त कवर न हुए और अल्प-कवर हुए जिलों में 165 पालिटेक्निकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। लगभग 500 विद्यमान पालिटेक्निकों को ग्यारहवीं योजना के दौरान सुदृढ़ करने तथा उनके स्तरोन्नयन करने का प्रस्ताव है तथा अभी तक 55 पालिटेक्निकों के लिए सहायता प्रदान की गई है। योजना के दौरान पालिटेक्निकों में 500 महिला होस्टलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है तथा अभी तक 120 पालिटेक्निकों के लिए सहायता प्रदान की गई है।

12.3.11 उच्च और तकनीकी शिक्षा में पी पी पी लागू करने, भारतीय स्थितियों में इसकी उपयुक्तता और पी पी पी को सुकर बनाने के लिए विद्यमान विनियामक पद्धति पर आलोच्य वर्ष के दौरान शैक्षिक संस्थानों और उद्योगों से विशेषज्ञों द्वारा विचार किया गया।

12.3.12 **भाषा और पुस्तक प्रोन्नयन :** तमिलनाडु में एक केंद्रीय प्राच्य तमिल संस्थान (सी आई सी टी) स्थापित किया गया है। विद्यमान ज्ञान पुस्तकों का अंग्रेजी में, संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित विभिन्न अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन प्रारंभ किया गया है। आठवीं अनुसूची के अंतर्गत कवर न हुई भाषाओं के परिरक्षण और विकास के लिए 'भारत भाषा विकास योजना' नामक एक नई स्कीम का प्रस्ताव है।

घ. वार्षिक योजना 2009-10

12.3.13 उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वार्षिक योजना 2009-10 के अंतर्गत 9600 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। वार्षिक योजना 2009-10 के अंतर्गत खर्च हुए आबंटन का क्षेत्रक-वार ब्योरा संलग्नक में दिया गया है।

12.3.14 वर्ष 2010-11 के दौरान, ग्यारहवीं योजना के लिए परिकल्पित शेष नई स्कीमों और पहलों के मूल्यांकन और निर्माण की प्रक्रिया जारी रहेगी।

संलग्नक 12.1

तालिका : वार्षिक योजना 2009-10 का वित्तीय आबंटन

क्षेत्रक	ग्यारहवीं योजना परिव्यय	2009-10 बजट अनुमान	2009-10 संशोधित अनुमान
प्रारंभिक शिक्षा	125380	21700.01	
माध्यमिक शिक्षा	53550	4648.99	
प्रौढ़ शिक्षा	6000	451	
माध्यमिक शिक्षा और साक्षरता	**184930**	**26800**	**22500**
जोड (विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा), मदरसा सहित	46680.00	4419	
दूरवर्ती अध्ययन, छात्रवृत्ति और आई सी टी	5334.00	1100	
पुस्तक प्रोन्नयन और कापीराइट	70.00	13	
भाषा विकास	825.00	145	
योजना और प्रशासन	78.00	21	
तकनीकी शिक्षा	20228.00	3902	
ओ एस सी सिफारिशें	11728.00		
उच्च शिक्षा	**84943.00**	**9600**	**7847**
युवा मामले	**1364**	**251**	**251**
खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा	**4636**	**2448**	**2716**
संस्कृति	**3524.11**	**700**	**630**
कुल जोड़	**279397.11**	**39799**	**33944**

अध्याय 13
खेल-कूद, कला और संस्कृति

13.1 युवा मामले और खेल

13.1.1 यद्यपि विकसित विश्व में उच्च निर्भरता अनुपातों के साथ युवा आबादी में तेजी से संकुचन हो रहा है, तथापि भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी की आयु 35 वर्ष से कम है। अनुमान है कि इस समय 10-19 वर्ष के आयु वर्ग में आबादी लगभग 242 मिलियन है, युवा लोगों का प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने का अभी तक का सबसे बड़ा तालमेल है। युवा लोग हमारी आबादी के सर्वाधिक कम्पायमान और गतिशील घटक हैं तथा संभावित रूप से सर्वाधिक मूल्यवान मानव संसाधन हैं। इसलिए, युवा मामले और खेल-कूल से संबंधित योजना और नीतियों का मुख्य उद्देश्य युवा विकास कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है जिनसे व्यक्तित्व विकास और नागरिकता की कोटि प्रोत्साहित होती है तथा सामुदायिक सेवा, सामाजिक न्याय, आत्म-निर्भरता, राष्ट्रीय एकीकरण और मानववाद के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा और 2009-10 के लिए लक्ष्य

13.1.2 वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित 890 करोड़ रुपए के परिव्यय के मुकाबले प्रत्याशित व्यय संपूर्ण युवा मामले और खेल क्षेत्रक के लिए 1,339 करोड़ रुपए है। युवा मामले उप क्षेत्रक के लिए प्रत्याशित व्यय 173 करोड़ रुपए (71 प्रतिशत) है जबकि अनुमोदित परिव्यय 242 करोड़ रुपए था। तथापि, बताया गया है कि वर्ष के दौरान एन वाई के एस की खर्च न हुई राशि में से भी 63.91 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खेल-कूद और शारीरक शिक्षा के लिए 648 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले सं.अ. 1,165.86 करोड़ रुपए है, राष्ट्रमण्डल खेल (सी जी) 2010 पर खर्च सहित। 224 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले बताया गया है कि सी जी-2010 पर 835 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। युवा मामले और खेल-कूद क्षेत्रक के लिए वर्ष 2009-10 के लिए अनुमोदित परिव्यय की राशि 2699 करोड़ रुपए है - 251 करोड़ रुपए युवा और किशोर विकास के लिए तथा 2,448 करोड़ रुपए खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा के लिए, सी जी 2010 के लिए 2000 करोड़ रुपए के विनिश्चित परिव्यय सहित। बताया गया है कि प्रत्याशित व्यय 2967 करोड़ रुपए है जबकि आबंटन की राशि 2699 करोड़ रुपए थी, अर्थात युवा मामलों के लिए 251 करोड़ रुपए, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा के लिए 2716 करोड़ रुपए, सी जी 2010 के लिए 2,286 करोड़ रुपए सहित।

क. युवा मामले और किशोर

वार्षिक योजना 2008-09

13.1.3 आलोच्य अवधि के दौरान- एन वाई के एस (7100) और एन एस एस (300) के माध्यम से एन एस वी एस के अंतर्गत 7400 स्वयंसेवक तथा 6000 स्वयंसेवक आर एस वाई के अंतर्गत तैनात किए गए।

विभिन्न सामाजिक मुद्दों, सांस्कृतिक उत्सवों, दिवस और सप्ताह मनाने, श्रमदान शिविर आदि पर बल देते हुए आयोजित 17,457 कार्यक्रमों के अंतर्गत, लगभग 18.50 लाख व्यक्तियों को, 8.87 लाख महिलाओं सहित, लाभ पहुंचा। इसके अलावा, जीवन दक्षता शिक्षा में 64 कैरियर मेले, और 64 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा 4000 टीन क्लब तैयार किए गए जिनसे एक लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए। एन एस एस के अंतर्गत, 32.57 लाख स्वयंसवेक भर्ती करने के लक्ष्य के मुकाबले 30.84 लाख स्वयंसेवक भर्ती किए जा सके। श्री डुंगर राजकीय कालेज, बीकानेर की प्रमुख पहल के अंतर्गत एक विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत 14500 एन एस एस स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए 300 हेक्टेयर क्षेत्र में एक लाख से अधिक पौधे लगाए गए। मुम्बई विश्वविद्यालय के एन एस एस स्वयंसेवकों ने मुंबई आतंकी हमले में राज्य प्रशासन की मदद की और 600 यूनिट रक्तदान किया। एन पी वाई ए डी के अंतर्गत, 143 एन जी ओ/ वी ओ को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। तरण तारण, पंजाब में एक होस्टल आरंभ किया। भारत-चीन युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत भारत और चीन से 100 सदस्यों के एक युवा प्रतिनिधिमंडल ने जून 2008 और नवंबर 2008 में एक दूसरे के देश का दौरा किया। इसी तरह से भारत-कोरिया युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने क्रमशः सितंबर और अक्तूबर, 2008 में एक-दूसरे के देश का दौरा किया। इसके अलावा, बंगलादेश में, अगस्त 2008 में और मालदीव में मार्च 2008 में क्रमशः ''सार्क'' युवा शिविर का और राष्ट्रमण्डल दिवस का एक आयोजन किया गया। युवा नेताओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम - 2008 का भी जापान सरकार (जे आई सी ए) द्वारा आयोजन किया गया। एन वाई के एस की उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: 2.64 लाख युवाओं की भागीदारी के साथ 1000 अभियानों का आयोजन; 3152 कार्यक्रमों के माध्यम से 1.85 लाख सदस्यों और पदाधिकारियों का प्रशिक्षण; 500 जिला लोक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन; 1310 श्रमदान शिविरों का आयोजन; 475 जिला लोक सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन; ब्लॉक और जिला स्तरों पर 2000 खेल टूर्नामेंटों का आयोजन; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सप्ताह मनाने के महत्त्व की 8829 जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम; सदभावना दिवस के अंतर्गत 46,000 से अधिक युवा भागीदारों के साथ 1500 कार्य शिविर आदि। एन वाई के एस ने ग्राम स्वराज के लिए युवा भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी कदम उठाया। इस संबंध में कोर समितियों, जिला स्तर सम्मेलन और ग्राम सभा शक्तिकरण अभियान का आयोजन किया गया। आर जी एन आई वाई डी, श्री पेरुम्बुदुर को 23 अक्तूबर 2008 को एक विश्वविद्यालयवत घोषित किया गया। इसकी उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: युवा विकास सूचक पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यशालाएं आयोजित करना; युवा कार्यकर्ताओं के लिए संधारणीय विकास और कैरियर काउंसलिंग के लिए शिक्षा पर एक माड्यूल विकसित करना, सीमावर्ती जिलों में युवाओं के लिए कार्यक्रम विकास, एन एस एस प्रशिक्षण नियमावली की समीक्षा, अवैध व्यापार और वाणिज्यिक सेक्स का क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम; निर्वाचित युवा महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए स्थानीय शासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि। इसके अलावा, एन वाई के एस के सहयोग से एक अंतर-राज्य युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सिक्किम में आयोजित किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के लिए एक दस-दिवसीय अंतर-राज्य युवा आदान-प्रदान और गृह आवास कार्यक्रम भी अगस्त 2008 में

विशाखापट्नम और हैदराबाद में आयोजित किया गया। संस्थान ने युवा सशक्तीकरण, कैरियर काउंसलिंग, लैंगिक अध्ययन, स्थानीय शासन और जीवन दक्षता शिक्षा में पाँच उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम और विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक अनुसंधान परियोजनाएं भी कार्यान्वित कीं।

वार्षिक योजनाएं 2009-10

13.1.4 वर्ष 2009-10 के लिए 251 करोड़ रुपए के परिव्यय की बजट व्यवस्था की गई है। इसमें से, बड़ी राशि की व्यवस्था एन एस एस (95 करोड़ रुपए), एन वाई के एस (80 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (24.50 करोड़ रुपए), राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्कीम (22.50 करोड़ रुपए), और आर जी एन आई वाई डी (9.50 करोड़ रुपए) और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं के प्रतिनिधिमंडल का आदान-प्रदान (3.50 करोड़ रुपए)।

13.1.5 **राष्ट्रीय युवा कोर :** युवा मामले मंत्रालय ने विद्यमान दो स्वयंसेवी स्कीमों (एन एस वी एस और आर एस वाई) का एक नई स्कीम, नामतः 'राष्ट्रीय युवा शिविर' में विलयन का प्रस्ताव किया है जिससे 18-25 वर्ष के आयु वर्ग में युवा पुरुषों और महिलाओं को दो वर्ष तक राष्ट्र निर्माण कार्यकलापों में भाग लेने में मदद मिलेगी, जिसके लिए उन्हें मानदेय प्राप्त होगा। स्कीम का उद्देश्य होगाः (i) राष्ट्र निर्माण के कार्य में भाग लेने के इच्छुक भावना रखने वाले अनुशासित और समर्पित युवाओं का एक समूह गठित करना, (ii) समावेशी विकास प्राप्ति (सामाजिक और आर्थिक दोनों) को सुकर बनाना; (iii) सूचना, बुनियादी ज्ञान के समाज में प्रसार के लिए पाइंटों के रूप में कार्य करना; (iv) समूह माडुलेटरों और शीर्ष समूह शिक्षा प्रदानकर्ताओं के रूप में कार्य करना; और (v) युवा लोगों के लिए, विशेष रूप से सार्वजनिक नैतिकता, निकटता व श्रम के सम्मान के संवर्धन की दिशा में भूमिका मॉडलों के रूप में कार्य करना।

13.1.6 **राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन एस एस) :** राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एन एस एस) एक केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य स्कूलों और कालेजों में छात्र युवाओं के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करना है। एन एस एस, जिसकी शुरुआत 37 विश्वविद्यालयों में कुल 40,000 स्वयंसेवकों के साथ छठी पंच वर्षीय योजना में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में हुई थी, इसमें इस समय उच्च तथा तकनीकी शिक्षा के 13,300 से अधिक कालेजों/ संस्थानों को कवर करते हुए, 200 विश्वविद्यालयों और 41 (+2) वरिष्ठ माध्यमिक बोर्ड/ परिषदों और व्यावसायिक शिक्षा निदेशालयों में 30.84 लाख स्वयंसेवक हैं। प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की परिकल्पित लक्षित वृद्धि के साथ, ग्यारहवीं योजना के अंत तक स्वयंसेवक संख्या 50.84 लाख तक बढ़ जाने की उम्मीद है, जिसकी उपलब्धि ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि में प्रतीत नहीं होती।

13.1.7 **नेहरू युवा केंद्र संगठन (एन वाई के एस) :** नेहरू युवा केंद्र संगठन को, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है, सरकार से 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होता है। यह 2.58 लाख ग्राम आधारित युवा क्लबों और देश में 501 जिलों में फैले 80 लाख से अधिक गैर-छात्र ग्रामीण युवा स्वयंसेवकों के साथ विश्व में एक सबसे बड़े आधार स्तर गैर-राजनीतिक संगठन के रूप में उभरा है। एन

वाई के एस, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, गरीबी उपशमन आदि की विशिष्ट प्रायोजित परियोजनाओं में सम्मिलित है। ग्यारहवीं योजना के दौरान 122 शेष रहते जिलों को कवर करने का प्रस्ताव है।

13.1.8 **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आर जी एन आई वाई डी) :** यह संस्थान, देश में सभी युवा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण प्रलेखन, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा विस्तार के लिए जिम्मेदार है। अंततः सामाजिक सामंजस्य और राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए बहु-आयामीय कार्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रमों, नीतियों और कार्यान्वयन कार्यनीतियों के संबंध में एक संसाधन एजेंसी और चिंतन कोश के रूप में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके ग्यारहवीं योजना के दौरान युवा विकास के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है।

13.1.9 **युवा होस्टल :** मुख्य उद्देश्य युवा यात्रा को प्रोत्साहित करना है जिससे कि वे देश के अंदर समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा का लाभ उठा सकें और इसकी परिकल्पना केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त स्थल के रूप में की गई है। योजना अवधि के दौरान देशभर में पी पी पी विधि के जरिए और युवा होस्टल खोले जाएंगे। होस्टल का कुछ भाग विभेदक टैरिफ और सुविधाओं के लिए निश्चित किया जा सकता है जिससे कि उचित अनुरक्षण और देखभाल के लिए आई ई बी आर का सृजन किया जा सके।

13.1.10 **युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम :** यह नई स्कीम, निम्नलिखित स्कीमों का विलयन करके तैयार की गई है:

- युवा कार्यकलापों का प्रोन्नयन और प्रशिक्षण
- राष्ट्रीय एकीकरण का प्रोन्नयन
- किशोर विकास और सशक्तीकरण
- साहस का प्रोन्नयन

2007-08 तक, एन वाई के एस व अन्य पात्र एन जी ओ के लिए सहायता प्रदान करने के लिए उपरोक्त स्कीमों के भिन्न-भिन्न मापदण्ड थे। वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित मार्गनिर्देश तैयार किए गए हैं जिससे कि राज्य सरकारें, एन वाई के एस, एन एस एस, एन जी ओ, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास, प्रदर्शनियां और राज्य व राष्ट्र स्तर एकीकरण शिविर और उत्सव आयोजित करने, जीवन दक्षता शिक्षा के लिए रिहायशी शिविर आयोजित करने, किशोरों के लिए काउंसलिंग व कैरियर मार्गदर्शन, सेमिनार, कार्यशालाएं, साहस खेल आदि के क्षेत्र में भाग ले सकें।

13.1.11 **भारत स्काउट्स और गाइड्स,** देश में एक सबसे बड़ा स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, शैक्षिक अभियान है, जो सभी के लिए खुला है। स्कीम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों, जैसे कि प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, दक्षता विकास कार्यक्रमों और जम्बूरियों के आयोजन आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की

जाती है। इन कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रौढ़ साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य जागरूकता और सफाई व स्वच्छता के प्रोत्साहन से सम्बद्ध कार्यक्रम सम्मिलित हैं। इसका एक नेटवर्क है जो सभी राज्यों में फैला है। इसके अलावा, कुछ कार्यात्मक यूनिट हैं जैसे कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और भारतीय रेलवे।

ख. खेल-कूद और शारीरिक शिक्षा

वार्षिक योजना 2008-09

13.1.12 भारतीय खेल प्राधिकरण (एस ए आई) की प्रमुख भौतिक उपलब्धियों में सम्मिलित हैं: एस ए आई के क्षेत्रीय कंद्रों पर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करना, 'राष्ट्रीय खेलकूद संघों को वित्तीय सहायता' की स्कीम के अंतर्गत 178 कोचिंग शिविर आयोजित करना, और 'सीजी-2010 के लिए भारतीय टीम का निर्माण' हेतु स्कीम के अंतर्गत 15 खेलों में 18 कोचिंग शिविर आयोजित करना, 13 खेलों में भारतीय टीम को प्रशिक्षित करने के लिए 27 विदेशी कोच नियुक्त करना, तथा अग्रिम प्रशिक्षण के लिए 27 खिलाड़ियों और 8 कोचों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी पी ई, एम पी ई, एम.फिल और पीएच.डी. जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 634 छात्र, 173 महिलाओं समेत, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरक शिक्षा विश्वविद्यालय (एल एन यू पी ई), ग्वालियर में दाखिल किए गए। विश्वविद्यालय ने विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम और कोचिंग शिविर भी आयोजित किए। 'पी वाई के के ए' नामक एक नई स्कीम शुरू की गई जो भली भांति चली। दिल्ली में आयोजित राज्य खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राज्य सरकारों ने इस सी एस एस को कार्यान्वित करने में तीव्र रुचि प्रदर्शित की। रिपोर्टाधीन वर्ष में, 24 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनपर राष्ट्र स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा विचार और 19 राज्यों में 22854 ग्राम पंचायतों और 601 ब्लॉक पंचायतों को कवर करते हुए, 250.78 करोड़ रुपए का एकबारगी पूंजी अनुदान, वार्षिक अधिग्रहण अनुदान और वार्षिक प्रचालन अनुदान सिद्धांततः अनुमोदित किया गया। पहली किस्त के रूप में 83.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। इसके अलावा, एन आई एस, पटियाला को, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरों पर प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों को खर्च की प्रतिपूर्ति करने/ मंजूर करने के लिए प्रतियोगिता अनुदान हेतु 8.15 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। बी सी सी आई द्वारा एन एस डी एफ को 15 करोड़ रुपए के योगदान के साथ एन एस डी एफ का कोरपस बढ़कर 30.11.2008 को 26.62 करोड़ रुपए हो गया। तेईस खिलाड़ी (बीजिंग ओलंपियाड सहित)/ संघ, एन एस डी एफ से थे।

13.1.13 वर्ष के दौरान एन डी टी एल में विभिन्न खिलाड़ियों के लगभग 2100 नमूनों का परीक्षण किया गया। सीजी-2010 से सम्बद्ध प्रस्तावों की विभिन्न मंचों पर जांच की गई और निवेश निर्णय हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए परियोजनाओं को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। परियोजनाओं की प्रगति का युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर मानीटरन किया गया तथा उससे सी ओ एस और जी ओ एम को अवगत कराया गया। प्रस्तावित व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति 2008 को मंत्रालय द्वारा

वापस ले लिया गया। राष्ट्रमण्डल युवा खेल (सी वाई जी), 2008, पुणे का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

वार्षिक योजना 2009-10

13.1.14 **पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पी वाई के के ए) :** ग्यारहवीं योजना का उद्देश्य खेलों को व्यापक आधार प्रदान करना है। देश में सभी गांवों और ब्लॉक पंचायतों और उनकी समकक्ष यूनिटों को 10 वर्ष की अवधि के दौरान क्रमिक रूप से कवर करते हुए, आधार स्तर पर खेल-कूल अवसंरचना के विकास के लिए एक केंद प्रायोजित स्कीम (सी एस एस) 'पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)' वर्ष 2008-09 के दौरान शुरू की गई। शेष राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर, स्कीम को देश के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने के लिए, विचार और अनुमोदित किया जाएगा।

13.1.15 **राष्ट्रमण्डल खेल (सी जी) 2010 :** ये खेल 3 से 14 अक्तूबर 2010 तक आयोजित किए जाएंगे। उम्मीद है कि भिन्न-भिन्न देशों से 17 खेलों में 8000 खिलाड़ी भाग लेंगे। सभी पणधारियों ने, प्रमुख निर्धारकों के संदर्भ में, यथा विस्तृत डिजाइनों और अनुमानों को अंतिम रूप देने, निविदा प्रक्रियाएं शुरू करने, कार्य अवार्ड करने, कार्य शुरू और पूरा करने और आयोजन समिति - 2010 को सौंपने, खेल अवसंरचना के विकास अथवा स्तरोन्नयन/ पुनरुद्धार से सम्बद्ध अपनी विशिष्ट समय सीमाओं का उल्लेख कर दिया है। सीजी-2010 के लिए खेल अवसंरचना विकास से सम्बद्ध परियोजनाओं के संबंध में भारत सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है तथा बताया गया है कि सिविल निर्माण कार्य समयानुसार किए गए हैं। खेल विभाग प्रत्येक परियोजना की प्रगति का कठोरतापूर्वक मानीटरन कर रहा है। खेल विभाग के लिए 2009-10 के लिए 2,448 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदित परिव्यय में से सीजी-2010 के लिए 2000 करोड़ रुपए विनिश्चित किया गया है, जिसे बढ़ाकर 2268 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

13.1.16 **पूर्वोत्तर राज्य :** पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 2008-09 के लिए 67.20 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। तथापि, रिपोर्ट की गई है कि सं.अ. 54.70 करोड़ रुपए है। पूर्वोत्तर राज्यों की, सिक्किम सहित, विभिन्न परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए 2009-10 के लिए 70.10 करोड़ रुपए की राशि विनिश्चित की गई है। 70.10 करोड़ रुपए में से 24.20 करोड़ रुपए युवा मामलों के लिए और 43 करोड़ रुपए खेल कार्यकलापों के लिए हैं।

13.2 कला और संस्कृति

13.2.1 भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा, जो इसकी बहुवादी सोसायटी में विहित है, इसके समाजार्थिक विकास का आधार रहा है। लोगों की विविधता, उनकी भाषाओं, धर्मों और परम्पराओं की मौजूदा संस्कृति एकता की कड़ी है जिसने न केवल रचनात्मकता को जन्म दिया है बल्कि राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में मदद की है। संस्कृति मंत्रालय ने इस विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को परिरक्षित रखने में मदद दी है और उसे

बढ़ावा दिया है। अनेक समकालीन रचनात्मक कलाओं को प्रोत्साहित करने के अलावा, इसे ऐतिहासिक स्मारकों और अभिलेखों के परिरक्षण, पुरातत्वीय स्थलों की खोज व खुदाई करने, और साथ ही राष्ट्रीय महत्त्व के पुस्तकालयों और संग्रहालयों के अनुरक्षण और विस्तार का भी काम सौंपा गया है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

13.2.2 संस्कृति मंत्रालय के लिए वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक योजना आबंटन 600.00 करोड़ रुपए है। वर्ष के दौरान व्यय की राशि 517.50 करोड़ रुपए रही जो आबंटन का 87% था। इसलिए मंत्रालय को कार्यकलापों का उचित क्रम तैयार करने के लिए उपयोग की गति और विभिन्न संस्थानों के खर्च को नियंत्रण में रखने की सलाह दी गई है।

13.2.3 **राष्ट्रीय संस्कृति आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत** 572 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे देश भर में सांस्कृतिक विविधता को प्रसारित करने के लिए मेलों, उत्सवों, सांस्कृतिक घटनाओं में तैनात बड़ी संख्या में कलाकार लाभान्वित हुए।

13.2.4 विभिन्न कला स्वरूपों से 184 से भी अधिक गुरू और 1172 शिष्य **गुरू-शिष्य परम्परा स्कीम** से लाभान्वित हुए। **युवा प्रतिभा कलाकार स्कीम** के अंतर्गत 77 से अधिक कलाकार लाभान्वित हुए। **पूर्वोत्तर का उत्सव 'ओक्टावे', 2008,** गोआ, मुंबई और पटना में नवंबर-दिसंबर 2008 में आयोजित किया गया।

13.2.5 **राष्ट्रीय निष्पादन कला संग्रहालय,** पुस्तकालय और अभिलेखागार के अंतर्गत बड़ी संख्या में संगीत वाद्य संग्रहालय के लिए प्राप्त किए गए हैं, जिसके लिए दिल्ली में 5 एकड़ भूमि आबंटित करने के लिए मामला डी डी ए के साथ उठाया गया है। वाद्य यंत्रों के प्रशिक्षण के लिए केंद्र कोलकाता और मेरठ में चल रहे हैं।

13.2.6 विशेषज्ञ क्षेत्रों/ कला स्वरूपों के लिए राष्ट्रीय संस्थान और अकादमी केंद्र हैं: **कत्थक केंद्र, नई दिल्ली, कुटियाट्टम केंद्र, केरल और छाउ केंद्र, बारीपदा/ जमशेदपुर। अन्य राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं : जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इम्फाल और शास्त्रीय केंद्र, गुवाहाटी।** वर्ष के दौरान 316 छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। केरल में गुरुकुलमों की सहायता से 'कुट्टियाट्टम' प्राचीन कला स्वरूप के प्रोन्नयन के लिए 58 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ ही, केरल में और इससे बाहर विभिन्न क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत के छाऊ नृत्य का उत्सव फरवरी 2009 में भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। दिल्ली में कठपुतली केंद्र शुरू किया गया। नृत्य नाटक के चार नए उत्पादन पूरे किए गए। शास्त्रीय केंद्र अगस्त 2008 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया। शास्त्रीय नृत्य और संगीत के लिए प्रशिक्षण सहायता जारी रही। 'नृत्य परवह' - शास्त्रीय नृत्य का उत्सव गुवाहटी में आयोजित किया गया।

13.2.7 **साहित्य अकादमी** ने अकादमी द्वारा मान्य सभी 24 भाषाओं में 190 पुस्तकें प्रकाशित की। 'भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय ग्रन्थसूची 1954-2000' की नई श्रृंखला जारी की। विभिन्न विश्वविद्यालयों और राज्यों के शिक्षा मिशनों की मांग के अनुसार अन्य महत्त्वपूर्ण प्रकाशन प्राथमिक आधार पर प्रकाशित किए गए।

13.2.8 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आई जी एन सी ए)** के अंतर्गत, कलानिधि कलाकोश भवन का, अतिथि गृह ब्लॉक सहित, प्रचालनीकरण आरंभ किया गया।

13.2.9 **राष्ट्रीय नाट्य स्कूल, नई दिल्ली** ने 75 रंगमंच कार्यशालाएं आयोजित की तथा 700 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने इसमें भाग लिया।

13.2.10 **राष्ट्रीय आधुनिक कला वीथी (एन जी एम ए)** की उपलब्धियाँ हैं : नई दिल्ली और मुंबई दोनों जगहों पर एक सु-प्रदर्शित वीथी का अनुरक्षण। आलोच्य अवधि के दौरान 9 विशेष प्रादर्शनियाँ दिल्ली, बंगलौर और मुंबई में आयोजित की गईं तथा बच्चों के बीच कला के प्रोत्साहन के लिए अन्य कार्यकलापों के साथ कला पर 510 फिल्म शो आयोजित किए गए। एन जी एम ए, दिल्ली का एक बड़ा नया स्कंध भी प्रचालनात्मक बनाया गया और 19 जनवरी 2009 को उसका उद्घाटन किया गया। एन जी एम ए की बंगलौर में एक नई शाखा को भी 18 फरवरी 2009 को प्रचालनात्मक बनाया गया।

13.2.11 दुर्लभ पुस्तकों और एम एस एस का परिरक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालय, संग्रहालय व अन्य विभागों की चित्रकारी आदि का काम **एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता** द्वारा आयोजित किया गया।

13.2.12 **सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र (सी सी आर टी), नई दिल्ली** की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत 4505 शिक्षकों/ शिक्षक प्रशिक्षकों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया; 2077 शिक्षकों को प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया तथा 25,531 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। देश में विभिन्न राज्यों में 167 संस्कृति क्लब भी स्थापित किए गए। सी सी आर टी के उत्पादन कार्यकलापों के अंतर्गत चार विडियो फिल्म, सी डी रोम सहित, तैयार की गईं; 16 प्रकाशन, पुनर्मुद्रणों सहित, प्रकाशित किए गए तथा सांस्कृतिक किटों के 731 सेट प्रतिभागी शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए तैयार किए गए। देश के सभी भागों को, पूर्वोत्तर सहित, कवर करते हुए, 400 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं तथा छात्रवृत्ति धारकों के लिए सी सी आर टी, नई दिल्ली में दो सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए गए।

13.2.13 **राष्ट्रीय संस्कृति कोश (एन सी एफ)** के अंतर्गत 4 परियोजनाएं, प्रत्यक्ष स्मारकों के अंतर्गत, नामतः हुमायुं मकबरा, दिल्ली; शनिवारवाड़ा, पुणे; परदेशी सिनागोग, कोचीन और रामकृष्ण मिशन, कोलकाता; व अन्य 3 परियोजनाएं अप्रत्यक्ष संस्कृति परंपरा पूरी की गई। इसके अलावा, प्रत्यक्ष स्मारकों और अप्रत्यक्ष सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं प्रगति के तहत हैं।

13.2.14 **भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण** की 2550वीं वर्षगांठ 02.05.2007 को कुशीनगर में मनाई गई तथा समापन समारोह के बाद सभी अवशिष्ट कार्य 2008-09 में आयोजित किए गए। आजादी की पहली लड़ाई 1857 की 150वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। इस स्कीम के अंतर्गत, आजादी की पहली लड़ाई 1857 की 150वीं बर्षगांठ मनाने के लिए, जिनमें शहीद भगत सिंह के 75वें बलिदान/ जन्म शताब्दी पर समारोह, शहीदों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करना, ट्रेन पर मोबाइल प्रदर्शनी, वीर कुंवर सिंह पर समारोह, एस एन ए द्वारा 1857 पर समारोह, 'मुगलों की दाय' पर समारोह आदि सम्मिलित हैं।

13.2.15 **राष्ट्रीय समारकों का अनुरक्षण** के अंतर्गत 1.37 करोड़ रुपए की राशि उत्तराखंड सरकार को अल्मोडा में उदय शंकर नृत्य और संगीत अकादमी के लिए, और 0.45 करोड़ रुपए फखरुद्दीन अली अहमद स्मारक ट्रस्ट को दिए गए। **त्वांग मठ** ने पूर्वोत्तर निधियों से अपने चल रहे योजना कार्यक्रमों को जारी रखा। **जलियावालां बाग स्मारक का विकास** की स्कीम के अंतर्गत न्यास को स्थल पर विकासात्मक कार्य आयोजित करने के लिए 5.50 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

13.2.16 **मानवता की अप्रत्यक्ष दाय के परिरक्षण और प्रोन्नयन के लिए सहायता** को इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए संगीत नाटक अकादमी को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 4.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

13.2.17 पुरातत्त्वीय स्थलों की खुदाई और पुरातत्त्व विषयक अवशेषों की खोज का कार्य **भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण** द्वारा विनिर्धारत परियोजनाओं के संबंध में पूरा किया गया। तथापि, यह एक सतत प्रक्रिया है।

13.2.18 **राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक और पुरावशेष मिशन** स्कीम के अंतर्गत *इंडियन आर्किओलाजी - ए रीव्यु* के 48 खण्डों के संबंध में डिजिटीकरण कार्य पूरा किया गया। पूरे हो गए खंडों को पी डी एफ फार्मेट में बदला गया तथा ए एस आई की अधिकारिक वेबसाइट में अपलोड किया गया। विभिन्न राज्य और स्थानीय पुरातनिक विधानों का संकलन किया गया है तथा उनहें ए एस आई की अधिकारिक वेबसाइट के पी डी एफ फार्मेट में अपलोड किया जा रहा है। 28000 से अधिक गांवों का, जहां पुरातनिक अवशेष हैं, संकलन किया गया। पंजीकृत पुरावशेष प्रलेखों का डिजिटीकरण आई जी एन सी ए के माध्यम से एक सतत प्रक्रिया है और कुल 6,000 प्रलेखों का डिजिटीकरण किया गया है। राष्ट्रीय मिशन ने निम्नलिखित टेमप्लेटों का विकास किया है, अर्थातः (क) निर्मित दाय का प्रलेखीकरण; और (ख) निर्मित दाय और स्थलों तथा ग्राम स्तर से पुरातत्त्वों के संबंध में डेटा।

13.2.19 एक डिजिटल डेटाबेस के लिए राष्ट्रीय सूचनाविज्ञान केंद्र (एन आई सी) के माध्यम से निम्नलिखित तीन सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैंः (क) निर्मित दाय, स्थलों के संबंध में, प्रकाशित स्रोतों से डेटा के संकलन के संबंध में सॉफ्टवेयर; (ख) वेब आधारित ग्राम स्तर डेटाबेस; और (ग) केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के संबंध में सॉफ्टवेयर।

13.2.20 **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद** के अंतर्गत गैलरियों, नामतः 'इलेक्ट्रानिक्स', डी एस सी, तिरुनेलवली में; 'ट्रांसपोर्ट', बी आई टी एम, कोलकाता में, 'फन साइंस', वी आई टी एम, बंगलौर और एस एस सी पटना में; 'मानव जीवविज्ञान', एन एस सी, दिल्ली में; और 'हाल ऑफ कंप्यूटिंग', 'रिवर' और 'मेजरिंग अवर प्लेनेट', बी आई टी एम, कोलकाता में, 'अवर बाडीगार्ड्स', एन एस सी, दिल्ली में; और 'ग्लोबल चेंजिज', आर एस सी, भुवनेश्वर में वर्ष के दौरान उद्घाटन किया गया। वर्ष के दौरान प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। 'साइंस एक्सपो',2009 आर एस सी, लखनऊ में, 'साइंस एण्ड सोसायटी', एन एस सी, दिल्ली में, 'भूमि पर जल संकट' पर सेमिनार, बी आई टी एम, कोलकाता में; तथा और अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। **साइंस सिटीज** स्कीम के अंतर्गत, फिलकुला (मंगलौर), कोयंबतूर और जयपुर में आर एस सी का कार्य शुरू किया गया है।

13.2.21 पुस्तकालयों और संग्रहालयों की स्कीम के अंतर्गत, पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण एक चल रहे कार्यकलाप के रूप में जारी है। सभी पुस्तकालयों के डिजिटीकरण और रेट्रो-कनवर्जन का कार्य प्रसंस्करण के अधीन है। अनेक पुस्तकें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं, पत्र आदि प्राप्त किए गए। **भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण** के अंतर्गत मानवविज्ञानीय संग्रहालय नमूनों के और अधिक क्रियाशील प्रदर्शन की दृष्टि से सभी संग्रहालयों का विकास कार्य प्रगति पर है। बड़ी संख्या में दर्शकों ने क्षेत्रीय मानवविज्ञानीय संग्रहालयों का दौरा किया।

13.2.22 बुनियादी अनुसंधान प्रलेखों का प्रकाशन **नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन एम एम एल)** का एक सतत प्रयास है। एन एम एम एल ने सी. राजगोपालाचारी के चुनिंदा लेखों को प्रकाशित करने की एक परियोजना प्रारंभ की। एन एम एम एल ने जवाहरलाल नेहरू के चयनित कार्यों की प्रकाशन परियोजना को जे.एन. मेमोरियल निधि से अपने हाथ में लेने का कार्य भी शुरू किया है । **इण्डियन म्युजियम, कोलकाता** में पुनरुद्धार कार्य तथा लोंग आर्क. गैलरी, कोयन गैलरी, डेकोरेटिव आर्ट गैलरी, पेंटिंग गैलरी और एन्थ्रापोलोजी गैलरी का भी अनुरक्षण और देखभाल कार्य प्रगति पर है।

13.3.23 **इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, भोपाल, ने टी एम आर सी, इम्फाल** के सहयोग से मणिपुर के मारम समुदाय के पारम्परिक हाउस किस्म और नए प्रदृश्य यू-हकपा आयोजित किए जिनमें मणिपुर में कैम्प में सृजित विशाल वुडकार्विंग सम्मिलित है। आलोच्य अवधि के दौरान संग्रहालय के अधिकारियों ने भारत भर की कला और शिल्प परम्पराओं का प्रलेखन करने तथा स्थानीय लोगों की सारवान संस्कृति के अन्य पहलुओं का भी प्रलेखन करने के लिए दौरा किया। 'भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट' के इर्द-गिर्द स्थित गांवों की अप्रत्यक्ष सांस्कृति दाय का प्रलेखन करने की परियोजना जारी रही। हम्पी और कोणार्क के 'वर्ल्ड हेरिटेज साइट' का प्रलेखन विचाराधीन है।

13.2.24 **रामपुर रज़ा लायब्रेरी, रामपुर** : इमारत की पुताई और मरम्मत कार्य दोनों किए गए। हामिद मंजिल के दरबार हाल में अर्ध-स्वर्ण पेंट भी किया गया। स्कीम के अंतर्गत पुस्तकालय ने 527 मुद्रित पुस्तकें, 31

का पता लगाने, सहायता और उपचार के जरिए निवारक पद्धति और उपचारात्मक देखभाल में वृद्धि करके रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया गया है।

उपलब्धियां

14.1.7 राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संकेतकों ने विगत दशक की तुलना में बोधगम्य सुधार दर्ज किया है। जीवन अवधि जो पुरुषों के संबंध में 1991 में 59.7 थी, बढ़कर 63.7 वर्ष और इसी अवधि के दौरान महिलाओं के संबंध में 60.9 से बढ़कर 66.9 वर्ष हो गई। क्रूड जन्म दर और मृत्यु जन्म दर में भी इसी अवधि के दौरान कमी आई। तथापि, विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में वर्तमान निष्पादन में, शिशु मृत्यु दर (आई एम आर), मातृ मृत्यु दर (एम एम आर) और कुल प्रजनन दर (टी एफ आर) सहित, सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दी है, फिर भी यह ग्यारहवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य के आसपास नहीं है।

तालिका 14.1 : राष्ट्रीय स्तर पर एम एम आर, आई एम आर और टी एफ आर के संबंध में स्कोर कार्ड

	एमएमआर		आईएमआर		टीएफआर	
	एसआरएस 2001-03	एसआरएस 2004-06	एसआरएस 2000	एसआरएस 2008	एसआरएस 2004	एसआरएस 2007
भारत	301	254	68	53	2.9	2.7
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य (2007-12)	<100		<28		<2.1	
आरसीएच-II लक्ष्य(2010)	<100		<30		<2.1	
एमडीजी लक्ष्य (2015)	एमएमआर (1990) में से ¾ कम करें		27			

14.1.8 अखिल भारत स्थिति से पता चलता है कि एम एम आर 2001-03 अवधि के दौरान प्रति 1,00,000 जीवित जन्म 301 से 2004-06 अवधि के दौरान प्रति 1,00,000 जीवित जन्म 254 हो गई। असम में एम एम आर सर्वाधिक (480) और केरल में सबसे कम (95) थी। तीन मातृत्व मृत्यु में से दो की रिपोर्ट 8 अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह (ई ए जी) राज्यों और असम से मिली। मौतों के विशेष सर्वेक्षण 2001-03 की तुलना में 2004-05 के आँकड़ों से पता चलता है कि सभी राज्यों में एम एम आर में कमी आई है सिवाय हरियाणा और पंजाब के, जहां यह क्रमशः प्रति 1,00,000 जीवित जन्म 162 से बढ़कर 186 और 1,00,000 जीवित जन्म 178 से 192 हो गई।

तालिका 14.2 : 11वीं पंच वर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2009-10 के संबंध में अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	विभाग	अनुमोदित परिव्यय	
		11वीं योजना (2007-2012)	2009-10
1.	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**	**131840.92**	**18380.00**
	एन आर एच एम	89478.00	13930.00
	एन आर एच एम से बाहर (स्वास्थ्य)	42362.92	4450.00
2.	**स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**	**4306.08**	**420.00**
	कुल जोड़	**136147.00**	**18800.00**

14.1.9 एम एम आर और आई एम स्तर, महिलाओं के बीच आपातिक प्रासविक देखभाल, प्रसव-पूर्व देखभाल की सुलभता और अल्परक्तता दरों, महिलाओं के शैक्षिक स्तर व अन्य कारकों की वजह से, राज्यों और क्षेत्रों के बीच काफी भिन्न-भिन्न है। भारत के महापंजीयक ने बताया है कि मातृ मृत्यु के छोटे नमूना आकार के कारण, अनुमानों से केवल बड़े राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के संबंध में पता चलता है। आर जी आई द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पूर्वानुमान लगाया गया है। इसलिए, एम एम आर को देश में मातृ स्वास्थ्य स्थिति का केवल एक सामान्य संकेतक समझा जा सकता है।

14.1.10 राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम), एन आर एच एम (स्वास्थ्य) से बाहर और नव सृजित स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2009-10 के संबंध में अनुमोदित परिव्यय तालिका 14.2 में दर्शाया गया है।

स्कीम-वार विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

14.1.11 आई एम आर, प्रति 1000 जीवित जन्म 58 (एस आर एस 2005) से कम होकर प्रति 1000 जीवत जन्म 53 हो गई (एस आर एस 2008)। आई एम आर ग्रामीण क्षेत्रों में 2008 के दौरान तीन तक कम हो गई (2007 में 61 से 2008 में 58)। आई एम आर देश में शहरी क्षेत्रों में कम थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 36/1000 जीवित जन्म की तुलना में 58/1000 जीवित जन्म (एस आर एस 2008)। केरल के बाद गोआ में सबसे कम आई एम आर थी (10/1000 जीवित जन्म और 12/1000 जीवित जन्म) तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 70 प्रति 1000 जीवित जन्म है।

14.1.12 मिशन की अवधि 7 वर्ष (2005-2012) है। मिशन के कार्यकलापों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य और जिला स्वास्थ्य मिशन गठित किए गए हैं। मिशन का उद्देश्य एक क्षेत्रक-वार दृष्टिकोण अपनाना है

तथा इसमें प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मिला दिया गया है जैसे कि आर सी एच कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम और एकीकृत रोग निगरानी। मिशन के मुख्य मुद्दों में सम्मिलित हैं: सक्रिय समुदाय भागीदारी, शिथिलनीय वित्तपोषण, क्षमताओं के माध्यम से सुधरा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन में नूतनताएं और मानक सेट के मुकाबले मानीटरन प्रगति।

एन आर एच एम के अंतर्गत उप-स्कीमों का विवरण

1. अवसंरचना अनुरक्षण

14.1.13 आबंटन निम्नलिखित के लिए है: निदेशन और प्रशासन, उप-केंद्रों, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का अनुरक्षण, शहरी पुनर्गठित स्कीम, ए एन एम/एल एच वी, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्रों (एच एफ डब्ल्यू टी सी) का सुदृढ़ीकरण, और एम पी डब्ल्यू (पुरुष) का प्रशिक्षण। निधियां, राज्य वित्त विभाग को, राजकोष प्रणाली के माध्यम से जारी की जाती हैं। राज्यों।संघ राज्य क्षेत्रों के लेखों की लेखा परीक्षा राज्य महालेखाकार द्वारा की जाती है।

14.1.14 इन शीर्ष के अंतर्गत कार्यकलाप, उप-केंद्रों में ए एन एम और एल एच वी के लिए वेतन सहायता, राज्य और जिला परिवार कल्याण ब्युरो/ शहरी परिवार कल्याण केंद्रों/ स्वास्थ्य पदों/ प्रशिक्षण स्कूलों और प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका जैसी प्रकृति के हैं। 2009-10 के दौरान 35 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और 600 जिला एफ डब्ल्यु ब्युरो में 1,44,986 उप-केंद्रों, 1083 शहरी परिवार कल्याण केंद्रों, 871 स्वास्थ्य पदों और सभी राज्य एफ डब्ल्यु ब्युरो को अनुदान दिए गए।

2. मिशन शिथिलनीय पूल

14.1.15 मिशन शिथिलनीय पूल बजट लाइन, संस्थागत पद्धतियों को सुदृढ़ करने और आधार स्तर पर समुदाय और स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं के बीच एक प्रभावी संयोजन कायम करने के लिए 2006-07 में लागू की गई थी।

14.1.16 मिशन शिथिलनीय पूल के अंतर्गत कवर किए गए कार्यकलापों के अंतर्गत राज्यों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी आई पी) के अंतर्गत राज्यों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी आई पी) के अंतर्गत शुरू की गई विभिन्न एन आर एच एम पहल सम्मिलित हैं जैसे कि ''आशा'' का चयन और प्रशिक्षण, जिला और उप-जिला स्तर पर रोगी कल्याण समितियों (आर के एस) के लिए कोरपस अनुदान, मोबाइल मेडिकल यूनिट (एम एम यू), एकीकृत जिला स्वास्थ्य कार्रवाई योजना का निर्माण, प्रत्येक जिले में बेसलाइन और सुविधा सर्वेक्षण आयोजित करना, एस सी/ पी एच सी/ सी एच सी के लिए जेनेरिक औषधि आपूर्ति, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समितियों के लिए अबद्ध अनुदान, प्रत्येक एस सी, पी एच सी और सी एच सी के लिए वार्षिक अनुरक्षण अनुदान, सभी पी एच सी/ सीं एच सी/जिला अस्पतालों आदि के लिए एंबुलेंस।

वर्ष 2009-10 के दौरान निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- देशभर में ''आशा'' का चयन और प्रशिक्षण पर पूरा करना।
- 2009-10 के दौरान 1.95 लाख वी एच एस सी की स्थापना की जाएगी और अनुदान दिया जाएगा।
- प्रथम ए एन एम के साथ 15,000 उप स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया जाएगा तथा 1,10,000 एस सी को द्वितीय ए एन एम के साथ मजबूत बनाया जाएगा।
- सभी 1.45 लाख एस सी में 2010 तक संयुक्त खाते द्वारा प्रचालनात्मक बनाया जाएगा।
- 14,949 पी एच सी को 24X7 बनाया जाएगा।
- 6500 सी एच सी को आई पी एच एस के अनुसार सेवाओं के लिए प्रचालनात्मक बनाया जाएगा तथा 900 सी एच सी को एफ आर यू में स्तरोन्नत किया जाएगा।
- 6500 स्वास्थ्य सुविधाओं में आर के एस को प्रचालनात्मक बनाया जाएगा।
- स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, एस सी, पी एच सी और सी एच सी को अबद्ध अनुदान दिए जाएंगे।
- स्थानीय स्वास्थ्य कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक एस सी, पी एच सी और सी एच सी को वार्षिक अनुरक्षण अनुदान दिया जाएगा।
- मार्च 2010 तक 325 जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिटों को प्रचालनात्मक बनाया जाएगा।
- उत्तम सेवा प्रदान करने के लिए सभी 600 जिला अस्पतालों को सुदृढ़ किया जाएगा।

3. आर सी एच शिथिलनीय पूल

14.1.17 प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आर सी एच) कार्यक्रम (चरण-I) का मूल्यांकन किया गया तथा आर सी एच चरण-II तैयार करते समय प्रमुख सिफारिशों को ध्यान में रखा गया। आर सी एच कार्यक्रम का दूसरा चरण सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित करने के लिए 1 अप्रैल 2005 (2005-06 के दौरान) शुरू किया गया तथा स्कीम आर सी एच शिथिलनीय पूल भी 2005-06 के दौरान शुरू किया गया। कार्यक्रम का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर संयुक्त समीक्षा मिशनों के अंतर्गत किया जाता है।

14.1.18 कार्यक्रम के नए डिजाइन की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित हैं: विकेंद्रीकृत योजना, राज्यों द्वारा शिथिलनीय कार्यक्रम तैयार करना, प्रारंभ में राज्य और बाद में जिला स्तर पी आई पी का विकास, विकेंद्रीकृत योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन, आउटकम अनुस्थापन, गरीबोन्मुखी बल, समुदाय आधारित मानीटरन और मूल्यांकन तथा दाता निधियन की पूलिंग।

14.1.19 उपलब्ध संसाधनों पर आधारित डिजाइन को कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी-अपनी पी आई पी तैयार करने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देशों के साथ-साथ एक पूर्व-निर्धारित (स्वास्थ्य संकेतक आधारित) वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराया गया था।

14.1.20 आर सी एच-II के शिथिलनीय पूल के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमें सम्मिलित हैं: (i) संभारतंत्रीय सुधार, (ii) संविदात्मक सेवाएं/ परामर्श, (iii) बाल स्वास्थ्य; (iv) आउटरीच सेवाएं; (v) शहरी मलिन बस्ती परियोजनाएं, (vi) सिविल कार्य (vii) मातृ स्वास्थ्य; (viii) एम टी पी सेवाएं; (ix) आर टी आई/ एस टी आई निवारण और प्रबंधन (x) रेफरल परिवहन; (xi) आर सी एच शिविर; (xii) सशक्त कार्रवाई समूह (ई ए जी); (xiii) बंध्यीकरण के लिए क्षतिपूर्ति, (xiv) जननी सुरक्षा योजना।

14.1.21 आर सी एच-II के अंतर्गत प्रमुख नीतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं: 24 घंटे की बुनियादी अनिवार्य प्रासविक और नवजात देखभाल के लिए 50 प्रतिशत पीएचसी का स्तरोन्नयन करते हुए संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरों पर बड़ी संख्या में प्रथम रेफरल यूनिटों को सक्रिय बनाकर आपातिक प्रासविक देख-रेख की सुलभता में वृद्धि करना, दक्ष जन्म परिचरों के रूप में ए एन एम/ एल एच वी/ स्टाफ नर्सों का प्रशिक्षण जो जटिल गर्भावस्था के प्रबंधन की देखभाल कर सकें, रेफरल पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को शिथिलता प्रदान करना, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव कराने के लिए परिवारों को प्रोत्साहित करना और नवजात और बाल्यावस्था रोगों के एकीकृत प्रबंधन को प्रचालनात्मक बनाना।

14.1.22 आर सी एच फ्लेक्सी-पूल के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कठोर मानकीय निर्धारणों का पालन करने पर जोर न देकर, स्कीम आधार की बजाए जरूरत के आधार पर योजना तैयार करने की छूट है। किंतु राज्यों को आर सी एच-II को कार्यान्वित करते समय भारत सरकार के मार्गनिर्देशों व उनके अपने-अपने वित्तीय तथा प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।

4. सूचना शिक्षा और संचार (आई ई सी)

14.1.23 संचार कार्यनीति का उद्देश्य जागरूकता को सुकर बनाना और हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर उत्तम स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता और उपलब्धता के संबंध में सूचना का प्रसार करना है। कार्यनीति का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसे स्वास्थ्य इच्छुक आचरण को प्रोत्साहित करना है जो जिस संदर्भ में लोग रह रहे हैं, उसके कार्यान्वयन योग्य हो। कार्यनीति के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं को मात्र सेवाओं के उपभोक्ताओं के रूप में नहीं बल्कि सेवाओं की मांग पैदा करने में प्रमुख प्रतिभागियों के रूप में देखा जाता है।

14.1.24 संचार कार्यनीति के अंतर्गत बहु-मिडिया साधनों के माध्यम से प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों के संबंध में आचरण परिवर्तन बनाए रखने पर बल दिया गया है। इसका अर्थ है स्वास्थ्य मुद्दे विशेष के बारे में मात्र सूचना देना और जागरूकता प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। जागरूकता और सूचना प्रसार को, स्वास्थ्य सेवा प्रावधानों की सुलभता में सुधार करने के लिए परिवर्तनों पर बल देने के लिए समुदाय को साधन उपलब्ध कराने के लिए साधनों के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

14.1.25 राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा के अंतर्गत आई ई सी कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए मानदण्डों का भी उल्लेख किया गया है। रूपरेखा के अंतर्गत समुदायों को शामिल करते हुए अनेक कार्यकलापों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आबंटन विनिश्चित करने की जरूरत है।

14.1.26 वर्ष 2008-09 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुईं:

- अभियान की केबल और उपग्रह टी.वी. चैनलों और रेडियो के माध्यम से निजी एफ एम की शुरूआत जिससे एन आर एच एम के संबंध में ब्रांड पहचान और राज्य स्तर पर नूतनताएं पुनर्बलित हुईं।
- राज्य स्तर पर कार्यान्वयन हेतु आंतर-संचार कार्यनीतियां।
- कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से एकीकृत आईईसी प्रबंधन, ईएजी राज्यों और असम से प्रसारित किए जा रहे प्रसार भारती के माध्यम से समाचार मेगजीन प्रारूप।
- एन आर एच एम की उपलब्धियों के संबंध में विशेष प्रकाशन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एन आर एच एम संदेश प्रसारित करने के लिए मेघदूत पोस्ट कार्ड।

5. वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण

14.1.27 वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम को मलेरिया, फिलारियासिस, काला अज़ार, जापानी मस्तिष्कशोथ (जे ई), डेंगू और चिकुनगुनिया जैसे रोगों के नियंत्रण और निवारण के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें से अनेक महामारी प्रधान हैं और इनमें मौसमी उतार-चढ़ाव होता है। उपरोक्त रोगों के निवारण और नियंत्रण के लिए द्विआयामीय कार्यनीति कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें सम्मिलित हैं: (i) रोग का पता लगाना और प्रबंधन, (ii) एकीकृत वेक्टर प्रबंधन (सम्प्रेषण जोखिम को कम करने के लिए), और (iii) उपायों के लिए समर्थन प्रदान करना (आचरण परिवर्तन संचार, सरकारी-निजी भागीदारी और प्रशिक्षण, मानीटरन व मूल्यांकन के माध्यम से क्षमता निर्माण)। वेक्टर-बोर्न रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना को एन आर एच एम के अंतर्गत राज्य पी आई पी के एकीकृत घटक के रूप में भी बनाया जाता है।

14.1.28 2010 तक काला अज़ार को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकारों द्वारा प्रचालन लागत को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए, सहायता प्रदान की जाती है जो काला अज़ार औषधियों, नैदानिक कीटों, ड्रगों और कीटानाशकों के अलावा है। चिकुनगुनिया ज्वर मामलों का पता और इलाज करने के लिए शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाओं और प्रमुख निगरानी अस्पतालों को भी मजबूत बनाया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

मलेरिया

- वार्षिक रक्त जाँच दर (ए बी ई आर) को निगरानी के तहत लक्षित आबादी के 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी।
- सात पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कीटनाशी उपचारित बेड नेट (आई टी बी एन) की निःशुल्क वितरण स्कीम के अंतर्गत बी पी एल परिवारों के 10 प्रतिशत का कवरेज।
- अंतरंग अवशिष्ट स्प्रे (आई आर एस) के अंतर्गत लक्षित आबादी का 80 प्रतिशत कवरेज।

लिमफेटिक फिलारिसिस का उन्मूलन

- 11 नवंबर 2009 को डी ई सी गोलियों के साथ व्यापक औषधि पिलाना (एम डी ए), उसके बाद 500 मिलियन आबादी वाले 20 स्थानिक मारी राज्यों में 12-13 नवंबर 2009 को पुनः राउण्ड लेना।

काला अज़ार

- प्रत्येक स्थानिक मारी जिलों में दर-दर जाकर खोज करने के कम से कम दो चक्र।
- सभी ब्लॉक स्तर पी एच सी और जिला अस्पतालों में काला अज़ार-रोधी औषधिंया उपलब्ध करना।
- डी डी टी 50 प्रतिशत के साथ लक्षित आबादी का 80 प्रतिशत कवरेज।

जापानी मस्तिष्कशोथ

- फोगिंग उपस्कर और सभी स्थानिक क्षेत्रों में कीटनाशकों की उपलब्धता।
- समय पर मामले के प्रबंधन के लिए स्थलिक मारी क्षेत्रों में सीएचसी और जिला अस्पतालों में उपलब्ध प्रशिक्षित टीमें।

डेंगू/चिकुनगुनिया

- वेक्टर प्रजातियों (एडिस एइगिप्टी) के लिए स्थान पर नियमित कीटविज्ञानीय निगरानी
- असामान्य प्रवृत्तियों का पता लगाने के लिए स्थानिक मारी क्षेत्रों में नियमित ज्वर निगरानी
- स्थानिक मारी क्षेत्रों में जिला अस्पतालों में डेंगू मामलों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना

14.1.29 प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मिडिया, अंतर-कार्मिक संचार, बाह्य प्रचार के माध्यम से गहन आई ई सी/ आचरण परिवर्तन संचार कार्यकलापों और साथ ही समुदाय आधारित उपाय करने के लिए सिविल सोसायटी संगठनों (एन जी ओ/ सी बी ओ/ स्वयंसेवी समूहों) के साथ अंतर-क्षेत्रकीय सहयोग पर भी बल दिया जाएगा।

14.1.30 दृष्टिकोण के अंतर्गत, उत्तम स्वास्थ्य देखभाल तक साम्य सुलभता के साथ वेक्टर बोर्न रोगों से मुक्त एक सुविज्ञ और स्वयंभू, स्वस्थ भारत की परिकल्पना की गई है। जहां कहीं एक निश्चित प्रतिमान में

वेक्टर बोर्न रोग सह-स्थानिक मारी हो तो नियंत्रक उपायों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण, एक मितव्ययी दृष्टिकोण के साथ मुख्य रूप से बल दिया जाएगा। वेक्टर बोर्न रोगों के नियंत्रण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगाः

- स्वास्थ्य कार्मिक और स्वास्थ्य स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण
- आचरण परिवर्तन संचार के उद्देश्य से आई ई सी का सुदृढ़ीकरण
- मानीटरन और पर्यवेक्षण
- कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना पद्धति (सी एम आई एस)
- कोटि आश्वासन (क्यु ए) और कोटि नियंत्रण (क्यु सी)
- रोग विशिष्ट उपाय

6. क्षयरोग नियंत्रण

14.1.31 प्रत्यक्ष रूप से प्रेक्षित उपचार अल्प कोर्स (डाट्स) का इस्तेमाल करते हुए, संशोधित क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन उपचार पर शुरू किए गए कम से कम 85 प्रतिशत नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों का उपचार करने के उद्देश्य से और ऐसे कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाकर, किया जा रहा है। मार्च 2006 से पूरे देश में मफ्त टी.बी. निदान और उपचार सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है।

14.1.32 2008 में, 1.51 मिलियन से अधिक रोगियों का इलाज शुरू किया गया है जो 2007 से लगभग 30,000 अधिक है। इसकी शुरुआत से 10 मिलियन से अधिक क्षयरोग रोगियों का इलाज शुरू किया गया है जिससे 1.8 मिलियन से अधिक अतिरिक्त जीवन बचाए जा सके। देश भर में सामान्य स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में 12,500 से अधिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध हैं जिन्हें विनिश्चित माइक्रोस्कापी केंद्र (डी एम सी) के नाम से जाना जाता है। रोगी-वार औषधि बाक्सों में निःशुल्क उत्तम कोटि की आश्वस्त टी-बी रोधी औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। कार्यक्रम में जनवरी 2007 से बाल-रोगी-वार औषधि बॉक्स लागू किए गए हैं।

14.1.33 नए संक्रामक टी.बी. मामलों की इलाज सफलता 85 प्रतिशत के विश्व बैंचमार्क को सतत रूप से पार कर गई है। 2008 में, आर एन टी सी पी ने 70 प्रतिशत से अधिक नई स्पूटम पाजिटिव मामले पता लगाने की दर (72 प्रतिशत) और 87 प्रतिशत की इलाज सफलता दर प्राप्त की है जो टी.बी. नियंत्रण के संबंध में विश्व लक्ष्यों के अनुरूप है। यह विश्व के कुछेक डी ओ टी एस कार्यक्रमों में से एक है, जिसके एन जी ओ और प्राइवेट चिकित्सकों की भागीदारी के लिए अधिकारिक तौर पर मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। आजकल इसे 25,000 से अधिक एन जी ओ का, 19500 निजी चिकित्सकों, 267 मेडिकल कालेजों (निजी कालेजों सहित) और 150 कारपोरेट घरानों का समर्थन प्राप्त है, जो डी ओ टी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

14.1.34 सभी श्रेणियों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई है, जो सामग्री की दृष्टि से माडुलर है और उसे आर एन टी सी पी में नई घटनाओं के अनुसार संशोधित किया गया है। राष्ट्रीय टी.बी. संस्थान, चेन्नै और बंगलौर द्वारा आयोजित मूल्यांकन अध्ययनों से विद्यमानता में लगभग 9-11 प्रतिशत वार्षिक कमी का पता चलता है। सात इर्द-गिर्द स्थलों, अर्थात चेन्नै, बंगलौर, वर्धा, नई दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा और जबलपुर में रोग विद्यमानता सर्वेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं।

14.1.35 टी.बी. नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त करने में कार्यक्रम की एक बड़ी चुनौती बहु-औषधि रोधी टी.बी. (एम डी आर-टी बी) है। हाल ही में गुजरात और महाराष्ट्र में आयोजित समुदाय-आधारित औषधि-रोधी निगरानी (डी आर एस) में नए मामलों में लगभग 3 प्रतिशत एम डी आर-टी बी की विद्यमानता का अनुमान लगाया गया है। निरपेक्ष संख्या की दृष्टि से भार काफी अधिक है। औषधि-रोधी टीबी के और विकास को रोकने का सर्वाधिक प्रभावी साधन आर एन टी सी पी डी ओ टी एस की कोटि बनाए रखने और सुधार करने के माध्यम से, औषधि रोधी टी.बी. के और विकास तथा और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात सभी स्वास्थ्य देख-रेख प्रदाताओं के बीच प्रथम और द्वितीय लाइन टी बी-रोधी औषधियों के तर्कसंगत उपयोग को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय कार्यक्रम ने, गुजरात और महाराष्ट्र में एम डी आर-टी बी के प्रबंधन के लिए डी ओ टी एस जमा सेवाएं प्रारंभ की हैं।

2009-10 के दौरान निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है:

- यह सुनिश्चित करना कि टी बी नियंत्रण के संबंध में विश्व लक्ष्य प्राप्त हो गए हैं और बने हुए हैं (अर्थात नए मलिन पाजिटिव टी.बी. मामलों के कम से कम 70 प्रतिशत का पता लगाना और उनमें से कम से कम 85 प्रतिशत का सफलतापूर्वक इलाज करना)।
- *बाह्य कोटि आश्वासन* : कोटि सुनिश्चित करने के लिए, देश भर में स्पूटम माइक्रोस्कापी का बाह्य कोटि आश्वासन लागू किया गया है। कार्यान्वित किए जा रहे प्रोटोकोल में हाल ही में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मार्गनिर्देशों की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है तथा कोटि सुनिश्चित करने के लिए सभी घटक शामिल हैं - स्थल मूल्यांकन, पैनल परीक्षण और शून्यरहित परस्पर-चैकिंग।
- *टी बी एच आई वी सहयोग* : आर्ट - डॉट्स संयोजन, रोग के उच्च स्तर पर एच आई वी पाजिटिव के संबंध में टी बी निदान संबंधी और उपचार सेवाओं की इष्टतम सुलभता सुनिश्चित करने के लिए एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के सभी 'कला' केंद्रों में, कायम किए जा रहे हैं।
- *औषधि रोधी निगरानी* : नए मामलों और पुनः इलाज मामलों के बीच औषधि-रोधी की विद्यमानता का पता लगाने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के राज्य में राज्यव्यापी समुदाय आधारित सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो और सर्वेक्षण चल रहे हैं तथा उड़ीसा में सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। निगरानी से रोध में प्रवृत्तियों का पता लगाकर कार्यक्रम के प्रभाव का मानीटरन करने में मदद मिलेगी।

- *एम डी आर-टी बी के लिए डॉट्स जमा सेवाएं* : देशभर में क्रमिक ढंग से बहु-औषधि-रोधी टी बी मामलों के लिए डॉट्स-जमा सेवाओं में उन्नयन।
- समान सेवा प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यकलापों पर बल देना:
  - अंतर-क्षेत्रकीय सहयोग
  - मेडिकल कालेजों को शामिल करना
  - आई ई सी कार्यकलाप
  - जनजातीय व अन्य उपेक्षित समूहों के लिए सुलभता में सुधार करने के लिए जनजातीय कार्रवाई योजना

7. दृष्टिहीनता का नियंत्रण

14.1.36 विश्व में अनुमानतः 37 मिलियन दृष्टिहीनों में से 7 मिलियन (18.5 प्रतिशत) भारत में हैं। भारत में दृष्टिहीनता के प्रमुख कारण हैं: मोतियाबिंद (62 प्रतिशत), और अपवर्तन त्रुटि (20 प्रतिशत)। 1976 में शुरू किए गए राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम को एक विकेंद्रीकृत ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा वित्तपोषण की पद्धति राज्य/जिला स्वास्थ्य सोसायटियों को सहायता-अनुदान के रूप में है। कार्यक्रम के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं: दृष्टिहीनों का पता लगाकर और इलाज करके दृष्टिहीनता के बकाया मामलों को कम करना, प्रत्येक जिले में नेत्र देखभाल सुविधाएं विकसित करना, नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकसित करना, सेवा प्रदाय की कोटि में सुधार करना और नेत्र देखभाल में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी प्राप्त करना।

14.1.37 कार्यक्रम के मुख्य कार्यकलापों में सम्मिलित हैं: मोतियाबिंद आपरेशन, स्कूल-नेत्र-जांच सत्र, नेत्रदान को प्रोत्साहित करना, नेत्ररोग सर्जनों का प्रशिक्षण, आई ई सी और स्वैच्छिक संगठनों की सहायता। कार्यक्रम के अंतर्गत 2020 तक दृष्टिहीनता की विद्यमानता को 0.3 प्रतिशत तक कम करने की परिकल्पना की गई है।

14.1.38 भारत में नेत्र देखभाल अवसंरचना और मानव संसाधनों के संबंध में किए गए हाल ही के अध्ययन से पता चलता है कि सभी नेत्र देखभाल सुविधाओं में से 50% निजी क्षेत्रक में हैं तथा सभी नेत्र बिस्तर का 42 प्रतिशत स्वैच्छिक क्षेत्रक में हैं। सरकारी क्षेत्रक का योगदान सुविधाओं का 30 प्रतिशत तथा नेत्र बिस्तरों का 28 प्रतिशत है। 37 प्रतिशत नेत्र सर्जन सरकारी क्षेत्रक में नियुक्त थे तथा शेष निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रक के बीच बराबर-बराबर विभाजित थे। अध्ययन में नेत्र देखभाल सुविधाओं और मानव संसाधनों में व्यापक अंतर-राज्य भिन्नताएं देखने में आई हैं।

वर्ष 2009-10 के लिए, कार्रवाई योजना में सम्मिलित हैं:

- जिला स्वास्थ्य सोसायटियों के माध्यम से स्कीम का विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन;

- 50 वर्ष से अधिक आयु की आबादी की सक्रिय रूप से जांच करके दृष्टिहीन व्यक्तियों के बकाया रहते मामलों में कटौती, नेत्र जाँच शिविरों का आयोजन करना और आपरेशन योग्य मामलों को नेत्र देखभाल सुविधाओं तक ले जाना;
- विभिन्न नेत्र देखभाल कार्यकलापों में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी;
- ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं आयोजित करने में समुदाय और पंचायत राज संस्थानों की भागीदारी;
- कार्मिकों के प्रशिक्षण, उच्च तकनीक नेत्र उपचार उपस्करों की आपूर्ति, अनुवर्ती सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और सेवाओं के नियमित मानीटरन द्वारा नेत्र देखभाल सेवा का विकास और नेत्र देखभाल की कोटि में सुधार;
- रिफ्रेक्टिव त्रुटियों के विनिर्माण और उपचार के लिए अल्प-सेवित क्षेत्रों में विशेष ध्यान देते हुए, स्कूल आयु समूह बच्चों की जाँच;
- नेत्र रोगों की रोकथाम और समय पर उपचार के बारे में सार्वजनिक जागरूकता;
- ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षर महिलाओं पर विशेष बल। इस प्रयोजनार्थ, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विभिन्न चल रही स्कीमों के साथ अभिसरण किया जाना चाहिए।
- नेत्र देखभाल को व्यापक बनाने के लिए, मोतियाबिंद सर्जरी के अलावा, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुकोमा मेनेजमेंट, लेजर तकनीक, कोरिनअल ट्रांसप्लानटेशन विट्रोरेटिनल सर्जरी, बाल्यावस्था दृष्टिहीनता के इलाज जैसे अन्य नेत्र रोगों के लिए सहायता का प्रावधान;
- पूर्वोत्तर राज्यों और कुछ अन्य राज्यों में जरूरत के मुताबिक जिला अस्पतालों में समर्पित नेत्र वार्डों और नेत्र ओ टी का निर्माण;
- पूर्वोत्तर राज्यों में व अन्य पर्वतीय राज्यों में चल नेत्र रोग चिकित्सा यूनिटों का विकास जो टेली-आप्थलमिक नेटवर्क और कुछ निश्चित माडलों के साथ जुड़े हों;
- उप-जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर निजी चिकित्सकों की भागीदारी।

8. कुष्ठ उन्मूलन

14.1.39 प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान द्वारा आयोजित कुष्ठ उन्मूलन मानीटरन के माध्यम से (2002, 2003 और 2004 में आयोजित), नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया है। विश्व बैंक सहाय्यित द्वितीय राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन परियोजना के अंत में कार्यक्रम उपलब्धि स्थिति का आकलन करने के लिए भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान (आई आई एच एम आर), जयपुर द्वारा फरवरी-मई 2005 के दौरान एन एल ई पी का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया गया था। यह अध्ययन 13 विभिन्न स्थानिक-मारी राज्यों में किया गया था। इस अध्ययन के निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष हैं:

- विद्यमानता मार्च 2001 में 3.74 से कम होकर दिसम्बर 2004 में 1.99 हो गई, 47 प्रतिशत की कटौती। लगभग सभी राज्यों में मल्टी-बेसिलरी (एम बी) अनुपात में वृद्धि हो गई तथा नए मामलों में महिलाओं की प्रतिशतता 35.5 प्रतिशत से बढ़कर 36.2 प्रतिशत हो गई। अधिकांश राज्यों में बाल प्रतिशतता में कमी आई, जिससे संप्रेषण में नियंत्रण का पता चलता है। नए मामलों में ग्रेड-II अयोग्यता की प्रतिशतता में पर्याप्त रूप से कमी आई जो मार्च 2001 में 2.24 प्रतिशत से कम होकर दिसंबर 2004 में 1.5 प्रतिशत हो गई।
- निदान में माध्यमिक देरी 8 महीने से कम होकर 5 महीने हो गई। 80 प्रतिशत से अधिक सुविधाओं ने एकीकरण पूरा कर लिया किंतु शहरी क्षेत्रों में एकीकरण प्रक्रिया असंतोषजनक थी। एम डी टी सेवाओं की कोटि अत्यंत संतोषजनक पाई गई। समग्र एम बी उपदान दर 88 प्रतिशत थी तथा पोसिबासिलरी (पी बी) उपचार दर 94 प्रतिशत थी। लगभग 80 प्रतिशत सामान्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कुष्ठरोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
- जागरूकता का स्तर उच्च था किंतु कुल मिलाकर स्थिर था। आई ई सी अधिक उच्च जोखिम केंद्रिक और कम समुदाय केंद्रिक था। एकीकरण के विरुद्ध बाधाओं को कमजोर बनाने में एन जी ओ अत्यंत उपयोगी थे।

14.1.40 प्रमुख सिफारिशें थीं: (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर आंतरिक मानीटरन पद्धति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए; (ख) मामलों, रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श देने पर बल दिए जाने की जरूरत है; (ग) सामुदायिक जागरूकता का प्रसार करने के लिए, उच्च स्थानिक-मारी क्षेत्रों के लक्ष्य समूहों का पता लगाया जाना चाहिए तथा अंतर-वैयक्तिक संचार (आई पी सी) के संबंध में प्रयास किया जाना चाहिए, (घ) आई ई सी संदेशों में निम्न स्थानिक-मारी क्षेत्रों में समुदाय को भी लक्षित किया जाना चाहिए, (ड.) जिला तकनीकी सहायता टीमों (डी टी एस टी) द्वारा गहन रूप से जिला न्युक्लियस टीमों के क्षमता निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए।

14.1.41 कार्यक्रम मानीटरन - अभी तक एक निश्चित क्षेत्र की विद्यमानता दर पर अधिक बल दिया जाता था, जो मुख्यतः उन्मूलन स्थिति प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ था। यह संकेतक अभी भी जारी रहेगा, जहां उन्मूलन अभी प्राप्त किया जाना है। स्थिति का बेहतर विश्लेषण करने के लिए धीरे-धीरे वार्षिक नए मामले पता लगाने की दर (ए एन सी डी आर) पर बल दिया जा रहा है। राज्यों/ जिलों को त्रैमासिक आधार पर इस संकेतक का आकलन करने की सलाह दी गई है।

वर्ष 2008-09 के संबंध में कार्रवाई योजना है:

- सभी राज्यों और जिलों में मार्च 2012 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में कुष्ठरोग का उन्मूलन प्राप्त करना;
- ए एन सी डी आर को सभी राज्यों में 2012 तक <1 प्रति 1,00,000 आबादी तक कम करना

- नए मामलों के बीच 2006-07 के 25 प्रतिशत द्वारा नए मामलों के बीच ग्रेड II अयोग्यता को कम करना;

14.1.42 लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, कुष्ठरोग निदान कायम रखने और सभी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में उपचार सेवाएं बनाए रखने का प्रस्ताव है, अर्थात पी एच सी, औषधालय, जिला अस्पताल आदि। उच्च स्थानिक-मारी जिलों, ब्लॉकों और शहरी क्षेत्रों में गहन कार्यक्रम कार्यकलाप आयोजित किए जाएंगे। आई ई सी कार्यकलापों में, अयोग्यता निवारण और मेडिकल पुनर्वास सेवाओं में वृद्धि करने के साथ-साथ, तेजी लाने की जरूरत है।

9. एकीकृत रोग निगरानी

14.1.43 विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित एकीकृत रोग निगरानी परियोजना (आई डी एस पी), विभिन्न संचारी रोगों और गैर-संचारी रोगों के जोखिम कारक के साथ निगरानी पद्धति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, नवंबर 2004 से कार्यान्वित की जा रही है जिससे कि बीमारी फैलने की स्थिति में विशेष उपाय किए जा सकें।

वर्ष 2009-10 के लिए कार्रवाई योजना में सम्मिलित हैं:

- 510 जिला निगरानी अधिकारियों का प्रशिक्षण।
- चरण III राज्यों की 139 जिला निगरानी टीमों का प्रशिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा।
- 800 स्थलों के लिए (राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, राजकीय मेडिकल कालेज और महत्त्वपूर्ण संरचना) ब्राडबैंड नेटवर्क कायम किया जाएगा।
- सभी जिला और राज्य प्रयोगशालाओं को एपिडेमियोलाजिस्टों, माइक्रोबायोलोजिस्टों और एनटोमोलोजिस्टों के साथ सुदृढ़ बनाया जाएगा।
- सभी जिलों से महामारी-प्रधान रोग फैलने के संबंध में डेटा संग्रहण तथ विश्लेषण किया जाएगा।
- रोग निगरानी में आई डी अस्पतालों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
- सभी जिलों की संदर्भ प्रयोगशाला नेटवर्किंग के संबंध में माडल योजना 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में पूरी की जाएगी।

एन आर एच एम से बाहर स्कीमों का ब्योरा

संचारी रोग

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

14.1.44 कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य, रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार के संबंध में कार्यक्रमों को एकीकृत करके अगले पांच वर्षों के दौरान भारत में महामारी को रोकना और उलटना है। इसे चार नीतिगत उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, नामतः

- उच्च जोखिम समूह और आम आबादी में नए संक्रमणों की रोकथाम
- एच आई वी/एड्स वाले (पी एल एच ए) बड़ी संख्या में लोगों की अधिक देखभाल, सहायता और उपचार की व्यवस्था करना।
- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार कार्यक्रम में अवसंरचना, प्रणाली और मानव संसाधनों को सुदृढ़ करना।
- एक राष्ट्र-व्यापी नीतिगत सूचना प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ीकरण।
- विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित द्वारा नए संक्रमणों को कम करना है:
- उच्च विद्यमानता राज्यों में 60 प्रतिशत जिससे कि महामारी को उलटा जा सके; और
- भेद्य राज्यों में 40 प्रतिशत जिससे कि महामारी को स्थिर किया जा सके।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

- वाणिज्यिक सेक्स वर्करों (सी एस डब्ल्यु), पुरुषों के साथ सेक्स करने वाले पुरुष (एम एस एम) और इंजेक्शन के जरिए औषधियों (आई डी यू) के लिए 364 टी आई के लक्ष्यों के विरुद्ध 413 नई लक्षित उपाय (टी आई) परियोजनाएं।
- 40 रक्त संघटक पृथक्करण यूनिटों की स्थापना के लक्ष्य के मुकाबले 19 नए रक्त संघटक पृथक्करण यूनिट स्थापित किए गए।
- जिला स्तर पर चार रक्त कोष स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले जिला स्तर पर 3 नए रक्त कोष स्थापित किए गए।
- एच आई वी/एड्स (पी एल एच ए) वाले 2,17,781 व्यक्तियों को एंटी-रेट्रो-वायरल थेरेपी (ए आर टी) प्रदान की गई जबकि लक्ष्य 1,81,000 पी एल एच ए का था।
- 88 नए सामुदायिक देखभाल केंद्र स्थापित किए गए जबकि लक्ष्य 59 सामुदायिक देखभाल केंद्र स्थापित करने का था।
- 460 नए एकीकृत काउंसलिंग और परीक्षण केंद्र (आई सी टी सी) स्थापित किए गए जबकि लक्ष्य 583 आई सी टी सी स्थापित करने का था।
- 56.2 लाख माताओं के लक्ष्य के मुकाबले 46.31 लाख माताओं की काउंसलिंग की गई और आई सी टी सी में परीक्षण किया गया, जिनमें से 21.5 लाख माताएं एच आई वी पाजिटिव पाई गईं। 10,494 माता बेबी युगलों को नेविरापाइन की प्रोफिलक्सिस खूराक दी गई।
- 66.7 लाख सेक्सुअली संचारित संक्रमण (एस टी आई) घटनाओं का 2008-09 के दौरान प्रबंधन किया गया।

- पी एल एच ए के लिए मुफ्ट एंटी-रेट्रोवायरल उपचार (ए आर टी) 248 केंद्रों तक बढ़ा दिया गया है।
- एच आई वी/एड्स (सी एल एच ए) पीड़ित 63,138 बच्चे ए आर टी केंद्रों में एच आई वी देखभाल के लिए पंजीकृत किए गए हैं और नवंबर 2009 की स्थिति के अनुसार 18020 को मुफ्त ए आर टी प्राप्त हुआ।
- सूचना और संचारः रेड रिबन एक्सप्रेस परियोजना ने 180 जिलों/हाल्ट स्टेशनों को कवर करते हुए, 1 दिसंबर 2008 को अपनी यात्रा पूरी की।
- गर्भनिरोधक प्रोन्नयनः 221.31 करोड़ गर्भनिरोध वितरित किए गए, जिनमें से सामाजिक विपणन द्वारा 83.53 करोड़, मुफ्त वितरण द्वारा 74.65 करोड़ और वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से 63.13 करोड़ सम्मिलित हैं।

वार्षिक योजना 2009-10 के लिए लक्ष्य

- आधान औषधि में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एक-एक लाख यूनिट की क्षमता के साथ चार मेट्रो रक्त कोष नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नै और कोलकाता में स्थापित किए जा रहे हैं।
- 1.5 लाख लिटर प्लाज्मा से अधिक वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता के साथ एक प्लाज्मा फ्रेक्शनेशन केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
- स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि एकत्रित रक्त यूनिटों में उसका हिस्सा 75 प्रतिशत हो सके।
- रक्त भण्डारण केंद्रों के साथ नेटवर्क कायम करने के लिए 500 जिलों में रक्त कोष वैनों की व्यवस्था के साथ 512 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रक्त भण्डारण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- काउंसलिंग और परीक्षण सेवाओं का विस्तार सभी सी एच सी और 24 पी एच सी में 'क' तथा 'ख' जिलों में और 'ग' तथा 'घ' जिलों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया जा रहा है।
- सेक्सुअली संचारित संक्रमण के एक करोड़ मामलों को कवर किया जाएगा।
- पी एल एच ए को कवर करने के लिए श्रम मंत्रालय के आर एस बी वाई के साथ एच आई वी/एड्स को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
- उच्च जोखिम समूहों के लिए टी आई परियोजनाओं की संख्या 1476 तक बढ़ाई जाएगी।
- 13 लाख आउटलेटों के जरिए सामाजिक विपणन के माध्यम से 62.5 करोड़ गर्भनिरोधक वितरित किए जाएंगे।

- 25,000 एच आई वी पाजिटिव गर्भवती महिलाओं को एंटीरेट्रोविरल ड्रग प्रोफिलक्सिस प्रदान किए जाएंगे।
- 297 ए आर टी केंद्रों और 440 लिंक ए आर टी केंद्रों के माध्यम से 2.7 लाख प्रौढ़ों और 17,000 बच्चे पी एल एच ए को मुफ्त ए आर टी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- किसी भी केंद्र पर ए आर टी की सुलभता हेतु छः उच्च विद्यमानता राज्यों और दिल्ली में 50,000 स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

गैर-संचारी रोग

2. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

14.1.45 भारत में मौतों के दस बड़े कारणों में एक बड़ा कारण कैंसर बन गया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 7 से 9 लाख मामले घटते हैं। किसी एक समय पर देश में लगभग 25 लाख मामले होने का अनुमान है। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्टरी कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या-आधारित रजिस्टरों से डेटा से पता चलता है कि पिछले वर्षों के दौरान कैंसर के प्रमुख स्थल अपरिवर्तित रहे हैं, अर्थात मुख कोटर, फेफडे, ग्रासनली और उदर पुरुषों में और ग्रीवा, वष तथा मुख कोटर महिलाओं में। कैंसर, नामतः मुख और फेफडे पुरुषों में और ग्रीवा व वक्ष महिला में भारत में सभी कैंसर मौतों में 50 प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं। डब्ल्यु एच ओ का अनुमान है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में मुख कैंसरों के 91 प्रतिशत मामले प्रत्यक्ष रूप से तम्बाकू के इस्तेमाल की वजह से होते हैं और भारत में यह मुख कोटर और फेफडे कैंसर का प्रमुख कारण है।

14.1.46 कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों की मात्रा और कार्यक्षेत्र में वृद्धि होने से कार्यक्रम को संशोधित किया गया। संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत एन सी सी पी के लक्ष्य और उद्देश्य हैं:

- स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा कैंसर की प्राथमिक रोकथाम, विशेष रूप से तम्बाकू खपत के संकटों और सरवाइकल कैंसर के निवारण के लिए गुप्तांगों की स्वच्छता।
- गौण रोकथाम, अर्थात कैंसर की शीघ्र पहचान और निदान, उदाहरण के लिए ग्रीवा का कैंसर, वक्ष और ओरोफरीगंल कैंसर, जाँच-पड़ताल पद्धतियों द्वारा और स्व-जाँच पद्धतियों के संबंध में रोगी शिक्षा।
- विद्यमान कैंसर उपचार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, जो अत्यंत अपर्याप्त है।
- कैंसर के टर्मिनल स्तर पर उपशामक देखभाल।

14.1.47 संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत 5 स्कीमें हैं:

- नए क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों (आर सी सी) को मान्यताः नए आर सी सी के लिए 5.00 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान दिया जा रहा है।

- विद्यमान आर सी सी का सुदृढ़ीकरणः विद्यमान आर सी सी के लिए 3.00 करोड़ रुपए का एकंबारगी अनुदान दिया जाता है।
- ओनकोलाजी स्कंध का विकासः सरकारी संस्थानों के लिए (मेडिकल कालेज और साथ ही सरकारी अस्पताल) अनुदान की राशि बढ़ाकर 3.00 करोड़ रुपए कर दी गई है।
- जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रमः सहायता-अनुदान की राशि 5 वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ाकर 90.00 लाख रुपए कर दी गई है।
- विकेंद्रीकृत एन जी ओ स्कीमः आई ई सी कार्यक्रलापों के लिए एन जी ओ के लिए प्रति शिविर 8000/- रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान उपलब्धियां

- कैंसर अस्पताल, अगरतला को नए आर सी सी के रूप में मान्यता दी गई है तथा आर सी सी के रूप में अमृतसर, पंजाब की मान्यता विचाराधीन है।
- आर सी सी हैदराबाद और आर सी सी नागपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए निधियां जारी की गई हैं।
- नागा अस्पताल, कोहिमा; एम एन मेडिकल कालेज, जोधपुर और जी जी एस मेडिकल कालेज, फरीदकोट के लिए वित्तीय सहायता जारी की गई है।
- 16 जिलों के लिए, सिक्किम के चार जिले सहित, वित्तीय सहायता जारी की गई है।
- बी पी एल कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर ए एन) के माध्यम से 100 करोड़ रुपए की कोरपस निधि के साथ स्वास्थ्य मंत्री का सामान्य रोगी कोष स्थापित किया गया है।

वार्षिक योजना 2009-10

14.1.48 आर सी सी, शिमला के लिए 2009-10 के दौरान ओनकोलाजी स्कंध के विकास के लिए धन मंजूर किया गया है।

3. **तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम** : कार्यक्रम का उद्देश्य धीरे-धीरे तम्बाकू में कटौती करना है।

2008-09 के दौरान उपलब्धियां

- कुल 24 जिलों के साथ प्रत्येक राज्य में दो-दो जिलों के साथ 12 और राज्यों में राज्य तम्बाकू नियंत्रण सैल कायम किए गए (2007-08 में 9 राज्यों के 18 जिलों में प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू किया गया)।
- प्रसार भारती, प्रिंट मिडिया व अन्य जन संचार माध्यमों के जरिए अधिक आई ई सी कार्यकलाप।
- तंबाकू के स्थान पर वैकल्पिक फसल पद्धति के संबंध में प्रायोगिक अध्ययनों के लिए केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान (सी टी आर आई) के लिए धन जारी किया गया।

- प्रथम प्रौढ़ तम्बाकू सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए धन जारी किया गया।

कार्रवाई योजना 2009-10

- आई ई सी अभियान के लिए धन जारी किया गया।
- आई आई पी एस, मुंबई द्वारा विश्व प्रौढ़ तम्बाकू सर्वेक्षण (जी ए टी एस) आयोजित किया जा रहा है।

4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

14.1.49 अनेक मानसिक अव्यवस्थाएं, जिनमें शिजेफ्रेनिया, बाईपोलर डिस्आर्डर, आर्गनिक साइकोसिस और बड़ा अवसाद लगभग 20 प्रति हजार आबादी को प्रभावित करती हैं। इस अनुमान के अनुसार हमारे देश में लगभग दस मिलियन लोग गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनका पर्याप्त उपचार नहीं होता। अधिक से अधिक लोगों का कभी उपचार नहीं होता।

14.1.50 देशभर में 16 राज्यों में 37 राज्य संचालित मानसिक अस्पताल, लगभग 20,000 मानसिक रोग बिस्तर हैं (मानसिक अस्पतालों और सामान्य अस्पताल मनःचिकित्सा यूनिट)। 18,000 से कुछ अधिक मानसिक अस्पताल बिस्तरों में से लगभग आधे एल एस पी (दीर्घावधिक वाले रोगी) द्वारा घिरे हुए हैं। देश में लगभग 3500 प्रशिक्षित मनःचिकित्सक उपलब्ध हैं।

2008-09 के दौरान उपलब्धियां

- 7 पुराने डी एम एच पी और नए जिलों के लिए अनुदान जारी किए गए।
- 3 मानसिक अस्पतालों के आधुनिकीकरण और 10 मेडिकल कालेजों के मनःचिकित्सा स्कंध के स्तरोन्नयन के लिए धन जारी किया गया।

कार्रवाई योजना 2009-10

- एक मेडिकल कालेज/ सामान्य अस्पताल के मनःचिकित्सा स्कंधों का स्तरोन्नयन।
- दस उत्कृष्टता केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 23 पी जी विभागों का कार्य शुरू करना।
- आई ई सी कार्यकलापों के अंतर्गत 12 भाषाओं में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर मिडिया अभियान को जारी रखना सम्मिलित है।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का मूल्यांकन पूरा करना।

अन्य स्कीमें/उप-स्कीमें

5. ट्रामा केयर में क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता

14.1.51 732.75 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत के साथ स्वर्ण चतुर्भुज/उत्तर-दक्षिण गलियारे और पूर्व-पश्चिम गलियारे के साथ-साथ स्थित 140 विनिर्धारित राज्य सरकार अस्पतालों में ट्रामा केयर सुविधाओं के उन्नयन के लिए एक कार्यक्रम।

14.1.52 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रामा केयर सुविधाओं की स्थापना के लिए स्कीम को और सुदृढ़ किया जाएगा। पूर्व-निश्चित एल III और एल II स्तरों तक स्तरोन्नयन के लिए 92 संस्थानों को धन जारी किया जाएगा। इसके अलावा, एल III और एल II मानकों तक स्तरोन्नयन के लिए अतिरिक्त 160 संस्थानों का विनिर्धारण और निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ-साथ, मंत्रालय आघातों के संबंध में भी डेटा पूर्ण और प्रकाशित करेगा जिसे प्रचालनरत ट्रामा केंद्रों से एकत्र किया जाएगा। इस डेटा का उपयोग स्कीम को और परिष्कृत करने के लिए किया जाएगा।

वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान उपलब्धियां

- निर्माण करने तथा मानव संसाधन तैनात करने के लिए विभिन्न राज्यों में 56 ट्रामा केयर केंद्रों के लिए 62.29 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- ट्रामा केयर केंद्रों के लिए उपस्करों की आपूर्ति के वास्ते मेसर्स एच एल एल के लिए 48.05 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

वार्षिक योजना 2009-10 के लिए लक्ष्य

वर्ष 2009-10 के दौरान 19 विनिर्धारित अस्पतालों/ संस्थानों के लिए 14.91 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की जानी है।

6. केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम

14.1.53 केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य स्कीम भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों, पेंशनरों, स्वतंत्रता सेनानियों व अन्य पात्र श्रेणियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है। यह स्कीम मूलतः 1954 में दिल्ली में शुरू की गई थी तथा तब से इसे 23 नगरों में लागू कर दिया गया है। एक कल्याणकारी उपाय होने के नाते यह स्कीम सभी पात्र श्रेणी के व्यक्तियों के लिए एक वरदान के रूप में सिद्ध हुई है और परिणामतः विभिन्न इलाकों से, अर्थात केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, कर्मचारी एसोसिएशनों, पेंशनर एसोसिएशनों, स्वायत्त निकायों आदि से इस स्कीम का विस्तार करने की मांग की जा रही है किंतु संसाधन तंगी की वजह से सरकार संभावित लाभार्थियों की मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी, पात्र श्रेणियों को संतुष्ट करने का प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

14.1.54 लाभार्थियों के अनुरोध और नए नगर के लिए सी जी एच एस का विस्तार करने के संबंध में वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के स्टाफ निरीक्षण यूनिट द्वारा यथानिर्धारित नगर में कार्डधारियों के लिए मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए, एक क्रमिक ढंग से योजनाएं तैयार की गई हैं।

कार्रवाई योजना 2009-10

- सी जी एच एस का कंप्यूटरीकरण चेन्नै, नागपुर और कोलकाता में पूरा हो गया है तथा हैदराबाद और पुणे में अपने अंतिम चरण में है। शेष नगरों में कंप्यूटरीकरण का कार्य जनवरी 2010 तक पूरा हो जाएगा।
- दिल्ली में 'आयुष' औषधालयों को कंप्यूटरीकृत करने का काम प्रगति पर है।

7. अखिल भारतीय भेषज विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

14.1.55 संसद के एक अधिनियम के अधीन 1956 में स्थापित 'एम्स' ने स्वास्थ्य विज्ञानों के क्षेत्र में एक अनूठा स्थान प्राप्त किया है। इसे मेडिकल शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में माना जाता है। पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के कार्यकलापों का विस्तार हुआ है और इसका पर्याप्त रूप में फैलाव हुआ है। 'एम्स' के प्रमुख उद्देश्य और कार्य निम्नलिखितानुसार हैं:

- मेडिकल और सम्बद्ध शारीरिक और जीवविज्ञानीय विज्ञानों में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण
- नर्सिंग और डेंटल शिक्षा
- मेडिकल शिक्षा में नूतनताएं
- देश के लिए मेडिकल शिक्षक उपलब्ध कराना
- मेडिकल और सम्बद्ध विज्ञानों में अनुसंधान
- स्वास्थ्य देख-रेख : निवारक, प्रोत्साहक और उपचारात्मक, प्राथमिक, गौण और तृतीयक
- समुदाय-आधारित शक्षण और अनुसंधान

14.1.56 'एम्स' के अग्रणी कार्य क्षेत्रों में सम्मिलित हैं: कार्डिअक केथेटेराइजेशन, हार्ट वाल्व सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट, आई बैंकिंग, स्टेरेओटेक्टिक रेडियोथेरेपी, एनडोस्कापिक सर्जरी, नेओनेटाल सर्जरी, कोचलिअर इम्प्लांट, हार्ट, केडेवर, किडनी और बोन मेरो ट्रांसप्लांट, कोरनिअल ट्रांसप्लांट सर्जरी, लेजर रिफ्रेक्टिव सर्जरी, लेजर एप्लीकेशन फॉर एनडोस्कापिक यूरिनरी एण्ड हाई जेस्टिव ट्रेक्ट सर्जरी और कीहोल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी।

14.1.57 सतत कार्यकलापों, सुदृढ़ीकरण/ स्तरोन्नयन और विस्तार, मशीन और उपस्कर की खरीद, पुस्तकों की खरीद सहित, निर्माण कार्यकलापों को पूरा करने और रोगी देखभाल पद्धति के कंप्यूटरीकरण के लिए धन की आवश्यकता है।

8. पी जी आई एम ई आर, चंडीगढ़

14.1.58 स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ को संसद के अधिनियम (1966 का अधिनियम 51) के तहत 1 अप्रैल 1967 को एक 'राष्ट्रीय महत्त्व' का संस्थान घोषित किया गया और यह एक स्वायत्त निकाय बन गया। अस्पताल, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर के निकटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को मेडिकल सुविधाएं प्रदान करता है।

14.1.59 संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं:

- अवर-स्नातक और मेडिकल-पश्चात शिक्षा के शिक्षण की पद्धतियां विकसित करना।
- स्वास्थ्य कार्यकलापों की महत्त्वपूर्ण शाखाओं में कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उच्चतम किस्म की शैक्षिक सुविधाएं एक ही स्थान पर इकट्ठी प्रदान करना।
- विशेषज्ञों और मेडिकल शिक्षकों की देश की जरूरत को पूरा करने के लिए स्नातकोत्तर मेडिकल शिक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।

कार्रवाई योजना 2009-10

- नेहरू अस्पताल का आधुनिकीकरण
- अनुसंधान ब्लॉकों का आधुनिकीकरण
- उन्नत ट्रामा केयर, चरण II का निर्माण
- उन्नत कार्डियक केंद्र
- उन्नत नेत्र केंद्र
- रिहायशी घरों और होस्टलों का पुनरुद्धार और निर्माण
- वर्षा जल सीवर
- विभिन्न विभागों का सुदृढ़ीकरण

9. जे आई पी एम ई आर, पुदुचेरी

14.1.60 यह संस्थान, पांडिचेरी फ्रेंच कालोनी के भारत के संघ में वास्तविक हस्तांतरण के तुरंत बाद धनवंतरी मेडिकल कालेज के रूप में 1956 में शुरू किया गया था। संस्थान के मुख्य उद्देश्य, जो पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है, अवर-स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के लिए माडल मेडिकल शिक्षा प्रदान करना, एक तृतीयक और रेफरल अस्पताल के रूप में रोगी देखभाल करना और अनुसंधान आयोजित करना है। जे आई पी एम ई आर अस्पताल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के निकटवर्ती जिलों से लोगों की सेवा करता है। अधिकांश रोगी निचली समाजार्थिक श्रेणी से होते हैं। यद्यपि बाह्य रोगियों की संख्या में अपार रूप से वृद्धि

हुई है, तथापि अंतरंग रोगियों के प्रवेश में काफी सीमा तक वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि पिछले दशक के दौरान बिस्तरों की क्षमता में मामूली सी वृद्धि हुई है। इस संस्थान में इस समय बिस्तरों की संख्या 912 है।

14.1.61 सी सी ई ए ने, केंद्रीय शिक्षा संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 पर अमल करने के लिए 384.00 करोड़ रुपए की कुल लागत से जे आई पी एम ई आर, पुदुचेरी में शिक्षण ब्लॉक, महिला और बाल अस्पताल, नया अस्पताल परिसर की स्थापना और विशेषज्ञताओं में सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दे दी है। 32.00 करोड़ रुपए की कुल लागत से जे आई पी एम ई आर, पुदुचेरी में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को सज्जित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।

10. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और मेडिकल विज्ञान संस्थान (एन ई आई जी आर आई एच एम एस)

14.1.62 एन ई आई जी आर आई एच एम एस को 'एम्स', नई दिल्ली और पी जी आई एम ई आर, चंडीगढ़ की तरह एक स्नातकोत्तर मेडिकल संस्थान के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां 500 बिस्तर वाला एक रेफरल अस्पताल और प्रति वर्ष 50 छात्रों की दाखिला क्षमता वाले एक नर्सिंग कालेज के साथ 35 विशेषज्ञताओं/अति विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण प्रदान किया जाता है। परिव्यय निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए है: एन ई आई जी आर आई एच एम एस में चल रहे निर्माण कार्य को पूरा करना। अस्पताल को पूर्णतः कार्यात्मक बनाने के लिए मेडिकल उपस्कर की खरीद। उपरोक्त कार्यकलापों के अंतर्गत निर्माण कार्य को पूरा करने पर प्रत्याशित खर्च और उपस्कर की खरीद तथा निम्नानुसार अतिरिक्त कार्यकलाप सम्मिलित हैं:

- नर्सिंग कालेज का विस्तार
- एक क्षेत्रीय कैंसर केंद्र की स्थापना करना
- यू.जी. पाठ्यक्रम शुरू करना

11. नर्सिंग सेवाओं का विकास

14.1.63 नर्सिंग सेवाओं की कोटि सुधारने के उद्देश्य से, नर्सिंग सेवाओं के विकास की स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं:

- नर्सों का प्रशिक्षण
- विद्यमान नर्सिंग स्कूलों/कालेजों का सुदृढ़ीकरण
- मेडिकल कालेजों से संलग्न नर्सिंग स्कूलों को 6.00 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान उपलब्ध कराकर, जिसमें आवर्ती और अनावर्ती सहायता सम्मिलित है, नर्सिंग कालेजों में स्तरोन्नत करना।
- नौवीं योजना के दौरान खोले गए नर्सिंग स्कूलों को आवर्ती सहायता प्रदान करना।
- जे आई पी एम ई आर, पाण्डिचेरी में एक नर्सिंग कालेज की स्थापना।

- आर ए के कालेज को एक 'उत्कृष्टता केंद्र' के रूप में सुदृढ़ करना।
- डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली से संलग्न नर्सिंग स्कूलों को नर्सिंग कालेजों में स्तरोन्नत करना।
- नर्सों के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटएंगल अवार्ड।

कार्रवाई योजना 2009-10

नर्सिंग का प्रशिक्षण

- डॉ. आर एम एल अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और एल एच एम सी में नर्सिंग कालेज ने काम करना शुरू कर दिया है।
- नर्सिंग संस्थानों का सुदृढ़ीकरण/ स्तनोन्नयन।
- नौवीं योजना के दौरान खोले गए नर्सिंग स्कूल के लिए आवर्ती सहायता
- नर्सों के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटएंगल अवार्ड।

12. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी एम एस एस वाई)

14.1.64 भारत सरकार ने यह योजना देश में वहनीय/ विश्वविद्यालय तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और साथ ही देश में उत्तम मेडिकल शिक्षा के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के भी उद्देश्य से शुरू की गई थी। पी एम एस एस वाई स्कीम के दो घटक हैं:

- चरण I के अंतर्गत 'एम्स' जैसे 6 नए संस्थानों की स्थापना तथा चरण II के अंतर्गत 'एम्स' जैसे दो नए संस्थानों की स्थापना।
- चरण I के अंतर्गत 13 राज्य सरकार मेडिकल कालेजों का 'एम्स' स्तर के संस्थानों में उन्नयन तथा चरण II के अंतर्गत छः राज्य सरकार मेडिकल कालेजों का 'एम्स' स्तर के संस्थानों में उन्नयन।

14.1.65 निम्नलिखित राज्यों में एक-एक 'एम्स' जैसा संस्थान स्थापित किया जाएगा:

चरण I

1) बिहार (पटना)
2) मध्य प्रदेश (भोपाल)
3) उड़ीसा (भुवनेश्वर)
4) राजस्थान (जोधपुर)
5) छत्तीसगढ़ (रायपुर)
6) उत्तराखण्ड (ऋषिकेश)

चरण II

7) उत्तर प्रदेश (निर्णय लिया जाना है)
8) पश्चिम बंगाल (दिनाजपुर दक्षिण)

14.1.66 प्रत्येक संस्थान में 960 बिस्तर वाला अस्पताल होगा, जिसका उद्देश्य 39 विशेषज्ञता/अति विशिष्टता वाले विषयों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना होगा। मेडिकल कालेजों में दाखिला क्षमता 100 यूजी की होगी, जो विभिन्न विषयों में पीजी/डाक्ट्रल पाठ्यक्रम प्रदान करने की सुविधा के अलावा होगी। राज्यों ने 'एम्स' जैसे संस्थानों के लिए 100 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। अस्पतालों और मेडिकल कालेज परिसरों व रिहायशी परिसरों के लिए अलग-अलग समय-सीमा निश्चित की गई है। अस्पतालों और मेडिकल कालेजों के परिसर के संबंध में सिविक निर्माण कार्य संभवतः दिसंबर 2009 तक पूरा हो जाएगा तथा पूरी परियोजना 2011-2012 तक पूरी की जानी है। रिहायशी परिसरों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

14.1.67 'एम्स' स्तर तक उन्नयन के लिए निम्नलिखित 19 मेडिकल संस्थानों का विनिर्धारण किया गया हैः

चरण I

1) राजकीय मेडिकल कालेज, जम्मू (जम्मू और कश्मीर)
2) राजकीय मेडिकल कालेज, श्री नगर (जम्मू और कश्मीर)
3) कोलकाता मेडिकल कालेज, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
4) संजय गांधी स्नातकोत्तर मेडिकल विज्ञान संस्थान, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
5) मेडिकल विज्ञान संस्थान, बी एच यू, वाराणसी, (उत्तर प्रदेश)
6) निजाम मेडिकल विज्ञान संस्थान, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
7) श्री वेंकटेश्वर मेडिकल विज्ञान संस्थान, तिरुपति (आं.प्र.) (स्तरोन्नयन की 50 प्रतिशत लागत टी टी डी ट्रस्ट द्वारा वहन की जाएगी।
8) राजकीय मेडिकल कालेज, सेलम (तमिलनाडु)
9) राजेंद्र मेडिकल विज्ञान संस्थान, रांची (झारखंड)
10) बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद (गुजरात)
11) बंगलौर मेडिकल कालेज, बंगलौर (कर्नाटक)
12) ग्रांट्स मेडिकल कालेज और सर जे जे अस्पताल समूह, मुंबई (महाराष्ट्र)
13) मेडिकल कालेज, तिरुवनंतपुरम (केरल)

चरण II

14) राजकीय मेडिकल कालेज, अमृतसर (पंजाब)

15) राजकीय मेडिकल कालेज, टांडा (हिमाचल प्रदेश)
16) राजकीय मेडिकल कालेज, मदुरई (तमिलनाडु)
17) राजकीय मेडिकल कालेज, नागपुर (महाराष्ट्र)
18) जवाहरलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कालेज, अलीगढ़ मुसिलम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उ.प्र.)
19) पंडित बी.डी. शर्मा स्नातकोत्तर मेडिकल विज्ञान संस्थान, रोहतक (हरियाणा)

14.1.68 चरण I के अंतर्गत कवर हुए 13 संस्थानों में से छः संस्थानों में उन्नयन कार्य दिसंबर 2009 तक पूरा हो जाएगा (अर्थात तिरुवनंतपुरम, सेलम, जम्मू, मुंबई, तिरुपति और अहमदाबाद) तथा 5 संस्थानों में 2010 तक पूरा हो जाएगा (अर्थात लखनऊ, बंगलौर, हैदराबाद, श्रीनगर और वाराणसी)। आर आई एम एस, रांची और कोलकाता मेडिकल कालेज का कार्य 2011 तक पूरा हो जाएगा।

नई पहलें

1. ई. स्वास्थ्य, टेलिमेडिसिन सहित

14.1.69 कार्यक्रम का उद्देश्य, मेडिकल कालेज और जिला और उप-जिला अस्पतालों की संयोजकता के माध्यम से अल्पसेवित क्षेत्रों में एक प्रायोगिक आधार पर स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तक पहुंच और कोटि का विस्तार करना है।

2008-09 में उपलब्धियां

निम्नलिखित परियोजनाओं पर 10.86 करोड़ रुपए खर्च किए गए:

- टेली-ओपथलमोलाजी
- ग्रामीण टेलिमेडिसिन नेटवर्क और
- स्वास्थ्य भारत वेबसाइट और पी जी डिप्लोमा कार्यक्रम के लिए ई-माड्यूल तैयार करना आदि
- राष्ट्रीय मेडिकल लायब्रेरी

2. डायबिटीज कार्डिओवास्कुलर रोग और पक्षाघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

14.1.70 कार्यक्रम का उद्देश्य जीवनशैली रोगों के लिए प्रभावी कार्यनीति तैयार करना है।

2008-09 में उपलब्धियां

- दस राज्यों में एक-एक जिले में जिला स्वास्थ्य प्रोन्नयन कार्यक्रम शुरू किया गया।
- दस प्रायोगिक राज्यों में राज्य एन सी डी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए।
- स्वास्थ्य जागरूकता सामग्री तैयार की गई और दूरदर्शन व अन्य चैनलों के माध्यम से प्रसारित की गई।

3. वृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल का कार्यक्रम

14.1.71 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से विकासशील विश्व में, भारत सहित। अनुमान है कि वर्तमान में पूरे विश्व में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 600 मिलियन से अधिक है। वृद्धों में भी वृद्धतम की संख्या (80 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति) में और भी अधिक वृद्धि हुई है जिनकी संख्या 2005 में 86 मिलियन से बढ़कर 2050 में 394 मिलियन होने की उम्मीद है। भारत में, दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश होने के नाते, साठ वर्ष की आयु से अधिक लोगों की संख्या 76.6 मिलियन है जो कुल आबादी का लगभग 7.7 प्रतिशत बैठता है। जीवन अवधि 2020 तक 70 वर्ष को पार कर जाने की उम्मीद है।

14.1.72 प्रस्ताव के अंतर्गत दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था संस्थान विकिसत करने की बात कही गई है, एक उत्तर में और दूसरा दक्षिण में जिसमें जरूरतमंद वृद्धों को व्यापक जरा स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने, प्रदाताओं को उत्तम जरा चिकित्सा देखभाल करने में प्रशिक्षण प्रदान करने और जराचिकित्सा व गेरोनटोलाजी में उच्च कोटि के अनुसंधान को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:

- निवारक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाओं के जरिए वृद्धों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना।
- स्वास्थ्य व्यावसायिकों को ज़राचिकित्सा में प्रशिक्षित करना, समर्थनकारी देखभाल और पुनर्वास सहित।
- ज़राविज्ञान और गेरोनटोलाजी में अनुसंधान करके विशिष्ट वृद्ध स्वास्थ्य समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान विकसित करना।

4. स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन

14.1.73 नर्सिंग स्कूलों का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन : राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पद्धति के लिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए नर्सों पर विशेष बल के साथ मानव संसाधनों की अतिरिक्त जरूरतों की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्रक में मानव संसाधनों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आवश्यक संस्थागत प्रणालियों का निर्माण करके नर्सिंग सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जाएगा जिसके लिए 2900.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

कार्रवाई योजना 2009-10

- पी एम एस एस वाई के अंतर्गत 'एम्स' जैसे संस्थानों के लिए स्थलों पर 120.00 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 6 नर्सिंग कालेजों की स्थापना।
- 29.80 करोड़ रुपए की अनुमानत लागत से राज्य नर्सिंग प्रकोष्ठ/राज्य नर्सिंग परिषद का सुदृढ़ीकरण।
- 12.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से संकाय विकास की स्कीम।

- विनिर्धारित राज्यों में 20.00 करोड़ रुपए प्रति केंद्र के हिसाब से एक-एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना।
- चार राज्यों में प्रति संस्थान 55.00 करोड़ रुपए की लागत से एक-एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करना।
- प्रति संस्थान 5.00 करोड़ रुपए की लागत से ए एन एम स्कूल खोलना।
- प्रति संस्थान 10.00 करोड़ रुपए की लागत से जी एन एम स्कूल खोलना।
- मानीटरन और मूल्यांकन प्रकोष्ठ स्थापित करना।

5. अर्ध-मेडिकल संस्थानों की स्थापना

14.1.74 बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से सु-अर्हताप्राप्त अर्ध-चिकित्सा व्यावसायिक तैयार करने के उद्देश्य से दो अर्ध-मेडिकल विज्ञान संस्थान खोलने का प्रस्ताव है - एक उत्तर भारत में नजफगढ़, नई दिल्ली में और एक दक्षिण भारत में एल एल टी आर आई, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु में। इन प्रत्येक संस्थानों के साथ तीन क्षेत्रीय संस्थान उत्तर में और तीन दक्षिण भारत में संलग्न किए जाने की संभावना है।

प्रायोगिक परियोजनाएं

1. अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम

14.1.75 भारत में, बड़ी संख्या में नए रोगी, प्रत्येक वर्ष गुर्दे, लिवर, हृदय, फेफड़े, अग्नि अग्नाशय और कोर्निआ की असफलता की रिपोर्ट करते हैं। अधिकांश मामलों में रोगी की मृत्यु अंततः अंग फेल होने से होती है और न कि उन रोगों की वजह से जिनसे ऐसा हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य और अधिक प्रत्यारोपण व्यावसायिकों का निर्माण करना और समुदाय स्तर पर शीघ्र इलाज की व्यवस्था करना है।

2. बहरापन

वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान उपलब्धियां

- कार्यक्रम का 35 अतिरिक्त जिलों तक विस्तार कर दिया गया (पहले से कवर हुए 25 जिलों के अलावा)।
- जिला अस्पतालों, सी एच सी और पी एच सी के लिए जनशक्ति के प्रशिक्षण और उपस्कर के प्रापण पर कार्रवाई चल रही है।
- 6 राज्यों ने चुनिंदा जिलों में श्रवण बाधित बच्चों को श्रवण साधन उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। अन्य राज्य पद्धति को अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं।
- 8 राज्यों ने ठेके पर कर्मचारी नियुक्त किए हैं तथा अन्य कार्रवाई कर रहे हैं।

कार्रवाई योजना 2008-09

कार्यक्रम का 41 नए जिलों तक विस्तार किया जाना है।

3. फ्लुओरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम

14.1.76 फ्लुओरोसिस एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। यह, लम्बे समय तक पेय जल, खाद्य उत्पादों, औद्योगिक प्रदूषकों आदि के माध्यम से फ्लुओराइड की अधिक मात्रा ग्रहण करने के कारण होती है। देश में फ्लुओरोसिस को रोकने और नियंत्रित करने के लक्ष्य के साथ एक कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत उद्देश्य पेय जल के सभी स्रोतों, फ्लुओराइड बहुलता वाले खाद्य की खपत और जिला स्तर पर औद्योगिक प्रदूषकों के अंतर्ग्रहण के सभी स्रोतों में फ्लुओराइड की मात्रा का अनुमान लगाना तथा ग्राम विकास के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन, शिक्षा और सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण, एन आई सी डी में फ्लुओरोसिस की दृष्टि से किए जा रहे कार्यकलापों को समन्वित करना है।

14.1.77 कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यनीतियां हैं: पेय जल, खाद्य उत्पादों और औद्योगिक स्राव में फ्लुओराइड का सर्वेक्षण करना, जिला मेडिकल और अर्ध-मेडिकल कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना। प्रस्तावित कार्यकलाप ग्राम स्तर से पी एच सी, सी एच सी, ब्लॉक, जिला, राज्य और केंद्र स्तर पर आयोजित किए जाने हैं। कार्यक्रम क्षेत्र के प्रत्येक जिले में जल, खाद्य और रक्त के लिए फ्लुओराइड परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है।

14.1.78 इस स्कीम को 6 जिलों में शुरू किया गया है, अर्थात आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, गुजरात में जामनगर, राजस्थान में नागोर, उड़ीसा में नयागढ़, मध्य प्रदेश में उज्जैन और तमिलनाडु में धर्मपुरी।

4. खेल मेडिसिन

14.1.79 खेल चोटों के प्रबंधन के लिए एक ही स्थान पर व्यापक सर्जिकल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए वी एम एम सी और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक खेल आघात केंद्र स्थापित किया जाएगा। निर्माण कार्य प्रगति पर है और मई 2010 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

5. लेपटोस्पायरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

14.1.80 कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- देश में निगरानी कायम करना।
- भारत में लेपटोस्पायरोसिस के कारण रुग्णता और मृत्यु दर को कम करना।

14.1.81 यह कार्यक्रम एक प्रायोगिक परियोजना आधार पर लागू किया गया है। गुजरात, केरल और तमिलनाडु के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी तीन राज्यों के लिए नोडल अधिकारी का विनिर्धारण किया गया है तथा एक कोर समूह भी गठित किया गया है। मेडिकल और अर्ध-मेडिकल कार्मिकों

के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गई है। गुजरात, केरल और तमिलनाडु के लिए कोर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा हो गया।

14.1.82 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के लिए स्वास्थ्य अनुसंधान सहित, विस्तृत स्कीम-वार परिव्यय संलग्नक 14.1.1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2009-10 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत अनुमानों का विस्तृत राज्य-वार आबंटन संलग्नक 14.1.2 में दर्शाया गया है।

14.2 आयुष विभाग

प्रस्तावना

14.2.1 'आयुष' पद्धतियों के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में, प्रथम चुनौती यह है कि किस प्रकार समुदाय को इसकी अच्छाइयों और सीमाओं के बारे में बताया जाए और किस प्रकार कोटि में सुधार किया जाए और सरकारी, गैर-सरकारी और निजी क्षेत्रकों में स्वास्थ्य सेवाओं की आउटरीच का विस्तार किया जाए। संस्थागत विकास के संदर्भ में, चुनौती माडल कालेजों, अनुसंधान केंद्रों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के रूप में शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता केंद्रों के एक नेटवर्क को प्रोत्साहित करने तथा उसके संबंध में एक प्रत्यायन पद्धति कायम करने की है। 'आयुष' उद्योग अभी भी मुख्यधारा फार्मा क्षेत्रक की तुलना में छोटा है, जो कहीं अधिक बड़ा है। फार्माकोपिअल मानक विकसित और प्रवर्तित करने के लिए कार्यनीतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप 'आयुष' उद्योग में जी एम पी स्थापित करना भी एक प्रमुख चुनौती है। ग्यारहवीं योजना में जो नई चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं, उनमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, 'आयुष' और सार्वजनिक स्वास्थ्य, 'आयुष' सूचनाविज्ञान और समुदाय से जुड़ी स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को सुदृढ़ करना जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।

14.2.2 'आयुष' ग्यारहवीं योजना स्कीमों में चौदह प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, अर्थात;

i. देश में 'आयुष' ग्रामीण औषधालयों और अस्पतालों के नेटवर्क को सुदृढ़ करना
ii. शैक्षिक सुधार और शैक्षिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
iii. अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य फार्माकोपिअल मानक स्थापित करना
iv. 'आयुष' पद्धतियों की अच्छाइयों और सीमाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता कायम करना (राष्ट्रीय अभियानों के माध्यम से)
v. विभिन्न जैव-भौगोलिक और कृषि-जलवायु क्षेत्रों में प्राथमिकतापूर्ण औषधीय पौधों के संरक्षण और खेती के लिए नीतिगत उपाय
vi. 'आयुष' अनुसंधान परिषदों का सुदृढ़ीकरण
vii. 'आयुष' उद्योग में जी एम पी का सुदृढ़ीकरण
viii. 'आयुष' उत्कृष्ट केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करना

ix. आयुर्वेद में एक अखिल भारत संस्थान नई दिल्ली में और एक 'आयुष' तथा पूर्वोत्तर में लोक औषधि संस्थान स्थापित करना

x. 'आयुष' अनुसंधान संस्थानों में मूलभूत तथा विषय-पार बाह्य मुराल अनुसंधान प्रोत्साहित करना,

xi. 'आयुष' अनुसंधान, शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य तथा निदान सेवाओं के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रोत्साहित करना

xii. (क) 'आयुष' और सार्वजनिक स्वास्थ्य, (ख) 'आयुष' सूचना विज्ञान, (ग) मेडिकल पांडुलिपियों का सूचीकरण और डिजिटीकरण, (घ) समुदाय आधारित स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं का पुनरुद्धार

xiii. गैर-सरकारी क्षेत्रक में विशिष्ट आइपीडी अस्पतालों और क्लिनिकों को सहायता प्रदान करना

xiv. 'आयुष' क्षेत्रक में सार्वजनिक - निजी भागीदारी को समर्थन प्रदान करना।

वित्तीय समीक्षा

14.2.3 ग्यारहवीं योजना, 2007-12 के लिए कुल अनुमोदित परिव्यय 3988 करोड़ रुपए है। पहले वर्ष 2007-08 में वास्तविक खर्च ब.अ. (488 करोड़ रुपए) का 78,56 प्रतिशत था। दूसरे वर्ष 2008-09 में वास्तविक खर्च ब.अ. (534 करोड़ रुपए) का 88 प्रतिशत था।

निष्पादन समीक्षा

14.2.4 निधियों के उपयोग के आधार पर, अर्थात व्यय पद्धतियां, ऐसी स्कीमें/उप-स्कीमें जो सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं: (क) औषधीय पौधा संरक्षण और खेती कार्यक्रम, (ख) फार्माकोपिअल समितियों का कार्य, (ग) अनुसंधान परिषदों के कार्यक्रम, (घ) आई ई सी कार्यक्रम, (ड.) विकास शैक्षिक संस्थान, (च) ग्रामीण अस्पताल और औषधालय, (छ) उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता प्रदान करने के लिए सहायता, (ज) भौगोलिक रूप से समूहकृत उद्योग संकुलों में कोटि नियंत्रण हेतु आम सुविधाएं कायम करने के लिए सहायता, और (झ) कालेज शिक्षकों के लिए पुनर्स्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम (आर ओ टी पी)।

14.2.5 जो स्कीमें और उप-स्कीमें धीरे-धीरे प्रगति कर रही हैं, वे हैं: (क) बाह्य-मुराल अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करना, (ख) 'आयुष' और सार्वजनिक स्वास्थ्य, (ग) 'आयुष' सूचना विज्ञान, (घ) समुदाय आधारित स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं के लि सहायता, (ड.) मेडिकल पांडुलिपियों का सूचीकरण और डिजिटीकरण, और (च) विशेषज्ञता क्लिनिक और अस्पतालों को सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम।

14.2.6 तथापि, व्यय पद्धतियां निष्पादन की कोटि की पर्याप्त संकेतक हैं। आउटकम का आकलन केवल स्वतंत्र और भली-भांति डिजाइन किए गए मूल्यांकन केवल अध्ययनों के माध्यम से ही किया जा सकता है।

2009-10 के लिए नई कार्यनीतियां

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद

14.2.7 यह ग्यारहवीं योजना की नई पहल है। 'आयुष' शिक्षा, सहयोगात्मक अनुसंधान, नैदानिक प्रथा, व्यापार और उद्योग में बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय रुचि को देखते हुए, यह महत्त्वपूर्ण है कि इस परिषद के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ 'आयुष' की अन्योन्यक्रिया के लिए एकल खिड़की कायम की जाए।

'आयुष' सेवाओं के लिए बीमा

14.2.8 अपने 'पद्धति सुदृढ़ीकरण' कार्यक्रम के अंतर्गत 'आयुष' विभाग ने बीमा और प्रमाणित 'आयुष' अस्पतालों के लिए सी जी एच एस कवर सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही छोटी किंतु अत्यंत महत्त्वपूर्ण उप-स्कीम शुरू की है। देश में 'आयुष' नैदानिक सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

औषधीय पौधे कार्यक्रम

14.2.9 औषधीय पौधों के संबंध में सी एस और सी एस एस दोनों स्कीमों का सबसे बड़ा उप-संघटक पौधों के प्राथमिक संग्रहण, खेती और अर्ध-प्रसंस्करण में समुदाय किसान/संग्रहकर्ता की भागीदारी है। विभाग ने इस स्कीम के अंतर्गत 'किसान संकुलों' की भी सहायता करने का निर्णय लिया है।

औषधि कोटि नियंत्रण

14.2.10 दसवीं योजना में और पिछली योजनाओं में इस कार्यक्रम में निवेशों के बावजूद, जो ग्यारहवीं योजना में भी जारी रहे, कुल मिलाकर देखा जाए तो उपभोक्ता ने 'आयुष' औषधियों और सेवाओं के कोटि आश्वासन में किसी खास सुधार का अनुभव नहीं किया है। इसलिए विभाग ने भारत की कोटि नियंत्रण परिषद की सेवाएं प्राप्त की हैं जिसके अनुसार विनिर्माण यूनिट भारतीय कानून द्वारा 'आयुष' प्रत्याशित प्रयोगशालाओं से प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए बाध्य होंगे जिन्हें विनियंत्रक को सीधे ही रिपोर्टें भी प्रस्तुत करनी होंगी। चुनिंदा उत्पादों के मामलों में, जहां नियंत्रक की राय में उत्पाद कोटि पर अधिक निगरानी रखने की जरूरत होगी, उत्पाद प्रमाणन की एक पद्धति तैयार करने का प्रस्ताव है जिसे विनिर्दिष्ट उत्पादों के लिए सभी विनिर्माण यूनिटों द्वारा अनिवार्यता के रूप में विनियमों में निर्धारित किया जाएगा। इस पद्धति के अंतर्गत, प्रत्येक विनिर्माण यूनिट से एक प्रत्यापित प्रमाणन निकाय से एक आवधिक प्रमाणन प्राप्त करने का अनुरोध किया जाएगा और इस प्रकार विनियंत्रक की नियमित निगरानी के अधीन होंगे।

नई पहलों को अभिप्रेरित करने के लिए अवै. गैर-सरकारी प्रेरकों के साथ सशक्त समितियों का निर्माण

14.2.11 'आयुष' विभाग, उसे अभिप्रेरित करने, परियोजनाएं तैयार करने में मदद देने, कार्यान्वयन और परियोजनाओं के मानीटरन के लिए विख्यात संगठनों का विनिर्धारण करने के लिए छोटी समितियों के साथ-साथ उच्च निष्ठावान प्रख्यात अवै. गैर-सरकारी प्रेरकों का पता लगाता रहा है। इससे विभाग में 'आयुष' अधिकारियों की छोटी टीम पर दबाव में कमी आएगी।

'आयुष' और एन आर एच एम से सम्बद्ध मुद्दों का विनिर्धारण

14.2.12 अपनी ग्रामीण स्वायत्त देखभाल सेवाओं में 'आयुष' के एकीकरण का स्वागत करने वाला राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) पहला प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यद्यपि यह एक साहसिक और प्रगतिशील उपाय है, तथापि प्रतीत होता है कि एकीकरण के वास्तविक निहितार्थ पूर्णतः समझे नहीं गए हैं। पश्चिमी जैव-औषधि प्रेरित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाय पद्धति के साथ-साथ 'आयुष' कार्मिक और अवसंरचना की तैनाती और सह-स्थापन की सरकार की नीति, पहला कदम है। किन्तु इस उपाय मात्र से 'आयुष' समुदाय से, एलोपेथिक डाक्टरों द्वारा भरे जाने वाले पद और भूमिका को निभाने के लिए, मेडिकल व्यावसायिकों को सहयोजित करना प्रतीत होता है। 'आयुष' को एन आर एच एम में एकीकृत करने की नीति के वस्तुतः कम से कम चार निहितार्थ हैं। पहला 'आयुष' कार्मिकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारीय परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण प्रदान करना है जिसके संबंध में जानकारी नगण्य है। दूसरा, क्रमशः जैव-औषधि और 'आयुष' की अच्छाइयों और सीमाओं की समझ पर आधारित परस्पर रेफरल के लिए एक सुविज्ञ आचरण संहिता तैयार करना है। तीसरा, तर्कसंगत क्रास मेडिकल प्रथा के कार्यक्षेत्र और सीमाएं तैयार करना और तदनुसार मेडिकल कार्मिकों को प्रशिक्षित करना आवश्यक है। चौथा निहितार्थ, एन आर एच एम में कार्यरत डाक्टरों के लिए तथा औषधि की सभी पद्धतियों की व्यावसायिक मेडिकल शिक्षा पाठ्यचर्या में भी कार्यरत डाक्टरों के लिए सी एम ई (सतत मेडिकल शिक्षा) के भाग के रूप में 'एकीकरण औषधि माड्यूल्स' लागू करने के संबंध में है। इन सभी चारों निहितार्थों को एकीकरण के उपयोगी बनने के लिए प्रचालनात्मक बनाए जाने की जरूरत है।

सरकारी-निजी भागीदारी (पी पी पी)

14.2.13 प्रबंधन की बाधाओं को दूर करने और अपनी सेवाओं में कोटि और आउटरीच दोनों में सुधार करने के उद्देश्य से विभाग ने सरकारी-निजी भागीदारी की कार्यनीति को स्वीकार कर लिया है। पी पी पी स्कीमों के अंतर्गत औषधियों का उत्पादन, कोटि नियंत्रण, क्षमता निर्माण, अनुसंधान और साथ ही अनुमोदित शर्तों पर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना भी सम्मिलित होगा।

सूचना, शिक्षा और समन्वय (आई ई सी)

मिडिया के माध्यम से प्रचार

14.2.14 इस समय टी वी चैनलों पर 20-30 सेकेण्ड स्पाट प्रदर्शित किए जा रहे हैं। मेट्रो नेटवर्क, रेलवे टिकटों पर 'आयुष' होर्डिंग प्रदर्शित किए जा रहे हैं तथा अंतरंग बस शेल्टरों और होर्डिंगों पर प्रचार पोस्टर लगाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। 'आयुष' पद्धतियों के संबंध में लघु वृत्त चित्र तैयार किए गए हैं जिन्हें 'आरोग्य' मेलों, राष्ट्रीय अभियान कार्यशालाओं में प्रदर्शित किया जाएगा।

14.2.15 बड़े पैमाने पर और ऐसे आकार में, जिसका अभी तक प्रयास नहीं किया गया, 2009-10 में निम्नलिखित विषयों पर शुरू किए जाएंगे:

i. एनो-रेक्टल अव्यवस्थाओं के लिए क्षार-सूत्र
ii. मातृ और शिशु देखभाल के लिए होम्योपेथी
iii. आयुर्वेद और सिद्धा के माध्यम से ज़रा चिकित्सा देखभाल
iv. ए एस यू और एच औषधियों का कोटि आश्वासन
v. 'आयुष' पद्धति के माध्यम से रक्ताल्पता का नियंत्रण
vi. आँवला के संबंध में अभियान
vii. स्वास्थ्य के लिए योग

संलग्नक 14.1.1

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य क्षेत्रक (एड्स नियंत्रण सहित) और एन आर एच एम

वर्ष 2008-09 के लिए स्कीम-वार अनुमोदित परिव्यय और संशोधित परिव्यय तथा 2009-10 के लिए परिव्यय

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/संस्थानों का नाम	वार्षिक योजना 2008-09 (ब.अ.)	वार्षिक योजना 2008-09 (सं.अ.)	वार्षिक योजना 2009-10 (ब.अ.)
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग एड्स नियंत्रण सहित			
क	**केंद्रीय क्षेत्रक स्कीमें**	**1942.00**	**2150.21**	**3064.01**
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)	350.00	199.23	350.00
2	निगरानी समिति	100.00	100.00	100.00
3	संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	50.00	52.34	53.03
4	अस्पतालों और औषधालयों का सुदृढ़ीकरण	150.00	184.57	173.80
5	मेडिकल शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	190.00	226.04	200.24
6	पद्धति सुदृढ़ीकरण, आपातिक मेडिकल राहत/ आपदा प्रबंधन सहित	55.00	67.48	81.02
7	प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	490.00	568.00	1447.92
	सी एस के अंतर्गत नई पहलें	**557.00**	**752.55**	**658.00**
8	एन आर एच एम के साथ भावी संयोजन (पूर्वोत्तर में नई पहलें)**	60.00		60.00
9	राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र	3.00	3.00	3.00
10	मानकों के लिए सलाहकार बोर्ड	2.00	2.00	2.00
11	रक्त और रक्त उत्पादों के लिए कार्यक्रम	2.00	1.35	1.00
12	अस्पतालों/ संस्थानों का पुनर्विकास	550.00	746.20	652.00
ख	**केंद्र प्रायोजित स्कीमें**	**13638.00**	**13429.79**	**15315.99**
1	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)	11580.00	11730.77	13580.00
2	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, एस टी डी नियंत्रण सहित	1100.00	1123.36	1100.00

क्रम सं.	स्कीम/संस्थानों का नाम	वार्षिक योजना 2008-09 (ब.अ.)	वार्षिक योजना 2008-09 (सं.अ.)	वार्षिक योजना 2009-10 (ब.अ.)
3	कैंसर नियंत्रण	150.00	159.00	150.00
	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम	120.00	120.00	120.00
	तम्बाकू नियंत्रण	30.00	39.00	30.00
4	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम	70.00	70.00	70.00
5	ट्रामा देखभाल में क्षमता निर्माण के लिए राज्यों को सहायता	120.00	120.00	121.00
6	आषधि और पी एफ ए नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता	45.00	21.64	परियोजना पूरी
	सी एस एस के अंतर्गत नई पहलें	**573.00**	**205.02**	**294.99**
7	ई-स्वास्थ्य, टेलिमेडिसिन सहित	15.00	14.53	15.00
8	डायबिटीज, कार्डिओवास्कुलर रोग तथा पक्षाघात	30.00	9.50	30.00
9	वृद्धों के लिए स्वास्थ्य देखभाल	5.00	5.00	5.00
10	जिला अस्पताल	75.00	75.00	40.00
11	स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन	373.00	74.64	67.00
12	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	50.00	8.00	50.00
13	प्रायोगिक परियोजनाएं	25.00	18.35	87.99
	खेल-कूद मेडिसिन	2.00	2.00	55.00
	बहरापन	10.00	10.00	10.00
	लेपटोस्पायरोसिस नियंत्रण	1.00	0.99	0.95
	मानव रेबीज का नियंत्रण	2.00	2.00	1.09
	मेडिकल पुनर्वास	1.00	1.00	11.95
	अंग प्रत्यारोपण	4.00		1.00
	मुख स्वास्थ्य	3.00	0.36	3.00
	फ्लुओरोसिस	2.00	2.00	5.00
ग.	**स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग**	**420.00**	**420.00**	**420.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग)	**16000.00**	**16000.00**	**18800.00**

** पूर्वोत्तर के लिए 10 प्रतिशत आबंटन विनिश्चित के माध्यम से विभिन्न स्कीमों से आना है।

संलग्नक 14.1.2

एन आर एच एम के अंतर्गत 2009-10 के दौरान अनुदानों का राज्य-वार आबंटन

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एन आर एच एम के अंतर्गत केंद्रीय आबंटन
1	आंध्र प्रदेश	716.75
2	अरुणाचल प्रदेश	53.83
3	असम	883.03
4	बिहार	867.36
5	छत्तीसगढ़	301.56
6	गोवा	13.31
7	गुजरात	470.21
8	हरियाणा	180.57
9	हिमाचल प्रदेश	97.70
10	जम्मू एवं काशमीर	135.60
11	झारखंड	359.51
12	कर्नाटक	507.44
13	केरल	282.19
14	मध्य प्रदेश	713.51
15	महाराष्ट्र	859.90
16	मणिपुर	91.95
17	मेघालय	87.47
18	मिजोरम	52.75
19	नागालैंड	77.61
20	उड़ीसा	434.97
21	पंजाब	211.89
22	राजस्थान	637.17
23	सिक्किम	26.75
24	तमिलनाडु	565.41
25	त्रिपुरा	122.63
26	उत्तर प्रदेश	1855.52
27	उत्तराखंड	116.62
28	पश्चिम बंगाल	688.22
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	17.00
30	चंडीगढ़	9.82
31	दादर एवं नगर हवेली	4.56
32	दमन और दीव	4.14
33	लक्षद्वीप	2.65
34	पुदुचेरी	11.91
35	दिल्ली	124.84
	जोड़	11586.34

स्रोतः स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

संलग्नक 14.2.1

आयुष विभाग

स्कीम-वार अनुमोदित परिव्यय और संशोधित परिव्यय, 2008-09 दर्शाने वाला विवरण और अनुमोदित परिव्यय 2008-09

(करोड़ रुपए)

क्रम सं.	स्कीम/संस्थानों का नाम	ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-09	ब.अ. 2009-10
क	**केंद्रीय क्षेत्रक**			
1	**पद्धति सुदृढ़ीकरण**	**47.59**	**33.20**	**64.64**
(क)	**आयुष विभाग का सुदृढ़ीकरण**	**7.15**	**10.10**	**13.82**
1	सचिवालय सामाजिक सेवाएं	5.50	8.22	10.06
2	ए एस यू संबंधी फार्माकोविअल समिति का सुदृढ़ीकरण	1.65	1.88	3.76
(ख)	**सांविधिक संस्थान**	**0.94**	**0.38**	**0.93**
1	केंद्रीय भारतीय मेडिसिन परिषद, नई दिल्ली	0.39	0.31	0.34
2	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली	0.05	0.07	0.09
3	'आयुष' के लिए केंद्रीय फार्मेसी परिषद्	0.50	0.00	0.50
(ग)	**अस्पताल और औषधालय**	**27.50**	**11.74**	**11.30**
1	अखिल भारत आयुर्वेद संस्थान (ए आई आई ए), नई दिल्ली	25.00	9.24	10.00
2	सी जी एस एस औषधालयों का विस्तार	1.30	1.30	1.30
3	आयुर्वेद अस्पताल, लोधी रोड	1.20	1.20	0.00
(घ)	**फार्माकोपिअल प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण**	**4.00**	**3.65**	**5.54**
1	भारतीय मेडिसिन फार्माकोपिअल प्रयोगशाला, गाजियाबाद	3.50	2.49	4.47
2	होम्योपैथिक फार्माकोपिअल प्रयोगशाला, गाजियाबाद	0.50	1.16	1.07
3	पी एल आई एम/ एच पी एल का सुदृढ़ीकरण	0.00		0.00
4	सरकारी क्षेत्रक उपक्रम(आई एम पी सी एल, मोहन, उत्तर प्रदेश)	0.00		0.00
(ड.)	**सूचना, शिक्षा और संचार**	**5.00**	**4.50**	**30.00**
(च)	**आयुष और सार्वजनिक स्वास्थ्य**	**3.00**	**2.83**	**3.05**
2	**शैक्षिक संस्थान**	**76.19**	**77.36**	**109.15**
1	स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर	5.66	3.50	10.00
2	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	8.20	8.06	12.00
3	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली	0.96	0.95	1.05
4	राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान, चेन्नई	7.50	10.74	13.00
5	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	17.00	18.74	20.00
6	राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बंगलौर	8.00	8.76	11.00
7	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	3.43	3.43	3.80
8	विश्वायतन योगाश्रम, नई दिल्ली	0.00	0.00	0.00
9	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	4.25	4.37	5.30
10	पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग	10.50	2.10	10.00
11	पूर्वोत्तर लोक औषधि संस्थान, पासीघाट	6.69	6.69	3.00

क्रम सं.	स्कीम/संस्थानों का नाम	ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-09	ब.अ. 2009-10
12	'आयुष' उत्कृष्टता केंद्र के लिए सहायता	4.00	10.02	20.00
3	**अनुसंधान और विकास, औषधीय पौधे सहित**	**117.07**	**142.40**	**193.76**
	अनुसंधान परिषदें	**74.07**	**99.40**	**143.76**
1	केंद्रीय आयुर्वेद और सिद्धा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	27.00	37.38	59.00
2	केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	18.00	28.00	31.00
3	केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	5.00	5.66	12.50
4	केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	13.43	20.75	30.87
5	केंद्रीय परिषद मिश्रित भवन परिसर	2.14	2.11	2.39
6	बाह्य मुराल अनुसंधान परियोजनाएं	7.00	4.00	5.50
7	'आयुष' बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार हेतु पेटेंट सैल (टी के डी एल)	1.00	1.00	2.00
8	'आयुष' पद्धतियों के इस्तेमाल और स्वीकार्यता के संबंध में सर्वेक्षण	0.50	0.50	0.50
	औषधीय पौधे	**43.00**	**43.00**	**50.00**
4	**एच आर डी (प्रशिक्षण कार्यक्रम/ अध्येतावृत्ति/ प्रकटन दौरे/ दक्षताओं का उन्नयन आदि)**	**9.00**	**9.60**	**12.20**
1	'आयुष' का पुनर्नुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्मिक/सतत मेडिकल शिक्षा (आर ओ टी पी/सी एम ई)	8.00	9.00	9.80
2	'आयुष' कार्मकों का प्रशिक्षण/ अध्येतावृत्ति/ प्रकटन दौरे/ दक्षताओं का उन्नयन आदि	1.00	10.60	2.40
5	**पांडुलिपियों का सूचीकरण, डिजिटीकरण और आयुष आई टी नेटवर्क**	**1.85**	**1.73**	**2.55**
1	सूचीकरण, डिजिटीकरण और आयुष आई टी नेटवर्क	0.00	0.00	0.00
2	पाठ्यपुस्तकों और पांडुलिपियों का अधिग्रहण, सूचीकरण, डिजिटीकरण और प्रकाशन	1.85	1.73	2.55
6	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	**5.00**	**4.86**	**20.80**
1	'आयुष' पर अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान कार्यक्रम/ सेमिनार/ कार्यशाला और विदेशी छात्रों के लिए 'आयुष' में छात्रवृत्ति	4.00	2.40	19.00
2	'आयुष' के प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यकलापों के लिए सहायता, बाजार विकास सहित	1.00	2.46	1.80
7	**'आयुष' उद्योग का विकास**	**22.30**	**6.30**	**25.35**
1	'आयुष' उद्योग संकुलों के लिए आम सुविधाओं का विकास	22.00	6.00	25.00
2	विकासशील बाजार अवसर पैदा करने के लिए बाजार अध्ययन आयोजित करने/ मेलों में भाग लेने के लिए 'आयुष' उद्योग को प्रोत्सहन	0.30	0.30	0.35
8	**'आयुष' के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/ मिडवाइफरी प्रथाओं आदि में लगे एन जी ओ का वित्तपोषण**	**5.00**	**1.21**	**1.55**
	जो 'क' (केंद्रीय क्षेत्रक)	**284.00**	**276.66**	**430.00**

क्रम सं.	स्कीम/संस्थानों का नाम	ब.अ. 2008-09	सं.अ. 2008-09	ब.अ. 2009-10
ख.	केंद्र प्रायोजित स्कीमें			
1	**'आयुष' को प्रोत्साहन**	**215.00**	**186.71**	**247.00**
(क)	संस्थानों का विकास	65.00	36.71	45.00
(ख)	अस्पताल और औषधालय (एन आर एच एम के अंतर्गत)	120.00	140.00	197.00
(ग)	औषधि कोटि नियंत्रण	30.00	10.00	5.00
	नई पहलें	**35.00**	**11.63**	**57.00**
2	**विशेषज्ञता क्लिनिक/ आई पी डी स्थापित करने के लिए सरकारी-निजी भागीदारी**	5.00	0.05	7.00
3	**औषधीय पौधे-प्रसंस्करण क्षेत्र**	30.00	11.58	50.00
	जोड : 'ख'	**250.00**	**198.34**	**304.00**
	जोड : केंद्रीय योजना परिव्यय (क+ख)	**534.00**	**475.00**	**734.00**

अध्याय 15
पोषाहार और सामाजिक सुरक्षा कडी

15.1 खाद्य और पोषाहार सुरक्षा

15.1.1 विगत दो दशकों के दौरान, भारत ने कृषि उत्पादन और आर्थिक विकास में तेजी से प्रगति की है किन्तु अल्प-पोषण अभी भी आबादी के भेद्य वर्गों के बीच एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, जिनमें किशोर लड़कियां, महिलाएं और युवा बच्चे सम्मिलित हैं। समस्या, इस तथ्य से और गंभीर बन गई है कि 1996 के बाद से खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत में घटती प्रवृत्ति देखी गई है। देश के सात निर्धनतम राज्यों के 16 जिलों में आयोजित हाल ही के यू एन डी पी सर्वेक्षण (2008) के अनुसार, 7.5 प्रतिशत प्रतिवादियों के पास खाद्य की अत्यंत अपर्याप्त सुलभता थी तथा 29 प्रतिशत के लिए यह कुछ अपर्याप्त थी। एन एस एस ओ के कैलोरी डेटा से पता चलता है कि यद्यपि ग्रामीण भारत में शीर्ष 30% की खपत 2004-05 में प्रति दिन 2564 कैलोरी थी, निचले 30 प्रतिशत की खपत केवल 1607 कैलारी दिन थी, जिन्हें बल्कि अपने कठिन शारीरिक कार्य के लिए अधिक कैलोरियों की आवश्यकता है।

15.1.2 इसके अलावा, 15 प्रमुख राज्यों में प्रति मास अन्न खपत की प्रति व्यक्ति मात्रा, जैसा कि एन एस एस (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार) के 50वें (1993-94), 55वें (1999-2000) और 61वें (2004-05) चक्रों के अनुसार अनुमान लगाया गया है, विगत दो दशकों से अधिक समय से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में घट रही है। कुल व्यय में खाद्य के हिस्से में कमी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 73 प्रतिशत से 55 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 64.5 प्रतिशत से 42 प्रतिशत कमी आई है। खाद्य मदों में खर्च और खपत में कमीं का कारण क्रय शक्ति का अभाव और गरीबों द्वारा संकुचित प्रभावी मांग कहा जा सकता है जो परिवहन, स्वास्थ्य, बिजली और ईंधन आदि जैसे खाद्य-भिन्न मदों पर अधिक धन खर्च करने के लिए बाध्य हैं। निम्न कैलारी अंतर्ग्रहण, घटी खपत और खाद्य पर खर्च, इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि प्रचलित छिपी भूख के परिणामस्वरूप अपार कुपोषण भारतीय आबादी के एक बहुत बड़े भाग को प्रभावित कर रहा है।

15.1.3 संधारणीय खाद्य सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है जो केवल खाद्य उत्पादन सुधारने तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी सुलभता से भी संबंधित है। खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित एक आंतरिक कारक पोषक खाद्य, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेय जल, शिक्षा, स्वच्छता और स्वच्छता के प्रावधान द्वारा खाद्य खपत क्षमता में वृद्धि करना है।

वर्तमान पोषाहार स्थिति

15.1.4 आज भारत को पेश आ रही एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पोषाहार चुनौती में माता और भ्रूण के अल्पपोषण के कारण निम्न जन्म भार और बच्चों के बीच अवरुद्धता और कुपोषण, विशेष रूप से लोहा,

विटामिन 'क' और आयोडीन सम्मिलित है तथा दूसरी ओर, चिरकालिक ऊर्जा ज्यादती और अतिपोषाहार तथा सम्बद्ध स्वास्थ्य समस्याएं हैं। भारत विकासशील देशों में से एक है, जिसे 'पोषाहार संक्रमण' के लक्षण का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य पद्धतियों द्वारा खूराक-सम्बद्ध एन सी डी समझने की ऊंची लागत और अल्प पोषाहार से संघर्ष करने की जरूरत है।

कुपोषण

शिशु और बच्चे

15.1.5 अल्पपोषण, भारतीय बच्चों की उत्तरजीविता, विकास और संवृद्धि के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि असंतोषजनक पोषाहार गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन चक्र तक चलता रहता है विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं में। इससे न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जोखिम स्पष्ट होता है बल्कि और आगे भ्रूण अवरुद्धता के माध्यम से, भावी पीढ़ी को नुकसान पहुंचने की संभावना में भी वृद्धि होती है। इसलिए, गर्भवती महिलाओं, दुग्धपान कराने वाली माताओं और 0-3 वर्ष के आयु-समूह में बच्चों के पोषाहार पहलुओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान किए जाने की जरूरत है ताकि कुटिल अंतर-पीढ़ी कुपोषण चक्र को तोड़ा जा सके।

15.1.6 कुपोषण के प्रभाव के फलस्वरूप निम्न जन्म भार (एल बी डब्ल्यु) वाले जन्म शिशुओं की प्रतिशतता भिन्न-भिन्न होती है। एक वर्ष की आयु पर 1.4 से 1.6 किलो ग्राम की औसत कमी और भी कम हो जाती है अर्थात् 10 वर्ष की आयु पर लगभग 9 किलो ग्राम और प्रौढ़ होने पर 13-18 किलो ग्राम। ऊंचाई के मामले में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई है । एक वर्ष की आयु में 1 सेंटी मीटर की कमी प्रौढ़ होने पर 12-13 सेंटी मीटर तक कम हो जाती है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लगभग आधे बच्चे अल्प भार वाले (साधारण से गंभीर अल्प पोषाहार के तहत) अथवा अवरुद्ध होते हैं। बाल्यावस्था कुपोषण में प्रवृत्ति (0-3 वर्ष की आयु) तालिका 15.1 में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है।

तालिका 15.1 : बाल्यवस्था कुपोषण में प्रवृत्ति (0-3 वर्ष की आयु)

पोषाहार प्राचल	1998-99 एन एफ एच एस-2	2005-06 एन एफ एच एस-3
अवरुद्ध (आयु के हिसाब से ऊंचाई (प्रतिशत)	51.0	44.9
क्षय (ऊंचाई के हिसाब से भार) (प्रतिशत)	19.7	22.9
अल्प भार (आयु के हिसाब से भार) (प्रतिशत)	42.7	40.4

टिप्पणीः सूचक, 2006 डब्ल्यु एच ओ 'अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ जनसंख्या के औसत' से मानक विचलन यूनिटों (एस डी) में व्यक्त किया गया है। प्रतिशतता में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ जनसंख्या औसत से -3 मानक विचलन (एस डी) से कम बच्चे सम्मिलित हैं।

स्रोतः एन एफ एच एस-III (2005-06) की रिपोर्ट, आई आई पी एस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

15.1.7 यह उल्लेखनीय है कि अवरुद्ध अथवा अल्प भारत वाले बच्चों का अनुपात 20-23 महीने की आयु में बच्चे की आयु के साथ तेजी से बढ़ता है जबकि इनसे स्तनपान छुड़ा दिया जाता है। भारत में बाल कुपोषण की दरें विश्व में सबसे अधिक हैं। भारत में बाल क्षय की विद्यमानता (20 प्रतिशत) उप-सहारा अफ्रीका में बाल क्षय की औसत विद्यमानता तक अधिक (9 प्रतिशत) से दोगुनी है। इसके अलावा, 3 वर्ष की आयु से कम 40.4 प्रतिशत बच्चे 2005-06 में अल्पभार वाले थे जबकि 1998-99 में यह प्रतिशतता 43 थी (एन एफ एच एस-2) जिसका अर्थ इस अवधि के दौरान प्रखर परिवर्तन है जिस अवधि में अर्थव्यवस्था औसतन 6 प्रतिशत से अधिक प्रति वर्ष रही है। स्वभावतः आबादी में वृद्धि को देखते हुए, कुपोषितों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

15.1.8 और भी अधिक चिंता की बात यह है कि पाँच वर्ष से कम भारतीय बच्चों की पोषाहार स्थिति में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों की तुलना में कोई सुधार नहीं हुआ है। पाँच वर्ष से कम आयु के लगभग आधे बच्चे देश में (48 प्रतिशत) अवरुद्ध हैं और 43 प्रतिशत अल्पभार वाले हैं (एन एफ एच एस-3, 2005-06)। पाँच वर्ष से कम आयु के बहुत कम बच्चे अतिभार वाले हैं।

15.1.9 कुल मिलाकर लड़के और लड़कियाँ आमतौर पर समान रूप से अल्पोषित हैं। अल्पपोषण, पहले जन्म पर सामान्यतः बाद वाले जन्मों की तुलना में कम है और इसमें बढ़ते जनम क्रम अल्प जन्म अंतराल पर पोषाहार, स्थिति के सभी उपायों के संबंध में सतत रूप से बढ़ता जाता है। इसके अलावा, कुपोषण शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक गंभीर है। राज्य-वार विवरण को देखते हुए (संलग्नक-I) बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में कुपोषण की दरें राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक हैं। इनमें से कुछ राज्यों में वास्तव में 1998-99 के बीच 0-3 वर्ष के आयु-वर्ग के कुपोषित बच्चों के हिस्से में वृद्धि देखी गई है (एन एफ एच एस-2) और 2005-06 (एन एफ एच एस-3)।

15.1.10 स्तनपान और पूरक फीडिंग प्रथाओं के बारे में जागरूकता के अभाव के कारण केवल 40 प्रतिशत भारतीय शिशुओं को उनके जन्म के पहले घंटे के दौरान स्तनपान कराया जाता है (डी एल एच एस 2007-08)। यदि भारतीय माताएं स्तनपान की शुरुआत एक घंटे के अंदर से पहले बढा दें तो इससे आई एम आर में नवजात की मृत्यु दर के हिस्से में काफी कमी आ सकती है। छः महीने के लिए मात्र रूप से स्तनपान कराने और शिशु व युवा बच्चों की फीडिंग के संबंध में अन्य मार्गनिर्देशों का पालन करने को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। केवल 46.3 प्रतिशत भारतीय शिशुओं को मात्र रूप से स्तनपान कराया जाता है (संलग्नक 1); शेष बच्चों को अस्वास्थ्यकर फीडिंग पद्धतियों पर छोड़ दिया जाता है। बच्चे को प्राकृतिक रूप से विकसित होने देने के लिए उसे ठोस, मुशी खाद्य 6 महीने पूरे होने पर प्रदान किया जाना चाहिए (अर्थात स्तनपान के साथ-साथ)। डी एल एच एस 2007-08 के अनुसार 6-9 मास के आयु-वर्ग में केवल 24% बच्चों को उपयुक्त ठोस अथवा अर्द्ध-ठोस खाद्य दिया जाता है।

15.1.11 खुराक संबंधी सर्वेक्षणों की जांच करने पर देखा गया है कि बच्चों द्वारा उपभोग की जाने वाली 70 से 80 प्रतिशत कैलारी अनाजों और दालों से प्राप्त होती है। इसलिए बच्चों की खुराक में खाद्य अनाजों व

दालों के अभाव में तथा अनाजों से बच्चों के लिए कैलारी-प्रोटीन व अन्य पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति होने में असमर्थता के कारण कुपोषण की स्थिति और भी खराब हो सकती है।

प्रौढ़ कुपोषण

15.1.12 यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीयों के वजन और कद में औसतन पिछले कुछ वर्षों के दौरान कोई खास सुधार नहीं देखा गया है। इसके अलावा, 18.5 से कम बी एम आई वाली माताओं के बच्चे उनके प्रतिपक्षों की तुलना में अधिक अल्पपोषित होते हैं।

15.1.13 प्रोटीन-ऊर्जा कुपोषण के परिणाम अपने आप में स्पष्ट हैं। 1998-99 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (एन एफ एच एस-2) के अनुसार भारत की 36 प्रतिशत प्रौढ़ आबादी का बाड़ी-माँस सूचक (बी एम आई) 18.5 से कम था (प्रौढ़ कुपोषण के संबंध में कट-ऑफ)। 8 वर्ष बाद (2005-06) यह हिस्सा कम होकर आबादी का मात्र 33 प्रतिशत रह गया। यह इस बात के बावजूद हुआ कि आर्थिक विकास दशक के दौरान जोरदार रहा। लगभग 41 प्रतिशत महिलाएं और 38 प्रतिशत पुरुषों का ग्रामीण क्षेत्रों में बी एम आई 18.5 से कम है (एन एफ एच एस-3, 2005-06)।

15.1.14 भारत की पोषाहार स्थिति के दूसरे पक्ष से शहरी क्षेत्रों में अति वजन और मोटापे की विद्यमानता का पता चलता है। इसका मुख्य कारण बढ़ी संपन्नता, बदलती जीवनशैली, जंक खाद्य की खपत और पर्याप्त व्यायाम न किया जाना है। इसके फलस्वरूप चिरकालिक अनुत्पादक विकृतियों की अधिक विद्यमानता रहती है जो हाइपर टेंशन, किस्म-II मदों में, कैंसर कोरोनरी आर्टरी रोगों और पक्षाघात का प्रौढ़ावस्था में योगदान प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत में मोटापे और खुराक संबद्ध गैर-संचारी रोगों के फैलाव में धीरे-धीरे किंतु लगातार वृद्धि हो रही है।

कुपोषण न्यूनताएं

15.1.15 राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरन ब्युरो (एन एन एम बी) की दिसंबर 2006 की रिपोर्ट से पता चलता है कि दालों, हरी पत्तेदार सब्जियों (जी एल वी), दूध और फलों जैसे संरक्षणात्मक खाद्य की खपत काफी अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप लौह, विटामिन ए, रिबोफ्लाविन और फोलिक एसिड का उपभोग सभी आयु-वर्ग के लिए की गई सिफारिश से काफी कम है। विभिन्न लघु पोषक न्यूनताओं और उनके नियंत्रण की स्थिति संक्षेप में नीचे दर्शाई गई है।

रक्ताल्पता

15.1.16 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से डेटा से पता चलता है कि बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता में वृद्धि हो रही है। ग्यारहवीं योजना में महिलाओं और बच्चों के बीच रक्ताल्पता को 50 प्रतिशत तक कम करने के लिए एक समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गर्भवती महिलाओं में रक्ताल्पता के गर्भावस्था के दौरान प्रतिकूल परिणाम होते हैं जैसेकि उच्च मातृ और नवजात मृत्यु दर, निम्न जन्म भार, प्रसव जोखिम, अधिक रुग्णता दर, बच्चों में में शारीरिक और मानसिक विकास में गंभीर बाधाएं आदि। इसके अलावा,

रक्ताल्पता के कारण निम्न विद्धता अक्षताएं पैदा होती हैं और संक्रामक रोगों से अधिक रुग्णता पैदा होती है। 6-35 मास के बच्चों की प्रतिशतता, जो रक्ताल्पता के पीड़त थे। 74.2 प्रतिशत (एन एफ एस एच-2) से बढ़कर 79.2 प्रतिशत (एन एफ एच एस-3) हो गई। इसी प्रकार, 15-49 वर्ष के आयु वर्ग में विवाहित महिलाओं की प्रतिशतता, जो रक्ताल्पता से पीड़ित थी, 1995-88 की अवधि के दौरान 51.8 प्रतिशत से बढ़कर 56.3 प्रतिशत हो गई तथा 15-49 वर्ष के आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं 1998-99 में 49.7 प्रतिशत से बढ़कर 2005-06 में 57.9 प्रतिशत हो गई।

15.1.17 इस तथ्य के बावजूद कि भारत, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बीच रक्ताल्पता को रोकने के लिए राष्ट्रीय पोषाहार रक्ताल्पता प्रोफायलेक्सिस कार्यक्रम (एन एन ए पी) शुरू करने वाला पहला विकासशील देश था, फिर भी कोई सुधार देखने में नहीं आया। इन सभी परिणामों को देखते हुए, देश में रक्ताल्पता का मुकाबला करने के लिए और अधिक कठोर व ठोस प्रयास किए जाने की जरूरत है।

आयोडीन न्यूनतम विकृतियां

15.1.18 गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता, निम्न जन्म भार, अधिक समय-पूर्व जन्म की संभावना, गर्भपात और जन्मजात असमानताएं, जैसे कि बौनापन और मानसिक बाधा के उलटनीय स्वरूप से जुड़ी है। बाल्यावस्था के दौरान इससे शारीरिक विकास बाधित होता है, गलगण्ड की बीमारी होती है और बाल उत्तरजीविता की संभाव्यता में कमी आती है। यद्यपि भारत के आयोडीन न्यूनता विकृत्तियों की विद्यमानता अधिकांश दक्षिण एशियाई देशों की विभिन्न तुलना में कम है, फिर भी लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। आयोडीनयुक्त नमक का व्यापक उपयोग सादा, आयोडीन न्यूनता विकृतियां रोकने की कम खर्चीली पद्धति पद्धति है। एन एफ एच एस-3 में (2005-06) डेटा से पता चलता है कि 51 प्रतिशत परिवार ऐसे नमक का प्रयोग कर रहे थे जो पर्याप्त रूप से आयोडीनयुक्त और वास्तव में एन एफ एच एस-2 (1998-99) के आंकड़ों के समकक्ष है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों (41 प्रतिशत) की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक (72 प्रतिशत) है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि यह सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयास किए जाने चाहिए कि मानव खपत के लिए केवल आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध हो ताकि एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर आयोडीन न्यूनता विकृति को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

विटामिन 'ए' न्यूनता

15.1.19 विटामिन 'ए' न्यूनता (वी ए डी) को, जो भारत में न्यून आय वर्ग के लोगों को प्रभावित करती है, एक बड़ी नियंत्रणयोग्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण समस्या माना गया है। भारत में अनुमानतः 5.7 प्रतिशत बच्चे विटामिन 'ए' के लक्षणों के साथ नेत्र समस्याओं से पीड़त हैं। भेद्य समूहों, जैसे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के बीच अनेक पोषाहार समस्याएं, साथ-साथ विद्यमान हैं, जिनमें ऊर्जा की और साथ ही विटामिन 'ए' से इतर लघु पोषकों की अपर्याप्त खपत शामिल है। यह कमी, इस लघुपोषक की अधिक आवश्यकता के कारण स्कूल-पूर्व और गर्भवती व दुग्ध पान कराने वाली महिलाओं में अधिक देखी जाती है। गंभीर मामलों में इससे बिल्कुल अंधता भी आ सकती है। भारत में अंधता के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय

कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा विटामिन 'ए' समृद्ध खाद्य की खपत को प्रोत्साहित करने और विटामिन 'ए' की विशाल प्रोफायलेक्सिस खूराक पिलाने के साथ-साथ उपयुक्त स्तनपान को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाता है। एन एफ एच एस-III के अनुसार, विटामिन 'ए' पूरकता कवरेज 12-35 मास के आयु समूह में बच्चों के बीच लगभग 25 प्रतिशत है। 6-59 मास के आयु समूह में बच्चों के बीच ये आंकड़े और भी कम होकर केवल 18 प्रतिशत रह जाते हैं। इसलिए, युवा बच्चों को विटामिन 'ए' की विशाल खूराक की पूरकता के कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने की जरूरत है।

अन्य मुद्दे

15.1.20 हाल ही में भारत सरकार ने बच्चों के लिए पेचिस के प्रबंधन में जिंक के इस्तेमाल के मुद्दे की जांच की और तीन मास से बड़े बच्चों के लिए पेचिश के प्रबंधन को ओ आर एस के भाग के रूप में ज़िंक उपलब्ध कराने की सिफारिश की थी। उम्मीद है कि पेचिश के लिए जिंक लागू करने से देश में आई एम आर को कम करने में काफी मदद मिलेगी। बड़े मेक्रो और लघु पोषकों के अलावा, 300 से अधिक पोषक तत्व ऐसे हें जो शरीर के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। हाल ही के वर्षों में यह पाया गया है कि खाद्य में पादप-पोषकों में रोग निवारण और स्वास्थ्य प्रोन्नयन के लिए जैविकीय गुण हैं।

15.1.21 यह नोट करने योग्य है कि क्योंकि देश में वृद्धों की पोषाहार स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विश्वसनीय आवधिक डेटा उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए वृद्धों की पोषाहार स्थिति के संबंध में और अधिक साक्ष्य आधारित सूचना/अनुसंधान किए जाने की जरूरत है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा तथा 2009-10 के लिए योजना

पोषाहार उपायों का आकलन

15.1.22 इन न्यूनताओं का समाधान करने के लिए भारत ने पिछले छः दशकों के दौरान बहुत से स्वास्थ्य, पोषाहार और सामाजिक सुरक्षा कड़ी कार्यक्रम शुरू किए हैं जैसे कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषक न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना व अन्य।

15.1.23 **एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आई सी डी एस) के पोषाहार घटक के अंतर्गत पूरक पोषाहार** शामिल है। इसके अंतर्गत पूरक खाद्य और विकास मानीटरन; और विटामिन 'ए' न्यूनता के विरुद्ध प्रोफायलेक्सिस तथा पोषाहार रक्ताल्पता का नियंत्रण सम्मिलित है। छः वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती व नर्सिंग माताओं का पता लगाने के लिए सामुदायिक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। उन्हें वर्ष में 300 दिन के लिए पूरक खाद्य सहायता उपलब्ध होती है। पूरक खाद्य उपलब्ध कराकर आंगनवाड़ी, निम्न आय और असुविधाप्राप्त समुदायों में बच्चों और महिलाओं की औसत खपत और राष्ट्रीय रूप से सिफारिश की गई के बीच कैलोरी अंतर को पाटने का प्रयास करती है।

15.1.24 विकास मानीटरन और पोषाहार निगरानी दो महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप हैं जो आयोजित किए जाते हैं। तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों का मास में एक बार वज़न किया जाता है तथा 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का वज़न त्रैमासिक रूप से किया जाता है। छः वर्ष से कम बच्चों के संबंध में आयु के अनुसार वजन वृद्धि कार्ड रखे जाते हैं। इससे वृद्धि में कमी होने का पता चलता है। इससे पोषाहार स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को विशेष पूरक खाद्य उपलब्ध कराया जाता है तथा मेडिकल सेवाओं के लिए रेफर किया जाता है।

पूरक पोषाहार की किस्म

15.1.25 0-6 मास के आयु वर्ग में बच्चों के लिए राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र जीवन के पहले 6 महीने के लिए बच्चों के लिए एकमात्र रूप से स्तनपान और जल्द शुरुआत के मार्गनिर्देशों को जारी रखा जाना (जन्म के एक घंटे के अंदर) सुनिश्चित कर सकते हैं। 6 मास से 3 वर्ष के आयु समूह में बच्चों के लिए, आई सी डी एस स्कीम के अंतर्गत 'राशन घर ले जाओ (टी एच आर)' की विद्यमान पद्धति जारी रहेगी। तथापि, या तो सूखा अथवा कच्चा राशन (गेहूं और चावल) देने की वर्तमान मिश्रित प्रथा के अलावा, जिसका उपभोग प्रायः पूरे परिवार द्वारा किया जाता है, न कि मात्र बच्चे द्वारा, टी एच आर इस रूप में दिया जाना चाहिए जो पूरे परिवार के बजाए बच्चे द्वारा उपयोग किया जा सके। 3-6 वर्ष के आयु समूह में बच्चों के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से आई सी डी एस स्कीम के अंतर्गत ए डब्ल्यु सी और लघु-ए डब्ल्यु सी में गर्म पका भोजन मुहैया करने के लिए व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। क्योंकि इस आयु-वर्ग का बच्चा 500 कैलोरी का भोजन एक बार में खाने में समर्थ नहीं होता, इसलिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को ए डब्ल्यु सी में आने वाले बच्चों को एक से अधिक बार भोजन प्रदान करने पर विचार करने की सलाह दी गई है। क्योंकि गर्म पका भोजन तैयार और प्रदान करने की प्रक्रिया में समय लगता है और अधिकांश मामलों में भोजन दोपहर के आस-पास प्रदान किया जाता है। इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 500 कैलोरियां एक से अधिक भोजन में प्रदान कर सकते हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र दूध/ केला/ मौसमी फल आदि के रूप में सुबह का नाश्ता प्रदान करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

पूरक पोषाहार मानदंड

15.1.26 भारत सरकार ने हाल ही में लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणी के लिए पूरक पोषाहार की लागत में संशोधन किया है, जिसका ब्योरा निम्नानुसार है:

तालिका 15.1.2 : पूरक पोषाहार की लागत

क्रम सं.	श्रेणी	संशोधन-पूर्व दरें	संशोधित दरें (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)
1.	बच्चे (6-72 मास)	2.00 रुपए	4.00 रुपए
2.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 मास)	2.70 रुपए	6.00 रुपए
3.	गर्भवती महिलाएं और नर्सिंग माताएं	2.30 रुपए	5.00 रुपए

तालिका 15.1.3 : पोषाहार मानदण्ड

क्रम सं.	श्रेणी	(संशोधन-पूर्व)		(संशोधित) (प्रति लाभार्थी प्रति दिन)	
		कैलोरी (के कैल)	प्रोटीन (ग्रा.)	कैलोरी (के कैल)	प्रोटीन(ग्रा.)
1.	बच्चे (6-72 मास)	300	8-10	500	12-15
2.	गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे (6-72 मास)	600	20	800	20-25
3.	गर्भवती महिलाएं और नर्सिंग माताएं	500	15-20	600	18-20

15.1.28 **पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा :** आई सी डी एस के माध्यम से प्रदान की जाने वाली एक अन्य सेवा पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा (एन एच ई डी) है। यह बी सी सी (आचरण परिवर्तन संचार) कार्यनीति का भाग है। इसका महिलाओं की क्षमता निर्माण का - विशेष रूप से 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में - एक दीर्घावधिक लक्ष्य है जिससे वे अपने स्वास्थ्य, पोषाहार और विकास जरूरतों की और साथ ही अपने बच्चों व परिवारों की विकास जरूरतों की देखभाल कर सकें। पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा को उचित महत्त्व देना होगा क्योंकि इससे बच्चों और माताओं की पोषाहार और स्वास्थ्य स्थिति सुधारने में, इष्टतम शिशु और युवा बच्चे भोजन प्रथाओं, लघुपोषक समृद्ध खाद्य की खपत को प्रोत्साहित करने और विटामिन 'ए' तथा लोह व फोलिक एसिड पूरकता कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुपालन और आयोडीनयुक्त नमक का उपयोग बढ़ाने में मदद मिलती है। इष्टतम शिशु और युवा बाल भोजन प्रथाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से मातृ हकदारियों और शिशुगृह सुविधाओं के लिए प्रावधान पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

15.1.29 किशोर लड़कियों के बीच कुपोषण का कारण शीघ्र विवाह, गर्भाधान, मातृ मृत्यु दर और साथ ही उचित पोषाहार और प्राथमिक शिक्षा का अभाव है। एन एफ एच एस-3 डेटा से कुछ सीमा तक देश में किशोर लड़कियों के बीच विद्यमान अल्प-पोषण और रक्ताल्पता की स्थिति का पता चलता है। 2002-03 में प्रायोगिक परियोजना आधार पर 51 जिलों में शुरू किए गए **किशोर लड़कियों के लिए पोषाहार कार्यक्रम (एनपीएजी)** के अंतर्गत यह परिकल्पना की गई थी कि 35 किलो ग्राम से कम वजन वाली किशोर लड़कियों और 40 किलो ग्राम से कम वजन वाली गर्भवती व दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को तीन महीने तक 6 किलो ग्राम खाद्यान्न/ मास दिया जाएगा। वर्ष में चार बार उनका वजन लिया गया। 2007-08 से, लाभार्थियों का विनिर्धारण करने के लिए दो कट-आफ वजन का इस्तेमाल किया जा रहा है - 15 वर्ष से कम उम्र के लिए 30 किलो ग्राम और 15 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 35 किलो ग्राम। 6 किलो ग्राम प्रति लाभार्थी प्रति मास बी पी एल दरों पर मुफ्त खाद्यान्न के अलावा, सेवाएं, नामतः (क) लाभार्थियों और उनके परिवारों का पोषाहार और स्वास्थ्य शिक्षा, (ii) नियमित चैक-अप और रेफरल सेवाएं, यदि अपेक्षित हों, भी विनिर्धारित लड़कियों को प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, कार्यक्रम को 51 जिलों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में जारी रखा गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम को 'राजीव

गांधी किशोर लड़कियों के सशक्तीकरण की स्कीम' का एक भाग बनाने की परिकल्पना की गई है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

15.1.30 **मध्याह्न भोजन स्कीम (एम डी एम एस)** का उद्देश्य प्रत्येक स्कूली बच्चे को अपर प्राथमिक स्कूल स्तर तक मोटे तौर पर उनकी दैनिक पोषक आवश्यकताओं के एक-तिहाई तक गरम ताजा पका खाना प्रदान करना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पोषाहार स्थिति में सुधार करना है। भावी मार्ग एम डी एम एस को, उपयुक्त पोषाहार खाद्य पर बल देते हुए स्कूली आयु के बच्चों की खाद्य सुरक्षा का समाधान करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम के रूप में चलाने का है

भावी मार्ग

15.1.31 देश में लघु पोषक कुपोषण बदस्तूर जारी है। केंद्रीय और राज्य स्तरों पर विभिन्न चल रहे उपायों के विलयन और नूतनताओं के माध्यम से लघुपोषक कुपोषण नियंत्रण जरूरतों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। इनमें शामिल हैं: आयोडीन न्यूनता विकृतियों का नियंत्रण, 9 मास से 5 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए विटामिन 'ए' की पूरकता, 6 मास से 2 वर्ष तक के बच्चों और 10-19 वर्ष की किशोर लड़कियों के लिए लौह और फोलिक एसिड पूरक प्रदान करना, सभी गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली महिलाओं को लोह टेबलेट प्रदान करना और 6 मास तक के शिशुओं के स्तनपान पर बल देना तथा **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम)** के अंतर्गत लौह/फोलिक एसिड प्रदान करना।

15.1.32 व्यवहार्यतः **खूराक विविधीकरण** के लिए ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित करने की जरूरत है जिनसे पर्याप्त मात्रा में विभिन्न किस्म के पोषक-सम्पन्न खाद्य की (जैसे कि पशु उत्पाद, फल और सब्जियां) विशेष रूप से जो कुपोषण के प्रति भेद्य अथवा जोखिम के तहत हों, उपलब्धता में और खपत में सुधार हो और वे सुलभ हों। यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि लघु पोषकों की सीमित आपूर्ति की खपत को बढ़ाने के लिए तेल और वसा की खूराक अंतर्ग्रहण पर्याप्त हो। इसके अंतर्गत ऐसे कार्यकलाप सम्मिलित हैं जिनसे लघुपोषक-समृद्ध और इस प्रकार के उपायों पर विशेष बल के रूप में स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्य के उत्पादन, उपलब्धता और सुलभता में सुधार हो।

15.1.33 **बागबानी उपाय** के अंतर्गत पोषाहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषक समृद्ध फसलों को बढ़ाना सम्मिलित होगा। परिवार स्तर पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए घरेलू बागबानी को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण है। हरी पत्तेदार सब्जियों की सदाबहार किस्मों पर बल दिया जाना चाहिए जो उगाने में अपेक्षाकृत आसान है।

15.1.34 **सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों** के लिए प्रापण और आपूर्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने, मानीटरन और लघुपोषक कमियों के मानचित्रण के लिए संगठनों में संस्थागत क्षमता का निर्माण करने, नियमित अंतराल पर बच्चों को कीटहीन बनाने और सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता की व्यवस्था करने की जरूरत होगी।

15.1.35 **खाद्य प्रबलीकरण** कार्यकलापों के अंतर्गत खाद्य प्रबलीकरण के प्रस्तावित फार्मों के संबंध में मुद्दे सम्मिलित होंगे जैसे कि पी डी एस के अंतर्गत अनाज की बजाए बलीकृत आटा प्रदान करना। लघुपोषक न्यूनताओं को दूर करने के लिए प्रबलीकृत खाद्य उपलब्ध कराने की कार्यनीति के संबंध में और अधिक अनुसंधान करने की जरूरत है। ग्यारहवीं योजना में साक्ष्य पर आधारित खाद्य प्रबलीकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

15.1.36 पोषाहार क्षेत्रक में कोटि अनुसंधान को पोषाहार न्यूनतम के कारणों, आकस्मिकता की जटिल वेब निवारक कार्यनीतियों, और एक वृहद दृष्टिकोण के लिए खूराक के संबंध में स्वास्थ्य आचरण को समझने के संबंध में प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। यह कहा जा सकता है कि पोषाहार क्षेत्रक में अनुसंधान कोटि डेटाबेस के अभाव में बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसलिए, पोषाहार के संबंध में प्रबंधन सूचना पद्धति को, क्षेत्रक को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पोषण हस्तक्षेप के अंतर-मंत्रालयीय समन्वय के माध्यम से विकसित किए जाने की जरूरत है।

15.2 श्रम कल्याण और सामाजिक सुरक्षा

15.2.1 2008 में विश्व वित्तीय मंदी आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, क्रेडिट, इक्विटी, वित्तीय विनिमय बाजारों आदि को प्रभावित किया। इन सभी कारकों के मिले-जुले प्रभाव के परिणामस्वरूप रोजगार का नुकसान हुआ और आय में कटौती हुई जिसकी वजह से सामाजिक कठिनाई उत्पन्न हुई। मंदी द्वारा प्रभावित उद्योगों/ क्षेत्रकों में रोजगार पर वैश्विक वित्तीय मंदी के प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय (एम ओ एल ई) के श्रम ब्यूरो, भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव और परिणामी रोजगार हानि का आकलन करने के लिए तुरंत रोजगार सर्वेक्षण आयोजित करता रहा है। अभी तक, चार तुरंत त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण आयोजित किए गए हैं। पहला सर्वक्षण, अक्तूबर-दिसंबर 2008 की तिमाही के दौरान प्रभाव का आकलन करने के लिए जनवरी 2009 में आयोजित किया गया था। दूसरा सर्वेक्षण, जनवरी-मार्च 2009 के दौरान प्रभाव का आकलन करने के लिए अप्रैल 2009 में आयोजित किया गया। तीसरा और चौथा सर्वेक्षण, अवधियों के संबंध में आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन जुलाई 2009 और अक्तूबर 2009 में आयोजित किया गया।

15.2.2 इन छोटे नमूना सर्वेक्षणों के आधार पर देखा गया कि पहले वर्ष के दौरान, विश्व आर्थिक मंदी के उद्भव के बाद से अर्थात सितंबर 2008 से सितंबर 2009 में, लगातार तिमाहियों के दौरान वैकल्पिक तौर पर रोजगार की हानि और लाभ देखा गया तथा पूरे वर्ष के संबंध में 1.51 लाख नौकरियों का निवल लाभ हुआ। वर्ष के दौरान खनन, चर्म, धातुओं, आटोमोबाइलों, हीरे और जवाहरात तथा परिवहन में रोजगार की निवल हानि हुई जिसकी कपड़ों, आई टी/ बी पी ओ और हथकरघा/ विद्युत कर्घा क्षेत्रक में हुए निवल रोजगार लाभ द्वारा उससे भी अधिक की क्षतिपूर्ति हो गई।

15.2.3 वैश्विक वित्तीय मंदी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक पहलें की गई हैं। ये उपाय, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ, रोजगार अवसरों में वृद्धि करके, कामगारों के हितों को भी संरक्षण प्रदान करते हैं।

15.2.4 मंदी के कारण वैश्विक स्तर पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए, आई एल ओ ने चक्रीय रोधी उपायों और 'विश्व रोजगार समझौता' नामक एक सामाजिक संरक्षण कार्यनीति का भी प्रस्ताव किया है जिसपर भारतीय श्रम सम्मेलन (आई एल सी) जैसे हमारे राष्ट्रीय मंच पर सभी पणधारियों के साथ विचार किया जा सकता है। बेरोजगारी के संकट से निपटने के लिए सुझाए गए कुछेक उपाय हैं:

- प्रभावी मांग को बढ़ावा देना तथा मेक्रो-आर्थिक प्रेरक पैकेजों के माध्यम से बेरोजगारी के प्रतिकूल प्रभाव से निपटना;
- और अधिक कवरेज तथा उचित रूप से लक्षित सक्रिय श्रम बाजार नीतियों की प्रभावी पद्धति पर बल देना;
- प्रदत्त और स्व-रोजगार हेतु व्यावसायिक व उद्यमी विकास काग्रक्रमों को कार्यान्वित करना;
- कामगार दक्षता विकास, दक्षता उन्नयन और रोजगार उपयुक्तता में सुधार करने के लिए पुनः दक्षता प्रदान करने में निवेश करना;
- लक्षित प्रयासों के बहु-आयामीय प्रभाव को समझते हुए अर्थव्यवसथा के क्षेत्रकों के बीच रोजगार सृजन को समर्थन प्रदान करना;
- संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रकों में श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन;
- रोजगार का सृजन करने तथा लगातार आर्थिक कार्यकलाप को प्रेरित करने के लिए महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में अवसंरचना, अनुसंधान और विकास, सार्वजनिक सेवाओं में निवेश में वृद्धि करना।

योजना परिव्यय और उसका उपयोग

15.2.5 ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना (2007-12) के दौरान, श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना स्कीमों के लिए 2210.02 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया (2006-07 के मूल्यों पर)। इसके विपरीत, ग्यारहवीं योजना के पहले वर्ष अर्थात 2007-08 के दौरान मंत्रालय के लिए 325.48 करोड़ रुपए आबंटित किए गए (19.52 करोड़ रुपए के सिविल निर्माण कार्य को छोड़कर, जिसे शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था)। तथापि, वास्तविक खर्च की राशि 1,280.22 करोड़ रुपए थी, जिसे पूरक प्रावधानों के जरिए वहन किया गया। संशोधित अनुमान स्तर पर इसे बाद में बढ़ाकर 1250.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसी प्रकार, ग्यारहवीं योजना के दूसरे वर्ष, अर्थात 2008-09 के दौरान 771.50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई (28.50 करोड़ रुपए के विभिन्न निर्माण कार्यों को छोड़कर, जिसे शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया था)। संशोधित अनुमान स्तर पर इसे बढ़ाकर 1,426.00 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके मुकाबले 1,388.39 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की संभावना है (अनंतिम) जिसे भी पूरक प्रावधानों के जरिए पूरा किया गया। श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना स्कीमों के लिए 2009-10 के

दौरान भी 1630.76 करोड़ रुपए का योजना प्रावधान किया गया है। विस्तृत परिव्यय संलग्नक 15.2.1 में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों (एस सी और एस टी) के लिए विशेष स्कीमें

15.2.6 सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अनेक विशेष स्कीमें तैयार की हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए बहुत से लाभों की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्र

15.2.7 यह स्कीम चार केंद्रों, यथा दिल्ली, कानपुर, जबलपुर और चेन्नई में प्रायोगिक आधार पर 1969-70 में शुरू की गई थी। स्कीम की सफलता को ध्यान में रखते हुए, इसका अठारह और राज्यों में विस्तार कर दिया गया। इस समय बाईस राज्यों/ संघ् राज्य क्षेत्रों में (यद्यपि इनमें से जोवई, मेघालय में एक पूर्णतः कार्यात्मक बनाए जाने की प्रक्रिया में है) बाईस कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्र कार्य कर रहे हैं।

15.2.8 सितंबर 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान विभिन्न कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्रों की भौतिक उपलब्धि नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 15.2.1 : विभिन्न कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केंद्रों की भौतिक उपलब्धि

कार्यकलाप	कवर किए गए उम्मीदवारों की संख्या
पंजीकरण मार्गदर्शन	53954
प्रस्तुति-पूर्व मार्गदर्शन	4333
विश्वास निर्माण कार्यक्रम	37077
टाइप और आशुलिपि में प्रशिक्षण	21636
भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण (पी आर टी)	6745

विशेष कोचिंग स्कीमें : यह स्कीम दिल्ली और गाजियाबाद में प्रायोगिक आधार पर 1973 से शुरू की गई थी तथा अभी तक 31.05.2008 तक इस स्कीम के 25 चरण पूरे हो चुके हैं, 16.08.2008 से 26वां चरण प्रगति पर है।

कंप्यूटर प्रशिक्षण

15.2.9 यह स्कीम, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रोजगार इच्छुकों को आउटसोर्स प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से, कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 2004 से शुरू की गई थी।

श्रम कल्याण निधियां/स्कीमें

15.2.10 लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, लोह अयस्क खान निधि, मेगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि, सिनेमा कामगार कल्याण निधि और बीड़ी कामगार कल्याण निधि की स्थापना संसद के अधिनियमों द्वारा की गई है।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

15.2.11 मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्य में राज्य सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मई 1978 में 'बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम' शुरू की। स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास सहायता के लिए राज्य सरकारों को 50:50 आधार पर अनुदान दिए जाते हैं। स्कीम में समय-समय पर गुणात्मक परिवर्तन किए गए हैं तथा इसे उतरोत्तर रूप से उदार बना दिया गया है। पुनर्वास सहायता को मई 2000 से बढ़ाकर अब प्रति मजदूर 20,000/- रुपए कर दिया गया है तथा पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100 प्रतिशत पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है। उपरोक्त केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 2008-09 में राज्यों को वित्तीय सहायता के रूप में 119.98 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। इसी अवधि के दौरान 543 बंधुआ मजदूरों का विनिर्धारण और पुनर्वास किया गया। राज्यों को बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण विनिर्धारण और उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अभी तक इस स्कीम के अंतर्गत 2,68,136 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया है।

सर्वेक्षण और अनुसंधान अध्ययन

15.2.12 श्रम ब्युरो ने अभी तक अनुसूचित जाति केंद्रों में नौ और अनुसूचित जनजाति संकेंद्रित केंद्रों में आठ सर्वेक्षण आयोजित किए हैं तथा सभी रिपोर्टें जारी कर दी गई हैं।

बाल श्रम का उन्मूलन

15.2.13 बाल श्रम के पुनर्वास के लिए सरकार ने, देश के तेरह बाल ग्राम प्रधान जिलों में कार्य कर रहे बच्चों का पुनर्वास करने के लिए 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) स्कीम शुरू की है। इस समय देश में 250 जिलों को कवर करने के लिए इसका धीरे-धीरे विस्तार कर दिया गया है।

15.2.14 एन सी एल पी स्कीम के अंतर्गत बच्चों को काम पर से हटाया जाता है तथा उन्हें विशेष स्कूलों में भर्ती किया जाता है, जहां उन्हें सेतु शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वृत्तिका, स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं तथा अंततः उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति के साथ जोड़ दिया जाता है। इस समय, देश में लगभग 9000 एन सी एल पी स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें 0.45 मिलियन बच्चे दाखिल हैं। अभी तक 0.48 मिलियन कार्यरत बच्चों को एन सी एल पी स्कीम के अंतर्गत नियमित शिक्षा की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जा चुका है।

15.2.15 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं का समग्र पर्यवेक्षण, मानीटरन और आकलन करने के लिए सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मानीटरन समिति गठित की गई थी। राज्य सरकारों को भी केंद्रीय मानीटरन समिति की तरह ही राज्य स्तर मानीटरन समितियां गठित करने की सलाह दी गई

थी। एन सी एल पी के प्रचालनीकरण की गति और प्रगति का मानीटरन करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मानीटरन समिति की पिछली बैठक 3 और 4 सितंबर 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित चार उप-समितियाँ निम्नलिखित की जाँच करने के लिए गठित की गई थीं:

1. बाल श्रम का पता लगाना और मानीटरन करना - कार्यनीति;
2. श्रम के लिए प्रवासी और अवैध तरीके से लगाए गए बच्चों को छुड़ाना, प्रत्यावर्तन और पुनर्वास;
3. जागरूकता सृजन कार्यक्रम; और
4. राज्य स्तर पर कल्याण स्कीमों का अभिसरण।

औद्योगिक संबंध

15.2.16 केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी आई आर एम) श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है तथा इसे केंद्रीय क्षेत्र में औद्योगिक संबंध बनाए रखने, श्रम कानूनों के प्रवर्तन और ट्रेड यूनियन सदस्यता के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है। सी आई आर एम में मुख्यालय में 18 अधिकारियों और क्षेत्र में 250 अधिकारियों का स्टाफ है। सी आई आर एम के कार्यालय अंचल, क्षेत्र और यूनिट स्तर संस्थापनाओं के साथ देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। वर्ष 2007-08 के दौरान, सी आई आर एम ने 436 हड़ताल आशंकित संगठनों में दखल दिया तथा इसके मेल-मिलाप प्रयासों के फलस्वरूप 420 हड़तालों को रोकने में सफलता मिली, जो 97 प्रतिशत सफलता दर का द्योतक है।

कामगार शिक्षा

15.2.17 केंद्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड (सी बी डब्ल्यु ई) जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी, एक त्रिपक्षीय सोसायटी है, जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और यूनिट/ग्राम स्तर पर कामगार शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है। बोर्ड, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जिसके अंतर्गत संगठित, असंगठित, ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रक सम्मिलित हैं।

15.2.18 बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कामकाजी लोगों के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना है। संयुक्त शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय संवर्गों को भी शामिल किया जाता है।

15.2.19 1970 से मार्च 2009 तक बोर्ड ने 22,158 प्रतिभागियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विविध अवधियों के 914 कार्यक्रम आयोजित किए। बोर्ड ने अपनी स्थापना से मार्च 2009 तक, संगठित, असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र के 1,12,14,218 कामगारों के लिए भिन्न-भिन्न अवधियों के 3,91,630 कार्यक्रम आयोजित किए।

श्रम सांख्यिकी

15.2.20 औद्योगिक कामगारों, और केंद्रीय, राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण करने के लिए तथा संगठित और असंगठित क्षेत्रक कामगारों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित/संशोधित करने के लिए भी औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचक (सी पी आई - आई डब्ल्यु) 2001=100 का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, जिसका संकलन और प्रसारण श्रम ब्युरो द्वारा किया जाता है।

15.2.21 श्रम ब्युरो निम्नलिखित के संबंध में भी सी पी आई संख्या का निर्माण, अनुरक्षण और प्रकाशन करता है: (i) ग्रामीण और कृषि श्रमिक (आधार 1986-87=100), (ii) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 31 अनिवार्य वस्तुओं के खुदरा कीमत सूचकांक, और (iii) 21 उद्योगों के लिए मजदूर दर सूचक।

15.2.22 श्रम ब्युरो ने, 11 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 20 केंद्रों में, खान, वस्त्र, धातु, हीरे और जवाहरात, आटोमोबाइल परिवहन और आई टी/ बी पी ओ से संबंधित 2581 यूनिटों को कवर करते हुए भारत में अक्तूबर-दिसंबर 2008 अवधि के संबंध में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित किया। श्रम ब्युरो द्वारा रिपोर्ट में यथा प्रस्तुत रोजगार प्रवृत्तियों के विश्लेषण से, सर्वेक्षण के अंतर्गत कवर हुए क्षेत्रकों में लगभग आधी मिलियन रोजगार हानि का पता चलता है।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

15.2.23 भारत के संविधान में यथा व्यवस्थित कामगारों को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य (ओ एस एच) के प्रावधानों को, महानिदेशालय, खान सुरक्षा (डी जी एम एस) और महानिदेशालय, फेक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थानों (डी जी एफ ए एस एल आई) के कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। डी जी एम एस, खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत नियुक्त अपने निरीक्षकों के माध्यम से खान उद्योग में कामगारों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधानों को प्रवर्तित करता है। डी जी एफ ए एस एल आई, अपने डाक सुरक्षा निरीक्षणालय के माध्यम से डॉक में सुरक्षा प्रावधान प्रवर्तित करता है तथा विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत फेक्टरी निरीक्षणालयों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वयक एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है।

15.2.24 अप्रैल 2008 से मार्च 2009 के दौरान, जहाजों, गिअर्स डॉकों और संकटपूर्ण संस्थापनाओं के 2290 निरीक्षण, डॉक सुरक्षा निरीक्षणालयों द्वारा बड़े बंदरगाहों पर, किए गए। सभी बंदरगाहों पर 141 रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें से 33 घातक थीं।

सामाजिक सुरक्षा

15.2.25 सरकार ने कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विधान अधिनियमित किए हैं। इस संबंध में महत्त्वपूर्ण अधिनियम हैं: कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952, मातृ लाभ अधिनियम 1961, उपदान अदायगी अधिनियम 1972 और कर्मचारी

राज्य बीमा अधिनियम, 1948। इन अधिनियमों के तहत कामगारों को अधिक लाभ प्रदान करने के लिए हाल ही में अनेक पहलें की गई हैं।

15.2.26 रुग्णता, मातृ और रोजगार आघातों के मामले में मेडिकल देखभाल और नकद लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का 1948 में अधिनियमन किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई एस आई सी) ई एस आई स्कीम कार्यान्वित कर रहा है जिसे 1952 से लागू किया गया है।

15.2.27 ई एस आई स्कीम के अंतर्गत कवर हुए बीमित व्यक्तियों की संख्या पहली बार 2007-08 में 1.21 करोड़ की नई ऊंचाई पर पहुंच गई। स्कीम के अंतर्गत कवर हुए लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 4.68 करोड़ तक पहुंच गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान 93,049 कर्मचारियों को कवर करते हुए स्कीम को 55 नए क्षेत्रों में लागू कर दिया गया।

15.2.28 कर्मचारियों द्वारा स्व-प्रमाणन की पद्धति 1 अप्रैल 2008 से लागू की गई है जिसके अंतर्गत 40 व्यक्ति तक नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को अनुपालन के संबंध में एक स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा 40 अथवा इससे अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को सनदी लेखाकार द्वारा यथापूर्वक प्रमाणित स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसे, अनुपालन करने वाले नियोक्ताओं के नेमी निरीक्षण को न्यूनतम करने के लिए लागू किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

15.2.29 कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 में, अधिनियम की अनुसूची में वर्णित उद्योगों में बीस अथवा अधिक कर्मचारी नियुक्त करने वाली फेक्टरियों/ संस्थापनाओं में अनिवार्य भविष्य निधि, पेंशन और जमा-सम्बद्ध बीमा की व्यवस्था है। भारत सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई पी एफ ओ) के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 को प्रशासित करती है तथा निम्नलिखित तीन स्कीमें तैयार की गई थीं:

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952;
2. कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, और
3. कर्मचारी जमा - सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976

15.2.30 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत कवर हुए संस्थापनाओं की संख्या 5,32,702 है, जिनमें से 2695 छूटप्राप्त संस्थापनाएं थीं। कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्यों की कुल संख्या 449.19 लाख है तथा पेंशन निधि में सदस्य संख्या 405.86 लाख है।

15.2.31 2007-08 के दौरान 56.09 लाख सदस्यों के दावों का निपटान किया गया तथा इन दावों के विरुद्ध 13,331.57 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई।

15.2.32 कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों की जमाओं पर घोषित की गई ब्याज की दर वर्ष 2007-08 के लिए 8.5 प्रतिशत थी (मासिक चालू शेष पर)। वर्ष के दौरान बगैर-छूट प्राप्त संस्थापनाओं के सदस्यों को 393.83 लाख वार्षिक लेखा विवरण जारी किए गए।

अनुसंधान और प्रशिक्षण

15.2.33 श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वी वी जी एन एल आई), जिसे जुलाई 1974 में स्थापित किया गया था, श्रम के क्षेत्र में एक प्रमुख अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा संस्थान है। संस्थान के मुख्य कार्य हैं:

- परामर्श; और
- प्रकाशन व अन्य ऐसे कार्यकलाप, जो आवश्यक हों
- शैक्षिक कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करना और सहायता प्रदान करना, और
- अपने आप तथा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की अन्य एजेंसियों के सहयोग से अनुसंधान आयोजित, उसके लिए सहायता, प्रोत्साहित और समन्वित करना।

संस्थान ने अप्रैल-मार्च 2009 के दौरान 120 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें 3328 प्रतिभागियों ने भाग लिया। दिसंबर 2008-मार्च 2009 के दौरान 30 और कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।

अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान

15.2.34 अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (आई ए एम आर) की स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में 1962 में की गई थी। आई ए एम आर का मुख्य कार्य एक ऐसा संस्थागत फ्रेमवर्क विकसित करना है जो व्यवस्थित जनशक्ति योजना प्रक्रिया को बनाए रखने व उसे संचालित करने में समर्थ हो। आई ए एम आर, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास, उद्यमशीलता विकास व दक्षता प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, आनुभाविक अनुसंधान आयोजित कर रहा है। कुछ समय के दौरान, आई ए एम आर ने अपने कार्यकलापों का विस्तार किया है जिसमें जरूरत आधारित आनुभाविक अध्ययन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों के लिए स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है तथा दक्षता विकास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

15.2.35 वर्ष 2007-08 के दौरान संस्थान ने चार अनुसंधान अध्ययन पूरे किए तथा यह जनशक्ति प्रोफाइल और राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली के संबंध में सात चल रहे अनुसंधान कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

अनुलग्नक 15.1.1

विभिन्न आयु वर्गों में बच्चों की राज्य-वार कुपोषण दर

राज्य	मात्र रूप से स्तनपान करने वाले 0-5 मास आयु के बच्चे (प्रतिशत)	ठोस और अर्ध-ठोस खाद्य प्राप्त करने वाले तथा स्तनपान करने वाले 6-9 मास आयु के बच्चे (प्रतिशत)	तीन वर्ष की आयु से कम बच्चे जो अल्प वजन वाले हैं (प्रतिशत)
भारत	**46.3**	**55.8**	**45.9**
आंध्र प्रदेश	62.7	63.7	36.5
अरुणाचल प्रदेश	60.0	77.6	36.9
असम	63.1	59.6	40.4
बिहार	27.9	57.3	58.4
छत्तीसगढ़	82.0	54.5	52.1
दिल्ली	34.5	59.8	33.1
गोवा	17.7	69.8	29.3
गुजरात	47.8	57.1	47.4
हरियाणा	16.9	44.8	41.9
हिमाचल प्रदेश	27.1	66.0	36.2
जम्मू एवं काशमीर	42.3	58.3	29.4
झारखंड	57.8	65.3	59.2
कर्नाटक	58.0	72.5	41.1
केरल	56.2	93.6	28.8
महाराष्ट्र	53.0	47.8	39.7
मध्य प्रदेश	21.6	51.9	60.3
मणिपुर	61.7	78.1	23.8
मेघालय	26.3	76.3	46.3
मिजोरम	46.1	84.6	21.6
नागालैंड	29.2	71.0	29.7
उड़ीसा	50.2	67.5	44.0
पंजाब	36.0	50.0	27.0
राजस्थान	33.2	38.7	44.0
सिक्किम	37.2	89.6	22.6
तमिलनाडु	33.3	77.9	33.2
त्रिपुरा	36.1	59.8	39.0
उत्तर प्रदेश	51.3	45.5	47.3
उत्तराखंड	31.2	51.6	38.0
पश्चिम बंगाल	58.6	55.9	43.5

स्रोतः एनएफएचएस-3 (2005-06), आईआईपीएस, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (अनंतिम)

संलग्नक 15.2.1

योजना प्रावधान और व्यय

(करोड़ रुपए)

		11वीं पंच वर्षीय योजना (2007-12)	वार्षिक योजना (2008-09)		वार्षिक योजना (2009-10)		वार्षिक योजना (2010-11)
		परिव्यय	परिव्यय (सं.अ.)	वास्तविक व्यय	परिव्यय (ब.अ.)	वास्तविक व्यय	प्रस्तावित परिव्यय
1	डी जी ई और टी	828.18	941	1083.83	1134.17	1240.15	1982.86
2	व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (डी जी एम एस और डी जी एफ ए एस एल आई)	56.45	16.47	12.47	15.09	17.68	89.58
3	औद्योगिक संबंध	41.38	8.43	7.14	6.5	13.3	14.41
4	बाल श्रमिक	579.16	146.63	157.81	100	100	325.0
5	महिला श्रमिक	2.39	-	-	-	-	-
6	श्रम ब्युरो	38.02	8.32	8.00	9.00	21.01	32.49
7	राष्ट्रीय श्रम संस्थान (एन एल आई)	22.10	4.50	5.00	5.00	5.00	4.5
8	अनुसंधान अध्ययन हेतु सहायता अनुदान स्कीम	1.33	.75	.29	0.50	0.50	.75
9	कामगार शिक्षा	44.21	8.00	9.50	9.00	9.00	9.5
10	बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास	13.26	1.00	1.20	1.00	1.00	1.0
11	सूचना प्रौद्योगिकी	8.84	1.5	1.5	.50	.53	.75
12	असंगठित क्षेत्रक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और असंगठित क्षेत्रक कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा	574.70	203.98	101.65	350	350	500
13	पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान		85.10		90.00		
	जोड़	**2210.02**	**1426.00***	**1388.39**	**1630.76****	**1758.17**	**2900.84**

* शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित 19.52 करोड़ रुपए का सिविल निर्माण कार्य घटक शामिल नहीं है।

** शहरी विकास मंत्रालय को हस्तांतरित 28.50 करोड़ रुपए का सिविल निर्माण कार्य घटक शामिल नहीं है।

अध्याय 23

23.1 ग्राम एवं लघु उद्यमों सहित उद्योग

23.1.1 उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 26 प्रतिशत है। उच्च आर्थिक वृद्धि में उद्योग और विनिर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2007-08 जोकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष था, में उद्योग से प्राप्त होने वाले सकल घरेल उत्पाद ने 8.1 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की और विनिर्माण ने 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। वर्ष 2008-09 के दौरान उद्योग और विनिर्माण के क्रमशः 3.9 प्रतिशत और 2.4 प्रतिशत की दर से (संशोधित प्राक्कलन) बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इन दोनों ही क्षेत्रों पर वैश्विक मंदी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मुख्य क्षेत्रों अर्थात उद्योग, कृषि और सेवा में वृद्धि के रुख का तालिका 23.1.1 से देखा जा सकता है।

औद्योगिक वृद्धिः औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

23.1.2 औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि, जिसे औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार भी मापा जाता है, जोकि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित और जारी किया जाता है, तालिका 23.1.2 में दी गई है।

तालिका 23.1.1: स्थिर (1999-2000) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कृषि	(-) 7.2	10.0	0.0	5.8	4.0	4.9	1.6
उद्योग	7.1	7.4	10.3	10.2	11.0	8.1	3.9
विनिर्माण	6.8	6.6	8.7	9.1	11.8	8.2	2.4
सेवाएं	7.5	8.5	9.1	10.6	11.2	10.9	9.7
सकल घरेलू उत्पाद	3.8	8.5	7.5	9.5	9.7	9.0	6.7

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

तालिका 23.1.2: प्रतिशत में क्षेत्रीय वृद्धि दर

मद	मूल्य (प्रतिशत)	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आईआईपी पर आधारित क्षेत्रीय वृद्धि दर					
समग्र	100	8.2	11.6	8.5	2.6
खनन और क्वैरीइंग	10.5	1.0	5.4	5.1	2.6
विनिर्माण	79.4	9.1	12.5	9.0	2.6
विद्युत	10.2	5.2	7.2	6.4	2.8
प्रयोग-आधारित वर्गीकरण					
समग्र	100	8.2	11.6	8.5	2.6
आधारिक वस्तुएं	35.6	6.7	10.3	7.0	2.6
पूंजी-आधारित वस्तुएं	9.3	15.8	18.2	18.0	7.1
अंतर्मध्यस्थ वस्तुएं	26.5	2.5	12.0	9.0	(-) 2.0
उपभोक्ता वस्तुएं	28.7	12.0	10.1	6.1	4.6
(i) स्थायी	5.4	15.3	9.2	(-) 1.0	4.5
(ii) गैर-स्थायी	23.3	11.0	10.4	8.6	4.6

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

23.1.3 औद्योगिक वृद्धि ने वर्ष 2002-03 (दसवीं योजना का पहला वर्ष) से तेजी पकड़ी और 2006-07 (10वीं योजना का समाप्ति वर्ष) में 11.6 प्रतिशत तक पहुंच गई। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 2002-03 के 6 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2006-07 में लगभग दोगुना बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गई। औद्योगिक वृद्धि अप्रैल, 2007 से कम होना प्रारंभ हुई और यह आगे जाकर और कम हो गइ। विनिर्माण क्षेत्र ने भी इस प्रकार का रुख दिखाया और मार्च, 2007 में 16 प्रतिशत की शीर्ष वृद्धि पर पहुंचकर इसने कम होना प्रारंभ कर दिया और मई, 2007 में 2.5 प्रतिशत की नगण्य वृद्धि दर्ज की।

वर्ष 2008-09 में उद्योग का निष्पादन

23.1.4 वर्ष 2007-08 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के अनुसार 8.5 प्रतिशत की समग्र औद्योगिक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2008-09 में कम होकर 2.6 प्रतिशत हो गई। उद्योग के अंतर्गत क्षेत्रीय वृद्धि दर भी 2008-09 के दौरान धीमी हो गई। आधारिक वसतुओं के लिए वृद्धि दर 2007-08 के 7.0 प्रतिश्त की तुलना में 2008-09 में 2.6 प्रतिशत थी। पूंजी-आधारित वस्तुओं क्षेत्र में भी वर्ष 2007-08 में 18.0 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2008-09 के दौरान कमी आई और यह 7.1 प्रतिशत हो गई। सबसे खराब निष्पादन अंतर्मध्यस्थ वस्तुओं के संबंध में था 2007-08 में 9.0 प्रतिशन की तुलना में 2008-09 में 2 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।

औद्योगिक दृष्टिकोण

23.1.5 वर्ष 2009-10 के दौरान औद्योगिक वृद्धि में मामूली बेहतरी दर्ज की गई। वर्ष 2009-10 के पहले 2 महीनों (अप्रैल-मई) के दौरान उद्योग ने सीएसओ द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की संगत अवधि के दौरान लगभग 4.5 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसईएस)।

23.1.6 सार्वजनिक क्षेत्र सर्वेक्षण 2008-09 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान बाजार मूल्य पर) के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में मूल्य-आधिक्य का हिस्सा 2007-08 में 8.02 प्रतिशत के हिस्से की तुलना में वर्ष 2008-09 में 6.49 प्रतिशत था। 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार कुल मिलाकर 246 सीपीएसईएस थे जिसमें से 213 प्रचालन में थे और 33 द्वारा व्यावासयिक प्रचालन अभी शुरू किया जाना था। 213 सक्रिय सीपीएसईएस में से नुकसान उठाने वाले 54 सीपीएसईएस में से लगभ्गा 159 सीपीएसईएस ने वर्ष 2008-09 के दौरान लाभ कमाया। वर्ष 2008-09 के दौरान 12.91 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए सभी सीपीएसईएस का निवल मूल्य वर्ष 2007-08 के 5,20,968 करोड़ रुपए की तुलना में 5,88,217 करोड़ रुपए हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में सभी सीपीएसईएस का कुल कारोबार 10,94,484 करोड़ रुपए की तुलना में 12,63,405 करोड़ रुपए हो गया जोकि 15.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

रुग्ण सीपीएसईएस का पुनरुद्धार

23.1.7 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) ने इन इकाइयों को अधिक स्वायत्त और व्यावसायिक बनाने के दृष्टिकोण से 56 सीपीएसईएस को सुदृढ़ करने के तौरतरीकों के संबंध में सिफारिशें की हैं।

औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत योजना स्कीमें

विशेष श्रेणी राज्यों को सहायता

23.1.8 विशेष श्रेणी राज्यों के लिए स्कीमें हैं: (i) केन्द्रीय पूंजी निवेश दूट स्कीम, (ii) केन्द्रीय ब्याज छूट स्कीम, (iii) केन्द्रीय व्यापक बीमा स्कीम, (iv) परिवहन छूट, (v) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क छूट, और (vi) आयकर छूट। वर्ष 2009-10 के लिए शीर्ष 'विशेष श्रेणी राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए पैकेज' के अंतर्गत 45.00 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है।

23.1.9 उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के अनुसार इनके संबंध में किया गया निवेश क्रमशः 10,489 करोड़ रुपए, 5,224 करोड़ रुपए और 1,364 करोड़ रुपए है। इसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड में 1,10,000 कार्यदिवसों, हिमाचल प्रदेश में 69,255 कार्यदिवसों और जम्मू व कश्मीर में 34,139 कार्यदिवसों के अनुमानित रोजगार का सृजन हुआ है।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना

23.1.10 प्रधानमंत्री के दिसंबर, 2006 में टोक्यो दौरे के दौरान भारत सरकार और जापान सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसरण में निवेश का बढ़ाने और पारस्परिक सहयोग के अवसरों की तलाश करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 अगस्त, 2007 को दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर (डीएमआईसी) की परियोजना रूपरेखा को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। डीएमआईसी का परियोजना क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हिससें को कवर करता है। इस परियोजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 330 करोड़ रुपए के लिए अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान 100 करोड़ रुपए के साथ डीएमआईसी-परियोजना विकास निधि (डीएमआईसी-पीडीएफ) स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें भारत सरकार और जापान सरकार का बराबर का योगदान होगा। वार्षिक योजना 2009-10 में डीएमआईसी के लिए 50 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

परिवहन छूट स्कीम

23.1.11 देश के पर्वतीय, दूरस्थ और अगम्य क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से परिवहन छूट स्कीम को जुलाई, 1971 में प्रारंभ किया गया था। इस स्कीम का समय5समय पर विस्तरित किया गया और यह 31.3.2008 तक वैध थी। 31.3.2008 से आगे इसका विस्तार प्रक्रियाधीन है। इस स्कीम का मूल्यांकन एक बाह्य अभिकरण द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक इकाई के स्थान और निर्धारित रेलवे बिंदु तक और कच्चे माल और तैयार वस्तुओं के परिवहन पर लागू परिवहन लागत के 50 प्रतिशत से 90 प्रतिश्त की छूट लागू है।

21.1.12 अपने प्रारंभ से 31.3.2009 तक इस स्कीम के अंतर्गत 1,663.09 करोड़ रुपए की कुल राशि जमा की गई है। वार्षिक योजना 2009-10 में इस स्कीम के लिए 401.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस)

23.1.13 वर्ष 2003 में प्रारंभ की गई औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम (आईआईयूएस) का उद्देश्य चुनिंदा कार्यकारी समूहों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से गुणवत्तायुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराके उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने का है। प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना लागत के 75 प्रतिशत (50 करोड़ रुपए की सीमा के अधीन) तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना की शेष लागत परियोजना की अनुमानित लागत के 15 प्रतिशत के न्यूनतम उद्योग अंशदान के अधीन संबंधित समूहों के दावाधारकों द्वारा वित्तपोषित की जानी अपेक्षित होती है।

23.1.14 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में आईआईयूएस के लिए परिव्यय 1,050 करोड़ रुपए रखा गया है। वार्षिक योजना 2009-10 में इस सकीम को 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई बाक्स 23.1.1 में दी गई है। वर्ष 2002-03 से आईआईयूएस के विशेष प्रयोजन वाले वाहनों के लिए आबंटन और जारी की गई निधि तालिका 23.1.3 में दी गई है।

बाक्स 23.1.1: वर्ष 2008-09 में आईआईयूएस के लक्ष्य और उपलब्धियां

लक्ष्य	उपलब्धियां
औद्योगिक रूप से कम विकसित राज्यों में शेष चार परियोजनाओं की स्वीकृति	आटो क्लस्टर, आदित्यपुर संबंधी एक परियोजना को स्वीकृत कर दिया गया है। औद्योगिक क्लस्टर, जगदीशपुर

	को 'सैद्धांतिक अनुमोदन' दिया जा चुका है। शेष परियोजनाओं को स्वीकृत किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।
आईआईयूएस की पुनर्संरचना और उसके अंतर्गत 10-15 परियाजनाओं की स्वीकृति	आईआईयूएस की पुनर्संरचना संबंधी व्यय वित्त समिति टिप्पण को अंतर्मंत्रालयी/विभागीय विचार-विमर्श के लिए परिचालित किया गया है। आश की जाती हे कि मंत्रिमंडल का अनुमोदन नवंबर, 2008 तक प्राप्त हो जाएगा। अनुमोदन के पश्चात, नई परियोजनाओं को प्रांरभ किया जाएगा।
निर्माणाधीन परियोजनाओं का पूरा करना	दसवीं योजना के दौरान स्वीकृत की गई 26 परियोजनाओं में से 6 को पूरा कर लिया गया है और 10 को मार्च, 2009 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। अन्य परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और इनके अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा होने की आशा है।

23.1.15 वर्ष 2007-08 के दौरान 524.70 करोड़ रुपए के वास्तविक व्यय की तुलना में वर्ष 2009-10 के लिए डीआईपीपी के लिए योजना आबंटन 1,000 करोड़ रुपए है। वर्ष 2008-09 के दौरान परिव्यय और वास्तविक व्यय और वर्ष 2009-10 के लिए परिव्यय का स्कीम-वार ब्यौरा अनुलग्नक 23.1.1 में दिया गया है।

भारी उद्योग क्षेत्र में सीपीएसईएस और योजना स्कीमें

23.1.16 भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत 48 सीपीएसईएस विनिर्माण, परामर्शी और अनुबंध क्रियाकलापों में लगे हुए हैं जिसमें से नौ सीपीएसईएस को बंद/समाप्त कर दिया गया है और तीन के प्रचालनों के निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने 27 सीपीएसईएस के पुनरुद्धार प्रस्ताव बीआरपीएसई को भेजे हैं। बीआरपीएसई की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 13 पीएसईएस के पुनरुद्धार/पुनर्संरचना (2005 से), 2 सीपीएसईएस के संयुक्त उद्यम के गठन और दो सीपीएसईएस के संबंध में बंदी को अनुमोदित कर दिया है। 17 सीपीएसईएस की पुनर्संरचना (2005 से) में 1,498 करोड़ की रोकड़ सहायता और 4,266 करोड़ की गैर-रोकड़ सहायता शामिल है।

23.1.17 वर्ष 2008-09 में भारी उद्योग विभाग की योजना स्कीमों में वास्तविक व्यय 1,351.60 करोड़ रुपए (191.71 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 1,159.89 करोड़ रुपए के आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन) था। वर्ष 2009-10 में सीपीएसईएस की निर्माणाधीन योजना स्कीमें, राष्ट्रीय आटोमोटिव और अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी), सीपीएसईएस का पुनरुद्धार और संयोजन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) स्कीमों के लिए सहायता के कार्यान्वयन के लिए योजना आबंटन 3,455.61 करोड़ रुपए (350.0 करोड़ रुपए बीएस + 3,105.61 करोड़ रुपए आईइबीआर) है।

पूंजी-आधारित वस्तुएं और इंजीनियरिंग उद्योग

23.1.18 पूंजी-आधारित वस्तुएं कुल विनिर्माण मूल्य आधिक्य में लगभग 9 प्रतिशत का योगदान करती हैं। आईआईपी के अनुसार वर्ष 2008-09 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में 2.4 प्रतिशत की कमी के कारण पूंजी-आधारित वस्तुओं के क्षेत्र में कम वृद्धि की संभावना थी। पूंजी-आधारित वस्तु क्षेत्र ने वर्ष 2007-08 के 18 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2008-09 में

7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। पूंजी-आधारित वस्तुओं के समग्र आयात में भी 2007-08 में विगत वर्ष की तुलना में 63 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा वर्ष 2008-09 में 4 प्रतिशत की गिरावट आई (तालिका 23.1.4)।

तालिका 23.1.3: आईआईयूएस के विशिष्ट प्रयोजन वाहनों के लिए निधि का आबंटन और निर्मुक्तियां

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	बजट आबंटन (ब.प्रा.)	बजट आबंअन (सं.प्रा.)	जारी अनुदान
2002-03	यह स्कीम 2003-04 में प्रारंभ की गई			
2003-04	02	60.00	37.50	37.50
2004-05	24	175.00	175.00	194.97
2005-06	शून्य	275.00	125.00	124.29
2006-07	शून्य	260.00	215.94	222.34
2007-08	03	180.00	117.00	116.24
2008-09	01	180.00	-	29.10
कुल	30		670.44	724.44

मशीन के औजारों के आयात का मूल्य 2008-09 में 2200 मिलियन डालर तथा जोकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग समान था। परियोजना वस्तुओं तथा विशेष उपष्करों के अंतर्गत शामिल इलेक्ट्रिकल मशीनरी का आयात 2008-09 में पर्याप्त रूप से बढ़ा।

23.1.19 इलेक्ट्रिक मशीनरी खंड, जिसमें कि विद्युत संयंत्र आते हैं विद्युत क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग पूरी करने में संकट का सामना कर रहा है। मुख्य खंड हैं बायलर्स, ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, जेनरेटर्स इत्यादि। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 78,000 मेगावाट की क्षमता और जोड़ने की योजना है। बीएचईएल इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है तथा उसने अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ संकट की स्थिति से गुजर रही सुपर तापीय विद्युत परियोजनाओं और नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिक अधिग्रहण से संबंधित कार्य प्रारंभ किया है। वर्ष 2008-09 में बीएचईएल द्वारा क्षमता विस्तार के लिए 1106 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया गया है और वर्ष 2009-10 में 2,483 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

23.1.20 भारी उद्योग विभाग द्वारा पांच व्यापक खंडों में पूंजी-आधारित वस्तु क्षेत्र की प्रतिस्पर्द्धात्मक को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है। प्रस्तावित नई स्कीम के लिए वर्ष 2009-10 में 24 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

आटोमोबाइल उद्योग

23.1.21 आटोमोबाइल क्षेत्र उत्पादन स्तर में वर्ष 2007-08 की 10.85 मिलियन की संख्या तुलना में वर्ष 2008-09 में 11.17 मिलियन का उत्पादन हुआ इस प्रकार उत्पादन मात्रा में गिरावट का रुख बदला और 2.9 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त की गई (तालिका 23.1.5)। इस उद्योग ने यात्री कारों और दोपहिया वाहनों के क्षेत्र में उत्पादन का बड़ा हिस्सा निर्यात किया। यात्री कार के संबंध में निर्यात का हिस्सा वर्ष 2007-08 में 14.8 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में उत्पादन मात्रा का 20.8 प्रतिशत हो गया। दोपहिया वाहनों के संबंध में भी निर्यात 2007-08 में 11.2 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में उत्पादन मात्रा का 11.9 प्रतिशत हो गया। निर्यात में आटोमोबाइल उद्योग का कुल कारोबार लगभग 12 प्रतिशत का है। इसकी तुलना में आटोमोबाइल घटकों के संबंध में निर्यात इसके कारोबार का 19.7 प्रतिशत है।

तालिका 23.1.4: पूंजी-आधारित वस्तुओं का आयात

(अमेरिकी मिलियन डालर में)

	समूह	2006-07	2007-08	2008-09	2007-08 में प्रतिशतता विचलन	2008-09 में प्रतिशतता विचलन
	पूंजी-आधारित वस्तुएं					
1.	धातुओं के विनिर्माता	1603.6	2662.7	3241	66.0	20.1
2.	गैस-इलेक्ट्रिकल मशीनरी और मशीन के औजार	15331	22086	23762	44	7.6
3.	इलेक्ट्रानिक्स के अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल-मशीनरी	1959.8	2870.5	3667	46.5	26.2
4.	परिवहन उपस्कर	9438.6	20112	13222	113.1	-35.2
5.	परियोजना वस्तुएं	1796	1294	3188	-28.0	146.0
	कुल	30130	49007	47080	63.0	-4.0
	कुल आयात के प्रतिशत के रूप में पूंजी-आधारित वस्तुएं	16.2	19.5	15.5		

स्रोतः व्यावसायिक सतर्कता और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता।

तालिका 23.1.5: वाहनों का उत्पादन

(000 में)

समूह	2006-07	2007-08	2008-09	2007-08 में प्रतिशत वृद्धि	2008-09 में प्रतिशतता वृद्धि
यात्री वाहन	1545	1777	1838	15	3.4
व्यावसायिक वाहन	520	549	417	5.6	-24.0
तिपहिया	556	501	501	-9.9	0.07
दोपहिया	8467	8027	8419	-5.2	4.9
कुल	11088	10854	11175	-2.1	2.96

राष्ट्रीय आटोमोटिव और अनुसंधान व विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी)

23.1.22 भारी उद्योग विभाग ने देश में अत्याधुनिक परीक्षण, वैधीकरण और अवसंरचना सृजित करने के उद्देश्य सहित राष्ट्रीय आटोमोटिव और अनुसंधान व विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के माध्यम से आटोमोबाइल क्षेत्र के निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल की है। इसके अंतर्गत भारत में 1,718 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ दो चरणों में विश्वस्तरीय परीक्षण और अनुसमर्थन सुविधाएं स्थापित करने की योजना है। प्रमुख सुविधाएं देश के तीन प्रमुख आटोमोटिव केन्द्रों दक्षिण, उत्तर और पश्चिम में स्थापित की जाएंगी। वर्ष 2007-08 में एनएटीआरआईपी की जारी परियोजनाओं का वास्तविक व्यय 125 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008-09 के लिए योजना परिव्यय 180 करोड़ रुपए रखा गया है।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान - कारपोरेट कार्य मंत्रालय की योजना स्कीम

23.1.23 ग्यारहवीं योजना में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की एकमात्र योजना स्कीम 'भारतीय कारपोरेट मामला संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना' है जिसका परिव्यय 211 करोड़ रुपए है। आईआईसीए प्रतिक्रियात्मक विधिक/नीतिगत फ्रेमवर्क, संशोधित विनियमों, प्रभावी सेवा आपूर्ति और व्यावासयिक रूप से सक्षम जनशक्ति के दृष्टिकोण से तेजी से वैश्वीकृत होती भारतीय अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए अपेक्षित संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराएगा। इस स्कीम को मंत्रालय द्वारा मई, 2008 में अनुमोदित कर दिया गया था। मानेसर में आईआईसीए परिसर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और वर्ष 2008-09 में इस पर 63 करोड़ रुपए व्यय हुए। वार्षिक योजना 2009-10 में इस संस्थान के लिए 33 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती (सीआरआर) - सार्वजनिक उद्यम विभाग की योजना स्कीम

23.1.24 सार्वजनिक उद्यम विभाग सीपीएसईएस से संबंधित नीति के लिए तथा निष्पादन में सुधार (और मूल्यांकन) के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। यह विभाग वर्ष 2001-02 से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईएस) के अलग किए गए कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और पुनः तैनाती (सीआरआर) संबंधी एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। सीपीएसई के जेनेरिक मुद्दों पर अनुसंधान विकास और परामर्श संबंधी एक नई स्कीम वर्ष 2007-08 में प्रारंभ की गई थी। ग्यारहवीं योजना में इन दोनों स्कीमों का कुल आबंटन 54 करोड़ रुपए है।

23.1.25 सीआरआर स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान वीआरएस का विकल्प लेन वाले क्रमशः 9,728 और 9,772 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 2008-09 में विभाग द्वारा इन दोनों स्कीमों पर 8.3 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। साव्रजनिक उद्यम विभाग की स्कीमों के लिए 10.0 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

इस्पात

23.1.26 वर्ष 2008-09 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष के 53.8 मिलियन टन की तुलना में 58.4 मिलियन टन था जोकि 8.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। भारत विश्व में कच्चे इस्पात का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कच्चे इस्पात का उत्पादन प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़कर वर्ष 2002-03 के 34.7 मिलियन टन से बढ़कर 2008-09 में 58.4 मिलियन टन हो गया। यह वृद्धि क्षमता विस्तार (वर्ष 2002-03 में 40.41 मिलियन टन से वर्ष 2008-09 में 66.34 मिलियन टन तक) और क्षमता उपयोग में सुधार (वर्ष 2002-03 में 86 प्रतिशत से वर्ष 2008-09 में 88 प्रतिशत तक) दोनों से ही अभिप्रेरित थी। वर्ष 2002-03 से तैयार इस्पात (मिश्र धातु और गैर-मिश्र धातु) और कच्चे इस्पात का उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात तालिका 23.1.6 में दिया गया है।

23.1.27 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम - स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं के केन्द्र में हैं। इन विस्तार योजनाओं से एसएआईएल की प्रतिवर्ष गर्म धातु उत्पादन क्षमता वर्ष 2010 तक 14.6 मिलियन टन से बढ़कर 26 मिलियन टन हो जाएगी और आरआईएनएल की प्रतिवर्ष गर्म धातु उत्पादन क्षमता वर्ष 2009-10 तक 3 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 6.3 मिलियन टन हो जाएगी।

23.1.28 वर्ष 2008-09 के दौरान इस्पात मंत्रालय का वास्तविक योजना व्यय 9,509.00 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में 8,528.20 करोड़ रुपए था। इस कमी का मुख्य कारण आरआईएनएल, एनएमडीसी और केआईओएल द्वारा आईईबीआर की नियोजित से कम वसूली थी। वर्ष 2009-10 के लिए इस्पात क्षेत्र के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 13,756.66 करोड़ रुपए है जिसमें से 34 करोड़ रुपए बजटीय सहायता और 13,722.66 करोड़ रुपए आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन है (आईईबीआर) है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक नई स्कीम - लौह और इस्पात

क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन - को 118 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ प्रारंभ किया गया है। अनुसंधान और विकास स्कीम को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2009-10 में 26.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

तालिका 23.1.6: तैयार इस्पात (मिश्र धातु और गैर-मिश्र धातु) तथा कच्चे इस्पात का उत्पादन, खपत, आयात और निर्यात

(मिलियन टन में)

		2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
मिश्र धातु सहित तैयार स्टील	उत्पादन	37.166	40.709	43.513	46.566	52.529	56.075	57.164
	खपत	30.677	33.119	36.377	41.433	46.783	52.125	52.351
	आयात	1.663	1.753	2.293	4.305	4.927	7.029	5.841
	निर्यात	4.517	5.207	4.705	4.801	5.242	5.077	4.437
कच्चा इस्पात	उत्पादन	34.707	38.727	43.437	46.460	50.817	53.857	58.437

स्रोतः आर्थिक अनुसंधान इकाई, इस्पात मंत्रालय

रसायन तथा पेट्रोरसायन

23.1.29 कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन उद्योग भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है तथा रसायनों के उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से विश्व में बारहवें स्थान पर है। यह घरेलू औद्योगिक क्रियाकलाप का लगभग 14 प्रतिशत है। यह देश के कुल निर्यात का लगभग 8.5 प्रतिशत और कुल आयात का लगमग 6.8 प्रतिशत है। रसायन उद्योग सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3 प्रतिशत का अंशदान करता है। भारत कीटनाशकों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है और इसके पास अनेक प्रकार के उत्पादों के विनिर्माण की सुविधाएं हैं।

तालिका 23.1.7: चुनिंदा प्रमुख रसायनों का उत्पादन

(000 मीट्रिक टन)

उप-समूह	2007-08	2008-09
क्षारीय रसायन	5443	5442
अकार्बनिक रसायन	609	513
कार्बनिक रसायन	1552	1254
कीटनाशक (तक.)	83	85
रंग तथा रंग सामग्री	44	32
कुल प्रमुख रसायन	**7731**	**7326**

23.1.30 रसायन विभाग के अंतर्गत आने वाली स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजना 2008-09 में 139.83 करोड़ रुपए का व्यय शामिल है। इस विभाग को वार्षिक योजना 2009-10 में 239.75 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। आबंटन का स्कीम-वार ब्यौरा अनुलग्नक 23.1.1 में दिया गया है।

पेट्रोरसायन उद्योग

23.1.31 पेट्रोरसायन उद्योग जिसमें कि सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, पालीमर, इलेस्टोमर्स, सिंथेटिक डिटर्जेंट, इंटरमीडिएट और परफार्मेंस प्लास्टिक शामिल हैं को वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग को उत्पादन में लगभग 5.56 प्रतिशत की गिरावट देखनी पड़ी जोकि लगभग 8.19 मिलियन टन है। (तालिका 23.1.8)

तालिका 23.1.8: चुनिंदा प्रमुख पेट्रोरसायनों का उत्पादन

(000 मीट्रिक टन)

उप-समूह	2007-08	2008-09
सिंथेटिक फाइबर	2524	2343
पालीमर	5304	5060
इलेस्टोमर	105	96
सिंथेटिक डिटर्जेंट इंटरमीडिएट	585	552
परफार्मेंस प्लास्टिक	157	141
कुल प्रमुख रसायन	**8675**	**8193**

औषधियां और फार्मास्यूटिकल्स

23.1.32 भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग विकासशील देशों के सबसे बड़े और उन्नत उद्योगों में से एक है और इस समय इसका कारोबार 19 बिलियन अमेरिकी डालर है (घरेलू खपत 11.5 बिलियन अमेरिकी डालर और निर्यात 7.6 बिलियन अमेरिकी डालर)। देश का इस समय उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा और मूल्य की दृष्टि से चौदहवां स्थान है। और इस प्रकार यह विश्व के उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से 10 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 1.5 प्रतिशत का हिस्सेदार है। यह उद्योग सभी प्रमुख उपचारी समूहों में औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। विभिन्न खुराकों के संबंध में अच्छी विनिर्माण प्रक्रिया (जीएमपी) अनुसरित सुविधाओं में उत्पादन किया जा रहा है। भारतीय निर्यातक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप, जापान और आस्ट्रेलिया के अत्यधिक विनियमित बाजारों सहित विश्व के लगभग 200 से अधिक देशों में निर्यात करते हैं। इस उद्योग ने वर्ष 2006-07 में 5,867.30 करोड़ रुपए के आयात की तुलना में 24,942 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात दर्ज किया।

उर्वरक

23.1.33 इस समय देश में 56 बड़ी उर्वरक इकाइयां हैं जोकि नाइट्रोजनस, फास्फेटिक और जटिल उर्वरकों की विस्तृत श्रृंखला का निर्माण कर रही हैं। इनमें से उत्पादन के आधार पर 30 इकाइयां (आज की स्थिति के अनुसार 28 इकाइयां सक्रिय हैं) यूरिया, 21 इकाइयां डीएपी और जटिल उर्वरक, 5 इकाइयां निम्न विश्लेषित स्ट्रेट नाइट्रोजनस उर्वरक और 9 इकाइयां अमोनियम सल्फेट का विनिर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त, 72 छोटी और मध्यम पैमाने की इकाइयां प्रचालन में हैं जोकि सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) का उत्पादन कर रही हैं। उर्वरक उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता 31.3.2009 की स्थिति के अनुसार नाइट्रोजन के संबंध में 120.61 लाख मीट्रिक टन और फास्फेट के संबंध में 56.59 लाख मीट्रिक टन है।

23.1.34 उर्वरक विभाग ने वर्ष 2009-10 के दौरान एफओ/एलएसएचएस आधारित संयंत्रों के गैस में परिवर्तन के लिए पूंजी छूट, देश में बंद यूरिया इकाइयों के पुनरुद्धार और पोषण-आधारित छूट रिजीम के कार्यान्वयन जैसी पहल शुरू की हैं। सरकार ने कंपनियों द्वारा स्वयं परिवर्तन परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए संशोधित नीति को अनुमोदित किया है और लागत की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा एक विशेष निर्धारित लागत द्वारा परिवर्तन के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के भीतर कर दी जाएगी। 4 एफओ/एलएसएचएस आधारित इकाइयों को गैस में परिवर्तन के संबंध में कार्य पहले ही प्रारंभ कर दिया है।

वस्त्र उद्योग

23.1.35 भारतीय वस्त्र उद्योग का देश के आर्थिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्योग जोकि पिछले छः दशकों के दौरान 3-4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही थी अब 9-10 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष की दर से तीव्रता पकड़ चुकी

है। इस उद्योग में बहुत अधिक विभिन्नताएं हैं। जहां एक ओर हाथ से कताई और हाथ से बुनाई का क्षेत्र है वहीं दूसरी ओर पूंजी सघन, सौम्य मिल क्षेत्र है। विकेन्द्रीकृत पावरलूम्स/होजरी और बुनाई क्षेत्र वस्त्र क्षेत्र का सबसे बड़ा खंड निर्मित करते हैं। यह उद्योग रेशों और धागों की विविधतापूर्ण रेंज पर निर्भर करती हैं लेकिन मुख्य रूप से यह काटन-आधारित है। इस उद्योग को विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की सहायता देश में ही प्राप्त हो जाती है (काटन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और मनुष्य निर्मित रेशों और धागों का पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक)।

23.1.36 कृषि के पश्चात वस्त्र क्षेत्र देश का रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जोकि सीधे तौर पर लगभग 35 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करता है जिसने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं की पर्याप्त संख्या शामिल है। इस समय यह औद्योगिक उत्पादन के लगभग 14 प्रतिशत, जीडीपी के 4 प्रतिशत और देश की निर्यात आय का लगभग 17 प्रतिशत का हिस्सेदार है।

23.1.37 वस्त्र क्षेत्र में स्कीमों पर वार्षिक योजना में व्यय 3127.02 करोड़ रुपए था। इस मंत्रालय को वार्षिक योजना 2009-10 में वस्त्र क्षेत्र की स्कीमों के लिए 3,750 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं (उद्योग क्षेत्र)। स्कीम-वार आबंटन का ब्यौरा अनुलग्नक 23.1.1 में दिया गया है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस)

23.1.38 संगठित और गैर-संगठित क्षेत्र दोनों में उद्यमियों को घटी दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हुए वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) को 1.4.1999 को प्रारंभ में 5 वर्ष के लिए शुरू किया गया था। यह स्कीम जिसे कि अब 31.3.2012 तक बढ़ा दिया गया है वस्त्र उद्योग में लक्षित खंडों में त्वरित निवेश पाने के लिए पूर्णतः तैयार है। टीयूएफएस ने इस उद्योग को मात्रात्मक रूप से प्रतिबंधित वस्त्र व्यापार से बाजार-आधारित वैश्विक व्यापार में परिवर्तित करने में सहायता की है। टीयूएफएस की संशोधित संरचना अतिरिक्त क्षमता के निर्माण और प्रौद्योगिकी को बेहतर ढंग से अपनाने पर ध्यान केन्द्रित करती है और ऐसे खंडों जिनमें वृद्धि की अधिक संभावनाएं हैं जैसेकि गारमेंटिंग टेक्निकल टेक्सटाइल्स और प्रोसेसिंग, को उच्च स्तर की सहायता उपलब्ध कराती है।

23.1.39 टीयूएफएस के अंतर्गत प्रमुख लाभार्थी क्षेत्रकों में स्पिनिंग, समेकित क्रमोन्नयन, प्रसंस्करण, वीविंग और गार्मेंटिंग शामिल हैं। इन क्षेत्रों पर संवितरित राशि का 75% से अधिक व्यय हुआ है। 31.3.2009 तक 6089.44 करोड़ रुपए की सब्सिडी के साथ 24,572 एप्लिकेशनों के लिए 60955 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है। इस स्कीम में 31.3.2009 तक निवेश 1,66,839 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात और राजस्थान टीयूएफएस के तहत जारी राशि के लगभग 80 प्रतिशत के प्रति उत्तरदायी है। इस स्कीम पर वर्ष 2008-09 में वास्तविक व्यय 2632 करोड़ रुपए था। वर्ष 2009-10 में 3140 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

एकीकृत टेक्सटाइल पार्कों (एसआईटीपी) के लिए स्कीम

23.1.40 स्कीम का लक्ष्य उच्च विकास संभावना के साथ औद्योगिक क्लस्टर/लोकेशन हैं, जिनमें विश्व व्यापी अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराकर कार्यनीतिक हस्तक्षेप की जरूरत है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत (सामान्य अवसंरचना व सुवधाओं के लिए) 4199.35 करोड़ रुपए है, जिसमें से जीओआई सहायता 1438.03 करोड़ रुपए होगी। 2171 उद्यमी 4611 एकड़ क्षेत्र को कवर करते हुए इन पार्कों में अपनी यूनिटें स्थापित करेंगे। इन पार्कों में अनुमानित निवेश 21,700 करोड़ रुपए का होगा और अनुमानित वार्षिक उत्पादन 38,717 करोड़ रुपए होगा। वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान 279.59 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान 397 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी)

23.1.41 कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) फरवरी, 2000 में शुरू किया गया। सूत प्रौद्योगिकी मिशन के तहत ग्यारहवीं पंचवर्षीय परिव्यय 241.00 करोड़ रुपए है। प्रतिवर्ष 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटन वर्ष 2007-08 और 2008-09 में मुहैया कराया गया था।

जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)

23.1.42 सरकार ने 2 जून, 2006 को चार लघु मिशन संघटकों के साथ जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम) को अनुमोदित किया। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि मंत्रालय ने 9 नवंबर, 2006 को जेटीएम का लघु मिशन I शुरू किया। कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय ने 21 दिसम्बर, 2006 को जेटीएम के लघु मिशन II शुरू किया। जेटीएम का लघु मिशन III और IV टेक्सटाइल मंत्रालय द्वारा 6 फरवरी, 2007 को शुरू किए गए। जेटीएम के उद्देश्य जूट रेशे की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विकास और गुणवत्ता बीजों की आपूर्ति के लिए मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना कुशल बाजार संपर्कों का विकास तथा आधुनिकीकरण करना और विविधीकरण सहित उत्पादन में सुधार करने के लिए गुणवत्ता का उन्नयन करना।

23.1.43 लघु मिशन-II के तहत विकसित किए जाने वाले 10 बाजार प्रांगणों में से, 2 बाजार प्रांगणों (1 पश्चिम बंगाल तथा 1 असम में) में कार्य पूरा हो चुका है और इनका उद्घाटन क्रमशः 30.8.2009 और 31.8.2009 को किया गया। पश्चिम बंगाल में 6 बाजार प्रांगणों, असम में 3 और बिहार में दो का निर्माण प्रगति पर है। यह भी प्रस्ताव है कि भारत में प्रत्येक जूट उत्पादक जिलों में चरणबद्ध रूप में रेटिंग की सुविधा के लिए कम से कम एक रेटिंग टैंक का निर्माण किया जाए। अगले पांच वर्षों में धीमे तरीके से 50 रेटिंग टैंकों के निर्माण का प्रस्ताव है जिससे कि जूट उत्पादकों को रेटिंग जल उपलब्ध कराया जा सके। 50 रेटिंग टैंकों में से 18 पर कार्य पहले ही शुरू हो चुका है (पश्चिम बंगाल में 11, बिहार में 1 और असम में 6)।

23.1.44 लघु मिशन IV के तहत, संगठित जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न स्कीमों में शामिल हैं - श्रमिकों तथा पर्यवेक्षकों का जूट प्रशिक्षण, मशीनरी विकास, उत्पादकता सुधार और समग्र गुणवत्ता प्रबंधन सुविधा, मशीनों तथा संयंत्र का अधिग्रहण, जूट के विविध उत्पादों की डिजाइन और विकास जिसमें इनके उन्नयन, प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक स्कीम तथा विविध क्षेत्रकों के लिए जूट पार्क स्थापित करना। जेटीएम के लघु मिशन III और IV के तहत वार्षिक योजना 2009-10 में 70 करोड़ का आवंटन किया गया है।

तकनीकी टेक्सटाइल्स

23.1.45 भारत विश्व में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था है। देश में तकनीकी टेक्सटाइल्स का घरेलू बाजार आकार प्रतिवर्ष 11 प्रतिशत बढ़ना अपेक्षित है तथा वर्ष 2012 तक यह 66,414 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। इस क्षेत्रक में वर्ष 2012 तक 5000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा वर्ष 2012 तक तीन लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है। इस क्षेत्रक में अवसर उत्पन्न करने की सुविधा के लिए, तकनीकी टेक्सटाइल्स अर्थात जियोटेक, एग्रोटेक, प्रोटेक तथा मेडिटेक के चार क्षेत्रकों में मौजूदा टेक्सटाइल अनुसंधान एसोशिएशन (टीआरज) और आईआईटी, दिल्ली में स्थापित किए गए हैं।

ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्रक

23.1.46 बुनकरों को निरंतर सहायता देने तथा चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए ग्यारहवीं योजना में अनेक विकासात्मक तथा कल्याणकारी स्कीमें शुरू की गई हैं :(क) एकीकृत हथकरघा विकास, (ख) मार्केटिंग एवं निर्यात प्रोन्नयन सुविधाएं, (ग) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण, (घ) इनपुट आपूर्तियों की उपलब्धता और (ङ) चार

विविध उपाय। वर्ष 2008-09 के दौरान, एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम, केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत 131 क्लस्टरों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 20 राज्यों (6 पूर्वोत्तर राज्यों सहित) को कवर किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त स्कीम के ग्रूप अप्रोच परियोजना घटक के अंतर्गत 548 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।

23.1.47 हथकरघा बुनकरों को (क) स्वास्थ्य बीमा स्कीमों और (ख) महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना जैसी बीमा स्कीमों के माध्यम से समाजिक सुरक्षा सहायता भी दी गई। स्वास्थ्य बीमा स्कीम बुनकर तथा उसके परिवार (अर्थात वह स्वयं, उसकी पत्नी और दो बच्चे) को 15000 रु. की स्वास्थ्य देखभाल सुविधा मुहैया कराने के लिए है जिसमें पहले से मौजूद बीमारी और ओपीडी देखभाल के प्रावधान को कवर किया गया है। इस स्कीम के तहत, वर्ष 2008-09 में 18.78 लाख बुनकर कवर किए गए, जिसमें जीओआई योगदान 800 रु. प्रति व्यक्ति है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में स्वाभाविक/दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 1.50 लाख रुपए तक जीवन बीमा कवर कराया जाता है, दुर्घटना के कारण संपूर्ण/आंशिक विकलांगता के लिए 1.50 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2008-09 में 5.75 लाख बुनकर कवर किए गए जिसमें 150 रु. का जीओआई योगदान तथा एलआईसी योगदान प्रति बुनकर 80 रु. था।

23.1.48 हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्य पर हैंक यार्न की नियमित आपूर्ति कराने के लिए, सरकार मिल मूल्यों पर राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) के माध्यम से हैंक यार्न आब्लिगेशन स्कीम और यार्न की आपूर्ति का कार्यान्वयन कर रही है। एनएचडीसी ने प्रत्यक्ष रूप से तथा डिपो के माध्यम से वर्ष 2008-09 में 8.55 लाख कि.ग्रा. यार्न की आपूर्ति की।

23.1.49 वर्ष 2008-09 के दौरान, एक हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) बारगढ़ (उड़ीसा) में स्थापित किया गया। तीसरी राष्ट्रीय हथकरघा जनगणना और बुनकरों को फोटो पहचान-पत्र जारी करने का कार्य वर्ष 2008-09 के दौरान राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के माध्यम से शुरू किया गया।

हस्तशिल्प

23.1.50 यह क्षेत्रक देश की अर्थव्यवस्था में सार्थक व महत्वूपर्ण भूमिका निभाता है। यह ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में लगभग 67 लाख कारीगरों को रोजगार मुहैया कराता है तथा सांस्ककृतिक विरासत के संरक्षण में प्रोत्साहन देता है। इस क्षेत्रक में लगे कारीगरों में से 47.42 प्रतिशत महिलाएं, 22.99 प्रतिशत अल्पसंख्यक, 12.38 प्रतिशत एसटी(ज) और 4.73 प्रतिशत एससी(ज) हैं।

23.1.51 ग्यारहवींयोजना के दौरान, सरकार देश में हस्तशिल्प क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक में 6 जनेरिक स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) फ्लैगशिप स्कीम है, जो क्लस्टर विकास के माध्यम से कारीगरों के सशक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रण करती है। दसवीं योजना के अंत तक लगभग 400 क्लस्टरों को पहले ही कवर किया जा चुका है, 322 जिलों में 375 नए क्लस्टर ग्यारहवीं योजना के दौरान कवर किए जाएंगे। वर्ष 2008-09 में, एकीकृत विकास के लिए 125 क्लस्टर शुरू किए गए हैं।

23.1.52 हस्तशिल्प कारीगरों तथा उनके परिवारों को बीमा कवर और स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के लिए कारीगर कंप्रीहैंसिव कल्याण स्कीम क्रियान्वित की जा रही है। इसके दो घटक हैं जैसे (i) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना (आरजीएसएसबीवाई) तथा इसके तहत वर्ष 2008-09 में 10.10 लाख कारीगर कवर किए गए और (ii) हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना जिसके तहत, वर्ष 2008-09 के दौरान 8.38 लाख कारीगर कवर किए गए।

23.1.53 विपणन सहायता और सेवा स्कीमें कारीगरों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), राज्य सरकार, निर्यातकों और व्यापारियों के साथ बेहतर और सार्थक अंतःक्रिया उपलब्ध कराती हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, कारीगरों को विपणन

सहायता देने के लिए 492 हस्तशिल्प बाजार/एक्सपोज तथा प्रदर्शनियां आयोजित की गई, इसके अतिरिक्त 65 अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लिया गया।

हस्तशिल्प मेगा क्लस्टरों का क्रमोन्नयन

23.1.54 मेगा क्लस्टर अवधारणा असंगठित हस्तशिल्प क्लस्टरों में अवसंरचना और उत्पादन श्रृंखला को बढ़ाने के लिए एक अभियान है। प्रस्तावित कार्यक्रम से अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन में सहायता देना अपेक्षित है, जिसके साथ बाजार संपर्कों और उत्पादन विविधीकरण को जोड़ा गया है। सहायता क्लस्टर की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि वह नैदानिक अध्ययन और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से उभर सकें। इस स्कीम में भारत सरकार की सहायता का प्रति मेगा क्लस्टर 70 करोड़ तक विस्तार की परिकल्पना की गई है। स्कीम का कार्यान्वयन पीपीपी के माध्यम से हुआ है, जहां भारत सरकार की हिस्सेदारी इस प्रकार से की गई है कि यह परियोजना कार्यान्वयन अवधि को टेपर डाउन करता है। चिह्नित क्लस्टरों में हथकरघा के लिए वाराणसी और सिबसागर, हस्तशिल्प के लिए मौरादाबाद और नसरपुर तथा पावरलूम के लिए इरोड और भिवंडी है। वर्ष 2008-09 के दौरान, वाराणसी, मौरादाबाद और इरोड क्लस्टरों में कार्य शुरू किया गया है।

रेशम उत्पादन

23.1.55 रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, जो प्रतिवर्ष 18,370 एमटी (2008-09) रेशम का उत्पादन करता है। यह रेशम की सभी महत्वपूर्ण किस्मों जैसे मलबेरी, बसर, ईरी और मुगा रेशम का विशिष्ट उत्पादन करता है। तथापि, मलबेरी रेशम कुल रेशम के उत्पादन के 89 प्रतिशत का उत्पादन करता है। कच्चे रेशम का उत्पादन पिछले तीन वर्षों से उसी स्तर पर रहा है।

23.1.56 ग्यारहवीं योजना के दौरान, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) की पूनः संरचना की गई है जिससे कि गुणवत्ता और मात्रा के मामले में निष्पादन की संधारणीयता और सुधार के लिए रेशम उत्पादन के पूर्ण और समग्र विकास पर ध्यानकेन्द्रण किया जा सके। इस कार्यक्रम को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में पैकेज मोड पर क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य रेशम विभागों को मौजूदा और नए किसानों की पहचान करती है तथा घटक बास्केट में से उनकी आवश्यकतानुसार घटक प्रदान करते हैं। सीडीपी के तहत पैकेज तीन प्रमुख क्षेत्रों को कवर करता है जेसे सीड क्षेत्रक, कोकून क्षेत्रक और पोस्ट कोकून क्षेत्रक तथा इनकी सहायता सेवाओं के अन्य घटकों द्वारा प्रतिपूर्ति से की जाएगी जो घटक सभी पैकेजों में सामान्य हैं। मात्र 2008-09 के दौरान, सीएसबी ने राज्यों को सीडीपी के तहत वर्ष 2007-08 के लगभग 50 प्रतिशत से ऊपर तक 129.96 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, इसमें से पूर्वोत्तर राज्यों का शेयर 16.32 करोड़ रुपए है।

23.1.57 कच्चे रेशम पर एंटी डंपिंग शुल्क जनवरी 2009 तक 27 डॉलर प्रति कि.ग्रा. के लैंडिंग मूल्य के आधार पर लगाया गया। सरकार ने एंटी डंपिंग शुल्क को 37 डालर प्रति कि.ग्रा. तक बढ़ाकर जनवरी 2009 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। रेशम के रेशे पर भी एंटी डंपिंग शुल्क 2006 से पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

23.1.58 मात्रा के मामले में, भारत का कुल कच्चे रेशम का आयात वर्ष 2008-09 में पिछले वर्ष के 7922 टन से बढ़कर 8392 टन हो गया। रेशम के चीजों का आयात जो मूल्य के मामले में वर्ष 2006-07 में 3338 करोड़ रुपए से गिरकर वर्ष 2007-08 में 2727 करोड़ रुपए हो गया, ने वर्ष 2008-09 में अच्छा सुधार दर्शाया। वर्ष 2008-09 में रेशम क्षेत्रक में 3178.19 करोड़ रुपए का निर्यात किया।

विद्युत करघा

23.1.59 विकेन्द्रिकृत पावरलूम क्षेत्रक जो कपड़े की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करता है, वह टेक्सटाइल उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में से एक है। यह देश में कुल कपड़े के उत्पादन में लगभग 62 प्रतिशत का योगदान देता है। निर्यात किए जाने वाला 60 प्रतिशत रेशा इस क्षेत्रक से आता है। देश में 31 दिसम्बर, 2009 तक 22.38 लाख पावरलूम थे जो 5.03 लाख से अधिक यूनिटों में बंटे हुए थे। इस क्षेत्रक ने बुनाई और संबंध कार्यकलापों में लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है।

23.1.60 क्षेत्रक के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) का प्रयोग किया है, जिसके तहत एसएसआई क्षेत्रक में पावरलूमों के लिए 20 प्रतिशत उधार संबद्ध पूंजी सब्सिडी मुहैया कराई जा रही है। वर्ष 2008-09 में 32.48 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई जिससे 404 यूनिटें लाभान्वित हुई।

23.1.61 1 जनवरी, 2008 से पावरलूम श्रमिकों के लिए एक संशोधित समूह बीमा स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस स्कीम के अनुसार, पावरलूम बुनकर को कुल 330 रु के प्रीमियम में से 80 रुपए का प्रीमियम देना पड़ता है। शेष राशि में भारत सरकार तथा एलआईसी की हिस्सेदारी क्रमशः 150 रुपए तथा 100 रु. है। वर्ष 2008-09 के दौरान, 1.14 लाख बुनकर कवर किए गए और भारत सरकार ने अपने प्रीमियम शेयर के रूप में 1.71 करोड़ रुपए का भुगतान किया।

23.1.62 पावर लूम क्लस्टर विकास के लिए एक एकीकृत स्कीम 2007-08 से तीन वर्षों अर्थात् 2009-10 तक शुरू की गई है। यह स्कीम क्लस्टर विकास, बाजार विकास तथा अन्य क्लस्टरों में पावरलूम बुनकरों के प्रदर्शन दौरों और पावरलूम क्षेत्रक के सर्वेक्षण में सहायता को कवर करता है।

23.1.63 मौजूदा तथा नए क्लस्टर में आधुनिक करघों के लिए वर्कशेड स्थापित करने की सुविधा देने तथा स्थान के मामले में उन्नत कार्य स्थिति मुहैया कराने, कार्य परिवेश, वैश्विक बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए संशोधित ग्रुप वर्कशेड स्कीम भी शुरू की गई है।

ऊन एवं ऊनी कपड़े

23.1.64 ऊन एवं ऊनी वस्त्र (टैक्सटाइल) उद्योग का ग्रामीण आधारित एक विकेंद्रित सिग्मेंट है। हाथ से बने गलीचे, ड्रैगेट्स, नामदाहाज, हौजरी और निटिंग, पावर लूम यूनिट्स, उप शहरी/ ग्रामीण स्तर पर विकेंद्रित क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। वस्त्र उद्योग अधिकांशतः राजस्थान, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में स्थित है। कुल मिलाकर ऊन क्षेत्रक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार दिलाता है।

23.1.65 कार्पेट ग्रेड के कच्चे ऊन की हिस्सेदारी लगभग 85%), समग्र ऊन उत्पादन का यह अधिकांश पूरे देश के लिए है। एप्रेल ग्रेड और मोटी किस्म के ऊन संबंधी उत्पादन क्रमशः 5 से 10 प्रतिशत तक है। भारत में ऊन का उत्पादन 0.8 कि0/भेड़/ प्रति वर्ष की दर पर बहुत कम है, जबकि प्रति भेड़ प्रति वर्ष अंतरराष्ट्रीय ऊन उत्पादन का औसत 3.5 किलोग्राम है। इसका कारण है कि राज्यों द्वारा इसे कम प्राथमिकता दी जाती है। चरागाह खत्म होते जा रहे हैं और ऊन के उत्पादन को भेड़ पालकों द्वारा एक उप उत्पादन माना जाता है।

23.1.66 केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड (सीडब्ल्यूडीबी), जोधपुर की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत सरकार द्वारा 1987 में की गई थी जो ऊन क्षेत्रक के एकीकृत विकास के लिए स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्यन करता आ रहा है। इन स्कीमों द्वारा कवर की गई प्रमुख गतिविधियां हैं - भेड़ पालकों को प्रशिक्षण देना, आवश्यक इनपुट्स जैसे

नस्ल सुधार के लिए भेड़े उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य कवरेज, उत्पाद सुधार एवं विकास, विपणन सहायता, अनुसंधान सहायता शुरू करने के साथ सामाजिक सुरक्षा और सूचनाओं/ जानकारी का प्रसारण।

23.1.67 वर्ष 2008-09 के दौरान सीडब्ल्यूडीबी ने भेड़ और ऊन सुधार स्कीम (एसडब्ल्यूआईएस) के अंतर्गत 22 लाख भेड़ों को कवर किया। स्विस के क्षेत्र का और विस्तार किया जा रहा है, ताकि भेड़ पालकों की सहायता में और वृद्धि की जा सके। अन्य स्कीमों के तहत 2008-09 में की गई कवरेज में 3.91 लाख भेड़, भेड़ बीमा स्कीम के तहत कवर की गई ओर 34680 भेड़ पालकों को भी भेड़ पालक बीमा योजना में कवर किया गया। बोर्ड ने 2 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना ऊन क्वालिटी प्रसंस्करण योजना के तहत स्थापना की है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमईएस)

23.1.68 देश के औद्योगिक उत्पादन, निर्यात, रोजगार और उद्यमशील आधार के सृजन में योगदान की दृष्टि से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित खादी और ग्राम/ ग्रामीण उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सेग्मेंट है।

23.1.69 यद्यपि, एमएसएमई के उत्पादन और विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, भारत सरकार तो इन उद्यमों की सख्ती को मान्यता देने के लिए है और उसके लिए सदैव विभिन्न पहलों के माध्यम सवे राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाती रही है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय की भूमिका मुख्यतः राज्यों के पयासों में सहायता देने की है, ताकि एमएसएमई के प्रसार का विकास हो सके और उनमें बदलते हुए परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई जा सके। मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा आयोजित किए गए विशिष्ट कार्यक्रमों में निम्नलिखित को सुलभ कराने/ प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं i) वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से उधार का पर्याप्त प्रवाह ii) प्रौद्योगिकी के क्रमोन्नयन और आधु निकीकरण के लिए सहायता iii) एकीकृत अवसंरचना सुविधाएं iv) आधुनिक परीक्षण सुविधाएं और गुणवत्ता प्रमाणन v) आधुनिक प्रबंधन प्रणालियों की पहुंच vi) उचित प्रशिक्षण सुविधाओं के माध्यम से उद्यमशील विकास और दक्षता क्रमोन्नयन vii) उत्पादन विकास, डिजाइन और पैकेज कार्य के लिए सहायता viii) दस्तकारों और कामगारों का कल्याण ix) घरेलू और निर्यात बाजारों पर बेहतरीन पहुंच के लिए सहायता x) यूनिटों और उनके समूहों के सशक्तिकरण एवं उनकी क्षमता निर्माण संबंधी संवर्धन के लिए कलस्टरवाइज उपाय करना।

23.1.70 मंत्रालय के प्रयासों में विकस आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय खादी ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी), क्वायर बोर्ड, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई), राष्ट्रीय यलघु उद्योंग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड और तीन स्वायत्त् राष्ट्रीय स्तर के उद्यमशील विकास, प्रशिक्षण संस्थानों यानि राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई), हैदराबाद, उद्यमशीलता और लघु कारोबार विकास राष्ट्रीय संस्थान (एनआईईएसबीयूडी), नोएडा और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के द्वारा सहायता की जाती है।

23.1.71 सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रक के लिए राष्ट्रीय उद्यम आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा एक सलहकारी निकाय की स्थापना की गई थी और अनौपचारिक क्षेत्रक के लिए निगरानी तंत्र भी रखा गया था, ताकि वरूपक स्तर पर धारणीय आधार पर रोजगार के अवसर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इन उद्यमों की उत्पादकता के लिए सृजित हो सकें और उनमें सुधार लाया जा सके। उभरते वैश्विक वातावरण में इस क्षेत्रक में स्पर्धा को बढ़ाने और इस क्षेत्रक को संस्थागत रूप रेखा से जोड़ने के लिए विशेष रूप से उधार, कच्च माल, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन और विपणन जैसे क्षेत्रों की सुविधा हेतु यह कार्यवाही की गई है और आयोग ने उपयों की सिफारिश की है।

तालिका 23.1.9 एमएसएमई मंत्रालय के लिए वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के दौरान परिव्यय और व्यय

(करोड़ रूपए)

	11वीं योजना परिव्यय	2007-08		2008-09		2009-10
		बजट अनुमान	वास्तविक खर्च	बजट अनुमान	वास्तविक खर्च *	बजट अनुमान
एआरआई	7500.00	1112.00	994.58	1204.00	1172.49	1204.00
एसएसआई	250.00	40.00	29.11	50.00	45.89	50.00
डीसी (एमएसएमई)	3750.00	490.00	396.50	540.00	443.25	540.00
कुल योग	11500.00	1642.00	1420.19	1794.00	1661.63	1794.00
*अनंतिम						

23.1.72 11वीं योजना के लिए एमएसएनई मंत्रालय को दिए गए क्षेत्रकवार परिव्यय बजट अनुमान 2007-08, 2008-09 के लिए वास्तविक व्यय एवं 2009-10 के लिए बजट अनुमान तालिका 25.1.19 में दिए गए हैं।

हाल ही में की गई नीतिगत पहलें और अन्य सुधार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006

23.1.73 एमएसएमई विकास अधिनियम 2 अक्तूबर, 2006 से प्रभाव में आया है, दोनों केंद्र और राज्य सरकारें इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठा रही हैं।

एमएसई (ज) के विलम्बित मुद्दे

23.1.74 एमएसई (ज) को किये जाने वाले भुगतानों में देरी को रोकने के लिए व्यववस्था को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से विभिन्न राज्य एजेंसियों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एमएसएमई मंत्रालय की पहलों पर भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों को अनुदेश दिए हैं कि वे एमएसई (ज) को बिलों का भुगतान तुरंत करे। भारी उद्योग और लोक उद्यम के तत्कालीन माननीय मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया था कि वे सभी राज्यों को अनुकूल निर्देश जारी करें, ताकि वे इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए आगे सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों को लिख सकें।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्रक में विनिर्माण हेतु उत्पादों का रिजर्वेशन/ डी - रिजर्वेशन

23.1.75 सचिव, एमएसएमई की अध्यक्षता में सलाहकार समिति विभिन्न कारकों जैसे स्केल की इकॉनामीज, रोजगार का स्तर, आर्थिक शक्ति की सघनता के बचाव में सामान्य हितों को ध्यान में रखते हुए अन्य कारक जिन्हें समिति उचित समझे, के आधार पर रिजर्वेशन/ डी - रिजर्वेशन की सिफारिश करती है। अक्तूबर, 2008 में कुल 14 मदों कोडी - रिजर्व किया गया था और वर्तमान में 21 मद सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम क्षेत्रक के लिए डिजर्व किये गए हैं।

राष्ट्रीय विनिर्माण स्पर्धा कार्यक्रम (एनएमसीवी)

23.1.76 भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमता निर्माण की दृष्टि से वैश्विक बाजारों में स्पर्धा का सामना किया जा रहा है और घरेलू बाजार में बहु राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से अनेक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है। विनिर्माण, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन, विपणन और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में 10 संघटकों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि एमएसएमई (ज) की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को को बढ़ाया जाए। यह कार्यक्रम 2007-08 में शुरू किया गया था और 11वीं योजना में इसके लिए 682 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई थी। वास्तव में इस स्कीम को अभी शुरू करना है।

एमएसएमई क्षेत्रक में प्रमुख कार्यक्रम/ स्कीमें

एमएसई क्लस्टर विकास कार्यक्रम

23.1.77 इस स्कीम की शुरूआत एमएसएमई में क्षमता संवर्धन और उद्यमों में स्पर्धा के विकास के लिए की गई है, ताकि सपर्धामय बाजार में अपने को कायम रखा जा सके और समावेशी विकास हासिल किया जा सके। स्कीम के तहत क्लस्टर में नालक एवं कठोर दोनों हस्तक्षेप किए गए हैं। वर्तमान में हस्तक्षेप अधिकांशतः मुलायम क्षेत्र में है, फिर भी कठोर हस्तक्षेप कुछ मामलों में ही किये गए। 11वीं योजना के दौरान कुल बजट परिव्यय 620 करोड़ रूपए, बजट परिव्यय 2009-10 के लिए 26 करोड़ रूपए रखा गया। 2009-10 के दौरान हस्तक्षेप के लिए कुल 126 क्लस्टरस शुरू किए गए, जिनमें 50 ऐसे क्ल्स्टरस हैं जो उपचारात्मक सर्वेक्षण करते हैं, 70 क्लस्टर मुलायम हस्तक्षेप करते हैं ओर 46 कठोर हस्तक्षेपों के लिए हैं।

उधार सहायता कार्यक्रम

23.1.78 एमएफपी के तहत क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम और जोखिम निधि पोर्ट फोलियों संवर्धन नामक दो घटक हैं। क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम का निष्पादन दर्शाता है कि 2008-09 के दौरान पिछले वर्षों की तुलना में सुधार हुआ है। यह स्कीम एमएसई क्षेत्रों को उधार की सुलभता में सहायता पहुंचाती है। 50 लाख रूपए तक की उधार सुविधा में 75% तक की गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें 50 लाख से अधिक और 100 लाख रूपए तक के लिए उधार की 50% राशि इंक्रीमेंटल के रूप में प्रदान की जाती है। यह स्कीम मांग संचालित है। लगभग 85,000 उद्यमी सदस्य इसका फायदा उठा चुके हैं। इसमें 2007-08 और 2008-09 के दौरान एनईआर के 2800 उद्यमशील भी शामिल है।

23.1.79 11वीं योजना के लिए इस स्कीम के लिए कुल परिव्यय 1040 करोड़ रूपए रखा गया है। 2009-10 के दोरान इस स्कीम के लिए 122 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है ताकि 57,500 एककों को 2250 करोड़ रूपए की उधार राशि दी जा सके।

उधार संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम

23.1.80 एमएसई क्षेत्रक में प्रौद्योगिकी एक महत्वूपर्ण क्षेत्रक है जहां अधिकांश एमएसई (ज) की पकड़ या तो उचित प्रौद्योगिकी पर नही है या वे प्रौद्योगिकी को क्रमोन्नत करने में ढिलाई बरत रहे हैं। उधार सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम, जो अक्तूबर, 2000 में शुरू की गई थी का लख्य है कि एमएसई क्षेत्रक के प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यह स्कीम संस्थागत वित्त पर एमएसई द्वारा विधिवत स्थापित और परिष्कृत प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए 151 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। वर्तमान में इस स्कीम के अंतर्गत 48 उप क्षेत्रक पात्र हैं। सब्सिडी के परिकलन के लिए अधिकतम पात्र ऋण 100 लाख रूपए है। इस स्कीम को उद्योग द्वारा अच्छी स्वीकृति मिली है और अनेक अच्छे उद्योगें ने इस स्कीम के अंतर्गत देय लाभों का फायदा उठाया है। वार्षिक योजना 2009-10 में 120 करोड़ रूपए आबंटित किए गये ताकि देश में 2000 एकको (पूर्वत्तर क्षेत्र की 200 एककों सहित) को कवर किया जा सके।

निष्पादन और क्रेडिट रेटिंग स्कीम

23.1.81 स्कीम का लक्ष्य है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के मौजूदा प्रचालनों की शक्तियों और कमजोरियों के बारे में जागृति लाई जाए और उनकी संगठनात्मक सुदृढ़ता और क्रेडिट उपयुक्तता को बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान किया जाए। स्कीम के तहत रेटिंग एक विश्वसनीय तृतीय राय, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की क्षमताओं/ क्रेडिट उपयोगिता के संबंध में होती है। इस स्कीम के अंतर्गत रेटिंग का शुल्क सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा देय है। जिसे मातृ प्रथम वर्ष के दौरान सब्सिडी के यप में दिया जाता है, जो अधिकतम शुल्क काप 75% या 40,000/- रूपए जो भी कम हो देय होगी। इस स्कीम को सूक्ष्म और लघु उद्यमों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। 11वीं योजना के दौरान 16000 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। 2007-08 और 2008-09 के दौरान 8700 उद्यमियों को यह लाभ दिया जा चुका है। वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान 4400 एककों को इस स्कीम का लाभ प्रदान करने के लिए 20.90 करोड़ रूपए का आबंटन किया जा रहा है।

खादी और ग्रामाद्योग के लिए योजनागत-स्कीमें

खादी उद्योग

23.1.82 इस सहायता के प्रमुख चार घटक खादी और ग्राम उद्योग कमिशन (केवीआईसी) के माध्यम से खादी संस्थानों/ एककों को दिए जाते हैं वे हैं - (i) खादी उत्पादों के विकास और प्रसार के लिए केवीआई संस्थानों को खादी अनुदान और खादी वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाने के लिए छूट (ii) ब्याज सब्सिडी समायोजन के लिए बैंकिंग संस्थाओं को निधि उपलब्ध कराना ताकि केवीआईसी और राज्य वीआईबी के साथ पंजीकृत संस्थाएं रियायती दर पर निधि ले सकें। (iii) खादी उत्पादों में सुधार के लिए एस एंड टी एप्लिकेशन के लिए अनुदान और (iv) पूर्वोत्तर राज्यों में खादी की संस्थाओं को ऋण देने के लिए खादी ऋण की व्यवस्था।

23.1.83 वर्ष 2009-10 के लिए खादी उत्पादों के लिए उत्पादन और विपणन लक्ष्य क्रमशः 620 करोड़ रूपए और 910 करोड़ रूपए रखे गए हैं।

23.1.84 खादी अनुदान के पास योजनागत सहायता का अधिकांश हिस्सा है। 2008-09 में खादी क्षेत्रक स्कीमों का वास्तविक व्यय 175 करोड़ रूपए रखा गया था। बजट परिव्यय 162 करोड़ रूपए (जिसमें खादी रिफोर्म विकास पैकेज और एसउफयूआरटीआई शामिल नहीं है। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए उपलब्ध कराया गया, जो खादी क्षेत्रक की स्कीमों के लिए था।

ग्रामोद्योग

23.1.85 खादी क्षेत्रक की तरह उसी समान घटकों के साथ स्कीमें ग्राम उद्योगों पर भी लागू हैं। ग्राम उद्योगों को अनुदान वित्तीय सहायता का सबसे मुख्य घटक है।

23.1.86 ग्राम उद्योग उत्पादों के लिए 2009-10 के दौरान क्रमशः उत्पादन और विपणन के लिए लक्ष्य 18,620 करोड़ रूपए और 22,344 करोड़ रूपए रखा गया था। यह क्षेत्रक लगभग 100.25 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

23.1.87 2008-09 के दौरान खादी क्षेत्रक की स्कीमों का वास्तविक व्यय 40.94 करोड़ रूपए था। 2009-10 में ग्राम उद्योग के लिए 48 करोड़ रूपए के कुल योजना परिव्यय में अनुदान का हिस्सा 40 करोड़ रूपए था। 2009-10 के लिए अन्य परिव्यय प्रावधान ब्याज सब्सिडी के लिए (5 करोड़ रूपये) एस एंड टी एप्लीकेशन के लिए अनुदान (2 करोड़ रूपए) और खादी उद्योग ऋण (1 करोड़ रूपए)।

परंपरागत उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए निधि की स्कीम (एसएफयूआरटीआई)

23.1.88 परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक और स्पर्धामय बनाने के लिए तथा उनके विकास को धारणीय बनाने में सहायता के लिए 'परम्परागत उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए निधि की स्कीम (स्फूर्ति) ' नामक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम की स्थापना 2005 में की गई। क्लस्टर खादी, क्वायर और ग्राम उद्योगें जिनमें चमड़ा और बर्तन उद्योग शामिल हैं को लिया गया है। रोजगार के अवसर सृजन करने और उत्पादन के विकास के लिए तत्संबंधी सामर्थ्य पर स्फूर्ति, केवीआईसी और क्वायर बोर्ड के अंतर्गत क्लसटर्स का चयन करते समय विचार किया जाएगा जो इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां हैं और वे पहचान की हुई कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का वितरण करने और उसकी होल्डिंग के लिए जिम्मेदार है।

23.1.89 105 क्लस्टर्स में से स्फूर्ति के तहत विकसित किये जाने वाले 49 क्लस्टरों में 2008-09 के दौरान पहले ही प्रगति हुई है। 11वीं योजना अवधि के लिए 69.78 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई थी1 2008-09 में स्कीम पर हुआ वास्तविक व्यय 16.95 करोड़ रूपए था। वर्ष 2009-10 के लिए 17.0 करोड़ रूपए का आबंटन कर दिया है।

खादी और ग्राम उद्योग आयोग की नई पहलें

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन एक नयी स्कीम है, जो अगस्त, 2008 में तत्कालीन स्कीमों यानि पीएमआरवाई और आरईजीपी का आमेलन करके शुरू की गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि इस कार्यक्रम के जरिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के दोरान रोजगार के 37.38 लाख अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। इस स्कीम का कार्यान्वयन केवीआईसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इस स्कीम की शुरूआत 2008-09 के अंत में की गई थी और 3.63 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया, जब कि लक्ष्य 6 लाख को लाभान्वित करने का था। इस स्कीम के लिए कुल 4735 करोड़ रूपए का योजना परिव्यय रखा गया था, जिसमें पिछली और आगामी लिंकेज के लिए रखा 250 करोड़ रूपए भी शामिल है।
- केवीआईसी ने दो नई स्कीमें शुरू की हैं, जो खादी दस्तकारों और खादी संस्थाओं को ध्यान में रखा गया है। 'खादी दस्तकारों के लिए वर्कशेड स्कीम' के तहत यह इस उद्देश्य से शुरू की गई है कि खादी दस्तकारों हेतु वर्कशेड के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जाए, ताकि उनके लिए कार्य करने का एक बेहतरीन वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। दूसरी योजना - खादी संस्थाओं और दस्तकारों के लिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु स्कीम का उद्देश्यहै कि 200 खादी संस्थाओं की सहायता की जाए, ताकि खादी उद्योग को उनकी पुरानी और खराब मशीनों तथा उपस्करों को बदलकर स्पर्धामय, बाजार संचालित, अभिमुखी बनाया जा सके। अन्य स्कीम नामतः 'मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण् और बाजार की सुविधाओं को सहायता' का लक्ष्य है कि खादी उत्पादकों के विपणन को सुदृढ़ किया जाए।
- व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने एशियन विकास बैंक से वित्तीय सहायता का समझौता किया है, जो व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्षों की अवधि हेतु 150 मिलियन यूएस डॉलर, जिसका उद्देश्य है कि खादी क्षेत्रक को सश्खक्त बनाया जाए ताकि खादी धारणीयता को आगे बढ़ाए रखा जाए, ताकि बुनकरों और जुलाहों की आय को बढ़ाते हुए उनके रोजगार मेंवृद्धि की जा सके और उनकी कल्याणकारी गतिविधियां बढ़ें और लंबे समय तक खादी संस्थाएं बरकरार एवं आत्मनिर्भर रहें। तदनुसार, बाजार विकास सहायता स्कीम में सुधार का मामला विचाराधीन है।

- खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्रक में अनुसंधान और विकास गतिविधियों कापे सुदृढ़ करने के दृष्टि से 'ग्रामीण औद्योगिकीकरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआईआरआई) की स्थापना, वर्धा, महाराष्ट्र यूटी दिल्ली से मिलकर तत्कालीन जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान को पुनर्जीवित किया गया है।

क्वॉयर बोर्ड की नई पहलें

23.1.90 क्वॉयर उद्योग को सुदृढ़ करने की दृष्टि से मंत्रालय ने क्वॉयर बोर्ड के माध्यम से एक नई केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम नामतः 'क्वॉयर बोर्ड उद्योग की प्रौद्योगिकी के क्रमोन्नयन, उसके पुनजीवित करने और उसके आधुनिकीकरण' मार्च, 2008 में शुरू की गई ताकि बुनकरों और छोटे घरेलू क्षेत्रक को सहायता दी जा सके। इस स्कीम के तहत, बनुकरों और लघु क्षेत्रक के समूहों को सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे अपनी रैट्टस/ लम्प को बदल सकें और वर्कशेड का निर्माण कर सकें जिस से ऐसे कामगारों द्वारा आय अर्जन और उत्पादन में संवर्धन हो सके।

23.1.91 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इन स्कीमों के लिए 1659 करोड़ रूपए का व्यय वार्षिक योजना 2008-09 में किया गया। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए मंत्रालय को 1794 करोड़ रूपए का परिव्यय आबंटित किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

23.1.92 भारत फल, सब्जी, दूर्ध, मांस, समुद्री उत्पादों और अन्य कृषि उत्पादों में अग्रणी है। वर्तमान में यह 50 मिलियन टन फलों, जो विश्व फल उत्पादन का लगभग 9% है, 90 मिलियन टन सब्जी उत्पादन करता है जो विश्व सब्जी उत्पादन का 11% है। तथापि भारत का कृषि उत्पादन में इसका सदुढ़ आधार के होते हुए भीयह विश्व के खाद्य व्यापार में इसका हिस्सा मात्र 1.5% है। देश में खाद्य प्रसंस्करण बहुत कम यानि फल और सब्जी के मामले में मात्र 2.20%, दूध में 35%, मांस में 21%, कुक्कुट उत्पादन में मात्र 6% जो अन्य देशों जैसे यूएसए (65%), मलेशिया (83%), द0 अफ्रीका (80%), थाईलैंड (30%), चीन (23%)और अन्य की तुलना में बहुत ही कम। फल और सब्जियों की प्रसंस्करण सुविधाओं और भंडारण की कमी के कारण भारी मात्रा में सब्जियां, यानि उत्पादन का लगभग 35% जिसका मूल्य लगभग 54000 करोड़ रूपए बनता है, व्यर्थ चला जाता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक ठोस रोजगार का सृजन करता है।

23.1.93 विगत में खाद्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सामने प्रमुख बाधाएं थीं - अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव था, संस्थानों/ उद्यमियों द्वारा बड़े निवेश की कमी, सपर्याप्त गुणवत्ता नियंत्रण का अभाव और परीक्षण सुविधाओं का अभाव, अपर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला, फार्म उत्पाद में प्रसंस्करीय खाद्य किस्मों का अभाव, कच्चे माल का मात्र उसकी ऋतु के दौरान ही उपलब्ध होना, उच्च पैकिंग दर और शीघ्र खराब हो जाना। पर्याप्त फल और सब्जी का विकास तथा फालतू रह जाना भी प्रसंस्करण क्षेत्रक में बड़ा भय बना रहा है।

23.1.94 फिजुल होने का सतत रूप से कम करने के उद्देश्य से रोजगार सृजन के व्यापक अवसरों के लिए और मूल्यवर्धन के माध्यम से जीडीपी में अधिक योगदान देने की दृष्टथ् से एमएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक हेतु विजन 2015 के साथ आगे आया है, जिसका प्रस्ताव है कि शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण में वृद्धि की जाए और इसे 6% से 20% तक लाया जाए। इसी प्रकार मूल्यवर्धन को भी 20% से 35% तक लाया जाए और वैश्विक खाद्य व्यापार में योगदान को 1.5% से बढ़ाकर 2015 तक 3% तक पहुंचाया जाए। उचित प्रसंस्करित खाद्य, अधिकतम मूल्य वृद्धि, उप - उत्पाद के सदुपयोग, लाइसेंस्ड जॉब अवसरों के सृजन, विशेष रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों द्वारा इस क्षेत्रक में अधिक निवेश के साथ फसलोपरांत आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से मांग मेंवृद्धि पर जोर देने के माध्यम से इसे हासिल कया जा सकता है।

23.1.95 खाद्य प्रसंस्करण में क्षेत्रक में मौजूदा अवसंरचना सुविधाएं अपर्याप्त हैं। अतः नई अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन और मौजूदा सवुविधाओं को आधुनिक बनाने की तत्कल आवश्यकमता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योंग की प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन/ स्थापना/ आधुनिकीकरण की स्कीम 25% पूंजी सहायता को बैंक/ वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विकेंद्रीकृत कर दिया गया है,और इन्हें ई-पोर्टल समर्थित इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली पर डाल दिया यगा है। अवंसरचना विकास जैसे मेगा खाद्य पार्क, अबेटॉयर्स के आधुनिकीकरण और एकीकृत शीत श्रृंखलओं के माध्यम की परिकल्पनाओं पर जोर दिया जा रहा है। इन हस्तक्षेपों का प्राथमिक उद्देश्य है कि एकीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना में सहयोग दिया जाए और प्रमुख स्तर पर प्रसंस्करण किया जाए और आगे/ पीछे की लिंकेज की सहायता ली जाए।

23.1.96 मेगा खाद्य पार्क एक सुनिर्धारित कृषि/ बागवानी प्रसंस्करित प्रदेश, जिस में स्टेट ऑफ आर्ट स्तर की प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं, जिस में अवसंरचनात्मक सहायता भी मिलती हो और सुव्यवस्थापित आपूर्ति श्रृंखला हो। देश में एबेटॉयर्स के आधुनिकीकरण का उद्देश्य है कि एबेटॉयर्स की क्षमता का मात्रात्मक और गुणवत्तात्मक क्रमोन्नयन किया जाए, जिस में वैज्ञानिक रीति से ओर कर्म दर्द के साथ संहार, शीतलन, उत्सर्जित तरल शोधन संयंत्र, मल निकास, उप उत्पाद सदुपयोग, जरूरी साफ सफाई दशाओं के साथ जरूरी जल और विद्युत। ये शीतलन श्रृंखलाए जल्द खराब होने वाली कच्ची कृषि उत्पाद वस्तुओं के भण्डारण के माध्यम से अतिरिक्त मूल्य वृद्धि देते हैं। वर्ष 2009-10 के लिए अवसंरचना विकास संबंधी इन स्कीमों के लिए 150.00 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

23.1.97 राष्ट्रीय खाद्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों जैसे - आईएमओ 9000, एचएसीसीपी आदि से खाद्य नमूनों के कुशल विश्लेषण, प्रशिक्षण देना और गुणवत्ता मानकों पर सूचना उपलब्ध कराना तथा अनुसंधान एवं विकास भी जरूरी है। 2009-10 के दौरान गुणवत्ता नियंत्रण, खाद्य परीक्षण, प्रयोगशाला और अनुसंधान एवं विकास हेतु विकासात्मक गतिविधियों हेतु आर एंड डी आदि के क्रमोन्नयन/ संस्थापना की स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 34 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया।

23.1.98 इस क्षेत्रक के लिए गुणवत्ता पूर्ण मानव संसाधनों की मात्रा को बढ़ाने के लिए एमएफपीआई वित्तीय सहायता इन अनुदानों के माध्यम से करती है (i) खाद्य प्रसंस्करण, प्रशिक्षण केंद्र (एफपीटीसी) (ii) खाद्य विश्वविद्यालयों में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में डिग्री/ डिप्लोमा चलाने के लिए अवसंरचना का सृजन (iii) उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) और (iv) एमएफपीआई द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2009-10 के दौरान 10 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया।

23.1.99 मौजूदा संस्थाओ, बोर्डों का आधुनिकीकरण और नई संस्थाओं की स्थापना इन क्षेत्रों में की जाएगी जैसे अंगूर, मांस, मुक्कुट प्रसंस्करण/एमएफपीआई के तहत विभिन्न संस्थाओं/ बोर्डों जैसे (i) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रसंस्करण संस्थान (एनआईएफटीईएम), (ii) राष्ट्रीय वाइन बोर्ड (iii) राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण बोर्ड कार्यान्वयन एवं आधुनिकीकरण के विभिन्न स्तरों पर है, पैडी प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र (पीपीआरएफसी) का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। 2009-10 के दौरान संस्थानों/बोर्डों की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण के लिए 71 करोड़ रूपए की राशि रखी गई।

23.1.100 2008-09 के दौरान एमएफपीआई के द्वारा स्कीमों पर 223.12 करोड़ रूपए खर्च किए गए। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 340 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है। आबंटन का स्कीमवार वर्गीकरण संलग्नक 23.1.1 में दिया गया है।

संलग्नक 23.1.1

2007-08, 2008-09 के दौरान प्रमुख क्षेत्रकों/ विकास शीर्षों के अंतर्गत किया गया योजना खर्च एवं 2009-10 के लिए परिव्यय

	औद्योगिक प्रभाग से संबंधित मुख्य स्कीम	11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10 (बीई)
	औद्योगिक नीति एवं विकास विभाग	**4183**	**925.15**	**524.75**	**1000**
1.	औद्योगिक अवसंरचना क्रमोन्नयन स्कीम (एचयूएस)	1050	116.72	137.98	150
2.	दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी)	330	4.9	50	50
3.	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	1300	77.99	110	100
4.	पूंजी निवेश सब्सिडी (पुरानी)	N.A.	-	0.28	0
5.	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पैकेज (एनईआईएफपी)	300	25.7	68.16	95
6.	परिवहन सब्सिडी	1.0	619.29	0	401
7.	विशेष श्रेणी राज्यों के लिए पैकेज	200	29	60	45
8.	विकास केंद्र स्कीम	10	0	15.98	बंद कर दी गई
9.	आईपी कार्यालयों का आधुनिकीकरण	320	9.06	22.31	30
10.	आईसी एंड आईवी (न्यू स्कीम निवेश विकास)	97	2.65	6.94	15
11.	स्वायत्त संस्थान	558	36.96	48.96	105
12.	नमक आयुक्त का कार्यालय	5	0.21	0.96	0
13.	एक्सप्लोजिव कार्यालय	12	1.69	2.77	3
14	अन्य	0	0.98	0.41	6
	कपड़ा मंत्रालय	**14000**	**2211.27**	**3824.67**	**4500**
	(क) विलेज एवं ग्राम उद्यम	**3000**	**588.43**	**697.65**	**750**
1.	हर्थकर्घा	1370.45	292.58	324.44	340
2.	हस्तशिल्प	975.07	162.85	198.47	220
3.	रेशम पालन	472.54	110	131	115
4.	पावरलूम	114.78	9.65	10.54	10
5.	ऊन एवं ऊनी कपड़े	67.16	13.35	14.5	15
6.	मेगा क्लस्टर्स		0	18.7	50
	(ख) उद्योग	**11000**	**1622.84**	**3127.02**	**3750**
1.	एनआईएफटी	50	9	78.25	32.25
2.	टीआरए सहित अनुसंधान एवं विकास	10	2	2	10
3.	प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन निधि स्कीम (यूएफएस)	8000	1142.33	2632	3140
4.	एकीकृत टैक्सटाइल पार्कों के लिए स्कीम	2000	371.17	279.59	397
5.	जूट प्रौद्योगिकी मिशन	356	37.5	66	70
6.	निर्यात संवर्धन अध्ययन	5	0.66	0.93	1
7.	सरदार वल्लभ भाई पंत वस्त्र प्रबंधन संस्थान	13	9.18	5.25	5.25
8.	नई स्कीमें - ब्रांड संवर्धन, एफडीआई प्रकोष्ठ - टैक्सट पॉलिस, फैशन हब, सामान्य अनुपालन कोर्ड - एचआर स्कीम, टैक्सटाइल इंजीनियरी	229		0	16.5
9.	टैक्नीकल टैक्सटाइल	96	1	13	18
10.	कॉटन प्रौद्योगिकी मिशन (केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें)	241	50	50	60
	भारी उद्योग विभाग	**11301.67 (रू0 4039 करोड़ बीएस)**	**878.33 (रू0 82.4 करोड़ बीएस)**	**1351.6 (रू0 191.71 करोड़ बीएस)**	**3455.6 (रू0 350 करोड़ बीएस)**
1.	नैशनल ऑटोमैटिक टैस्टिंग और आरडी अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी)	1418 (रू01300 बीएस)	0	125	191 (रू0 180 करोड़ बीएस)

संलग्नक 23.1.1

2007-08, 2008-09 के दौरान प्रमुख क्षेत्रकों/ विकास शीर्षों के अंतर्गत किया गया योजना खर्च एवं 2009-10 के लिए परिव्यय

	औद्योगिक प्रभाग से संबंधित मुख्य स्कीम	11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10 (बीई)
2.	डीएचआई के तहत पीएसई (ज) की पुनर्संरचना (बकाया प्रस्तावों के लिए एक मुश्त प्रावधान)	8961.97 (रू0 2429 करोड़ बीएस)	861.23 (रू0 65.3 करोड़ बीएस)	1220.95 (रू061.06 करोड़ बीएस)	3130.7 (रू0 136.1करोड़ बीएस)
3.	पीएसई (ज)/स्वायत्त संस्थानों को एक परियोजना आधारित सहायता				
4.	कैपीडल गुड्स क्षेत्रक के लिए आधुनिकीकरण निधि	300 (बीएस)	1.13	0	24
5.	संवर्धन संशोधन और रिप्लेसमेंट (एएमआर)	50 (बीएस)	18.81	3.71	5
6.	व्यावसायिक और विशेष सेवाएं	10 (बीएस)	1.15	0.67	4
7.	कोयला गैसीफिकेशन डिमास्ट्रेशन परियोजना	558 (आईईबीआर)	0	0	0
8.	सचिवालय खर्च (कंप्यूटरीकरण)	3.7 (BS)	0	1.27	0.9
	उर्वरक विभाग	**20627.87 (रू0 1492 करोड़ बीएस)**	**263.34 (रू0 37.5 करोड़ बीएस)**	**587.76 (रू0 40.3 करोड़ बीएस)**	**2269.56 (रू0200 करोड़ बीएस)**
1.	आरसीएफ $	6880.37	118.57	241.83	988.05
2.	एफएजीएमआईएल$	42.25	0.69	0.61	29.01
3.	पीडीआईएल $	12.5	4.77	3.74	5.35
4.	एनएफएल$	6050.75	22.04	27.56	550.15
5.	केआरआईबीएचसीओ$	6150	79.73	273.77	497
6.	रूग्ण सीपीएसएल(ज) को पुनर्जीवित करना	607**			
7.	बीवीएफसीएल का पुनर्जीवन		7.47	20	65
8.	एफएसीटी का पुनर्जीवन		14.08	4.17	34
9.	एमएफएल का पुनर्जीवन		9	13	96.99
10.	विविधि स्कीमें (एमआईएस/ आईटी और आर एंड डी)		6.99	3.08	4
11.	परिवर्तन के लिए पूंजी सब्सिडी	885.00##	0	0	0
12.	जेवी एवोरोड के लिए निवेश				0.01
	इस्पात मंत्रालय	**45607.08 (रू0217 करोड़ बीएस)**	**3831.03 (रू070 करोड़ बीएस)**	**8525.86**	**13756.66 (रू0 34 करोड़ बीएस)**
1.	स्टील आथरटी आफ इंडिया लि0 (सेल)	27409	2181	5233	10356
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 (आरआईएनएल)	9569.18	1309.18	2886.02	2437
3.	एनएमडीसी लि0	7147	134.34	335.66	700
4.	केआईओसीएल लि0	650	7.25	2.7	85
5.	मैगनीज और (इंडिया) लि0	342.9	90.85	46.8	102.25
6.	एमएसटीसी लि0	30	6.54	5.91	5
7.	स्पोंज आयरन (आई) लि0 (एसआईआईएल)	25	3.32	1.04	0
8.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज (बीआरएल)	0	7 (BS)	3.33	8
9.	फैरो स्क्रेप निगम लि0 (एफएसएनएल)	60	13.2	11.06	11.8
10.	बर्ड ग्रुप की कंपनिया	149 (रू0 1 करोड़ बीएस)	15.35	0.34	16.61(रू0 1 करोड़ बीएस)
11.	मैकोन लि0	72 (रू0 63 करोड़ बीएस)	63 (बीएस)	0	0

संलग्नक 23.1.1

2007-08, 2008-09 के दौरान प्रमुख क्षेत्रकों/ विकास शीर्षों के अंतर्गत किया गया योजना खर्च एवं 2009-10 के लिए परिव्यय

	औद्योगिक प्रभाग से संबंधित मुख्य स्कीम	11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10 (बीई)
12.	हिंद स्टील वर्क्स कंपनीज लि0 (एचएससीएल)	35 (एसS)	0	0	7 (बीएस)
13.	आर एंड स्कीमें	118 (बीएसS)	0	0	26 (बीएस)
	लोक उद्यम विभाग	**54**	8.38	8.34	10
1.	परामर्श एवं पुनर्प्रशिक्षण तथा नियोजन (सीआरआर) स्कीम	**47.5**	8.21	8.0	9.5
2.	अनुसंधान, विकास और परामर्श	**6.5**	0.17	0.34	0.5
	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	**211**	**0.0**	**63.00**	**33.00**
	रसायन विभाग	**563.83**	**90.12**	**139.83**	**239.75**
1.	मौजूदा पीएसयू (ज) (एचआईएल, एचओसीएल) को परियोजना आधारित सहायता	139.83	12	0	40.13
2.	सीपेट	67	31.11	15	15
3.	आईपीएफटी	25	5	4.99	7
4.	आसाम गैस क्रेकर परियोजना	200	37.43	100	150.24
5.	रसायन संवर्धन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस)	7.5	0.95	1.88	2
6.	रसायन हथियार कनर्वजन (डब्ल्यूसी)	4	0.4	0.5	1
7.	आईटी/ सचिवालय	0.5	0.23	0.21	0.25
8.	सीपेट के लिए नई स्कीमें	70	3	16	19.13
9.	व्यावसायिकों के लिए अन्य नई स्कीमें	50	0	1.25	5
	भेषज स्कीमें	**1396.17**	**76.62**	**110.11**	**155.25**
1.	पीएसयू (ज)(बीसीपीएल, एचएएल, आईडीएम, केएपीएल, आरडीपीएल) को परियोजना आधारित सहायता	220.17	40.17	28.15	30
	स्वायत्त संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता				
2.	एनआईपीईआर, मोहाली	164	23.69		23
3.	न्यू एनआईपीईआर जैसे संस्थान	514	7.91	68.46	50
4.	एनपीपीए	65	0.85	0.92	2.25
5.	अनुसूचित एम अनुपालन हेतु ब्याज सब्सिडी	340	0	0	15
6.	फार्मा पीएसयू (ज)/ आर एंड डी के लिए डब्ल्यूएचओ पूर्व योग्यता हेतु महत्वपूर्ण सहायता	75		10	10
	अन्य स्कीमें	18	4.0	2.58	25.0
	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग	**4031**	**182.97**	**223.12**	**340**
1.	अवसंरचना विकास	2613	14.79	48.28	150
2.	प्रौद्योगिकी/ क्रमोन्नयन/ स्थापना, एफपीआई का आधुनिकीकरण	600	119.36	96.87	66
3.	गुणवत्ता आश्वासन, कोडेक्स मानक एवं आर एंड डी	250	16.73	17.37	34
4.	मानव संसाधन विकास	65	4.21	5.96	10
5.	संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	325	27.16	52.71	71
6.	ट्रीट फूड्स की गुणवत्ता का क्रमोन्नयन	178	0.72	1.93	9
	एमएसएमई मंत्रालय	**11500**	**1101.39**	**1659.63**	**1794**
	डीसी (एमएसएमई) स्कीमें	**3750**	**396.5**	**443.25**	**540**
1.	प्रौद्योगिकी सहायता स्कीम एवं कार्यक्रम	1555	139.25	174.99	268
2.	व्यावसायिक सेवा संस्थान एवं कार्यक्रम	347	25.78	35.85	57
3.	एमएसएमई कलस्टर विकास कार्यक्रम एवं एमएसएमई विकास	660	16.95	20.09	39

संलग्नक 23.1.1

2007-08, 2008-09 के दौरान प्रमुख क्षेत्रकों/ विकास शीर्षों के अंतर्गत किया गया योजना खर्च एवं 2009-10 के लिए परिव्यय

	औद्योगिक प्रभाग से संबंधित मुख्य स्कीम	11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08	वार्षिक योजना 2008-09	वार्षिक योजना 2009-10 (बीई)
	पोल्स				
4.	उधार सहायता कार्यक्रम	1040	207.52	178.67	144
5.	एमडीए कार्यक्रम	48	1.36	2.75	11
6.	डेटा बेस का क्रमोन्नयन	100	5.64	30.9	20
7.	असंगठित क्षेत्रकों के लिए राष्ट्रीय निधि (एनएएफयूएस)	0	0	0	1
	1. एसएसआई प्रभाग (एनएसआईसी की स्कीमें)	**250**	**29.09**	**45.89**	**50**
8.	निष्पादन एवं उधार क्रेडिट रेटिंग	73	9.5	7.15	20.9
9.	विपणन सहायता (आमेलित और नई शुरू की गई निधियां, अगस्त, 2008)	61	10.5	12.77	10
10.	अन्य स्कीमें (प्रशिक्षण संस्थान और आरजीएमयूवाई)	116	9.09	25.97	19.1
	2. एआरआई प्रभाग	**7500**	**675.8**	**1170.49**	**1204**
	केवीआईसी				
11.	एमडीए और अन्य सहित केवीआईसी अनुदान	1591.48	622.99	281.94	306
12.	पीएमईजीपी (आमेलित और अगस्त, 2008 में शुरू की गई नई निधियां)	5540	0	823	823
13.	एमजीआरआई	16.33	1.8	1	3
	3. क्वायर बोर्ड				
14.	विपणन एवं प्रशिक्षण	140.41	19.7	20.3	27
15.	आरएमओटी	99	9	21.3	21
16.	योजना (एस एंड टी)	43	7	6	7
17.	स्फूर्ति	69.78	15.31	16.95	17

खनिज

23.2.1 खनिज महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में खनिजों की आपूर्ति करना जरूरी है। भारत के पास अनुकूल भू-गर्भीय क्षमता है जहां विपुल मात्रा में खनिज संसाधन विशेष रूप से लौह अयस्क, बॉक्साइट, बेस धातुएं, सोना और हीरा पर्याप्त मात्रा में है, फिर भी देश में पर्याप्त सर्वेक्षण और उनका पता लगाने की गतिविधियों की आवश्यकता है, ताकि इनके भण्डारों के बारे में उनकी पूरी क्षमता का पता लगाया जा सके। विगत में खनिजों का पता लगाने के लिए प्रयास किए गए हैं और उनमें वृद्धि हुई है, विभिन्न खनिजों के भण्डार जैसे बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क और कोयला (तापीय) तथा इन्होंने देश को इन खनिजों के उत्पादन में शीर्षस्थ दस स्थानों में ला दिया है, फिर भी हीरा, सोना, निक्कल, उर्वरक खनिज, प्लेटिनम वर्ग की धातुएं, तांबा और शीशा - जिंक के मामले में हाल ही के वर्षों में नए भण्डारनों का पता लगाने में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

23.2.2 भारत सरकार द्वारा मार्च, 2008 में नई राष्ट्रीय खनिज नीति का अनुमोदन किया गया था। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की कुछ प्रमुख विशेषताओं में शामिल है - खनिज रियायतों के अनुदान में निर्बाध्यता और पारदर्शिता तथा कन्शेसनायर रखने वाले को समय की सुरक्षा, राज्य एजेंसियों तथा खनन और इसे रेग्यूलेट करने वालों के बीच नजदीकी संबंध, खनिज रियायत अनुदानों में मूल्य वर्धन को वरीयता देना, संसाधनों और भण्डारों के संबंध में इनवेंटरी का विकास तथा खनन टेनेमेंट रजिस्ट्री और खनिज एटलस, आंकड़ा भरने की जरूरत संबंधी एप्लीकेशन, धारणीय विकास की रूप रेखा के विकास को प्राथमिकता देना ताकि जैव विविधता मुद्दों की देखभाल की जा सके, मेजबान के हितों की विशेष देखभाल ओर देसीय (जनजातीय) जनसंख्या का पणधारी हितों के मॉडल पर विकास करना जो अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों पर आधारित हो, भारतीय खान ब्यूरो के साथ वित्तीय संबंधों और प्रचालनों के माध्यम से अवैध खनन की समस्या पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करना, आर एंड डी के लिए व्यापक संस्थागत रूपरेखा का विकास, सर्वेक्षण हेतु जोखिम निवेश को आकर्षित करने हेतु पूंजी बाजार संरचना का विकास तथा भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण भारतीय खनन ब्यूरो, राज्य खनन एवं भू-गर्भ निदेशालय हेतु नए रास्ते तलास कर उसे सुदृढ़ बनाना, वहां जनसाधन और उपस्कर तथा स्टेट ऑफ आर्ट स्तर पर दक्षता सैट लगाना, राष्ट्रीय खनन नीति राष्ट्रीय खनन नीति, 2008 की नीतिगत पहलों पर आधारित और राष्ट्रीय खनन नीति (होडा समिति) पर उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की सिफारिशों पर सरकार ने खान और खनन विकास और विनियमन अधिनियम और संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले बिल के संबंध में सुधार एवं संशोधन का प्रस्ताव की पहल की है।

23.2.3 अब तक की समग्र प्रवृत्तियों के आधार पर खनिज उत्पादन सूचकांक (आधारित 1993-94=100) वर्ष 2008-09 के लिए 175.38 की उम्मीद की जाती है, जो 2007-08 के दौरान 171.5% था, जिस में 2.34% का सकारात्मक विकास देखा गया है। खनन उत्पादन का कुल मूल्य (आणविक खनिजों को छोड़कर) 2008-09 के दौरान अनुमान 115980.53 करोड़ रूपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 7.10% की वृद्धि दर्शाता है। 2008-09 के दौरान ईंधन खनिजों का अस्थायी मूल्य 73063.37 करोड़ रूपए या 62.25% था, धातु खनिज, 29189.32 करोड़ रूपए या कुल मूल्य का 25.17% और गैर धातु खनिज, लघु खनिज को मिला कर 1373.84 करोड़ रूपए या कुल मूल्य का 11.84% ।

23.2.4 62% फाइन सहित लौह अयस्क के निर्यात पर प्रति टन 300 रूपए निर्यात ड्यूटी शुल्क और फी कंटेंट से अधिक, और सभी प्रकार की "लम्प ओर" तथा लोह अयस्क फाइन के लिए 50 रु. प्रति टन, जिसमें 62% कंटेंट से फी नीचे हो, मई, 2007 से लगाई गई। जून, 2008 में, लौह अयस्क के सभी ग्रेड पर 15% की वैलरम निर्यात ड्यूटी

लगाई गई। फिर भी, दिसंबर, 2008 में लौह अयस्क फाइन पर 8% की निर्यात ड्यूटी वापस ले ली गई और लौह अयस्क लम्फस पर निर्यात ड्यूटी वैलरम 15% से कम कर के 5% कर दी गई।

23.2.5 भारत में विनिर्मित वैल्यू एडिड की उपलब्धता और उसके संरक्षण के लिए क्रोम अयस्क पर 2000 रूपए प्रति टन की दर से निर्यात ड्यूटी 2007-08 में लगानी शुरू की गई, जो कि 2008-09 में बढ़ा कर 3000 रूपए प्रति टन कर दी गई।

23.2.6 खनन क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (एफडीआई) पिछले कुछ वर्षों से नीति उत्तरोत्तर रूप में लचीली होती रही है। खनन क्षेत्रक में सभी आणविक और गैर ईंधन खनिजों के लिए जिस में हीरा और कीमती पत्थर भी शामिल हैं के लिए स्वतः चालित माध्यम के लिए 100% मुक्त कर दिया गया है। खनन क्षेत्रक में एफडीआई 2007-08 के दौरान 42 मिलियन यूएस डॉलर था, जो कि 2007-08 में 461 यूएस डॉलर और 2008-09 (अप्रैल-सितम्बर, 2008) में इस क्षेत्रक में एफडीआई 92 मिलियन यूएस डॉलर हो गया (स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक)।

23.2.7 अगस्त, 2006 में प्रमुख खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और स्टोविंग के लिए रेत को छोड़कर) रॉयल्टी दरों और डैड रेंट की समीक्षा के लिए खनन मंत्रालय ने एक अध्ययन समूह का गठन किया। सरकार द्वारा प्रमुख खनिजों पर रॉयल्टी की नई दरों को खनन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2009 में अधिसूचित कर दिया गया।

23.2.8 केंद्रीय मंत्रिमंडल के निदेशों के अनुसार खनन मंत्रालय ने 7 जनवरी, 2008 को खनन मंत्रालय के अपर सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया ताकि भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की गतिविधियों की गहराई से समीक्षा की जा सके और चुनौतियों का सामना करने के लिए इसकी भूमिका को फिर से तय किया जा सके। समिति ने 31 मार्च, 2009 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी। समिति ने जीएसआई के बारे में इसे विश्व स्तरीय जियो- साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाने हेतु 74 प्रमुख सिफारिशें कीं, जिस में अन्य बातों के साथ-साथ एक दृष्टिकोण, चार्टर, कार्य, लक्ष्य, रणनीतियां, कीर्तिमान ओर जीएसआई की संरचना के पुनर्गठन का निर्धारण किया। उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन भी शुरू कर दिया गया है।

23.2.9 राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि0 (नाल्को) को अप्रैल, 2008 में नवरत्न स्टेटस दिया गया और जुलाई, 2008 में हिन्दुस्तान कॉपर लि0 (एचसीएल) मिनी रत्न श्रेणी-I का स्टेटस प्रदान किया गया।

उप क्षेत्रीय रूप रेखा

23.2.10 वार्षिक योजना 2008-09 के लिए विभिन्न फैरस और नॉन-फैरस धातुओं का भौतिक सत्यापन संलग्नक 23.2.1 पर दिया गया है।

लौह अयस्क

23.2.11 यूएनएफसी प्रणाली के आधार पर दिनांक 1-4-2005 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क भण्डार के लिए 14.63 मिलियन टन हैमेटाइट और 10.62 टन मैग्नाइट अयस्क का अनुमान लगाया गया है। 2008-09 में लौह अयस्क का उत्पादन 222.54 मिलियन टन था, जब कि 2007-08 में यह 206.45 मिलियन टन था। तथापि, लौह अयस्क का निर्यात 2008-09 में 104.50 मिलियन टन से थोड़ा बढ़ कर लगभग 105.980 मिलियन टन हो गया। (स्रोत भारतीय खान ब्यूरो)। 2007-098 में लौह अयस्क की घरेलू खपत 81.16 मिलियन टन थी। 2007-08 में संशोधित स्टील का उत्पादन 56.08 मिलियन टन था, जो कि 2008-09 में 56.93 मिलियन टन हो गई।

क्रोमाइट अयस्क

23.2.12 संयुक्त राष्ट्र रूप-रेखा वर्गीकरण (यूएनएफसी) प्रणाली के अनुसार देश में 1-4-2005 की स्थिति के अनुसार क्रोमाइट के संसाधनों का अनुमान 213 मिलियन टन लगाया गया, जिस में 66 मिलियन टन रिजर्व (31%) और 147 मिलियन टन शेष साधन (69%) थे। क्रोमाइट के 85% से अधिक भण्डार अधिकतर उड़ीसा के कटक की सुकंधा

घाटी और जयपुर जिलों में हैं और इसके कुछ भण्डार मणिपुर, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हैं।

23.2.13 2008-09 में क्रोमाइट का उत्पादन 3.976 मिलियन टन (अनुमानित) था, जब कि 2007-08 के दौरान यह 4.799 मिलियन टन था। 2006-07 के दौरान क्रोमाइट का निर्यात 1.20 मिलियन टन था, जो 2007-08 में घट कर 0.90 मिलियन टन पर आ गया।

मैंगनीज अयस्क

23.2.14 यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार देश में 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार कुल मैगनीज अयस्क संसाधन 378.6 मिलियन टन है। इसमें से 138.2 मिलियन टन का वर्गीकरण रिजर्वस के रूप में तथा शेष 240.4 मिलियन टन को शेष संसाधन के वर्ग में रखा गया है।

23.2.15 मैंगनीज अयस्क का उत्पादन वर्ष 2008-09 के दौरान 2.695 मिलियन टन (अनंतिम) था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2007-08 में 2.551 मिलियन टन (पी) का उत्पादन हुआ। वार्षिक योजना 2006-07 में घरेलू उपभोग लगभग 0.72 मिलियन था तथा निर्यात 0.157 मिलियन टन था। 2007-08 के दौरान मैगनीज अयस्क का निर्यात 0.2मिलियन टन था, जबकि 2006-07 के दौरान यह 0.157 मिलियन टन था।

एल्यूमिनियम

23.2.16 यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 1.4.2005 को भारत में बॉक्साइट का कुल संसाधन 3290 मिलियन टन था। इन संसाधनों में 899 मिलियन टन रिजर्व्स तथा शेष 2390 मिलियन टन संसाधन है। रिजर्व्स में 530 मिलियन टन परीक्षित श्रेणी के तथा 360 मिलियन टन संभाव्य श्रेणी रिजर्व्स है। ग्रेड के रूप में लगभग 86 प्रतिशत संसाधन मेटलर्जिकल ग्रेड में है। परावर्तनीय और केमिकल ग्रेड के संसाधन सीमित है तथा दोनों मिलाकर लगभग 3 प्रतिशत है। देश के बॉक्साइट संसाधनों का 55 प्रतिशत उड़ीसा में है उसके बाद आंध्र प्रदेश में 19 प्रतिशत, गुजरात में 6 प्रतिशत छत्तीसगढ़ 5 प्रतिशत, मध्यप्रदेश 4 प्रतिशत, झारखंड 4 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत है।

23.2.17 देश में एल्यूमिना के उत्पादन की प्रक्षेपित क्षमता 3.02 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है और एल्यूमीनियम की उत्पादन क्षमता 1433 हजार टन प्रतिवर्ष है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाली छह कंपनियां हैं, जिनके नाम हैं नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) - एक सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम; भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) - एक संयुक्त क्षेत्रक उपक्रम; हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड (हिंडाल्को), इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (इन्डाल) और मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (माल्को) और वडोदरा एल्यूमिनियम कंपनी (वीएएल) ये चारों कंपनियां निजी क्षेत्रक की हैं। प्रक्षेपित क्षमता का विवरण तालिका 23.2.3 में है।

तालिका 23.2.3 एल्यूमिनियम की संस्थापित क्षमता

(टन प्रति वर्ष)

कंपनी	संस्थापित क्षमता
नाल्को	3,45,000
बाल्को	3,45,000
हिंडाल्को	4,55,000

माल्को	38,000
वेदांता कंपनी लि0	250,000
कुल	14,33,000

स्रोतः खनन मंत्रालयः वार्षिक रिपोर्ट 2008-09

23.2.18 वर्ष 2008-09 के दौरान एल्यूमिनियम का उत्पादन 1348.70 हजार टन था जिसमें मात्र नाल्को से ही 361.26 हजार टन उत्पादन हुआ था। यह दर्शाता है कि कुल एल्यूमिनियम उत्पादन में नाल्को का योगदान 26.78 प्रतिशत है तथा शेष 73.22 प्रतिशत का योगदान निजी क्षेत्रक कंपनियों जैसे हिंडाल्को, बाल्को और माल्को वीएएल द्वारा किया गया है। वर्ष 2007-08 में एल्यूमिनियम का निर्यात 303.643 हजार टन था, जो वर्ष 2008-09 में बढ़ कर 381.870 हजार टन हो गया। एल्यूमिनियम की लंदन धातु विनिमय (एलएमई) 2008 के पूर्वाध में प्रति टन 1000 यूएस डॉलर से भी अधिक बढ़ गया। फिर भी, जुलाई, 2008 से वैश्विक मंदी के कारण जुलाई, 2008 में एल्यूमिनियम की कीमत 3291.50 प्रति टन यूएस डॉलर से घट कर मार्च, 2009 में 1290 प्रति टन यूएस डॉलर तक नीचे आ गई। इस प्रकार इसमें लगभग 60% की मंदी देखी गई। दिसम्बर, 2008 से माल्को ने अपने प्रचालनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।

तांबा

23.2.19 तांबा एक महत्वूपर्ण धातु है तथा इसका प्रयोग रक्षा, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रेलवे, विद्युत केबलों और मिंट आदि में किया जाता है। 1.4.2005 की स्थिति के अनुसार तांबा अयस्क का कुल संसाधन 1.39 बिलियन टन होने का अनुमान है जिसमें 11.4 मिलियन टन धातु है। इसमें से 369.49 मिलियन टन (26.5%) रिजर्व्स (परीक्षित एवं समान्य श्रेणी) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जबकि शेष 1.02 बिलियन टन (73.5%) बचे हुए संसाधन है। कुल अयस्क संसाधनों में से 28.03 मिलियन टन अयस्क में 1.85% अथवा इससे अधिक तांबा (हद्द) है तथा 622 मिलियन टन में 1 प्रतिशत से 1.85% के नीचे तक तांबे के ग्रेड वाला अयस्क है, 604.49 मिलियन टन अयस्क में 0.5 से 1% तांबा तथा शेष 139.92 मिलियन टन में 0.5% से कम तांबा है।

23.2.20 वार्षिक योजना 2007-08 के लिए देश में कॉपर केथोड के उत्पादन की प्रक्षेपित क्षमता 9,47,500 टन प्रतिवर्ष थी जिसमें हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड की 47,500 टन प्रतिवर्ष की क्षमता शामिल है। वर्ष 2008-09 के दौरान मेटल इन कॉनसेंटरेट (एमआईसी) का उत्पादन 123 हजार टन था, जबकि 2007-08 में 159 हजार टन था। प्राइवेट कंपनियां अर्थात् हिंडाल्को और स्टरलाईट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) देश में इस्तेमाल किए जा सकने वाले तांबे के उत्पादन के पिघलाने और परिष्करण के अपने प्रचालनों के लिए तांबा सान्द्रण (कॉन्सन्ट्रेट) का आयात करती हैं।

23.2.21 वार्षिक योजना 2008-09 में कैथोड का उत्पादन 640.665 हजार टन था, जबकि 2007-08 में यह 704.966 टन था, जैसे कि संलग्नक 23.2.1 में दर्शाया गया है।

तांबे की कीमत

23.2.22 दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के दौरान तांबे की एलएमई कीमतों में वृद्धि का रूख देखा गया, जो कि 2007-08 में 7584 यूएस डॉलर प्रति टन पहुंच गया। फिर भी, विश्व अर्थ व्यवस्था में मंदी के कारण 2008-09 में कीमतें घट कर 5864 प्रति टन यूएस डॉलर तक आ गई।

सीसा और जस्ता

23.2.23 यूएनएफसी प्रणाली के अनुसार 01.04.2005 को देश में सीसा जस्ता अयस्क के 522.58 मिलियन टन के संसाधन हैं। इनमें से 125.75 मिलियन टन (24%) संसाधन निक्षेप की श्रेणी के अंतर्गत जबकि बाकि 396.83 मिलियन टन (76%) को शेष संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 10% से अधिक अयस्क वाले संसाधन 144.68 मिलियन टन तथा 5% से कम सीसा और जस्ता वाले अयस्क 291.08 मिलियन टन था।

23.2.24 देश में प्राइमरी जस्ता और प्राइमरी सीसा धातु को पिघलाने की वर्तमान क्षमता 707 हजार टन है जिसमें 669 हजार टन एचजैडएल और 38 हजार टन बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल) का है तथा सीसा के मामले में प्रतिवर्ष 117 हजार टन है।

23.2.25 वार्षिक योजना 2008-09 में जस्ते का उत्पादन 582.16 हजार टन था जबकि इसकी तुलना में यह वर्ष 2007-08 में 458.23 हजार टन था। सीसा के मामले में उत्पादन वार्षिक योजना 2008-09 में 60.323 हजार टन था जबकि वर्ष 2007-08 में यह 58.247 हजार टन था जैसाकि संलग्नक 23.2.1 में दर्शाया गया है।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन (जीएसआई)

23.2.26 दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रमुख रूप से ध्यान केन्द्रण के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए थे उनमें शामिल हैं : विशिष्ट विषयों वाले अध्ययनों के जरिए राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डाटाबेस तैयार करना और उसे अद्यतन करना, भू-वैज्ञानिक भू-रसायनिक और भू-भौतिकीय मानचित्रण, कमी वाले और हाईटेक खनिजों पर जोर देते हुए छुपे हुए खनिज निक्षेपों के लिए अवधारणा उन्मुख खोज, शहरी समूहों का भूकम्पीय सूक्ष्म क्षेत्र निर्धारण, भू-संकट प्रबंधन हेतु जोखिम संभाव्य क्षेत्रों के रेखा-चित्रण के लिए सक्रिय फाल्ट मानचित्रण और प्रेक्षणात्मक भूकंप विज्ञान, जमीन खिसकने का अध्ययन, संग्रहालीय नक्शों का संकलन और डिजीटाइजेशन और सूचना प्रसार तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम।

23.2.27 सरकार ने समुद्रतल पर सर्वेक्षण करने तथा नान-लिविंग संसाधनों का पता लगाने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए 448 करोड़ रुपए की लागत से गहरे समुद्र में जाने वाले नए अनुसंधान वेसल्स हासिल करने की अनुमति दे दी है। अनुसंधान वेसल्स हासिल करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने 72.20 करोड़ रूपए की लागत पर जियो-टैक्नीकल वैसल के अधिग्रहण के लिए सहमति प्रदान कर दी है। हैलीबोर्न सर्वे सिस्टम की खरीद के लिए चार सैंसर्स (ग्रेविटी, मैग्नेटिक, टाइम डोमेन इलैक्टोमैग्नेटिक और रेडियोमे (ट्रक) हाइपर स्पैक्ट्रल कैमरा के साथ लगाना होगा, जो प्रगति पर है।

23.2.28 देश के लगभग सभी राज्यों में जल संसाधन विकास, संचार नेटवर्क के सृजन, नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं, परिवहन और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के संबंध में सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं से संबंधित 319 अन्वेषणों के माध्यम से जीएसआई ने भू-तकनीकी और इंजीनियरिंग भू-विज्ञान अध्ययन के 42 मदों को हाथ में लिया है। अजंता और एलोरा गुफा जिला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में पुरातत्व स्मारकों के संरक्षण के लिए व्यापक जिओ टैक्नीकल विश्लेषण किए गए। अजंता गुफाओं की 3670 वर्ग किलो मीटर की सुगम्य स्क्रैप और एलोरा गुफाओं की 5950 वर्ग किलो मीटर की जियो टैक्नीकल मेपिंग की गई।

23.2.29 भारत सरकार द्वारा भू-स्खलन के संबंध में नोडल एजेंसी घोषित किए जाने के बाद जीएसआई ने क्रम से विभिन्न स्केलों पर भू-स्खलन आपदा क्षेत्र (एलएचजैड) का मानचित्रण, स्थिरीकरण हेतु भू-स्खलन का कार्यस्थल विशिष्ट अध्ययन तथा भू-स्खलन की एक सूची तैयार किया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा तथा महाराष्ट्र में भू-स्खलन अध्ययन कराए गए थे।

भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम)

23.2.30 वर्ष 2008-09 के दौरान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान के 100 मल्टी मिनरल नक्शो का 1:50,000 के मानक पर संबंधित वनों के साथ तैयार किए गए। आईबीएम द्वारा खनिज संसाधनों के अधिकतम उपयोग की दृष्टि से खनिज लाभकारिता अध्ययन शुरू किएगए। 2008-09 में सभी 68 अयस्कों ड्रेसिंग अन्वेषणों में 49,108 रसायन विश्लेषण और 2366 खनिज संबंधी अध्ययन पूरे किए गए।

खनिज खोज निगम लि० (एमईसीएल)

23.2.31 1972 में शुरू होने से ही एमईसीएल खनिजों की खोज संबंधी गतिविधियों में लगी हुई है। यह कंपनी भारत सरकार द्वारा इसके विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली निधि के तहत खोज एवं निर्माण संबंधी गतिविधियों का संचालन अन्य एजेंसियों की ओर से करती है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक, निजी क्षेत्रक और राज्य सरकारों के साथ शर्तों के संबंध में सहमति रहती है।

23.2.32 कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी और पेड अप इक्विटी क्रमशः 125 करोड़ रूपए और 119.55 करोड़ रुपए है। यह इक्विटी पूरी तरह केंद्र सरकार के पास रहती है।

भौतिक वित्तीय निष्पादन 2008-09

2006-07, 2007-08 और 2008-09 के लिए ड्रिलिंग, खनन विकास और भूगर्भीय रिपोर्टें निम्न तालिकाओं में दी गई हैं।

तालिका 23.2.1: एमईसी का भौतिक निष्पादन

उत्पाद	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 ग्दृछ एमओयू लक्ष्य	2008-09 उपलब्धि
ड्रिलिंग मिटरेज	196979	205860	210000	221847
खनन (मीटर)	7811	6640	8000	5900
अंतिम भूगर्भीय रिपोर्टें	41	34	25	32

तालिका 23.2.2: एमईसीएल का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रूपए में)

ब्यौरे	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 एमओयू लक्ष्य	2008-09 ** वास्वतिक
सकल राजस्व	85.29	94.46	125.00	105.90
प्रचालन लागत	74.08	81.62	95.35	99.54

ब्याज	-	-	0.23	-
डीप्रीसिएशन एवं अमोरटाइजेशन	5.17@	3.28	10.60	2.93
ईओआई और कर देने के बाद शुद्ध लाभ	59.57*	6.11	12.49	1.24

@ ठीक किए हुए

* असाधारण आइटम शामिल जैसे - सरकारी ऋण पर 55.69 करोड़ रूपए (नैट आफ टैक्स) ब्याज वेवर

** 2008-09 के लिए वित्तीय आंकड़ों सीएजी ऑडिट के अनुरूप रहेंगे। इसके अतिरिक्त कर देने के बाद शुद्ध लाभ संबंधी कमी 1.1.12007 से देय वेतन के संशोधन के लिए किए गए 15.30 करोड़ रूपए के प्रावधान के कारण है।

हिन्दुस्तान कॉपर लि0 (एचसीएल)

23.2.33 देश में कॉपर अयस्क का उत्खनन करने वाला एचसीएल एक मात्र केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी की स्थापित क्षमता 47,500 टन प्रति वर्ष है जिसमें झारखंड के घाटशिला में भारतीय कापर कम्प्लेक्स के स्मेल्टरों की स्थापित क्षमता 16,500 टन तथा राजस्थान में खेत्री कापर काम्प्लेक्स की स्थापित क्षमता 31,000 टन प्रतिवर्ष है। एचसीएल खानों की क्षमता 3.2 मिलियन टन थी, जिसमें खेतड़ी कॉपर कम्पलैक्स, राजस्थान की 1.2 मिलियन टन और मलंच खांड कॉपर परियोजना, मध्य प्रदेश की 2.00 मिलियन टन क्षमता भी शामिल है। स्वदेशी स्रोतों से कॉपर अयस्क आपूर्ति में तेजी लाने हेतु यह आवश्यक है कि कॉपर अयस्क के लिए खनन गतिविधियों में तेजी लाई जाए और इसके लिए एचसीएल विदेशों में उन विशेषज्ञ कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमकर सकती है जिनके पास खनन कार्यकलापों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियां हो। कंपनी को 2008-09 में 33.24 करोड़ रूपए की हानि हुई, जब कि 2007-08 के दौरान 236.46 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ हुआ था।

राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड

23.2.34 भारत सरकार द्वारा 4091.51 करोड़ रुपये की लागत से अक्तूबर 2004 में अनुमोदित नाल्को के विस्तार का दूसरा चरण अभी चल रहा है। प्रस्तावित विस्तार से बॉक्साइट खान की क्षमता 4.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 6.3 मिलियन टन, एल्यूमिना रिफाइनरी 1.575 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 2.1 मिलियन टन, स्मेल्टर 0.345 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 0.460 मिलियन टन तथा विद्युत उत्पादन 960 मेगावाट से 1200 मेगावाट तक बढ़ जाएगी। नाल्को - एक अनुसूची - जो केंद्र का सार्वजनिक क्षेत्रक का उपक्रम है, जिसे अप्रैल, 2008 में नवरत्न स्टेट्स प्रदान किया गया है, देश की सब-से बड़ी एकीकृत एल्यूमिनियम कंपनी है। अपने कुशल प्रचालन से यह पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की उत्पादक कंपनी है। कर चुकाने के बाद इस कंपनी ने 2008-09 के दौरान (लाभांश से पूर्व) 1272 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ कमाया है, जबकि 2007-08 के दौरान यह लाभ 1632 करोड़ रूपए था। इसने अपने द्वितीय चरण में आगे 409 करोड़ रूपए के परिव्यय पर खनन और रिफाइनरी में नए रहस्य खोल दिए हैं।

विभिन्न संगठनों/ पीएसयू (ज) में कार्मिकों को रोजगार देना

23.2.35 वर्ष 2008-09 के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों आदि जैसे विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के रोजगार को संगठनवार ब्यौरे संलग्नक 23.2.2 पर दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 2009-10

23.2.36 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के उद्देश्यों में शामिल है : छोटे आकार वाले अधिक मूल्य वाले खनिज जैसे सोना, हीरा, बेसमेटल, और प्लेटिनम धातु समूह का गहन खोज तथा लौह और अलौह खनिजों और औद्योगिक खनिजों के संदर्भ में वर्तमान संसाधनों में तेजी लाने तथा राष्ट्रीय खनिज फेहरिस्त में सुधार विशेषकर उन स्कीमों में जिनका रिजर्व कम है जैसे बेस मेटल, निकल, टिन, ग्रेफाइट, नोबल मेटल, बहुमूल्य पत्थर और रॉक फास्फेट; जमीनी और हवाई सर्वेक्षण दोनों के लिए इंस्ट्रूमेण्टेशन के क्षेत्र में जीएसआई की पुनर्संरचना एवं आधुनिकीकरण; तथा उच्च सूक्ष्मता क्षमता सहित अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधा हासिल करना, जीएसआई द्वारा मेटा-डाटा देते हुए एक व्यापक पोर्टल की स्थापना तथा ऐसे कार्य के आधार पर निवेश की संभावना; आईबीएम और एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री (कैडास्ट्री) तथा एक खनिज एटलस की स्थापना हेतु राज्य निदेशालयों का आधुनिकीकरण; खनिज संसाधनों के वर्गीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र ढांचा वर्गीकरण (यूएनएफसी) अपनाए जाने हेतु प्रक्रिया में तेजी लाना जिससे कि खनिजों के रिजर्व/संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय यूनिफार्म प्रणाली में ढ़ाला जा सके जिससे इस क्षेत्रक में और अधिक निजी निवेश आकर्षित किया जा सके, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खनिजों का विकास और खनन के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएण्डडी) कार्यकलापों के सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जा रहा है।

23.2.37 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 1647.82 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसका वित्तपोषण 1447.32 करोड़ रुपये के आईईबीआर और 200.00 करोड़ रुपये के जीबीएस द्वारा किया जाना था। वार्षिक योजना 2008-09 में व्यय 2160 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 1627.37 करोड़ रुपये था जो 22.50 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। खान मंत्रालय के संदर्भ में वर्ष 2009-10 के लिए स्कीम/कार्यक्रम वार परिव्यय के ब्यौरे संलग्नक 23.2.3 पर दिए गए हैं। खान मंत्रालय के परिणामी बजट 2008-09 का स्कीम/कार्यक्रम वार ब्यौरे संलग्नक 23.2.4 पर दिए गए हैं।

संलग्नक - 23.2.2

वार्षिक योजना 2004-05 (वास्तविक) वार्षिक योजना 2005-06 (वास्तविक) वार्षिक योजना 2006-07 के भौतिक लक्ष्य वार्षिक योजना 2007-08 (अनुमानित) ओर 2008-09 के (अनंतिम)

क्रम सं0	मदें	ईकाई	2004-05 वास्तविक	2005-06 वास्तविक	2006-07	2007-08	2008-09 (अनंतिम)
1.	तैयार स्टील $	मिलियन टन	43.51	46.57	52.53	56.08	56.93
2.	एल्यूमिनियम**	हजार टन	883.472	1003.182	1152.261	1233.242	1348.185
3.	कॉपर कैथोड #	हजार टन	408.404	518.900	641.668	704.966	640.665
4.	जिंक (प्राइमरी)@	हजार टन	265.924	317.558	380.940	458.227	582.164
5.	लैड @	हजार टन	15.727	23.636	44.553	58.247	60.323

** निजी क्षेत्रक कंपनियों अर्थात बाल्को, हिंडाल्को, इन्डाल और माल्को का उत्पादन शामिल है।

निजी क्षेत्रक कंपनियों अर्थात स्टरलाइट इंडस्ट्रीज लि. एवं हिंडाल्को का उत्पादन शामिल है।

@ एचजैडएल का वास्तविक निष्पादन

P- अनंतिम

स्रोत : 1. खान मंत्रालय

2. $संयुक्त संयंत्र समिति

संलग्नक **23.2.2**

31-3-2009 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में संगठनवार रोजगार विवरण

क्र.सं.	संगठन/पीएसयूज़	कर्मचारियों की कुल सं0	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	महिला	अल्पसंख्यक	भूतपूर्व सैनिक	विक्लांग	एलडीपी	पीडब्ल्यूडी
1	जीएसआई	9163	1892	836	491	865	*	*	64	*	
2	आईबीएम	1179	283	112	61	153	67	*	*	*	
3	नाल्को	7461	1187	1315	*	*	279	44	70	1968	74
4	एचसीएल	5440	887	670	666	310	329			409	
5	एमईसीएल	1961	291	134	103	49	152	*	*	*	

पीडब्ल्यूडी - अशक्त व्यक्ति
एलडीपी - भूमि विस्थापित व्यक्ति
इएक्स-एसएम - भूतपूर्व सैनिक

* दर्शाया नहीं गया ।

स्रोतः वार्षिक रिपोर्ट 2007-08, खान मंत्रालय

संलग्नक-23.2.3

वार्षिक योजना 2009-10

(करोड़ रूपए में)

संगठन	परिव्यय	आईआर	ईबीआर	जीबीएस	एनबीएस	एनईआर
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	1391.00	1391.00	-		-	-
हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	40.00	40.00	-		-	-
खनिज अन्वेषण कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	-	-	10.00	10.00	-
-निर्माण	10.00	10.00	-	-	-	-
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	160.00	-	-	160.00	160.00	16.00
-निर्माण	7.00	-	-	7.00	7.00	-
भारतीय खान ब्यूरो	19.00	-	-	19.00	19.00	1.90
-निर्माण	1.00	-	-	1.00	1.00	-
विज्ञान एवं तकनीकी	9.82	6.32	0.50	3.00	3.00	-
जोड़	**1647.82**	**1447.32**	**0.50**	**200.00**	**200.00**	**17.90**

संलग्नक -23.2.4

परिणाम बजट 2009-10

स्कीम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	वार्षिक योजना परिव्यय (2008-09) (करोड़ रुपये)	अनुमानित परिणाम अनुमान्य प्रदेय/वास्तविक आऊटपुट	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1. भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संगठन (i) सर्वेक्षण और मानचित्रण	स्थलीय, समुद्री और हवाई सर्वेक्षणों के जरिए राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक सूचना और ज्ञान आधार का निर्माण और उन्नयन	52.74	(i) सुव्यवस्थित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 150 (ii) विशिष्ट विषयगत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 7000 (iii) भू-रासायिनक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 25000 (iv) भू-भौतिकीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 25000 (v) बहु-सेंसर सर्वेक्षण (I किलोमीटर में) 28000 समुद्रयान सर्वेक्षण : ई.ई.जेड के भीतर और बाहर पैरामीट्रिक अध्ययन क) बैथीमीटरी (I किमी) 10000 ख) मैग्नेटिक (I किमी) 10000 (vi) टी.डब्ल्यू. के भीतर सुव्यवस्थित कवरेज (वर्ग किलोमीटर) 3000+ पैरामीट्रिक सर्वेक्षण	निम्न कारणों से कमी रह सकती है: क. नीला पानी अनुसंधान पोतों और भू-तकनीकी पोतों का पुराना हो जाना। ख. हवाई सर्वेक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय और डी.जी.सी.ए. की स्वीकृति ग. वन स्वीकृति
(ii) खनिज अन्वेषण	खनिज संसाधनों की पहचान और प्रारम्भिक रूप से आंका जाना	21.58	(i) बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 1300 (ii) विस्तृत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 35 (iii) ड्रिलिंग (एम) - 70000	-
(iii) विशिष्ट जांच	जल संसाधन विकास के लिए भू-वैज्ञानिक निविष्टि, परिवहन एवं विविध	3.11	संख्या - 75	

	सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाएं भू-पर्यावरणिक अध्ययन, भूकम्प और लैंड स्लाइड क्षेत्र-निर्धारण अध्ययन सहित आपदा प्रबंधन			
(iv) अनुसन्धान, विकास और अन्य अन्वेषण	अंटार्कटिका महाद्वीप का अध्ययन विभिन्न कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की सहायता के लिए और अभिज्ञात समस्याओं को सुलझाने के लिए पेट्रोलाजी, पैलीआनटोलाजी, जियोक्रोनोलाजी, फोटोजियोलाजी और दूरस्थ संवेदन	8.54	1,50,000 स्केल पर 1000 (वर्ग किलोमीटर में) 55 (संख्या)	
(v) सूचना प्रसार	कम्प्यूटरीकृत आर्किवल विश्लेषण, भू-वैज्ञानिक डाटा की पुन-प्राप्ति और विषय-आधारित सम्बन्धात्मक डाटा-आधार का निर्माण, नक्शों, प्रकाशनों ओर कस्टमाइज़ेशन द्वारा डाटा का प्रसार	14.26	50 (संख्या)	
(vi) मानव संसाधन विकास	प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञता के उन्नयन के लिए विशेषता वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण	3.37	30 (35) (किस्मों की संख्या/ पाठ्यक्रमों की संख्या)	
(vii) आधुनिकीकरण और प्रतिस्थापन	जी.एस.आई. की आंतरिक क्षमताओं का उन्नयन करने और उनमें सुधार करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं और सर्वेक्षण सुविधाओं का आधुनिकीकरण और	40.40		

	विस्तार			
(viii) एन.ई.आर. के लिए प्रावधान	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों का विकास	16.00	1. सर्वेक्षण मानचित्रण (i) सुव्यवस्थित भू-वैज्ञानिक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 150 (ii) विशिष्ट विषयगत मानचित्रण (550 वर्ग किलोमीटर) (iii) भू-रासायिनक मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 2192 (iv) भू-भौतिकीय मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर में) 1400 (2) खनिज अन्वेषणः (i) बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) 3.00 (ii) विस्तृत मानचित्रण (वर्ग किलोमीटर) एक (iii) ड्रिलिंग (मीटर) 1000	-
	कुल जी.एस.आई. (योजना)	**160.00**		
2. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (i) संवर्धनात्मक	खनिज भण्डारण को प्रमाणित करना	10.00	(i) ड्रिलिंग 10,700 मीटर (ii) सम्बद्ध भू-वैज्ञानिक क्रियाकलाप (मानचित्रण, सर्वेक्षण, सैम्पलिंग विश्लेषण, भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट और अयस्क बाडी माडलिंग	वन स्वीकृति मिलने पर
(ii) पूंजी		10.00	पुराने संयंत्रों और उपस्करों का प्रतिस्थापन	
	जोड़ : खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	**20.00**		
3. भारतीय खान ब्यूरो (i) वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित खनन, खनिज संरक्षण और खानों के पर्यावरण के लिए खानों का निरीक्षण	एम.एम. (डी. एण्ड आर.) अधिनियम, 1957, एम.सी.डी.आर., 1988 तथा एम.सी.आर. 1960 के संगत भागों के सांविधिक प्रवर्तन के जरिए खनिज संसाधनों का सुव्यवस्थित और संधारणीय विकास सुनिश्चित करना, खनिजों के संरक्षण को बढ़ावा देना,	6.74	एम.सी.डी.आर. के प्रवर्तन और खनन योजनाओं/स्कीमों के अनुमोदन के लिए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार 2500 खानों का निरीक्षण किया जाएगा और 12 क्षेत्रीय खनन भू-वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे, जिनमें सामुदायिक विकास के पहलू को कवर किया जाएगा। इस स्कीम का परिणाम खनिज निक्षेपों का सुनियोजित और वैज्ञानिक	लक्ष्य को निरीक्षण करने वाले अधिकारयों के मौजूदा संख्या में उपलब्ध होने पर प्राप्त किया जा सकता है। वर्ष के दौरान आई.बी.एम. की विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के तहत सभी

	खान पर्यावरण की सुरक्षा करना और खनन क्षेत्रों में सामुदायिक विकास		विकास, खनिजों का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और खानों को सतत बन्द रखना है। इस प्रयोजन से पट्टाधारियों द्वारा तैयार की गई खनन योजनाओं, खानों को बन्द करने की स्कीमों को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है और उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए उनका मानीटरन किया जा रहा है।	क्रियाकलाप सरकार द्वारा 6 मार्च 2003 को घोषित कार्यों के चार्टर के अनुरूप हैं। इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रियाकलाप विनियमनकारी होते हैं और उनका मात्राकरण नहीं किया जा सकता।
(ii) खनिज परिष्करण अध्ययन, निचले ग्रेड और उप-ग्रेड के अयस्कों का उपयोग और पर्यावरणीय नमूनों का विश्लेषण	देश के खनिज संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए खनिज उद्योग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देना। इसके अलावा खानों के निस्राव के प्राचलों के मानीटरन के लिए वायु, जल और ठोस अपशिष्टों, आदि का विश्लेषण भी किया जा रहा है।	5.17	अयस्क प्रतिसारण अन्वेषण-70 रासायनिक विश्लेषण-50,000 खनिज-वैज्ञानिक परीक्षण- 2300 कोलकाता के मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को कार्यात्मक बनाया जाएगा। एसएण्डटी अनुमान बीच सैण्ड से इलेमिनाइट, रुटाईल, जिरकन, सिलिमनाइट और गारनेट को हस्तगत करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा।	
(iii) प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण	राष्ट्रीय खनिज निक्षेपों का अनुमान लगाना एवं खनिज एवं वन मानचित्रों के ओवरले तैयार करना। नए खनन पद्धतियों का विकास करना, खानों का पर्यावरणीय प्रबंधन और मानव संसाधन एवं अवसंरचना का विकास करना।	3.17	1.4.2010 की स्थिति के अनुसार खनिजों के बारे में एन.एम.आई. को अद्यतन बनाने का काम पूरा किया जाएगा। राजस्थान के लिए वन मानचित्रों के ओवरले के साथ 100 बहु-खनिज नक्शे तैयार किए जाएंगे। 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे किए जाएंगे।	बहु खनिज नक्शों को पूर्ण करने और वन मानचित्रों को बनाने का कार्य भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) से वन नक्शों की समयबद्ध उपलब्धता पर निर्भर है।
(iv) विभिन्न प्रकाशनों द्वारा वनों/खानों एवं धातुओं के आंकड़ों का संग्रह, प्रोसेसिंग और प्रसार	डाटा को प्रोसेस, विश्लेषण करने और विभिन्न साख्यिकीय और तकनीकी प्रकाशनों के जरिए उनका प्रसार करने के लिए खानों	1.56	तैयार/जारी किए जाने वाले प्रकाशन (i) मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ मिनरल प्रॉडक्ट 12 अंक (जनवरी से दिसम्बर 2009)	

	और खनिजों का डाटा एकत्र करना		(ii) भारतीय खनिज उद्योग एव नजर में - एक अंक (iii) खनिजों की सांख्यिकीय जानकारी - एक अंक (iv) खनिज सूचना बुलेटिन (v) बुलेटिन ऑन माइनिंग लीज आरपीस और पीएल 2007 (v) 31.3.2008 के अनुसार खानों की निर्देशिका (vi) 31.3.2008 के अनुसार खनन लीक्जेज की निर्देशिका (vii) इंडियन मिनरल ईयर बुक 2007	
(v) भारत में खनन से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन	अपशिष्ट प्रबंधन का आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान निकालने के लिए विभिन्न भू-आकारिकी समाधानों में पर्यावरणीय समस्याओं पर विचार करना	0.15		
(vi) खनन भू-खण्ड प्रणाली संबंधी कम्प्यूटरीकृत आनलाईन रजिस्टर	देश में खनिज संसाधनों (परमाणु खनिज, तेल व प्राकृतिक गैस को छोड़कर) में लगे केन्द्रीय व राज्य सरकार के संगठनों को जोड़ते हुए आन-लाईन राष्ट्रीय खनिज सूचना प्रणाली विकसित करना।	0.30	हार्डवेयर और बेसिक सॉफ्ट-वेयर हासिल करना व स्थापित करना, सॉफ्ट वेयर विकसित करना तथा उसे आईबीएम के पास उपलब्ध मौजूदा डाटा बेस से जोड़ना। खनिज बहुल राज्यों के ग्रामीण मानचित्रों का डिजीटाइजेशन खनन भूखण्डों से संबंधित सूचना को ग्राफिकल के रूप में तथा अन्य ब्यौरों को विषय वस्तु के रूप में प्रदर्शित करना।	
(vii) एन.ई.आर. के लिए व्यवस्था	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खनिज क्षेत्रक का विकास	1.90	(i) खानों का निरीक्षण (ii) निचले ग्रेड के अयस्कों के परिष्करण परीक्षण (iii) खनन उद्योग को परामर्शी सेवाएं प्रदान करना (iv) खनन उद्योग और राज्य	-

			सरकारों के कार्मिकों को प्रशिक्षण (v) राज्य में खनिज विकास की अपनी क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारों को उपस्कर/उपकरण उपलब्ध कराना।	
जोड़ भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) (योजना)		19.00		
5. हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड				
प्रतिस्थापन और नवीकरण	प्रतिस्थापन और नवीकरण द्वारा मौजूदा संयंत्र और खान-मशीनों का अधिकतम उपयोग	40.00	खरीदे जाने वाले प्रस्तावित कुछ प्रमुख उपस्कर ये हैं: बैटरी लोकोमोटिव, डीटीएच मशीन, एलएचडी, रेक्टीफायर, डम्पर, इंजन, ट्रांसमिशन टर्शियरी क्रशर और थिकेण्ड टेलिंग सिस्टम	
6. अन्य कार्यक्रम : एस एण्ड टी	अलौह धातुओं के खनन संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य	9.82	देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा खनिज व अलौह धातुओं के क्षमता निर्माण व सुदृढ़ता हेतु आर एंड डी परियोजनाएं	
7. नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड				
1. नई स्कीमें: 1. चरण II का विस्तारः (i) एल्यूमिना चौथा स्ट्रीम (ii) एल्यूमिनियम चौथा पाटलाइन (iii) कैप्टिव पावर प्लाइंट की नौवीं एवं दसवीं ईकाइयां	क्षमता में वृद्धिः (1) बाक्साइट खानेः 4.8 से 6.3 मिलियन टन, (2) एल्यूमिना रिफाइनरीः 1575 हजार टन से 2100 हजार टन, (3) स्मेल्टरः 345 हजार टन से 460 हजार टन., (4) कैप्टिव पावर प्लांट नौवीं और 10वीं इकाई	952.00	यह परियोजना कमीशन होने की उन्नत स्थिति पर है। प्रमुख संयंत्र इकाईयों पर उत्पादन होना है।	

	120 मेगावाट प्रत्येक को वर्तमान 960 मेगावाट से बढ़ाकर 1200 मेगावाट करना।			
2. उत्कल ई-कोयला	भारत सरकार द्वारा एक नए कोल माइन का आवंटन	54.00	परियोजना को वर्ष 2009-10 के दौरान पूरा करना निर्धारित किया गया है।	
3. पोत्तंगी खानें	चौथे स्ट्रीम से उत्पादन बंद हो जाने के पश्चात् एल्यूमिना रिफाइनरी के बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करना	1.00	यह परियोजना पूर्व गतिविधियों के लिए है।	
4. एल्यूमिना संयंत्र का उन्नयन	एल्यूमिना पेशिने से प्राप्त प्रौद्योगिकी में सुधार के माध्यम से एल्यूमिना संयंत्र क्षमता के चौथे स्ट्रीम को 5.25 से 7.00 लाख टन तक विस्तार करना	6.00	यह परियोजना पूर्व गतिविधियों के लिए है।	
5. ग्रीन फील्ड परियोजनाएं	ऊर्जा समृद्ध देशों (सउदी अरब, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ईरान) में एल्यूमीनियम का उत्पादन करने हेतु स्मेल्टर संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाना तथा क्षेत्र में विद्युत संयंत्र की स्थापना में सस्ती गैस का उपयोग और दूसरे चरण के विस्तार के पश्चात् उपलब्ध 1.2 मिलियन टन अतिरिक्त एल्यूमिना का उपयोग करना।	63.00	यह विभिन्न अध्ययनों एवं परामर्शों के लिए है।	
तीसरे चरण की परियोजना	अतिरिक्त स्ट्रीम और विद्युत संयंत्र के माध्यम से खान एल्यूमिना और	15.00	डीपीआर तैयार होने, संभाव्यता रिपोर्ट, पीआईबी अनुमति मिलने के पश्चात् ही परियोजना पूरा होने	

	प्रदावक की क्षमता का विस्तार करना		के बारे में कुछ कहा जा सकता है।	
6. लाभों को अधिकम बनाने की स्कीमें। संवर्धन/संशोधन/ नवीकरण/प्रतिस्थापन (एएमआरज)	कंपनी के विभिन्न खण्डों में उत्पादन/उत्पादकता बनाए रखना	300		
कुल राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)		1391.00		
निर्माण	भारतीय खान ब्यूरों और भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण में भवनों का निर्माण	8.00	जीएसआई : 7.00 करोड़ तथा आईबीएम 1.00 करोड़ i) बांडलागुडा, हैदराबाद में प्रशिक्षण संस्थान परिसर का निर्माण ii) बैंगलोर में सभागार-सह-संगोष्ठी कक्ष अतिथि गृह और डाकघर सहित केमिकल लेबोरेटरी परिसर का निर्माण iii) शिलांग में कार्यालय सह प्रयोगशाल परिसर का निर्माण iv) ओपी कार्यालय भवन का निर्माण : तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल v) गुवाहाटी और सिक्किम परियोजना के लिए कार्यालय हेतु भूमि की खरीद आईबीएम : भुवनेश्वर, गुवाहाटी में कार्यालय भवन का निर्माण	
कुल योजना परिव्यय खान मंत्रालय		1647.22		

अध्याय 24

पर्यटन एवं सेवाएं

पर्यटन

24.1 पर्यटन देश का सबसे बड़ा सेवा उद्योग है तथा अपने अग्रगामी और पश्चगामी सम्पर्कों और अन्य क्षेत्रकों के साथ सहक्रिया के माध्यम से इसमें देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने की क्षमता है। इस प्रकार इस क्षेत्रक का मुख्य उद्देश्य पर्यटन विकास को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कार्यकलाप के रूप में स्थापित व बनाए रखने ; पर्यटन स्थान के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने व बनाए रखने ; वर्तमान पर्यटन उत्पादों में सुधार करने पर बल देना होगा तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना के सृजन, धारणीय और प्रभावी विपणन योजनाएं एवं कार्यक्रम तैयार करने और ग्रामीण व लघु खण्ड पर्यटन पर विशेष बल देते हुए नई विपणन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इनका विस्तार करना होगा।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

24.1.2 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान 1000.00 करोड़ रुपए पर्यटन की विभिन्न स्कीमों के लिए के अनुमोदित परिव्यय के मुकाबले 973.33 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान स्कीमवार परिव्यय और व्यय संलग्नक 24.1 पर दिए गए हैं।

24.1.3 इसके अतिरिक्त राज्य क्षेत्रक के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 2009-10 में 1151.41 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्नक 24.2 में दिया गया है।

24.1.4 वर्ष 2008-09 के दौरान पर्यटन डेस्टीनेशनों/सर्किटों पर अवसंरचना सुविधाओं में वृद्धि करने तथा सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण की दृष्टि से 162 नई अवसंरचना परियोजनाओं और 2 नए होटल प्रबंधन संस्थान व 6 भारतीय खाद्य निगम को स्वीकृति दी गई थी। वर्ष 2008-09 के दौरान संस्वीकृत राज्यवार अवसंरचना परियोजनाएं और आवंटित/जारी की गई निधियों का विवरण संलग्नक 24.3 में दिया गया है। वर्ष 2008-09 के दौरान मंत्रालय द्वारा संचालित प्रोत्साहन अभियान से देश को कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। इनमें प्रमुख है

- यात्रा व्यापार में एक प्रतिष्ठित पत्र 'कॉन्डे नास्ट ट्रेवलर्स, यू.के. ने अपने रीडर्स ट्रवल अवार्ड्स 2008' में भारत को 'विश्व के शीर्ष दो प्रिय देशों' में सम्मान दिया।
- भारत को जिम्मेदाराना पर्यठन के लिए विश्व ट्रैवल एवार्ड, 2008 से सम्मानित किया गया।

24.1.5 वर्ष 2008-09 के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन (एफटीए) और विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में वृद्धि संतोषजनक नहीं है। लगभग 12% की कमी के साथ वर्ष 2007-08 में एफटीए की संख्या 5.3 मिलियन की तुलना में वर्ष 2008-09 में 4.66 मिलियन हो गई। इसी प्रकार, वर्ष 2008-09 के दौरान एफईई 10.54 यूएस बिलियन डालर डालर हो गई, जो वर्ष 2007-08 में 11.66 बिलियन अमरीकी डालर थी और 9.6% कम था।

वार्षिक योजना 2009-10

24.1.6 वर्ष 2009-10 के दौरान पर्यटन मंत्रालय के लिए 1000.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। परिव्यय का स्कीमवार ब्यौरा संलग्नक 24.4 में दिया गया है।

24.1.7 पर्यटन मंत्रालय 13 केन्द्रीय क्षेत्रकों और एक सीएसएस की स्कीम पर कार्य कर रहा है उनमें से मुख्य निम्नलिखित है :

डेस्टीनेशन और सर्किट्स (सीएसएस) के लिए उत्पाद/अवसंरचना विकास

24.1.7.1 यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम हैं तथा स्कीम का फोकस वर्तमान उत्पाद में सुधार और विश्वस्तरीय नए पर्यटन उत्पाद विकसित करना होगा। पहचान किए गए पर्यटन स्थलों के एकीकृत अवसंरचना विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। सकीम में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रक की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से संसाधनों और विशेषज्ञता के अभिसरण की भी परिकल्पना की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान 899.44 करोड़ रुपए की लागत से 162 नई परियोजनाएं संस्वीकृत की गई जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों की 54 परियोजनाएं शामिल है। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए इस स्कीम के अंतर्गत 522.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है। जिसमे से 86.00 करोड़ रुपए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए होगा।

विपणन विकास सहायता सहित विदेशों में बढ़ावा एवं प्रचार

24.1.7.2 इस स्कीम का उद्देश्य जोरदार अभियान के माध्यम से विदेशी यात्रा बाजार में भारत को एक प्रिय स्थान के रूप में स्थापित करना है। वर्ष 2009-10 के दौरान मुख्य बल अभियान की गति को बनाए रखना तथा 'अतुल्य भारत' अभियान में तेजी लाना और महत्वपूर्ण पर्यटन विपणनों तथा उभरते हुए बाजार विशेषकर, पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सीआईएस देशों और दक्षिण अमरीका में भी प्रिंट व इलैक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान जारी रखना होगा। इसके अतिरिक्त प्रोत्साहन कार्यकलापों के दायरे को व्यापक बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा संयुक्त प्रचार अभियान भी चलाए जाएंगे।

आवभगत सहित घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना और प्रचार

24.1.7.3 इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अधिक संख्या में भारत में लाना तथा पर्यटकों को विभिन्न प्रोत्साहन उपायों के माध्यमों से सूचना उपलब्ध करा कर तथा इसके प्रचार के माध्यम से घरेलू यात्रा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2009-10 के दौरान विषय आधारित घरेलू मीडिया अभियानों, व्यापक सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों, प्रचार सामग्री और कोलेटरल्स, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से मेले और उत्सवों का आयोजन कर पर्यटन उन्नयन के उत्पादन और विंडो डिस्प्ले आदि के माध्यम से पर्यटन डेस्टीनेशनों के बारे जागरूकता पैदा की जाएगी।

आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस आदि को सहायता

24.1.4 इस स्कीम में प्रशिक्षित पर्यटन जनशक्ति संसाधन के लिए पर्याप्त अवसंरचना का सृजन करने की दृष्टि से नए संस्थान स्थापित करने तथा वर्तमान संस्थानों का विस्तार करने हेतु सहायता दी जाती है। वार्षिक योजना 2009-10 के प्रस्तावों में होटल प्रबंधन हेतु नए संस्थानों की स्थापना, आईएचएम/एफसीआई की वर्तमान अवसंरचना में सुधार एवं उन्नयन करने हेतु वित्तीय सहायता, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली के भवन निर्माण हेतु वित्तीय सहायता, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान हेतु पर्याप्त अवसंरचना सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2008-09 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत 2 नए राज्य आईएचएमए और 6 एफसीआईज़ की संस्वीकृति दी गई थी।

संलग्नक-24.1

वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान स्कीमवार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	वार्षिक 2008-09	
		परिव्यय	व्यय
I	**केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)**		
1	डेस्टीनेशन्स और सर्किट्स हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	522.00	541.50
	कुल – सीएस	**522.00**	**541.50**
II	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस)**		
1	**विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं** **क) बौद्ध केन्द्र** ख) यूएनडीपी एन्डोजिनियस परियोजनाएं	8.00	3.91
2	आईएचएम्स/एफसीआईज़/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस को सहायता	2.00	1.55
3	सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	58.00	70.00
4	बाजार विकास सहायता सहित ओवरसीज प्रोत्साहन और प्रचार	17.00	8.76
5	आवभगत सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार	220.00	211.35
6	आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन	72.00	73.44
7	आवास अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन	40.00	20.42
8	गुलमर्ग कश्मीर में आईआईएसएम हेतु भवन का निर्माण	3.00	3.00
9	कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी	25.00	19.76
10	20 वर्षीय भावी योजना सहित मार्केट अनुसंधान	5.00	2.41
11	अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता	15.00	9.99
12	हॉटलों के लिए लैंड बैंक का सृजन	1.00	0.00
13	आईटीडीसी के लिए इक्विटी योगदान	12.00	7.25
14	पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	10.00	4.00
	कुल - सीएस	**478.00**	**431.83**
	कुल (सीएस + सीएसएस)	**1000.00**	**973.33**

संलग्नक-24.2

वर्ष 2008-09 के दौरान पर्यटन क्षेत्र के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदित

(करोड़ रूपए में)

राज्य	2009-10 (अनुमोदित परिव्यय)
आन्ध्र प्रदेश	4.18
अरुणाचल प्रदेश	4.50
असम	7.23
बिहार	29.78
छत्तीसगढ़	52.33
गोवा	49.76
गुजरात	172.83
हरियाणा	12.75
हिमाचल प्रदेश	7.40
जम्मू और कश्मीर	112.67
झारखंड	35.00
कर्नाटक	179.80
केरल	65.01
मध्य प्रदेश	32.76
महाराष्ट्र	*
मणिपुर	1.60
मेघालय	12.00
मिजोरम	3.90
नागालैण्ड	4.88
उड़ीसा	32.50
पंजाब	19.27
राजस्थान	25.24
सिक्किम	20.31
तमिलनाडु	35.80
त्रिपुरा	20.79
उत्तर प्रदेश	36.64
उत्तराखंड	73.76
पश्चिम बंगाल	31.50
अंडमान व निकोबार	11.30
चंडीगढ़	1.00
दादरा व नागर हवेली	1.96
दमन और दीव	3.40

दिल्ली	5.25
लक्षद्वीप	3.06
पुदुचेरी	41.25
कुल जोड़	**1151.41**

*योजना का आकार सीमित नहीं था।

संलग्नक-24.3

पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत राज्यवार अवसंरचना परियोजनाएं और वर्ष 2008-09 में जारी की गई निधियां

(लाख रूपए में)

क्रम सं.	राज्य	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि	दी गई राशि
1	आन्ध्र प्रदेश	7	9980.58	5480.88
2	अरुणाचल प्रदेश	10	3121.97	2497.81
3	असम	4	2107.61	1686.09
4	बिहार	9	1798.45	1438.76
5	छत्तीसगढ़	2	769.11	564.73
6	दिल्ली	1	1133.82	566.91
7	गुजरात	1	9.88	7.90
8	हरियाणा	1	4309.91	100.00
9	हिमाचल प्रदेश	5	2118.66	1450.75
10	जम्मू और कश्मीर	4	2450.49	724.22
11	झारखंड	6	2957.66	2366.12
12	केरल	17	3689.42	1756.47
13	कर्नाटक	10	4197.02	2912.20
14	लक्षद्वीप	3	4258.21	2421.11
15	महाराष्ट्र	2	4095.05	2154.58
16	मेघालय	6	2918.84	2335.07
17	मिजोरम	2	1213.54	970.83
18	मध्य प्रदेश	1	298.38	238.71
19	मणिपूर	9	3111.66	2311.69
20	नागालैण्ड	6	2490.46	1992.34
21	उड़ीसा	4	4109.38	2380.67
22	पांडिचेरी	1	227.80	182.24
23	पंजाब	3	1968.10	848.35
24	राजस्थान	8	4189.56	2965.73
25	सिक्किम	16	7000.88	4883.52
26	तमिलनाडु	11	3552.22	2836.27
27	त्रिपुरा	1	336.17	268.94
28	उत्तर प्रदेश	6	3839.64	2631.81
29	उत्तराखंड	2	4452.22	1461.74
30	पश्चिम बंगाल	4	3238.27	1977.84
	कुल	**162**	**89944.96**	**54414.28**

संलग्नक - **24.4**

वार्षिक योजना **2009-10** के लिए स्कीम वार परिव्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र0 सं0	स्कीम का नाम	वार्षिक योजना **2009-10** का अनुमोदित परिव्यय
1	डेस्टीनेशन्स और सर्किट्स हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास	522.00
	कुल – सीएस	**522.00**
II	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम (सीएस)**	
1	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.00
2	यूएनडीपी एन्डोजिनियस परियोजनाएं	5.00
3	आईएचएम्स/एफसीआईज़/आईआईटीटीएम/एनआईडब्ल्यूएस को सहायता	102.00
4	सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण	12.00
5	बाजार विकास सहायता सहित ओवरसीज प्रोत्साहन और प्रचार	250.00
6	आवभगत सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार	60.00
7	आवास अवसंरचना के लिए प्रोत्साहन	10.00
8	गुलमर्ग कश्मीर में आईआईएसएम हेतु भवन का निर्माण	0.00
9	कम्प्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी	14.00
10	20 वर्षीय भावी योजना सहित मार्केट अनुसंधान	4.00
11	अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता	5.00
12	हॉटलों के लिए लैंड बैंक का सृजन	1.00
13	आईटीडीसी के लिए इक्विटी योगदान	0.00
14	पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता	10.00
	कुल - सीएस	**478.00**
	कुल (सीएस + सीएसएस)	**1000.00**

24.2 आईटी समर्थित सेवाएं (आईटीईएस)

2008-09 के दौरान आईटी/ आईटीइएस/ बीपीओ क्षेत्रक का निष्पादन

24.2.1 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आईटी/ आईटीईएस) उद्योग सतत रूप से अर्थ व्यवस्था के विकास लगातार सबसे अहम भूमिका निभाता आया है। सेवा, सॉफ्टवेयर निर्यात और बीपी इस क्षेत्रक में प्रमुख बने हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में आर्थिक मंदी के कारण भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव भारतीय आईटी कंपनी के वित्तीय निष्पादन पर भी पड़ा है। फिर भी, व्यापक प्रतिभा पूल के सुदृढ़ सिद्धांतों, धारणीय लागत स्पर्धा तथा अनुकूल बिजनैस वातावरण ने भारत को एक प्राथमिक स्रोत के रूप में स्थापित करने में सहायक रहे हैं। 2008-09 के दौरान आईटी/ आईटीईएस निर्यात में 46.3 बिलियन यूएस डॉलर। वर्तमान में आईटी क्षेत्रक में प्रत्यक्ष रूप में 2.2 मिलियन व्यावसायिक कार्यरत हैं ओर अन्य 8 मिलियन व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी के 5% के लिए जिम्मेदार हैं। फॉर्च्यून 500 और ग्लोबल 2000 के अधिकांश निगम भारत से आईटी/ आईटीईएस की सोर्सिंग कर रहे हैं और आईटी/ आईटीईएस ग्लोबल सोर्सिंग के लिए यह अग्रणी मंजिल बना हुआ है, जो सॉफ्टवेयर आईटी सेवाओं में विश्व बाजार का 55% और आईटीईएस/ बीपीओ बाजार में 35% का योगदान देता है। आईटी/ आईटीईएस उद्योग का अंशदान राष्ट्रीय जीडीपी में 2007-08 के दौरान 5.15% से बढ़कर 2008-09 में 5.8% तक बढ़ जाने का अनुमान है।

24.2.2 घरेलू और निर्यात सेग्मेंट सहित आईटी - बीपीओ क्षेत्रक सतत् रूप में बढ़ रहे हैं तथा दोनों रूप से आंतरिक और बाह्य उच्च स्तर पर गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं। मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए कंपिनयां लगातार अपने ग्राहकों को उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विश्लेषण दे रही हैं। 28 कम लागत वाले देशों में भारत आईटी और बीपीओ प्रतिभा में 28% के लिए जिम्मेदार है। इसे पास तेजी से उभरती शहरी अवसंरचनाएं हैं, जो देश में अनेक आईटी केंद्रों का पोषण करते हैं। देश में बाह्य सेवा केंद्र बढ़ रहे हैं, जिसके कारण हैं - कम डिलीवरी लागत के साथ प्रचालन - उत्कृष्टता, गुणवत्ता नेतृत्व और एक अनुकूल बिजनेस वातावरण। अनुकूल नीतिगत हस्तक्षेप व्यापक दक्षता की सुलभता सैट आधारित कार्यबल ने भारत की ख्याति को और आगे बढ़ा दिया है।

24.2.3 सूचना प्रोद्योगिकी विभाग (डीआईटी) आईटी और आईटी समर्थित सेवाओं में राजनीतिक गतिविधियों का समन्वय कर रहा है, दक्षता विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है, सूचना क्षमताओं का संवर्धन कर रहा है, तथा अनुसंधान और विकास को बढ़ा रहा है, ताकि इस क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति बनी रहे। देश से सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ाने के लिए 1991 में भारतीय सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्कर्स (एसटीपी) की स्थापना डीआईटी की एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई। एसटीपी एककों द्वारा किया गया निर्यात वर्षों से काफी बढ़ रहा है। एसटीपी स्कीम एक पेन इंडिया स्कीम है और 8000 से भी अधिक एकक इस स्कीम के तहत पंजीकृत हैं। एसटीपीआई से पंजीकृत एककों द्वारा 2008-09 के दौरान 2,15,571 करोड़ रूपए का निर्यात किया गया, जो कि देश के संपूर्ण सॉफ्टवेयर निर्यात का लगभग 90% है। एसटीपी स्कीम के तहत उपलब्ध सब से महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है, सनिर्यात लाभों को 100% रूप में कर से मुक्त रखना, जिसे 31 मार्च, 2011 तक बढ़ा दिया गया है।

24.2.4 राजस्व अर्जन, निर्यात, घरेलू क्षेत्रक के आईटी - आईटीईएस उद्योग का समग्र निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:-

राजस्व

24.2.5 भारतीय सॉफ्टवयेर और सेवा उद्योग के राजस्व के बारे में अनुमान है कि 2001-02 के दौरान 10.2 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 2008-09 में यह बढ़ कर 58.7 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा जिस में कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 26.9% रही है। आईटी/ आईटीईएस उद्योग राजस्व वृद्धि रूख तालिका 24.2.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 24.2.1 आईटी-आईटीईएस उद्योग सेवा के रूख

(बिलियन यूएस डॉलर)

वर्ष/ आइटम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	सीएजीआर
आईटी - आईटीईएस निर्यात	7.6	9.5	12.9	17.7	23.6	31.1	40.4	46.3	28.6
आईटी/ आईटीईएस घरेलू	2.6	3.0	3.8	4.8	6.7	8.2	11.7	12.4	22.2
कुल	**10.2**	**12.5**	**16.7**	**22.5**	**30.3**	**39.3**	**52.0**	**58.7**	**26.9**

स्रोतः नैसकॉम

24.2.6 नैसकॉम के अनुसार, इसी प्रकार उद्योग को तीन प्रमुख ध्यान केंद्रण सेग्मैंट्स नामतः आईटी सेवाएं, बीपीओ और सॉफ्टवेयर उत्पाद एवं इंजीनियरिंग सेवाएं आदि में विविधिकृत किया गया है। आईटी सेवा क्षेत्रक के विभिन्न घटक हैं - कस्टम एप्लिकेशन विकास, एप्लिकेशन प्रबंधन, सहायता एवं प्रशिक्षण, आईटी परामर्श, सिस्टम्स एकीकरण, अवसंरचना सेवाएं (आईएस), आउट सोर्सिंग, नेटवर्क परामर्श देना, इंटेग्रेशन एवं सॉफ्टवेयर टैस्टिंग आदि।

24.2.7 बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्रक (बीएफएसआई) और बीपीओ सेवाओं के लिए सबसे बड़ा है जो कि कुल निर्यात का आधार राजस्व अर्जन करता है। बीपीओ सेवाएं देने में सब से पुराना होने के कारण बीएफएसआई क्षेत्रक लाभान्वित भी हुआ है और सेवाओं के व्यापक परिदृश्य - ट्रांजेक्शनल, वाइस और ज्ञान आधारित जैसे - क्रेडिट कार्ड बिलिंग और प्रक्रिया, दावों की प्रोसेसिंग, क्रेडिट अण्डरराइटिंग और ग्राहक सहायता प्रदान कर रहा है। हाईटैक/ टैल्कम क्षेत्रक ने भारत के कुल बीपीओ निर्यात राजस्व में वित्त वर्ष 2008 में 22% योगदान दिया है। यह क्षेत्रक स्पर्धामय बाजार दशाओं से संचालित होता है और गैर प्रमुख सेवाओं जैसे ग्राहक देखभाल सेवा प्रदान करता है। विनिर्माण क्षेत्रक, एयरलाइन्स और परिवहन, रिटेल और स्वास्थ्य देखरेख आदि भारतीय बीपीओ सेवाओं में इसके प्रमुख प्रयोगकर्ता है।

निर्यात

24.2.8 भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग में निर्यात अब भी राजस्व अर्जन में सतत् रूप से प्रमुख स्थान पर है। भारतीय सॉफ्टवेयर और सेवाएं उद्योग की निर्यात सघनता (कुल आईटी/ आईटीईएस निर्यात में आईटी/ आईटीईएस) निर्यात का योगदान 2001-02 में 74.5% रहा, जो 2008-09 में 78.9% तक पहुंच गया। अनुमान है कि 2008-09 में कुल सॉफ्टवेय और सेवा निर्यात 7.6 बिलियन यूएस डॉलर से 46.3 यूएस बिलियन डॉलर जिसकी सीएजीआर 28.6% का अनुमान लगाया गया है।

24.2.9 इस अवधि में आईटीईएस - बीपीओ निर्यात लगभग दुगुना हो गया है। कुल आईटीईएस बीपीओ निर्यात जो 2001-02 में 1.5 यूएस बिलियन डॉलर था बढ़ कर 2008-09 के दौरान 12.7 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है और सीएजीआर 39.2% हो जाएगी। अब बीपीओ कुल निर्यात में लगभग 27% का योदान देता है, फिर भी, तीव्रता से वृद्धि करने वाला उत्पाद है - सॉफ्टवेयर। यह 48.5% सीएजीआर पर विकसित हो रहा है। निर्यात राजस्व के सेग्मेंटवार रूख तालिका 24.2.2 में दिए गए हैं।

24.2.10 जबकि यूएस और यूके सबसे बड़ी निर्यात मार्केट है (2007-08 में क्रमशः लगभग 60 प्रतिशत और 19 प्रतिशत), उद्योग अन्य स्थानों पर अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। विशेष रूप से कॉन्टिनेंटल में काफी अच्छा व्यापार रहा है। 600 से भी अधिक मल्टीनेशनल कंपनियां उत्पाद विकास और इंजीनियरिंग सेवाएं भारत में स्थित उनके केंद्रों के माध्यम से सेवाएं ले रही है। भारतीय आधारित इन संसाधनों की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को प्रकृति और दिखाए गए स्वामित्व से भारत अनुसंधान एवं विकास के लिए एक रणनीतिक हब बन गया है।

तालिका 24.2.2 आईटी - आईटीईएस उद्योग में सेग्मेंटवार राजस्व निर्यात के यख

(यूएस बिलियन डॉलर)

वर्ष/ आईटम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	एएसके
आईटी सेवा	5.8	5.5	7.3	10.0	13.3	17.8	23.1	26.5	23.2
आईटीईएस - बीपीओ	1.5	2.5	3.1	4.6	6.3	8.4	10.9	12.7	39.2
सॉफ्टवेयर उत्पाद, इंजीनियरिंग सेवा	0.3	1.5	2.5	3.1	4.0	4.9	6.4	7.1	48.5
कुल आईटी - आईटीईएस	7.6	9.5	12.9	17.7	23.6	31.1	40.4	46.3	28.6

स्रोतः नैस्कॉम

24.2.11 सैद्धांतिक रूप से 24X7 सेवा डिलीवरी के नए वैश्विक मॉडल के सृजन के माध्यम से इस उद्योग ने बिजनस मंजिलके रूप में भारत की ख्याति को बढ़ाया है। 75% से अधिक 500 फॉरच्यून कंपनियों से संबंध बढ़ाए हैं और ग्राहकों के लिए काफी बचत की है। (ग्राहकों के लिए सेवा संबंधी वैश्विक बचत का अनुमान 2008 के दौरान लगभग 20 बिलियन यूएस डॉलर से 25 बिलियन यूएस डॉलर के बीच का अनुमान है) और क्वालिटी पर ध्यान केंद्रण को बढ़ाया है (कपैब्लिटी मैच्योरिटी मॉडल लेवल 5 फर्म

भारत में स्थित है जो 65% है) इसके अतिरिक्त, इस उद्योग ने काफी संख्या में प्रथम जनरेशन के आगे आए काफी उद्यमियों का पोषण किया है।

तालिका 24.2.3 आईटी-आईटीईएस उद्योग में घरेलू राजस्व में सेग्मेंटवार रूख

(यूएस बिलियन डॉलर)

वर्ष/ आईटम	2001- 02	2002- 03	2003- 04	2004- 05	2005- 06	2006- 07	2007- 08	2008- 09	सीएजीआर
आईटी सेवा	2.1	2.4	3.1	3.5	4.5	5.5	7.9	8.3	19.5
आईटीईएस - बीपीओ	0.1	0.2	0.3	0.6	0.9	1.1	1.6	1.9	44.5
सॉफ्टवेयर उत्पाद, इंजीनियरिंग सेवा	0.4	0.4	0.4	0.7	1.3	1.6	2.2	2.2	23.7
कुल आईटी - आईटीईएस			3.8	4.8	6.7	8.2	11.7	12.4	22.2

स्रोतः नैस्कॉम

घरेलू बाजार

24.2.12 यद्यपि आईटी - बीपीओ क्षेत्रक निर्यात संचालित है, घरेलू बाजार भी महत्वपूर्ण है। 2001-02 में घरेलू सॉफ्टवेयर एवं सेवा बाजार से 2.6 बिलियन यूएस डॉलर का राजस्व अर्जन हुआ जो 2008-09 के दौरान बढ़कर 12.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया जो लगभग 22.2% का सीएजीआर है। आईटी - आईटीईएस उद्योग के घरेलू राजस्व रूख तालिका 24.2.3 में दर्शाए गए हैं।

24.2.13 भारतीय आईटी - आईटीईएस उद्योग के घरेलू वर्टिकल्स में आईटम् सेवा सेग्मेंट में घरेलू पोर्टफॉलियो काफी प्रमुख बना हुआ है। फिर भी, इसका योगदान 2001-02 में 80.8% था जो घटकर 2008-09 में 66.9% हो गया है। घरेलू बाजार में आईटीईएस - बीपीओ सेग्मेंट ने पिछले कुछ सालों से अच्छी प्रगति दर्शाई है। आईटीईएस - बीपीओ उद्योग का 2001-02 की तुलना में घरेलू बाजार में 3.8% से बढ़कर 2008-09 में 15.3% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।

रोजगार

24.2.14 भारतीय आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा तथा आईटीईएस - बीपीओ क्षेत्रक ने समग्र रूप से भारतीय अर्थ व्यवस्था पर कई गुणा बोधगम्य प्रभाव डालकर तथ्य पूर्ण विकास किया है। इसने रोजगार के लिए भारी अवसर सृजन किए हैं और राष्ट्रीय आय की वृद्धि में योगदान दिया है। इसने अनेक सहायक उद्योगों जैसे परिवहन, रियल इस्टेट, कैटरिंग आदि के क्षेत्र में अनेक धंधों को काफी संख्या में बढ़ाया है और उच्च निटान योग्य आय वाले युवा उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को सृजित किया है, प्रत्यक्ष कर समाहरण में वृद्धि को तीव्र किया है और उपभोक्ता खर्च में वृद्धि की है।

24.2.15 अनुमान लगाया गया है कि 2008-09 के दौरान कुल आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा रोजगार 2.21 मिलियन तक पहुंच जाएगा जो कि 2001-02 केदौरान 0.52 मिलियन था। यह दर्शाता है कि 2001-02 से इस उद्योग में 1.69 मिलियन रोजगार बढ़े हैं। आईटी - आईटीईएस उद्योग में रोजगार की संख्या को तालिका 24.2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 24.2.4 आईटी - आईटीईएस उद्योग में रोजगार

(मिलियन)

वर्ष/ आईटम	2001-	2002-	2003-	2004-	2005-	2006-	2007-	2008-

	02	03	04	05	06	07	08	09
आईटी सेवा व निर्यात	0.17	0.21	0.30	0.39	0.51	0.69	0.86	0.92
बीपीओ निर्यात	0.11	0.18	0.22	0.32	0.42	0.55	0.70	0.79
घरेलू बाजार	0.25	0.29	0.32	0.35	0.38	0.38	0.45	0.50
कुल रोजगार	0.52	**0.67**	**0.83**	**1.06**	**1.29**	**1.62**	**2.01**	**2.21**

24.2.16 इस क्षेत्रक द्वारा दिए गए अप्रत्यक्ष रोजगार के संबंध में वर्ष 2008-09 में लगभग 8.0 मिलियन का अनुमान लगाया गया है। यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्रक में हो रहे विकास के साथ लगभग 10.20 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित हो जाएंगे।

24.2.17 इस उद्योग ने भारत में प्रतिभाओं के कार्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित कर दिया है। इसने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए हौ, उन्हें वैश्विक प्रदर्शन का मौका दिया है और उन्हें काफी गहन प्रशिक्षण देकर उनका विकास किया है, इसके अतिरिक्त इस उद्योग ने विविधता के बीच में रहकर अपने कार्य स्थल पर अग्रणीय संचालन किया है (लगभग 30% कर्मचारी महिलाएं हैं, 60% से भी अधिक उद्योग खिलाड़ी हैं जो योग्य व्यक्तियों को अन्यथा रूप में नियोजित करते हैं)। आईटी - आईटीईएस निर्यात रोजगार का प्रमुख स्रोत बन गया है। कुल आईटी सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग में रोजगार देने में आईटी - आईटीईएस निर्यात सेग्मेंट का हिस्सा 2001-02 में 52.9% था जो बढ़कर 2008-09 में 77.6% हो गया है।

दृष्टिकोण

24.2.18 नई चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के आईटी फर्म ऊपर उठने के लिए सख्त संघर्ष कर रहे हैं और ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि 2010-11 और 2011-12 में साफ्टवेयर और सेवा निर्यात क्रमशः 60 बिलियन यूएस डॉलर और 72 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा।

अध्याय 25

परिवहन

25.1 रेलवे

25.1.1 भारतीय रेलवे, बड़ी मात्रा में माल के परिवहन और लम्बी दूरी के यात्री यातायात के परिवहन का एक मुख्य साधन है। ग्यारहवीं योजना के दौरान भारतीय रेल के समक्ष मुख्य चुनौती स्पंदनशील अर्थव्यवस्था द्वारा सृजित उच्च गुणवत्ता सेवाओं की तीव्र मांग को पूरा करना है जिसके लिए इसे क्षमता बढ़ाने के लिए उपाय करने हैं। इस प्रकार ग्यारहवीं योजना की प्रमुख दीर्घावधिक कार्यनीति बल्क क्षमता में वृद्धि हासिल करना तथा प्रमुख सेवाएं मुहैया कराना है।

25.1.2 वर्ष 2008-09 के दौरान, 2007-08 की वार्षिक उपलब्धियों के मुकाबले माल यातायात में वृद्धि 7.6 प्रतिशत तथा यात्री यातायात 6.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। इस विकास को जारी रखने के लिए सेवा गुणवत्ता में सुधार तथा यातायात की यूनिट लागत में और अधिक कमी करके और उपरोक्त पहलों को आगे बढ़ाते हुए रेल परिवहन के वस्तु आधार को विस्तृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

25.1.3 वार्षिक योजना 2008-09 (बीई) में रूपये 37,500 करोड़ परिव्यय की व्यवस्था की गई, जिसमें आन्तरिक संसाधन सृजन के लिए 20,600 करोड़ रु0, मार्किट उधार के 8500 करोड़ रूपये, तथा जीबीएस 8400 करोड़ रु0 शामिल हैं । वर्ष 2008-09 में वास्तविक योजना व्यय रू0 36855.51 करोड़ का था, जिसमें आंतरिक स्रोत सृजन के लिए 18941.22 करोड़ रुपए, मार्किट उधार के लिए 7803.84 करोड़ रुपए तथा सकल बजटरी सहायता हेतु 10110.45 करोड़ रूपये शामिल हैं (संलग्नक-25.1.1)। वास्तविक व्यय में राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु 1710.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त जीबीएस शामिल है जिसे बीई चरण पर नहीं दिया गया था परंतु वर्ष के दौरान उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार बाजार आंतरिक संसाधनों में 1658.78 और बाजार की उधार में 696.16 करोड़ रूपए की कमी आई।

25.1.4 रेलवे द्वारा कुछ वर्षों में भाड़े/ यात्रियों की आवागमन के बारे में की गई प्रगति के ब्यौरे परिशिष्ट 25.1.2 तथा 25.1.3 पर दिए गए हैं। वर्ष 2008-09 के लिए मालभाड़ा और यात्री ट्रैफिक के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए।

25.1.5 2008-09 के मुख्य कार्यक्रमों में शामिल थे - रौलिंग स्टॉक का अधिग्रहण, रेलवे लाइनों (ट्रैकों) का नवीनीकरण, लाइन(गेज) परिवर्तन, रेलवे विद्युतीकरण, और नई रेल लाइनों का निर्माण (संलग्नक 25.1.4)। वास्तविक लक्ष्यों की उपलब्धियां तालिका 25.1.1में दी गई हैं।

तालिका 25.1.1 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

	लक्ष्य	उपलब्धियां
नई लाइनों का निर्माण (रूट कि.मी.)	357	357
गेज परिवर्तन (रूट किलोमीटर)	563	563
डबलिंग (रूट किलोमीटर)	1000	363

विद्युतीकरण (रूट किलोमीटर)	1000	797
लाइनों का (ट्रैक) नवीनीकरण (ट्रैक कि.मी.)	3975	3841
रोलिंग स्टाक		
1. लोकोमोटिव्स	**470**	**507**
डीजल	250	257
विद्युत	220	250
2. कोच	2734	3193

25.1.6 कमियां मुख्य रूप से नई लाइने बिछाने, डबलिंग व गेज परिवर्तन तथा कोच व वैगनों में रही है। कमियों का कारण सीमेंट और स्टील के दामों में अत्यधिक वृद्धि के कारण ठेकों के निष्पादन में विलम्ब, खराब कानून व व्यवस्था स्थिति विशेष रूप से पूर्वोत्तर में तथा आपूर्ति में वाधा रही है। भारतीय रेल इन कमियों को 2009-10 में दूर करने का प्रयास करेगा।

वार्षिक योजना 2008-09

25.1.7 रेल बजट में 40745 करोड़ रु0 का परिव्यय रखा गया, जिसमें 15800 करोड़ रुपये की सकल बजटीय सहायता, आन्तरिक संसाधन सृजन के लिए रू0 15675 करोड़ तथा बाजारी उधार हेतु रू0 9270 करोड़ शामिल है (संलग्नक-1)। 2009-10 वर्ष के दौरान यातायात योजना अनुमान में माल भाड़ा से होने वाली 7384 मिलियन टन राजस्व अर्जन हेतु 882 मिलियन टन परिवहन का लक्ष्य रखा गया, जबकि 2008-09 के दौरान राजस्व अर्जन हेतु मूल भाड़ा परिवहन वास्तव में 850 मिलियन टन रहा । यात्री परिवहन के लिए 7384 मिलियन यात्रियों का उच्चतर लक्ष्य रखा गया, जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान वास्तव में आंकडे 7097.60 मिलियन यात्री तक पहुँच थे । भाड़े तथा रेलवे द्वारा यात्री यातायात का ब्यौरा परिशिष्ट 25.1.2 तथा 25.1.3 पर देखा जा सकता है। 2009-10 के मुख्य कार्यक्रमों में 250 कि. मी. नई रेल लाइनों का निर्माण, 1300 कि. मी. गेज परिवर्तन, 1000 कि. मी. सिंगल लाईन ट्रेक का डबलिंग, 1000 कि. मी. रेल लाईनों का विद्युतीकरण, 1500 कि. मी. ट्रैक नवीकरण तथा 250 डीजल और 250 इलैक्ट्रिकल लोकेमोटिव्स, 3155 कोचेज तथा 45000 वैगनों का अधिग्रहण शामिल है। विभिन्न परियोजना योजना शीर्ष पर खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि के ब्यौरे संलग्नक 25.1.4 पर दिए गए हैं।

25.2 सड़कें

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

25.2.1 वर्ष 2008-09 के लिए रू0 13270.00 करोड़ के परिव्यय के मुकाबले व्यय रू0 13349.41 करोड़ रुपये का था। नॉन-एनएचडीपी के निर्माण के मामले में कार्यक्रम के संबंध में उपलब्धियां लक्ष्यों से अधिक रही हैं। तथापि, पुलों और आरओबीज़ के निर्माण जैसे कुछ कार्यक्रमों में कमियां है। ब्यौरे तालिका 25.2.1 में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 2009-10

25.2.2 वार्षिक योजना 2008-09 में कमियों को दूर करने के लिए लगातार ध्यान दिया जाएगा।

अतः मुख्य जोर गायब हुए लिंको के निर्माण, घटिया स्तर के सैक्शन में सुधार करने, कमजोर पुलों की बहाली/ पुनः निर्माण, उप मार्गों का निर्माण, 4 लेन, 2 लेन के निर्माण तथा 2 लेन की कमजोर सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर होगा। नॉन-एनएचडीपी कार्यों हेतु 2009-10 के लिए भौतिक लक्ष्यों और दिसम्बर, 2009 तक की उपलब्धियों के विस्तृत ब्यौरे संलग्नक 25.2.1 पर दिए गए हैं।

25.2.3 वर्ष 2009-10 के दौरान केंद्रीय क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए रू0 20198 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। स्कीम-वार ब्यौरे संलग्नक 25.2.2 में दिए गए हैं ।

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी)

25.2.4 11वीं योजना की प्रथम अर्ध अवधि के दौरान एनएचडीपी कार्यक्रमों का निष्पादन लक्ष्य से काफी पीछे रहा है। 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार एनएचडीपी की चरणवार प्रगति संलग्नक 28.2.3 में दी गई है। सारांश रूप में इसकी स्थिति निम्न प्रकार है:-

एनएचडीपी चरण-1 और 2

25.2.4.1 एनएचडीपी चरण-1 और 2 में एनएच (एस) का विकास शामिल है तथा निम्न पर 4/6 लेन का स्टैंडर्ड (क) स्वर्ण चतुर्भुज (जीक्यू) जो चार प्रमुख मैट्रो पॉलटन शहरों - दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै और कोलकाता को जोड़ता है। (ख) उत्तरदक्षिणी कारिडोर पूर्व - पश्चिमीकोरिडोर (एनएस और ईडब्ल्यू) जो कन्याकुमारी श्रीनगर और कन्याकुमारी तथा सिल्चर से पोरबंदर तथा कुछ हिस्सा सेलम से कोचीन को जोड़ता है। (ग) देश के प्रमुख बंदरगाहों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना (घ) अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग स्ट्रैचिज। चरण-1 लगभग पूरा हो गया है, जब कि चरण-2 की कुल दूरी कामात्र 10% हिस्सा ही सौंपा जाना शेष रहा है। संभावना है कि चरण-2 दिसम्बर, 2010 तक पूरा हो जाएगा।

एनएचडीपी चरण-3

25.2.4.2 सरकार ने 80626 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर बीओटी आधार पर 12,109 किलोमीटर लम्बी एनएच (एस) की 4/6 लेनिंग का अनुमोदन कर दिया है। चरण-3 को पूरा करने की निर्धारित तारीख 31दिसम्बर, 2013 है। 31 दिसम्बर, 2009 की स्थिति के अनुसार चरण-3, 4815 किलोमीटर की कुंल लम्बाई के मुकाबले, मात्र 1160.31 किलोमीटर ही पूरा हुआ है। एनएचडीपी-3 दर्शाता है कि लक्ष्य हासिल करने में कुछ चूक रह सकती है।

एनएचडीपी चरण-4

25.2.4.3 इस चरण के लिए विचार किया गया है कि लगभग 20,000 किलोमीटर लम्बे एनएच (एस) का क्रमोन्नयन दो लेन में पेण्ड सोल्डर्स के साथ एनएचडीपी के तहत किया जाए। अनुमोदित 20,000 किलो मीटर लम्बाई में से जिसे 5000 किलो मीटर की टुकड़ियों में चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित किया जाना है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) प्रथम चरण को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है, यानि एचएचडीपी चरण-4ए 5000 किलोमीटर एकल/ इंटरमीडिएट/ दो लेन राजमार्ग का दो लेन में बोट (टोल) आधार पर और बोट (एन्यूएटी) आधार पर पेण्ड सोल्डर्स के साथ क्रमोन्नयन/ सुदृढ़ीकरण।

एनएचडीपी-5

25.2.4.4 एनएचडीपी चरण-5 के तहत मौजूदा 4 लेन वाले एनएच (एस) की 6500 किलो मीटर क़ीदूरी को 6 लेन में (डीबीएफओ आधार पर) अक्तूबर, 2006 में अनुमोदित किया गया था। 6500 किलो मीटर 6 लेनिंग में शामिल हैं - 5700 किलो मीटर जीक्यू ओर 800 किलो मीटर अन्य स्ट्रैचिज। 6500 किलोमीटर के मुकाबले, 2008-09 में मात्र 118 किलो मीटर ही पूरी की गई है। 2009-10 के दौरान 77 किलो मीटर लक्ष्य के मुकाबले मात्र 41.21 किलो मटर सड़क ही पूरी की गई है। एनएचडीपी-5 की प्रगति दर्शाती है कि लक्ष्यों की प्राप्ति में चूक रह सकती है।

एनएचडीपी-6

25.2.4.5 एनएचडीपी-6 में विचार किया गया है कि पीपीपी मॉडल पर डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण और प्रचालन (डीबीएफओ) अवधारणा के अनुरूप पूरी तरह नियंत्रित सुलभता के साथ 1000 किलो मीटर एक्सप्रैस मार्ग का विकास किया जाए। इसमें शामिल हैं - एक्सप्रैस मार्ग, वड़ोदरा से मुम्बई, दिल्ली से मेरठ, बंगलौर से चेन्नै, कोलकाता से धनबाद रोड़। अभी तक चरण-6 के तहत कोई प्रगति नहीं हुई है। इस चरण के लिए कुल 16,680 करोड़ रूपए की कुल निधि की जरूरत होगी, जिस में 9000 करोड़ रूपए निजी क्षेत्रक ओर शेष 7680 करोड़ रूपए सरकारी वित्पत पोषण रहेगा, जिस से व्यावहारिक अंतराल और भूमि अधिग्रहण की लागत, यूटिलिटी शिफ्टिंग, परामर्श आदि की लागत को पूरा किया जासके। यहपूरी परियोजना दिसम्बर, 2015 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।

एनएचडीपी चरण-7

25.2.4.6 सरकार ने दिसम्बर, 2007 में एनएचडीपी चरण-7 के अंतर्गत 16680 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सड़कों के निर्माण बाईपास, ग्रेड सैपरेटर्स, फ्लाई ओवर्स, एलिवेटिडरोड, टनल्स रोड ओवर ब्रिज, अण्डरपास, सर्विस रोड आदि का बोट (टोल) आधार पर अनुमोदन किया है।

25.2.5 2008-09 के दौरान एनएचडीपी के विभिन्न चरणों पर कार्यकी प्रगति संतोषजनक नहीं रही है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों में शामिल हैं - निर्माण पूर्व की गतिविधियों में हुई देरी, स्थानीय कानून एवं व्यवस्था की समस्या, कुछ ठेकेदारों द्वारा किया गया घटिया कार्य निष्पादन।

25.2.6 2008-09 में बीओटी आधार पर परियोजनाएं एवार्ड करने संबंधी प्रगति संतोषजनक नहीं रही। इस का आंशिक कारण मंदी भी रहा है। सरकार ने सड़क क्षेत्रक में निजी निवेश को सरलीकृत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

तालिका 25.1.2 2008-09 और 2009-10 (फरवरी, 2010 तक) परियोजना एवार्ड

वर्ष	ठेकों की संख्या	एवार्ड लम्बाई किलो मीटर में	पूरी की गई लम्बाई किलोमीटर में
2008-09	8	643	2205
2009-10 (फरवरी, 2010 तक)	36#	3166#	2013*

नोट:* जनवरी, 2010 तक पूरी की गई लम्बाई.
#24.02.2001 की स्थिति के अनुसार

25.2.7 निजी क्षेत्रक ने सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दिखाई। परिणामस्वरूप, 8 ठेकों में (सात बोट आधार पर हैं) को 2008-09 के दौरान एवार्ड किया गया है। 36 ठेकों में (11 बोट आधार पर) फरवरी, 2010 तक एवार्ड किए जा चुके हैं (तालिका 25.1.2)

पूर्वोत्तर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई)

25.2.8 इस कार्यक्रम को दो वर्षों में कार्यान्वित किया जाना है, यानि चरण-क और चरण-ख

तालिका 25.1.3 एसएआरडीपी-एनई का भौतिक निष्पादन

वर्ष	आबंटन (करोड़ रूपए में)	एनएचपीसी द्वारा अनुमोदित दूरी (किलो मीटर में)	अनुमोदित लागत (करोड़ रूपए में)	व्यय (करोड़ रूपए में)	पूरी की गई दूरी (किलो मीटर में)
2006-07	550	502	1,255	449	-
2007-08	700	299	780	651	150
2008-09	1,000	254	1,194	637	290
2009-10 (अक्तूबर, 09 तक)	1,200	94	451	223	-
कुल	**3,450**	**1,149**	**3,680**	**1,960**	**440**

चरण-क के तहत 6418 किलोमीटर सड़क में सुधार किया जाएगा। (जिसमें अरूणाचल प्रदेश पैकेज के तहत 2319 किलो मीटर लम्बी सड़क भी शामिल है) ओर इस चरण-क के पूरा होने की संभावित तारीख 2012-2013 रखी गई है। चरण-ख के तहत 3751 किलो मीटर लम्बी सड़क को दो लेन में बदलना शामिल है ओर इसका अनुमोदन डीपीआर तैयार करने के लिए किया गया है और सरकार द्वारा निवेश संबंधी निर्णय अभी लिया जाना है।

25.2.9 एसएआरडीपी - एनई के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के वर्षवार ब्यौरेः चरण-क के तहत उन पर किया गया व्यय और कार्यक्रमों के भौतिक निष्पादन तालिका 25.1.3 में दर्शाए गए हैं।

25.2.10 2008-09 के दौरान 1000 करोड़ रूपए के परिव्यय के मुकाबले मात्र 637 करोड़ रूपए खर्च किए गए। यह प्रगति बहुत धीमी रही है, जिसका प्रमुख कारण कार्यान्वयन एजेंसियों में क्षमता का अभाव रहा है। 2009-10 में 1200 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है।

वाम पंथ उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के विकास हेतु विशेष कार्यक्रम

25.2.11 सरकार ने फरवरी, 2009 में बाम पंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विशेष परियोजना के रूप में लगभग 1202 किलो मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग ओर 4362 किलो मीटर राज्य सड़कों के विकास का अनुमोदन किया था, जिसकी लागत लगभग 7300 करोड़ रूपए आंकी गई। इस परियोजना के तहत 8 राज्यों के 33 जिले नामतः आध्र प्रदो, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पहचान किए राष्ट्रीय राजमार्गों ओर राज्य सड़क परियोजनाओं की तकनीकी और वित्तीय मंजूरियां राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप जारी की जाएंगी। 2009-10 के दौरान इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए गए।

केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें

(i) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

पीएमजीएसवाई 25 दिसम्बर, 2000 में पूर्णतः केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में शुरू की गई थी, ताकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्कता मुहैया कराई जा सके। इस कार्यक्रम के तहत विचार किया गया है कि तीन वर्ष की अवधि में 1000 लोगों की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों ओर 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को 2007 (पर्वतीय, जनजातीय और रेगिस्तानी क्षेत्रों में आवास 250) तक सड़क संपर्कता से जोड़ दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 1.67 लाख अभी तक कवर नहीं किए गए हैं। पात्र बस्तियों को जोड़ने का विचार किया गया। इस कार्यक्रम के तहत कुल 368 किलो मीटर लम्बे मौजूदा थ्रो रूट्स को क्रमोन्नत करने का प्रावधान भी रखा गया है।

ग्रामीण सड़कें - भारत निर्माण (पीएमजीएसवाई का एक सबसैट)

पीएमजीएसवाई के लिए रखे गए मूल लक्ष्य बहुत उत्साही थे। तत्पश्चात पीएमजीएसवाई को 2005-06 में शुरू किए गए भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत मिलाकर ग्रामीण संपर्कता के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से हासिल करने के लिए फिर से चरणबद्ध किया गया। इसका लक्ष्य है कि मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों और पर्वतीय जनजातीय क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों व समयबद्ध रूप से 2009 तक संपर्कता मुहैया कराई जाए।

तालिका 25.1.4 पीएमजीएसवाई के तहत भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धियां

पीएमजीएसवाई	बस्तियों की संख्या
समग्र लक्ष्य	1,67,000
मार्च, 2009 तक की उपलब्धियां	62,484
भारत निर्माण	
समग्र लक्ष्य	54,648
मार्च, 2009 तक की उपलब्धियां	31,924

तालिका 25.1.5 भारत निर्माण के तहत हुई प्रगति

गतिविधियां	यूनिट	लक्ष्य (2005-09)	मार्च'09 तक की उपलब्धियां
बस्तियां	संख्या	54,648	31,924 (58 प्रतिशत)
न्यू संपर्कता	लम्बाई किलो मीटर में	1,46,185	85,405 (58 प्रतिशत)
क्रमोन्नयन (नवीकरण)	किलोमीटर	1,94,131	1,55,019 (80 प्रतिशत)

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं - ई-प्रापण, ताकि बढ़ती स्पर्धा में बिड्स प्रक्रिया के लिए समय सीमा को कम किया जा सके और पारदर्शिता को बढ़ाया जा सके, मानकों और भागीदारों का रेशनलाइज किया जा सके, राज्यों के निष्पादन की समीक्षा की जा सके, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में पीछे चल रहे हैं,

अनुरक्षण और मानीटरण को सुदृढ़ करना आदि।

वार्षिक योजना 2009-10

वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 18,500 करोड़ रूपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इस में 12000 करोड़ रुपए का जीबीएस और 6,500 करोड़ रूपए नाबार्ड की उधार है। 2009-10 के दौरान 37000 बस्तियों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ii) आर्थिक और अंतर-राज्य महत्व की सड़कें

आर्थिक और अंतर-राज्य महत्व की सड़कों और पुलों का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है (ई एवं आई सड़कें)। केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 में यह प्रावधान है कि राज्य सड़कों के लिए सी आर एफ के उपचय का 10% ई एण्ड आई सड़कों के लिए रखा जाना चाहिए। इस स्कीम के तहत अंतर-राज्यीय संयोजन परियोजनाओं के लिए 100% अनुदान दिया जाता है और आर्थिक महत्त्व की परियोजनाओं के लिए 50% अनुदान दिया जाता है।

2008-09 और 2009-10 के दौरान हुई प्रगति

वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 185.74 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले 175.65 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 230 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया ।

सड़क परिवहन

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

25.2.12 केन्द्रीय सड़क परिवहन क्षेत्रक के लिए वर्ष 2008-09 के 180 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 126.00 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। अधिकांश व्यय सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। स्कीम-वार वित्तीय और भौतिक निष्पादन निम्नानुसार है :

सड़क सुरक्षा

25.2.13 इस स्कीम के अंतर्गत 73.00 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में 54.77 करोड़ रुपए (लगभग 75.02 प्रतिशत) का व्यय किया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से 75000 ड्राइवरों की लक्ष्य की तुलना में 77 एनजीओज़ के माध्यम से 70,700 ड्राइवरों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 490 रेडियो स्पोटों का प्रसारण किया गया और प्रचार सामग्री का मुद्रण कर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अस्पताल/ट्रॉमा केन्द्रों के लिए 72 एम्बुलेंसों की मंजूरी दी गई। 25 क्रेनें प्राप्त करके विभिन्न राज्यों में आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त 100 एनजीओज़ को सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के लिए अनुदान सहायता मंजूर की गई।

राष्ट्रीय डेटाबेस नेटवर्क

25.2.14 इस स्कीम के तहत, 75 करोड़ रूपये के आबंटन के मुकाबले 71.30 करोड़ रूपए का व्यय हुआ। राज्य और केंद्र स्तर पर सभी आरटीओ (ज) को जोड़ते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के राज्य और राष्ट्रीय रजिस्टर्स सृजित करने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 के दौरान 148 करोड़ रूपए की कुल लागत पर एक परियोजना रखी गई, जिसके लिए वर्ष 2008-09 के दौरान 75

करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया। शेष जरूरत को पूरा करने के लिए 2009-10 के लिए 56 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया।

नई स्कीमें

25.2.15 तीन नई स्कीम यानि 7 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ निरीक्षण और अनुरक्षण केंद्र की स्थापना, 24.99 करोड़ रुपए के अनुमोदित परिव्यय में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और 0.01 करोड़ यपए के अनुमोदित परिव्यय पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की पहल वार्षिक योजनाप 2008-09 में शुरू की गई। इन परिव्ययों के बावजूद कोई ठोस व्यय नहीं किया गया।

राज्य सड़क परिवहन निगमों/ उपक्रमों (एसआरटीयू (ज) का निष्पादन

25.2.16 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का भौतिक निष्पादन संतोषजनक रहा है। वर्ष 2008-09 के दौरान फ्लीट यूटीलाइजेशन, उत्पादकता, स्टाफ उत्पादकता, ईंधन कार्यकुशलता आदि में अत्यधिक सुधार हुआ है। तथापि, सुधरे हुए भौतिक निष्पादन से अधिकांश एसआरटीयूज़ के वित्तीय निष्पादन में सुधार नहीं हो सका जो वर्ष 2008-09 के दौरान कम हो गया (विशुद्ध हानि वर्ष 2007-08 में 1422.28 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2008-09 में 1451 करोड़ रुपए हो गए।

वार्षिक योजना 2009-10

25.2.17 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्रक में सड़क परिवहन के विकास के लिए 252.00 करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। स्कीमवार ब्यौरे संलग्नक 25.3.1 में दिए गए हैं। केन्द्रीय क्षेत्रक में सड़क सुरक्षा एक मुख्य स्कीम है तथा इसके लिए वार्षिक योजना 2009-10 में 79 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । सड़क सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत 70,000 ड्राइवरों को प्रशिक्षित किया जाना है, राज्य परिवहन कार्मिकों के लिए 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, 360 वीडियो स्पॉट और 1230 रेडियो स्पॉट टेलीकास्ट किए जाएंगे। 30 क्रेने, 25 लघु/मध्यम क्रेन और 70 एम्बुलेंसेज राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/एनजीओज को दी जाएंगी। राष्ट्रीय डाटा वेस नेटवर्क के लिए वर्ष 2009-10 में 56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंसों के राष्ट्रीय रजिस्टर तथा राज्य रजिस्टर बनाए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एन आई सी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

25.3 पोत परिवहन

25.3.1 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 5098.71 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसमें 600 करोड़ रूपए जीबीएस के रूप में और 4498.71 करोड़ रूपए आईईबीआर के रूप में रखे गए थे। भारतीय पोत परिवहन निगम (एससीआई) और भारतीय ट्रेडिंग कारपोरेशन (डीजीआई) जैसे उपक्रमों को जीबीएस और उनके आईईबीआर अपने संसाधनों से पूरे करने होते हैं।

पोत परिवहन

परिव्यय एवं खर्च

25.3.2 2008-09 के दौरान 2574.01 करोड़ रूपए के परिव्यय के मुकाबले (232.00 करोड़ रूपए बीएस + 2342 करोड़ रूपए आईईबीआर) रखा गया, वास्तविक व्यय 1344.16 करोड़ रूपए हुआ जो

अनुमोदित परिव्यय का 52.2% है। कम खर्च होने का मुख्य कारण था कि भारतीय पोत परवहन निगम (एससीआई) द्वारा कम खर्च किया गया।

भारतीय परिवहन निगम (एससीआई)

25.3.3 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार, भारतीय टॅनेज लगभग 9.28 मिलियन जीआरटी है (15.31मी.डीडब्ल्यूटी)। सार्वजनिक क्षेत्र की शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई) देश की सबसे बड़ी कैरियर है जिसके पास 2.94 मिलियन जीटी (5.13मी डीडब्ल्यूटी) सहित 80 पोत हैं जो राष्ट्रीय टनेज का 31.65 प्रतिशत है। देश के ओवरसीज व्यापार में भारतीय फ्लैगशिप का शेयर वर्ष 2007-08 में लगभग 12 प्रतिशत (अनंतिम) था। जोकि वर्ष 2005-06 के 13.7 प्रतिशत से कमी दर्शाता है।

25.3.4 वर्ष 2008-09 में 2342.01 करोड़ रुपये के परिव्यय में से 1221.32 करोड़ रुपये की राशि खर्च हुई। वर्ष 2008-09 के दौरान मुख्य कार्यक्रम 26 वेसल्स (वीएलसीसी) के लिए स्टेज भुगतान करना था जिसके लिए पहले आर्डर पूर्व योजनाओं में दिए गए थे तथा 10 वेसल्स के लिए आर्डर दिए जाने हैं । 2008-09 के दौरान एससीआई ने 4 नए वैसल्स के लिए आदेश दिया जो 0.17 एमजीटी के थे और 0.25 एमजीटी के 3 नए वैसल्स प्राप्त किए। नए वैसल प्राप्ति के लिए आर्डर देने में रही कमी का मुख्य कारण यह था कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में तरलता की समस्या थी।

25.3.5 वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान 2408.00 करोड़ रूपए (आईईबीआर) उपलब्ध कराया गया जिससे 20 वैसल्स का निधिकरण किया जा सके, जिसके लिए ऑर्डर पहले ही जारी किए जा चुके हैं और 8 नए वैसल्स के ऑर्डर दिए जाने हैं।

महानिदेशक (पोत परिवहन)

25.3.6 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान 12 करोड़ यप्ए के परिव्यय के मुकाबले खर्च 5 करोड़ रुपए हुआ। इस अवधि के दौरान शुरू किए गए कार्यों में शामिल है डीजी (मुख्यालय) के लिए ई-शासन स्कीम और इससे संबद्ध कार्यालय।

25.3.7 2009-10 के दौरान 60.00 करोड़ रूपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया, जिसमें 53.80 करोड़ रुपए इंडियन मैरिन यूनिवर्सिटी (आईएमयू) के लिए थे। आईएमयू के बारे में कल्पना है कि यह समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता का केंद्र है। डीजी (एचक्यू) स्कीम और सिविल कार्यों के निष्पादन के अंतर्गत मुख्यालय में अवसंरचना विकास और क्रमोन्नयन के प्रावधानों और डीजी (पोत परिवहन) के अधीन संबंधित कार्यालयों के अलावा यह प्रस्तावित किया गया है कि सी फेयर्स पहचान दस्तावेज (एसआईडी) को आईएलओ अभियान की जरूरत के अनुसार अनिवार्य किया जाए।

महानिदेशक (प्रकाश पुंज एवं लाइट शिप्स)

25.3.8 महानिदेशक, प्रकाश पुंज एवं लाइट शिप्स एक राजस्व अर्जन करने वाला विभाग है, जो अपनी आय लाइट ड्यू (ज) और लाइट प्रभारों के रूप में भारतीय बंदरगाहों पर आने वाली और वहां से जाने वाली जहाजों से प्राप्त करता है।

25.3.9 2008-09 के दौरान 40 करोड़ रूपए के परिव्यय के मुकाबले 26 करोड़ रूपए का व्यय किया गया। काफी खर्च सतत स्कीमों यानि वैसल ट्रैफिक सर्विस (वीटीएस), कच्छ की खाड़ी (जीओके), 5 प्रमुख प्रकाश पुंजों पर रेकंस और मुंबई हाई (ओएनजीसी) में 5 प्लेट फार्मों पर नए रेकंस स्थापित करने के कारण हुआ।

25.3.10 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 40 करोड़ रूपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया। कच्छ की खाड़ी पर वीटीएस हेतु काफी खर्च होगा और साथ में एमवी डीप स्टम्फ बदलने पर भी व्यय होना है। प्रकाश पुंजों की स्थापना और उनकी प्रौद्योगिकी के क्रमोन्नयन की सतत स्कीमों के कार्यान्वयन और लाइटिड बेकंस की स्थापना की जाएगी, 6 नए प्रकाश पुंजों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी)

25.3.11 वर्ष 2008-09 के दौरान 180 करोड़ रूपए के परिव्यय के मुकाबले 91.84 करोड़ रुपए व्यय किए गए। खर्च में कमी का प्रमुख कारण राष्ट्रीय जल मार्ग के विकास कार्य (एनडब्ल्यू 2-3) की धीमी गति का होना रहा। प्रमुख व्यय कोलकाता में जैटीज के निर्माण, चार सीएसडी के अधिग्रहण और इलाहाबाद में टर्मिनल के निर्माण के फोयर वे, टर्मिनल, मौजूदा तीन राष्ट्रीय जल मार्गों के नेकिगेशनल सहातया संबंधी रखरखाव और तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन पर हुआ।

25.3.12 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 110 करोड़ रुपए का परिव्यय तीन राष्ट्रीय जलमार्गों, नए तकनीकी अध्ययन और आर एवं डी के विकास के लिए आईडब्ल्यूएआई अनुदान के रूप में मुहैया कराया गया है। प्रमुख खर्च पटना और वाराणसी में टर्मिनल के निर्माण, छह सीएसडी एककों के अधिग्रहण, एनडब्ल्यू-1 और रात्रि कालीन नेविगेशनल सुविधा, फ्लोटिंग जैटीज आदि पर होगा। तालिका 25.1.6 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान शिपिंग क्षेत्रक के लिए परिव्ययों और व्यय तथा 11वीं योजना और वार्षिक योजना 2009-10 के लिए परिव्यय को दर्शाता है।

25.4 बंदरगाह

25.4.7 बंदरगाह जल परिवहन और भूतल परिवहन के बीच एक यानांतरण स्थल का कार्य करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुगम बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समुद्री यातायात के माध्यम से भारत के व्यापार की लगभग 95 प्रतिशत मात्रा तथा 70 प्रतिशत मूल्य का यातायात होता है। देश का लगभग 73 प्रतिशत पोत यातायात भारत के तटीय क्षेत्रों में स्थित 12 प्रमुख बंदरगाहों द्वारा किया जाता है तथा शेष 27 प्रतिशत लघु/राज्य बंदरगाहों द्वारा किया जाता है। ये बंदरगाह व्यापार हेतु न केवल यानांतरण स्थल के रूप में कार्य करते हैं बल्कि अपने आस-पास के क्षेत्रों एवं भीतरी प्रदेशों में आर्थिक कार्यकलापों के केन्द्र के रूप में भी कार्य करते हैं।

तालिका 25.3.1 पोत परिहवन क्षेत्रक के लिए परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम	11वीं योजना का परिव्यय	वार्षिक योजना 2008-09						वार्षिक योजना 2009-10		
			परिव्यय			खर्च			परिव्यय		
			जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल
1.	एससीआई	13135.00	0.00	2342.01	2342.01	0.00	1221.32	1221.32	0.00	2408.00	2408.00
2.	डीजी(एस)	66.00	11.00	0.00	11.00	5.00	0.00	5.00	6.20	0.00	6.20
3.	आईएमयू	300.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	53.80	0.00	53.80
4.	डीजी(एलएल)	150.00	40.00	0.00	40.00	26.00	0.00	26.00	40.00	0.00	40.00
5.	आईडब्ल्यूएआई	615.00	180.00	0.00	180.00	91.84	0.00	91.84	110.00	0.00	110.00
	कुल	**14266.00**	**232.00**	**2342.01**	**2574.01**	**122.84**	**1221.32**	**1344.16**	**210.00**	**2408.00**	**2618.00**

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

वित्तीय निष्पादन

25.4.2 2008-09 के दौरान अनुमोदित परिव्यय 3650.99 करोड़ रूपए (338.00 जीबीएस + 3312.99 करोड़ आईईबीआर) वास्तविक व्यय 1135.12 करोड़ रूपए हुआ जो कि अनुमोदित परिव्यय का 31.1% है। बजटीय सहायता का सदुपयोग 59.46% रहा।

भौतिक निष्पादन

25.4.3 11वीं योजना के दौरान प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता जो 2006-07 में 504.75 एमटी थी वह बढ़कर 2011-12 तक 1016.55 एमटी पहुंचने की उम्मीद की जाती है और क्षमता संवर्धन 511.80 एमटी और बढ़ जाएगी। 11वीं योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान क्षमता वृद्धि 70.02 एमटी हुई है, जो कि 11वीं योजना के क्षमता लक्ष्यका मात्र 13.7% है। नई बर्थ बढ़ाने के कारण क्षमता संवर्धन 32.09 एमटी हुआ है तथा मैकेनाइजेशन के कार्यान्वयन और अन्य उत्पादकता सुधार स्कीमों के दौरान वृद्धि 37.12 एमटी हुई है। 104.60 एम कम के लक्ष्य के मुकाबले डीसीआई ट्रेज्ड 77.42 एम.कम. रही है।

25.4.4 प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात 519.31 एमटी (31 मार्च, 2008) से 31 मार्च, 2009 को बढ़कर 576.09 एमटी होना प्रक्षपित किया गया था। वास्तविक उपलब्धि 530.53 एमटी रही जिसमें लगभग 2.16% मात्र का विकास दर्शाया गया है। उपलब्धि कम रहने का कारण यह था कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में मंदी का अनुमान लगाया जा रहा था। अप्रैल - सितम्बर (2009-10) के दौरान विकास दर में मामूली बढ़त हुई। बंदरगाह वार यातायात का विश्लेषण दर्शाता है कि 2008-09 के दौरान मर्मगांव में (18.65%) कांडला पोर्ट (11.25%), पारादीप (9.36%), जेएनपीटी (2.60%), तूतीकोरिन (2.47%), न्यू मंगलौर (1.87%) और चेन्नई (0.59%) वृद्धि हुई। शेष अन्य सभी बंदरगाहों पर माल यातयात में नकारात्मक वृद्धि देखी गई। संपकर्तावार विश्लेषण दर्शाता है कि एफआरएम में सर्वाधिक विकास देखा गया (9.60%), उसके बाद कोयला (8.43%), पीओएल (4.38%), लौह अयस्क (2.44%) और डिब्बा बंद माल (लगभग 1%) वृद्धि देखी गई। "अन्य कार्गो" में 8% का नकारात्मक विकास देखा गया।

25.4.5 बंदरगाह उत्पादकता मानदंड दर्शाते हैं कि सभी माल सामग्रियों के लिए औसत टर्न अराउण्ड टाइम 2007-08 में 3.93 दिन था जो घटकर 2008-09 में 3.87 दिन तक आ कया। इसका मुख्य कारण था कि टर्न अराउण्ड समय में 9.32% की कमी आना। डिब्बा बंद माल में टर्न अराउण्डसमय 2.36 दिन (2007-08)) था जो घटकर 2008-09 में 2.14 दिन तक आ गया।

तालिका 25.4.1 बंदरगाह क्षेत्रक के लिए परिव्यय और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम/ कार्यक्रम	11वीं योजना का परिव्यय (जीबीएस)	वार्षिक योजना 2008-09						वार्षिक योजना2009-10		
			परिव्यय			खर्च			परिव्यय		
			जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल	जीबीएस	आईईबीआर	कुल
1	प्रमुख बंदरगाह	2056.98	149.00	1238.52	1387.52	140.00	748.29	888.29	150.00	1525.00	1675.00
2	एएलएचडब्ल्यू	266.37	36.00	0.00	36.00	14.10	0.00	14.10	45.00	0.00	45.00
3	डीसीआई		0.00	494.40	494.40	0.00	33.61	33.61	0.00	495.50	495.50
4	अन्य*	1425.65	153.00	1580.07	1733.07	46.88	152.24	199.12	190.00	10.00	200.00
	कुल	3749.00	338.00	3312.99	3650.99	200.98	934.14	1135.12	385.00	2030.50	2415.50

* सुनामी के बाद के निर्माण कार्य भी शामिल है। गहन समुद्री बंदरगाह का विकास, वैसल सर्वेक्षण आर एंड डी, सेतु समुद्रम परियोजना, वैब आधारित ईडीआई आदि।

बंदरगाहवार निष्पादन दर्शाता है कि औसत टर्न एराउंड समय में कमी आने का मुख्य कारण रहा अन्य बंदरगाहों में कमी आना (पारादीप पोट) 13.72%, (मर्मगांव) 10.42% (चेन्नै पोटी), 8.69%, (कोलकाता पोटी) 3.54% आदि जब कि हल्दिया और विशाखापट्टनम में इसकी अवधि में कोई अंतर नहीं आया। अन्य बंदरगाहों में वृद्धि देखी गई। सामान की दृष्टि से इसमें 13.57% की गिरावट आई (अन्य भारी मात्रा का तरल पदार्थ), 6.17% लोह अयस्क, 2.25% (एफआरएम), 4.30% (कोयला), जब कि शेष अन्य शुष्क मात्रात्मक सामान और कंटेनर का स्तर वही रही। शेष वस्तुओं में वृद्धि देखी गई। टर्न अराउंड टाइम में समग्र रूप से गिरवावट देखी गई जिसका कारण था कि यातायात की वृद्धि दर बहुत कम रही।

वार्षिक योजना 2009-10

25.4.6 निम्नलिखित तालिका वार्षिक योजना 2008-09 में बंदरगाह क्षेत्रक के परिव्यय और व्यय को दर्शाती है तथा साथ ही 11वीं पंचवर्षीय योजना और वार्षिक योजना 2009-10 के परिव्यय को भी दर्शाता है।

25.4.7 2009-10 के दौरान 30.6 एमटी क्षमता वर्धन बढ़ाने की संभावना है। इसमें बीओटी आधार पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के आधार पर 21.6 एमटी और 90 एमटी की वृद्धि आंतरिक बंदरगाहों के जरिए बढ़नी शामिल है। बोट आधार पर शुरू की गई परियोजनाएं, जिनके पूरा होने की संभावना है, उनके ध्यानकेंद्रण कंटेनर का विकास शामिल है। चेन्नै पोर्ट टर्मिनल, एचडीसी बर्थ संख्या 2 का मैकेनाईजेशन, कोलकाता पोर्ट पर एचडीसी बर्थ संख्या 8 का मैकेनाईजेशन और कार्गो हैंडलिंग परियोजना-1 का मैकेनाईजेशन और पारादीप कार्गो हैंडलिंग परियोजना-2 का मैकेनाइजेशन।

25.5 नागर विमानन

25.5.1 ग्यारहवीं योजना में वर्तमान हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण/उन्नयन, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के निर्माण, हवाई यातायात प्रबंधन (एटीएम) प्रणाली का उन्नयन/आधुनिकीकरण प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि और नवीनतम उपकरणों से लैस आधुनिक ईंधन बचत वायुयान के अधिग्रहण आदि पर बल दिया जाएगा।

वार्षिक योजना 2007-08 की समीक्षा

27.5.2 वर्ष 2008-09 के दौरान नागर विमानन के लिए 10,031.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था जिसमें से 7304.08 करोड़ रुपये (लगभग 72.82 प्रतिशत) खर्च किए गए थे। मंत्रालय के कुछ संगठनों द्वारा किए गए व्यय के मामले में वित्तीय निष्पादन उत्साहजनक नहीं था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उडान एकादमी पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्यूरिटी अनुमोदित बजट का क्रमशः 0 प्रतिशत, 26.25 प्रतिशत और 41.33 प्रतिशत ही खर्च कर सके। नागर विमानन द्वारा वहन किए गए परिव्यय और व्यय के ब्यौरे संलग्नक 25.5.1 पर दिए गए हैं।

तालिका - 25.5.1

एनएसीआईएल का भौतिक निष्पादन-				
विवरण	11वीं योजना	2008-09		2009-10
	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
उपलब्ध टन किमी. (मिलियन)	54111	1168	843	1348
राजस्व टन किमी. (मिलियन)	38217	900	637	1058
समग्र भार कारक (प्रतिशत)	70.6	77.1	75.6	78.50

25.5.3 नागर विमानन मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की लाभ प्रदता के मामले में वित्तीय निष्पादन दर्शाते हैं कि एनएसीआईएल और एयर इंडिया चार्टर्ड लि0 का निष्पादन राजस्व और खर्च की दृष्टि से वर्ष 2008-09 के दौरान लक्ष्य से पीछे रहा। वर्ष के दौरान 5548.26 करोड़ रुपये और 339.60 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। (लाभप्रदता के मामले में) वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा संलग्नक-25.5.2 पर दिया गया है।

वार्षिक योजना 2009-10

25.5.4 2009-10 के दौरान नागर विमानन मंत्रालय हेतु 12164.76 करोड़ रूपए का अनुमोदन किया गया, जिसमें से 190.00 करोड़ रूपए सकल बजटीय सहायता के रूप में था।

25.5.5 12164.76 करोड़ रुपए के कुल अनुमोदन में से 67% नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि0 (एनएसीएल) के लिए था और 26.67% परिव्यय भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई) के लिए था। परिव्यय का संगठनवार वर्गीकरण संलग्नक 25.5.3 में दिया गया है।

नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि. (एनएसीआईएल)

25.5.6 एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स का वर्ष 2007-08 में एक नई कंपनी नामतः नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसीआईएल) में विलय किया गया है। एनएसीआईएल के लिए वर्ष 2009-10 का अनुमोदित परिव्यय 8165.64 करोड़ रुपये है जिसमें

7591.50 करोड़ रुपये वायुयान भुगतान के लिए, 134.00 करोड़ रुपये अवसंरचना कार्गो के लिए नए एयरक्राफ्ट हेतु तथा अतिरिक्त इंजन/वर्कशाप आदि के लिए 190.14 करोड़ रुपये है और अन्य पूंजी व्यय के लिए 250 करोड़ रुपए है। 2008-09 के लिए भौतिक लक्ष्यों/ उपलब्धियों सहित 11वीं योजना और 2009-10 के लिए लक्ष्य निम्न प्रकार हैं -

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

25.5.7 एयर इंडिया लिमिटेड के कम लागत सहायक के रूप में एयर इंडिया चार्टर लि. का वर्ष 2005-06 में सृजन किया गया। इस कंपनी को 2009-10 के दौरान मुहैया कराया गया परिव्यय 573.81 करोड़ रुपए है जिसमें से 489.27 करोड़ रुपए नए एयर क्राफ्ट की खरीद के लिए भुगतान हेतु और 64.55 करोड़ रुपए स्पेयर, इंजन भुगतानों के लिए हैं तथा 20.00 करोड़ रुपए अन्य पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

25.5.8 वर्ष 2009-10 के दौरान एएआई के लिए 99.15 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता सहित 3244.96 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसमें से 3044.96 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा अवसंरचना विकास के लिए होगी।

25.5.9 99.15 करोड़ रूपए का जीबीएस कुछ विशिष्ट स्कीमों जैसे (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश (20.00 करोड़ यपए) अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे - जम्मू व कश्मीर लेह और पोर्ट ब्लेयर, अगाती आदि और पुदुचेरी हवाईअड्डे (रू0 4.15 करोड़)। 11वीं योजना और वार्षिक योजना 2009-10 के लक्ष्यों सहित 2008-09 के लिए भौतिक लक्ष्य/ उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं -

तालिका 25.5.9: भारतीय विमानन प्राधिकरण के भौतिक लक्ष्य

विवरण	11वीं योजना	2008-09		2009-10
यातायात देखरेख क्षमता	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य
यात्री (लाख रूपए में)	733.57	1218.42	1096.78	1447.65
कार्गो (1000 टन)	817.50	289.19	88.44	327.24

पवन हंस हैलोकॉप्टर्स लि0 (पीएचएचएल)

25.5.10 पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड ओएनजीसी, राज्य सरकारों विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों एवं संघ राज्यों के सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों, गृह मंत्रालय एवं एनएचपीसी को हेलीकाप्टर सहायता सेवाएं उपलब्ध कराती है। पीएचएचएल के लिए 84.50 करोड़ रुपये का परिव्यय 10 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता के साथ अनुमोदित किया गया है जिसे अधिकांशतः अग्रिम और पांच हल्के हैलीकाप्टर्स के आंशिक भुगतान तथा 2009-10 के दौरान 2 भारी हैलीकॉप्टर्स पर खर्च किया जाएगा। 10.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता आपात/आपदा प्रबंधन के लिए पर्यटकों एवं बिजनेस समुदाय को कनेक्टिवीटी मुहैया कराने के लिए रोहिणी में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए निर्धारित की गई है।

भारतीय होटल निगम (एचसीआई)

25.5.11 एचसीआई एयर इंडिया लिमिटेड की सहायक है। वर्ष 2009-10 के दौरान एचसीआई को उपलब्ध कराया गया योजना परिव्यय 15.00 करोड़ रुपये है। इसे मुख्यतः दिल्ली हवाई अड्डे पर सेंटूर होटल के जीणोद्धार तथा श्रीनगर में सेंटूर होटल के कमरों एवं अन्य सुविधाओं तथा दिल्ली और मुंबई के फ्लाइट किचन के उन्नयन पर खर्च किया जाएगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी

25.5.12 आईजीआरयूए व्यावसायिक पायलटों को उड़ान प्रशिक्षण देने के लिए एक शीर्ष संस्थान है। वर्ष 2008-09 के दौरान चल रहे कार्यों को पूरा करने की दृष्टि से 8.00 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय

25.5.13 डीजीसीए वायुयान प्रचालन में गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी है। वर्ष 2009-10 के लिए 50.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसे गोंडिया में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद, फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लब्स/संस्थानों की पुनर्संरचना हेतु हल्के वायुयान, सेलप्लेन एवं सिमुलेटरों की खरीद के भुगतान, डीजीसीए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सिविल कार्य प्रशिक्षण एवं सीओएससीएपी परियोजनाओं के लिए अंशदान के रूप में खर्च किया जाएगा।

नागरिक उड्यन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस)

25.5.14 नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरों वायुयान प्रचालनों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2009-10 के लिए अनुमोदित परिव्यय 14.00 करोड़ रुपये है। इसमें से 10.00 करोड़ रुपये बीसीएएस की पुनर्संरचना एवं मुख्यालय भवन के निर्माण, 2.00 करोड़ रुपये सुरक्षा से संबंधित उपकरणों की खरीद तथा शेष राशि नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने, क्षेत्रीय कार्यालयों के निर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर खर्च की जाएगी।

एयरो क्लब आफ इंडिया (एसीआई)

25.5.15 2009-10 हेतु एसीआई के लिए 5.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है जिसे देश में उड़ान प्रशिक्षण और एयरो स्पोर्टस को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाएगा। वर्ष के दौरान दो सिंगल इंजन एवं एक मल्टी इंजन वायुयान तथा एक सिंगल इंजन सिमुलेटर हासिल किए जाएंगे।

संलग्नक-25.1.1

योजना का निधिकरण
(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	निधिकरण का स्रोत	10वीं योजना परिव्यय	10वीं योजना (वास्तविक)	11वीं योजना परिव्यय	वार्षिक योजना 2007-08 का व्यय	वार्षिक 2008-09		वार्षिक योजना 2009-10
						परिव्यय (बीई)	व्यय	(बीई)
1.	जीबीएस कुल*	27600	33888	50063	8899.67	8400	10110.45	15800.00
2.	आंतरिक संसाधन	33000	29568	90000	14716.26	20600	18941.22	15675.00
3.	बाजार से उधार		16900	79654	5169.43	8500	7803.84	9270.00
4.	कुल योग	**60600**	**80436**	**219717 ****	**28785.36**	**37500**	**36855.51**	**40745.00**
5.	राष्ट्रीय परियोजनाएं	--	3628	12000	--	--	--	--

* वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप में राष्ट्रीय परियोजनाओं को दी गई राशि भी शामिल नहीं है।

** 20,000 करोड़ रूपए की निजी सहभागित शामिल नहीं है।

संलग्नक-25.1.2

भारतीय रेलवे द्वारा ढोया गया माल यातायात

वर्ष	मूल यातायात (मिलियन टन में)			निवल टन किलोमीटर (बिलियन में)		
	राजस्व अर्जन	गैर-राजस्व अर्जन	कुल	राजस्व अर्जन	गैर-राजस्व अर्जन	कुल
1991-92	338	22	360	250.2	6.7	257
1992-93	350	20.8	370.8	252.4	5.7	258
1993-94	358.7	18.8	377.5	252.4	4.7	257
1994-95	365	16.6	381.6	249.6	3.4	253
1995-96	390.6	14.3	405	271.1	2.6	274
1996-97	409	14.4	423.4	277.6	2.4	280
1997-98	429.4	16.1	445.5	284.3	2.5	287
1998-99	420.9	20.7	441.6	281.5	2.8	284
1999-2000	456.4	21.8	478.2	305.2	2.8	308
2000-2001	473.5	30.7	504.2	312.4	3.1	316
2001-2002	492.5	29.7	522.2	333.2	3.2	336
दसवीं योजना लक्ष्य 624 मिलियन टन				**396 बिलियन टन किलोमीटर.**		
2002-03	518.74	23.95	542.69	353.2	2.83	356.03
2003-04	557.39	24.00	581.39	381.24	2.83	384.07
2004-05	602.1	24.08	626.18	407.4	3.88	411.28
2005-06	666.5	15.87	682.38	439.6	2.16	441.76
2006-07	727.75	16.81	744.56	480.99	2.43	483.42
ग्यारहवीं योजना लक्ष्य 1100 मिलियन टन			**707 बिलियन टन किलोमीटर**			
2007-08 (बीई)	785	एनए	785	515.67	एनए	515.59
2007-08 (आरई)	790	एनए	790	512.59	एनए	512.59
2007-08 वास्तिवक	790	एनए	790	512.60	एनए	512.60
2008-09 (बीई)	850	एनए	850	549.42	एनए	549.42
2008-09 वास्तिवक	850	एनए	850	545.28	एनए	545.28
2009-10 (बीई)	882	एनए	882	572.43	एनए	572.43

संलग्नक-25.1.3

भारतीय रेलवे द्वारा यात्री परिवहन

वर्ष	यात्रियों की संख्या (मिलियन)			यात्रियों की संख्या (बिलियन)		
	उप-नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल	उप-नगरीय	गैर-उप नगरीय	कुल
1991-92	2411	1637.1	4048.1	63.4	251.2	314.6
1992-93	2282	1467	3749	60.5	239.7	300.2
1993-94	2302	1406	3708	63.1	233.2	296.3
1994-95	2430	1485	3915	68	251	319
1995-96	2481	1557	4038	72.6	261.4	334
1996-97	2578	1575	4153	76.5	280.5	357
1997-98	2657	1691	4348	78.8	301.1	379.9
1998-99	2724.8	1743.7	4468.5	83.5	321.1	404.6
1999-2000	283.4	1814.3	4650.7	85.8	345.6	431.4
2000-2001	2867.9	1971.9	4839.8	89.5	368.2	457.7
2001-02	3075.5	2093.8	5169.3	93.6	400.6	494.2
10वीं योजना लक्ष्य 5885 मिलियन यात्री, 625 बिलियन यात्री किलोमीटर						
2002-03	3011.4	2036.75	5048.15	91	424.78	515.38
2003-04	3076.76	2126	5202.91	96.82	445.23	542.05
2004-05	3275.12	2200.38	5475.5	104.66	471.94	576.6
2005-06	3437.11	2395.28	5832.39	107.42	509.21	616.63
2006-07	3628.63	2705.1	6333.73	112.95	582.87	695.82
11वीं योजना लक्ष्य 8400 मिलियन यात्री, 942 बिलियन यात्री किलोमीटर						
2007-08 (बीई)	3828.87	2777.36	6606.23	133.46	638.58	772.04
2008-09 (आरई)	3816.36	2871.92	6688.28	137.03	631.72	768.75
2007-08 वास्तविक	3688.22	2990.69	6678.91	120.96	653	773.96
2008-09 (बीई)	3879.10	3177.28	7056.38	159.49	670.86	830.35
2008-09 वास्तविक	3903.68	3193.92	7097.60	163.73	689.04	852.77
2009-10 (बीई)	-	-	7384.00	-	-	923.89

संलग्नक-25.1.4

भारतीय रेल का योजना शीर्षवार परिव्यय एवं व्यय

(करोड़ रुपये में कांस्टेंट प्राइस)

क्र. सं.	योजना शीर्ष	11वीं योजना अनुमोदित परिव्यय	2007-08		2008-09		2009-10
			अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक खर्च	अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	5	6	7	8	9
1	नई लाइनें	18733.86	1496.05	2541.38	1514.70	2807.54	2489.57
2	पुनः स्थापन	0.00	28.59	34.30	26.73	15.15	25.57
3	गेज परिवर्तन	15296.20	2300.30	2879.66	2217.70	2663.20	1491.53
4	दोहरीकरण	14146.77	1905.80	1592.30	2246.21	1631.42	1619.37
5	यातायात सुविधाएं यार्ड पुनः अशोधन	5862.07	762.32	787.10	876.74	1045.14	1096.06
6	कम्प्यूटरीकरण	3483.64	309.69	112.44	320.76	183.55	282.96
7	रेल अनुसंधान	375.77	57.17	19.06	55.24	21.38	51.99
8	रौलिंग स्टाक	51724.14	8482.72	7746.12	9841.10	9564.89	10257.43
9	लीज पर परिसम्पत्तियां- पूंजी घटक का भुगतान	0.00	1598.01	1598.01	1612.71	1616.27	1882.73
10	सड़क सुरक्षा- लेवल क्रासिंग	618.92	476.45	177.24	534.60	222.75	596.61
11	सड़क सुरक्षा- आरओबी/आरयूबी	3129.97	525.05	330.66	623.70	281.56	852.30
12	ट्रैक नवीकरण	18925.73	3201.74	2892.05	3207.60	3689.63	3366.59
13	पुल निर्माण कार्य	3006.19	568.88	435.48	535.49	367.09	419.33
14	सिगनलिंग एवं दूर संचार कार्य	8753.32	1521.78	1279.74	1354.32	1228.69	896.62
15	विद्युतीकरण परियोजना	2652.52	285.87	442.15	557.77	697.65	632.41
16	अन्य विद्युत कार्य	1909.81	222.03	233.46	302.94	401.84	418.48
17	मशीनरी एवं संयंत्र	1768.35	283.01	182.96	392.04	289.58	345.18
18	उत्पादन यूनिट सहित कार्यशाला	7692.31	615.57	471.69	1565.49	907.04	1528.17
19	स्टाफ क्वाटर्स	696.73	152.46	160.09	196.02	178.20	285.52
20	स्टाफ के लिए सुविधाएं	1286.47	196.30	174.38	198.69	251.26	361.38
21	यात्री एवं अन्य प्रयोक्ता सुविधाएं	6373.12	469.78	636.54	759.13	737.75	939.23
22	पीएसयू में निवेश	33156.50	2563.30	1507.49	2882.39	1866.65	3188.45
23	अन्य विशिष्ट कार्य	795.76	303.98	280.15	298.49	270.86	378.42
24	एमटीपी	3934.57	687.99	382.11	579.15	603.21	554.00
25	इनवेंटरीज	1945.18	524.10	718.49	712.80	833.09	767.07
	कुल	206267.90*	29538.95	27615.04	33412.50	32375.38	34726.96

* राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु लगभग 12000 करोड़ रुपये सहित उपलब्ध कराए गए।

संलग्नक-**25.2.1**

11वीं योजना के दौरान गैर एनएचडीपी सेक्शन ऑफ एनएच पर भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र0 सं0	श्रेणी	2007-08		2008-09		2009-10	
		लक्ष्य (कि0मी0/संख्या)	उपलब्धि (कि0मी0/संख्या)	लक्ष्य (कि0मी0/संख्या)	उपलब्धि (कि0मी0/संख्या)	लक्ष्य (कि0मी0/संख्या)	उपलब्धि (दिसम्बर, 2009 तक) (कि0मी0/संख्या)
1.	मिसिंग लिंक (कि0मी0)	22	36	26	16	8.80	3.2
2.	2 लाइनों में चौडा करना (कि0मी0)	919	950	1,176	1,153	1,321	793
3.	सुदृढ़ीकरण (कि0मी0)	577	911	706	1,010	1,058	635
4.	भार ढ़ोहने की गुणवत्ता में सुधार (कि0मी0)	1,602	1,657	1,350	2,470	2,510	1,990
5.	चार लाइन में चौड़ा करना (कि0मी0)	34	36	51	63	80	45
6.	बाइपास (संख्या)	3	6	8	4	6	0
7.	पूल आरओबी (ज) (संख्या)	107	86	92	77	132	49

संलग्नक 25.2.2

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम	10वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय	10वीं योजना वास्तविक खर्च	11वीं योजना अनुमोदित परिव्यय (2007-2012)	वार्षिक योजना (2007-08) वास्तविक खर्च	वार्षिक योजना(2008-09) वास्तविक खच	वार्षिक योजना(2009-10) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना(2009-10) प्रत्याशित व्यय
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (क+ख+च+छ)**	**13990.50**	**9495.30**	**4454.00**	**2220.00**	**1894.00**	**340.00**	**340.00**
क	बाह्य सहायता (आरडब्ल्यू)	2560.00	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	काउंटर पार्ट निधि (आरडब्ल्यू)	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
क	**ईएपी मंत्रालय (क+ख) ***	**3200.00**	**15.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ग	बाह्य सहायता प्राप्त (एनएचएआई)	8712.00	9479.48	3563.20	1776.00	1515.20	272.00	272.00
घ	काउंटर पार्ट निधि	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ड़	एनएचएआई को ऋण	2028.00	0.00	890.80	444.00	378.80	68.00	68.00
ख	**ईएपी एनएचएआई (ग+घ+ड़))**	**10789.50**	**9479.48**	**4454.00**	**2220.00**	**1894.00**	**340.00**	**340.00**
च	पीआईसी का सुदृढ़ीकरण	0.50	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
छ	शीर्ष 04.00.42	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	**अन्य स्कीमें (क+ख+ग+घ)**							
क	एनएच (ओ)	8664.00	7519.39					
ख	यात्रा खर्च	20.00	2.55					
ग	मशीनरी और उपस्कर	15.00	29.00	16500.00	1891.07	**2857.01**	3234.55	4234.55
घ	एनएचडीपी फेज-3 के तहत एनएच का विकास	0.00	810.00					
3	**बीआरडीबी के तहत निर्माण कार्य**	950.00	1356.39	2500.00	623.93	645.80	600.00	756.00
4	**अन्य प्रभार एवं आईटी (क+ख)**	**20.00**	**8.52**	64.00	0.82	**0.84**	4.00	4.00
क	अन्य प्रभार							
ख	आईटी का विकास							
5	आरडब्ल्यू के तहत रणनीतिक सड़कें**	50.00	150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	बीआरडीबी के तहत रणनीतिक सड़कें			500.00	67.80	76.96	60.00	100.00

क्र0 सं0	स्कीम	10वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय	10वीं योजना वास्तविक खर्च	11वीं योजना अनुमोदित परिव्यय (2007-2012)	वार्षिक योजना (2007-08) वास्तविक खर्च	वार्षिक योजना(2008-09) वास्तविक खच	वार्षिक योजना(2009-10) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना(2009-10) प्रत्याशित व्यय
	I	2	3	4	5	6	7	8
7	आर एंड डी तथा प्रशिक्षण							
क	आरडी योजना का अध्ययन किया गया	30.50	21.37	100.00	0.55	0.87	7.00	6.00
ख	प्रशिक्षण							
8	लिया गया खर्च	50.00	15.44	36.00	5.93	2.07	6.00	6.00
9	एनएचएआई (निवेश)	10500.00	15518.19	36238.00	6541.06	6972.47	8578.45	8578.45
10	राज्यों के लिए ई एंड आई - सीआरएफ से							
11	संघ शासित क्षेत्रों के लिए ई एंड आई - सीआरएफ से	500.00	286.18	900.00	130.74	175.65	230.00	230.00
12	अरूणाचल प्रदेश पैकेज और कलादन मल्टीमाडल परियोजना (मिजोरम) सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम	0.00	450.00	9877.65	698.02	643.72	1200.00	1200.00
13	गंगा, मुगेर (बिहार) पर रेल सह सड़क पुल	0.00	0.00	392.00	120.00	40.00	60.00	60.00
14	जम्मू व कश्मीर में मुगल रोड़	0.00	0.00	127.50	0.00	0.00	20.00	20.00
15	डुबरी ब्रह्माणीपाल - हरिचंद्रपुर- नरनपुर राज्य सड़क, उड़ीसा (कोसको) का विकास	0.00	0.00	140.85	40.00	40.00	30.00	30.00
16	डांडी विरासत मार्ग(एनएच-228)^	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00
17	संसारी नल्ला किल्लर थिरोट रोड़, हिमाचल प्रदेश**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
18	सड़क संपर्कता के लिए विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (एनएच एंव राज्य सड़कें)नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	125.00

क्र0 सं0	स्कीम	10वीं योजना का अनुमोदित परिव्यय	10वीं योजना वास्तविक खर्च	11वीं योजना अनुमोदित परिव्यय (2007-2012)	वार्षिक योजना (2007-08) वास्तविक खर्च	वार्षिक योजना(2008-09) वास्तविक खच	वार्षिक योजना(2009-10) अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना(2009-10) प्रत्याशित व्यय
	1	2	3	4	5	6	7	8
	संपर्कता (एनएच और राज्य सड़कें)							
19	विजयवाड़ा रांची सड़क के लिए विशेष अनुदान^						200.00	20.00
20	2 लेन के न्यूनतम स्वीकाय सड़क हेतु संपूर्ण एनएच नेटवर्क के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम (डीपीआर तैयार करने के लिए निधि सहित(80 करोड़ रूपए), आर एंड आर, एलए, यूटीलीटि शिफ्टिंग (100 करोड़ रूपए)							
	योग ***	**34790.00**	**35662.89**	**71830.00**	**12339.92**	**13349.39**	**15198.00**	**15838.00**
	आईईबीआर	**24700.00**	**9092.9**	**34829.00**	**2090.00**	**3700.00**	**5000.00**	**5000.00**
	कुल योग	**59490.00**	**44755.79**	**106659.00**	**14429.92**	**17049.39**	**20198.00**	**20838.00**

* संपूर्ण एनएच नेटवर्क को 2 लेन के न्यूनतम स्वीकार्य मानक के विकास के संबंध में मंत्रालय की पहलों को ध्यान में रखते हुए ईएपी के तहत अतिरिक्त निधि का प्रस्ताव किया गया।

** प्रस्तावित है कि संसारीनल्ला किल्लर थिरोट (एसकेटी) सड़क रणनीतिक रोड़ को ग्रामीण निर्माण के तहत शामिल किया जाए बशर्ते कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय इसके लिए सहमति दे दे।

^ इन परियोजनाओं के लिए समर्पित निधि के निर्धारण के बावजूद एनएच (ओ) के तहत आबंटन हेतु प्रस्तावित किया गया।

*** बोगी बील, असम पर रेल सह सड़क पुल के लिए 700 करोड़ रूपए के परिव्यय के अलावा, 11वीं योजना, जो एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसे रेल मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है।

संलग्नक-25.2.3

परियोजनाओं (एनएचडीपी) पर फेजवार और वर्षवार भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि

एनएचडीपी फेस	भौतिक लक्ष्य (लम्बाई किलोमीटर में)				वास्तविक उपलब्धि (लम्बाई किलोमीटर में)				वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रुपए में)				वास्तविक उपलब्धि (करोड़ रुपए में)		
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10 (दिसंबर. 09 तक)	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11*	2007-08	2008-09	2009-10 (दिसंबर. 09 तक
I	437.10	220.00	201.00	-	212.49	132.00	74.52	-	1500.00	1911.12	1553.32	521.00	1863.03	1257.72	774.57
II	2013.04	2522.00	1785.00	-	1020.24	1534.00	1235.22	-	9000.00	14295.67	10367.77	7541.00	10169.22	11621.94	6201.12
III	435.00	659.10	1102.00	-	381.00	376.00	403.31	-	5000.00	8551.01	9270.98	15097.00	3050.30	3961.59	3141.76
IV	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	5.00	130.02	130.02	1323.00	-	-	-
V	0.00	118.00	77.00	-	0.00	108.00	41.21	-	2100.00	4881.02	7010.58	8432.00	557.15	-	445.85
VI	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	5.00	20.00	409.02	972.00	-	-	-
VII	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	5.00	294.02	1199.00	115.00	-	-	-

नोटः आईएस एंड पी प्रभाग द्वारा तैयार किए गए मानीटरिंग योग्य लक्ष्यों के आधार पर समेकित किए गए आंकड़े भौतिक लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों से संबंधित हैं।

* प्रारूप कार्यसूची के अनुसार मदें प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए यथा प्रस्तावित रूप में हैं।

संलग्नक-25.3.1

सड़क परिवहन क्षेत्रक के संबंध में वार्षिक योजना 2009-10 के लिए स्कीम-वार परिव्यय

S. No.	स्कीम का नाम	**2009-10**
1.	**सड़क सुरक्षा**	**79.00**
i	असंगठित क्षेत्रक में ड्राइवरों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास	20.00
ii	प्रचार उपाय एवं जागरूकता अभियान	27.50
iii	सड़क सुरक्षा उपस्कर एवं प्रदूषण परीक्षण और नियंत्रण	6.50
iv	राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना सहायता सेवा स्कीम	25.00
2	राष्ट्रीय डाटा बेस-नेटवर्क	**56.00**
	नई स्कीमें	**117.00**
1	निरीक्षण और अनुरक्षण	10.00
2	सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	35.00
3	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन	72.00
	कुल योग	**252.00**

संलग्नक-25.4.1

वर्ष 2008-09 के दौरान नागरि विमान की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रूपए में)

क्र0सं0	संगठन	2008-09	
		परिव्यय	खर्च (वास्तविक)
1	2	3	4
1	नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड(एनएसीआईएल)	5786.48	4023.93
2	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई)	3377.10 (95.88)*	2667.43
3	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि0	123.80	32.50
4	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी (आईजीआरयूए)	1.12 (1.12)	शून्य
5	नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए)	63.00 (63.00)	60.36
6	नागर विमानन ब्यूरो (बीसीएएस)	15.00 (15.00)	6.20
7	भारतीय होटल निगम लि0	15.00	10.00
8	एयर इंडिया चारटर्ड लि0	634.50	493.55
9	एयरो क्लब ऑफ़ इंडिया (एसीआई)	15.00 (15.00)	10.11
	कुल	**10031.00 (190.00)**	**7304.08**

* ईएपी सहित

i) कोष्टक में दिए गए आंकड़े बजटीय सहायता घटक दर्शाते हैं।

संलग्नक -25.4.2

नागर विमानन मंत्रालय के संगठनों का वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपये)

विवरण	11वीं योजना	2008-09		2009-10
	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
एनएसीआईएल				
कुल राजस्व	113367.15	17314.00	13479.38	13561.50
कुल व्यय	111925.73	19470.50	19002.13	16435.23
कर के पश्चात लाभ/हानि	1441.42	(2156.50)	(5548.26)	(2873.73)
एयर इंडिया चार्टर्ड लि0				
कुल राजस्व	14044.93	1744.00	1416.35	2025.60
कुल व्यय	13174.10	1691.00	1586.66	1602.60
कर के पश्चात लाभ/हानि	870.83	53.00	339.60	185.00
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण				
कुल राजस्व	23782.70	4117.40	4185.95	4449.97
कुल व्यय	14419.09	2714.70	3067.61	3442.49
कर के पश्चात लाभ/हानि	5149.99	841.55	526.46	478.00
पवन हंस हेलीकाप्टर लिमिटेड				
कुल राजस्व	1800.00	238.52	328.82	376.60
कुल व्यय	1465.62	226.02	290.64	336.25
कर के पश्चात लाभ/हानि	209.52	14.45	25.12	28.35

संलग्नक-25.4.3

वर्ष 2009-10 के लिए संगठनवार परिव्यय

(करोड़ रुपये)

क्र0 सं0	संगठन	2009-10
1	नागरिक उड्डयन मंत्रालय (सचिवालय)	3.85 (3.85)
2	नेशनल एविएशन कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड	8165.64
3	भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण (एएआई)	3244.96 (99.15)
4	पवन हंस हेलिकॉप्टर्स लि0	84.50 (10.00)
5	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी (आईजीआरयूए)	8.00 (8.00)
6	नागर विमानन महानिदेशक (डीजीसीए)	50.00 (50.00)
7	नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो	14.00 (14.00)
8	भारतीय होटल निगम लि0	15.00
9	एरो क्लब ऑफ इंडिया	5.00 (5.00)
10	एयर इंडिया चारटर्ड लि0	573.81
	जोड़	12,164.76 (190.00)

*ईएपी सहित

i)कोष्टक में दिए गए आंकड़े बजटीय सहायता घटक दर्शाते हैं।

अध्याय 26

ऊर्जा

विद्युत

26.1 विद्युत एक प्रमुख महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना है, जो जीडीपी विकास के लक्षित स्तरों को हासिल करने के लिए आवश्यक है। आजादी के बाद से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्रक को सबसे ज्यादा प्रमुखता दी गई है जिसके परिणामस्वरूप उपयोग आधारित अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता, जो स्वतंत्रता के समय 1362 मेगावाट थी आज बढ़कर 15,600 मेगावाट से अधिक हो गई है। अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ संचरण और वितरण (टीएंडडी) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। फिर भी, इन उपलब्धियों के बावजूद, आर्थिक विकास में विद्युत क्षेत्रक निरंतर कमी अनुपलब्धता एक प्रमुख बाधा रही है। विद्युत अधिनियम 2003 में इस क्षेत्रक में सुधार और प्रोत्साहित करने वाले एवं खपत में ऊर्जा दक्षता प्रबंधन उपायों हेतु आवश्यक संरचना की व्यवस्था की गई। जून 2003 में इस अधिनियम का लागू होना एक प्रमुख उपलब्धि थी जिसने एक प्रतिस्पर्धी और उदार ढांचे के अंदर विद्युत क्षेत्रक के विकास का रास्ता तैयार किया और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया और साथ-साथ निवेश आकर्षित करने हेतु अनुकूल वातावरण भी तैयार किया । विद्युत अधिनियम की परिधि के भीतर ऊर्जा क्षेत्रक को दिशा देने के लिए, राष्ट्रीय ऊर्जा नीति और राष्ट्रीय टैरिफ नीति बनाई गई थी। नियामक संरचना स्थापित की जा चुकी है और 3-10 वर्षों से प्रचालन में है। फिर भी प्रतिस्पर्धामय एवं प्रभावी नियामक तंत्र, जो एसी प्रतिस्पर्धा में सहायक है, को अभी मूर्तरूप दिया जाना है।

वार्षिक योजना (2008-09) की समीक्षा और वार्षिक योजना (2009-10)

विद्युत उत्पादन एवं संयंत्र भार गुणक (उपयोगिताएं)

26.2 774.34 बिलियन यूनिटों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में, वर्ष 2008-09 में वास्तविक उत्पादन 723.80 बिलियन यूनिटों का हुआ, जो कि 6.52 प्रतिशत की नगण्य कमी को दर्शाता है। जल विद्युत उत्पादन में लक्ष्य से 6.52 प्रतिशत का कम उत्पादन हुआ, परन्तु ताप विद्युत उत्पादन लक्ष्य से 4.11% कम रहा और नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य से 25.57 प्रतिशत हुआ ।

26.3 उत्पादन में वृद्धि में भूटान की चूखा, कुटिचु हाइडल और ताला हायडल परियोजनाओं से प्राप्त 5.90 बी.के.डब्ल्यू.एच. विद्युत भी शामिल है।

26.4 2009-10 के लिए अनुमानित कुल उत्पादन 789.51 बिलियन यूनिट है, जो कि पिछले वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य से 1.96 प्रतिशत अधिक है। 2009-10 के उत्पादक कार्यक्रम में भूटान की चूखा, कुटियू और ताला हायडल परियोजनाओं से प्राप्त होने वाली 6.56 बी.यू. बिजली शामिल है।

26.5 तालिका 26.1 में वर्ष 2008-09 हेतु निर्धारित लक्ष्य और स्रोतवार उत्पादन एवं वर्ष 2009-10 हेतु पावर उपयोग के अनुमान दिए गए हैं। इन संख्याओं का विस्तृत विवरण संलग्नक-I में दिया गया है।

तालिका 26.1 : स्रोत वार विद्युत उत्पादन

(लाख इकाई)

	2007-08 वास्तविक	2008-09		2009-10 लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
हाइड्रो	123424	118450	113081	115468
थर्मल	558990	631270	590101	648480
आणविक	16777	19000	14713	19000
भूटान से आयात	5278	5624	5899	6564
कुल	**704469**	**774344**	**723794**	**789512**

26.6 2008-09 के दौरान, अखिल भारतीय प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) 77.14 था। इसके मुकाबले वास्तविक उपलब्धि 78.61 प्रतिशत रही। कोयला आधारित 23 उष्णतापीय संयंत्रों ने महाराष्ट्र राज्य में स्थित रिलायंस ऊर्जा के दहानु ताप ऊर्जा संयंत्र के लिए 100.09 प्रतिशत के अधिकतम राष्ट्रीय औसत से अधिक पीएलएफ दिया। वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लक्ष्यों का वर्षवार पीएलएफ तालिका 26.2 में दिया गया है। सभी विद्युत बोर्डों, केन्द्रीय विद्युत संघटनों और निजी क्षेत्रक के पीएलएफ के संदर्भ में लक्ष्य एवं उपलब्धि संलग्नक-2 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 26.2 : क्षेत्रकवार प्लांट लोड फैक्टर (प्रतिशत)

	2007-08 वास्तविक	2008-09		2009-10 अनुमानित लक्ष्य
		लक्ष्य	उपलब्धि	
केन्द्रीय क्षेत्रक	86.74	83.81	84.34	82.4
राज्य क्षेत्रक	71.89	75.31	71.20	73.6
निजी क्षेत्रक	90.79	87.08	91.04	81.5
आईपीपी	-	-	-	72.7
अखिल भारत	**78.61**	**77.14**	**78.61**	**77.20**

क्षमता वृद्धि

26.7 वर्ष 2008-09 में केवल 3451.70 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी जा सकी जो लक्ष्य की लगभग 31.22 प्रतिशत थी। तालिका 26.3 में वर्ष 2008-09 के दौरान हासिल की गई क्षमता वृद्धि और 2009-10 के लक्ष्यों को दर्शाया गया है।

तालिका 26.3 : क्षमता में वृद्धि (मेगावाट)

	2007-08	2008-09		2009-10
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
हाइड्रो	2423.00	1097.00	969.00	845.00
थर्मल	6320.00	9304.20	2484.70	13002.00
आणविक	220.00	660.00	0.00	660.00
जोड़	**8963.00**	**11061.20**	**3453.70**	**14507.00**

26.8 संलग्नक-III में क्षमता वृद्धि का परियोजनावार विवरण दिया गया है। कुल 35 उत्पादक इकाईयां ऐसी थी जिनका योग 7990.00 मेगावाट था और जो वर्ष 2007-08 के उत्पादक क्षमता वृद्धि कार्यक्रम के लक्ष्य को हासिल करने में असफल रही थी। लंबित परियोजनाओं में, 128 मेगावाट की जलक्षमता (3 उत्पादक इकाईयां), 7202.00 मेगावाट की थर्मल क्षमता (31 उत्पादक इकाइयां) और न्यूक्लिअर क्षमता की 660 मेगावाट की तीन इकाई शामिल है। लंबित परियोजनाओं की पूर्ण सूची संलग्नक-IV में दी गई है।

26.9 2009-10 हेतु 14507.00 मेगावाट की उत्पादक क्षमता वृद्धि के लक्ष्य में केन्द्रीय क्षेत्रक में 3402 मेगावाट, राज्य क्षेत्रक में 4980.00 मेगावाट और निजी क्षेत्रक में 6125 मेगावाट क्षमता वृद्धि शामिल है। वर्ष 2009-10 के शेष रहे 7990.00 मेगावाट की परियोजनाएं भी 2008-09 के लक्ष्यों में शामिल है। 2009-10 में प्रक्षेपित क्षमता में प्रत्याशित वृद्धि का योजनावार ब्यौरा संलग्नक-5 में दिया गया है।

पारेषण एवं वितरण

26.10 तालिका 26.4 में वर्ष 2008-09 हेतु 765 केवी/400 केवी/220 केवी की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण/संधारीकरण हेतु कार्यक्रम एवं उपलब्धियां वर्ष 2009-10 के लक्ष्यों के साथ दी गई है। 2008-09 की वास्तविक उपलब्धि दर्शाती है कि ट्रांसमिशन लाइनों के 765 केवी और 220 केवी क्षेत्रक में लक्ष्य से अधिक हासिल किया गया है।

तालिका 26.4 : ट्रांसमिशन लाइनों में वृद्धि (मेगावाट)

(सीकेटी. किमी.)

	2007-08	2008-09		2009-10
	वास्तविक	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
+/-500 केवी एचवीडीसी	120	1250	1180	280
765 केवी	370	519	564	614
400 केवी	6947	7041	6827	7720
220 केवी	4160	4092	4171	3282

विद्युत क्षेत्रक सुधार

26.11 एक दशक से अधिक समय से विद्युत क्षेत्रक सुधार जारी हैं। कुछ महत्वपूर्ण बदलाव निम्न प्रकार हुए हैं—

- 14 राज्यों ने अपने विद्युत क्षेत्रक को पुनर्गठित किया है या कारपोरेट को सौंप दिया है और अपने बोर्डों को उत्सर्जन, वितरण और उत्पादन जैसी पृथक ईकाइयों में विभाजित कर दिया है।

- ये 10 राज्य हैं— उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात। असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल (ने 1.4.2007 से) छत्तीसगढ़ ने (1.1.2009 से) ने अपने राज्य विद्युत बोर्ड को विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधनों के तहत पुनर्गठित किया है। असम राज्य विद्युत बोर्ड विद्युत की ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस कार्यों का निर्वाहन कर रहा है। त्रिपुरा सरकार ने अपने विद्युत विभाग को निगम क्षेत्रक में कर दिया है। फिर भी हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, बिहार और मेघालय के एसईबी ने विस्तार की मांग की है और यह कुछ और समय तक बने रहेंगे जैसाकि राज्य एवं केन्द्र सरकार के परस्पर समझौते में तय हुआ है ।

- अरूणाचल प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में एस.ई.आर.सी. का गठन कर लिया है। मणिपुर और मेघालय हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। मणिपुर और मिजोरम में एक संयुक्त विद्युत नियामक आयोग का गठन किया है 28 में से 23 राज्यों में एसईआरसी गठित कर लिए गए हैं जहां एसईआरसी गठित किए गए हैं, उन 23 राज्यों द्वारा टैरिफ आदेश जारी कर दिए गए हैं।

मुक्त पहुंच का प्रचालनीकरण

26.12 मुक्त पहुंच बिजली अधिनियम 2003 की एक प्रमुख विशेषता है जो बिजली उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए है। अंतर राज्य संचरण में मुक्त पहुंच पूर्णतः प्रचालन में है। राज्य यूटीलिटीज की संचरण लाइन तथा वितरण नेटवर्क मुक्त पहुंच के कार्यान्वयन की नई गति देने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल 2007 में मुख्य सचिवों का सम्मेलन आयोजित किया और मई 2007 में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया जिसमें मुक्त पहुंच कार्यसूची मदों में से एक मद थी। मंत्रालय ने विनियामक फोरम तथा राज्य विद्युत सचिवों के विचार विमर्श करने के लिए 5-11-2007 को भी बैठक बुलाई थी जो राज्य स्तर पर पूर्णतः मुक्त पहुंच के बारे में थी । एसईआरसी(ज़) ने सक्रिय रूप से मुक्त पहुंच के प्रचालनीकरण का संकल्प लिया है।

विद्युत ट्रेडिंग

26.13 विद्युत ट्रेडिंग वर्ष 1999 में भारतीय विद्युत ट्रेडिंग निगम को समाविष्ट करके आरम्भ की गई है। विद्युत अधिनियम 2003 के अधिनियमन ने ऊर्जा के ईष्टतम उपयोग के लिए विकासशील बाजार का

रास्ता प्रशस्त किया । पड़ोसी देशों के साथ विद्युत विनिमय, देश के भीतर घाटे की प्रणाली को अधिशेष विद्युत के विनिमय की सुगम पहुंच को प्रोत्साहित किया है। 31 मार्च, 2009 को 44 ट्रेडिंग कंपनियों को ट्रेडिंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान केवल 15 कंपनियां ही पावर ट्रेडिंग में शामिल रही हैं। इन कंपनियों के द्वारा ट्रेड की गई कुल विद्युत मात्रा 24.15 बीयू थी जो 20.96 बीयू की तुलना में यूटिलिटीज के कुल उत्पादन का 3.34 प्रतिशत है तथा यह गत वर्ष 2007-08 में उपयोगिता से कुल उत्पादन का 2.98 प्रतिशत है।

विद्युत विनिमय केन्द्र

26.14 सीईआरसी ने विद्युत विनिमय केन्द्रों को स्थापित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दो विद्युत विनिमय केन्द्र अर्थात भारतीय ऊर्जा विनिमय और विद्युत विनिमय इंडिया लि. कार्यरत हैं। इस कार्रवाई से सरप्लस विद्युत की मार्केट दर को स्थाई बनाना अपेक्षित है।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं की स्थापना

26.15 इस तथ्य को स्वीकारते हुए कि वृहद आकार की विद्युत परियोजनाओं के विकास के माध्यम से अधिक सस्ती बिजली देने वाली इकॉनोमी स्केल प्राप्त किए जा सकते हैं, मंत्रालय ने कोयला आधारित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीस) के विकास हेतु पहल की है जिसकी क्षमता 4000 मेगावाट या इससे अधिक होगी । इन परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोलियों द्वारा मूर्तरूप दिया जाएगा। इन परियोजनाओं का आकार बड़ा होने की वजह से ये क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आधार पर विद्युत संचारण के माध्यम से पूरा करेंगी। इन परियोजनाओं में विद्युत परियोजनाओं का विकास तथा पिटहैड साइट की सम्बद्ध कोयला खदानों और तटीय क्षेत्रों के आयातित कोयला स्रोत शामिल होंगे । ये परियोजनाएं निर्माण, स्वामित्व एवं प्रचालन (बीओओ) के आधार पर डेवलपर्स को दी जाएगी । ससान, मुन्द्रा और कृष्णपटनम यूएमपीपीस की बोली प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। मेसर्स टाटा पावर को मुन्द्रा परियोजना 2.26 रुपए प्रति किलोवाट दर पर दे दी गई है। मेसर्स रिलायंस पावर को ससान और कृष्णपट्टनम यूएमपीपीएस क्रमशः 1.19 रुपए प्रति किलोवाट और 2.33 रुपए प्रति किलोवाट की दर और 1.77 प्रति किलोवाट से दी गई है।

संचरण परियोजनाओं के विकास में स्पर्धा के प्रोत्साहन के लिए दिशा-निर्देश

26.16 संचरण परियोजनाओं के विकास में संचरण परियोजनाओं में स्पर्धा को प्रोत्साहन देने हेतु केंद्र सरकार ने दिशा-निदेश जारी किए है। इसी प्रकार, संचरण परियोजनाओं के लिए टैरिफ आधारित बिडिंग के लिए दिशा निदेश अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, संचरण परियोजनाओं में विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निदेशों के अनुसार परियोजनाओं की पहचान और विकासकर्ताओं के चयन के लिए एक अधिकृत समिति का गठन किया गया है। अधिकृत समिति ने 100% निजी निवेश पर 14 संचरण परियोजनाओं की पहचान की है, जो कि बिडिंग दस्तावेज, 2008 के मानक अनुमोदन के अनुसार है। पहली तीन परियोजनाओं के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी)

26.17 मार्च, 2003 से एपीडीआरपी प्रचालन में आई है। इस स्कीम के दो घटक हैं - निवेश और प्रोत्साहन निवेश घटक के अंतर्गत 19180 करोड़ रूपए की मंजूरी कर दी गई है। फिर भी, जैसे कि तालिका 26.5 में दर्शाए अनुसार निवेश घटक के निम्न सारांश से देखा जा सकता है कि एपीडीआरपी के तहत निवेश ने कोई अच्छी प्रगति नहीं की है।

तालिका 26.5 : 31 अगस्त, 2009 को एपीडीआरपी में निवेश की स्थिति

(करोड़ रुपए)

	राज्य की श्रेणी	परियोजना परिव्यय	पूरा होने पर संशोधित परियोजना लागत	एपीडीआरपी संघटक	जारी राशि	प्रतिपक्ष निकासी	कुल उपयोग
1	गैर-विशेष	13668.28	11457.48	5014.56	4987.01	11292.54	11292.54
2	विशेष	3365.30	3125.59	2937.07	2790.18	2697.02	2697.02
कुल योग		**17033.58**	**14583.07**	**7951.63**	**7777.19**	**6711.80**	**13989.56**

26.18 एपीडीआरपी स्कीम के प्रोत्साहन घटकों के संबंध में दस राज्यों, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा 2904.95 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है, जो इन 10 राज्यों के 2001-02 के मुकाबले क्षति स्तर में 5809.89 करोड़ रुपए की कमी देखी गई है। वर्ष 2002-03 और उससे आगे के लिए राज्यवार प्रोत्साहन वितरण का ब्यौरा तालिका 26.6 में दिया गया है।

तालिका -26.5 : 31 अगस्त, 2009 की स्थिति के अनुसार एपीडीआरपी के निवेश घटक की स्थिति

(करोड़ रूपए में)

क0 सं0	राज्यों की श्रेणी	परियोजना / परिव्यय	पूरा होने के बाद परियोजना की संशोधित लागत	एपीडीआरपी घटक	राशि जारी करना	जारी काउंटर पार्ट	कुल सदुपयोग
1	गैर विशेष	13668.28	11457.48	5014.56	4987.01	6470.26	11292.54
2	विशेष	3365.30	3125.59	2937.07	2790.18	241.56	2697.02
कुल योग		**17033.58**	**14583.07**	**7951.63**	**7777.19**	**6711.80**	**13989.56**

तालिका-26. 6 : एपीडीआरपी के अधीन प्रोत्साहन भुगतान की स्थिति

(करोड़ रूपए)

राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	जोड़
आंध्र प्रदेश		265.11						265.11
गंजरात	236.38			148.08	76.87	577.98		1039.31
हरियाणा	5.01	100.48						105.49
महाराष्ट्र	137.89							137.89
राजस्थान		137.71						137.71

पश्चिम बंगाल			73.00	302.76	5.88	115.10		496.74
केरल				64.94	31.44	51.55		147.93
पंजाब				65.28	44.14	142.52		251.94
मध्य प्रदेश					54.06	243.55		297.61
त्रिपुरा							25.22	25.22
जोड़	**379.28**	**503.30**	**73.00**	**581.06**	**212.39**	**1130.70**		**2904.95**

एपीडीआरपी पुनर्संरचना

26.19 एपीडीआरपी कार्यान्वयन में त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए पुनर्संरचित एपीडीआरपी स्कीम जुलाई, 2008 में अनुमोदित की गई, जिसमें धारणीय नुकसान की कमी की दृष्टि से वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर ध्यान दिया गया। स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को दो भागों में लेना होता है। भाग 'क' विश्वसनीय और स्वचालित प्रणालियों की स्थापना पर ध्यान देता है जबकि तथा सही आधार रेखा आंकड़ों के धारणीयत हेतु आंकड़ों वन समाहरण, ऊर्जा लेखांकन और ऑडिट के क्षेत्र में ऊर्जा प्रौद्योगिकी का अपनाना तथा उपभोक्ता आधारित सेवाएं। भाग 'ख' में शामिल हैं - विभिन्न सहायक गतिविधियां जैसे - आधार रेखा आंकड़ा प्रणालियों की वैधता और ऑटोमेशन, परियोजना मूल्यांकन, क्षमता निर्माण और संवितरण क्षेत्र में फ्रेंनचाइज का विकास, उपभोक्ता अभिरूचित सर्वेक्षण आदि। भाग 'ख' के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को आधार रेखा आंकड़े स्थापित होने के बाद शुरू किया जाएगा।

26.20 कार्यक्रम का आकार 51577 करोड़ यप्ए है, जिसमें भाग 'क' की परियोजनाओं के लिए 10000 करोड़ रूपए का निवेश अपेक्षित है, जिनका उद्देश्य आधार रेखा के आंकड़े विकसित करना है और भाग 'ख' की परियोजनाओं का आकार 40,000 करोड़ रूपए है। इस कार्यक्रम के प्रचालन के लिए पीएफसी नोडल एजेंसी होगी। अभी तक, 1093.58 करोड़ इस स्कीम के तहत जारी किए जा चुके हैं, जिस में से 1068.57 पीएफसी को ऋण दिया गया है, ताकि उसे आगे यूटीलिटीज में वितरित किया जा सके तथा 25 करोड़ रूपए पीएफसी का अनुदान है, जो कि नोडल एजेंसी शुल्क के रूप में रोलिंग अग्रिम राशि के रूप में रहेगा। इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में पीएफसी ने विभिन्न राज्यों को 691.55 करोड़ रूपए जारी कर चुकी है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (जेआरजीवीवाई)

26.21 आरजीजीवीवाई ग्रामीण विद्युत अवंसरचना की स्कीम है, जो भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू की गई थी, जिस में परियोजनाओं के लिए 90% पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। परियोजना लागत का शेष 10% का योगदान राज्यों द्वारा अपने संसाधनों/ वित्तीय संस्थानों से त्रण ले कर दिया जाएगा।

2008-09 आरजीवीवाई की समीक्षा

26.22 विद्युत मंत्रालय ने लक्ष्य रखा है कि बिना बिजली की सुविधा वाले 19000 को 2008-09 में विद्युत पहुंचाई जाए और लगभग 50 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त में विद्युत कनैक्शन दिए जाएं।

तालिका 26.7 : आरजीजीवीवाई का कार्यान्वयन

मंजूर परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की लागत (करोड़ रूपए में)	जारी कुल निधि 10% आरईसी ऋण सहित (करोड़ रूपए में)	गावों की संख्या जहां विद्युत पहुंचाई जानी है		मुफ्त में दिए जाने वाले विद्युत कनैक्शनों की संख्या	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
567	26238.94	18490.97	119860	67607	246.24	83.78

विद्युत मंत्रालय के बजट में 5500 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराई गई ताकि 2008-09 के दौरान आरजीवीवाई की सब्सिडी की जरूरत को पूरा किया जा सके जिसके पूरी तरह सदुपयोग में लेने की रिपोर्ट मिली है। विद्युत मंत्रालय ने रिपोर्ट की है कि 12056 बिलर बिजली की सुविधा वाले गांवों में विद्युत पहुंचा दी गई है, जो कि लक्ष्य का 63.5% है। समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान 30.85 लाख बीपीएल घरों को मुफ्त में विद्युत कनैक्शन दिए गए, जो कि लक्ष्य का 61.7% है।

2009-10 के लिए आरजीवीवाई

26.23 विद्युत मंत्रालय को 7000 करोड़ रूपए का बजट उपलब्ध कराया गया, ताकि 2009-10 के दौरान कैपीटल सब्सिडी को पूरा किया जा सके। 2008-09 के दौरान विद्युत मंत्रालय ने 17,500 बिना विद्युत की सुविधा वाले गांवों में विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा तथा 47 लाख बीपीएल घरों को मुफ्त में विद्युत कनैक्शन देने का लक्ष्य भी रखा। 1.1.2010 की उपलब्धियों के संबंध में दी गई रिपोर्ट के अनुसार इसमें 7198 बिना विद्युत सुविधाओं वाले गांवों को विद्युत पहुंचाना (41% उपलब्धि) और 29.04 लाख बीपीएल घरों को मुफ्त में विद्युत कनैक्शन देने (62% उपलब्धि) की सूचना शामिल है।

26.24 1.1.2010 के अनुसार आरजीवीवाई के कार्यान्वयन की समग्र स्थिति (दसवीं और 11वीं योजना) तालिका 26.7 में दर्शाई गई है।

26.25 स्कीम के तहत त्वरित प्रगति के लिए विद्युत मंत्रालय अब 4 राज्यों नामतः असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में गांवों की विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रण कर रहा है जिन से अब भी 81% गांवों में जहां विद्युत नहीं पहुंची है, आरजीवीवाई तहत परियोजना के तहत, विद्युत पहुंचानी शेष है। इसी प्रकार बीपीएल घरों को विद्युत कनैक्शन देने के लिए मंत्रालय 12 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर ध्यान केंद्रण कर रहा है, जहां आरजीवीवाई के तहत 90% शेष बीपीएल घरों में विद्युत कनैकशन दिया जाना है।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एंड एम)

26.26 आर एंड एम को एक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में देखा जाता है, ताकि मौजूदा ताप विद्युत स्टेशनों से अधिकतम विद्युत उत्पादन की जा सके और बेहतरीन संपदा प्रबंधन संभव हो सके। 11वीं योजना के दौरान, 53 पुरानी ताप विद्युत एककों जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 7318 मेगवाट है, की पहचान लाइफ एक्सटेंशन निर्माण कार्य के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, 76 ताप विद्युत एककों (18965 एमडब्ल्यू) की पहचान की गई है, ताकि जिनका कार्यान्वयन 11वीं योजना में किया जा सके।

तालिका 26.8 वार्षिक योजना परिव्यय

(करोड़ रूपए में)

	2007-2008 वास्तविक	2008-2009		2009-10 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	खच (प्रत्याशित)	
राज्य/यूटी	27256.99	33493.88	33173.44	35220.46*
केन्द्रीय क्षेत्रक	29426.99	45052.20	39817.58	57878.74
कुल (अखिल भारतीय)	**56683.98**	**78546.08**	**72991.02**	**93099.20***

*इन आंकड़ों में महाराष्ट्र और उत्तराखंड शामिल नहीं हैं।

तालिका 26.9 पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा सदुपयोग

(करोड़ रूपए में)

	2007-2008 वास्तविक	2008-2009		2009-10 अनुमोदित परिव्यय
		अनुमोदित परिव्यय	खच (प्रत्याशित)	
पूर्वोत्तर परिषद के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत विद्युत उत्पादन	63.50	68.70	78.45	98.75

26.27 अन्य उत्कृष्टता भागीदारी स्कीम (पीआईई) अगस्त, 2005 में विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, जिसकी आरंभिक अवधि 2 वर्ष रखी गई (अर्थात अगस्त, 2007 तक), ताकि प्रत्येक स्टेशन पर सुधार किया जा सके जो कि पीएलएफ पर 60% से नीचे चल रहे थे। सीईए ने ताप विद्युत स्टेशनों की पहचान की जो पीएलएफ पर 60% से नीचे चल रहे थे। एनटीपीसी को 16 ताप विद्युत स्टेशनों हेतु भागीदार के रूप में चुना गया और टाटा पावर को धुवारन टीपीएस के लिए चुना गया। 4 स्टेशनों ने स्वयं सुधारात्मक उपाय करने का निणय लिया। सभी पहचान किए ताप विद्युत स्टेशनों पर जून, 2008 तक पीआईई कार्यक्रम पूरा करने का निष्कर्ष निकाला गया।

ताप विद्युत एककों की स्थिति

26.28 सीईए के अनुसार इकाई एकक के आईई निर्माण कार्यों हेतु (120 मेगावाट) पानीपत यूनिट-1 (110 मेगावाट) ओबरा यूनिट 2 (40 मेगावाट) ओबरा टीपीएस यूनिट 1,2 एवं 6 और यूनिट 5 (60 मेगावाट) हरदागंज को पूरा कर लिया गया है। इसलिए प्रकार, 20 यूनिटों पर आर एंड निर्माण कार्य कर लिया गया है। अन्य 52 यूनिटों का कार्य, जिनकी क्षमता 11945 मेगावाट है पर कार्य प्रगति पर चल रहा है।

हाइडल एककों की स्थिति

26.29 हाइड्रो के संबंध में कुल 56 स्कीम, जिनकी संस्थापित क्षमता 10810 मेगावाट है, का कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके तहत आईई क्रमोन्नयन और रेस्टोरेशन के माध्यम से लगभग 4099 मेगवाट का संचित लाभ अपेक्षित है। इसमें से मात्र 8 स्कीमें (2 केंद्रीय क्षेत्रक में और 6 राज्य क्षेत्रक में) जिनकी संस्थापित क्षमता 950 मेगावाट है को पूरा कर लिया गया है और इस तरह आईई और आपरेटिंग के माध्यम से 380 मेगावाट का लाभ मिला है।

परियोजना परिव्यय

26.30 विद्युत क्षेत्रक में 2008-09 के दौरान केंद्रीय क्षेत्रक का प्रत्याशित व्यय 39817.58 करोड़ हुआ है, जब कि अनुमोदित परिव्यय 45052.20 करोड़ था। राज्य क्षेत्रक के संबंध में वर्ष 2008-09 के लिए प्रत्याशित व्यय 33,173.44 करोड़ रूपए था। तालिका 26.8 2007-08 और उससे आगे के लिए केंद्रीय और राज्य क्षेत्रक के लिए योजना परिव्ययों का सारांश रूप में प्रस्तुत करती है। प्रत्येक राज्य औरपीएसयू (ज) के लिए विस्तृत परिव्यय संलग्नक-4 में प्रस्तुत किए गए हैं।

26.31 पूर्वोत्तर परिषद के विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत विद्युत क्षेत्रक के विकास के लिए उपलब्ध निधि का सदपुयोग तालिका 26.9 में दर्शाया गया है।

बाह्य सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं

26.32 द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा 2003-04 से 2008-09 तक वर्षवार आबंटन और बाह्य सहायता का वास्तविक सदुपयोग तालिका 26.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 26.10 वर्षवार आवंटन और 2003-04 से 2007-08 तक वास्तविक सदुपयोग

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	आबंटन	सदुपयोग	सदपुयोग (%)
2003-04			
केन्द्र क्षेत्रक	1007.72	1035.65	102.77
राज्य क्षेत्रक	2036.28	2519.39	123.72
कुल	3044.00	3555.04	116.79
2004-05			
केन्द्र क्षेत्रक	993.50	684.78	68.93
राज्य क्षेत्रक	1352.22	1728.63	127.84
कुल	2345.72	2413.41	102.89
2005-06			
केन्द्र क्षेत्रक	897.21	695.86	77.56
राज्य क्षेत्रक	1402.85	1475.85	105.20
कुल	2300.06	2171.71	94.42
2006-07			
केन्द्र क्षेत्रक	1195.81	1272.06	106.38
राज्य क्षेत्रक	1416.38	1136.09	80.21
कुल	2612.19	2408.15	92.19
2007-08			
केन्द्र क्षेत्रक	1907.00	1956.46	102.59
राज्य क्षेत्रक	923.68	874.34	94.66
कुल	2830.68	2830.80	100.00
2008-09			
केन्द्र क्षेत्रक	2840.38	2526.73	88.96
राज्य क्षेत्रक	1104.03	1024.91	92.84
जोड़	**3944.41**	**3551.64**	**90.00**

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

26.33 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) नवीरकरणीय ऊर्जा स्रोतों संबंधी कार्यक्रमों हेतु जिम्मेदार है जैसे कि (क) छोटे हाइड्रो, विंड और बायोमास और औद्योगिक/शहरी अपशिष्ट से ग्रिड कनेक्टेड या एकाकी विद्युत उत्पादन, (ख) ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम जैसे कि दूरस्थ ग्रामों का विद्युतीकरण, बायोगैस और खाना पकाने के लिए उन्नत चूल्हे, (ग) सौर ऊर्जा प्रयोग जैसेकि ऊष्ण जल हीटर्स, पानी पम्प करने और प्रकाश के लिए सौर फोटोवोल्टैक प्रयोग, और (घ) समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी) । एमएनआरईपी द्वारा जियो थर्मल हाइड्रोजन ऊर्जा, ईंधन सेल्स, सतही यातायात हेतु वैकल्पिक ईंधन जैसी नई तकनीकों में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों को भी शुरू किया गया है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) जोकि एमएनआरई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक वित्तीय संस्थान है, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों हेतु छूट योग्य निधि उपलब्ध कराकर सहायता करती है। 10वीं योजना के अंत तक (31.3.2007 तक) प्रतिष्ठापित नवीकरणीय विद्युत उत्पादन क्षमता 15538.09 मेगावाट तक पहुँच गई थी इसमें पवन ऊर्जा का उत्पादन 10891 मेगवाट था जो क्षमता का लगभग 70.10% था और छोटे जल विद्युत का 2519.88 मेगावाट (16.22 प्रतिशत) तथा बायोमास (कोजनरेशन सहित) 2057.43 मेगावाट (13.24 प्रतिशत) था। लगभग नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और वास्तविक उपलब्धियों को संलग्नक-7 में दर्शाया गया है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

26.34 एमएनआईई के लिए 2008-09 हेतु वित्तीय परिव्यय तालिका 26.11 में दिया गया है। इन परिव्ययों में एमएनआईई के अंतर्गत जारी अनुदेशों के प्रावधान भी शामिल हैं, जिसमें इरेडा के लिए इक्विटी सहायता भी शामिल है।

तालिका 26.11: 2008-09 के लिए वित्त परिव्यय

(करोड़ रुपए)

परिव्यय	बीई	आरई
घरेलू बजटीय सहायता (डीबीएस)	611.00	491.00
योजना में बाह्य सहायता (ईएपी)	9.00	9.00
सकल बजटयी सहायता (जीबीएस)	620.00	500.00
आई.ई.बी.आर.	647.00	647.00
कुल परिव्यय	**1267.00**	**1147.00**

26.35 2008-09 के दौरान पवन ऊर्जा की 1485.50 मेगावाट, लघु हाइड्रो 248.93 मेगावाट, बायोमास विद्युत 345.40 मेगवाट (कोजनरेशन सहित) की उपलब्धि हासिल की गई। इसी वर्ष के दौरान 1.08 लाख पारिवारिक किस्म के बायोपास संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

वार्षिक योजना 2009-10

26.36 वर्ष 2008-09 हेतु एमएनआरईपी का कुल परिव्यय तालिका-26.12 में दिया गया है। 620.00 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता में पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम द्वारा उपयोग के लिए एमएनआरई के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु निर्धारित राशि की 10 प्रतिशत चिह्नित राशि भी शामिल है। कार्यक्रमवार ब्यौरा संलगनक-VIII में दिया गया है। 2009-10 के वास्तविक लक्ष्यों में 1.50 लाख बायोमास संयंत्र, 600,000 वर्ग किलोमीटर की कुल संग्रहण क्षमता वाले और 20,000 सोलर कुकरों के साथ और वाटर हीटिंग व्यवस्था का प्रक्षेपण भी सोलर थर्मल कार्यक्रम के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों में विंड पावर से 2500 मेगावाट पवन ऊर्जा, बायोमास पावर, 450 सौर ऊर्जा से 4.00 मेगावाट लघु हाइड्रो से 300 मेगावाट 15 मेगावाट समतुल्य पावर क्षमता शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट से शामिल हैं। दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम में 1500 दूरस्थ गांवों के विद्युतीकरण हेतु नई परियोजनाएं अनुमोदित करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ऊर्जा सुरक्षा कार्यक्रम (वीईएसपी) टेस्ट परियोजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं। छोटी पवन ऊर्जा और हाईब्रिड सिस्टम के कार्यक्रम में 0.30 मेगावाट समतुल्य हाईब्रिड सिस्टम्स का प्रक्षेपण द्वारा शामिल है।

तालिका 26.12 : 2009-10 के लिए वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रुपए)

परिव्यय	बजट अनुमान
घरेलू बजटीय सहायता (डीबीएस)	612.00
योजना में बाह्य सहायता (ईएपी)	8.00
सकल बजटयी सहायता (जीबीएस)	620.00
आई.ई.बी.आर.	726.78
कुल परिव्यय	**1346.78**

केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस)

26.37 ग्यारहवीं योजना के दौरान एमएनआरई के अंतर्गत कोई केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) नहीं है।

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन शुरू करना

26.38 जून, 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की घोषणा के परिणामस्वरूप देश में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की पहचान राष्ट्रीय मिशन के रूप में की गई, भारत सरकार ने 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन' (जेएनएनएमएम) का अनुमोदन कर दिया है, जिसका उद्देश्य है कि देश में विकास हेतु सौर ऊर्जा विकास प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाए, ताकि 2022 तक ग्रिड पावर टैरिफ के समान उपलब्धि हासिल की जा सके। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के पहले चरण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 4337 करोड़ रूपए रखा गया है।

26.2 कोयला और लिग्नाइट

अवलोकन

26.2.39 देश में कोयला एवं लिग्नाइट वाणिज्य ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। सदैव भारतीय वाणिज्यिक ऊर्जा की खताका 50 प्रतिशत और घरेलू कोयला उत्पासदन का 78 प्रतिशत विद्युत उत्पादन में लग जाता है। दसवीं योजना अवधि में कोयले की मांग 5 प्रतिशत थी और अनुमान है कि यह ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान 9 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ेगी। अनुमानित कोयला मांग को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं योजना में इस क्षेत्रक के तीव्र विकास की परिकल्पना की गई है। ग्यारहवीं योजना के प्रमुख नीतिगत मुद्दे हैं केपटिव खानों से कोयला उत्पादन महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ाने हेतु उपयोगकर्ताओं को ब्लॉकों से 81 एमटी कोयला उत्पादन किया जाए जिस के लिए पूर्व में 104 एमटी का अनुमान लगाया गया था। अनुमानित ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोयले की उपलब्धता कराने, कोयला संसाधनों का त्वरित अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जाएगी और कोयले की उपयोग वैल्यू की बजाय कोयले की कीमत हेतु ग्रोस कैलोरिक मूल्य की ओर कदम उठाया जाएगा। संबंधी करने, झरिया और रानीगंज कोल क्षेत्रों के पुराने खुदाई किए जा चूके क्षेत्रों में कोयला खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, सुरक्षा एवं संरक्षण में सुधार करने, सभी गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करने, स्वच्छ कोयला तकनीकों का विकास करने, विद्युत उत्पादन हेतु घुले हुए कोयले की आपूर्ति बढ़ाने, उन्नत कोयला परिवहन के लिए अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ाने, रेल भाड़े को तर्क संगत बनाने तथा उन्नत परियोजना कार्यान्वयन पर भी बल दिया जा रहा है।

26.2.40 1.1.2009 की स्थिति केअनुसार देश में रिजर्व कोयले और लिग्नाइट के लिए 267.21 बिलियन टन और 39.07 बीटी का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 105.82 बीटी और 5.36 बीटी क्रमशः कोयला और लिग्नाइट के लिए क्रमशः रिजर्व सिद्ध हो चुका है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

26.2.41 550.00 मि0टन कच्चे कोयले की प्रक्षेपित मांग के मुकाबले वास्तविक ऑफ टेक 548.34 मि0 टन और कोयले का उत्पादन 496.0 मि0टन के लक्ष्य के मुकाबले 492.93 मि0टन हुआ। 2008-09 के दौरान कोयले का उत्पादन कच्चे कोयले की मांग/ ऑफटेक निर्धारित लक्ष्यों से 10% कम रहा। नेवेली लिग्ननाइट कारपोरेशन लि0 (एनएलसी) से उत्पादन 21.14 मि0ट0 के लक्ष्य के मुकाबले 21.14 मि0ट0 हुआ। एनएलसी से एकल विद्युत उत्पादन 15768 बीयू था, जो कि 16299 बीयू के निर्धारित लक्ष्य से कुछ कम रहा। वर्ष 2008-09 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा 4914.25 करोड़ रूपए के व्यय की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो 8898.61 करोड़ के बजट अनुमान प्रावधानों का 71.25% ही है। 2008-09 के दौरान सीआईएल के उत्पादन का 12% कोयला ई नीलामी के माध्यम से मुक्त बाजार में बेचा गया। क्षेत्रक के निष्पादन की विस्तृत सूचनाएं तालिका 26.13 में दर्शाई गई हैं।

वार्षिक योजना 2009-10

कोयल की मांग

26.42 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए प्रत्याशित कोयला मांग 604.34 मीट्रिक टन है, कोकिंग कोल के आयात को छोड़ कर 2009-10 के लिए कोकिंग कोल के आयात को मिलाकर 11वीं योजना के लिए मध्यावधि मूल्यांकन के बाद कोयला क्षेत्रक के लिए कोयले की मांग को अधोगति रूप से

संशोधित करते हुए 597.98 एमटी कर दिया गया। बुकिंग कोयले की मांग वर्ष 2009-10 की कुल प्रत्याशित कोयला की मांग की 75 प्रतिशत के लगभग है। 2009-10 बुकिंग कोयले की कुल अनुमानित मांग का 6.7 प्रतिशत विद्युत क्षेत्रक उपयोग के लिए है, लगभग 4.5 प्रतिशत मांग सीमेंट क्षेत्रक के लिए, लगभग 6.7 प्रतिशत मांग केप्टिव विद्युत और शेष 14.3 प्रतिशत अन्य क्षेत्रकों के लिए है।

कोयला उत्पादन

26.2.43 वार्षिक योजना 2009-10 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 532.83 मिलियन टन रखा गया है, जो वर्ष 2008-09 के उत्पादन से 8 प्रतिशत अधिक है। इसमें सीआईएल से 435 मिलियन टन, एससीसीएल से 45.0 मिलियन टन, अन्य स्रोतों से 52.83 मिलियन टन तथा बंदित स्रोतों से 17.11 मिलियन टन का उत्पादन शामिल है। कंपनीवार कोयला उत्पादन की जानकारी संलग्नक-26.13 में दी गई है।

टिस्को/आईआईएससीओ/डीवीसी/जेएसएमडीसीएल/जेकेएमएल/कैप्टिव माइन्स/मेघालय।

घुले कोयले का उत्पादन

26.2.44 सीआईएल स्रोतों से धुले हुए कोकिंग कोयले और धुले तापीय कोयले का उत्पादन लक्ष्य से निरन्तर कम हो रहा है। बीसीसीएल क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर मुद्दों की ओर उपयुक्त रूप से ध्यान देकर कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की पर्यावरणिक शर्तों को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि धुले हुए तापीय कोयले को बढ़ाने के लिए और अधिक वाशरियों की स्थापना की जाए। उचित कदम उठाते हुए कोल वाशरीज से घट रहे उत्पादन को बंद करने की तत्काल आवश्यकता है।

मांग आपूर्ति और कोयले का आवागमन

26.2.45 मांग और आपूर्ति में संभावित 65.11 है। प्रक्षेपित मांग को घरेलू उत्पादन और आयात के जरिए पूरा किए जाने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष का प्रस्तावित आयात 62.75 मिलियन टन (कोकिंग का 27.26 मिलियन टन और गैर कोकिंग कोयले का 35.49 मिलियन टन) है। 233.06 मिलियन टन घरेलू कोयले की ढुलाई रेल द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है तथा एससीसीएल से 26.60 एमटी कोयले की ढुलाई का प्रस्ताव है। जिसके लिए प्रतिदिन 12628 चार पहियों वाले माल डिब्बे (एफडब्ल्यूडब्ल्यू) की आवश्यकता होगी और 94.73 मिलियन टन कोयले की ढुलाई एमजीआर द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है।

26.2.46 कुछ सशक्त कोयला क्षेत्रों जैसे तालचेर, कोरबा, पूर्वी करणपुरा और भूपालपल्ली के साथ कुछ महत्वपूर्ण रेल संपर्क स्थापित करने की जरूरत है। तालचेर और पारादीप की एमसीएल रेल संपर्क की डबलिंग और उसक विद्युतीकरण, दीपी का पैंडरा शेड रेल संपर्क का निर्माण तथा सीसीएल के रेबर्टसन स्टेशन से मांग रायगढ़ कोल क्षेत्र का सड़क रेल संपर्क का निर्माण, सीसीएल के उत्तरी करमपुरा में टोरी-शिवपुरी रेल संपर्क का निर्माण आदि कुछ ऐसे महत्वपूण् रेल संपर्क हैं जिनकी पहचान

ठोस कोयला क्षेत्रों के उचित विकास के लिए की गई है। रेलवे ने इन में से कुछ संपर्क मार्गों का कार्य शुरू कर दिया है।

जनसाधन और रोजगार की स्थिति

26.2.47 वर्ष 2008-09 (31.3.2009 तक) के दौरान सीआईएल में कर्मचारियों की संख्या 412350 भी इसे 2009-10 (31.3.2010) के दौरान कम करके 401891 तक लाने का प्रस्ताव है जो 2.53% की कमी होगी। एससीसीएल में रोजगार को 70,586 (31.3.09) से घटाकर 69370 (31.3.2010) तक लाने का प्रस्ताव हैं (जो 1.72% की कमी हो गई है) एनएलसी में वर्ष 2009-10 के दौरान जनसाधन की आवश्यकता के 18952 बने रहने का अनुमान है।

उत्पादकता

26.2.48 2008-09 में 4.09 टन (यूजी-0.76 टन, ओसी 8.95 टन) के सीआईएल में प्रति व्यक्ति शिफ्ट (ओएमएस) की समस्त उत्पादकता के मुकाबले वर्ष 2009-10 के लिए ओएमएस का लक्ष्य 4.4.48 टन (यूजी 0.77 टन ओसी 9.81 टन) पर तय किया है जो कि समूची उत्पादकता की लगभग 9.5 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। एससीसीएल के मामले में (समूचे प्रति व्यक्ति प्रति शिफ्ट उत्पादकता (ओएमएस)) वर्ष 2008-09 के समूचे 3.01 टन (यूजी 1.05 टन, ओसी-10.60 टन) ओएमएस के मुकाबले 2009-10 में ओएमएस का लक्ष्य 8% (यूजी 1.04 टन, ओसी 11.61 टन) निर्धारित किया गया है जो सम्पूर्ण उत्पादकता में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एनएलसी में आरई 2008-09 के समूचे ओएमएस 10.16 की तुलना में 2008-09 के ओएमएस को 9.06 निर्धारित किया गया है जो संपूर्ण उत्पादकता में लगभग 10.82 प्रतिशत कमी दिखाता है।

केन्द्रीय क्षेत्रक की स्कीमें

संवर्धनात्मक अन्वेषण

26.2.49 वर्ष 2008-09 में संवर्धनात्मक अन्वेषण के लिए निर्धारित 1,50,000 मीटर के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 1,26,813 मीटर है और व्यय 30.0 करोड़ रहा। इसकी तुलना में 2009-10 में ड्रिलिंग का लक्ष्य 1,58,100 मीटर निर्धारित किया गया है जिसके लिए 30.39 करोड़ रूपए का परिव्यय रखा गया है।

गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

26.2.50 सम्भाव्य उद्यमियों को खनन ब्लॉकों का आबंटन करने के बीच समय के अंतराल को कम करने हेतु गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग करने की स्कीम हाथ में ली गई थी। 2008-09 में 249000 मीटर ड्रिलिंग के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 59936 मीटर है। वर्ष 2009-10 के लिए 72,390 मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिस के लिए 60.00 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी (आर एंड डी)

26.2.51 कोयला अनुसंधान और विकास (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) कार्यक्रम यह स्कीम 1975 से जानी है, पर मुख्य रूप से जोर दिए जाने के बावजूद नई परियोजनाओं को शुरू करने और जारी विभिन्न परियोजनाओं के परिव्यय को उपलब्ध कराए गए परिव्यय के उपयोग दोनों में प्रगति संतोषजनक नहीं रही हैं। इस स्कीम के लिए वर्ष 2009-10 में 20.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराना गया है जबकि 2008-09 के दौरान 10.00 करोड़ रूपए का अस्थायी व्यय हुआ है।

पर्यावरणीय उपाय और आजीविका नियंत्रण (ईएमएससी)

26.2.52 कोयला खदानों के राष्ट्रीयकरण् से पूर्व अवैज्ञानिक खनन किए जाने के करण हुई क्षतियों को कम करने के लिए कई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने से, स्कीम का उद्देश्य पूराने खनन किए गए क्षेत्रों, खासतौर से झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में पर्यावरणीय स्थिति का सुधार करना है। भूमि अधिग्रहण में कठिनाइयों, स्थानीय लोगों द्वारा आंदोलनों/ बारम्बार व्यवधानों, स्थानीय अधिकारियों द्वारा पुनर्वास हेतु स्थानों को अंतिम रूप न देने तथा तकनीकी समस्याओं आदि के कारण इस स्कीम का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है। जुलाई, 2009 में अवसंरचना की मंत्रि परिषद समिति ने झरिया और रानीगंज की मास्टर योजना को अनुमोदन दे दिया है, जो गुजारा भत्ता, पुनर्वास, अग्नि, ब्यौर स्थलीय अवसरंचना के अभिसरण को दर्शाती है। इस समय आजीविका नियंत्रण के अंतर्गत 9 चालू स्कीमें, पर्यावरणीय उपायों के अंतर्गत 3 स्कीमें, पुनर्वास (सामाजिक न्यूनीकरण) के अंतर्गत 2 स्कीमें और अग्नि नियंत्रण के अंतर्गत 3 स्कीमें हैं। 2007-08 के 15.00 करोड़ रुपए के अनंतिम व्यय के मुकाबले 2009-10 में 10.00 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। जबकि 2008-09 के दौरान 10.00 करोड़ रूपए का अनंतिम व्यय हुआ था।

कोयला खदानों में रक्षण एवं सुरक्षा तथा कोयला खदानों में परिवहन तथा अवसंरचना का विकास

26.2.53 वित्त मंत्रालय के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय ने दो प्लान स्कीमों का प्रस्ताव किया था जिसके नाम हैं : (i) कोयला खदानों में संरक्षण और सुरक्षा (ii) 2007-08 में योजना स्कीमों के रूप में कोयला खदानों में परिवहन और अवसंरचना का विकास की योजना आयोग द्वारा पूर्व में जांच की गई थी और उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गैर योजना स्कीमों के रूप में संस्तुति दी थी। अब वित्त मंत्रालय (एमओएफ) की राय है कि चूंकि इन स्कीमों के वित्तपोषण का स्रोत सीसीडीए के अंतर्गत एकत्रित समर्पित धंसान उत्पाद शुल्क है अतः वित्तपोषण में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी वित्त मंत्रालय का आग्रह है कि बेहतर मॉनीटरण के लिए इन स्कीमों को योजना स्कीम माना जाए। तदानुसार वार्षिक योजना 2008-09 में इन स्कीमों के लिए क्रमशः 135 करोड़ का परिव्यय और 21.80 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं जबकि व्यय क्रमशः 132.00 करोड़ रूपए और 0.00 करोड़ रूपए हुआ। वर्ष 2009-10 के दौरान इन दोनों स्कीमों के लिए क्रमशः 135.00 करोड़ रूपए और 22.00 करोड़ यपए का परिव्यय रखा गया है।

सुरक्षा और कल्याण उपाय

26.2.54 कोयला खनिकों की सुरक्षा उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। जब कि विद्यमान खदानों से ही कोयले के उत्पादन में वृद्धि होती है, उसे सुरक्षा के साथ निकालने के प्रयास किए जाते हैं। खदानों के प्रचालक के रूप में कोयला कंपनियां मुख्य रूप से सुरक्षित खान कार्य संचालन और खनिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुधार के लिए जिम्मेदार है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा नियामक प्राधिकरण है, और खदानों में सुरक्षा को कानूनों को लागू करना है । कई सालों से देश में कोयला खदानों सुरक्षा निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

26.2.55 सीआईएल में वर्ष 2007 के दौरान प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन पर दुर्घटना मृत्युदर 0.16 दर्ज की गई थी। इसी प्रकार एससीसीएल और एनएलसी में प्रति मिलियन टन कोयला उत्पादन पर दुर्घटना मृत्यु दर क्रमशः 0.30 तथा 0.10 थी। संशोधित अनुमान 2008-09 के लिए समग्र आवास संतुष्टि सीआईएल में 100% और एससीसीएल में 71% थी। इसके वर्ष 2009-10 में एससीसीएल में 73% तक पहुंचने की प्रत्याशा है। एनएलसी में कई सालों से आवास संतुष्टि 100% है।

28.2.56 संशोधित अनुमान 2008-09 में जल आपूर्ति स्कीम के अंतर्गत कवर की गई कुल जनसंख्या सीआईएल में 22.94 लाख, एससीसीएल में 6.5 लाख और एनएलसी में 2 लाख थी। इस कवरेज को 2009-10 में सीआईएल में 22.97 लाख जनसंख्या तक बताए जाने की उम्मीद है। फिर भी एससीसीएल और एलएलसी के मामले में वर्ष 2009-10 में इस स्कीम के अंतर्गत कवर की गई जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

26.2.57 वर्तमान में सीआईएल में 5970 बिस्तर वाले 85 चिकित्सालय, एससीसीएल में 1058 बिस्तर वाले 8 चिकित्सालय और एनएलसी में 369 बिस्तर वाला एक चिकित्सालय प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल में 424 एससीसीएल में 38 और एनएलसी में 5 डिस्पेंसरीज भी हैं।

योजना परिव्यय

26.2.58 कोयला मंत्रालय के बजट अनुमान 2008-09 के लिए 6897.00 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका वित्तपोषण 6598 करोड़ रुपए के आईईबीआर और 250 करोड़ रुपए के जीबीएस द्वारा किया जाएगा। कोयला मंत्रालय द्वारा 4914.25 करोड़ रुपए के व्यय की रिपोर्ट दी गई है जो बजट अनुमान के प्रावधानों का लगभग 71.2% है।

26.2.59 वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान कोयला मंत्रालय के लिए 5,674.81 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जिसका वित्त पोषण 5374.81 करोड़ रुपए के आईइबीआर और 300 करोड़ रुपए के जीबीएस द्वारा किया जाएगा । ईएपी का कोई घटक नहीं है एवं बजटीय सहायता कोयला मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीमों के लिए है। कंपनीवार/स्कीमवार विवरण संलग्नक-26.2.1 में दिया गया है।

तालिका-26.2.1 :कम्पनीवार / स्कीमवार परिव्यय/व्यय

(करोड़ रूपए)

	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 बीइ	2009-10 आरइ	2011-12 मूल लक्ष्य	2011-12 एमटीए के अनुसार
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा निवेश (आईबईबीआर)							
सीआईएल	2059.69	2033.51	2507.17	2900.00	3100.00	17390.00	16090.68
एससीसीएल	448.63	573.97	650.44	580.97	633.94	3340.00	3802.07
एनएलसी (खानें)	669.18	578.54	400.05	524.09	386.40	2993.00	2334.39
एनएलसी (विद्युत)	454.47	1188.17	1159.10	1369.75	844.94	12051.00	6140.61
कुल (आईईबीआर)	**3631.98**	**4374.19**	**4716.76**	**5374.81**	**4965.28**	**35774.00**	**28367.75**
योजना स्कीमें (जीबीएस)							
सूचना प्रौद्योगिकी	-	0.23	0.49	3.00	0.25	8.84	
कोयला उत्पादन नियंत्रक संगठन	-	-		0.31	0.33	1.22	
अनुसंधान एवं विकास	-	12.86	10.00	20.00	11.00	75.35	
क्षेत्रीय/प्रोत्साहन संबंधी अन्वेषण	40.00	34.99	30.00	30.39	30.39	164.02	
विस्तृत ड्रिलिंग नॉन सीआईएल ब्लॉक्स	20.98	40.00	15.00	60.00	60.00	472.94	
पर्यावरणीय उपाय एवं प्रशमन नियंत्रण $	7.94	17.99	9.90	15.00	10.53	155.34	
कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा #	-	150.38	132.00	135.00	135.00	170.67	
कोयला क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास #	-	23.58	0.00	22.00	0.01	277.63	
वीआरएस	-	-	-	-	-	0	
एनई घटक	-	-	-	14.30	12.49	*	
कुल (जीबीएस)	**68.92**	**280.03**	**197.39**	**300.00**	**260.00**	**1326.01**	**
कुल (आईईबीआर+जीबीएस)	**3700.90**	**4654.22**	**4914.25**	**5674.81**	**5225.28**	**37100.08**	

* संबंधित परिव्ययों में शामिल ।

** केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमों के लिए (जीबीएस) के संशोधित परिव्यय को अंतिम रूप दिया जाना है।

$ कार्यान्वयन के दौरान इस स्कीम के माध्यम से 9700 करोड़ रुपए की झरिया- रानीगंज कार्रवाई योजना को आंशिक रूप से निधि उपलब्ध कराई जाएगी । इस उद्देश्य के लिए एसईडी (उपकर) एकत्रित किया जा रहा है।

सीसीडीए से वित्त पोषित स्कीमें । खदानों से उत्पादित एवं भेजे गए प्रति टन कोयले के घटे हुए उत्पाद शुल्क एकत्रण के माध्यम से प्राप्त समर्पित निधि से व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

संलग्नक -26.1

2007-08, 2008-09 और 2009-10 में एनर्जी जनरेशन (यूटीलिटीज)

(एमयू)

वर्ष		टाइप		क्षेत्र					समस्त भारत
				उत्तर	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पूर्वोत्तर	
2007-08	:	हाइड्रो		50734.71	18340.76	39514.84	9835.73	4998.08	123424.12
	:	थर्मल	वास्तविक	146846.64	187933.27	123224.99	96885.82	4099.33	558990.05
	:	आणविक		3154.28	9375.35	4247.28			16776.91
		भूटान से आयात							5277.94
	:	कुल		200735.63	215649.38	166987.11	106721.55	9097.41	704469.02
	:	हाइड्रो		**52067.00**	**18616.00**	**32345.00**	**10527.00**	**4998.08**	**118450.00**
	:	थर्मल	लक्ष्य	**154234.00**	**220424.00**	**130904.00**	**121642.00**	**4099.33**	**631270.00**
	:	आणविक		**4744.00**	**8266.00**	**5990.00**			**19000.00**
		भूटान से आयात							**5624.00**
	:	कुल		**211045.00**	**247306.00**	**169239.00**	**132169.00**	**9097.41**	**774344.00**
2008-09									
	:	हाइड्रो		53049.77	13184.54	32595.80	9656.37	4594.68	113081.16
	:	थर्मल	वास्तविक	152725.72	202338.90	129770.25	100879.04	4386.86	590100.77
	:	आणविक		2995.84	7510.96	4205.79			14712.59
		भूटान से आयात							5899.10
	:								
		कुल		208771.33	223034.40	166571.84	110535.41	8981.54	723793.62
	:	हाइड्रो		**52289.00**	**16116.00**	**32324.00**	**10310.00**	**4429.00**	**115468.00**
2009-10	:	थर्मल	लक्ष्य	**156716.69**	**225131.81**	**141145.26**	**121328.72**	**4157.10**	**648479.58**
	:	आणविक		**6310.00**	**7750.00**	**4940.00**			**19000.00**
		भूटान से आयात							**6564.00**
	:	कुल		**215315.69**	**248997.81**	**178409.26**	**131638.72**	**8586.10**	**789511.58**

संलग्नक – **26.2**

2008-2009 के दौरान थर्मल पावर प्लांटस के प्लांट लोड फैक्टर

(%)

क्र0 सं0	एसईबी/ संगठन	लक्ष्य	उपलब्धि
राज्य क्षेत्रक			
1	आईपीजीपीसीएल (दिल्ली)	53.06	54.68
2	एचपीजीसी (हरियाणा)	78.46	73.68
3	आरआरवीयूएनएल (राजस्थान)	85.98	88.86
4	पीएसईबी (पंजाब)	80.20	85.48
5	यूपीआरवीयूएनएल (उत्तर प्रदेश)	62.41	61.69
6	जीएसईसीएल (गुजरात)	74.85	76.18
7	जीएमडीसीएल (गुजरात)	60.00	50.49
8	एमएएचएजीईएनसीओ (महाराष्ट्र)	79.55	70.60
9	एमपीपीजीसीएल (मध्य प्रदेश)	75.48	64.79
10	सीएसईबी (छत्तीसगढ़)	80.32	85.91
11	एपीजीईएनसीओ (आंध्र प्रदेश)	90.88	87.77
12	टीएनईबी (तमिलनाडु)	84.56	80.80
13	केपीसीएल (कर्नाटक)	80.84	71.05
14	बीएसईबी (बिहार)	20.62	3.67
15	जेएसईबी (झारखंड)	20.38	13.77
16	टीवीएनएल (झारखंड)	46.34	60.40
17	ओपीजीसी (उड़ीसा)	88.50	86.72
18	डब्ल्यूबीपी डेव.कारपो (पश्चिम बंगाल)	71.19	57.53
19	डीपीएल (पश्चिम बंगाल)	57.83	50.64
20	एपीजीपीसीएल	53.64	47.62
21	वीपीजीसीएल	29.99	11.71
	औसत : एसईबी	**75.31**	**71.20**
केन्द्रीय क्षेत्रक			
1	एनटीपीसी	87.08	89.86
2	नेयवली	74.65	72.28
3	डीवीसी	70.46	57.15
	औसत : केन्द्रीय क्षेत्रक	**83.81**	**84.34**
प्राइवेट क्षेत्रक (यूटीलिटीज)			
1	टीओआर.पीओडब्ल्यू(एईसीओ)	92.82	98.74
2	बीएसईएस/ धान्नू	95.89	100.99
3	टाटा/ तरोमबे	83.61	87.63
4	सीईएससी/ टीटागढ़	84.60	87.12
	औसत : प्राइवेट यूटीलिटीज	**87.08**	**91.04**
	औसत : अखिल भारत	**77.14**	**78.61**

संलग्नक -26.3

2008-09 के दौरान जनरेटिंग यूनिट कमीशनड/ रोलड

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट कैपस्टी	
							(एमडब्ल्यू)	कॉम. एससीएच
1	गुरू हर गोविन्द (लेहरा मोहबत) टीपीएस-II	4	थर्मल	राज्य	पंजाब	पीएसईबी	250	31.07.08
2	बगलीहार	1	हाइड्रो	राज्य	जे एंड के	जेकेपीडीसी	150	19.09.08
3	बगलीहार	2	हाइड्रो	राज्य	जे एंड के	जेकेपीडीसी	150	26.10.08
4	बगलीहार	3	हाइड्रो	राज्य	जे एंड के	जेकेपीडीसी	150	14.11.08
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0	450	0	450		
		थर्मल	0	250	0	250		
		न्यूक्लियर	0	0	0	0		
	कुल(एनआर)		0	700	0	700		
1	भिलाई टीपीपी	1	थर्मल	केन्द्र	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी/ एसएआईएल (जेवी)	250	20.04.08
2	सिपात एसटीपीएस-II	5	थर्मल	केन्द्र	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	500	13.08.08
3	अमरकंटक टीपीएस एक्सटेंशन	5	थर्मल	राज्य	एमपी	एमपीपीजीसीएल	210	15.06.08
4	घाटघर पीएसएस	1	हाइड्रो	राज्य	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सिंचाई विभाग	125	13.05.08
5	घाटघर पीएसएस	2	हाइड्रो	राज्य	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र सिंचाई विभाग	125	01.07.08
6	ओपी जिन्दल (रायगढ़) टीपीपी फेज I और II	4	थर्मल	प्राइवेट	छत्तीसगढ़	जिन्दल पावर	250	17.06.08
7	सूगेन सीसीपीपी	ब्लाक-1	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	टोरेंट पावर	382.5	04.02.09
8	ट्रोमबे एक्सर्टेशन	8	थर्मल	प्राइवेट	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी	250	26.03.09
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0	250	0	250		
		थर्मल	750	210	882.5	1842.5		
		न्यूक्लियर	0	0	0	0		
	कुल (डब्ल्यूआर)		750	460	882.5	2092.5		

संलग्नक – 26.3 (जारी)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट कैपस्टी (एमडब्ल्यू)	लाइक्ली कॉम. एससीओडी
दक्षिणी क्षेत्र								
1	वालूथूर फेजII जीटीपीपी	जीटी	थर्मल	राज्य	टीएन	टीएनबी	59.8	06.02.08
2	वालूथूर फेजII एसटी	एसटी	थर्मल	राज्य	टीएन	टीएनबी	32.4	17.02.09
3	वराही एक्सटेंशन.	1	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	115	11.01.09
4	वराही एक्सटेंशन.	2	हाइड्रो	राज्य	कर्नाटक	केपीसीएल	115	09.02.09
5	प्रियदर्शनी जुराला	2	हाइड्रो	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	39	31.08.08
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0	269	0	269		
		थर्मल	0	92.2	0	92.2		
		न्यूक्लियर	0	0	0	0		
		कुल (एसआर)	**0**	**361.2**	**0**	**361.2**		
पूर्वी क्षेत्र								
1	सागरदीघी टीपीपी	2	थर्मल	राज्य	डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	300	20.07.08
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0	0	0	0		
		थर्मल	0	300	0	300		
		न्यूक्लियर	0	0	0	0		
		कुल (ईआर)	**0**	**300**	**0**	**300**		
अखिल भारत								
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0.0	969.0	0.0	969.0		
		थर्मल	750.0	852.2	882.5	2484.7		
		न्यूक्लियर	0.0	0.0	0.0	0.0		
		कुल (अखिल भारत)	**750.0**	**1821.2**	**882.5**	**3453.7**		

संलग्नक– 26.4

2008-2009 के कार्यक्रम से जनरेटिंग यूनिट स्लिपड

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	कैपस्टि (एमडब्ल्यू)
1	बरसीनगर लिग्नाइट	1	थर्मल	केन्द्र	राजस्थान	एनएलसी	125.00
2	बरसीनगर लिग्नाइट	2	थर्मल	केन्द्र	राजस्थान	एनएलसी	125.00
3	भिलाई टीपीपी	2	थर्मल	केन्द्र	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी/ एसएआईएल (जेवी)	250.00
4	सिप्त एसटीपीएस-1	1	थर्मल	केन्द्र	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी	660.00
5	खहलगांव एसटीपीएसII (फेजI और II)	7	थर्मल	केन्द्र	बिहार	एनटीपीसी	500.00
6	चन्द्रापुरा टीपीएस एक्सटेंशन	7	थर्मल	केन्द्र	ख्ण्ठ्ठद्धत्ण्ठ्ठदड्ड	डीवीसी	250.00
7	चन्द्रापुरा टीपीएस एक्सटेंशन	8	थर्मल	केन्द्र	ख्ण्ठ्ठद्धत्ण्ठ्ठदड्ड	डीवीसी	250.00
8	आरएपीपी	5	न्यूक्लियर	केन्द्र	राजस्थान	एनपीसी	220.00
9	आरएपीपी	6	न्यूक्लियर	केन्द्र	राजस्थान	एनपीसी	220.00
10	कैगा एपीपी	4	न्यूक्लियर	केन्द्र	कर्नाटक	एञ्जपीसीए	220.00
11	गिराल लिग्नाईट-II	2	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएञ्जए	125.00
12	छाबरा टीपीएस	1	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएञ्जए	250.00
13	छाबरा टीपीएस	2	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएञ्जए	250.00
14	कोटा टीपीपी	7	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएञ्जए	195.00
15	सूरत गढ़ टीपीपी-IV	6	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएञ्जए	250.00
16	कूटच लिग्नाइट एक्सटेंशन	4	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीएसईसीएल	75.00
17	सूरत लिग्नाइट टीपीपी एक्सटेंशन	3	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीआईपीसीएल	125.00
18	सूरत लिग्नाइट टीपीपी एक्सटेंशन	4	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीआईपीसीएल	125.00
19	विजयवाड़ा टीपीपी-IV	1	थर्मल	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	500.00
20	बारेश्वर टीपीएस-II	5	थर्मल	राज्य	डब्ल्यूबी	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	210.00
21	प्रियदर्शनी जुराला	3	हाइड्रो	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	39.00
22	प्रियदर्शनी जुराला	4	हाइड्रो	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	39.00
23	कुट्टीयादी एडी. एक्सटेंशन	1	हाइड्रो	राज्य	केरल	केएसईबी	50.00
24	सूगेन सीसीपीपी	बीएलके-1	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	टोरेंट पावर	376.00
25	सूगेन सीसीपीपी	बीएलके-2	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	टोरेंट पावर	376.00

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	कैपस्टि (एमडब्ल्यू)
26	सूगेन सीसीपीपी	डीएलके-3	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	टोरेंट पावर	376.00
27	पथाडी टीपीएस फेज-I (लेनको अमर कंटक टीपीपी)	1	थर्मल	प्राइवेट	छत्तीसगढ़	लेनको अमरकंटक पावर प्रा0 लि0	300.00
28	गौत्तमी सीसीपीपी	जीटी-I	थर्मल	प्राइवेट	एपी	गौत्तमी पावर	145.00
29	गौत्तमी सीसीपीपी	जीटी-2	थर्मल	प्राइवेट	एपी	गौत्तमी पावर	145.00
30	गौत्तमी सीसीपीपी	एसटी	थर्मल	प्राइवेट	एपी	गौत्तमी पावर	174.00
31	कोनासीमा सीसीपीपी	जीटी-I	थर्मल	प्राइवेट	एपी	कोनासीमा ईपीएस	140.00
32	कोनासीमा सीसीपीपी	जीटी-2	थर्मल	प्राइवेट	एपी	कोनासीमा ईपीएस	140.00
33	कोनासीमा सीसीपीपी	एसटी	थर्मल	प्राइवेट	एपी	कोनासीमा ईपीएस	165.00
34	तरांगलू एक्सटेंशन	1	थर्मल	प्राइवेट	कर्नाटक	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि0	300.00
35	तरांगलू एक्सटेंशन	2	थर्मल	प्राइवेट	कर्नाटक	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लि0	300.00
	कुल	38 यूनिट		38 यूनिट			7990.00

संलग्नक –26.5

वर्ष 2009-10 के लिए जनरेटिंग कैपस्टी एडीशनल प्रोग्राम

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट क्षमता (एम डब्ल्यू)	कॉमन एससीओडी
चरण I								
1	बरसीनगर लिग्नाइट	1	थर्मल	केन्द्र	राजस्थान	एनएलसी	125	अक्तूबर,2009
2	बरसीनगर लिग्नाइट	2	थर्मल	केन्द्र	राजस्थान	एनएलसी	125	जनवरी,2010
3	एनसीपी प्रोजेक्ट एसटी-II	5	थर्मल	केन्द्र	U.P.	एनटीपीसी	490	जनवरी,2010
4	आरएपीपी	5	न्यूक्लिर	केन्द्र	राजस्थान	एनटीपीसी	220	अगस्त,2009
5	आरएपीपी	6	न्यूक्लिर	केन्द्र	राजस्थान	एनटीपीसी	220	नवंबर,2009
6	सेवा -II	1	थर्मल	केन्द्र	जे एंड के	एनएचपीसी	40	जनवरी,2010
7	सेवा -II	2	थर्मल	केन्द्र	जे एंड के	एनएचपीसी	40	फरवरी,2010
8	सेवा -II	3	थर्मल	केन्द्र	जे एंड के	एनएचपीसी	40	मार्च,2010
9	राजीव गांधी टीपीएस, हिसार	1	थर्मल	राज्य	हरियाणा	एचपीजीसीएल	600	दिसम्बर, 2009
10	राजीव गांधी टीपीएस, हिसार	2	थर्मल	राज्य	हरियाणा	एचपीजीसीएल	600	मार्च,2010
11	गिरल लिग्नाइट-II	2	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	125	मई,2009
12	छबड़ा टीपीएस	1	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	250	जुलाई,2009
13	छबड़ा टीपीएस	2	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	250	मार्च,2010
14	कोटा टीपीपी	7	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	195	जुलाई,2009
15	सूरत गढ़ टीपीपी-IV	6	थर्मल	राज्य	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	250	जुलाई,2010
16	रिठाला सीसीपीपी	जीटी+ एसटी	थर्मल	प्राइवेट	दिल्ली	एनडीपीएल	108	जनवरी,2010
17	रोजा टीपीपी फेज-I	1	थर्मल	प्राइवेट	उत्तर प्रदेश	रोजा पावर सप्लाई	300	मार्च,2010
18	अलाईन दुहनगन	1	हाइड्रो	प्राइवेट	हिमाचल प्रदेश	एडीएचपीएल	96	नवंबर,2009
19	अलाईन दुहनगन	2	हाइड्रो	प्राइवेट	हिमाचल प्रदेश	एडीएचपीएल	96	दिसंबर, 2009
20	मलाना-II	1	हाइड्रो	प्राइवेट	हिमाचल प्रदेश	एवरेस्ट पीसी	50	दिसम्बर, 2010
21	मलाना-II	2	हाइड्रो	प्राइवेट	हिमाचल प्रदेश	एवरेस्ट पीसी	50	जनवरी, 2010
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
	हाइड्रो		120	0	292	412		
	थर्मल		740	2270	408	3418		
	न्यूक्लियर		440	0	0	440		
	कुल(एनआर)		1300	2270	700	4270		
चरण II								
1	भिलाई टीपीपी	2	थर्मल	केन्द्र	छत्तीसगढ़	एनटीपीसी/एसएआईएल (जेवी)	250	जनवरी,2009
2	कुटच लिग्नाइट एक्सटें.	4	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीएसईसीएल	75	22.10.08 *
3	सूरत लिग्नाइट टीपीपी एक्सटें.	3	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीआईपीसीएल	125	दिसम्बर, 2009
4	सूरत लिग्नाइट टीपीपी एक्सटें.	4	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीआईपीसीएल	125	मार्च, 2010
5	उतरन सीसीपीपी एक्सटेंशन	जीटी	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीआईपीसीएल	228	सितंबर, 2009
6	उतरन सीसीपीपी एक्सटेंशन	एसटी	थर्मल	राज्य	गुजरात	जीआईपीसीएल	146	सितंबर, 2009
7	न्यू पारली टीपीपी	2	थर्मल	राज्य	महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	250	अक्तूबर, 2009
8	पारस टीपीएस एक्सटेंशन	2	थर्मल	राज्य	महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	250	जनवरी, 2010
9	सूरेन सीसीपीपी	ब्लाक-2	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	टोरेन्ट पावर	382.5	मई,2009
10	सूरेन सीसीपीपी	ब्लाक-3	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	टोरेन्ट पावर	382.5	जून,2009

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट क्षमता (एम डब्ल्यू)	कॉमन एससीएच.
11	पथाडी टीपीपएस फेज-I (मेगा टीपीपी)	1	थर्मल	प्राइवेट	छत्तीसगढ़	लानको पावर	300	जून,2009
12	पथाडी टीपीपएस फेज-I (मेगा टीपीपी)	2	थर्मल	प्राइवेट	छत्तीसगढ़	लानको पावर	300	दिसम्बर, 2009
13	मुन्द्रा टीपीपी फेज-I	1	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	अदानी पावर	330	अगस्त, 2009
14	मुन्द्रा टीपीपी फेज-I	2	थर्मल	प्राइवेट	गुजरात	अदानी पावर	330	अक्तूबर, 2009
15	जल्लीपा-कपूजदी टीपीपी	1	थर्मल	प्राइवेट	राजस्थान	राज वेस्ट पावर	135	जून, 2009
16	जल्लीपा-कपूजदी टीपीपी	2	थर्मल	प्राइवेट	राजस्थान	राज वेस्ट पावर	135	सितंबर, 2009
17	जल्लीपा-कपूजदी टीपीपी	3	थर्मल	प्राइवेट	राजस्थान	राज वेस्ट पावर	135	नवंबर, 2009
18	जल्लीपा-कपूजदी टीपीपी	4	थर्मल	प्राइवेट	राजस्थान	राज वेस्ट पावर	135	दिसंबर, 2009
19	जल्लीपा-कपूजदी टीपीपी	5	थर्मल	प्राइवेट	राजस्थान	राज वेस्ट पावर	135	फरवरी, 2010
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0	0	0	0		
		थर्मल	250	1199	2700	4149		
		न्यूक्लियर	0	0	0	0		
		कुल (डब्ल्यूआर)	250	1199	2700	4149		

* यूनिट कमीशनंड, अभीकार्य करना है।

संलग्नक -26.5(जारी)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट कैपस्टी (एमडब्ल्यू)	लाइक्ली कॉम. एससीएच
1	कैगा एपीपी	4	Nuclear	केन्द्र	कर्नाटक	एनपीसीआईएल	220	दिसम्बर, 2009
2	विजयवाड़ा टीपीपी-IV	1	थर्मल	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	500	जून,2009
3	ककाटिया टीपीपी	1	थर्मल	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	500	मार्च,2010
4	प्रियदर्शनी जुराला	3	हाइड्रो	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	39	मई,2009
5	प्रियदर्शनी जुराला	4	हाइड्रो	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	39	अक्तूबर,2009
6	प्रियदर्शनी जुराला	5	हाइड्रो	राज्य	एपी	एपीजीईएनसीओ	39	फरवरी,2010
7	कुट्टीयादी एडी. एक्सटेंशन	1	हाइड्रो	राज्य	केरल	केएसईबी	50	जून,2009
8	कुट्टीयादी एडी. एक्सटेंशन	2	हाइड्रो	राज्य	केरल	केएसईबी	50	जुलाई,2009
9	लेनको कोनडापल्ली एक्सटेंशन फेज I	जीटी	थर्मल	प्राइवेट	एपी	लेनको कोनापल्ली	233	दिसंबर,2009
10	लानको कोनडापल्ली एक्सटेंशन फेज I	एसटी	थर्मल	प्राइवेट	एपी	लेनको कोनापल्ला	133	दिसंबर,2009
11	गौत्तमी सीसीपीपी	जीटी-1	थर्मल	प्राइवेट	एपी	गौत्तमी पावर	145	जून,2009
12	गौत्तमी सीसीपीपी	जीटी-2	थर्मल	प्राइवेट	एपी	गौत्तमी पावर	145	जून,2009
13	गौत्तमी सीसीपीपी	एसटी	थर्मल	प्राइवेट	एपी	गौत्तमी पावर	174	जून,2009
14	कोनासीमा सीसीपीपी	जीटी-I	थर्मल	प्राइवेट	एपी	कोनासीमा ईपीएस	140	जुलाई,2009
15	कोनासीमा सीसीपीपी	जीटी-2	थर्मल	प्राइवेट	एपी	कोनासीमा ईपीएस	140	जुलाई,2009
16	कोनासीमा सीसीपीपी	एसटी	थर्मल	प्राइवेट	एपी	कोनासीमा ईपीएस	165	जुलाई,2009
17	तरंगालू एक्सटेंशन	1	थर्मल	प्राइवेट	कर्नाटक	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	300	27-04-2009
18	तरंगालू एक्सटेंशन	2	थर्मल	प्राइवेट	कर्नाटक	जेएसडब्ल्यू एनर्जी	300	दिसंबर,2009
			थर्मल	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0	217	0	217		
		थर्मल	0	1000	1875	2875		
		न्यूक्लियर	220	0	0	220		
		कुल (एसआर)	**220**	**1217**	**1875**	**3312**		
1	खहलगांव एसटीपीएस-II (फेज-I और II)	7	थर्मल	केन्द्र	बिहार	एन्टीपीसी	500	जून,2009
2	चन्द्रापुर टीपीएस एक्सटेंशन	7	थर्मल	केन्द्र	झारखंड	डीवीसी	250	जुलाई,2009
3	चन्द्रापुर टीपीएस एक्सटेंशन	8	थर्मल	केन्द्र	झारखंड	डीवीसी	250	अक्तूबर,2009

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	यूनिट नं0	टाइप	क्षेत्रक	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट कैपस्टी (एमडब्ल्यू)	लाइक्ली कॉम. एससीएच
4	मेजिया एक्सटेंशन	1	थर्मल	केन्द्र	डब्ल्यू.बी.	डीवीसी	500	फरवरी,2010
5	टीस्टा लो डम III	1	हाइड्रो	केन्द्र	डब्ल्यू.बी.	एनएचपीसी	33	फरवरी,2010
6	टीस्टा लो डम III	2	हाइड्रो	केन्द्र	डब्ल्यू.बी.	एनएचपीसी	33	फरवरी,2011
7	टीस्टा लो डम III	3	हाइड्रो	केन्द्र	डब्ल्यू.बी.	एनएचपीसी	33	मार्च,2010
8	टीस्टा लो डम III	4	हाइड्रो	केन्द्र	डब्ल्यू.बी.	एनएचपीसी	33	मार्च, 2011
9	बारकेश्वर टीपीएस-II	5	थर्मल	राज्य	डब्ल्यू.बी.	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	210	फरवरी,2010
10	स्टीरलाइट टीपीपी	1	थर्मल	प्राइवेट	उड़ीसा	स्टीरलाइट एनर्जी	600	दिसम्बर 2009
11	बज-बज-III	3	थर्मल	प्राइवेट	डब्ल्यू.बी.	सीईएससी	250	अगस्त,2009
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	132	0	0	132		
		थर्मल	1500	210	850	2560		
		न्यूक्लियर	0	0	0	0		
		कुल (ईआर)	**1632**	**210**	**850**	**2692**		
[illegible]								
1	माईउटंडू (लेइशका) स्टे.-I	1	हाइड्रो	राज्य	मेघालय	एमईएसईबी	42	दिसंबर,2009
2	माईउटंडू (लेइशका) स्टे.-I	2	हाइड्रो	राज्य	मेघालय	एमईएसईबी	42	फरवरी,2010
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	0	84	0	84		
		थर्मल	0	0	0	0		
		न्यूक्लियर	0	0	0	0		
	कुल-(एनईआर)		**0**	**84**	**0**	**84**		
[illegible]								
			केन्द्र	राज्य	प्राइवेट	कुल		
		हाइड्रो	252.00	301.00	292.00	845		
		थर्मल	2490.00	4679.00	5833.00	13002		
		न्यूक्लियर	660.00	0.00	0.00	660		
	कुल (अखिल भारत)		**3402.00**	**4980.00**	**6125.00**	**14507.00**		

संलग्नक – 26.6

परिव्यय/ व्यय - पावर क्षेत्रक

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (अनुमोदित)	2008-09 (आरई)	2009-10 (अनुमोदित)
1	आंध्र प्रदेश	2167.96	2966.34	2094.92	55.37	56.97	44.54	389.72	28.50	170.00
2	अरूणाचल प्रदेश	72.77	84.81	119.65	122.65	106.72	115.68	255.51	279.36	218.30
3	असम	82.77	73.09	290.48	255.60	245.30	430.26	416.97	394.35	172.64
4	बिहार	131.68	498.28	322.84	499.53	557.26	265.16	774.47	565.97	859.45
5	छत्तीसगढ़	13.75	43.81	104.65	248.20	36.55	91.10	50.42	50.42	196.60
6	गोवा	58.53	59.84	98.05	112.03	114.22	129.83	142.21	142.21	156.52
7	गुजरात	571.39	1108.18	635.45	830.49	1925.17	197.17	813.67	813.67	888.67
8	हरियाणा	202.97	221.61	264.42	303.16	996.63	851.41	862.13	862.13	1392.00
9	हिमाचल प्रदेश	363.79	169.90	67.91	90.61	76.29	106.52	322.80	322.80	350.50
10	जम्मू व कश्मीर	437.75	546.16	695.85	708.31	485.55	1017.26	1096.14	1096.14	517.05
11	झारखंड	142.32	43.10	304.34	412.51	141.64	476.85	700.00	700.00	725.00
12	कर्नाटक	860.06	1273.75	1623.44	1372.76	2259.77	2047.78	2410.73	3258.73	3615.48
13	केरल	728.92	328.90	453.01	559.73	637.01	543.75	914.35	914.35	975.06
14	मध्य प्रदेश	1481.80	1145.03	1095.04	1002.25	1571.00	1145.31	1619.78	1619.78	1338.57
15	महाराष्ट्र	2746.68	1334.94	759.81	1493.99	1324.08	1334.37	1431.00	1431.00	
16	मणिपुर	10.43	9.62	26.07	18.43	59.97	139.49	120.00	145.50	170.00
17	मेघालय	55.81	78.51	94.39	129.27	172.33	232.93	425.93	384.65	550.00
18	मिजोरम	38.98	56.41	55.60	90.26	68.34	67.00	67.50	67.06	68.50
19	नागालैण्ड	24.31	41.59	31.49	72.63	31.91	41.74	104.28	98.20	74.00
20	उड़ीसा	322.16	429.26	269.26	150.78	121.52	323.19	750.21	467.03	1874.17
21	पंजाब	532.78	528.76	843.33	1445.67	1803.83	1535.26	2200.00	2200.00	2593.00
22	राजस्थान	1220.07	2102.88	1982.75	2199.28	2914.53	5686.63	6196.68	6209.01	7483.00
23	सिक्किम	37.49	39.57	89.13	24.01	20.77	36.66	71.00	76.68	47.87
24	तमिलनाडु	1197.78	1002.61	1261.27	1544.47	1950.30	2291.28	2162.23	2497.55	2525.70
25	त्रिपुरा	29.63	31.65	21.32	42.13	53.07	59.53	98.05	51.17	26.01
26	उत्तर प्रदेश	925.81	1037.97	859.38	972.29	1928.72	4551.82	5370.70	5195.03	5627.11
27	उत्तराखंड	210.21	118.74	285.38	396.18	264.99	382.64	499.81	499.81	
28	पश्चिम बंगाल	754.92	652.02	1560.20	1794.05	1868.60	1724.00	2048.73	2048.73	1881.40
	उप कुल (राज्य)	**15423.52**	**16027.33**	**16309.43**	**16946.64**	**21793.04**	**25869.16**	**32315.02**	**32419.83**	
1	अंडमान व निकोबर	20.78	23.03	27.90	23.38	22.49	26.80	30.00	30.00	40.00
2	चंडीगढ़	16.52	19.60	19.95	21.65	20.85	25.00	21.50	21.50	15.00
3	दादरा व नगर हवेली	18.85	12.79	9.36	9.49	11.55	15.33	32.17	32.17	18.59

क्र0 सं0	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2002-03 (वास्तविक)	2003-04 (वास्तविक)	2004-05 (वास्तविक)	2005-06 (वास्तविक)	2006-07 (वास्तविक)	2007-08 (वास्तविक)	2008-09 (अनुमोदित)	2008-09 (आरई)	2009-10 (अनुमोदित)
4	दमन व दीव	19.30	13.00	10.46	13.80	13.19	11.50	24.69	24.69	22.24
5	दिल्ली	1575.86	1705.99	624.76	270.67	256.98	1243.62	1015.65	585.75	461.00
6	लक्षद्वीप	2.78	8.50	2.55	9.90	25.31	21.73	16.77	16.77	18.44
7	पांडिचेरी	24.97	26.65	30.87	34.54	44.32	43.86	38.08	42.74	148.59
	उप कुल (यूटीज़)	**1679.06**	**1809.56**	**725.85**	**383.43**	**394.70**	**1387.84**	**1178.86**	**753.62**	**723.86**
	कुल (राज्य और यूटी)	**17102.58**	**17836.89**	**17035.28**	**17330.07**	**22187.74**	**27256.99**	**33493.88**	**33173.44**	
1	एनटीपीसी	2945.26	4549.85	5297.05	7187.92	7820.58	8621.00	13588.00	12686.45	17700.00
2	एनएचपीसी	1830.74	2087.11	2424.34	2040.54	2387.64	2568.00	4385.19	3677.85	4667.99
3	पावर ग्रिड	2671.20	2351.26	3218.18	4110.93	6329.06	6615.00	8040.00	8095.00	11510.00
4	डीएवी	146.02	316.51	626.46	976.93	1542.42	2523.87	6612.65	3391.37	8313.34
5	टीएचडीसी	339.68	560.05	1000.41	823.18	828.28	828.42	804.92	614.85	535.18
6	एसजीवीएन (एनजीपीसी	10.06	504.00	84.65	45.72	108.64	219.23	556.84	561.87	580.06
7	एनईईपीसीओ	71.77	61.17	166.53	206.00	233.95	197.69	772.50	207.01	824.70
8	पीईसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	आरईसी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	आरजीजीवीवाई				1100.00	3000.00	3913.45	5500.00	5500.00	7000.00
11	एमओपी (विविधि)	634.49	311.35	694.14	356.32	598.14	161.21	200.00	497.04	1995.00
	उप कुल (एमओपी))	**8649.22**	**10741.30**	**13511.76**	**16847.54**	**22848.71**	**25647.87**	**40460.10**	**35231.44**	**53126.27**
	डीएई (पावर))	2141.50	3508.96	4006.94	3927.95	3938.98	2590.95	3433.00	3427.04	3382.72
	एनएलसी (पावर)	202.70	77.24	85.45	270.44	483.35	1188.17	1159.10	1159.10	1369.75
	कुल केन्द्रीय क्षेत्रक	**10993.42**	**14327.50**	**17604.15**	**21045.93**	**27271.04**	**29426.99**	**45052.20**	**39817.58**	**57878.74**
	अखिल भारत	**28096.00**	**32164.39**	**34639.43**	**38376.00**	**49458.78**	**56683.98**	**78546.08**	**72991.02**	

संलग्नक-**26.7**

अपराम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमताएं और उपलब्धियां (31.07.2009 की स्थिति के अनुसार)

क्र0 सं0	स्रोत/ प्रणाली	लगभग क्षमकता	उपलब्धि (31.10.2009 के अनुसार)
क.	नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत		
1.	सौर फोटोवोलटाइक ऊर्जा	20 मेगावाट/ वर्ग कि0मी0	3.10 मेगावाट
2.	पवन ऊर्जा	48,500 मेगावाट	10,891.00 मेगावाट
3.	लघु हाइड्रो ऊर्जा (25 मेगावाट तक)	15,000 मेगावाट	2519.00 मेगावाट
4.	बायोमास/ कोजनरेशन ऊर्जा	एग्रो रेजीड्यू 16,000 मेगावाट कोजनरेशन - बैगेज 5000 मेगावाट	2057.50 मेगावाट
6.	उत्सर्जित पदार्थों से ऊर्जा रिकवरी	नगरपालिका ठोस उत्सर्जन 1,700 मेगावाट औद्योगिक उत्सर्जन 1,000 मेगावाट	67.41मेगावाट
	नवीकरणीय स्रोतों से कुल ऊर्जा	**87,200** मेगावाट	**15538.89** मेगावाट
ख.	आफ ग्रिड/ विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा		
7.	बायोमास ऊर्जा/ कोजनरेशन (गैर बैगेज)		181.37 मेगावाट$_{eq}$
8.	बायोमोस गैसीफायर	(क्र0 सं0 4 में शामिल)	108.37 मेगावाट$_{eq}$
9.	उत्सर्जन से ऊर्जा	(क्र0 सं0 6 में शामिल)	37.97 मेगावाट$_{eq}$
10.	सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र एवं स्ट्रीट लाइट	(क्र0 सं01 में शामिल)	2.39 मेगावाट$_{p}$
11.	एक्रो जनरेटर/ हाईब्रीड प्रणालियां		0.89 मेगावाट
ग.	दरदराज के गांवों में विद्युतीकरण		4297 ग्राम + 1257 बस्तियां
घ.	विकेंद्रित ऊर्जा प्रणालियां		
12.	पारिवारिक तरह का बायोगैस संयंत्र	120 लाख	41.42 लाख संख्या
13.	घरो में रोशनी प्रणाली	-	5,10,87 संख्या
14.	सौर लालटेन	-	7,67,350 संख्या
15.	एसपीवी पम्पस	-	7,247 संख्या
16.	सौलर वाटर हीटिंग - कलैक्टर क्षेत्र	-	2.90 मिलियन वर्ग एम
17.	सौर कुकर्स	-	6.57 लाख संख्या
18.	पवन पम्पस	-	1347 संख्या
ङ.	अन्य कार्यक्रम		
19.	ऊर्जा पार्क	-	511 संख्या.
20.	अक्षय ऊर्जा दुकानें	-	284 संख्या

स्रोतः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरईपी)

अध्याय 27

शहरी अवसंरचना, आवास, मूलभूत सेवाएं तथा गरीबी उपशमन

27.1 चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज़) को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि वे विकास के कार्यों को हाथ में ले सकें और उन्हें संवैधानिक/वैधानिक उपबन्धों के जरिए कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है, ताकि वे पर्याप्त कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व जुटाने के लिए स्वयं सक्षम बन सकें। चुनौती यह है कि निर्वाचित निकायों को कायिक रूप से विकास करने में सहायता दी जाए, जिससे कि वे शहरों में रहने वाले लोगों की विश्व स्तर के गुणवत्ता वाले जीवन की मांगों को पूरा कर सकें।

27.2 कस्बे और शहर विपणन, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा के क्षेत्रों की सेवाओं के नोडल केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं और व्यापक विश्व का झरोखा खोलने का काम भी करते हैं। भूतकाल में पांच चुने हुए शहरों के लिए महानगर परियोजना, एकीकृत लघु एवं मध्यम टाउन एकीकृत विकास (आई.डी.एस.एम.टी.), आदि जैसे कार्यक्रमों को कुछ शहरी आवश्यकताओं को पूरा करने में अलग-अलग सफलता प्रदर्शित की है। परा-राजकीय और विकास प्राधिकरणों के गठन का उद्देश्य यह है कि वे उन कार्यों को हाथ में लेने की बजाय, जो वस्तुतः शहरी स्थानीय निकायों के हैं, निर्वाचित निकायों को समर्थन और सहायता देने की भूमिका निभाएं।

27.3 भारतीय नगरों में आये बदलाव से अनेक संरचनात्मक बाधाएं सामने आ रही हैं - कमजोर या पुरानी शहरी प्रणालियां जिनमें आयोजना प्रणालियां और सेवा डिलीवरी मॉडल्स, शहरी गरीबों पर ध्यान केंद्रण का एतिहासिक अभाव 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार निर्वाचित निकायों को पूरे कार्य न सौंपना नगरपालिका की प्रगति की ओर शहरी प्रबंधन और शासन संरचना जो विभिन्न राज्य स्तरीय एजेंसियों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज़) में विभाजित है की ओर ध्यान न देना।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

27.4 भारतीय नगरों में लोगों के जीवन की गुणवत्त के क्रमोन्नयन और समावेशी विकास और शहरों में मानवीय भौतिक ओर वित्तीय अवंसरचना के विकास की धारणीयता हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) 7 वर्षीय कार्यक्रम दिसम्बर, 2005 में शुरू किया गया जो नगरों की अवसंरचना आवासन विकास और क्षमता के विकास के लिए ठोस केंद्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सहायता नगर विकास योजनाओं (सीडीपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के अनुमोदन और सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद ही प्रदान की जाती है। अतः मुख्य रूप से 2007-08 में परियोजनाओं के कार्यान्वयन में गति पकड़ने और परियोजना की मंजूरी में कुछ समय लगा है।

27.5.1 इस कार्यक्रम के चार घटक हैं -

- शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) : जल आपूर्ति, मल निकास, ठोस उत्सर्जन प्रबंधन और सड़कों आदि के लिए 65 मिशन शहरों में शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) घटक इसके लिए कुल 31500 रुपए का आबंटन किया गया।

- शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं (बीएसयूपी) : 65 मिशन शहरों के लिए आवास और गंदी बस्ती विकास परियोजना के लिए बीएसयूपी। इसके लिए कुल आबंटन 16332 करोड़ रुपए रखा गया है।

- छोटे और मध्यम कस्बों के लिए अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) : ये घटक शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए जल आपूर्ति, मल निकास, ठोस उत्सर्जन प्रबंधन सड़क आदि की व्यवस्था छोटे और मध्यम कस्बों में करता है इसके लिए कुल आबंटन 11400 करोड़ रुपए रखा गया है।

- एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) : यह घटक गैर मिशन नगरों/ कस्बों में आवास और एकीकृत गंदी बस्ती विकास करता है। इसके लिए कुल 6811 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है।

27.5.2 उप मिशन I के अंतर्गत कुल अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) 461 परियोजनाओं के लिए 23411.09 करोड़ रुपए की वचनबद्धता की गई और 27.3.2009 को जारी एसीए 7428.40 करोड़ रुपए थी। उप मिशन-2 के अंतर्गत कुल 461 परियोजनाओं के लिए 12756.64 करोड़ रुपए की वचनबद्धता की गई जबकि 24.3.2009 को 3749.64 करोड़ रुपए की कुल एसीए जारी की गई। एकीकृत आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) के अंतर्गत कुल 828 परियोजनाओं के लिए 5603.94 करोड़ रुपए के कुल एसीए का प्रावधान किया गया और 31.3.2009 को 2581.06 करोड़ रुपए जारी किए गए और छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) 747 परियोजनाओं के लिए 12777.81 करोड़ रुपए की एसीए की वचनबद्धता की गई और 31-3-2009 को 5820.70 करोड़ रुपए की एसीए जारी की गई।

27.5.3 जेएनएनयूआरएम से अपेक्षित परिणामः-

i) परिष्कृत शासन और सेवा मुहैया कराने के लिए वित्तीय दृष्टि से धारणीय नगर।
ii) शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं पर आदर्श पहुंच।
iii) शासन में पारदर्शिता और उसकी जवाबदेही।
iv) आधुनिक पारदर्शी बजटीय व्यवस्था, लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन प्रणालियां अपनाना।

27.5.4 जेएनएनयूआरएम के सफल कार्यान्वयन के लिए शासन संबंधी सुधार केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। राज्यों के साथ भारत सरकार की सहायता को जोड़ कर, शहरी शासन का सुधार एक सहायक रणनीति पर आधारित है। जेएनएनयूआरएम का विचार है कि राज्य और शहरी स्थानीय

निकाय स्तरों पर श्रृंखलात्मक सुधार किए जाएं ताकि शहरी प्रबंधन और शहरी गरीबी उपमशन के मुद्दों का सभी गरीबों को धारणीय आधार पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा कर किया जाए।

शहरी परिवहन

27.6.1 राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006 की सार्वजनिक परिवहन और अवसंरचना में निवेश के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय सहायता के माध्यम से एकीकृत भूमि उपयोग का विकास और परिवहन संबंधी आयोजना के लिए प्रयास किए जाएं। इस में संस्थागत और वैयक्तिक स्तरों पर क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया है।

27.6.2 शहरीं परिवहन की सहायता स्कीमें : शहरी परिवहन परियोजना के लिए विस्तृत यपरियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करने हेतु सरकार ने केंद्रीय वित्तीय सहायता राशि 40% से बढ़ा कर 80% कर दी है। इस स्कीम के तहत शहरी परिवहन संबकंधी मामलों का व्यापक भार; जिस में व्यापक एवं एंकीकृत भूमि उपयोग, गतिशीलता योजनाएं, कुशल परिवहन प्रणाली (आईटीएस), राष्ट्रीय परिवहन नीति, 2006 के अनुसार जागृति अभियान चलाना आदि शामिल हैं। 11वीं योजना में 152 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्रत्याशित व्यय 19.83 करोड़ यप्ए (13.4%) हुआ। इसके अतिरिक्त, राष्ट्र, राज्य और नगर तथा संस्थागत स्तरों पर धारणीय शहरी परिवहन व्यवस्था के लिए क्षमता निर्माण की नई स्कीम की पहल भी 2009-10 के दौरान की गई।

27.6.3 जेएनएनयूआरएम के तहत शहरी परिवहन बसों का वित्त पोषणः शहरी परविहन को तर्कसंगत बनाने के लिए 65 मिशन शहरों में जेएनएनयूआरएम के तहत बसों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता द्वितीय आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के रूप में उपलब्ध कराई गई है। 15260 बसों के लिए 2092 करोड़ रुपए की स्वीकार्य वित्तीय सहायता को शहरी परिवहन सुधारों से जोड़ा गया है, जिनकी शुरूआत राज्य और नगर के स्तर पर की जानी है जैसे - समर्पित शहरी परवहन निधि की स्थापना, एकीकृत मैट्रोपॉलिटन परिवहन प्राधिकरण, पार्किंग नीति, विज्ञापन नीति आदि। 5000 आधुनिक कुशल परिवहन प्रणालियों से लो फ्लोर और अर्ध - लो - फ्लोर वाली बसें पहले ही लगभग 30 शहरों में भेजी जा चुकी हैं।

जन द्रुत आवागमन प्रणाली (एमआरटीएस)

27.7.1 अनेक राज्यों से मैट्रो परियोजनाओं की स्थापना हेतु उत्तरोत्तर रूप में मांग आती रही है, जो उच्च रूप में कैपिटल सघन है और जहां किरायों से आने वाला राजस्व कैपिटल एवं प्रचालन लागत का रखरखाव नहीं कर पाए हैं। अभी तक मंजूर की गई मैट्रो परियोजनाओं को ही अपने लिए लगभग 70,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मैट्रो परियोजनाओं के आबंटन हेतु 3303 करोड़ रुपए हैं जिस में पास थ्रो सहायता की 1203 करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है।

27.7.2 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए प्रत्याशित व्यय 8318 करोड़ रुपए है, जिसमें जापान अंतरराष्ट्रीय सहकारिता एजेंसी (जेआईसीए) से 5027 करोड़ रुपए की पास थ्रो सहायता भी शामिल है। खर्च का यह तीव्र उछाल दिल्ली मैट्रो रेल परियोजना को समयबद्ध रूप से पूरा करने के संबंध में हुआ है, जिस में नोयडा और गुड़गांव एक्सटेंशन का व्यय भी शामिल है, जिसे राष्ट्र मंडल खेलों को मद्देनजर रखते हुए पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त बंगलौर, चेन्नै और कोलकाता को भी मंजूरी दे दी गई है और वे कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

27.7.3 यह ध्यान देने योग्य है कि प्रमुख शहरी परियोजनाओं के लिए निजी सहभागिता के मार्ग ढूंढ लिए गए हैं और मुम्बई तथा हैदराबाद मैट्रो परियोजनाएं पीपीपी मॉडल पर शुरू की जा रही हैं, जिस में केंद्र सरकार से भी व्यावहारिक अंतराल के वित्त पोषण का प्रावधान भी रखा गया है।

27.7.4 सार्वजनिक परिवहन के लिए उचित प्रौद्योगिकी को चुनना शहर विशेष की भूमि के उपयोग और परिवहन की जरूरत पर निर्भर करेगा। सामान्य रूप में, शहर जिनकी आबादी 3 मिलियन एवं इससे अधिक है उन्हें उच्च कॉरिडोर मांग आधार पर मैट्रो रेल प्रणालियों की जरूरत होगी। कम मांग वाले कॉरिडोर्स के लिए अन्य विकल्प जैसे लाइट रेल ट्रांजिट (एलआरटी) मैट्रो रेल और बस द्रुत आवागमन प्रणाली (बीआरटीएस), कुशल परिवहन प्रणाली के उपयोग (आईटीएस), यातायात प्रबंधन आदि की जरूरत होगी और उन्हें प्राथमिकता देनी होगी।

सैलाइट कस्बों/ मिलियन प्लससिटीज के काउंटर मैगनैटस के विकास हेतु शहरी अवसंरचना स्कीम

27.8 शहरी अवसंरचना सुविधाएं जैसे पेय जल, मल निकास प्रणाली और ठोस उत्सर्जन प्रबंधन आदि और सेटलाइट कस्बों/ काउंटर मैगनेट्स जो सात मेगा शहरों के आसपास हैं, में इस स्कीम का कार्यान्वयन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि इन बड़े शहरों पर दबाव को कम किया जा सके। क्योंकि यह स्कीम हाल ही में जुलाई, 2009 में अनुमोदित की गई थी। अतः पहले 3 वर्षों के दौरान मात्र सांकेतिक आबंटन ही किया गया और राज्य सरकार आदि द्वारा सीडीपी (ज) और डीपीआर (ज) आदि तैयार की जा रही हैं। वार्षिक योजना 2008-09 और 2009-10 के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। फिर भी, 2007-08 के दौरान कोई भी वास्तविक खर्च की रिपोर्ट नहीं मिली क्योंकि इस स्कीम को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया जा रहा था।

नगरपालिकाओं में ई शासन के लिए राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना (एनएमएमपी)

27.9 11वीं योजना में इस स्कीम के लिए 583 करोड़ रुपए का परिव्यय इस लक्ष्य के साथ उपलब्ध कराया गया कि किसी भी समय, कहीं भी नागरिकों को एक स्थान पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि यूएलबी (ज) की गतविधियों में क्षमता और उत्पादकता बढ़ सके और नागरिकों को समय पर विश्वसनीय सूचनाएं दी जा सके। 35 शहरों के लिए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है वहां जेएनएनयूआरएम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित की जाने के लिए पूर्ण योजना आयोग ने इस स्कीम का अनुमोदन किया है और अन्य शहरों और कस्बों के लिए एक नई सीएसएस स्कीम का अनुमोदन किया है। फिर भी शहरों ओर कस्बों के लिए नई सीएसएस स्कीम 35 शहरों के अलावा अन्य शहरों के लिए होगी और उन्हें इसका इंतजार जेएनएनयूआरएम के तहत 35 शहरों में कार्यान्वयन होने तक इंतजार करना पड़ेगा। प्रथम 3 वर्षों के दौरान इस पर बहुत कम व्यय हुआ है। सभी 65 मिशन शहरों को कवर करने के लिए इस स्कीम का विस्तार किया गया है। इस स्कीम के लिए जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत क्षमता निर्माण के तहत सहायता/ निधि का प्रावधान किया जाता है! वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 10 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया और वार्षिक योजना 2009-10 के लिए 1 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी)

27.10 एनसीआर योजना बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में नागरिक सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। ये सहायता सोफ्ट दीर्घकालीन आधार पर सहभागी राज्य सरकारें और अन्य पैरास्टेटल्स को एनसीआर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार वाले राज्यों और पहचान किए काउंटर मैगनेट क्षेत्र (सीएमए) कस्बों में अवसंरचना विकास परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है। 11वीं योजना हेतु एनसीआरपीबी के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया था। पहले 3 वर्षों के लिए दी गई बजटीय सहायता 200 करोड़ रुपए का पूरी तरह सदुपयोग कर लिया गया है। बोर्ड बाहरी संसाधनों का सृजन भी करता है। एनसीआरपीबी ने 230 अवसंरचना परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है जिन पर 31 मार्च, 2009 तक 14929 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय निहित है। इसने परियोजनाओं के लिए कुल 5995 करोड़ रुपए की कुल ऋण राशि मंजूर की है और 31.3.2009 तक 4057 करोड़ रुपए की ऋण राशि का वितरण भी किया है। वार्षिक योजना 2008-09 और 2009-10 में एनसीआरपीबी को 50 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई थी। 2007-08 के दौरान वास्तविक व्यय 100 करोड़ रुपए था।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

27.11.1 एसजेएसआरवाई सब्सिडी और ऋण के माध्यम से शहरी स्वरोजगार को लक्षित करके शुरू की गई है, जिस में दक्षता श्विकास प्रशिक्षण का घटक 75: 25 के वित्त पोषण मानक पर केंद्र और राज्यों के बीच रखा गया है। 11वीं योजना के लिए 1750 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया। 2006 में स्कीम के स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार तथा राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों और अन्य भागीदारों के अनुसार स्कीम को पुनर्जीवित एवं परिष्कृत किया गया। शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए प्रौद्योगिकी और दिशा निदेशों की सिफारिशें करने हेतु एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जा रहा है।

27.11.2 1750 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले, 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 1391 करोड़ रुपए व्यय हुए, जो कि 80% से अधिक है। वार्षिक योजना 2008-09 और 2009-10 के लिए 515 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। 2007-08 के दौरान 341 करोड़ रुपए का व्यय किया गया और 1,81,000 शहरी गरीबों को सहायता दी गई तथा 248264 शहरी गरीबों को दक्षता प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

राष्ट्रमण्डल खेल

27.12 दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) खेल गांव, खेलों के लिए स्पर्धा स्थलों जैसे टेबल टेनिस, बैड मिंटन, स्कवैस और बिलियडर्स एवं स्नूकर्स आदि का आगामी राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के विकास का कार्य सौंपा गया। वर्ष 2007-08 के दौरान 76.70 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। दिल्ली में जरूरी खेल परिसरों की सुविधाओं के विकास के लिए 2009-10 के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और पूरी 11वीं योजना के लिए 325 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।

एकीकृत कम लागत साफ-सफाई स्कीम (आईएलसीएस)

27.13 स्कीम का उद्देश्य है कि सुपर स्ट्रक्चर के साथ दो पिट वाली फ्लश शौचालयों कमलागत वाली साफ - सफाई एककों का निर्माण/ कन्वर्जन किया जाए और उनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्नताएं भी हो सकती हैं। केंद्र, राज्य और लाभार्थियों के बीच निधिकरण का पैमाना

75:15:10 का रहेगा। स्कीम से 28 लाख शौचालयों को कनवर्ट करने/ उनका निर्माण करने में सहायता मिली है ओर अभी तक 60,000 मैला उठाने वालों को मुक्ति मिली है। 911 कस्बों को मैला उठाने वालों से मुक्त कर दिया गया है। मात्र चार राज्य यानि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंउ और जम्मू कश्मीर ने वहां शुष्क शौचालयों के होने की सूचना दी है। 11वीं योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है ओर योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए प्रत्याशित व्यय 174 करोड़ रुपए (87%) होगा। 2007-08 के दौरान 70.97 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। वार्षिक योजना 2008-09 के लिए 150 करोड़ रुपए और 2009-10 के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ हेतु एक मुश्त 10% का प्रावधान

27.14.1 अक्तूबर, 1996 में प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नई पहलों की घोषणा की, जिस में मंत्रालयों/ विभागों में योजना बजट का 10% भाग पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है। यदि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए किया गया वास्तविक व्यय निर्धारित 10% राशि से कम रहता है, तो इस राशि को सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए संसाधनों के नॉन - लैप्सेबल केंद्रीय पूल (एनएलसीपीआर) में अतिरिक्त करने की जरूरत है। इस पूल से जारी सहायता परियोजना के साथ जोड़ दी जाती है और उससे अलग करना संभव नहीं है। स्कीम के मुख्य उद्देश्य है-

- सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना का द्रुत विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के शहरी क्षेत्र की विशिष्ट महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं/ स्कीमों हेतु बजटीय वित्त पोषण के प्रवाह का बढ़ाना।
- सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में बुनियादी न्यूनतम सेवाओं और अवसंरचना के अंतराल को घटाने के लिए उचित परियोजनाएं शुरू करना।

27.14.2 इस स्कीम ने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे - क्रय परिसरों, सामुदायिक केंद्रों, सड़कों आदि के विकास में सहायता पहुंचाई है। 2008-09 के लिए 150.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया, जो कि संशोधित स्तर पर बढ़ा कर 167,03 करोड़ रुपए कर दिया गया। प्रचलित परियोजनाओं को पूरा करने के संबंध में किए गए व्यापक देनदारियों की वचनबद्धता नई परियोजनाएं मंजूर नहीं की जा सकीं। 180 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले 31 दिसम्बर, 2007 तक 113.30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 2007-08 के दौरान 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चूंकि यह एक सतत प्रचालन में रहने वाली स्कीम है, इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। 2009-10 के दौरान 150.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान शहरी विकास मंत्रालय और 50 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के लिए किया गया।

राजीव आवास योजना (आरएवाई)

27.15.1 भारत की राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को अपने संबोधन में 4 जून, 2009 को समावेशी शहरी विकास और मार्ग जिस पर नगरों और कस्बों में समावेशन हेतु नीति के निर्देश देने

जरूरी बनाने के लिए सकरार के दृष्टिकोण की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिनके माध्यम से इस विजन को हासिल किया जाना है, वह इस प्रकार हैं -

27.15.2 संसद में राष्ट्रपति का संबोधन "मेरी सरकार का प्रस्ताव है कि गंदी बस्तियों में और शहरी गरीबों के लिए राजीव आवास योजना शुय की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना की तर्ज पर शुरू की जाए। भागीदारी के माध्यम से वहनीय आवासन स्कीमें और शहरी आवास के लिए ब्याज सब्सिडी हेतु योजना को राजीव आवास योजना में संयोजित किया जाएगा, जिस में राज्यों को जेएनएनयूआरएम के तहत सहायता पहुंचाई जाएगी, जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों को सम्पत्ति के अधिकार सौंपने के इच्छुक हों। मेरी सरकार के प्रयास होंगे कि राजीव आवास योजना के माध्यम से पांच वर्षों के भीतर गंदी बस्ती मुक्त भारत का सृजन किया जाए।"

27.15.3 15 अगस्त, 2009 को राष्ट्र को प्रधान मंत्री का संबोधन "हमने शहरी क्षेत्रों के लिए जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया था। इम इस कार्यक्रम में और तेजी लाएंगे। आज हमारे बच्चे लाखों में गंदी बस्तियों में रहते हैं, जिन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। हम चाहते हैं कि हमारा देश जल्दी से जल्दी गंदी बस्ती मुक्त हो। अगले पांच वर्षों के भीतर, हम एक नई योजना - राजीव आवास योजना के माध्यम से गंदी बस्तियों में रहने वालों को बेहतरीन आवास सुविधाएं उपलब्ध कराएंगें।"

27.15.4 आरएवाई बनाने संबंधी प्रगतिः राजीव आवास योजना पर दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया, जो राज्य सरकारों, नगरपालिका कार्मिकों, विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी प्रतिनिधियों, विकासकर्ताओं आदि की सिफारिशों पर आधारित था और इसे सिद्धांत रूप में हाल ही में योजना आयोग से संपुष्टि मिल गई है। स्कीम के अनुमोदन से पहले आगे के परामर्श की कार्यवाही जारी है। निम्नलिखित ध्यान केंद्रण के प्रमुख क्षेत्र हैं -

(i) कानूनों के माध्यम से गंदी बस्ती में रहने वालों को संपत्ति के अधिकार सौंपना, ताकि वह सम्पत्ति विरासत में मिलने योग्य, मोरगेज योग्य और वस्तुतः एलियनेबल हो सके।

(ii) पीपीपी आधार पर गंदी बस्तियों के विकास के लिए स्थानीय जोनिंग एफएसआई शिथिलताओं के माध्यम से विकासकर्ताओं के प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान।

(iii) आरएवाई की यूनिटों के लिए दस्तावेजन का सरलीकरण, स्टाम्प ड्यूटी/ पंजीकरण शुल्क में कमी लाना।

(iv) दीर्घ कालीन व्यावहारिक प्रणाली के सृजन के लिए हमें तीन इकाइयों की आवश्यकता है यानि (i) सामूहिक आवास सोसायटी, जोजमीन स्तर पर एनएचजी (ज0 के बराबर हैं (ii) स्थानीय एवं अनंतिम संगठन के यप में जैसे एनजीओ (ज) और बैंक प्रतिनिधि/ एजेंट और सूक्ष्म वित्त संस्थान जो ऋण लेने आदि में सहायता कर सकें। (iii) काफी मात्रा में वित्त संस्थानों को कवर करने के लिए शीर्ष स्तर पर जोखिम से निबने के लिए आवास ऋण गारंटी प्रणाली।

भागीदारी आधार वहनीय आवास

27.16.1 ईडब्ल्यूएस/ एलआईजी/एमआईजी संकमैंटस के लिए जिसको कम से कम 25% ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षित हो के एक मिलियन घरों के निर्माण हेतु भागीदारी के साथ 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय पर वहनीय आवास के लिए सरकार से एक नई स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत विभिन्न एजेंसियों, केंद्र और राज्य सरकारों/ पैरास्टेटल्स आवास सबोर्ड, विकास प्राधिकरण, शहरी आवास निकाय/विकासकर्ता आदि के बीच भागीदारी के माध्यम से राष्ट्रीय शहरी आवास एवं प्रवास नीति की परिकल्पना के अनुसार सभी के लिए वहनीय आवास के लक्ष्य की दृष्टि से है।

27.16.2 भागीदारी सकीम के तहत सभी वहनीय आवास जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत हैं।

आवास एवं शहरी विकास निगम लि0 (हुडको)

27.17 आवास और शहरी विकास निगम लि0 (हुडको) को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पूरी तरह सरकार के सवामित्व की कंपनी के यप में इस मुख्य उददेश्य के साथ शामिल किया गया कि देश में आवास और शहरी विकास परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा सके। भवन सामग्री उद्योग और नई नई टाउनशिप की स्थापना के लिए निगम का प्रस्ताव है कि वर्ष 2008-09 में 13,340 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए जाएं तथा 6200 करोड़ रुपए की राशि जारी करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2008-09 के लिए हुडको कीवचनबद्धता है कि कुल मंजरू की गई सभी आवासीय एककों को 85% तक मंजूरी दे दी जाए, जो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लिए है। 2008-09 के लिए हुडको के आंतरिक और बाह्य संसाधन 7769.86 करोड़ रुपए हैं।

27.18 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय का स्कीमवार आबंटन संलग्नक-2 में दर्शाया गया है।

संलग्नक-27.1

वार्षिक योजना (2009-10) परिव्यय का स्कीमवार वर्गीकरण

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम	वार्षिक योजना (2007-08)	वार्षिक योजना (2008-09)		वार्षिक योजना (2009-10)
		वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)
1	2	3	4	5	6
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें**				
1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को अंशदान	100.00	50.00	50.00	50.00
2	शहरी क्षेत्रक में अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण + क्षमता निर्माण शहरी क्षेत्रक + पीएचई में प्रशिक्षण	3.72	47.00	45.52	40.50
3	वैश्विक पर्यावरण सुविधा निधि	0.03	0.50	1.50	1.00
4	ई-शासन पर राष्ट्रीय मिशन मोड परियोजना		10.00	10.00	1.00
5	शहरी परिवहन				
	i) कोलकाता मैट्रो				1002.00
	ii) बंगलौर एमआरटीएस	134.00			
	iii) सभी मैट्रोज के लिए अधिनस्थ ऋण एवं इक्विटी	663.00	900.00	1206.69	
	iv) भू अधिग्रहण (डीएमआरसी)	152.50			
	v) अन्य- डीएमआरसी - नोएडा एवं गुड़गावं	47.90			
	vi) ओईसीएफ के लिए पासथ्रो सहायता				
	vii) जेबीआईसी से पासथ्रो सहायता	1087.50	960.00	2781.51	1310.00

क्र0 सं0	स्कीम	वार्षिक योजना (2007-08)	वार्षिक योजना (2008-09)		वार्षिक योजना (2009-10)
		वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)
1	2	3	4	5	6
	viii) शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण, विश्व बैंक/ एडीबी से सहायता	0.84	30.00	2.05	0.08
	ix) अन्य	3.73			
6	कंप्यूटरीकरण	1.97	1.00	1.21	1.00
7	कुछ चुनिंदा शहरों में हवाई अड्डों के पास ठोस उत्सर्जन प्रबंधन संबंधी पायलट परियोजना				
8	सामान्य पूल आवास (रिहायशी)	187.70	100.00	150.64	260.00
9	सीपीडब्ल्यूडी प्रशिक्षण संस्थान	2.80	3.00	4.50	4.85
10	सामान्य पूल आवास (गैर आवासीय)	67.04	75.00	75.00	75.00
11	कंप्यूटरीकरण (सीपीडब्ल्यूडी)	3.65	6.00	5.21	5.00
12	पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए लाभ हेतु परियोजनाओं/ स्कीमों के लिए एक मुश्त सहायता का प्रावधान	270.00	150.00	167.03	160.00
13	राष्ट्रमण्डल खेल	76.70	125.00	125.00	125.00
14	राष्ट्रीय शहरी अवसंरचना निधि (एनयूआईएफ)				
15	शहरी स्थानीय निकायों के लिए क्षमता निर्माण - यूएनडीपी से सहायता	2.96	1.00	2.48	0.00
16	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए प्रशासनिक व्यय	5.82	15.00	15.00	15.00
17	सैटलाइट शहरों/ काउंटर मैगनेट शहरों का विकास	0.02	5.00	5.00	5.00

क्र0 सं0	स्कीम	वार्षिक योजना (2007-08)	वार्षिक योजना (2008-09)		वार्षिक योजना (2009-10)
		वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)	संशोधित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय (बीई)
1	2	3	4	5	6
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र यूडी परियोजना		1.00	1.00	1.00
19	चुनिंदा शहरों में हवाई अड्डों के पास ठोस उत्सर्जित पदार्थों के निपटान हेतु पायलट परियोजना			0.01	12.56
	कुल- क	**2812.38**	**2479.50**	**4649.35**	**3058.99**
ख	**केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें**				
1	राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एनयूआईएस)	7.86	0.50	2.00	1.00
2	छोटे कस्बों में एयूडब्ल्यूएसपी का विस्तार	32.50			
3	पूल्ड फाइनेंश विकास निधि (पीएफडीएफ)	5.66	20.00	0.01	0.01
	कुल - ख	**46.02**	**20.50**	**2.01**	**1.01**
	कुल (क+ख) =	**2858.40**	**2500.00**	**4651.36**	**3060.00**

संलग्नक-27.2

* वार्षिक योजना (2009-10) के लिए परिव्ययों का स्कीमवार वर्गीकरण

(करोड़ रूपए में)

क्र0 सं0	स्कीम	वार्षिक योजना (2007-08)	वार्षिक योजना(2008-09)		वार्षिक योजना(2009-10)
		वास्तविक परिव्यय	परिव्यय	संशोधित परिव्यय	परिव्यय
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम**				
1	भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (बीएमटीपीसी)	7.00	7.00	7.66	7.00
2	राष्ट्रीय सहकारिता आवास (एनसीएचएफ को अनुदान)	0.40	0.40	0.40	0.40
3	शहरी गरीबों के लिए राष्ट्रीय रणनीति हेतु यूएनडीपी सहायता	2.18	5.00	1.10	0.01
4	कंप्यूटरीकरण	0.13	1.60	0.60	1.00
5	एचआर और मूल्यांकन के लिए शहरी सांख्यिकी (यूएसएचए)	7.27	10.00	10.00	15.00
6	भवन केंद्र स्कीम	0.00	1.00	0.01	1.00
7	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के लिए प्रशासनिक खर्च	14.00	15.00	13.60	20.00
8	पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए एक मुश्त प्रावधान	50.00	50.00	50.00	50.00
9	शहरी गरीबों के आवासन के लिए ब्याज सब्सिडी स्कीम (आईएसएसएचयू)	0.00	95.00	0.00	180.59
	कुल - क	**80.98**	***185.00***	**114.77**	***275.00***
ख	**केन्द्र प्रायोजित स्कीमें**				
1	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई))	341.00	515.00	515.20	515.00
2	एकीकृत कम लागत स्वच्छता (आईएलसीएस)	70.97	150.00	40.03	60.00
	कुल-ख	411.97	665.00	555.23	575.oo
	कुल (क+ख)	**492.95**	**850.00**	**670.00**	**850.00**

अध्याय-28

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी

परिचय

28.1 वैश्विक दृष्टिकोण के अनिश्चित होने के बावजूद भी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी बिजनेस प्रोसैस आउटसोर्सिंग (आईटी-बीपीओ) उद्योग वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान धारणीय विकास हासिल करने में सफल रहा। आईटी-बीपीओ उद्योग के कुल राजस्व में 12% से अधिक वृद्धि की उम्मीद है और यह 2008-09 में 71.7 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा जबकि 2007-08 के दोरान यह 64 बिलियन यूएस डॉलर था। भारतीय सोफ्टवेयर एवं सेवा निर्यात जिस में आईटीईएस-बीपीओ निर्यात भी शामिल है, अनुमान है कि यह 2008-09 के दौरान 47 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, जबकि 2007-08 में यह 40.4 बिलियन यूएस डॉलर था इस प्रकार इसमें 16.3% की वृद्धि देखी गई है। 2007-08 के दौरान 23.1 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले 2008-09 में यह 26.9 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इस प्रकार 2008-09 के दौरान 16.5% की वृद्धि दर्शाई है। आईटी-बीपीओ निर्यात 2007-08 के दौरान 10.9 बिलियन यूएस डॉलर का और 2008-09 के इसके 12 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, इस प्रकार वर्ष दर वर्ष विकास 17.4% रहा है।

वार्षिक योजना 2008-09 के निष्पादन की समीक्षा

28.2 1680 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता के मुकाबले संशोधित अनुमान 1450 करोड़ रुपए था। फिर भी, वास्तविक व्यय 1516.65 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008-09 के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का वार्षिक योजना परिव्यय एवं जीबीएस संलग्नक-1 पर है।

तालिका 28.1 : आईटी उद्योग का उत्पादन

(करोड़ रुपए में)

मद	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
आईटी हार्डवेयर	37,050	43,800	50,500	56,000	60,000	80,800	94,690
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	59,000	74,490	1,01,920	1,29,660	1,78,800	2,10,300	2,73,530
कुल	96,950	1,18,290	1,52,420	1,85,660	2,45,600	2,91,100	3,68,220

उत्पादन की रूपरेखा

28.3 सॉफ्टवेयर और सेवा उद्योग जो कि निर्यात पर संचालित है, यह सतत् रूप से इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी उद्योग पर हावी बना हुआ है। भारतीय इलैक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी/ आईटी सब्सिडियरी की उत्पादन एवं विकास प्रवृत्ति 2003-04 से तालिका 28.1 में दर्शाई गई है।

28.4 2008-09 के दौरान कुल आईटी और सॉफ्टवेयर सेवा रोजगार 2.23 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। इसमें हार्डवेयर उद्योग का रोजगार शामिल नहीं है। इस प्रकार 10.9% का वार्षिक विकास देखा गया है। 2008-09 के दौरान इस क्षेत्रक का रोजगार में 8.0% का योगदान रहा। राष्ट्रीय जीडीपी में, इस उद्योग का योगदान 2007-08 में 5.5% था, अनुमान है कि 2008-09 में यह 5.58% तक पहुंच जाएगा।

2008-09 के दौरान इलैक्ट्रानिक्स और आईटी निर्यात 2,35,300 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि 2007-08 के दौरान 1,77,600 करोड़ रुपए था, इस प्रकार इस में 32.5% वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय ई-शासन योजना

28.5 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 7 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्टेट वाइड एरिया नेअवर्क (स्वान) कार्यान्वयन पूरा कर लिया है। जबकि 12 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में यह कार्यान्वयन के उन्नत स्तर पर है। डीआईटी ने स्टेट डेटा सैंटर्स (एसडीसी) की स्थापना के लिए 31 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1378.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार कॉमन सर्विस सैंटर्स की संख्या 20 राज्यों में 36485 थी। क्षमता विकास स्कीम के समग्र कार्यान्वयन और समन्वय के लिए विभाग में एक क्षमता निर्माण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। पायलैट ई-जिला परियोजना, जिनकी शुरूआत 2007 में की गई थी, विस्तार 14 राज्यों तक कर दी गई है और इसके तहत 36 जिलों को कवर किया गया है।

इलैक्ट्रॉनिक्स/ आईटी हार्डवेयर का निर्माण

28.6 भारत में सेमी कंडेक्टर फैबरीकेशन और अन्य सूक्ष्म नैनो प्रौद्योगिकी विनिर्माण उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए 21 मार्च, 2007 को विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्कीम की घोषणा की गई थी, जिसे भावी निवेशकों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 1,57,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 17 निवेश प्रस्ताव, जिसके तहत आगामी 10 वर्षों के दौरान सेमी कंडेक्टर फैबरिकेशन, एलसीडी पैनल विनिर्माण और सौर फोटो वोल्टाइक संस्थापित करना शामिल है, को इस स्कीम की व्याप्ति में लिया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र

28.7 टियर-2 और टियर-3 के शहरों के लिए अवसंरचना सुविधाएं विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि पांच टियर-1 शहरों में अतिरिक्त वाणिज्यिक स्थल के निर्माण की बहुत कम संभावना है, वे हैं नई दिल्ली, बंगलौर, हैदराबाद, मुम्बई और चेन्नै। केंद्र सरकार द्वारा 29 मई, 2008 को सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्रों की स्थापना के संबंध में नीतिगत संकल्प की अधिसूचना जारी की गई। यह पारदर्शी और निवेश अनुकूल नीति आईटी, आईटीईएस/ इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण एककों में निवेश को बढ़ाने में सहायक होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008

28.8 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है। यह अधिनियम मौजूदा विधिक रूपरेखा को क्रमोन्नत करता है ताकि उपभोक्ताओं और निवेशकों में देश में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति विश्वास लाया जा सके। यह अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में कुछ प्रावधानों को और शामिल करता है ताकि नए साइबर अपराधों जैसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मैटेरियल को इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रसारित करना, गोनीयता को भंग करना और बिचौलिए के माध्यम से आंकड़ों को लीक करना तथा ई-वाणिज्यिक षड़यंत्र को भी शामिल करता है।

राष्ट्रीय ज्ञान नैटवर्क

28.9 सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान नैटवर्क (एनकेएन) स्थापित करने का निर्णय लिया था, जिस में स्केलेवल मल्टी गीगाबाईट क्षमता हो जो अब भी 1000 मोड्स को जोड़ता है, जिसके तहत देश के विश्वविद्यालय,

अनुसंधान संस्थान, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, अस्पताल और कृषि संस्थान कवर किए गए हैं। यह ई-शासन के लिए भी रीड की हड्डी साबित होगा। सूचना और ज्ञान के प्रवाह के साथ यह नैटवर्क महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे सुलभता, सहयोग के नए प्रतिमानों का सृजन और देश में अनुसंधान प्रयासों का सम्पन्न बनाएगा। केएनएन की स्थापना का आरंभिक चरण 2.5 जीबीपीएस क्षमता पर निकनेट के 15 पीओपी (ज) का क्रमोन्नत करके शुरू किया जाएगा। छह आईआईटी (ज) पर एनकेएन के छह कृत्रिम श्रेणी कक्षा स्थापित कर लिए गए हैं।

भारतीय भाषा प्रौद्योगिकियां

28.10 गुजराती, संस्कृत बोडा, डोगरी, मैथाली और नेपाली के लिए सोफ्टवेयर टूल्स और फोंट्स सार्वजनिक क्षेत्र में जारी कर दिए गए हैं जिनका निःशुल्क उपयोग किया जा सकता है। यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 10 भारतीय भाषाओं यानि तमिल, हिंदी, तेलुगु, मराठी, उर्दू, पंजाबी, उड़ीया, कन्नड़, असमिया और मलयालम के सोफ्टवेयर और फोन्टस के अतिरिक्त हैं, जो पहले से ही निःशुल्क जन उपयोग हेतु सार्वनजिक डोमेन पर डाल दिए गए हैं।

अनुसंधान और विकास

28.11 'मल्टीपलायर ग्रांट्स स्कीम' नामक स्कीम उद्योग और एकादमियों/ आरडी संस्थानों के बीच आरडी सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि उत्पादों और पैकेजों का विकास किया जा सके। अन्य स्कीम प्रौद्योगिकी समावेशन के सुदृढ़ीकरण और उद्यमियों के विकास के लिए इलैक्ट्रॉनिक्स और आईसीटी के क्षेत्र में शुरू की गई थी, ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों में इन केंद्रों के साथ शामिल किया जा सके। स्कीम के तहत 15 टीआईडीई केंद्र पिछले चार वर्ष से कुल 23.40 करोड़ रुपए के परिव्यय पर सहयोग प्रदान करेंगे।

नैनोटैक्नोलॉजी विकास

28.12 नैनोटैक्नोलॉजी के क्षेत्र में विभाग ने 'इंडियन नैनोइलैक्ट्रॉनिक्स की पहल की थी, जिसके लिए 24.89 करोड़ रुपए का परिव्यय आईआईटी, मुम्बई और आईआईएससी, बंगलौर हेतु रखा गया था। यह आईएनयूपी कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 750 से अधिक प्रशिक्षित छात्र, व्यावसायिक वैज्ञानिक और इंजीनियर्स आदि विभिन्न स्तरों पर तैयार किए जाएं। यह परियोजना नैनोइलैक्ट्रॉनिक्स में 40 अनुसंधान परियोजनाएं भी शुरू करेगी। एमईएमएस के लिए फंक्शनल नैनो स्ट्रक्चर्स के सिथेसिस और कैरेक्टराइजेशन पर नई आर एंड डी परियोजना और ओप्लोइलैक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन्स आईआईटी रूड़की के साथ शुरू की गई है, जिसके लिए 4.84 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है।

उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र (सीडैक)

28.13 सीडैक द्वारा विकासित 'परम युवा' नामक सुपरकम्प्यूटिंग सिस्टम, शीर्ष 500 की सुपर कंप्यूटिंग सूची में क्रम संख्या 68 पर रहा है, जिसे नवम्बर, 2008 में जारी किया गया था। पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग पर सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन किया जा चुका है।

राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी)

28.14 कार्य प्रवाह आधारित अनेक एप्लिकेशन्स और सेवाएं जैसे वीडियो कॉनफ्रेंसिंग, ई-मेल, वैब पोर्ट, ई-लर्निंग जियोमेटिक्स आदि निकनैट अवसंरचना के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रकों में लगाए गए थे, ताकि देश में ई-शासन पहलों की शुरूआत हो। विभिन्न सरकारी एजेंसियों से संबंधित अतिरिक्त 500 पोर्टलस की व्यवस्था की गई। मुक्त प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ की स्थापना भी की गई, ताकि मुक्त प्रौद्योगिकी के समाधान

किए जा सकें। देश में 14000 कचहरियों के कंप्यूटराइजेशन की परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ई-शासन पर विशेषज्ञ समितियों ने डिजीटल हस्ताक्षर बायोमैट्रिक्स, मेटा-डेटा, डेटा मानक इन्टर ऑपरेब्लिटी हेतु प्रौद्योगिकी मानकों के लिए मानक तैयार किए हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग सेवा

28.15 1:50,000 स्केल पर राष्ट्रीय जीआईएस आंकड़ों पर संवर्धन भारतीय सर्वेक्षण और सैटलाइट संचालित सूचनाओं और उनके अपडेट्स से किया गया है जैसे परिवहन, नेटवर्क, जल निकाय, आर्द्र भूमि, भूगर्भ, जियोमोर्फोलॉजी आदि। एसओआई के साथ कुछ जिलों की ग्राम स्तरीय चार दिवारी का प्रमाणीकरण भी किया गया। फ्रेमवर्क डिजीटल स्पेशियल डेटा, गांव की स्थिति और चार दीवारी की सटीकता की दृष्टि से तथा ग्राम पंचायत दिवारों, अवस्थिति आधारित अवसंरचना जैसे - स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में भी कार्रवाई की गई है। उच्च रैजोल्यूशन मैपिंग के मामले में 5 मीटर की दूरी पर कंट्री कवरेज का कार्य एनआरएमए के साथ मिल कर किया जा रहा है और जिला मुख्यालय और कस्बों की स्थिति का मानचित्रण फाइन रैजोल्यूशन (60 से.मी. से 2 मीटर) सैटलाइट संचालित उत्पादों द्वारा क्विक बर्ड डेटा के माध्यम से पूरा किया।

यूटिलिटी मैपिंग

28.16 शहरों - अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नै, हैदराबाद, कोलकाता और मुम्बई में कंप्यूटर एडिड डिजिटल मेपिंग परियोजना के तहत स्थापित आंकड़ा अवसंरचना की व्यवस्था की गई है। संबंधित एनआईसी और यूटिलिटी एजेंसियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की कार्रवाई बंगलौर के अलावा सभी शहरों में पूरी कर ली गई है। यह प्रणाली कोलकाता में प्रचालन कर रहा है और यूटिलिटी आंकड़ों को पूरा करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

मानकीकरण, टैस्टिंग और गुणवत्ता प्रमाणीकरण (एसटीक्यूसी)

28.17 चालू वित्त वर्ष के दौरान की गई प्रमुख पहलों में एक है - आईटी विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए एसटीक्यूसी, आईटी सेवाओं में तीव्र विकास करना। इन सेवाओं में शामिल हैं - सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली सोफ्टवेयर क्वॉलिटी एश्योरेंस और आईटी सेवा प्रबंधन में प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण। इसी के साथ परम्परागत एसटीक्यूसी सेवाएं जैसे टैस्टिंग, कैलीबरेशन, सर्टीफिकेशन और प्रशिक्षण का समकीकरण और विस्तारण भी किया गया। इन पहलों के परिणामस्वरूप राजस्व अर्जन में वृद्धि भी जारी रही। यह वर्द्धित उत्पादकता, अतिरिक्त सेवाओं और अवसंरचना के क्रमोन्नयन एवं सेवाओं के परिणामस्वरूप ही संभव हो पाया है। दिल्ली, कोलकाता, बंगलौर और हैदराबाद और चेन्नै में आईटी केंद्र स्थापित किए गए जो आईटी, सुरक्षा, साफ्टवेयर टैस्टिंग, सोफ्टवेयर क्वालिटी एस्योरेंस ट्रेनिंग और आईटी सेवा प्रबंधन में (ट्रेनिंग और सर्टीफिकेशन) में सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। टैस्टिंग एंड ऑडिट ऑफ एमसीए 21 कंपनी मामलों के मंत्रालय की परियोजना (ई-शासन एमसीए 21 परियोजना) के गुणवत्ता और सुरक्षा पहलू पूरे कर लिए गए हैं। यह पहली ई-शासन सेवा परियोजना है, जिसकी अंक प्रति अंक तक आवश्वासन रहता है।

वार्षिक योजना 2009-10

28.18 वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान 25,300.00 करोड़ रुपए का परिव्यय डीआईटी को आबंटित किया गया। वार्षिक योजना 2009-10 में ध्यानकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र/ गतिविधियां इस प्रकार हैं -

एसएएमईईआर (समीर)

28.19 समीर की वार्षिक योजना में अब भी हाउस प्रौद्योगिकी विकास के जरिए प्रमुख आर एंड डी पर ध्यान केंद्रण किया जाता है और आज के वैश्विक परिदृश्य के संदर्भ में प्रौद्योगिकी को मद्देनजर रखा जाता है। इस समय चल रहे प्रमुख कार्यक्रम हैं - फैबरिकेटिंग 6 मेव लिनियर एक्सिलेटर। विभिन्न औद्योगिक एप्लीकेशंस हेतु आरएफ एंड माइक्रोवेव ड्रायर का विकास, ईएमआई और ईएमसी पर उद्योगों को तकनीकी सेवाएं तथा एसओडीएआर की डिजाइन।

नैनो प्रौद्योगिकी

28.20 नैनो सेमी कंडेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रिया एकीकरण सुविधा के क्षेत्र में तीन प्रमुख परियोजनाएं विकसित की गई हैं और उनका कार्यान्वयन किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियां सेमी कंडेक्टर आईपीआर और देश के औद्योगिक आधार को बढ़ाने के लिए होगी।

प्रौद्योगिकी विकास समिति

28.21 वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण गतिविधियां रही हैं - टाइड का एक्सटेंशन, अतिरिक्त प्रौद्योगिकी समावेशन केंद्र की सहायतार्थ स्कीम, मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम के माध्यम से आर एंड डी के आउटरीच का विस्तार, बायोइन्फार्मेटिक्स रिसर्च, मुक्त एवं मुफ्त साधन सोफ्टवेयर।

संचार अभिसारण और ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियां

28.22 इनके ध्यान केंद्रण क्षेत्र हैं - डिजीटल ब्रॉडकास्ट एक्सेसिंग डिवाइसीज, वायरलैस सेंसर्स नेटवर्क्स और रक्षा/ रणनीतिक एप्लीकेंशंस हेतु उन्नत रोबोटिक्स।

घटक एवं सामग्री विकास कार्यक्रम

28.23 प्रमुख जोर बायोफोटोनिक्स और फोटोनिक विकास कार्यक्रम इंटेग्रेटिड आप्टिक्स और घटक विकास प्रौद्योगिकी पर रहेगा।

सी-डैक

28.24 इसकी प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं -

- अगली जनरेशन के लिए परम 10 आईएफ सुविधा, टैस्टिंग, ब्रोकास्टिंग, परम 10 आईएफ की स्थिरीकरण प्रणाली, कंप्यूटेशनल कैमिस्ट्री में चुनी गई चार वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेंशसं की शोकेसिंग, कंप्यूटेशनल फ्ल्यूडडायनामिक्स (सीएफडी) वैदर मॉडलिंग और बायोइफार्मेटिक्स।
- ग्रिड कंप्यूटरिंग।
- प्रोफैशनल इलैक्ट्रॉनिक्स, वीएलएसआई इनेबल्ड प्रणालियां और रियल टाइम सिस्टम्स।
- यूबीक्विटस कंप्यूटिंग।

जनसाधारण के लिए आईटी

28.25 इस स्कीम की पुनर्संरचना की गई है, ताकि महिला सशक्तिकरण तथा भारत सरकार की एससीएसपी और टीएसपी के तहत परियोजनाओं पर ध्यान दिया जा सके। अनेक आईटी अवसंरचनात्मक सुविधाएं विभिन्न स्कूलों में 2009-10 के दौरान सृजित की जाएंगी।

मानकीकरण, टैस्टिंग और गुणवत्ता प्रमाणीकरण (एसक्यूटीसी)

28.26 एसटीक्यूसी सतत रूप में टैस्टिंग, कैलीबरेशन, प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण की सेवाएं इलैक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र में उद्योगों को प्रदान करती रहेगी। ये सेवाएं राष्ट्र व्यापी नेटवर्क के जरिए 6 आईटी सेवा केंद्रों, 14 टैस्ट और कैलीब्रेशन प्रयोगशालाओं, 5 सीईआईटी (एस), 4 क्षेत्रीय प्रमाणीकरण केंद्र, भारतीय गुणवत्त प्रबंधन संस्थान, जयपुर, विश्वसनीयता केंद्र (सीएफआर) चेन्नै। प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहेंगी - सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण, सोफ्टवेयर टैस्टिंग और मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण, गुणवत्ता आश्वासन, ई-शासन उत्पादों और सेवाओं के लिए कनफर्मिटी एसेसमेंट रिपोर्ट।

ई-शासन

28.27 2009-10 के दौरान प्रत्याशित उपलब्धियों में शामिल हैं i) लगभग 85226 सीएससी (ज) की व्यवस्था की जाएगी, ii) लगभग 23 स्वान्स मार्च, 2010 तक प्रचालन में ला दिए जाएंगे, iii) मार्च, 2010 तक 5 राज्य आंकड़ा केंद्र प्रचालन में लाए जा सकेंगे, iv) राष्ट्रीदय स्तर के संस्थान ई-जिला कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, v) एसई/ एमटी (राज्य ई-मिशन सेंटर) कार्मिकों की भर्ती और उन्हें कार्य की सुपुर्दगी 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण स्कीम के तहत की जाएगी। एनईजीपी को सहयोग देना, संभावित कार्यक्रम प्रबंधन और वित्त सहायता (नामतः ई-भारत परियोजना) के लिए भारत सरकार विश्व बैंक से बातचीत कर रही है। प्रस्तावित विश्व बैंक सहायता से अपेक्षा है कि यह सहमति प्राप्त कर वित्त पोषण करेगी बशर्ते, एनईजीपी गतिविधियां (एमएमपी (ज) और कार्यक्रम घटक) जो कि बैंक की काउंट्री सहायता रणनीति (सीएएस) के उद्देश्यों से सर्वाधिक रूप से जुड़ी है यदि उन्हें मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिल जाता है।

साइबर सुरक्षा

28.28 देश में साइबर सुरक्षा के संबंध में जागृति और दक्षता लाने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रकों कानून का प्रवर्त्तन और न्याय तथा ई-शासन परियोजना मालिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।

जनसाधन विकास

28.29 प्रमुख गतिविधियां होंगी 1) संकाय एवं छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम सीडैक हैदराबाद, आईआईआइटीएम ग्वालियर, सीडैक पुणे, आईआईआईटी बैंगलौर द्वारा चलाये जाते रहेंगे 2) राष्ट्रीय हाउटलाइन परीक्षा प्रणाली - सीडैक नोएडा द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए 3) यूपीटीयू, नोएडा में वर्चुअल श्रेणी कक्षा हेतु पूर्ण अवसंरचना प्रचालित की जाएगी। 4) जम्मू एवं कश्मीर में डीओईएसीसी का पुनरूद्धार।

एनआईसी

28.30 प्रमुख गतिविधियां होंगी i) ई-शासन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निकनेट अवसंरचना सेवाएं, ii) उच्च गति के प्रादेशिक सर्किट, iii) भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास एवं कार्यान्वयन।

डाक

28.31 भारतीय डाक कवर किए गए क्षेत्र एवं जनसंख्या के लिहाज से विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें पूरे देश में शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में 1.55 लाख से अधिक डाकघर है। जहां तक एक ओर यह लोगों को व्यैक्तिक सेवाएं मुहैया कराता है, वहीं दूसरी अओर के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वूपूर्ण निजी क्षेत्रक को भी सेवा मुहैया कराता है। यह ग्राहक के द्वार पर दैनिक मेल डिलीवरी, डाक टिकट की बिक्री, पत्र पेटी से पत्रों का संग्रह आदि सुनिश्चित करता है। बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त, चुनिन्दा डाकघरों द्वारा बैंकिंग तथा बीमा सेवाओं सहित विभिन्न सेवाएं जैसे- रिटेल डाक, ई-डाक, बिल मेल सेवाएं, पासपोर्ट आवेदन पत्रों की बिक्री तथा स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की डिलीवरी आदि भी मुहैया कराई जा रही है। इस विभाग ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) तथा बचत बैंक खातों के माध्यम से वृद्धावस्था पैंशन अदायगी जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवाएं/स्कीमें मुहैया कराने के लिए कुछ राज्य सरकारों से अनुबंध किया है।

28.32 ग्राहक को लागत प्रभावी तथा व्यवहार्य सेवाएं मुहैया कराने की चुनौती भी सतत चिंता का विषय बना हुआ है। वर्ष 2008-09 के दौरान 5862.33 करोड़ रुपये के शुद्ध कार्य संचालन व्यय के मुकाबले कुल डाक राजस्व 9756.23 करोड़ रुपये था जो 3893.90 करोड़ रुपये का अंतर दर्शाता है। डाक राजस्व में बढ़ोत्तरी 6.68 प्रतिशत तक हुई जबकि पिछले वर्ष के बजटीय घाटे में 119.03% की बढ़ोत्तरी हुई थी जो कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुआ।

28.33 वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित अनुमान चरण पर विभाग के लिए 600.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया तथा मार्च, 2009 तक वास्तविक व्यय 318.83 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। डाक विभाग का वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय एवं जीबीएस तथा वर्ष 2008-09 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय अनुलग्नक II में दर्शाया गया है।

28.34 शुरू की गई कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं -

- भारतीय डाक ने एक नई मेल का प्रतिमान का डिजाइन तैयार किया है जिसके द्वारा प्रौद्योगिकी का उपयोग फोकल बिंदुओं के सृजन के लिए किया जाएगा ताकि प्रक्रिया और डाक की डिलीवरी में तेजी आ सके। इस संबंध में मेल बिजनेस केंद्र और स्वतः मेल प्रोसेसिंग केंद्र कुछ महत्वपूर्ण पहले हैं।

- एक सुदृढ़ राष्ट्र व्यापी आईटी आधार से यह संभव हुआ है कि भारतीय डापक व्यापक दायरे में ई-समर्थित सेवाएं ग्राहकों को दे सके जैसे आईएमओ ऑन लाइन घरेलू राशि लेन-देन सेवा, इलैक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सेवा (ईसीएस), इलैक्ट्रॉनिक धन आदेश (ईएमओ) और ई-भुगतान "अनेकों से एक को" सेवा बिल भुगतान।

- प्रीमियम उत्पादों से राजस्व काफी मात्रा में बढ़ रहा है और अनेक प्रीमियम सेवाएं विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं जो स्पीड पोस्ट से लेकर टाइम सेंसिटिव मेल तक हैं, बिल मेल सेवा, वित्तीय और सेश क्षेत्रक की तीव्रता से बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए बिल मेल सेवा और बजनेस पोस्ट

जो पूर्ण मेलिंग समाधान देती है जिसमें प्रिंटिंग की पूर्व मेलिंग गतिविधियां, फोल्डिंग,पत्र लेखन, इनसर्टिंग और फ्रेकिंग भी शामिल है।

- भारतीय डाक ने काफी दबाव के साथ बैंकिंग और बीमा सेवाओं को अपनाया है ताकि व्यापक नेटवर्क के जरिए ग्रामीण जनता को वित्तीय समावेशन में भारत सरकार के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। डाक घर के पास कुल खातों की संख्या 2003-04 के दौरान 14.23 करोड़ थी, जो कि 2008-09 में बढ़कर 20.50 करोड़ हो गई है।

- डाक विभाग को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनआरईजीएस) के लाभार्थियों को मजदूरी के वितरण की जिम्मेदारी दी गई है, वर्तमान में एनआरईजीएस के तहत मजदूरी का भुगतान 21 राज्यों के 19 पोस्टल सर्किल्स में प्रचालन में है जो 90,000 से भी अधिक डाक घरों को कवर करता है। अगस्त, 2009 में लगभग 3.6 करोड़ एनआरईजीएस खाते खोले गए और अप्रैल् - अगस्त, 2009 के दौरान लगभग 3,800 करोड़ रुपए की राशित वितरित की गई। डाक घरों पर आसान पहुंच और मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता से इस स्कीम की लोकप्रियता बढ़ी है और यह उम्मीद की जाती है कि योजना अवधि के शेष वर्षों के दोरान खातों की संख्या बढ़कर 5 करोड़ भी पार कर जाएगी।

- भारतीय डाक भारतीय स्टेट बैंक से संबद्ध है ताकि यह देश में कमीशन आधार पर पहचान किए डाकघरों के माध्यम से अपनी परिसंपत्तियों और लायबीलिटी उत्पादों को बेच सके। इसके अतिरिक्त विभाग नाबार्ड से मिलकर स्वयं सेवा समूहों (एसएचजी) को लघु उधार पहचान किए गए डाक घरों से एजेंसी आधार पर कर रहा है। यह पायलट 5 जिलों में प्रचालन में हैं जिसमें तमिलनाडु सर्किल के 7 डिवीजन हैं। अभी तक 800 एसएचजी (ज) को 1.9 करोड़ से अधिक का ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। 17-9-2008 को डाक विभाग ने आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि0 से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि उनके उत्पादों को रैफरल मॉडल पर चुनिंदा डाक घरों के माध्यम से भेज सकें। आज तक पूरे देश में 817 प्रमुख डाक घरों ने इन आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल के उत्पादों को वितृत करना शुरू कर दिया है।

- भारतीय डाक और रेल मंत्रालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके तहत डाक घरों के तहत रेलवे टिकटों की बिक्री शुरू की जाएगी। वर्तमान में यह स्कीम 77 अवस्थापनाओं पर प्रचालन में हैं और इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जाएगा।

- बिहार, दिल्ली, झारखंड और पूर्वोत्तर में 20 लाख डाक घर बचत खातों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ओर जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में धनादेश के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है।

  पूर्वोत्तर में मेल डिलीवरी और संचरण सेवा में सुधार संबंधी प्रयासों में विभाग ने 3 फ्रेटर एयर क्राफ्ट इन हब और स्पोक तरीके पर डाक, पार्सल और प्रमुख शहरों और नॉर्थ ईस्ट के बीच लाजिस्टिक्स के लिए शामिल किये हैं। इससे विभाग की प्रचालन क्षमता में सुधार हुआ है और इससे सामान्य व्यक्ति को डाक समय से मिल रही है। इसके अतिरिक्त जीपीएस के मेल ट्रांसमिशन प्रावधानों पर बेहतर निगरानी के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेल मोटर व्हीकल्स की व्यवस्था भी कर ली गई है।

- डाक घरों को उपभोक्ता अनुकूल और डिलीवरी सेवाओं में उत्कृष्टता के लिए "प्रोजैक्ट एरो" स्कीम की पहल की गई है। प्रोजैक्ट एरो स्कीम का उद्देश्य है कि अवसंरचना के क्रमोन्नयन के माध्यम से चुनिंदा डाकघरों को देखने औरम हसूस करने के लिए आधुनिक बनाया जाए, मानव संसाधन और ब्रांडिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और कोर प्रचालन को उन्नत बनाया जाए। इस परियोजना के अधीन पहले से ही 1000 डाक घरों को आधुनिक बना दिया गया है। प्रोजैक्ट एरो से ग्राहकों और स्टाफ को काफी लाभ पहुंचा है। यह निर्णय लिया गया है कि योजना अवधि के शेष वर्षों के दौरान अतिरिक्त 4500 डाक घरों को इस स्कीम की व्याप्ति में लिया जाए।

वार्षिक योजना 2009-10

28.35 वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान 620.00 करोड़ रुपए का परिव्यय डाक विभाग (डीओपी) के लिए रखा गया। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए प्रमुख ध्यान केंद्रण क्षेत्र/ गतिविधियां इस प्रकार हैं -

28.36 **डाक नैटवर्क की पहुंच** - आर्थिक विकास में हुई तीव्र वृद्धि से डाक सेवा की वृद्धि मांग देखी गई। डाक विभाग ने फ्रैचाइज आउटलैटस शुरू किए हैं ताकि इस मांग को पूरा किया जा सके, जहां डाक घर खोलना संभव न हो। अभीर तक 850 फ्रैचाइज आउटलैट्स खोले जा चुके हैं। एक लाख से अधिक ईडीबीओ (ज) को अवसंरचनात्मक उपस्कर प्रदान किए जा रहे हैं।

28.37 **मेल प्रचालनः** तीव्र आर्थिक विकास और प्रौद्योगिकीय प्रोन्नयन की तीव्रता के साथ भारतीय डाक की की मेल प्रोफाइल में ठोस परिवर्तन हुआ है, जिससे बिजनेस टू कंजूमर (बीटीसी) और बिजनस टू बिजनस सैग्मेंट में वृद्धि हुई है। ट्रांसफोर्मेशन के साथ - साथ रहते हुए भारतीय डाक ने न्यू मेल प्रतिमान डिजाइन किया, जिसमें फोकल बिन्दुओं के सृजन के लिए प्रौद्योगिकी को लिवरेज किया जाएगा ताकि प्रोसेसिंग और मेल की डिलीवरी में शीघ्रता लाई जा सके।

28.38 **ट्रांजिट मेल ऑफिसः** अनुकूल अवसंरचना का सृजन जिस में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद और बंगलौर के एयरपोट ट्रांजिट मेल आफिस बिल्डिंग और मैकेनाइजेशन घटक भी शामिल है।

28.39 **वित्तीय सेवाएं** - पोस्टल बैंक आफ इंडिया (एफबीआई) की स्थाना और कोर बैंकिंग समाधानों हेतु प्रस्ताव रखा गया है जिसके तहत 4000 डाकघरों को कवर किया जाएगा। वर्ष के दौरान 330 पोस्टल फाइनेंस माटर्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि परिवेश में सुधार किया जा सके और एक छत के नीचे ही सभी डाक वित्तीय सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। तत्काल धन आदेश सेवा (आईएमओ) 5225 डाकघरों में उपलब्ध कराई जाएगी। सभी पीएलआई/ आरपीएलआई रिकार्ड्स का डिजीटाइजेशन किया जाएगा और रिट्रायइवल व्यवस्था एवं धारणीय विपणन तथा प्रचार कार्यक्रम रखे जाएंगे, ताकि 200 मिलियन लोगों के जीवन का बीमा 2012 तक हासिल करना सुनिश्चित किया जा सके। यह भी योजना बनाई गई है कि सभी नरेगा कार्यकर्ताओं को पीएलआई के तहत कवर किया जाए।

28.40 **टिकट संग्रहः** बाजार की जरूरतों तक पहुंच हासिल करने के लिए और टिकट संग्रह के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु 15 टिकट संग्रहण प्रदर्शनियां आयोजित करने की योजना बनाई गई है, ताकि लोग इसे आदत के रूप में अपना सकें और राजस्व का अर्जन हो। टिकट संग्रहण प्रचालनों के लिए

प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रचार, विपणन और ग्राहकों के साथ परिचर्चाओं की देखरेख हो सके, इसने पीडीए होल्डर्स, प्रौद्योगिकी प्रबंधन को नेटवर्क प्रणाली पर डालना होगा।

28.41 **सम्पदा प्रबंधनः** डाक सम्पदा प्रबंधन स्कीम के कार्यान्वयन को तेज करना होगा, ताकि परिसम्पत्तियों का और बेहतर रूप में सदुपयोग किया जा सके।

प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन और आधुनिकीकरण

28.42 प्रौद्योगिक क्रमोन्नयन और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण और सभी 155000 डाकघरों के नेटवर्किंग की एक योजना है जिसमें ग्रामीण डाकघर भी शामिल है। आंकड़ा केन्द्र, बिजनस सतर्कता केंद्र और आपदा वसूली केंद्र की स्थापना के लिए भी योजना बनाई गई है। प्रोजैक्ट एरो में विस्तार करके इसके तहत 4500 अतिरिक्त डाकघरों को कवर किया जाएगा। मुम्बई और चेन्नै में ऑटोमैटिड मेल प्रोसैसिंग केंद्र (एएमपीसी) को बदला जाएगा और संयुक्त मेल शॉर्टर की स्थापना कोलकाता में की जाएगी। 10 अन्य स्थानों पर भी लघु और मध्यम आकार का एएमपीसी स्थापित किया जाएगा तथा 20 स्पीड पोस्ट केंद्रों का प्रौद्योगिकी क्रमोन्नयन किया जाएगा।

28.43 **एनआरईजीएस के लिए सहायताः** नरेगा के तहत डाकघर बचत बैंक के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 5 करोड़ एनआरईजीएस लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान डाकघरों के माध्यम से करने के लिए पहलें की जा रही हैं।

दूरसंचार

28.44 आधुनिक अर्थ व्यवस्था को गतिशील बनाने में दूरसंचार भी एक अग्रणी भूमिका निभाता है, वर्ष के दौरान दूरसंचार क्षेत्रक ने सतत रूप से अपनी सफलता दर्ज कराई है और भारत की उभरती अर्थव्यवस्था हेतु एक प्रमुख जिम्मेदार क्षेत्रक के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत का टेलीफोन नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और यह सतत रूप से तेजी से उभर रहा है।

28.45 मार्च, 2009 के अनुसार वर्तमान टेली डेंसिटी लगभग 36.98% है जो इसके बदले 88.84% शहरी टेली डेंसिटी को निहित करता है और वर्तमान में इसमें 15.11% ग्रामीण टेलीडेंसिटी भी है। ग्रामीण और शहरी टेलीडेंसिटी को कम करने के मुद्दे के बारे में यह उम्मीद की जाती है कि इसका समाधान 11वीं पचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रभावी रूप से किया जाएगा। प्रमुख गतिविधियों के संबंध में निष्पादन निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार चल रहा है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

28.46 वार्षिक योजना 2008-09 के दौरान दूर संचार क्षेत्रक के लिए 19610.24 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया था, जिसमें 375.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है। संशोधित स्तर पर इसे बढ़ाकर 19,960.24 करोड़ रुपए कर दिया गया जिसमें 725.00 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी शामिल है। मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 4,297.25 लाख टेलीफोन कनैक्शन्स (37.9 मिलियन फिक्सड लाइन सब्सक्राइबर्स और 391.7 मिलियन वायरलैस लाइन्स) हैं। कुल टेलीफोनों की संख्या में निजी क्षेत्रक का हिस्सा लगभग 79.16% है। 2008-09 के लिए योजना परिव्यय एवं जीबीएस और 2009-10 के लिए दूरसंचार विभाग का वार्षिक योजना परिव्यय संलग्नक-2 में दर्शाया गया है।

28.47 भारत निर्माण के तहत घोषित शेष गांवों में ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण संपर्कता में सुधार लाते हुए दूरसंचार विभाग को उच्च प्राथमिकता पर रखा गया है। भारत संचार

निगम लि0 (बीएसएनएल) को ग्राम सार्वजनिक टेलीफोन उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। नवम्बर, 2007 तक शेष रहे सभी 66822 गांवों जिन्हें टेलीफोन सुविधा नहीं पहुंचाई गई है, को टेलीफोन सुविधा दी जाए जिसके लिए आदर्श सेवा आब्लीगेशन निधि (यूएसओएफ) से सहायता ली गई है। 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार 57,181 गांवों को वीपीटी (ज) उपलब्ध करा दिए गए हैं।

28.48 मार्च, 2005 को इन्टरनेट और ब्राडबैंड लेने वालों की संख्या मात्र 0.18 मिलियन थी, जो कि मार्च, 2009 में बढ़कर लगभग 22 मिलियन तक पहुंच गई।

28.49 ग्रामीण जनता को ई-शासन और आंकड़ा सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है कि देश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप में ब्रॉडबैंड संपकर्ता प्रदान की जाए। इस स्कीम के तहत, 5000 ब्लॉकों को बेतार ब्रोडबैंड से जोड़ा जाए और तालुका ब्लॉक के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों में भी यह संपर्कता सुविधा दी जाए।

28.50 इसके अतिरिक्त, 700 शहरों को ब्राडबैंड संपर्कता (सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रक बीएसएनएल/ एमटीएनएल) उपलब्ध कराई जाए। ब्राडबैंड संपर्कता को तेजी से बढ़ावा देने के लिए कम पावर पर आउटडोर और इनडोर उपयोग के लिए वाई-फाई और वाइमेक्स प्रणाली 2.4 जीएचजैड - 24815 जीएचजैड बैंड को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। कम पावर के इंडोर सिस्टम का उपयोग 5.15-5.35 जीएचजैड ओर 5875 जीएचजैड को भी लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। व्यापक योजना तैयार की जा रही है, ताकि देश में ब्राडबैंड सेवा को रोल आउट किया जा सके। गृह मंत्रालय, एचआरडी, स्वास्थ्य और पंचायती राज तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य के लिए मिलाकर एक अंतर मंत्रालयीय समूह का गठन किया गया है।

वार्षिक योजना 2009-10

28.51 वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना के लिए आरंभ में 16216.02 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए, जिस में 431 करोड़ रुपए का जीएस और 15,785.02 करोड़ रुपए का आईईबीआर। वार्षिक योजना 2009-10 के लिए प्रमुख ध्यान केंद्रण क्षेत्र/गतिविधियां इस प्रकार हैं -

(i) बीएसएनएल

28.52 प्रौद्योगिकीय बदलावों के साथ चलते हुए बीएसएनएल अपने उपस्करों को आधुनिक बना रहा है। इस कार्रवाई के भाग के रूप में डब्ल्यूएलएल पर संपर्कता का विचार किया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित टेलीफोन उपलब्ध कराए जा सके। सैल्यूलर मोबाइल टेल्कम सेवाओं का विस्तार व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। 27 फरवरी, 2009 को 3 जी की सेवाएं 10 चुनिंदा शहरों में शुरू की गई उसके बाद ज्यादा से ज्यादा शहरों में इसे शुरू किया जा रहा है। बीएसएनएल की योजना है कि मार्च, 2010 तक 550 शहरों में 3जी सेवाएं प्रदान की जाएं। आईपी आधारित बैक बोन और न्यू जनरेशन नेटवर्क (एनजीएन) में शुरू करने की योजना भी है।

28.53 दिन प्रतिदिन टेल्कम सेवाओं के किराये कम होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप अनेक नये टेलीफोन कनैक्शनों के प्रावधानों के बावजूद राजस्व में कमी आती जा रही है। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को दोनों बेतार और लैंडलाइन नेटवर्क पर नव प्रवर्त्तनकारी वैल्यूएडिड सेवाएं प्रदान करते हुए औसत राजस्व प्रतित उपभोक्ता (एआरपीयू) बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। अपने राजस्व को बढ़ाने की दृष्टि से बीएसएनएल ने

अनेक नये प्रयास किए हैं जैसे अवसंरचना भागदारी, निर्धारित परिसंपत्तियों का वाणिज्यिक सदुपयोग, अंतरराष्ट्रीय कारोबार जुटाकर उद्यम करोबार और मोबाइल अभिसारण आदि।

28.54 30.9.2009 की स्थिति के अनुसार वायर लाइन टेलीफोन की प्रतीक्षा सूची 1.56 लाख थी जिसमें से 0.67 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में है इसी प्रकार डब्ल्यूएलएल टेलीफोनों की प्रतीक्षा सूची लगभग 0.33 लाख है, जिसमें से 0.33 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

28.55 वर्ष 2009-10 के लिए बीएसएनएल के प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य नीचे दिए गए हैं-

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र योजना

28.56 2009-10 के लिए लक्ष्य रखा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्विचिंग क्षमता और 41105 ब्राडबैंड क्षमता के पोर्ट्स की 6.16 लाख लाइनें प्रदान की जाएं। यह भी योजना बनाई गई है कि 1395 ओएफसी के रूट किलोमीटर्स और टीए एक्स क्षमता के 88 किलो सर्किट उपलब्ध कराए जाएं। जनजातीय उपयोजना 2009-10 में 29.5 लाख स्वीचिंग क्षमता की लाइनें, 2.25 लाख ब्राडबैंड क्षमता के पोर्ट्स ओएफसी 4758 रूट किलोमीटर और टीए एक्स क्षमता के 170 किलोमीटर सर्किट्स जनजातीय क्षेत्रों में वीपीटी (ज) के लिए 13,129 फोन उपलब्ध कराए जाएं।

(ii) एमटीएनएल

28.57 वर्ष 2008-09 के दौरान एमटीएनएल ने दिल्ली और मुम्बई में कुल 8.46 लाख नये टेलीफोन कनैक्शन प्रदान किए। वर्ष 2009-10 के लिए लक्ष्य नीचे दिए गए हैं।

1. एमटीएनएल ब्राडबैंड और जीएसएम क्षमता को बढ़ाएगी ताकि फ्यूचरिस्टिक सेवाएं जैसे आईपीटीवी, बीओआईपी, 3 जी सेवाओं आदि की बढ़ती मांग का सामना किया जा सके।

तालिका 28.2 2009-10 के लिए एमटीएनएल के लक्ष्य

क्र0 सं0	मद	माप की यूनिट	लक्ष्य	सं0 स्तर पर
1	टेलीफोन कनैक्शन्स	लाख में	117	165
1(क)	जीएसएम मोबाइल	लाख में	132	180
1(ख)	वायरलाइन+बेतार लाइन	लाख में	-15	-15
2	ब्राडबैंड कनैक्शन	लाख में	16.50	25
3	टीएएक्स	किलो सर्किट्स	1000	1000
4	ओएफसी	रूट किलोमीटर	25,000	25,500

2. एमटीएनएल नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाएगा जैसे जीपीओएन आधारित एफटीआईसी/ एफटीटीआईआई - एक्सेस नेटवर्क और बैकबोन जंक्शन नेटवर्क डीडब्ल्यूडीएम में और विस्तार करेगा।

3. एमटीएनएल अपने मौजूदा आईपी/एमपीएलएस कोर नेटवर्क में विस्तार करेगी, ताकि आवाज, डेटा, वीडिओ मल्टीमीडिया नेटवर्क का अभिसारण एकीकृत एकल पॉकिट आधारित मल्टीसेवा

प्लेटफार्म में हो सके, जो भावी नेटवर्क को स्वतंत्र रूप से संभालने में सक्षम हो, जो नई सेवाओं को तीव्रता के साथ वाणिज्यिक आधार पर शुरू कर सके।

4. इस वर्ष के लिए यह भी योजना बनाई गई है कि टीडीएम स्विचस विथ आईपी स्विच्स के स्थान पर न्यू प्रौद्योगिकी स्विच्स लगाए जाएं।
5. एमटीएनएल नव प्रवर्त्तनकारी विपणन रणनीतियों के माध्यम से अपनी सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं और दिल्ली तथा मुम्बई में ब्राडबैंड उपभोक्ता आधार को बढ़ाएगा।
6. प्रत्यक्ष रूप में या अपनी सहायक/ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से नेशनल लोंग डिस्टेंस और इन्टरनेशनल लोंग डिस्टेंस सेवा में प्रवेश करेगी।
7. एमटीएनएल, बीसएसएनएल और मिलेनियम टैलकम लि0 (आईएमटीएल) के संयुक्त उद्यम के साथ मिल कर 50% और 50% की सहभागिता में मिलेनियम सबमेरियन केबल सिस्टम (एमएससीएस), जिस में ट्रंक और ब्रांच सेग्मैंट्स भारतीय पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारतीय पश्चिमी तट से मिडल ईस्ट इस उद्देश्य के साथ लगाएगा, ताकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका को मौजूदा योजना अनुसार सबमेरिन केबल्स पूर्वी और पश्चिमी मार्गों से पहुंचाई जा सके।

तालिका 31.3 2009-10 के लिए भौतिक लक्ष्य

क्र0सं0	मद	भौतिक लक्ष्य
1	नेट न्यू कनैक्शन जिस में डब्ल्यूएलएल सेल्यूलर और ब्राडबैंड कनैक्शन शामिल हैं	1000 के
2	डब्यूएलएल एंड जीएसएम सहित नेट स्विचिंग क्षमता	1000 के
3	टैक्स/ टैंडम/ एनजीएन	64 के
4	डीएसएलएएम/ एफटीटीएच पोर्ट्स का डिप्लॉयमेंट	500 के
5	आप्टिकल फाइबर केबल (इन फाइबर कि0मी0)	120 के

(iii) डब्ल्यूएमओ

28.58 मौजूदा और नई सेवाओं के लिए स्पैक्ट्रम की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वायरलैस मॉनिटरण संगठन (डब्ल्यूएमओ) काफी परिश्रम करते हैं ताकि सोफ्टवेयर में न्यू हार्डवेयर और साफ्टवेयर डालकर रेडियो मॉनीटरण को बढ़ते हुए अस्थिर और चुनौतीपूर्ण रेडियो वातावरण में रेडिया मॉनीटरण की जा सके। 11वीं योजना में डब्ल्यूएमओ की प्रमुख योजनाएं हैं (1) 6 नए मानव नियंत्रित अतिरिक्त स्टेशनों की स्थापना (2) एसएचएफ माइक्रोवेव टर्मिनल्स (एमडब्ल्यूटी) 1 गीगाहर्ट्स से 40 गीगाहर्ट्स का संवर्धन और क्रमोन्नयन। आज की तारीख में 6 मानव चालित स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। भूखण्ड के अधिग्रहण के लिए प्रयास जारी हैं।

(iv) बेतार आयोजना और समन्वय (डब्ल्यूपीसी)

28.59 रेडियो फ्रिक्वेंसी (आरएफ) स्पैक्ट्रम मैनेजमेंट एंड रेडियो क्रमोन्नयन मॉनीटरण सुविधाओं हेतु विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना नेशनल रेडिया स्पैक्ट्रम मैनेजमेंट एंड मॉनीटरिंग सिस्टम (एनआरएसएमएमएस) लगभग पूरा कर लिया गया है। फिर भी, कुछ बकाया भुगतान अब भी करना है।

(v) टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर (टीईसी)

28.60 यह सभी प्रकार टेलीकॉम उत्पादों और सेवाओं कनफार्मेंस और परफोर्मेंस टैस्टिंग में लगा हुआ है। 2008-09 में इसकी प्रमुख गतिविधियां होंगी - इसकी विभिन्न प्रयोगशाला अवसंरचनाओं का क्रमोन्नयन करना।

(vi) टेलीमेटिक्स विकास केंद्र (सी-डॉट)

28.61 इसकी प्रमुख गतिविधियां होंगी - "संचार सुरक्षा मॉनीटरण केंद्र" और सी डॉट एलसैटल रिसच सेंटर (सीएआरसी) की स्थापना, कानून और प्रवर्त्तन एजेंसियों के लिए सुरक्षा प्रबंधन, ब्राडबैंड प्रौद्योगिकी, ग्रामीण प्रौद्योगिकी आदि।

(vii) भारतीय टेलीकॉम प्राधिकरण (ट्राई)

28.62 2009-10 में यह उम्मीद की जाती है कि डीडीए से भूमि अधिग्रहण के लिए प्रमुख निवेश किया जाएगा, इसके कार्यालय भवन का निर्माण किया जा सके।

(viii) टेलीकॉम विवादों का निपटान और अलीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी)

28.63 इस प्रमुख कार्य इसके संदर्भ पुस्तकालय का क्रमोन्नयन, वेबसाइट और अनुरक्षण और अध्ययन दौरों का आयोजन करना रहेगा।

(x) प्रमुख भूमि और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे केबल बिछाना (यूएमएएन)

28.64 अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और प्रमुख भूमि के बीच समुद्र के नीचे सबमेरिन संचार केबल बिछाने का प्रस्ताव है, 522.06 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जिसके लिए वर्ष 2009-10 में 61 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(x) रक्षा सेवा नेटवर्क के लिए वैकल्पिक फाइबर आधारित केबल (ओएफसी)

28.65 रक्षा सेवओं (डीएस) के वैकल्पिक नेटवर्क के लिए आप्टिकल फाइबर आधारित केबल (ओएफसी) को 1026.17 करोड़ रुपए की लागत पर बिछाया जाएगा। इस परियोजना का वायु सेना घटक 2009-10 के दौरान पूरा होने वाला है। कार्यान्वयन के दौरान नई सेवाएं शुरू करने के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड सेवाएं पहुंचाने में स्पैक्ट्रम छोड़ने में सहायक होगी। स्कीम के दूसरे चरण में थल सेना और वायु सेना के लिए 8893.00 करोड़ रुपए की लागत पर वैकल्पिक संपर्कता प्रदान की जाएगी। इसमें से 40% यानि 3500 करोड़ रुपए 11वीं योजना में ही उपलब्ध कराया जाएगा।

सूचना और प्रसारण

28.66 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए यह जरूरी है कि वह अपने तीन अंगों नामतः सूचना, फिल्म और प्रसार भारती के माध्यम से सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार करे। प्रौद्योगिकियों की

नवप्रर्त्तनकारी एप्लीकेशन विभिन्न प्रचालक स्टिफ स्पर्धाओं को पैदा करता है। जिससे मुद्रण फिल्म और विडियो मीडिया से सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। यह विभिन्न मीडिया एककों और सरकार के बीच सूचना और ढेर सारा मनोरंजन न्यूनतम वहनीय लागत पर उपलब्ध कराने के लतिए चुनौती बन जाता है। जिससे आर्थिक रूप से विकसित नहीं हुई जनता भी इसे देख पाती है।

वार्षिक योजना 2008-09 की समीक्षा

28.67 वार्षिक योजना 2008-09 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 700.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था जिसमें सूचना के क्षेत्रकीय वितरण के लिए 49.48 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे तथा फिल्मों के लिए 67.00 करोड़ रुपए, आकाशवाणी के लिए 195.00 करोड़ रुपए और दूरदर्शन के लिए 280.00 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस क्षेत्र के लिए समग्र व्यय 397.53 करोड़ रुपए रखे गबए थे जो कुल खर्च का 56.79% है। 31-3-2009 तक सूचना, फिल्म, आकाशवाणी, दूरदर्शन का क्षेत्रकीय व्यय क्रमशः 67.40 करोड़ रुपए, 36.92 करोड़ रुपए, 56.43 करोड़ रुपए और 221.77 करोड़ रुपए रहा है जो क्रमशः 136.20%, 55.10%, 28.94% और 79.20% बजट अनुमान की दृष्टि से रहा है।

भौतिक निष्पादन

28.68 **सूचना क्षेत्रकः** सूचना उप क्षेत्रक का सबसे अधिक निष्पादित कार्यक्रम डीएवीपी का प्रचार कार्यक्रम रहा है जो वर्ष के दौरान अधिक निष्पादन देते हुए सरकारी गतिविधियों, नीतियों और कार्यक्रमों को ग्रामीण और पिछड़े लोगों के बीच अपने दृश्य श्रवण स्पोर्ट्स और मुद्रण मीडिया के माध्यम से विज्ञापन करने में सफल रहा है। नरेगा, स्वास्थ्य, जल महिला और बाल शिक्षा आदि तथा भारत निर्माण पर एक विशेष अभियान आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया गया था संगीत एवं नाटक प्रभाग ने सूचना, शिक्षा और संचार आईईसी गतिविधियां 76 पहचान की गई (गृह मंत्रालय द्वारा) न्कसलाइट प्रभावित जिलों के लिए जनजातीय लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासशील गतिविधियों कें बारे में शुरू की थी। प्रैस आसूचना ब्यूरो (पीआईबी) ने मीडिया आउटरीच कार्यक्रम 82 सार्वजनिक सूचना अभियान 100 सफल कहानियां और 47 प्रेस दौरे लाभार्थियों के घरों तक सूचनाओं के प्रसारण के लिए किये। **फिल्म क्षेत्रकः** 8000 पुरानी फिल्मों को फिल्म प्रभाग में डिजिटाइजेशन का मामला लगभग पूरा हो गया है और इसे वेबसाइट पर डालना शेष है। **भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालयः** ने इसके अधीन रखी फिल्मों का संरक्षण डिजीटाइजेशन के माध्यम से शुरू कर दिया है तथा छात्रों शोधकर्ताओं और फिल्म महोत्सव समुदाय के लिए विरासती फिल्मों की प्रदर्शनियां भी शुरू कर दी हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) जो मंत्रालय का एक सार्वजनिक उपक्रम है ने क्षेत्रीय भाषाओं में अनेक फिल्मों को बनाना शुरू किया है, जिससे कि न्यू अपकमिंग फस्ट्रहैंड फिल्म निर्माता क्षेत्रीय फिल्म बनाने में आगे आ सकेंगे। **प्रसारण क्षेत्रकः** प्रसार भारती अपनी प्रमुख सार्वजनिक सेवा प्रसारण एककों - आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से जरूरी सार्वजनिक सेवा और आर्थिक सेवाओं आदि के अलावा मनोरंजन कार्यक्रमों पर भी सतत रूप से ध्यान देती है। आकाशवाणी और एफएम रेडियो की सबसे अधिक ध्यानकेंद्रण स्कीम प्रसारण और पूरी प्रोग्रेसिंग है। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इसकी प्राथमिकता स्कीम 'उनके नेटवर्क का डिजीटाइजेशन' की शुरूआत की है।

28.69 निष्पादन क्षेत्र के तहत पीआईबी का राष्ट्रीय प्रेस केंद्र, भारतीय जन संचार केंद्र, और सूचना उप क्षेत्रक के तहत सूचना भवन का निर्माण और फिल्म प्रभाग की भ्रमणशील तस्वीरों का संग्रहालय, वैश्विक फिल्म स्कूल, पुणे अधिक कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि यह स्कीम अनुमोदन के विभिन्न स्तरों पर है।

इस प्रकार प्रसार भारतीय भी न्यू स्कीम के कुछ और अधिक नहीं कर पाई है, क्योंकि अधिकांश स्कीमें अनुमोदन के विभिन्न स्तर पर ही हैं।

वार्षिक योजना 2009-10

28.70 वर्ष 2009-10 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 800.00 करोड़ रुपए का परिव्यय आबंटित किया गया। आरंभ में यह परिव्यय 700.00 करोड़ रुपए रखा गया था और बाद में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एक स्कीम लेकर आया था कि जो जम्मू कश्मीर राज्य के सीमवर्ती क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के सिग्नल्स में सुधार के लिए थी, जिसके लिए 2009-10 के लिए विशेष बजट व्यवस्था की गई। मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के लिए बजटीय प्रावधान नीचे दिए गए हैं। अंतर- विभागीय आबंटन संलग्नक में दिए गए हैं।

28.71 पीआईबी के तहत सार्वजनिक सूचना अभियान कार्यक्रम सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के प्रचार संबंधी गतिविधियों में नए आयाम जोड़ता है, जो पिछड़े और दूर दराज स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के स्तर वालों को लक्षित करते हैं। लक्षित एमसी लाभार्थी सरकार के विकासशील कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे जो ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़क संपर्कता, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, टेलीफोन संपर्कता, रोजेगार, शिक्षा सुविधा, एकीकृत बाल विकास स्कीम, महिला सशक्तिकरण आदि के प्रति व्यापक जानकारी पैदा करते हैं। डीएवीपी की विकासशील कार्यक्रमों और प्राथमतकता कार्यक्रमों की सामयिक सहायता की आवश्यकता को भी महसूस कियागया जिसके अनुसार 2009-10 की योजना में उच्च आबंटन की मांग अपेक्षित थी।

28.72 पूरी दुनिया ने समयबद्ध अनुसूची को सामने रखते हुए समतुल्य प्रणाली को अलविदा करना चाहा है जो कि सार्वजनिक सेवा प्रसारकों को स्टूडियो और ट्रांसमीटर्स के डिजीटाइजेशन के लिए इसकी एककों के लिए प्रसारण यूनिटों नामतः आकशवाणी और दूरदर्शन के लिए बाध्य किया है। इसमें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त निधि की जरूरत महसूस की गई। इसके लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन में स्कीमें तैयार की हैं। जिनकी लागत क्रमशः 843.54 करोड़ रुपए और 620.12 करोड़ रुपए है और सीसीएईए द्वारा इन स्कीमों का अनुमोदन अपेक्षित है।

28.73 राष्ट्रमंडल खेल अन्य प्राथमिकता का क्षेत्र है। राष्ट्रमंडल यूवा खेल 2008 - पुणे पहले ही पूरे कर लिए गए हैं और इस पर 9 करोड़ रुपए का खर्च आया है जिससे 40 करोड़ रुपए की बचत हुई है। राष्ट्रमंडल खेलों की कवरेज के लिए अनुमान 483 करोड़ रुपए तक ऊपर पहुंच गया है। क्योंकि इसमें वातानुकूलन की जरूरत बहुत बढ़ गई तथा विद्युत आपूर्ति भी 24 घंटे जरूरी है जिससे आईटीपीओ और स्कीम के पीआई की घटकें के कारण लागत और ऊंची हो गई। सक्षम अथॉरिटी ने 483.00 करोड़ रुपए संशोधित अनुमोदन कर दिया है।

परिणामी बजट 2009-10

28.74 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सभी अंगों के लिए 2009-10 के दौरान परिणामी बजट का संवितरण 800 करोड़ रुपए था। यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था कि जैसे भी भौतिक गतिविधियों का अपेक्षित परिणाम होगा वह प्रत्येक स्कीम के लिए आबंटित निधि के अनुसार रहना चाहिए।

28.75 अपनी व मीडिया एककों पीआई की प्रकाशन प्रभाग, डीएवीपी, आईआईएमसी, फोटो प्रभाग, डीएफपी, संगीत एवं नाटक प्रभाग, आरआर एंड टीडी और आरएनएल सहित सूचना क्षेत्रक को 66.00

करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। इस क्षेत्रक की स्कीमों का लक्ष्य था कि एक आधुनिक प्रेस केंद्र का निर्माण किया जाए जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति जागृति का सृजन किया जाए और सरकार नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रसार किया जाए।

28.76 फिल्म क्षेत्रक अपने फिल्म प्रभाग, राष्ट्रीय फिल्म एन्क्लेव, फिल्म प्रमाणन केंद्रीय बोर्ड, एसआरएफटीआई कोलकाता एफटीआईआई पुणे, फिल्म उत्सवनिदेशालय, बाल फिल्म सोसायटी की भी अनेक स्कीमें हैं जिनका उद्देश्य वेब कास्टिंग आधुनिकीकरण, एनीमेशन और गेमिंग तथा फिल्म उत्पादन के लिए प्रशिक्षित जन साधन तैयार करने के लिए विशिष्ट संस्थनों की स्थापना करना है। वार्षिक योजना 2009-10 के दौरान गतिविधियों की व्याप्ति के लिए 60.00 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई।

28.77 वर्ष 2009-10 के लिए आकाशवाणी के लिए 144.00 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया इसकी सतत स्कीमों में शामिल है एफएम रेडियो कवरेज में विस्तार और जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष स्कीमें हैं। इसकी नई स्कीमों ने डिजिटल प्रसारण इसके समतुल्य उपस्करों को ट्रांसमिशन, उत्पादन और सेटलाइट प्रसारण केलिए डिजिटल बनाने पर जोर दिया है।

28.78 अपनी सतत एवं नई स्कीमों के लिए दूरदर्शन को व्यय हेतु 162.79 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था। अपनी सतत स्कीमों में इसे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर पैकेज को कवर करना था। नयी स्कीमों में इसे डिजिटाइजेशन और एचडीटीवी स्कीमों को शुरू करना था।

28.79 प्रसार भारती को भी कंटेन्ट संवर्धन स्कीम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए नया साफ्टवेयर तैयार करने हेतु शुरू करनी थी ताकि, सार्वजनिक प्रसारण संगठनों को अधिक स्पर्धामय बनाया जा सके।

28.80 दूरदर्शन के समाने चुनौती है कि उच्च ट्रांसमिशन टीवी (एचडीटीवी) प्रसारण मोड पर अक्तूबर, 2010 में राष्ट्र मंडल खेलों की अंतरराष्ट्रीय विधाओं की कवरेज में तकनीकी उत्कृष्टता दिखाई जाए। भारत एचडी फारमेट में पहली बार विश्व समुदाय को अपने प्रसारण का प्रदर्शन देगा।

28.81 जम्मू एवं कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र में आकशवाणी और टीवी सिग्नल्स में सुधार के लिए एक विशिष्ट स्कीम अनुमोदित की गई है ताकि विदेशी दुश्प्रचार को खत्म किया जा सके और वार्षिक योजना 2009-10 में 100.00 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया।

संलग्नक -I

सूचना प्रोद्योगिकी विभाग							करोड़ रूपए में
क्र0 सं	स्कीम का नाम	11वीं योजना जीबीएस	2007-08		2008-09		2009-10
			अनुमोदित जीबीएस	वास्तविक व्यय	अनुमोदित जीबीएस	वास्तविक व्यय	अनुमोदित जीबीएस
	जारी स्कीमें						
1	एसएएमईईआर	148.00	22.00	25.00	24.00	27.50	30.00
2	माइक्रो इलैक्ट्रानिक एवं नैनोटैक विकास कार्यक्रम	250.00	29.00	27.91	35.00	34.71	35.00
3	प्रौद्योगिकी विकास परिषद	350.00	32.00	31.48	32.00	31.99	32.00
4	अभिसारण, संचार एवं रणनीतिक इलैक्ट्रानिक्स	200.00	22.00	23.83	22.00	21.57	22.00
5	घटक एवं सामग्री विकास कार्यक्रम	100.00	10.00	14.99	10.00	12.51	13.00
6	सी डैक	900.00	75.00	75.00	91.00	114.49	125.00
7	स्वास्थ्य एवं टेली मैडिसिन में इलैक्ट्रानिक्स	100.00	18.00	18.00	13.33	14.20	13.33
8	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	100.00	11.00	9.18	8.89	8.64	8.89
9	जनता के लिए आईटी (जैंडर, एससी, एसटी)	156.00	9.00	15.63	8.00	8.00	8.00
10	मीडिया लैब एशिया	300.00	10.00	0.00	1.00	1.00	5.00
11	एसटीक्यूसी	330.00	50.00	51.44	42.00	51.15	71.00
12	एसटीपीआई एवं ईएचटीपी	45.00	0.50	1.52	0.00	0.00	2.51
13	डिजीटल डीएनए पार्क	10.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.01
14	इलैक्ट्रानिक अभिशासन	4992.00	800.00	551.06	800.00	576.01	900.00
15	साइबर सुरक्षा (सीईआरटी - इन आईटी एक्ट सहित)	600.00	33.00	22.73	33.00	30.61	33.00
16	इआर नेट	10.00	0.10	0.00	0.09	0.00	0.01
17	इलैक्ट्रानिक्स/ आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन	1100.00	1.00	1.00	0.80	0.17	2.30
18	डीओईएसीसी	10.00	0.50	0.50	0.44	0.44	3.44
19	जनसंसाधन विकास	335.00	43.00	49.98	45.00	44.44	45.00
20	मुख्यालय (सचिवालय एवं भवन)	100.00	12.80	11.76	13.34	16.40	30.40
21	एनआईसी	2300.00	320.00	321.04	400.00	462.82	550.00
			नई स्कीमें				
1	एकीकृत टाउनशिप की स्थापना	60.00	1.00	0.00	0.11	0.00	0.11
2	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	0.00	0.00	0.00	100.00	60.00	600.00
3	आईटी में दक्षता विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**12496.00**	**1500.00**	**1252.05**	**1680.00**	**1516.65**	**2530.00**

संलग्नक-II

डाक विभाग

करोड़ रूपए में

क्र0 सं	स्कीम का नाम	11वीं योजना अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना (2007-08)		वार्षिक योजना(2008-09)		वार्षिक योजना (2009-10)
			बीई	वास्तविक व्यय	बीई	वास्तविक व्यय	बीई
1	पोस्टल नेटवर्क पर पहुंच	55.11	7.45	3.17	8.00	5.61	5.00
2	मेल प्रचालन	470.88	17.67	26.56	70.00	13.42	71.00
3	बैंकिंग एवं धन अंतरण प्रचालन	142.50	20.50	1.05	15.00	4.02	14.50
4	टिकट संग्रहण प्रचालन	15.00	4.00	1.21	3.00	0.34	3.00
5	संपदा प्रबंधन	126.81	34.75	20.01	14.00	14.99	20.00
6	आईडी इंडैक्शन - डाक प्रचालन	2700.00	174.10	65.36	360.00	208.71	360.00
7	मानव संसाधन प्रबंधन	100.45	29.77	10.33	15.00	12.01	18.00
8	विपणन-अनुसंधान एवं उत्पाद विकास	297.88	11.01	5.03	24.00	16.89	20.00
9	बीमा प्रचालन	35.00	7.00	2.45	7.00	3.51	7.00
10	सामग्री प्रबंधन	50.00	1.50	0.00	3.00	0.29	1.00
11	गुणवत्ता प्रबंधन	6.37	7.25	0.29	1.00	0.24	0.50
	कुल	4000.00	315.00	135.46	520.00	280.03	520.00
	एनआरईजीएस के तहत मजदूरी के भुगतान हेतु सहयोग	0.00	0.00	0.00	80.00	17.77	100.00
	विविध बुकिंग		0.00	1.35		2.06	
	कुल योग	**4000.00**	**315.00**	**136.81**	**600.00**	**299.86**	**620.00**

संलग्नक -III

दूरसंचार विभाग												
क्र0 सं	संगठन/स्कीम का नाम	11वीं योजना जीबीएस	2007-08 बीई/ आरई		2007-08 वास्तवि व्यय		2008-09 बीइ/ आरई		2008-09 बीई/ आरई व्यय आरई पर आधारित		2009-10 बीई	
		जीबीएस	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस	आईईबीआर
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	बीएसएनएल	0.00	0.00	22881.00	0.00	7239.43	0.00	17891.00	0.00	10876.00	0.00	14015.00
2	एमटीएनएल	0.00	0.00	2309.00	0.00	932.46	0.00	1304.28	0.00	871.12	0.00	1725.02
3	आईटीआई	105.87	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
4	डब्ल्यूएमओ	124.42	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	4.15	0.00	15.00	0.00
5	डब्ल्यूपीसी	12.89	11.40	0.00	8.25	0.00	9.70	0.00	3.69	0.00	1.00	0.00
6	ट्राई	16.97	3.00	0.00	3.00	0.00	10.00	0.00	3.00	0.00	10.00	0.00
7	टीडीएसएटी	9.05	1.25	0.00	1.15	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.00	0.00
8	टीईसी	56.55	20.25	0.00	0.13	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
9	सी-डॉट	740.84	129.10	31.97	96.00	21.96	121.82	29.96	109.00	29.96	300.00	45.00
10	टीईटीसी (सी-डॉट के तहत)		6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	5.00	0.00
11	यूएम, एं एंड एन	204.72	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00
12	टीएटी/ टीडीआईपी	28.28	2.00	0.00	3.66	0.00	2.00	0.00	1.60	0.00	3.00	0.00
13	डीएस	452.42	150.00	0.00	108.00	0.00	561.17	0.00	561.17	0.00	26.00	0.00
	थल सेना और जल सेना के लिए वैकल्पिक संपर्कता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**1752.01**	**340.00**	**25221.97**	**220.19**	**8193.85**	**725.00**	**19235.24**	**686.91**	**11777.08**	**431.00**	**15785.02**
नोट	बीई और आरई के आंकड़ों में से जो अधिक है उसे लिया गया है उदाहरण के लिए 2007-08 --> बीई - 340, आरई - 250; 2008-09 --> बीई- 375, आरई - 725; 2009-10 -->बीई - 431 (सभी आंकड़े करोड़ रूपए में हैं)											

संलग्नक-IV

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

करोड़ रूपए में

क्र0 सं0	मीडिया यूनिट का नाम	11वीं योजना जीबीएस	वार्षिक योजना 2007-08		वार्षिक योजना 2008-09		वार्षिक योजना2009-10
			अनुमोदित जीबीएस	वास्तविक व्यय	अनुमोदित जीबीएस	वास्तविक व्यय	अनुमोदित जीबीएस
I	सूचना क्षेत्रक						
1	पीआईबी	83.93	10.13	9.31	14.48	9.00	15.03
2	प्रकाशन प्रभाग	2.49	0.05	0.74	0.49	0.47	0.35
3	डीएवीपी	56.93	26.01	18.41	21.78	48.19	26.88
4	आईआईएमसी	44.03	0.10	0.00	1.00	0.00	3.70
5	फोटो प्रभाग	3.30	0.02	0.48	0.55	0.50	0.70
6	डीएफपी	6.80	0.12	0.41	2.00	1.81	1.49
7	संगीत एवं नाटक प्रभाग	22.40	4.00	3.96	4.00	3.32	4.50
8	आरआर एंड टीडी	7.50	0.02	0.15	0.23	0.15	1.18
9	आरएनआई	1.54	0.02	0.05	0.15	0.15	0.17
10	प्रमुख सचिवालय स्कीमें (सूचना विंग)	85.04	2.08	1.98	4.00	3.82	12.00
	कुल(I) :	**314.00**	**42.55**	**35.48**	**49.48**	**67.40**	**66.00**
II	फिल्म सेक्टर						
1	फिल्म प्रभाग	70.85	9.64	7.84	16.00	6.12	19.26
2	एनएफएआई	30.00	1.01	0.90	3.00	1.76	4.00
3	डीएफएफ	5.00	7.23	5.61	8.30	7.19	8.18
4	सीएफएसआई	20.77	2.71	2.46	4.00	3.86	4.00
5	सीवीएफसी	12.50	2.01	0.52	2.00	0.77	1.85
6	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	46.23	3.10	1.82	14.50	6.50	6.51
7	एफटीआईआई पुणे	95.31	6.21	6.12	8.00	5.44	6.00
8	एसआरएफटीआई कोलकाता	60.00	7.77	2.86	8.00	3.17	7.00
9	मुख्य सचिवालय (फिल्म खंड) स्कीमें	69.00	2.3	1.73	3.2	2.10	3.20
	कुल (II) :	**450.00**	**41.98**	**29.86**	**67.00**	**36.92**	**60.00**
III	सूचना प्रसारण क्षेत्रक						
1	आकाशवाणी	1618.00	78.95	65.34	195.00	56.43	161.00
2	दूरदर्शन	3032.00	306.64	258.33	280.00	221.77	251.00
3	एचपीटी (टीवी एवं एफएम) इनवार्डर क्षेत्रों में स्थापित करना और जम्मू कश्मीर राज्य के कवर न किए गए क्षेत्रों में एलपीटी (एफएम) की स्थापना करना						100.00
	कुल प्रसार भारती	**4650.00**	**385.59**	**323.67**	**475.00**	**278.20**	**512.00**
4	प्रमुख सचिवालय (प्रसारण खण्ड) स्कीमें	25.00	4.88	3.90	9.00	5.96	7.00
	कुल: प्रसारण क्षेत्रक (III)	**4675.00**	**390.47**	**327.67**	**484.00**	**284.16**	**519.00**
IV	राष्ट्रमण्डल खेल	0.00	0.01	0.00	99.00	9.05	155.00
	कुल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (जीबीएस)	**5439.00**	**475.00**	**392.92**	**700.00**	**397.53**	**800.00**

राष्ट्रमण्डल खेलों को कवर करने के लिए 483 करोड़ रूपए की लागत का अनुमोदन मिला है।